राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2) विधान सभा के द्वितीय सत्र का अठाइसवां दिवस (संख्या 20

1] [2

सोमवार

दिनांक 29 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : तारांकित प्रश्नोत्तर

धरना

अकाली दल एवं प्रधान मंत्री के मध्य हुए पंजाब समझौते से उत्पन्न स्थिति पर विपक्ष का धरना

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, हम पिछले तीन दिन से यहां धरने पर बैठे हैं। इसका मूल कारण है, 25 जुलाई सन् 1985 के समझौते में राजस्थान को जो पार्टी बनाया गया है इससे हमारे हितों पर जो कुठाराघात होने वाला है उसके प्रोटेस्ट में हम यहां बैठे हैं। कल रात रेडियो पर हमने मुख्य मन्त्रीजी का वक्तव्य अंग्रेजी के समाचारों में सुना। उससे ऐसा लगा कि स्वयं मुख्य मन्त्रीजी भी 1955 का एग्रीमेन्ट नहीं खुले, इस सम्बन्ध में जो कुछ भी भारत सरकार से उनकी बातचीत हुई है उस आधार पर आश्वस्त हैं। मैं इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी स्पष्टीकरण कर दें कि 1955 और 1981 के जो मुहायदे 25-7-85 के पूर्व हुए हैं वह नहीं खोले जायेंगे। 24-7-85 के पूर्व जो 1955 और 1981 के मुहायद हुए हैं वह रिओपन नहीं होंगे तो हम इस प्रश्न के ऊपर विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहेंगे, माननीय मुख्य मंत्री ?

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : मैंने तो आपको विचार करने के लिए अनेक बार कहा, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। आप यहां पर धरने पर बैठे उस समय भी मैंने प्रार्थना की थी कि सिम्बोलिक हो गया, अब मत इसको वो कीजिये। आपने मेरी बात को सुना नहीं जो रेडियो में आया है उसको मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं और अब भी मैं कहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी से बात करने के बाद में मैं आश्वस्त हूं कि राजस्थान के हितों के ऊपर कहीं भी चोट नहीं आयेगी, रावी व्यास सतलज के पानी के बारे में जो भी मुहायदे हुए हैं उनके अन्दर कहीं कोई भी फर्क नहीं आयेगा और राजस्थान के हितों को नुकसान नहीं होगा। यही प्रधान मंत्रीजी स्वयं कह चुके हैं और अखबारों और रेडियो में आ चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर मुख्य मंत्रीजी थोड़ा सा यह स्पष्टीकरण कर दें कि 24-7-85 के पहले समझौते जो भी हुए हैं वह रिओपन नहीं होंगे।

श्री हरिदेव जोशी : आप यहां किसके ऊपर बात कर रहे हैं, मैं तो मुहायदों में साफ-साफ कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : मुहायदे 24-7-85 के पहले हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 24-7-85 का मुहायदा इन मुआयदों में शामिल नहीं है?

श्री अध्यक्ष : 24-7-85 को हुआ था उसमें अपन हैं ही नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने तो पहले ही कहा कि जो मुहायदे हुए हैं उनसे कहीं भी राजस्थान को नुकसान नहीं होगा। 24 के पहले भी हुए हैं मुहायदे उसके बाद तो कोई मुहायदा राजस्थान के साथ हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं, 24-7-85 को तो राजस्थान से तो कोई मुहायदा ही नहीं हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज

24-7-85 के पहले ही मुआयदे हुए हैं राजस्थान के साथ यह अभी मुख्य मंत्रीजी ने कहा है। 24-7-85 को तो मुआयदा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : यही तो कहा है उन्होंने यही कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान से तो कोई मुहायदा हुआ नहीं 24-7 को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, 24-7-85 का मुहायदा, उसमें मुझे आप जो पहले कह रहे हैं,

(व्यवधान)

कोई आपत्ति नहीं है। हमें इस बात का वहम है कि आप....

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो पहले ही कह चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो मुहायदों का नाम लेते हैं तो उसमें 24-7-85 का भी एग्रीमेन्ट है? वह एग्रीमेंट....

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसको राजस्थान के साथ हुआ मुहायदा नहीं मानता। राजस्थान के साथ में कोई मुहायदा नहीं हुआ है और इसलिए मैंने कहा कि जो मुहायदे पहले हुए हैं उससे कोई राजस्थान के हितों पर चोट नहीं पहुंचती है, इसको मैं खास तौर से कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार का स्पष्टीकरण किया....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल शुरू करें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं पहले भी कह चुका हूं। आज नया कुछ नहीं कह रहा हूं। इसको बार बार मैंने कहा है, अब आपकी

(श्री हरिदेव जोशी)

समझ में आती है, आप अभी आश्वस्त हुए हैं बहुत ठीक बात है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया है कि 24-7-85 के पूर्व जो मुहायदे हुए वह रिओपन नहीं होंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं पहले भी कह चुका हूं, उसमें कोई नई बात नहीं कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप जो....

श्री हरिदेव जोशी : आप सौ बार कहिये, मैं उतनी ही बार रिपीट करूंगा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, पहले ही कह चुका हूं । आप इसको आज मेरी बात कहते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं पहले ही कह चुका हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी, मैं आपके ही शब्दों में कह देऊं एक मिनट में । आपने पहले भी कहा ...

श्री हरिदेव जोशी : आपको मेरी बात अगर समझ में नहीं आती तो मैं क्या कह सकता हूं । मैं तो कह रहा हूं आपको कि जो बात मैं परसों-तरसों, उसके पहले कह चुका हूं कि मैं आश्वस्त हूं कि राजस्थान के हितों को कहीं चोट नहीं पहुंचेगी, यह मैं आश्वस्त हूं । मुझे राजीव गांधी के नेतृत्व में विश्वास है, उनके वचन पर विश्वास है, इसी आधार के ऊपर मेरा यह मन बनता है और इसी आधार पर मैंने पहले भी कहा था, और उसी आधार पर आज कहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : मेरे खयाल से जो धरने पर हम बैठे थे और उसके पहले जो विशेष मुद्दा था, मुहायदे की बात, जैसा आपने कहा, मैंने पहले भी कहा था, अभी जो रेडियो न्यूज पर, उस दिन भी हमने तो आपसे इतना ही निवेदन किया था कि 1955 का एग्रीमेंट तीन नदियों के पानी के वितरण का बुनियादी एग्रीमेन्ट है, आप इसका स्पष्टीकरण कर दें । आपने कहा कि भई, मैंने जनरल सब मुहायदों का कह दिया । कल रेडियो पर स्पेसिफिक आपका जो आया था वह सुनने के बाद हमको लगा कि जो 1955 की बात हम कर रहे थे उसी बात को आपने आम जनता को रेडियो से कहा । तो हम जिस बात के लिए यहां बैठे थे, जब हमने भी सोचा कि जब मुख्य मंत्रीजी यह केटेगरीकली दुनिया को बता रहे हैं कि 1955 का मुहायदे जो कि रावी व्यास-सतलज के हिस्से, पानी के बंटवारे के राजस्थान और पंजाब के बीच में तय किया वह नहीं खुलेगा, यह बात आपने कही और प्रधान मन्त्रीजी का भी नाम इसके साथ था । हमको लगा कि फिर झगड़ा किस बात का है । इसलिए हमने आपके सामने यह कहा कि अगर आप इस बात को सदन में आज साफ कर दें तो हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे और इसके बारे में कोई किसी तरह की चर्चा नहीं करेंगे । मेरे खयाल से अब आपने जो कुछ कहा है, जो कल सब

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लोगों को कहा, पहले भी आपने कहा, पहले हमारे मान लीजिये, समझ में कम आया, इतना मान लीजिये, अब अगर आप इसको क्लेरिफाई करके जब समझा रहे हैं तो अब तो इरादा साफ है जो कि भई, अपने 81 का और 55 का जो मुहायदा था उनको रिओपन नहीं किया जायगा, ऐसा आप प्रधान मन्त्रीजी की बातचीत से आश्वस्त हैं क्या इस मामले में अब आप नहीं बोलें तो यह तो कहिये कि "हां", इतना तो कह दीजिये ताकि फिर आगे रगड़ा नहीं रहे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि मैं इस प्रकार के कन्वर्सेशन में और क्वेश्चन आन्सर के अन्दर इण्डल्ज होना नहीं चाहता मगर मैंने जैसा पहले कहा है फिर मैं कहता हूं कि मैं आश्वस्त हूं, प्रधान मन्त्रीजी कभी भी राजस्थान के हितों को नुकसान नहीं पहुंचायेंगे, इस बात को मैं आपको कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने रेडियो प्रसारण में 1955 के एग्रीमेन्ट का नाम लिया वह गलत है क्या? यह तो कह दो, गलत है तो वह बात कह दो तो शान्ति हो। और वह अगर रेडियो प्रसारण सही है तो मामला खत्म होता है। तो आपको यहां कहने में साफ-साफ क्या दिक्कत है। और आप तो इस मामले पर आ गये।

श्री हरिदेव जोशी : I do not commit.

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर। आॅर्डर प्लीज। श्री हीरालाल आर्य (अनुपस्थित) श्री रघुवरदयाल।

सूचना

प्रतिपक्ष के सदस्यों के घरने की समाप्ति एवं अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हमने इसी आधार पर राज्य सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव रखा है। हम चाहते थे कि मुख्य मन्त्री जी साफ तौर से इसका स्पष्टीकरण कर दें कि 1955 और 1981 के समझौते नहीं खोले जायेंगे। चाहे प्रधान मन्त्री जी के मुंह से कही हुई बात कही लेकिन प्रधान मंत्री जी की बातचीत के आधार पर वह आश्वस्त होकर आये हैं कि 1955 और 1981 के एग्रीमेंट नहीं खोले जायेंगे। इस प्रकार का स्पष्ट आश्वासन मंत्री जी की ओर से नहीं मिला। हम अपना घरना समाप्त करते हैं और हमने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है उस पर हम पहले चर्चा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह आपके हाथ की बात है आप समाप्त करें या रखें, मुझे इसमें क्या आपत्ति है?

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, अर्ज यह है कि....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछेंगे? आर्डर। आर्डर प्लीज। प्रश्न करना चाहते हैं?

श्री भंवर लाल शर्मा : अविश्वास का प्रस्ताव रखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । आपने रूल पढ़े नहीं हैं ।

(व्यवधान)

अविश्वास का प्रस्ताव प्रश्नकाल के बाद में आता है । अविश्वास का प्रस्ताव प्रश्नकाल के बाद में पूछा जाता है । आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, कृपया बैठें आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

कृपया बैठें ।

माननीय सदस्य, आप लोगों ने शायद रूल 132 को पढ़ा नहीं है । मुझे कहते हुए खेद है कि आपने रूल 132 को पढ़ा नहीं है । अविश्वास प्रस्ताव प्रश्नकाल के ठीक बाद में आता है । प्रश्नकाल उससे रुकता नहीं है । आप उसे कृपया पहले पढ़ लें फिर यह आपत्ति करें । कृपया बैठें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिस सरकार में विश्वास नहीं उस सरकार का कोई उत्तर नहीं चाहिए हमको ।

श्री अध्यक्ष : नहीं चाहिए तो ना कर दीजिए । मत पूछिए प्रश्न ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सरकार आवाम को कहे और यहां पर कहने से मुकर जाए । मैं इस बात पर नहीं बैठूंगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर । माननीय सदस्य कृपया बैठें । आप कृपया बैठें ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं कुछ कहना चाहता हूं । इसे तमाशा बनाना चाहते हैं, हम नहीं बैठेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं आपको नाम से पुकारता हूं । माननीय सदस्य अब्दुल अजीज ।

श्री अब्दुल अजीज : आप तमाशा बनाना चाहते हैं । कानून को तोड़ना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य ।

आप कृपया प्रश्न पूछेंगे ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

थाना खातौली (कोटा) में एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करने की शिकायत

590. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) क्या यह सही है कि श्री भंवर-लाल आत्मज श्री बजरंग लाल गूजर निवासी मियाना, तहसील पीपल्दा जिला कोटा ने पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा, को उससे जबरन रुपए छीनने तथा वकारा निकाल ले जाने तथा बयाना खां-तेली के ए. एस. आई. द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने तथा पैसों की मांग किए जाने के बारे में शिकायत पत्र 15.5.85 को दिया था ?

(2) यदि हां तो उक्त शिकायत पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? उक्त मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? तथा उसका क्या परिणाम निकाला ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त मामले में कौन व्यक्ति दोषी पाए गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2 व 3) : प्राप्त शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, कोटा के निर्देश में की जा रही है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत हुई थी आज से करीब दो महीने पहले और अभी तक इसकी जांच चल रही है। यह जांच दी है उप अधीक्षक ग्रामीण को जिसकी शिकायत इस बाबत वहां के अधीक्षक ग्रामीण व जिलाधीश को कर चुके हैं। पहले कई यहां के उप अधीक्षक, ग्रामीण अपराधियों से मिले हुए हैं अपरा-धियों को संरक्षण देते हैं ?....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ लीजिये। कृपया।

श्री हीरालाल आर्य : पैसे खाकर गम्भीर मामले को दबाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। प्रश्न पूछ लें।

श्री हीरालाल आर्य : मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जांच देने का कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस का ए.एस आई. मुंह लगा व्यक्ति है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें कृपया।

श्री हीरालाल आर्य : उस सारे इलाके में जनता में भयंकर आक्रोश है कि उप अधीक्षक ग्रामीण है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण कर रहे हैं ?

श्री हीरालाल आर्य : उन्हीं के खिलाफ में तो शिकायत है।

श्री अध्यक्ष : तो आप यह कहिये।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, वह तो खुद ही मामले को दबा देते हैं। इसके दो तीन बार स्थानान्तरण भी हो चुके हैं लेकिन वहां से पैसे बटोर कर लाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिये ना।

श्री हीरालाल आर्य : और खाकर पैसे ऊपर के अधिकारियों एस.पी. वगैरह को देते हैं और कैंसिल करवा ले आते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : हमारा प्रश्न यह था कि शिकायत की अभी तक जांच नहीं हुई है। हमने एस पी. साहब को कहा कि हमें इन पर भरोसा नहीं है। किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच करवाये। किसी दूसरे अधिकारी को जांच नहीं दी गयी है इसके क्या कारण हैं ? सब एक मिले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : तो यह प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत ए.एस.आई. के खिलाफ है जो इन्होंने पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण (कोटा) को की थी। उसकी जांच कार्यवाही उप अधीक्षक, ग्रामीण को सौंपी गयी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना यह है कि स्थानीय पुलिस में विश्वास नहीं है कि यह जांच ठीक होगी। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास प्राप्त नही हुई।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, हमने वहां के एस.पी साहब को और जिलाधीश महोदय को कई बार उनकी शिकायत की है कि उप अधीक्षक, ग्रामीण ने कुछ कर्मचारियों को मुंह लगा रखा है। उनके माध्यम से पैसे खाकर गम्भीर से गम्भीर मामले को दबा लेते हैं और वहां से पैसा बटोर कर लाते हैं। वहां के असली तथ्यों को समाप्त करते हैं। दूसरी रिपोर्ट लाकर एस.पी. को बताने के बावजूद इनको लगा देने से हमें इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है कि एस.पी. भी इसमें इनवाल्व है और हमें न्याय नहीं मिल रहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार की बात करते कि वहां पर निष्पक्ष जांच होने की सम्भावना नहीं है तो यह मैं पुलिस के अतिरिक्त अधीक्षक, कोटा से करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवरदयाल।

अध्यापकों को वेतनमान से सम्बद्ध बकाया का भुगतान

591. **श्री रघुवरदयाल गोयल** (रामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बेरी वेतन आयोग दिनांक 1.9.81 से राज्य के सभी स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों पर लागू हो गया है ?

(2) यदि हां तो क्या पंचायत समिति, रामगढ़, अलवर, में 1979–80 से कार्यरत अस्थायी अध्यापकों को तय वेतनमानों के अनुरूप एरियर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां तो कितना और कब ?

(3) यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो क्यों, व इसका भुगतान कब तक हो जायेगा ?

पंचायत मंत्री (नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। मामला विचाराधीन है।

(3) मामला विचाराधीन होने के

(पंचायत मंत्री)

कारण भुगतान नहीं किया गया है। निर्णय होने पर आवश्यक निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री रघुवरदयाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब यह निर्णय लागू राज्य सरकार ने कर दिया है तो विचाराधीन कौन से मामले रह गये ? जब निर्णय ले लिया गया बेरी वेतनमान देने का तो कौन सा ऐसा मामला है जिस पर राज्य सरकार विचार कर रही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सन् 1983 से लागू हुआ है और डिपार्टमेन्टली इसमें कार्यवाही हो रही है। मुझे विश्वास है कि इनको जल्दी ही मिल जायेगा। एक प्रोसेस होता है। निर्णय होने के बाद प्रोसीजर चल रहा है। काफी केलकुलेशन होता है डी. ए. को पे के साथ सम्मिलित करना इत्यादि। इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि विचाराधीन है। आप यह मत सोचियेगा कि इसको हम डिले करके टाल रहे हैं।

श्री रघुवरदयाल गोयल : आप एक निश्चित तारीख बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : चार साल कहां हो गये ? सन् 83 की मैं अर्ज कर रहा हूं 83 से 85 तक चार साल कैसे हो गये ?

श्री रघुवरदयाल गोयल : दो साल हो गये हैं। पंचायत समितियों में दे दिया गया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :अध्यक्ष महोदय, मामला फाइनेंस डिपार्टमेन्ट में जाता है वहां पर सब बातें होती हैं। उसमें निर्णय होने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्रीमती उजला अरोड़ा।

जेल में बंदियों की मृत्यु

592. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) वर्ष 1983-84, 1984-85 में अधिकारियों की गलती से कितने बन्दियों की किस किस जेल में मृत्यु हुई ? क्या उक्त बन्दियों को बचाया जा सकता था यदि समय पर चिकित्सक की राय से चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए, विशेषज्ञ चिकित्सकों की चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती ?

(2) ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को सजा देने का विचार है ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) कृपया इस सन्दर्भ में डाक्टर्स की रिकमन्डेशन की प्रति सदन के पटल पर रखें। समय समय पर चिकित्सा के लिए जारी किये गए आदेशों की प्रति भी सदन के पटल पर रखें।

(4) वर्ष 1985 में जयपुर में केन्द्रीय कारागृह में हुई मृत्यु के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री कारागृह (श्री छोगाराम बकोलिया) :– (1) जी नहीं। वर्ष 1983-84 व 1984-85 में जेल में किसी भी

(राज्य मंत्री कारागृह)

बन्दी की मृत्यु जेल अधिकारियों की गलती से नहीं हुई।

(2) बिन्दु एक के परिपेक्ष में प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) बिन्दु नम्बर 1 के परिपेक्ष में इसकी आवश्यकता नहीं है।

(4) वर्ष 1985 में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में हुई बन्दियों की मृत्यु के संबन्ध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगी कि आपने जो उत्तर दिया है वह आपके अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी के आधार पर दिया है। मेरे पास में जेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा रिकमन्डेशन व उसकी मृत्यु का सर्टिफिकेट है, अधिकारी ने यह लिखा था कि इस पर अर्जेन्ट शब्द लिखा है, इसको तत्काल भेजा जाय, इसकी हालत बहुत खराब है। उसको भेजा नहीं गया। वह दरवाजे पर पड़ा रहा, मरा हुआ। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वहां उसकी लाश पड़ी रही। उसको उठा, कर चिकित्सालय नहीं भेजा गया और अंत में वह बेचारा मर गया। इसी तरह से आप गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं। मैं समझती हूं कि आपके यहां पर रिकार्ड में लिखा हुआ है, आप चाहें तो मंगा कर देख लें। आप सजा उनको दें जो इस तरह से आपको गलत सूचना देते हैं। इसी तरह पुरीलाल सन आफ घासीलाल की डेथ हो गई। आपके चिकित्सा अधिकारी ने रिकमंड किया था कि इसको चिकित्सालय भेजा जावे पर उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बारे में आप क्या जवाब देते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल में केवल मात्र चार वंदियों की मृत्यु हुई थी। चार वंदियों में से एक वंदी की मेंटल परेशानी के कारण मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने में जेल के अधिकारियों की कोई गलती नहीं थी।

(व्यवधान)

इसलिए माननीय सदस्य ने जो आक्षेप किया है कि किसी अधिकारी की गलती से....

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, और आप जवाब दे रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई, प्रश्न फिर से पढ़िये। आप बता रहे हैं, इसमें दोषी एक भी नहीं है।

श्री छोगा राम बकोलिया : इसमें माननीय सदस्या ने पूछा है कि वर्ष 1983-84 और 1984-85 में अधिकारियों की गलती से कितने वंदियों की किस-किस जेल में मृत्यु हुई?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, सन 1985 में 24 तारीख की घटना है जिसमें चिकित्सक ने रिकमण्ड कर भेजा है उन व्यक्तियों की मृत्यु हुई....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

प्रस्तुत कर दूं, आप प्रश्न पूछ लीजिए .

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, माननीय सदस्या ने यह पूछा है कि जेल के डाक्टर ने रिकमण्ड किया कि उनको जनरल अस्पताल भेजा जाय। अधिकारियों ने नहीं भेजा इस कारण उसकी मृत्यु हुई। यह बता दीजिए।

श्री छोगाराम बकोलिया : बंदियों को जेल से इलाज के लिए भेजे जाने के लिए डाक्टर ने सलाह दी थी। उसके अनुसार पुलिस गार्ड की व्यवस्था के लिए टेलीफोन किया गया था, लेकिन पुलिस गार्ड के समय पर नहीं आने से पेशेंट को नहीं भेजा गया। दुबारा पुलिस गार्ड को इत्तला की गई थी लेकिन उसके समय पर नहीं आने के कारण से मरीज की मृत्यु....

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : यह गलती किसकी थी ? एक गार्ड की ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या बहाने की बात कर रहे हैं। बिलकुल गार्ड के लिए लिख देने के बाद भी उसको भेजा नहीं गया, रिपोर्ट बता रही हूं।

एक माननीय सदस्य मर गया।

श्री शोपत सिंह : दुबारा गार्ड आया तब तक मरीज मर चुका था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गार्ड की गलती बाद में हुई, यह आपकी गलती है और आपके अधिकारियों की गलती है। न तो उन्होंने चिकित्सा के लिए भेजा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह पूछ रही हैं। प्रश्न पूछ लीजिए पहले।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : गार्ड नहीं आने की वजह से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या प्रश्न पूछ लीजिये पहले।

श्री छोगाराम बकोलिया : गार्ड की व्यवस्था करने के लिए डी. आई. जी. पुलिस ने अपनी तरफ से सभी डायरेक्शंस दे दिये हैं कि जब कभी कारागृह....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बात बिलकुल गलत बोल रहे हैं। आप बोल क्या रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : इसका जिम्मेदार कौन होगा।

श्री अध्यक्ष : One by one। एक एक करके पूछो।

श्री नाथूसिंह : उस समय गार्ड नहीं पहुंची जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके लिए कौन व्यक्ति दोषी हैं ? क्या आपने जांच कराई ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : गलती यह है कि गार्ड को बुलाया गया और वह नहीं आया। यह सरकार की गलती है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : ऐसा लगता है कि गार्ड को बुलाया गया दो बार और गार्ड समय पर नहीं पहुंचा। गार्ड देर से बुलाया गया अथवा पुलिस गार्ड देर से पहुंचा, इसमें किसकी गलती है इसकी इन्क्वायरी करके जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गार्ड को टाइम पर बुलाया नहीं गया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मुख्य मंत्री जी ने दोनों ही बात कह दी हैं देर से बुलाया गया या गार्ड देर से पहुंचा, इसकी इंक्वायरी करेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सुपरिटेंडेंट, जो उस समय थे, इसी तरह का रवैया अख्तियार किया । इतना ही नहीं जो लाइफ सेविंग दवायें हैं उन तक के लिए वे गोला लगाकर कह देते हैं लाने की जरूरत नहीं, हाइपरटेंशन की जो दवा है उन्होंने नहीं लाने दी । इस तरह की जो हरकत है उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? आप यह जवाब दे रहे हैं, एक भी मृत्यु नहीं हुई । जब खोल कर पूछा गया उसके बाद बताया दो की मृत्यु हुई, तीसरी बार चार की मृत्यु हुई । कितने की मृत्यु हुई, यह आप बता नहीं सकते । उनको दवाई के लिए भिजवा नहीं सकते । अब आप क्या करेंगे ? बताइये ।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गार्ड को बुलाने से पहले डाक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया....

श्री अध्यक्ष : डाक्टर तो वहां रहता है. माननीय सदस्य !

श्री सम्पतसिंह : जो रहते हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया । फर्स्ट एड क्यों नहीं दिलाई गई ।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का जो प्रश्न मेडिसन के बारे में है डाक्टर द्वारा प्रेस्क्रिप्शन देने के बाद में अधीक्षक का प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार मेडिसन नहीं मंगाने के कारण, उच्च रक्तचाप के कारण से एक मृत्यु हुई बतायी गई है जिस बारे में अधीक्षक और डाक्टर दोनों का आपस में विवाद था । उनको इमिजियेटली वहां से सेंट्रल जेल से हटाया गया है । उसके बाद में भी माननीय सदस्या का जो आरोप मेडिसन जो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर और अधीक्षक बार-बार लड़ते रहे, उसके कारण पेशंट मरते रहे । अध्यक्ष महोदय, इस वजह से मरीज मर रहे थे और सरकार देखती रही. लड़ाई लम्बी चलती रही, आपने कोई फैसला नहीं किया । बाद में उनको हटाया गया । कई पेशेंट ज्यादा बीमार हो गये, कई मर गए सरकार की लापरवाही से, इसके लिए लानत है । इसमें डाक्टर की क्या गलती है ? इसमें डाक्टर की गलती नहीं है डाक्टर ने तो बताया है कि उसको भेजा जाए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गलती तो इसमें सुपरिटेंडेंट जेल की है । डाक्टर लिखकर देता है दवायें मंगवायें । उसको भेजा नहीं जाता चिकित्सा के लिए । उसको भेजा नहीं जाता तो इसमें गलती किसकी है ? आप गलत आदमी को हटाते । जो आदमी गलत है उसको सजा नहीं देते हो और जो आदमी गलत नहीं है उसको सजा देते हो ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सरकार खुद ही समर्थ नहीं है ।

(12)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय मंत्री जी, मैं यह पूछना चाहती हूं पहले प्रश्न के उत्तर के रेफरेंस में कि आपके अधिकारियों की गलती से तो न बिजली से चिपक के लोग मरते हैं न लापरवाही से लोग मरते हैं, आप बतायें कि पिछले वर्ष जो बताये गये हैं 1983-84 और 84-85 में उनमें ईश्वर की इच्छा से कितने लोग मरे हैं....

श्री अध्यक्ष : यह पूछा ही नहीं है। ईश्वर की इच्छा से कितने लोग मरे हैं, यह तो पूछा ही नहीं, अधिकारियों की गलती से कितने लोग मरे हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : इसमें कितने लोग अधिकारियों की गलती से नहीं मरे? एक प्रश्न तो मैं यह पूछना चाहती हूं, उनके कारण क्या हैं अर्थात ये लोग मरे और उनकी मृत्यु के रीजन्स क्या रिलीज किये गये? काज आफ डेथ लिखा जाता है वह क्या लिखा गया?

दूसरा आपने कहा कि एक जो मरीज था, जैसा कि माननीय सदस्या ने बताया, वह मेंटल पेशेंट मेंटल डिस-आर्डर से आत्महत्या तो कर सकता है लम्बे समय तक इलाज नहीं हो तो वह मर सकता है। मगर मेंटल डिस-आर्डर से कोई मरता नहीं है। कितने समय तक वह मेंटल पेशेंट था और कब से कब तक उसका इलाज हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तीसरे का तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एश्योरेंस दिया ही है। आप बार बार बुलवाते रहे और गार्ड नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : प्रश्नकर्ता माननीय सदस्या का जो प्रश्न है उसको गम्भीरता से लेते हुए इस प्रकरण की जांच विस्तृत रूप से हो रही है। फिर इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और पुन: इस प्रकरण की जांच में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : भगवान मारेगा तो क्या करोगे।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय से जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : किस बात का।

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने दो प्रश्न पूछे हैं दोनों स्पेसिफिक पूछे हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : ईश्वर की कृपा हो जाए और जेल में कैदी मर जाए तो उसके लिए किसी को दोषी नहीं माना जा सकता।

श्रीमती विद्या पाठक : कितने मरे हैं? हम तो यह पूछ रहे हैं, साहब, कितने लोग मरे?

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : यह संख्या पूछ रही हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : यह अलग से प्रश्न है।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : ईश्वर की इच्छा से कितने मरे और सरकार की इच्छा से कितने मरे?

एक माननीय सदस्य : बार-बार मंत्री जी....

श्रीमती विद्या पाठक : जेलों में लोग मर रहे हैं उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं, उनका इलाज होता नहीं, कारण मंत्रीजी बताते नहीं। इस जेल में घोंट कर मारने की जो प्रथा चल निकली है, कोई अच्छी बात नहीं। तो माननीय मंत्री महोदय बतायें तो सही।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्री महोदय बतायें तो सही, हम कारण जानना चाहते हैं। जो अन्दर बंद है...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्रीमती विद्या पाठक : क्या जवाब दिया है। मैंने यह पूछा है कि मेंटल डिसआर्डर से कितने मरे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सीमित था, अधिकारियों की गलती से कितने मरे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। आप जनरल पूछ रहीं हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : जनरल नहीं पूछ रहीं,....

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। बात पूछ ली है, कृपया बैठें।

श्रीमती विद्या पाठक : मेरी जानकारी में है कि जेलों में बहुत से मेंटल पेशेंट रह रहे हैं और उनका इलाज नहीं होता है...

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो इस प्रकार बता रही हैं कि किसी कारण से इलाज न होने के कारण लोग मरते हैं, यह सर्वथा गलत है सही नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, आप सदन में × × × बोलेंगे तो यह उचित नहीं है। आप × × × बोल रहे हैं आपको बोलने नहीं दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द को एक्सपंज किया जाए।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं विशेष तौर पर जानकारी लूंगा। पूरा ध्यान रखा जाएगा भविष्य में, इस प्रकार कोई भी मरीज जेल में बिना दवा या अधिकारियों की गलती से नहीं मरे, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था के सुधार के लिए आप क्या करने वाले हैं, यह तो बताइये? किसको क्या सजा देंगे, यह भी बताइये?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, से जानना चाहता हूं, एक तो एक्ट आफ गाड और एक्ट आफ मैन—आपकी सरकार कितनी सचेत है कि एक सजा पाने वाले

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अब्दुल अजीज)

आदमी को एक और सजा इनडाइरेक्ट देना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि कभी आपने किसी जेल का दौरा किया, मुआयना किया ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जेल का एक बार दौरा किया लेकिन जेल नहीं गया यह बात जरूर है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री नत्थीसिंह ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 एवं 10 जुलाई, 1985)

भरतपुर जिले में आबियाना की अनुचित वसूली

59. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के किसानों से सन् 1972, 1975 व 1979 के वर्षों में आई बाढ़ के पानी का आबियाना वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के किसानों द्वारा वसूली का विरोध किये जाने पर वर्ष 1976-77 में रेवेन्यू बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन, श्री मल्हान के अधीन एक जांच आयोग स्थापित किया गया था उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट भी राज्य सरकार को दे दी है ?

(3) यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब दी गई, और उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? कृपया रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) जल प्लावन से जो सिंचाई हुई उसके आबियाने के वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां।

(3) रिपोर्ट मार्च, 1979 में दी जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक तो रिपोर्ट की कापी मैंने मांगी थी वह तो मिली नहीं। 1979 से भी कार्यवाही अपेक्षित है। क्या मंत्री महोदय, हजारों किसान भरतपुर जिले के है जिनके बाढ़ के कारण घर नष्ट हुए और खेती नष्ट हुई उनसे कुर्की करके वसूली की जा रही है ? जब तक यह रिपोर्ट पर कार्यवाही करें वसूली रोक दी जायेगी इस प्रकार के आदेश सरकार देगी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गये हैं उन पर विचार किया जायेगा। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : रिपोर्ट ही गायब है ? मैं दे दूंगा कापी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। आप दे देना उस पर विचार किया जायेगा। सुझावों पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा। रिपोर्ट पर अपेक्षित निर्णय न हो जाये तब तक के लिए किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो उसके लिए वसूली की कार्यवाही में जैसा कि आप सब

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

माननीय सदस्य चाहते हैं कि स्टे किया जाये तो मैं स्टे जारी कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री महेन्द्र शास्त्री।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 एवं 18 जुलाई, 1985)

विदेश में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी

69. **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मुण्डावर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दस वर्षों में राजस्थान के कितने अधिकारी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा अध्ययन हेतु विदेश भेजे गए ?

(2) उपरोक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारी कितने कितने समय तक उस विभाग में कार्यरत रहे, जिससे सम्बंधित उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया अथवा अध्ययन किया ?

(3) उपरोक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारी ऐसे हैं जो प्रशिक्षण अथवा अध्ययन के पश्चात् संबंधित विभाग में किसी भी अवधि तक कार्यरत नहीं रहे ? यदि हां, तो क्यों ?

आयोजना मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) 252.

(2) उपरोक्त अधिकारियों में 149 अधिकारी प्रशिक्षण/अध्ययन के पश्चात् प्रशिक्षण से संबंधित विभागों के पदों पर कार्यरत रहे। इनका अवधि के अनुसार विवरण निम्नलिखित हैं :—

(1) एक वर्ष से कम	63
(2) एक वर्ष से दो वर्ष	28
(3) दो वर्ष से तीन वर्ष	14
(4) तीन वर्ष से अधिक	44
	149

एक वर्ष से कम अवधि के अन्तर्गत 63 अधिकारियों में से 14 अधिकारी वर्ष 1985 में ही प्रशिक्षण से लौटे हैं। इनके अतिरिक्त दो अधिकारी अभी प्रशिक्षण में हैं। 87 अधिकारियों से संबंधित वांछित जानकारी संबंधित विभागों से अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

(3) उपलब्ध सूचना के अनुसार 14 अधिकारी ऐसे हैं जो प्रशिक्षण अध्ययन के पश्चात् संबंधित विभाग में किसी भी अवधि तक कार्यरत नहीं रहे वे सभी अधिकारी प्रशासनिक सेवा के हैं जिन्हें किसी विशेष विभाग में ही न रखकर सभी विभागों में उनकी सेवा के पदों पर लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री महेन्द्र शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम के पूछना चाहता हूं कि 103 अधिकारी आपने ऐसे बताये हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने विभाग में नहीं रहे। दूसरी तरफ माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि सिर्फ 14 अधिकारी ऐसे रहे हैं। इन दोनों में बहुत भारी अन्तर है। इसके साथ कारण भी स्पष्ट किया जाये 252 में से 149 बताये जिन्होंने अपने विभाग में काम किया है तो 252 कुल गये और 149 ऐसे हैं जिन्होंने अपने विभाग में काम किया। 252 और 149 के बीच 103 का अन्तर है। तो क्या 103 अधिकारी ऐसे

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आये और उन्होंने अपने विभाग में काम नहीं किया। आपने सिर्फ 14 बताये इन दोनों में बहुत भारी अन्तर है। कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे उत्तर में दूसरे नम्बर पर यह भी अर्ज किया कि 87 की जानकारी इसलिए नहीं मिली है, यह 103, शास्त्री साहब उनमें से हैं जैसे मेडिकल डिपार्टमेन्ट से कोई डाक्टर्स गये अब उनको पर्टीकुलर जिस स्टडी के लिए वह विदेश गये उसी के लिये लगाया जाय। यह कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वह मेडिकल डिपार्टमेन्ट ही वापस जाते हैं. जैसे इन्जीनियर्स हैं अब प्रशिक्षण के लिए बाहर गये और वापस आकर अपने पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट में चले गये। आपका जो प्रश्न था वह खास करके उन लोगों के लिए था मेरे ख्याल से कि जो प्रशासनिक सेवा के हैं और जो बाहर पढ़ने के लिए गये या शिक्षा प्राप्त करने के लिये गये वह वापस वहां लगे या नहीं जिस ट्रेनिंग के लिए वह बाहर पधारे थे।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, 14 ऐसे अधिकारी बताये इन्होंने जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : प्रशासनिक सेवा में तो ज्यादा हैं, 14 अधिकारी ऐसे हैं जो विभाग में नहीं लगे।

श्री नाथूसिंह : प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारी ऐसे हैं जो जिस चीज का प्रशिक्षण लेकर आये उसमें नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, होता क्या है कई लोग विदेशों में जाने के....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लें। होता क्या है, वह दूसरी बात है।

श्री नाथूसिंह : उसके बाद संबंधित विभाग में वह लोग नहीं रहते हैं। क्यों नहीं आप टेक्निकल लोग, जो उस विभाग के हैं, विदेश में भेजकर प्रशिक्षण दिलाते हैं। यही प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विदेश जाकर प्रशिक्षण लिया और राज्य सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ, नुकसान हुआ, उन्होंने जिस चीज का प्रशिक्षण प्राप्त किया उस चीज का उस विभाग को कोई लाभ नहीं मिलेगा तो, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इन लोगों के वहां जाकर प्रशिक्षण लेने का तात्पर्य क्या रहा? क्या आगे से विभाग टेक्निकल लोगों को ही प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश में भेजेंगे और यह लोगों पर पाबन्दी लगायेंगे?

श्री महेन्द्र शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता था यह बात, 14 अधिकारी प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं तो भेजने से पहले सरकार को मालूम तो था कि 14 प्रशासनिक अधिकारी किसी खास विषय....

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक अधिकारी तो बहुत हैं। 14 वह हैं जिनको यह विभाग नहीं मिला है।

श्री महेन्द्र शास्त्री : नहीं मैं पूछ रहा हूं, साहब, जिनको प्रशिक्षण दिलाया और उसके बाद उनका लाभ विभाग को नहीं मिला उसका कोई कारण आपने स्पष्ट नहीं किया। वह क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कोई खास कारण नहीं था। आर.ए.एस. और आई.ए.एस. आफिसर्स अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कहीं भी कोई भी डिपार्टमेन्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स से पोस्ट किया जा सकता है।

जहां तक माननीय नाथूसिंह जी का प्रश्न है, पहली चीज तो टेक्निकल आफिसर्स ही भेजे जायें, आई. ए. एस. को नहीं भेजा जाये, मैं सोचता हूं और मेरा मानना है कि भले ही वह ट्रेनिंग के लिए गये लेकिन यह तो नहीं है कि ट्रेनिंग के बाद वहां नहीं लगेंगे और रिटायर हो जायेंगे। एक्सपीरियेंस तो गेन करेंगे ? जनरल एक्सपीरियेन्स गेन करके खास करके जिस पर्टीकुलर स्टडी के लिए गये हैं घूम फिरकर कभी न कभी डिपार्टमेन्ट में आयेंगे। खासकर के आप....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ; माननीय सदस्य, सभी एक साथ नहीं। माननीय सदस्य बैठें। श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन जिन अधिकारियों को आपने विदेश में ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए भेजा था उससे पहले विभाग ने आवश्यकता समझी थी कि यह वहां जाय, ट्रेनिंग लें उसकी यह उपयोगिता होगी ? जब वह लौटकर आये तो क्या उपयोगिता नहीं रही इसलिए उनको वहां नहीं लगाया गया और ट्रेनिंग बेकार गयी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो विदेशों में जाते हैं अधिकारी क्या उनके लिए कोई ऐसे नियम पहले बने हैं कि साल भर उनको पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट में या जिस डिपार्टमेंट से वह जायेंगे उसमें काम करना होगा ? पहले यह नियम नहीं था तो क्या सरकार यह नियम बनाने का विचार कर रही है ? जो अधिकारी बाहर जायेंगे उनके लौटने के बाद जिस विभाग से वह जायेंगे या जिस विषय विशेष के लिए जायेंगे उसमें कम से कम साल भर या दो साल, जो भी पीरियड हो, कार्य करना होगा इस तरह का सरकार क्या कोई विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : मैं जो पूछना चाहता था, आपने कहा कभी न कभी तो घूम-घामकर उस विभाग में आयेंगे ही। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि जो भी विशेष सेवा है, आवश्यकता के अनुसार एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके आने के बाद यदि वह जिस विशेष प्रशिक्षण के उद्देश्य से भेजे गये थे, उस पर्पज को पूरा नहीं करते हैं तो वह सब बेकार गया। मैं यह जानना चाहूंगा, घूमने के हिसाब से राज कोष के लाखों रुपये का दुरुपयोग होता है। उनको भेजा जाता है। मैं मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो जो अधिकारी विदेशों में जाकर इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करके आये हैं उसके बाद उसका उपयोग नहीं हुआ तो उसकी

(18)

(श्री नाथू सिंह)

जांच करवायें कि वो क्यों गये और इसके लिये जो जिम्मेदार है उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करें ?

श्री मोहन प्रकाश : उससे अच्छा है मंत्री लोगों को भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुश्री पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : मंत्री महोदय, क्या आप यह बतायेंगे, जिन अधिकारियों को आपने विदेश भेजा उन्हें जनरल एक्सपीरियेन्स के लिए भेजा था या किसी विशेष ट्रेनिंग के लिए भेजा था? अगर किसी विशेष ट्रेनिंग के लिये भेजा था तो क्या आप यह मानने को तैयार हैं कि आपके काम नहीं आ सके और जितना भी खर्चा हुआ वह बेकार हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया, कभी न कभी तो आ ही जायेंगे। मेरा मुख्य सवाल यह हैं जो एक ही विभाग में रहते हैं और एक विषय की स्टडी के लिये भेजे गये हैं उनमें से अनुभवी टेक्निकल लोगों को विशेष ट्रेनिंग के लिये क्यों नहीं भेजा ? ऐसे आदमी को नहीं भेजा जिसका अर्थ यह है. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जानबूझकर उनको सुरा और सुन्दरी का पान करने के लिये भेजा है ऐशो आराम के लिये....

श्रीमती विद्या पाठक : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं, क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है उसके लिये मंत्री स्तर तक की सहमति की जरूरत ही नहीं है ? उनका अपना ही एक ग्रुप है जो लाबिंग करता है वर्क करता है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर माननीय सदस्य। बैठ जावें। पहले जवाब आ जाये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह एक एप्रीहेन्शन जो है, जो मुद्दा है, मैं आपको उदाहरण के रूप में एक दो बिन्दु बताना चाहता हूं जैसे कि श्री के. के. भटनागर गये यूनिडा कार्यक्रम के अन्तर्गत एस. एफ. डी. ए. की जनरल स्टडीज, नहीं ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिये—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनको लगाया जे. डी. ए. में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप सुनिये तो सही, माननीय सदस्य। इतना जोश नहीं दिखलायें। पहले सुन लें आप।

नैक्स्ट। आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : आप इस परम्परा को समाप्त ही कर दो तो ज्यादा अच्छा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह जी कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। नैक्स्ट।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपकी समस्या यह है कि न तो आप यह देखते हैं कि वह कब गये, कब जे. डी. ए. में लगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सन् 78 में पांचवें महीने में गये । सन् 78 में आठवें महीनें में वह वापस आये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ; आर्डर प्लीज ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : और विशेष सचिव शिक्षा में 1-9-79 को लगे, उसके बाद 80-81 में ट्रांसपोर्ट में भी लगे जो उन्होंने ट्रेनिंग 78 में पायी । आपके कार्यकाल में वह गये यह उनके काम तो आई । इसलिये अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य श्री मोहन प्रकाश जी ने कहा, यह लोग वहां जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने, ट्रेनिंग प्राप्त करने, स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिये भी जाते हैं । मेरा मानना है वापस आकर साल, 6 महीने उसी डिपार्टमेंट में लगाये जाय । मैं गवर्नमेंट को सजेस्ट करूंगा ।

फर्मा रहे हैं । उन कारणों से तो नहीं हुआ ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 एवं 19 जुलाई 1985)

इन्दिरा गांधी नहर में आर डी 961 से आर डी 122 तक निर्माण कार्य

117. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर में आर डी 961 से आर डी 1202 तक निर्माण कार्य मार्च, 1984 तक पूरा करना था किन्तु उद्घाटन समारोह अक्टूबर 1983 में कराने के निश्चय से काम को जल्दी करवाया गया ?

(2) क्या इस निर्माण कार्य को शीघ्र करवाने के नाम पर कुछ स्थानों पर मजदूरों को 10 रुपये के स्थान पर 30-35 रुपये के पेमेंट किया गया ?

(3) क्या कुछ स्थानों पर कारीगरों को रु० 25) प्रतिदिन के हिसाब के बजाये 80) रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिये गये ?

(4) क्या आर डी 961 के बाद कुछ स्थानों पर नहर की चौड़ाई 129 फीट के बजाये 123 फीट से 127 फीट तक है और कुछ स्थानों पर 24 फीट गहराई के बजाय 22 फीट ही है ? कृपया उन स्थानों की सूची चौड़ाई व गहराई सहित सदन के पटल पर रखें ।

(5) क्या चौड़ाई व गहराई कम होने के कारण सीमेंट व टाइल्स का कम उपयोग हुआ ? यदि हां तो उनका कहां उपयोग किया गया ?

(6) क्या पूरी नहर का पेमेंट ठेकेदारों को 121 फीट एवं 24 फीट के हिसाब से किया गया है ? यदि हां, तो ज्यादा पेमेंट की वापस वसूली करने व गलत पेमेंट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) जी नहीं। वर्ष 1983-84 के स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम के अनुसार बुर्जी 1202 तक कार्य 30 सितम्बर 1983 तक ही पूर्ण करना था। अतः काम को निश्चित तिथि से पूर्व जल्द करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वांछित सूचना सदन की पटल पर रख दी गई है।

(5) चौड़ाई व गहराई में नगण्य अन्तर के कारण सीमेंट व टाइलों के कम उपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

(6) निर्माण कार्य का भुगतान वास्तविक माप करके ही किया जाता है। यदि भुगतान में कोई गलती पाई गई तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, जब मंत्री महोदय, नाचना मोहनगढ़, जैसलमेर के दौरे पर गये उस समय आपके साथ मण्डल के अध्यक्ष और मुख्य अभियन्ता भी थे और तब इस नाचना मोहनगढ़, जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण में जल्दबाजी में काम खराब हुआ है, घटिया स्तर का सामान लगाने की शिकायत प्राप्त हुई है यह कई अभियन्ता ने आपके सामने स्वीकार किया है, क्या यह बात सही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह अर्ज करना चाहूंगा कि इतने बड़े काम में कुछ शिकायतें जरूर आई हैं और आ सकती हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप फर्मा रहे हैं बार बार और आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा की सूचना दी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो आप यह देख लें कि ये पर्टीकुलर सैक्शन जो है जिसको कि आप पालिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वह किस एरिया में अन्तर निकलता है। इतनी बड़ी नहर है, आप सोचें, 6 इंच, 7 इंच अन्तर मेजरमेंट में आ सकता है जितना आप फरमा रहे हैं 20 फीट, 25 फीट, उतना नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछा है कि बहुत ही भारी घोटाला है, क्या इसकी शिकायत आई। इस विस्तार से मेरे पास नहीं आई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सही सवाल किया था। आपके दौरे के समय वहां के अभियन्ताओं, नहर मण्डल के अध्यक्ष जब आपके साथ थे, मुख्य अभियन्ता आपके साथ थे, ने तब घटिया माल लगाने की बात स्वीकार की है। हां या ना, यह तो पूछा था मैंने, आप पता नहीं, कितनी लम्बी बात बता रहे हैं। मैं तो जो स्पैसिफिक बात चाह रहा हूं जो आपके सामने हैं।

एक और सवाल करना चाहता हूं। 2 जनवरी, 1984 को माननीय राज्यपाल महोदय का दौरा था। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चौड़ाई कम और गहराई कम होने के कारण ही शिकायतें इनको प्राप्त हुई। वह जानना चाहते थे।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

आपने उनका दौरा वहां का रद्द करवाया। यह उसके साथ दूसरा सवाल और है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : राज्यपाल महोदय का दौरा इस कारण रद्द हुआ हो कि साहब वहां पर चौड़ाई कम है उसके कारण कोई बातें खुल जायेंगी, मैं यह बात नहीं मानता हूं। आपके पास कोई प्राइवेट सूचना होगी। मेरे तजुर्बे में, मेरी नालेज में तो यह नहीं है कि इस कारण से राज्यपाल का पोस्ट पोन हुआ। जिस कारण से।

श्री शोपत सिंह : रामसिंह आयोग रिपोर्ट में 200 करोड़ का घोटाला इनकी नजर में नहीं आया यह कहां से आयेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : रिपोर्ट मेरी नजर में तो आई है, आपकी नजर में नहीं आई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विषयान्तर न हों।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन यह करना चाहता हूं कि उस दिन मैं नहीं था जिस दिन सवाल पूछा जाना था। मैंने स्थगित कराया था। सौभाग्य से उस सवाल का जवाब मेरे यहां पहुंच गया। उसमें जो इन्होंने 5 और 6 का उत्तर दिया है, आज भी दिया है, उस दिन यह दिया था इन्होंने उत्तर जो प्रतिलिपि मेरे पास है कि यह सूचना हमको मालूम नहीं हुई, इसकी जांच करायेंगे। क्या सचमुच जो चौड़ाई निर्धारित थी कम कर दी गई है, जो गहराई निर्धारित थी वह कम कर दी गई है, इसकी जांच कराई जायेगी? आज जो उत्तर देते समय माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक वर्ष पूर्व दोनों प्रकार की शिकायतें विभाग के पास आई हैं कि 129 फीट जो नहर की चौड़ाई चाहिए निर्धारित उससे कम 123 फीट, 124, 127 फीट है और जो 24 फीट की गहराई चाहिये उसके बजाय 22 फीट, 23 फीट की गहराई है। पिछले उत्तर में आपने यह मुझे दिया है, अब यह कह रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप जांच करवाइये। गहराई कम हुई है, चौड़ाई कम हुई है इसमें टाइल कम लगी है, सीमेंट का कम प्रयोग हुआ है। यह ठेकेदार ने गलत बिल बनाकर ले लिया, इनका उपयोग किया है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैंने यह सवाल आपसे इस माध्यम से करना चाहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय ललित जी, मैं समझता हूं वास्तव में अक्षम्य हूं। क्योंकि इरिगेशन की जितनी नालेज आपकी होनी चाहिये, मैं सोचता था कि आप ऐसे बिन्दुओं पर नहीं पधारेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब प्रश्न आया, जितने मेजरमेंट का इन्होंने पूछवाया कि साहब फलां फलां बुर्जी में कितनी चौड़ाई

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

है, कम हैं ज्यादा है, उस समय तक नाप मेरे पास नहीं आये थे तो मैंने उसका उत्तर दिया, उसके नाप आने हैं। अब जब यह स्थगित प्रश्न लगवाया उस समय तक मेरे पास खास जानकारी प्राप्त हो गई क्योंकि हमने इनसिस्ट किया कि हम इसको एक बार और स्थगित नहीं करवायेंगे। अब मैं उदाहरण के रूप में सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 980 बुर्जी का लक्ष्य है 130 फीट 6 इंच, एक्चुअल मेजरमेंट 130 फीट साढ़े पांच इंच और डेप्थ है 20 फीट 6 इंच वहां पर डेप्थ आ गई है 20 फीट साढ़े आठ इंच। अब 14 में से दो चार, सदन को सूचित करना चाहता हूं, बुर्जी 128 फीट 3 इंच का लक्ष्य था कि इतनी होनी चाहिये 128 फीट साढ़े 6 इंच चौड़ी है, 20 फीट गहराई होनी चाहिये, 20 फीट गहराई है। अब कहां से आपने 139 फीट निकाल लिया और 123 फीट पर पहुंच गए। वास्तव में ऐसी बड़ी नहर में 5, 6, 8 इंच का अन्तर भी नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ माप दण्ड में आ जाता है। 4-4, 6-6 फीट कम होती कम चौडी होती तो माफ करना, ललित किशोर जी, उसमें पानी भी नहीं बहता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक वर्ष पहले शिकायत हुई, स्थगित सवाल कराया छः दिन पहले तब तक तो उत्तर नहीं आया विदिन सिक्स डेज इस सारी चीज की जानकारी 6 दिन में करा ली और एक महीने, एक साल में नहीं करा पाये। मेरा निवेदन है कि 129 फीट और 123 फीट में 6 फीट का अन्तर है। 129 फीट चौड़ी नहर में माननीय मंत्री महोदय आप दो जगह इसी की चर्चा कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक होगी उन स्थानों पर, मैं फिर भी कहना चाहता हूं, स्पेसिफिक शिकायत है। केवल विभाग के अधिकारियों को मत बचाइये, कान्ट्रेक्टर जो पैसे ले गया है, उसको मत बचाइये, इसकी जांच कराइये। उनको उचित सजा दिलवाइये। मैं यहीं कहना चाहता हूं आपसे ..

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय ललित जी, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी मैं जांच करवाता हूं उतनी और किसी ने कोशिश नहीं कि होगी लेकिन जो सूचना दे रहे है न आपको बार-बार, माफ करना, उनको फर्मायें कि वे ढंग की सूचना भिजवायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सूचना आपने दी हो तो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (3) में मंत्री महोदय से जो पूछा है, क्या कुछ स्थानों पर कारीगरों को रु 25) प्रतिदिन के हिसाब के बजाय 80) रु. प्रतिदिन के हिसाब से दिये गये ? तो उत्तर आया, जी नहीं। मैं आपके माध्यम से इतना ही पूछना चाहता हूं कि माह सितम्बर से 17 अक्टूबर तक कितने मजदूर दिवसों का प्रयोग हुआ है, यह बता दीजिये, इससे सारा स्पष्ट हो जायगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय देवी-

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

सिंहजी, मैं आपको बताना चाहता हूं और आप तो भली प्रकार परिचित हैं कि वहां पर काम डिले हो जाय तो बनिस्पत इसके कि मजदूरी पर लोगों को लगायें, उन्हीं लोगों को टास्क बेसिक पर लगाते हैं मस्टर रोल से अलग टास्क रोल पे और हो सकता है क्योंकि वह रात दिन काम करते हैं और बनिस्पत 10) रुपये मिले 25-30 रुपये मिल जाय। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है न आप खुद भी जानते हैं कि माननीय ललित जी ने किस हिसाब से प्रश्न पूछा है कि फलां विजिट के कारण यहां जल्दबाजी हुई और उसके कारण यह काम खराब हुआ। अब मै यह कैसे मानूं, आपको भी पता है जिनकी ये बात करते हैं, बोर्ड का निर्णय हुआ था कि फलां तारीख तक इस एरिया में काम होना चाहिये, इसलिए हो जाना चाहिये कि वाटर चेनल्स के लिये पानी चाहिये। आप कहां उनके बीच में पड़ रहे हो ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपकी बनी बनाई रेपूटेशन खराब हो जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा ट्रेप प्रकरणों में कार्यवाही

364 **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत पांच वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जिलेवार प्रान्त में कुल कितने ट्रेप किन किन व्यक्तियों के किये व कितने मामलों में न्यायालय में चालान पेश किया गया और किन किन का ? कृपया वर्षवार, जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के ट्रेप का क्या अनुपात है ?

(3) कौन कौन से मामलों का कब कब चालान किया गया।

(4) कितने माललों में फाइनल रिपोर्ट दी गई और कौन कौन से मामले अभी तक अनुसन्धान में हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(5) इन एफ. आर. पर न्यायालय द्वारा कितने केसों में कागजिनेंज्स लिया गया कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(6) किन किन को न्यायालय से सजा हुई और कौन कौन कौन बरी हुए ?

(7) किन किन मामलों में रंगे हाथ पकड़ने की कार्यवाही को सही नहीं माना गया ?

(8) क्या ऐसे मामलों में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किस किसके विरुद्ध और क्या ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) विगत पांच वर्षों में 1980 से 1984 तक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कुल 201 ट्रैप के अपराधों के मामले पंजीबद्ध किये। इनमें से 117 अपराधों में चालान अदालत में पेश किये जा चुके हैं। वर्षवार जिलेवार व्यक्तियों की सूची (क) व (ख) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के ट्रैप के मामलों का अनुपात 24 : 76 है।

(3) सूची (ख) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) सूची (ग) व (घ) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) किसी भी एफ आर पर न्यायालय द्वारा कागजीजेन्स नहीं लिया गया।

(6) सूची (ड) व (च) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(7) सूची (ग) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(8) सात मामलों में विभागीय कार्यवाही करने हेतु सम्बद्ध विभाग को लिखा गया व 5 मामलों में धारा 182 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सूची (छ) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, सूची सदन के पटल पर रख दी है, सूची कहां है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह सूची उस दिन प्रस्तुत की जा चुकी थी जिस दिन यह ओरिजिनल क्वेश्चन लगा था। आज तो केवल स्थगित प्रश्न के रूप में आया है इसलिये दुबारा सूची देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सूची इनको दी जा चुकी है।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 84 मामलों में न्यायालय में चालान नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? आपने कुल 201 पकड़े चालान किये 117 में, तो ये 84 मामले पीछे बचे इनमें चालान नहीं किये जाने के क्या कारण है? क्या सिफारिशें पहुंच गई थीं मंत्रियों की?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : किसी भी मंत्री की सिफारिश का प्रश्न पैदा नहीं होता है। जैसा मैंने कहा 117 अपराधों में चालान पेश किये गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 84 केसेज में चालान नहीं हुआ, इसके क्या कारण हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं बता रहा हूं आप सुनिये तो सही। 9 अपराधों में अभियोजन स्वीकृति आना शेष है। पांच अपराधों में अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

(12 00 मध्यान्ह)

और उसका चालान पेश किया जा रहा है। 6 अपराध अन्वेषणाधीन हैं, एक अपराध केन्द्रीय जांच ब्यूरो को स्थानान्तरित किया गया है 163 में ऐसे थे जिनमें जांच से कोई परिणाम नहीं निकला उनमें फाइनल रिपोर्ट दी गयी है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : डिज़ायर पहुंच गयी होगी। डिजायर पहुंच गयी होगी वहां से।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : डिजायर चलती नहीं है हमारे यहां।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ साफ प्रश्न पूछा था कि कितने व्यक्तियों के लिये ट्रैप किये गये हैं। अब मुझे जो सूची मिली है इसमें सारे राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी हैं, तो अन्य व्यक्तियों के ख़िलाफ कहीं कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं पाया गया? यह मैं मान लूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने केवल ट्रैप का मामला पूछा था इसलिए ट्रैप की संख्या मैंने बतायी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, तो मैं यही कह रही हूं कि यह केवल राज्य कर्मचारी अधिकारियों के मामले ही ट्रैप हुए हैं अन्य नहीं। मैंने व्यक्तियों के पूछे हैं। मैं आपसे फिर कह दूं, आप जरा प्रश्न देखिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : व्यक्तियों का मतलब राज्य कर्मचारी और और लोग भी हैं जिनके ट्रैप के मामले हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रैप कर लिये गये और ट्रैप में, मन्त्री महोदय ने ही जवाब दिया है, वह मामले सही नहीं पाये गये?

श्री अध्यक्ष : हो सकता है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जब ट्रैप हो गये तो सही क्या नहीं पाया गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : हो सकता है। यह तो इन्वस्टीगेशन का मामला है। कृपया बैठें। यह तो इन्वेस्टीगेशन का मामला है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : नहीं, इन्वेस्टीगेशन का नहीं साहब, ट्रैप का मतलब होता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठें कृपया। कृपया बैठें।

हरीश शर्मा : सस्पैण्ड करने की कोई कार्यवाही नही की गयी। हमारे कोटा में 4 केस हुए, उनमें पकड़े बड़े अधिकारी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, रंगे हाथों जिन्हें पकड़ा गया, उनके मामले में कह रहे हैं, कार्यवाही नहीं की गयी। उनके केस फाइनल कर दिये गये जो रंगे हाथों पकड़े गये। मन्त्री महोदय बतायें कि ऐसा आपने क्यों किया?

श्री अध्यक्ष : आर्डर बैठें। सुश्री पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहला एतराज यह है कि यह अलग अलग क्वेश्चन दिये गये थे, आपने इन्हें क्लैप तो करवा दिया है लेकिन सूची नहीं दी अलग अलग. बिना सूची के इतने बड़े सवाल और इतने महत्वपूर्ण सवाल पर मैं प्रश्न पूछूं कैसे? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बताएंगे कि ए.सी.डी. के अधिकारियों को

(सुश्री पुष्पा जैन)

एक वर्ष में कितने ट्रैप केस करने चाहिए ? उन्होंने उतने किये या नहीं किये ?

दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि कितने ऐसे केसेज हैं जिनमें आपने चालान की इजाजत नहीं दी और कौन कौन से हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जवाब आने दीजिए। कृपया बैठें। मंत्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने जैसा निवेदन किया, अभियोजन की स्वीकृति आनी शेष है। 9 ऐसे मामले है जिनमें अभियोजन की स्वीकृति लेना शेष है।

दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि केवल सरकारी अधिकारियों और गजेटेड आफिसर के खिलाफ ही ट्रैप किये गये या और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी ट्रैप किये गये हैं तो इसमें सरपंच भी हैं जिनके खिलाफ ट्रैप किये गये हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : पर हैं कौन ? मैं किसमें देखूं कि सरपंच हैं कि कौन हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सूची तो जिस दिन प्रश्न स्थगित किया उस दिन नोटिस आफिस में दे चुका हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, पहले आप इस बात की व्यवस्था दें कि इस तरह से स्थगित करने का मतलब क्या हुआ इस सवाल को ?

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय ने जैसा बताया कि 9 मामले...

श्री अध्यक्ष : आपको सूची नहीं पहुंची है अभी। आपको सूची पहुंचायी है अभी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछ लिया गया उसके बाद सप्लीमेंट्री चालू हो गये during that period आप मुझे सूची फर्मा रहे हैं तो मैं क्या देखूं और क्या पूछूं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर....

सुश्री पुष्पा जैन : पहले ही सवाल से क्वेश्चन आवर में मैंने पूछा था कि मुझे सूची दे दी जाय तब यह बताया गया कि अभी तक इस सवाल की सूची कोई आयी नहीं यहां। आज उत्तर भी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : यह सूची तो आ चुकी थी, उत्तर भी पहले आ चुका था।

सुश्री पुष्पा जैन : लेकिन मुझे देनी चाहिए थी, अध्यक्ष महोदय।

श्री हरि कुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, इसमें इस प्रकार के भी केसेज हैं जिनमें ए.सी.डी. के किसी अधिकारी द्वारा जांच की जा रही थी किन्तु बीच में ही उस अधिकारी से जांच ली जाकर किसी अन्य अधिकारी को दे दी गयी। अगर इस प्रकार से जांच अधिकारी बदलने के कारण सरकार के सामने थे....

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह 9 मामले कौन से हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं, सैंक्शन के लिए सरकार के पास भेजे गये हैं और वह कब से हैं ? यह मन्त्री महोदय बता दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप पूछिये, सम्पत सिंह जी ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आप बैठें ।

श्री सम्पत सिंह : मैं यह कहना चाहता जैसी प्रश्न में शंका की गयी वही बात है कि मंत्री महोदय का जवाब है कि राजपत्रित अधिकारी और दूसरे कर्मचारियों का अनुपात है 24 और 76 । आम तजुर्बा यह है कि राजपत्रित अधिकारी को या तो पकड़ा ही नहीं जाता क्योंकि वह बराबर के अधिकारी होते हैं...

श्री अध्यक्ष : आप इस पर चर्चा मत कीजिए, माननीय सदस्य । कान्क्रीट हो तो बात कर लें । आप तो जनरल बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य । कृपया बैठें । हाइपोथेटिकल नहीं ।

श्री सम्पत सिंह : हाइपोथिटिकल नहीं है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल हाइपोथिटिकल कर रहे हैं ।

श्री सम्पत सिंह : जो गजेटेड आफिसर जब रिश्वत लेते हैं तो अपने पेशकार के मार्फत लेते हैं, तो सरकार क्या व्यवस्था करती है उनकी ?

श्री अध्यक्ष ; श्रीमती विद्या पाठक । मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठें । कृपया बैठें, माननीय सदस्य, आप ।

श्री सम्पत सिंह : राजस्थान हाई कोर्ट का यह फैसला है, अध्यक्ष महोदय, सवाल करने का ।

श्री अध्यक्ष : आप जिद कर रहे हैं, बैठें । आर्डर प्लीज ।

श्री सम्पत सिंह : राजस्थान हाई कोर्ट का यह फैसला है; उसकी लाइट में मैंने सवाल पूछा है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो हाइपोथिटिकल पूछ रहे हैं कि ऐसे नहीं पकड़े जाते, यह कोई बात नहीं । कृपया बैठें । इसमें राजपत्रित भी हैं और अराजपत्रित भी हैं सभी हैं ।

श्री सम्पत सिंह : सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है । आगे क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठें आप । एक मिनट । श्रीमती विद्या पाठक ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें, आपने अभी एक प्रश्न खण्ड (2) के उत्तर में एक बार तो यह कहा है कि 9 केसेज की अभियोजन की स्वीकृति अभी बाकी है उससे पूर्व आपने यह कहा कि 6 केसेज में अभियोजन की स्वीकृति बाकी है । यह स्वीकृति कहां से आनी है ? अगर मेरी जानकारी सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो यह केसेज जो गजेटेड आफिसर्स और गवर्नमैन्ट सर्वेन्ट्स के खिलाफ होते हैं वह फाइनल सैंक्शन के लिए मन्त्री जी के पास जाते हैं और वहां से हां करने पर ही उस पर कार्यवाही होती है तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि अभियोजन की स्वीकृति कहां से आती है और 6 हैं या 9 हैं ?

श्री अध्यक्ष : देवीसिंह जी ।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं मेरी नजर में कुछ आई.ए.एस. और आई.पी.एस. बहुत भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनको मैं ट्रेप करवाना चाहता हूं तो इस लेवल के अधिकारी उनको ट्रेप करते हैं। आई.ए.एस. और आई.पी.एस., अध्यक्ष महोदय, के लिए कोई नियमों में प्रावधान नहीं किया हुआ है और –

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सवाल दूसरा है जो हो चुका उसके लिए है आप तो बहुत आगे की बात के लिए कह रहे हैं। मन्त्री महोदय से बात कर लें। कृपया बैठें।

श्री लक्ष्मी नारायण किसान (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, 9 मुकदमे इस प्रकार हैं, श्री मोहन लाल पटवारी जिसकी स्वीकृति जिलाधीश अजमेर से प्राप्त होनी है। धर्मसिंह विकास अधिकारी मकराना, उप शासन सचिव कार्मिक विभाग से प्राप्त होनी है। अशोककुमार अरोड़ा, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर से प्राप्त होनी है। श्री चन्दन मल....

अनेक माननीय सदस्य : बैद।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह बैद नहीं हैं। यह चन्दन मल डी.वाई.एस.पी. हैं, मकराना फूल चन्द मीणा सी.टी.आई., कैलाश चन्द्र, वाणिज्य कर आयुक्त से प्राप्त होनी है। मुरारी लाल गुप्ता, रीडर तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा, जिलाधीश कोटा से प्राप्त होनी है। मदन लाल एस.एच.ओ. पुलिस थाना पाँचोड़ी उप महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज अजमेर से प्राप्त होनी है। श्री हेत राम पटवारी हल्का बांडा तहसील अनूपगढ़ गंगानगर, अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई क्षेत्र विकास सूरतगढ़ से प्राप्त होनी है। राजेन्द्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी, नागौर की उप शासन सचिव कार्मिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त होनी है। यह मामले स्वीकृति के अभाव में अभी चालान नहीं किये गये हैं। आप सुन लीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यही बता दें कब से पेण्डिग हैं ?

श्री अध्यक्ष : जवाब पूरा सुन लीजिए। बैठें आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पहला मामला 15.6.83 से विचाराधीन है, दूसरा मामला 1.3.84 से विचाराधीन है, तीसरा मामला 14.11.83 चौथा मामला 21.2.85 से, पाँचवा मामला 22.4.85 से, छठा मामला 21.6.85 से सातवां मामला 15.6.85 से आठवां मामला 15.6.85 से और नवा मामला 1.7.85 से।

श्री अध्यक्ष ; आर्डर प्लीज। नैक्स्ट क्वेश्चन। कृपया बैठें। दूसरा सवाल मेरे सामने है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। एक सवाल और लेना है।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज। मैं सुन नहीं रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न दिया है।

श्री अध्यक्ष : टाइम हो गया है स्थगित हैं वह ले लें। शोर्ट नोटिस क्वेश्चन लेना है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठें, माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : लिखित उत्तर ही दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आपके पास पहुंच गए होंगे।

श्री यदुनाथसिंह।

अल्प सूचना प्रश्न

सार्वजनिक निर्माण विभाग में वरिष्ठ अभियन्ताओं के पदों पर पदोन्नति

श्री यदुनाथ सिंह : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे,

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न नहीं 'पढ़े' केवल नम्बर बोल दे।

श्री यदुनाथसिंह : नम्बर तो है नहीं। यह तो मेरा नम्बर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठें, आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने मुख्य अभियन्ता अथवा समकक्ष पद पर कौन कौन अधिकारी वर्ष 1980 के बाद कब कब पदोन्नति हुए और वह किस किस तारीख से कहां कहां पर कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने अधिकारियों का डी पी सी द्वारा नियमित चयन हुआ है ? जिनका नियमित चयन नहीं किया गया है उसके क्या कारण हैं ? क्या नियमित चयन हेतु सरकार शीघ्र ही डी पी सी बैठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग केवल अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर ही चयनित है, फिर भी उन्हें सरकार द्वारा नवम्बर, 1982 तथा दिसम्बर 1984 में मुख्य अभियन्ता के चयन हेतु डी पी सी का सदस्य बनाया गया ? यदि हां, तो क्या यह नियम विरुद्ध है ?

(4) क्या यह सही है कि तदर्थ पदोन्नति सिर्फ एक वर्ष के लिए ही हो सकती है ? यदि हां, तो इस अवधि से ऊपर पदोन्नति अधिकारियों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) वर्ष 1980 के पश्चात मुख्य अभियन्ता एवं समकक्ष पद पर

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

पदोन्नति अधिकारियों के नाम व उनके कार्यरत स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संलग्न सूची में वर्णित किसी भी अधिकारी का चयन मुख्य अभियन्ता के पद पर डी पी सी द्वारा नहीं हुआ है। यह चयन उच्च न्यायालय के आदेश 'दिनांक 22-6-79 एवं 28-2-80 के अन्तर्गत सम्भव नहीं था। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात डी पी सी की बैठक शीघ्र बुलाने का विचार रखती है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि वर्तमान सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को नवम्बर 82 तथा दिसम्बर, 1984 में मुख्य अभियन्ता के चयन हेतु डी पी सी का सदस्य बनाया गया था।

(4) जी नहीं। तदर्थ पदोन्नति 'नियमित नियुक्ति तक कायम रखी जा सकती है'

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने रूल बताया, रूल 27 क्या कहता है, क्या इस रूल का आधार सामने रखा जाता है? एक बात तो यह कहें। मेरा प्रश्न एक तो यह है।

नंबर 2, इतने लम्बे समय से आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट ने भी आपको फैसला दे दिया, अब डी पी सी बुला सकते हैं, पदोन्नति कर सकते हैं, उसके बाद भी आप डी पी सी नहीं बिठा रहे हैं। क्या उसमें बंधन यह है कि आप हाई कोर्ट से परमिशन लेकर तभी पदोन्नति कर सकते है। डी पी सी बुलाने की पाबंदी हाई कोर्ट की तरफ से नहीं है।

नंबर 3 मेरा यह प्रश्न है.(3) भाग में मैंने जो पूछा है वह मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, उप मुख्य अभियंता पूछा था इसमें अतिरिक्त मुख्य अभियंता छप गया है तो क्या उप मुख्य अभियंता उसमें बैठे हैं। तीसरे जो अधिकारी पदोन्नत हुए हैं वह मेरिट से पदोन्नत हुए हैं या सीनियोरिटी से पदोन्नत हुए हैं। क्या उन पदों के लिए सिर्फ मैरिट ही आधार है? क्या यह पदोन्नति आपके विभाग में सीनियोरिटी के आधार पर हुई है? क्या यह न्यायसंगत है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हाई कोर्ट ने 28-2-80 को यह डायरेक्शन दिए थे कि आप डी. पी. सी. होल्ड कर सकते हैं लेकिन आप हमारी परमिशन लीजिए, उसके रिजल्ट भी आप हमसे बगैर पूछे न निकालिए। जब तक रिट पिटीशन का फैसला न हो जाय डी. पी.सी. को रख कर पैंडिंग रखने से कोई तात्पर्य नहीं था। इसलिए डी. पी. सी. नहीं बुलाई, अब हाई कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि जो मूल पिटीशन है, जो रिट पिटीशन पेश की गई है उसका फैसला तत्काल करें ताकि डी. पी. सी. बुला कर निर्णीत किया जाय। विभागीय पदोन्नति में मेरिट कम सीनियोरिटी का आधार हमारे यहां पर है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि

(श्री यदुनाथ सिंह)

(व्यवधान)

आज जो असंतोष फैल रहा है अभियंताओं में कई लोग उसके लिए हाई कोर्ट में भी गए हैं। आप हाई कोर्ट से क्या पूछ रहे हैं। हाई कोर्ट आपको इजाजत दे चुका है। अब हाई कोर्ट से क्या पूछना चाहते हैं। हाई कोर्ट तो आपको कह चुका है। आप कहें तो रेलेमेंट पोर्श न पढ़कर सुना दूं, आपके पास भी कापी होगी इसलिए इसकी जरूरत नहीं समझता। तो हाई कोर्ट कह रहा है कि आप डी. पी. सी करिये लेकिन उसकी सिफारिश लागू करने से पहले हाई कोर्ट से पूछिये। तो डी. पी. सी. करने के लिए आपको हाई कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता क्या है? आप निश्चित तारीख बताइए इतना समय हो गया है, इतना लम्बा समय गुजर गया है डी. पी.सी. किए बिना। आप निश्चित अवधि तो कम से कम बताइए कि कब तक डी. पी. सी. करेंगे?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हाई कोर्ट के आदेश की प्रति आपके पास भी है, इसमें उन्होंने यह लिखा है कि बैठक तो आयोजित की जा सकती है लेकिन उसकी सिफारिश पर अमल न किया जावे। हम डी. पी सी. आयोजित कर लेंगे लेकिन जो भी सिफारिश है डी.पी.सी. की उसको हम लागू नहीं कर सकते।

श्री यदुनाथसिंह : Without obtaining prior approval of the High Court प्रायर अप्रूवल है। एप्रूवल लेनी है आपको, यह कोई भी बंधन नहीं है कि उसका फैसला होगा तभी आप उसको लागू कर पायेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसलिए हमने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि हमें अनुमति दे दें। वह अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने इंटरिम आर्डर पास किया हैं उसके तहत डी पी. सी. बुला ली जाएगी। हाई कोर्ट कहेगा तो खोल देंगे, नहीं कहेगा तो नहीं खोलेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : कब तक बुला लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो टाइम रखा है वह टाइम तो लगेगा ही।

श्री यदुनाथसिंह : कब तक बुलालेंगे?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तीन महीने के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। मैं इन प्रश्नों के बारे में यह चाहूंगा कि स्थगित प्रश्न और दूसरे प्रश्न जो पूछने के लिए लिस्ट में शुमार कर लिए गए हैं माननीय सदस्यों को उनके उत्तर उन तक पहुंचा दिए जावें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : इसका उत्तर दिलवा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दिलवाने में टाइम लगेगा, इसमें क्या फायदा।

32

श्री मानिकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं उत्तर दिलवा देता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर तो प्रश्न काल समाप्त कर दूं तब।

श्री मानिकचन्द सुराना : आपने कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : कह दिया हैं लेकिन अभी पूरा नहीं किया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें लेकिन कोई सप्लीमेंट्री नहीं होगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18 जुलाई, 1985)

लखनऊ में राजस्थान हैण्डी क्राफ्टस का काउन्टर

369. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उत्तरप्रदेश गवर्नमेंट क्राफ्ट्स एम्पोरियम लखनऊ में राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट्स एम्पोरियम लखनऊ में राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट्स का काउन्टर कब से अवस्थित है ?

(2) वित्तीय वर्ष 984–85 में इस काउन्टर पर मुख्यालय जयपुर से कौन सा हैण्डी क्राफ्ट्स का माल किस कीमत का एवं कब भेजा गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। उपरोक्त माल लखनऊ स्थित काउन्टर के स्टाक रजिस्टर के किस पृष्ठ पर अंकित है ?

(3) वित्तीय वर्ष 1984–85 में उपरोक्त माल में से कौन सा सामान कब विक्रय किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या विक्रय से आई धनराशि समय पर ही बैंक में जमा करा दी गई ? यदि हां, तो कब एवं कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या वर्ष समाप्त पर अप्रेल, 1985 में मुख्यालय जयपुर के अधिकारियों द्वारा शेष माल का मौलिक सत्यापन किया गया है ? कृपया क्रय माल व मूल्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) माल की शार्टेज के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) उत्तरप्रदेश गवर्ननेट एम्पोरियम (गंगोत्री) लखनऊ में राजस्थान हैण्डी क्राफ्ट्स का काउण्टर दिनांक 22 दिसम्बर, 1983 से स्थापित है।

(2) वित्तीय वर्ष 1984-85 में इस काउण्टर पर मुख्यालय, जयपुर से जो हैंडी-क्राफ्ट् का सामान भेजा गया था उसका वांछित विवरण सूची सं. 'अ' के कालम 1 से 4 में अंकित है। उपरोक्त माल का

(उद्योग मंत्री)

इन्द्राज लखनऊ काउण्टर के स्टाक रजिस्टर में इस सूची "अ" के कालम संख्या 5 में अंकित है।

(3) वित्तीय वर्ष 1984-85 में उपरोक्त माल के अलावा अन्य इकाइयों से भी सामान भिजवाया गया था तथा वहां सम्पूर्ण प्राप्त सामान एवं उसके विक्रय के विवरण की सूची संख्या 'स' संलग्न है। विक्रय से प्राप्त धनराशि गंगोत्री, उत्तरप्रदेश निर्यात निगम द्वारा ही ग्राहकों से ली जाती है। और वे ही उसे बैंक में अपने स्वयं के माल की विक्रय राशि के साथ अपने खाते में जमा करा देते हैं।

(4) जी हां। क्रय माल मय मूल्य की सूची सं. 'स' संलग्न है।

(5) माल की शार्टेज के लिए श्री विनोद कुमार अग्रवाल, विक्रय सहायक प्रभारी लखनऊ काउण्टर जिम्मेदार हैं। उसे निलम्बित किया जा चुका है तथा कोतवाली हजरतगंज लखनऊ पर उसके विरुद्ध भा. द. सं. की धारा 409 एवं 477-ए के अन्तर्गत एफ आई आर दर्ज करवाई जा चुकी है जिसकी पुलिस जांच कर रही है। नियम सं. 8(5) दी राजस्थान स्माल स्केल इण्ड. कार्पोरेशन सर्विसेज (डिसीप्लिन एण्ड अपील) रूल्स के तहत आरोप पत्र भी दिया जा रहा है।

(सूची व विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: एक सवाल कर लूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सप्लीमेंट्री नहीं होंगे।

प्रश्न सं. 413, श्री शिवचरणसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं तो फिर....

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया मैंने। यह चाहते हैं उसको पढ़वा दिया जाय।

श्री शिवचरणसिंह (करौली) : अध्यक्ष महोदय, हाथ ऊंचे करवा दें मैं उत्तर मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष : क्या कर लें ?

श्री शिवचरणसिंह : हाथ ऊपर कर लें उत्तर

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। सदन की कुछ व्यवस्थाएं हैं।

श्री शोपतसिंह : जवाब देवें साहब, व्यवस्था है तो जवाब देवें। हम जवाब चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय। आर्डर प्लीज।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19 जुलाई, 1985)

पंचायत कोष का भौतिक सत्यापन

413. **श्री शिवचरण सिंह (करौली) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवचरण सिंह)

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों की रकम बैंक में जमा होनी चाहिये ? यदि हां, तो कितनी पंचायतों की रकम बैंक में जमा है तथा कितनी पंचायतों की नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत विभाग द्वारा पंचायत कोष की जांच न करने से सरपंच धन का निजी कार्य में उपयोग करते हैं ? यदि हां तो प्रत्येक पंचायत कोष का भौतिक सत्यापन कब तक हो जावेगा व दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही कब तक होगी ?

पंचायत राज मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) जी हां। विभागीय निर्देशानुसार पंचायतों की राशि बैंक अथवा पोस्ट आफिस में जमा कराया जाना आवश्यक है। 19 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी पंचायतों के खाते पोस्ट आफिस या बैंक में खाते खुले हुए हैं।

(2) जी नहीं, विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को विस्तृत निरीक्षण करने का कार्य पंचायत प्रसार अधिकारी/प्रसार अधिकारी पंचायत को सौंपा हुआ है। उनके द्वारा पंचायत कोष का भौतिक सत्यापन समय समय पर किया जाता है एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के आडिट के समय भी रोकड़ राशि का भौतिक सत्यापन किया जाता है। दोषी पाये जाने वाले सरपंचों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं, केवल आडिट रिपोर्ट है उसके लिये क्वेश्चन कर लूं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण सिंह : आपके जरिये जानकारी तो हो .

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री शिवचरण सिंह : केवल आडिट रिपोर्ट आई हुई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, फोर टू जीरो। फोर टू सिक्स।

श्री अध्यक्ष : 426.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : फोर टू वन थोड़े है फोर टू सिक्स है। नम्बर तो ठीक तरह से याद रख लो।

श्री अध्यक्ष : वह हमेशा अपना ही नम्बर याद रखते हैं।

श्री नत्थीसिंह : मिसचीफ का नहीं रखते है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इनको हमेशा अपना ही नम्बर, वह जरूरी भी है, अपना नम्बर याद भी रखना चाहिये।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 जुलाई, 1985)

जयपुर नगर स्थिति न्यायालय भवन

426. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) जयपुर शहर में कितनी जुडिशियल, कार्यपालिका न्यायालय और ट्रिब्यूनल्स हैं ?

(2) उपरोक्त सभी जुडिशियल, सेमी जुडिशियल व ट्रिब्यूनल में कितनी पृथक पृथक बिल्डिंगों में स्थित हैं और उनका कुल माहवारी किराया कितना अदा करना पड़ रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार सभी न्यायालय व सेमी जुडिशियल न्यायालय व ट्रिब्यूनल्स को एक परिसर में रखने की योजना रखती है ?

मंत्री सामान्य प्रशासन (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जयपुर शहर में 54 जुडिशियल, न्यायालय, नौ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं निम्न पांच ट्रिब्यूनल हैं:–

1. औद्योगिक अधिकरण

2. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण

3. को-आपरेटिव एवं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल

4. राजस्थान स्टेट अपीलेट ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल

5. जयपुर विकास प्राधिकरण ट्रिब्यूनल

(2) जयपुर शहर में श्रम न्यायालय को छोड़कर शेष सभी जुडिशियल न्यायालय राज्य सरकार के भवनों में कार्यरत हैं। जिनमें से कुछ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सांगानेरी गेट पर हैं व शेष न्यायालय बनीपार्क न्यायालय परिसर में हैं तथा 9 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय कलेक्टरेट बिल्डिंग बनीपार्क में स्थित है जो सरकारी भवन है। को-आपरेटिव एवं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल व औद्योगिक अधिकरण को छोड़कर बाकी सभी ट्रिब्यूनल राज्य सरकार की बिल्डिंगों में कार्यरत हैं। को-आपरेटिव एवं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल किराये की बिल्डिंग में बनीपार्क एरिया में है जिसका किराया 450 रुपये प्रतिमाह है एवं औद्योगिक अधिकरण तथा श्रम न्यायालय एक भवन में है जिसका किराया 514 रुपये प्रतिमाह है जो सहदेव मार्ग सी-स्कीम, ए. जी. आफिस के पीछे प्लाट नं सी. 15 में स्थित है। जयपुर विकास प्राधिकरण ट्रिब्यूनल जयपुर प्राधिकरण भवन में हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण, उच्च न्यायालय बेंच जयपुर के परिसर में है एवं राजस्थान स्टेट अपीलेट ट्रांसपोर्ट सांगानेरी गेट पुरानी कचहरी परिसर में है।

(3) राज्य सरकार के सभी न्यायालय व ट्रिब्यूनल को एक ही परिसर में रखा जावे ऐसी कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा

834. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य का किन-किन अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं में कितना-कितना हिस्सा है ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) उक्त परियोजनाओं में राज्य की कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(3) राज्य को पिछले 5 वर्षों में इन परियोजनाओं से पानी का कितना-कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है ? क्या यह हमारे हिस्से से कम रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निम्नलिखित अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा निम्नानुसार है :—

1. गंगनहर 1.11 एम.ए.एफ.

2. रावी व्यास नदियों का 8.60 ,, कुल अधिकाय पानी/उपलब्धि 17.17 एम.ए.एफ. होने पर।

3. भाखड़ा नागल डेम पर सतलज नदी के उपलब्ध पानी का 15.22 प्रतिशत।

4. चम्बल उपलब्धि का 50 प्रतिशत

5. माही बजाज सागर 1966 में किये अनुबंध के अनुसार 56 टी.एम.सी पानी में 16 टी.एम सी.

6. नर्बदा 0·5 एम.ए.एफ.

गुडगांव नहर और भरतपुर फीडर का हिस्सा अभी तक निश्चित नहीं किया गया है, परन्तु इन योजनाओं का प्रस्तावित हिस्सा क्रमश: 0.09 एम.ए.एफ. व 0.021 एम.ए.एफ. है।

(2) उक्त परियोजनाओं पर वर्ष 84-85 तक राज्य की निम्नानुसार पूंजी लगी हुई है।

1. गंगनहर एवं रावी व्यास का अधिकाय (सरप्लस) पानी।

(अ) गंगनहर—322.25 लाख रु.

(ब) इन्दिरा गांधी नहर 44712.00 लाख रु.

(स) व्यास परियोजना—15040.18 लाख रु.

2. भाखडा परियोजना–2790.00 ,,

3. चम्बल 6545.83 लाख रु.

4. माही बजाज सागर–9262.00 ,,

5. नर्बदा–94.40 लाख रु.

6. गुडगांव नहर–995.77 ,,

7. भरतपुर फीडर–17.29

(3) इन परियोजनाओं से पिछले 5 वर्षों में जो हिस्सा प्राप्त हुआ है उसका विवरण तालिका "अ" में दर्शाया गया है।

तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

सीकर में हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि के मामले

835. **मालाराम** (खेतड़ी), **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फरवरी, 1984 से 15 जून, 1985 तक सीकर जिले में हत्या, चोरी,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

डकैती, मारपीट बलात्कार व हरिजनों पर अत्याचार के कितने मामले प्रकाश में आये ?

(2) उक्त मामलों में कितने मामलों में चालान हुआ, कितनों में एफ. आर. दी गई और कितने विचाराधीन हैं ?

(3) उक्त मामलों का पिछले पांच वर्षों के प्रति वर्ष से क्या अनुपात है ?

उत्तर

(1) वांछित अवधि में कुल 568 मामले प्रकाश में आये।

(2 व 3) वांछित सूचना संलग्न है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पाली जिले के थानों में दर्ज मामले

836. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा),
श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में 1984–85 में आज तक अनुसूचित जाति के कितने मुकदमे किन-किन थानों में दर्ज किये गये, व कितने मुकदमों का चालान पेश कर दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्ष में पाली जिले में पुलिस की भर्ती में कितने लड़के अनुसूचित जाति के भर्ती किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) पाली जिले में कितने पुलिस स्टेशन व पुलिस चौकियां हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) पाली जिले में कितने व्यक्ति पुलिस लाइन में हैं व कितने व्यक्तियों को थानों में लगा रखा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" संलग्न हैं ।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "ब" संलग्न है ।

(3) वांछित सूचना परिशिष्ट "स" संलग्न है ।

(4) वांछित सूचना परिशिष्ट "द" संलग्न हैं ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

दहेज के मामलों में महिलाओं की हत्या

837. **डा. उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण),
श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वर्ष 1981 से अब तक कितनी महिलाओं की दहेज को लेकर कहां-कहां हत्यायें की गई हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) उक्त अवधि में राज्य में कितनी

(श्री प्रतापसिंह)

महिलाओं ने दहेज की यातना से परेशान हो कर आत्महत्या की है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इस सम्बन्ध में कौन-कौन से थानों में कब-कब रिपोर्ट दर्ज की गई तथा उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ? कितने लोगों को सजा मिली, कितने मामले अभी पेंडिंग हैं तथा कितने मामलों में अन्तिम रूप से रिपोर्ट दे दी गई ? कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(4) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं या सामाजिक अपराध रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? कृपया कानूनी व सामाजिक संरक्षण के लिए योजना सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1, 2 व 3) विवरण "अ" संलग्न है।

(4) इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु समस्त संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं, जिसका ब्यौरा "ब" संलग्न है।

यह अपराध एक सामाजिक बुराई है। इसकी रोकथाम में सामाजिक चेतना के साथ ही सामाजिक संस्थाओं की भूमिका प्रमुख सहायक सिद्ध हो सकती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

कोटा के थानों में हत्याओं के दर्ज मुकदमे

838. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद), **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में कितने हत्याओं के मुकदमें गत 3 वर्षों में किन किन थानों में दर्ज हुये ? प्रथम रिपोर्ट में कुल कितने मुलजिम थे व तफतीश के बाद कौन-कौन मुलजिम बनाये गये।

(2) इनमें से कितने मामले कोर्ट में पेश किए गए कितनों में थानों में ही एफ. आर. लगा दी गई व कोर्ट में पेश मामलों में से कितने लोगों को क्या क्या सजाएं दिलवाई तथा अब वे मामले कहां कहां चल रहे हैं ?

(3) सजायाफ्ता लोगों में से किन-किन व्यक्तियों ने अपीलें कहां कहां की व उनमें किन-किन की सजाएं माफ या कम की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1, 2 व 3) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

कानोता प्रोजेक्ट

839. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या सिचांई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कानोता प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए वर्ष 1984-85 में राशि आवंटित की गयी थी ? यदि हां तो कितनी और स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय की गई ?

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

(2) क्या यह सही है कि इस कार्य के लिए वर्ष 1984-85 में आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि बस्सी क्षेत्र में सिंचाई के कुओं में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है अथवा सिंचाई के कुए सूख गये हैं ? क्या इस प्रोजेक्ट के बनने से कुओं में पानी का स्तर बढ़ेगा और उससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि होने के साथ-साथ बंध से किसानों की सिंचाई सुविधा भी सुलभ होगी ? यदि हां, तो इस प्रोजेक्ट का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। कानोता परियोजना हेतु वर्ष 1984-85 में 1·50 लाख रु. की राशि आवंटित की गयी थी। स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) कुओं के पानी के स्तर की जानकारी सिंचाई विभाग की नहीं है। यही सही है कि बांध बनकर भरने से आसपास के कुओं का जल स्तर ऊंचा आवेगा। कार्य पूरा होना वित्तीय साधनों पर निर्भर करेगा।

खानपुर के प्रधान द्वारा पत्थर आदि की अवैध बिक्री

840. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर), **श्री प्रतापसिंह** (छवड़ा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की पंचायत समिति, खानपुर के प्रधान ने प्राथमिक विद्यालय, लडानिया के पत्थर एवं गर्डर इत्यादि सामान अवैध रूप से बिना पंचायत समिति के प्रस्ताव एवं राज्य आदेश के बिकवा दिये और अपने घर पर भी रख लिये ?

(2) यदि हां, तो विभाग ने क्या इसकी जांच करवाई हैं ? यदि हां, तो प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जांच करवाए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बांध बरेठा (भरतपुर)

841. **श्री विजय सिंह** (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बांध बरेठा के सीपेज को रोकने के लिए कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

(2) क्या बांध बरेठा से निकली नहरों को पक्की कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इससे सम्बन्धित कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांध बरेठा में मामूली सीपेज को रोकने हेतु उपचार विचाराधीन है।

(श्री विजय सिंह)

(2) कार्य शुरू करने का समय अभी बताना संभव नहीं है।

ईसरदा के पास बांध का निर्माण

842. **श्री किरोड़ी लाल** (महुवा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में बनास नदी पर ईसरदा ग्राम के पास बांध निर्माण हेतु कोई सर्वे किया गया यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि बांध के निर्माण हेतु विश्व बैंक द्वारा राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां तो कितनी ?

(3) इस बांध का निर्माण कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बनास नदी पर ईसरदा ग्राम के पास वर्ष 1979 में सर्वे का कार्य शुरू करवाया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) यह अभी बताना सम्भव नहीं है।

निगम की बसों में पत्रकारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा

843. **श्री ग्यारसीलाल** (निवाई)
श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंत्री मण्डल ने पत्रकारों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) यदि उक्त निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया, तो अब कब तक कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा 18 जुलाई, 1985 को इस संबंध में आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(2) राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार

पुलिस वृत्त बिलाड़ा में अपराधिक मामले

845. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जोधपुर में पुलिस वृत्ताधिकारी के कौन-कौन से कार्यालय हैं ?

(2) पुलिस वृत्ताधिकारी, बिलाड़ा 1-4-1983 से 31-5-1985 तक कौन-कौन रहे ?

(3) इस अवधि के दौरान इस वृत्त में हत्या लूट डकैती, नकबजनी, अपराधित न्यास भंग के कितने मुकदमें दर्ज हुए, कितने ट्रेस हुए कितनों में बरामदगियां की गई ? कृपया विवरण पुलिस स्टेशन वार सदन के पटल पर रखें।

(4) सी. आर. नम्बर 138/83 पुलिस

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

स्टेशन बिलाड़ा में उप महानिरीक्षक, जोधपुर ने बरामदगी माल मशरूका के बाबत क्या मुस्तगीस की शिकायत पर कोई निर्देश दिये, यदि हां, तो क्या ? क्या वृत्ताधिकारी बिलाड़ा ने उक्त निर्देशों की पालना की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या वृत्ताधिकारी, बिलाड़ा ने मुलजिम से मिलकर उसे बचाने की नीयत से बरामदगी न कर अपने पद का दुरुपयोग किया ? क्या सरकार इनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में वृत्ताधिकारी नगर पूर्व, नगर पश्चिम देहात, बिलाडा एवं फलौदी के कार्यालय हैं।

(2) दिनांक 1-4-83 से दिनांक 31-5-1985 तक बिलाड़ा में श्री राम वल्लभ मुकुल, आर. पी. एस. वृत्ताधिकारी रहे।

(3) सूची पुलिस स्टेशन वार संलग्न है।

(4) जी हां। उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर ने वृत्ताधिकारी बिलाड़ा को निर्देश दिये कि थानाधिकारी बिलाड़ा को निर्देश देकर माल मसरूका ट्रेक्टर की बरामदगी की कार्यवाही की जाये। इस निर्देश पालना में वृत्ताधिकारी, बिलाड़ा ने थानाधिकारी बिलाड़ा को बरामदगी हेतु निर्देश दिये जिसके लिये पुन: पत्रावली खोली गई।

(5) जी नहीं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पंचायत समिति, नवलगढ़ में अध्यापकों का चयन

846. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 25 जून, 1985 को पंचायत समिति, नवलगढ़ में अध्यापकों के साक्षात्कार हुए हैं और कितने अध्यापकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ? कितने उपस्थित हुए और उनमें से कितने अध्यापकों का चयन किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या योग्यता सूची बनाई गई थी ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सूची में हेरफेर कर नियुक्ति करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। 219 प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था जिनमें से कुल 92 प्रत्याशी उपस्थित हुए और उनमें से 20 व्यक्तियों का चयन किया गया है, जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(पंचायत राज मंत्री)

(3) राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

लालसोट में कृषि आवेदकों के साथ ज्यादती

847. **श्री परसादीलाल** (लालसोट) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सहायक अभियन्ता कार्यालय लालसोट में सन् 1980 से 1985 तक के बीच कृषि आवेदकों के कितने रिवाइज्ड एस्टीमेट बने ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट में कृषि आवेदक के एक्स्ट्रा पोल लगने पर कृषि आवेदक को खम्बे के रुपये जमा कराने पर ही अग्रेतर कार्यवाही होती है ?

(3) सहायक अभियन्ता लालसोट के कार्यालय में सन् 1980 से 1985 के बीच ऐसे कृषि आवेदकों की सूची कृपया पेश की जावे जिन्होंने एक्स्ट्रा पोल की कीमत जमा कराई है, लेकिन साइड पर कम पोल लगे हैं ? क्या इन आवेदकों के एक्स्ट्रा पोल के पैसे वापिस कर दिये है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कर दिये जावेंगे ?

(4) क्या गलत नाम लिखकर एक्स्ट्रा पोल लगाने हेतु परेशान करना भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है ? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी. यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता लालसोट कार्यालय में सन् 1980 से 1985 के बीच रिवाइज एस्टीमेट बनाये गये कृषि आवेदकों की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) सहायक अभियन्ता लालसोट के कार्यालय में सन् 1980 से 1985 के बीच में जिन कृषि आवेदकों से एक्स्ट्रा पोल की कीमत ली गई लेकिन साइट पर कम पोल लगे है, ऐसे आवेदकों की सूची 'ब" सदन की मेज पर रख दी गई है। इन आवेदकों के एक्स्ट्रा पोल के पैसे वापिस करने की प्रक्रिया जारी है।

(4) जी नहीं, तकमीना बदलने की भिन्न-भिन्न परिस्थितियां होती हैं। जानबूझ कर किसी को परेशान करने की दृष्टि से तकमीना नहीं बनाया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समितियों द्वारा पैरवी हेतु वकीलों की नियुक्ति

848. **श्री नारायणराम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या पचायत समितियां किसी मुकदमें में सरकारी वकील के अलावा अन्य किसी वकील की नियुक्ति कर सकती है ?

(श्री नारायण राम बेडा)

(2) यदि हां, तो जोधपुर जिले में विगत 5 वर्षों में किन किन पंचायत समितियों द्वारा सरकारी वकील के अलावा अन्य (प्राइवेट) वकील किये गये तथा कितना रुपया किन किन मुकदमों में किस हैड से खर्च किया गया ? कृपया विवरण मय मुकदमा एवं खर्च की राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

मैसर्स स्वदेशी सीमेन्ट लि. कोटपूतली

849. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपूतली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के कोटपूतली के निकट हाल ही में स्थापित मैसर्स स्वदेशी सीमेन्ट लिमिटेड में कुल कितने रुपये की गारन्टी सरकार ने दी व प्लान्ट में कुल कितने रुपये खर्च हुए ?

(2) उक्त स्वदेशी सीमेंट लि. में कितने कर्मचारी कोटपूतली क्षेत्र के रखे गये हैं एवं कितने कर्मचारी बाहर के रखे गये हैं ?

(3) उक्त स्वदेशी सीमेन्ट लि. का प्लान्ट कितने टन का है व उसमें 50 वर्षों में कितने टन लाइम स्टोन की आवश्यकता होगी ?

(4) उक्त स्वदेशी सीमेन्ट लि. के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास निगम को जो लाइम स्टोन का क्षेत्र कोटपूतली में स्वीकृत किया गया है उसमें कितने टन लाइम स्टोन है ?

(5) बहरोड़ में कितने मिनी सीमेन्ट प्लान्ट स्वीकृत किये गये हैं व इनमें से कितने प्लांटों को राजस्थान मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन ने लाइम स्टोन सप्लाई हेतु एश्योरेन्स दिया है ?

(6) राजस्थान मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन को कोटपूतली क्षेत्र में कितना लाइम स्टोन का क्षेत्र स्वीकृत है व उसमें कितना टन लाइम स्टोन है ?

(7) राजस्थान में कितने प्रधान खनिजों के पट्टों में लाइम स्टोन व मार्बल खनिज की स्वीकृति दी गई है ?

(8) वन आरक्षित क्षेत्रों में सरकार खनन् पट्टे स्वीकृत करने के बारे में क्या विचार रखती है ?

(9) अप्रधान खनिज पट्टेधारियों को सरकार की तरफ से क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(10) क्या कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व भू-वैज्ञानिक से राय ली जाती है ?

(11) राजस्थान में जिन क्षेत्रों को भू-वैज्ञानिक रिजर्वड घोषित करते हैं, उसकी अवधि कितनी होती है ?

(12) भू-वैज्ञानिक विभाग ने कितने

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

खनन क्षेत्रों का प्रास्पेटिंग किया व उन क्षेत्रों में क्या-क्या खनिज प्राप्त हुए व राज्य-सरकार को क्या फायदा हुआ ?

(13) भू-विज्ञान विभाग पर कितनी राशि प्रति वर्ष खर्च की जाती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा स्वदेशी सीमेंन्ट लि. कोटपूतली को किसी प्रकार की वित्तीय गारन्टी नहीं दी गई है। परियोजना की कुल लागत 1030 लाख रुपये है जिसमें रीको का 48 लाख रुपये हिस्सा पूंजी के रूप से अंशदान है।

(2) परियोजना में 35 कर्मचारी कोटपूतली क्षेत्र के हैं एवं 191 कर्मचारी बाहर के रखे गये हैं।

(3) उक्त स्वदेशी सीमेन्ट लि. का प्लान्ट 200 टन प्रति दिन क्षमता का है जिसमें 50 वर्षों में 6 मिलियन टन लाइम स्टोन की मात्रा की आवश्यकता होगी।

(4) राजस्थान औद्योगिक विकास निगम को जो 5.54 वर्ग किमी. क्षेत्र स्वीकृत किया गया उसमें खान विभाग द्वारा 22.21 मिलीयन टन लाइमस्टोन के भण्डार प्रमाणित किये गये थे। इन भण्डारों के अतिरिक्त 4.70 मिलयन टन लाइम स्टोन के भण्डार उपरोक्त स्वीकृत क्षेत्र के ही अन्य भाग में बताये गये हैं। इस प्रकार कुल 26.91 मिलीयन टन भण्डार प्रमाणित किये गये थे।

(5) बहरोड में 2 मिनी सीमेन्ट प्लान्ट स्वीकृत किये गये हैं। दोनों ही मिनी सीमेन्ट प्लान्टस को राजस्थान मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा लाइम स्टोन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त 14 लघुत्तम सीमेंट औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं।

(6) राजस्थान मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन को कोटपूतली के शेष 4.15 वर्ग किमी. क्षेत्र के लिए कार्य करने की स्वीकृति दी हुई है। जिसमें लगभग 5.28 मिलीयन टन लाइम स्टोन है।

(7) राजस्थान में 31 प्रधान खनिज के पट्टों में लाइम स्टोन व मार्बल के खनिजों के पट्टों की स्वीकृति दी गई है।

(8) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रभावशील है।

(9) यदि अनेक खानें संघन रूप से स्वीकृत हैं तो उस स्थिति में उक्त क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण कराई जाती है। खान सुधार योजना के अन्तर्गत उपकरण किराये पर देने की सुविधा है।

(10) साधारणतया खननपट्टा स्वीकृत करने से पूर्व भू-वैज्ञानिक की राय नहीं ली जाती है पर खनिज का सही नाम, मौके की जांच पड़ताल इत्यादि पर ली जाती है।

(11) किसी क्षेत्र को आरक्षित रखने की साधारणतया कोई अवधि निश्चित नहीं होती है पर आरक्षित क्षेत्र में प्रतिवर्ष सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण कार्य प्रगति का आंकलन किया जाता है व पूर्वेक्षण कार्य पूर्ण होते

(उद्योग मंत्री)

ही शीघ्रातिशीघ्र क्षेत्र रिक्त घोषित करने की कार्यवाही की जाती है।

(12) खान विभाग में खनन मूल्यांकन प्रकोष्ठ की स्थापना के बाद से (अक्टूबर, 1977 से जून, 1985 तक) 16 खनन क्षेत्रों में पट्टाधारियों की प्रार्थना पर पूर्वेक्षण कार्य किया है। जिसके फलस्वरूप विभिन्न खनिजों (चूना पत्थर, सिलिकासैंड, बेराइट्स, सोपस्टोन, वुलस्टोनाईट व राक फास्फेट) के भण्डारों को आंका गया। इस कार्य से खान विभाग को लगभग 20 लाख रुपये की आय हुई।

(13) भू-विज्ञान अलग से कोई विभाग न होकर खान विभाग का ही एक अंग है। अतः भू-विज्ञान अनुभाग पर कितना व्यय हुआ यह बात बताना सम्भव नहीं है। परन्तु मोटे तौर पर वर्ष 83–84 में लगभग रुपया 206.94 लाख रुपया व्यय हुआ है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अनुदान

850. **श्री रतनलाल ताम्बी** : (जहाजपुर) : क्या खादी ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर पंचायत समिति में 1 अप्रेल, 1981 से 30 जून, 1985 के बीच खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पंचायत समिति के माध्यम से ऋण एवं अनुदान दिए गए हैं ? यदि हां तो कृपया उसकी पूर्ण नामावली मय पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं दी गई राशि के विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऋण अनुदान जिन्हें स्वीकृत हुआ उन्हें भुगतान नहीं किया गया है और सरपंचों के माध्यम से घोटाला करने की शिकायतें भी हुई थीं ?

(3) क्या यह सही है कि ऋण अनुदान देने के कुछ मापदण्ड एवं नियम हैं ? यदि हां, तो क्या उस आधार पर ऋण एवं अनुदान स्वीकृत किये गये हैं और उनका उपयोग होकर प्रमाणीकरण किया गया है ?

(4) क्या ऋण अनुदान हेतु जितने लोगों के आवेदन पत्र आये उतने स्वीकृत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां तो कितने के ? कृपया पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जहाजपुर पंचायत समिति के माध्यम से 1 अप्रेल, 1981 से 30 जून 1985 में केवल मात्र वर्ष 82-83 में ही ऋण एवं अनुदान स्वीकृत किया गया है। नामावली की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिन व्यक्तियों को ऋण व अनुदान स्वीकृत हुआ है उन्हें भुगतान कर दिया गया है तथा सरपंचों के माध्यम के घोटाले करने की कोई शिकायत बोर्ड कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई।

(3) जी हां। यह सही है कि ऋण अनुदान देने सम्बन्धी कुछ नियम व मापदंड बने हुए हैं और उसी के आधार पर ऋण व

(खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री)

अनुदान स्वीकृत किया जाता है तथा उनका उपयोग होने पर प्रमाणीकरण भी कर दिया गया है।

(4) जी हां, ऋण अनुदान सभी आवेदकों को स्वीकृत किया गया था। सूची उत्तर के अनुसार है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पंचायत समिति टोडाभीम में खरीद में अनियमितता

851. श्री मूलचन्द (टोडाभीम) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोडाभीम पंचायत समिति में की गई खरीद (मांडा योजना) में गबन हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति द्वारा बच्चों को वितरित किये जाने वाले नेकर, बुशर्ट की कीमत जो बाजार में रु. 10/- प्रति ड्रेस है, इसी ड्रेस की पंचायत समिति ने कीमत रु. 26/- बताई है ?

(3) क्या खरीद में शिक्षा कर की रकम का भी प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इन्हें निलम्बित करने की घोषणा करेगी ?

(5) क्या पंचायत समिति की प्रशासन कमेटी ने क्रय कमेटी बनाई है, और इसे रु. 1,20,000/- भी दिये थे लेकिन खरीद इसके माध्यम से नहीं की गई ?

उत्तर

(1) प्राथमिक जांच से प्रथम दृष्टा तौर पर खरीद में अनियमिततायें पाई गई हैं। आगे जांच कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं । पंचायत समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित एवं सचिव, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर द्वारा निर्धारित दरों पर खादी की ड्रेस क्रय की गई है।

(3) जी हां। शिक्षा एवं शिक्षा उप कर पर मैचिंग शेयर की राशि का उपयोग ड्रेसों की क्रय में राशि कम पड़ने पर राजकीय निर्देशानुसार किया जा सकता है।

(4) जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) क्रय कमेटी के गठन से पूर्व ही खरीद की कार्यवाही की गई थी।

जैतपुरा बांध की मरम्मत

853. **श्री लक्ष्मी नरायण किसान** (फुलेरा) :— क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर जिले की तहसील

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

फुलेरा में जैतपुरा बांध की मरम्मत सिंचाई विभाग के द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो मरम्मत ठेकेदार के द्वारा की जा रही है या विभाग द्वारा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य पर 6 साल से 14 साल तक के बच्चों से काम करवाया जा रहा है, जिनकी संख्या करीबन 40 है ? यदि हां, तो बच्चों को क्या वेतन दिया गया है ? कृपया उनके नाम, वेतन व दिवस सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सिंचाई विभाग द्वारा उक्त बांध की मरम्मत का तखमीना बनाया गया है ? यदि हां तो तखमीना की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, जैतपुरा बांध की मरम्मत का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, तखमीने की प्रति संलग्न है।

(तखमीने की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

ग्राम ईड़वा (डेगाना) का विद्युतीकरण

854. **श्री कल्याणसिंह कालवी** (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ईडवा तहसील डेगाना जिला नागौर का विद्युतीकरण करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम ईड़वा में विद्युत लाइन पादू कलां, का ग्रिड स्टेशन से 11 के. वी. लाइन पर आती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस लाइन का इस ईड़वा गांव तक पहुंचते पहुंचते विद्युत क्षमता बहुत कम रह जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि उपर्युक्त समस्या तथा गांव के औद्योगिक महत्व को देखते हुए विद्युत मण्डल ने 4-5 वर्ष पूर्व गांव ईड़वा को एक दल अन्य विद्युत् लाइन डेगाना से देने की स्वीकृति दी थी, जिस पर कुछ दिन काम भी हुआ था ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक इस स्वीकृत लाइन को खींचने की इच्छा रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि गांव ईड़वा तहसील डेगाना के आसपास की करीब 17 कि. मी. की परिधि में 33 के. वी. का सब स्टेशन नहीं है ? क्या यह भी सही है कि यदि गांव ईड़वा में 33 के. वी. का सब स्टेशन बन जावे तो आसपास के क्षेत्र में विद्युत् वोल्टेज और उसकी क्षमता तथा रख-रखाव की व्यवस्था आसानी से हो सकती है ?

(5) क्या राज्य सरकार गाँव ईड़वा में 33 के. वी. का सब स्टेशन बनाने की योजना रखती है ? यदि हां तो, कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ईड़वा गांव पर पीक लोड

(ऊर्जा मंत्री)

के समय वोल्टेज निर्धारित स्तर से कुछ कम रहता है।

(3) जी हां। डेगाना 33/11 के. वी. सब स्टेशन से ईड़वा को 11 के. वी. लाइन से जोड़ा जाना था। उक्त कार्य आगामी वर्षों में उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर किया जा सकेगा।

[4] ईड़वा में 33/11 के. वी. सब स्टेशन बनने से विद्युत वोल्टेज और उसकी क्षमता में व रख-रखाव में सुधार होना स्वाभाविक है।

[5] सीमित वित्तीय साधनो के कारण वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अजमेर के बांध एवं तालाब

755. **श्री ललित भाटी** (केकड़ी) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. अजमेर जिले में कुल कितने बांध एवं तालाब हैं और इनमें से कितने सिचाई विभाग के अन्तर्गत आते हैं और कितने ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के अन्तर्गत आते हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

2. अजमेर जिले के कितने बांध व तालाबों को सिचाई विभाग द्वारा सिचाई के काम में लिया जा रहा है व उनकी सिचाई क्षमता कितनी है, तथा क्या क्या उस क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है ?

3. अजमेर जिले के मौजूदा तालाब एवं बांध क्या सही अवस्था में हैं ? यदि नहीं, तो कितने ? कृपया सूची मय नाम व स्थान सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. अजमेर जिले में कुल 1316 बांध एवं तालाब है इनमें से 306 बांध/तालाब सिचाई विभाग के अन्तर्गत आते हैं व 93 बांध/तालाब ग्राम पंचायत पंचायत समिति के अन्तर्गत आते हैं। दोनों सूचियां संलग्न तालिका "अ" व "ब" में दर्शाई गई हैं।

2. अजमेर जिले में 386 बांध सिचाई के काम में लिये जाते हैं जिनकी कुल सिचाई क्षमता 99876 एकड़ है। उपलब्ध पानी का पूरा उपयोग किया जाता है। बांधों में एकत्रित पानी की मात्रा के अनुसार क्षमता घटती या बढ़ती है।

2. अजमेर जिले में सिचाई विभाग के अन्तर्गत आने वाले मौजूदा 86 में से 364 तालाब सही अवस्था में हैं, 22 बांध/तालाब जो 1983 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए थे। यद्यपि टूटे हुए तो नहीं है पर जिनकी मरम्मत बजट के अभाव में नहीं कराई जा सकी है उनकी सूची संलग्न तालिक "स" में दर्शाई गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इटावा--नोनेरा सड़क का निर्माण

856. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि इटावा से नोनेरा सड़क का निमाण कार्य विभाग द्वारा

(श्री हीरालाल आर्य)

दो-तीन बार एलाइनमेंट बदलने की वजह से बीच में रुका हुआ है ? यदि हां तो क्यों ?

2. क्या यह भी सही है कि बार-बार एलाइनमेंट बदलने से उक्त कार्य में भारी भ्रष्टाचार की बू आती है ? यदि हां, तो उक्त मामले में कौन व्यक्ति दोषी पाया गया, तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

3. क्या सरकार उक्त सड़क को एक किनारे से दूसरे किनारे इधर-उधर टेढ़ी जोड़ने के बजाय सीधे जोड़ने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी नहीं। तखमीनें में स्वीकृत एलाइनमेंट बदला ही नहीं गया है। अतः अन्य प्रश्न पैदा नहीं होते।

3. इस सड़क का कार्य स्वीकृत एलाइनमेंट पर ही किया जा रहा है अतः टेढ़ी होने जैसी कोई बात नहीं है।

गंगरार क्षेत्र की सिंचाई योजनायें

857. **श्री अमर चन्द** (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जिला चित्तौड़गढ़ के गंगरार विधान सभा क्षेत्र में पिछले दस वर्षों से कितनी लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण किया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की सोमी एवं ओडवाडिया सिंचाई योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

3. क्या उपरोक्त दोनों योजनाओं को प्लान मद में लेने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. पिछले 10 वर्षों में गंगरार विधान सभा क्षेत्र में एक सिंचाई परियोजना "ऊंचकिया" राशमी तहसील में निर्मित की गई है।

2. जी हां। सोमी व ओडवाडिया योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	योजना का नाम	तहसील	प्रशासनिक स्वीकृति राशि [लाखों में]	पत्र एवं दिनांक
1.	सोमी	राशमी	54·85	एफ-3[66] ए एस/आई/सैल/84/ 1263 19.12.84
2.	ओडवाडिया	गंगरार	28.397	एफ-3 [329] एएस/आई/सैल/85 1151 31.1.85

3. दोनों योजनाओं को सातवी पंचवर्षीय योजना में प्लान मद में लेने का विचार है।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा कारखाने की स्थापना

858. **श्री फूलचन्द** (नीमकाथाना) **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

1. क्या यह सही है कि भारतीय सीमेन्ट निगम राज्य में 25 लाख रुपये का सीमेन्ट का कारखाना लगाने का विचार कर रहा है ?

2. यदि हां तो यह किस स्थान पर लगाया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

1. जी हां। निगम द्वारा आशय पत्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

2. यह कारखाना तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निगम के पत्र में आशय पत्र स्वीकृत करने हेतु सिफारिश भिजवाई गई थी। किन्तु सर्वेक्षण के फलस्वरूप बूंदी में चूने पत्थर के भण्डार निम्न श्रेणी के होने से यह कारखाना स्थापित करने हेतु निगम द्वारा रुची नहीं ली जा रही है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार [योजना आयोग] ने भी वित्तीय कठिनाई के कारण इसे सातवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया है।

सांख्यिकी सेवा के कर्मचारियों के वेतनमान

859. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि सांख्यिकीय विभाग के विभिन्न स्तरों के अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों की अन्य समकक्ष अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों से बहुत कम वेतनमान हैं जबकि इनकी शैक्षणिक योग्यता अधिक है ? यदि हां, तो इन्हें कम वेतनमान दिये जाने का क्या कारण है ?

2. क्या सांख्यिकी कर्मचारियों के विभिन्न पदों के वेतनमान वर्ष 1966 तक अधीनस्थ सेवाओं के समकक्ष थे ? क्या यह भी सही है कि 1968 के पश्चात् इस सेवा के कर्मचारियों का वेतनमान अन्य अधीनस्थ सेवाओं से न्यूनतम किया गया है ?

3. क्या सरकार द्वारा नायब तहसीलदार, सदर कानूनगो एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतनमान बिना वेतन आयोग की सिफारिश के बढ़ाये गये हैं ? यदि हां, तो सांख्यिकी विभाग के विभिन्न पदों के वेतनमान में संशोधन करने में क्या कठिनाई है ?

4. क्या यह भी सही है कि विभिन्न विभागों में एक ही प्रकार की सांख्यिकी सेवाओं के पदों के पदनाम अलग अलग हैं ? यदि हां, तो सांख्यिकी सहायक पदनाम बदलने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

5. क्या वर्तमान में सांख्यिकी कर्मचारियों का आन्दोलन चल रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

(आर्थिक एवं सांख्यिकीय मंत्री)

उत्तर

1. अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के समकक्ष अन्य कोई ऐसी सेवा नहीं है जिससे इनके वेतनमानों की तुलना की जावे। वेतनमान केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित नहीं किये जाते हैं। वेतनमान निर्धारित करने के लिये शैक्षणिक योग्यता के अलावा कर्तव्य, दायित्व एवं कार्य की प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाता है।

2. सांख्यिकी अधिनस्थ सेवा के समकक्ष एवं पूर्णतया तुलनात्मक अन्य कोई अधिनस्थ सेवा नहीं है। 1968 के पश्चात् सांख्यिकी कर्मचारियों के वेतनमान अन्य अधिनस्थ सेवाओं की तुलना में नहीं बढ़ाये जाने के फलस्वरूप न्यून रह गये।

3. जी नहीं, मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं सदर कानूनगो के वेतनमान भी बढाये जाने हेतु बैरी वेतन आयोग ने सिफारिश की थी और नायब तहसीलदार का वेतनमान नहीं बढ़ाया गया है।

4. जी नहीं, सांख्यिकी सहायक का पद सांख्यिकी अधिनस्थ सेवा का है न कि सांख्यिकी सेवा का। केवल कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायक के समकक्ष कार्य करने वाला पद है जिसे सहायक सांख्यिकी अधिकारी कहते हैं। सांख्यिकी सहायक के पदनाम बदलने सम्बन्धी विषय अलग से विचाराधीन हैं।

5. जी हां। दिनांक 5.2.85 से वेतनमानों में परिवर्तन, पदनाम बदलने एवं पदों को क्रमोन्नत करने की मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। समय पर संघर्ष समिति से सचिव स्तर पर मांगों के संबंध में वार्ता हुई है। मांगों पर सरकार विचार कर रही है।

शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

860. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना के तहत कितने आशार्थियों को किस काम के लिये कितना कितना पैसा स्वीकृत किया गया व कितनों का चयन किया गया? कृपया नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने व किन किन लोगों को कितना कितना पैसा बैंकों द्वारा दिया गया व कितने निराश आशार्थी आज-तक बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं? उनके बारे में सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है?

उत्तर

(1) पाली जिले में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आशार्थियों को चयन कर ऋण स्वीकृत किये गये, आशार्थियों की संख्या 739 है जिसकी सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इनमें से 540 आशार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया गया है। जिसका विवरण प्रश्न भाग-1 के उत्तर में दी गई सूची "क" में अंकित है। ऋण स्वीकृति निर्धारित लक्ष्यों तक हुई है तथा इन आशार्थियों को ऋण वितरण की प्रक्रिया जारी है। बैंकों द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने हेतु आशार्थियों को बैंकों में

(उद्योग मंत्री)

जाना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में अन्य निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील टोडारायसिंह के ग्रामों का विद्युतीकरण

861. **श्री नाथूसिंह** (टोडाराय सिंह) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोडारायसिंह तहसील के कितने गांवों में अब तक विद्युतीकरण हो चुका है व इन गांवों में कितने विद्युत् कनेक्शन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में कितने गांव बिना विद्युतीकरण के बचे हैं ? इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जावेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोडारायसिंह तहसील में टोडारायसिंह कस्बा तथा 25 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है, ग्रामवार विद्युत कनेक्शन का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (सूची "अ")

(2) टोडारायसिंह तहसील में 86 ग्रामों का विद्युतीकरण करने की योजना स्वीकृत है। शेष 7 ग्रामों के विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण अगले वर्षों में वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। 86 स्वीकृत व शेष 7 गांवों की सूची ''ब'' व 'स'' संलग्न है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन

862. **श्री रघुवर दयाल** (रामगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री गुमानी राय गुप्ता निवासी तिजारा, जिला अलवर ने राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अन्तर्गत पेन्शन के लिए आवेदन पत्र पेश किया था ? यदि हां, तो यह आवेदन पत्र कब पेश किया गया था ? कृपया आवेदन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह भी सही है कि इस आवेदन पत्र को बिना किसी ठोस आधार के अस्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार कर स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन स्वीकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. जी हां। आवेदन पत्र दिनांक 1.5.84 का है जो दिनांक 5.7.84 को विभाग में प्राप्त हुआ है आवेदन पत्र की प्रति संलग्न है।

2. जी नहीं। अधीक्षक, जिला कारागृह अलवर ने दिनांक 27.6.84 का जो जेल प्रमाण पत्र दिया था उसमें सशर्त रिहाई बताई गई थी, जिससे पेंशन स्वीकृत नहीं की गई। अधीक्षक, जिला कारागृह,

(श्री रघुवर दयाल)

अलवर ने पुनः जानकारी करने पर बताया है कि जेल प्रमाण पत्र में "वापसी अमानत" शब्द गलती से लिखा गया था, वापसी अमानत शब्द जेल रिकार्ड में नहीं है। अतः इस स्पष्टीकरण के आधार पर श्री नन्दकिशोर के पेंशन प्रकरण पर उप समिति की मीटिंग में पुनः विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

अधीक्षण अभियन्ताओं की पदोन्नति

863. **श्रीमती नीलिमा** (मिनाय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि मई, 1983 में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई गई थी ?

2. क्या यह सही है कि इस समिति द्वारा 5 रिक्त पद माने गये थे ? अगर हां तो रिक्त पद का नाम व रिक्त होने का कारण व तिथि बताएं।

3. क्या यह सही है कि इस डी.पी.सी. के विरुद्ध रिक्त पदों की गलत गणना व अन्य अनियमितताए बरतने के सम्बन्ध में अधिकारियों/जन प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदन प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों में वर्णित अनियमितताओं पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

4. क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में अगस्त, 1983 में श्री कुच्छल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में दिये गये शपथ पत्र के अनुसार मई, 1983 में अधीक्षण अभियन्ता पद के लिए रिक्त स्थानों की गणना करना सम्भव नहीं था ?

5. क्या यह सही है कि प्रतिवेदनों की जांच के समय कार्मिक विभाग द्वारा डी. पी. सी. के पांच रिक्त स्थान नियमानुकूल नहीं पाये गये और सरकार ने इस बैठक को रद्द करते हुये तुरन्त दूसरी बैठक बुलाने के आदेश दिये थे ?

6. क्या यह सही है कि विभाग ने उपर्युक्त वर्णित आदेशों की पालना नहीं की ? हां, तो क्यों ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां। अधीक्षण अभियन्ता के 4 पद अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पद हेतु 2.11.82 को हुए चयन के फलस्वरूप एवं एक पद प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइंस एवं टेक्नोलॉजी का सृजन दिनांक 4.3.83 से होने के कारण कुल 5 पद रिक्त होने की गणना की गई।

3. जी हां। जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए उनको जांच करने पर वे तथ्यहीन पाये गये।

4. जी नहीं।

5. जी नहीं।

6. प्रश्न ही नहीं उठता।

अजमेर में संचालित पोषाहार केन्द्र

865. **श्री गोविन्दसिंह** (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. अजमेर जिले की तहसील अजमेर में कितने पोषाहार केन्द्र कार्यरत हैं ? इनका संचालन कौन व कब से कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

2. इन केन्द्रों का निरीक्षण विभाग द्वारा गत एक वर्ष में कब कब किया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

3. क्या इन केन्द्रों के संचालन में जन प्रतिनिधियों का स्थान है ?

उत्तर

1. वर्तमान में पोषाहार केन्द्र बन्द हैं । दिनांक 31-3-85 तक चलाये गये केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'अ')

2. विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट 'ब')

3. जी हां । राज्य सरकार द्वारा पोषाहार कार्यक्रम के संचालन के लिये जिला स्तरीय पोषाहार कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसके स्थानीय विधायक भी सदस्य हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

पर्यटक शुल्क

866. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जयपुर नगर में प्रतिवर्ष औसतन कितने विदेशी और भारतीय यात्री दर्शनीय स्थलों को देखने आते हैं ?

2. पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर के वर्तमान नए व पुराने दर्शनीय स्थानों को और आकर्षक बनाने व पर्यटकों को और अधिक मात्रा में आकर्षित करने की क्या योजनाएँ हैं ?

3. क्या अन्य दर्शनीय स्थानों की भांति जयपुर शहर में भी पर्यटक शुल्क लगाए जाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

1. प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर में प्रतिवर्ष औसतन 3.30 लाख स्वदेशी एवं 1.35 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं ।

2. विभाग ने जयपुर के वर्तमान व पुराने दर्शनीय स्थानों को आकर्षक बनाने हेतु कई योजनाएँ बनाई हैं, जिनमें गैटोर की छतरियों पर विकास कार्य, गलता तीर्थ स्थल पर पुनर्निर्माण कार्य, नगर के प्रमुख दरवाजों पर रंग करवाने का कार्य एवं एक बड़े पर्यटन स्वागत केन्द्र का निर्माण कार्य प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त जल महल क्षेत्र के विकास का भी प्रस्ताव है ।

3. जी नहीं ।

पांचना सिंचाई परियोजना

867. **श्री शिवचरण सिंह** (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवचरण सिंह)

1. पांचना सिंचाई परियोजना पर कब तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

2. विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि दी गई है ?

3. इस वर्ष कितना धन योजना मद से दिया जावेगा ?

4. वर्षवार कितना कितना धन स्टोर पर्चेज पर खर्च किया गया ?

5. इससे कब तक सिंचाई हो पायेगी ?

उत्तर

1. पांचना परियोजना के निर्माण में माह जून, 1985 तक 849.74 लाख रु. राशि व्यय हो चुकी है।

2. विश्व बैंक द्वारा कोई धनराशि इस परियोजना को नहीं दी गई है।

3. इस वित्तीय वर्ष में रु. 175.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।

4. स्टोर पर्चेज पर वर्षवार निम्न प्रकार धन खर्च किया गया है :—

1– वर्ष 1979–80 में रु. 1,34,539.91

2– वर्ष 1980–81 में रु. 9,07,671.63

3– वर्ष 1981–82 में रु. 4,57,812.24

4– वर्ष 1982–83 में रु. 28,30,645.70

5– वर्ष 1983–84 में रु. 9,74,700.08

6– वर्ष 1984–85 में रु. 26,53,561.24

5. पांचना बांध से 1986–87 में आंशिक तौर पर एवं वर्ष 1990 तक पूर्ण सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

सूरतगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतिकरण

868. श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़):– क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

1. विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कितने गांवों की विद्युतीकरण की मन्जूरी दी गई है।

2. यह विद्युतीकरण कब तक होने की संभावना है ? कृपया प्रत्येक गांव व उसकी संभावित समय की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

1. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 52 ग्राम विद्युतिकरण करने हेतु स्वीकृत हैं।

2. उक्त क्षेत्र में स्वीकृत ग्रामों की सूची 'अ' संलग्न है। इन ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार सम्भव हो सकेगा। फिलहाल विद्युतीकरण के बारे में निश्चित समयावधि बताना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

जालौर में नलकूपों में पावर कनेक्शन

869. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है जल प्रदाय विभाग खण्ड जालौर द्वारा जिले में नलकूपों में पावर कनेक्शन देने हेतु लाखों रुपयों की रकम जमा करा रखी है ? अगर हां, तो कितने नलकूपों पर पावर कनेक्शन हेतु कहां-कहां पर कितने-कितने रुपये कब-कब जमा कराए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

2. उक्त रकम में से सीधी फीडरविद्युत लाइन लगाने हेतु कितनी-कितनी रकम कब-कब जमा कराई गई है ? ऐसी सीधी फीडर विद्युत लाइनें कब तक लगवा दी जावेंगी।

3. तहसील सांचौर के नलकूपों को विद्युत विभाग द्वारा कब तक पावर कनेक्शन दे दिए जावेंगे ? पावर कनेक्शन देने में इतना समय लगने के क्या कारण थे ?

उत्तर

1. जी हां। जल प्रदाय विभाग द्वारा जालौर जिले में नलकूपों के पावर कनेक्शन देने हेतु जमा कराई गई राशि, स्थान व दिनांक दर्शाते हुए सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

2. जल प्रदाय विभाग द्वारा सीधे फीडर विद्युत लाइन्स खींचने हेतु जमा कराई गई रकम का विवरण परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है।

3. तहसील सांचोर में नलकूपों को कनेक्शन देने का कार्य मण्डल द्वारा शीघ्र कराया जाकर कनेक्शन उच्च प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने के निर्देश पुनः जारी कर दिये गये हैं। अधिकांश मामलों में धनराशि कुछ समय पूर्व ही जमा कराई गई है। पुराने मामलों में जलदाय विभाग द्वारा समय पर 'एल फार्म' प्रस्तुत नहीं करना कनेक्शन न देने का मुख्य कारण रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

जायल क्षेत्र के अभावग्रस्त ग्राम

870. **श्री मोहनलाल बारूपाल**(जायल) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. विधान सभा क्षेत्र जायल, (नागौर) में इस वर्ष कुल कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया और इनमें से कुल कितने गांवों में राहत कार्य खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

2. उक्त राहत कार्यों पर ग्रामवार कुल कितनी कितनी राशि व्यय की गई ? क्या राहत कार्यों पर व्यय राशि का मजदूरों को भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो कितनी राशि का भुगतान करना शेष है, और क्यों ?

उत्तर

1. विधान सभा क्षेत्र जायल, नागौर में इस वर्ष कुल 110 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया और इनमें से कुल 41 राहत कार्य खोले गए। अभावग्रस्त घोषित

(अकाल राहत मंत्री)

गांवों की सूची एवं खोले गए राहत कार्यों की सूची परिशिष्ट 1-2 सदन के पटल पर रख दी गई है।

2. उक्त राहत कार्यों पर ग्रामवार व्यय की गई राशि, भुगतान की गई राशि एवं भुगतान न होने का विवरण परिशिष्ट 3 पर अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

नावां तहसील में अग्निकांड

871. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत** (नावां): क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. नावां तहसील में माह फरवरी से अब तक कितने अग्निकांड हुए हैं ? किस-किस तिथि को, कहां-कहां पर अग्निकांड हुए तथा कितना कितना नुकसान इन व्यक्तियों को हुआ है ?

2. क्या इन अग्निकांडों में सामान के अलावा जन हानि भी हुई है ? यदि हां, तो कहां कहां पर ?

3. इन अग्निकांडों की रिपोर्ट तहसीलदार नावां द्वारा जिलाधीश को की गई ? यदि हां, तो कब कब तथा जिलाधीश महोदय ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

4. इन अग्निकांडों का कारण क्या-क्या था ? ऐसी दुर्घटनायें भविष्य में न हो, इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

1. नावां तहसील में माह फरवरी, 85 से अब तक कुल 17 अग्निकांड हुए हैं। किस तिथि को कहां पर अग्निकांड हुए तथा कितना नुकसान हुआ उसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

2. जी हां। अग्निकांडों में सामान के अलावा ग्राम लालास में एक 6 वर्षीय बालक की मृत्यु हुई है।

3. इन अग्निकांडों की रिपोर्ट तहसीलदार नावां द्वारा जिला कलेक्टर को कर दी गई थी। जिलाधीश नागौर द्वारा सहायता हेतु दिनांक 22.7.85 को स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा दिनांक 23.7.85 को स्वीकृत राशि के बैंक ड्राफ्ट बनवाकर वितरण हेतु तहसीलदार नावां को भेज दिये गये हैं।

4. इन अग्निकांडों का प्रमुख कारण प्राकृतिक प्रकोप रहा है। तेज हवाओं एवं आंधियों के अधिक चलने से दुर्घटनायें हुई हैं।

[विवरण के लिए परिशिष्ट 22 देखें]

ग्राम खरवन (इटावा) का विद्यालय भवन

872. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल)

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. यह सही है कि पंचायत समिति, इटावा की ग्राम पंचायत, नोनेरा के गांव

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

खरवन में वहां की जनता ने स्कूल भवन बनाकर तैयार करा दिया है तथा उसकी छत हेतु चद्दरें खरीदने की पंचायत समिति से मांग की गई है ?

2. यदि हां, तो पंचायत समिति द्वारा उक्त स्कूल भवन की छत डालने की व्यवस्था कर दी गई हैं ? यदि हां, तो कैसे ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

डेगाना तहसील मुख्यालय को सड़क से जोड़ना

873. **श्री जयनारायण बैरवा** (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या गांव ईडवा, तहसील डेगाना जिला नागौर डेगाना–मेड़ता सिटी मार्ग का महत्वपूर्ण गांव है ?

2. क्या यह सही है कि डेगाना तहसील मुख्यालय होने के बावजूद भी अभी तक पक्की डामर की सड़क से अभी किसी भी मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है ?

3. क्या यह सही है कि डेगाना मेड़ता सिटी मार्ग वाया ईडवा लाम्पोलाई सड़क 7 कि.मी. छोड़कर बाकी डामर की बन चुकी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस 7 कि.मी. सड़क का डामरीकरण कर डेगाना को प्रदेश के अन्य भागों से कब तक जोड़ दिया जायगा ? यह सड़क कब तक पूरी बन सकेगी ?

4. क्या यह भी सही है कि डेगाना मेड़ता सिटी के उपर्युक्त मार्ग पर तिलानेस गांव एवं तामडोली गांव के तालाब की नहरें आती हैं, जिससे वर्षा ऋतु में यह मार्ग बिल्कुल बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक इन दोनों नहरों पर पुल बन रही है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. जी हां। शेष सड़क को डामर की बनाने हेतु नागौर जिले के मास्टर प्लान में यह कार्य प्रस्तावित है योजना में धनराशि उपलब्ध हो जाने पर यह कार्य करवाया जा सकेगा।

4. जी हां। वर्षा ऋतु में तालाबों के (ओवर फिलोवाला) पानी सड़क को क्रोस करता है। किन्तु मार्ग बन्द नहीं होता है। आवश्यक योजना राशि उपलब्ध होने पर यह कार्य कराया जा सकेगा।

पंचायत समिति अलसीसर एवं झुंझुनू के पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

874. **श्रीमती सुधा देवी** (मण्डावा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की नीति के अनुसरण में पंचायत

(श्रीमती सुधा देवी)

समिति, झुंझुनू एवं पंचायत समिति, अलसीसर जिला झुंझुनू में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

2. पंचायत समिति अलसीसर एवं झुंझुनू में क्रमशः कितने पंचायत मुख्यालय हैं और उनमें से किन किन मुख्यालयों को कौन-कौन से वर्ष में सड़कों से जोड़ दिया गया ? अभी किन किन पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान है या कार्य चल रहा है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की नीति के अनुसरण में पंचायत समिति झुंझुनू एवं पंचायत समिति अलसीसर के बारे में नीचे लिखे कदम उठाये गये हैं :—

झुंझुनू पंचायत समिति

पंचायत मुख्यालय देरवाला—इस ग्राम को सड़क से जोड़ने के लिये झुन्झुनू से वीबासर सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पं. मु. काशिमपुरा—इस ग्राम को सड़क से जोड़ने के लिये बगड से काशिमपुरा सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पं. मु. इण्डाली—इस ग्राम को सड़क से जोड़ने के लिये झुंझुनू से इण्डाली सड़क कार्य प्रगति पर है।

पंचायत समिति अलसीसर

पं. मु. सोनासर और हमीरी कलां—इन दोनों ग्रामों को सड़क से जोड़ने के लिये मोडा पहाड़ से सोनासर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है।

पं. मु. निराधनू—इस ग्राम को सड़क से जोड़ने के लिये मांग्यासर निराधनू सड़क कार्य प्रगति पर है।

पं. मु. ककरेऊ—इस ग्राम को सड़क से जोड़ने के लिये मलसीसर ककरेऊ सड़क का कार्य चल रहा है।

पं मु. डाबडी धीरसिंह—इस ग्राम को सड़क से जोड़ने के लिये मन्ड़ेला से डाबड़ी निर्माण कार्य चल रहा है।

पं. मु. टॉई—इस ग्राम को सड़क से जोड़ने के लिये मण्डावा से बिसाऊ सड़क कार्य प्रगति पर है।

2. झुंझुनू पंचायत समिति में कुल 30 पंचायत मुख्यालय हैं। इनमें 18 पंचायत मुख्यालय पहले हो सड़क से जुड़े हुए हैं। शेष 12 की स्थिति संलग्न सूची "अ" में दर्शाई गई है जो सदन के पटल पर रख दी गई है :—

पंचायत समिति अलसीसर

इस पंचायत समिति में कुल 25 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं। इनमें 11 ग्राम पंचायत मुख्यालय पहले से ही सड़क से जुड़े हुए हैं। शेष 12 पंचायत मुख्यालयों की स्थिति दर्शाते हुये सूची "ब" संलग्न है। जो सदन के पटल पर रख दी गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

आवासीय किराये की कटौती का वार्षिक विवरण

875. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी-बाजार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राज्य कर्मचारियों के वेतन से सरकारी आवास के किराये की कटौती का विवरण क्या कर्मचारियों को वार्षिक आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

2. क्या राज्य सरकार भविष्य में नियमित रूप से कर्मचारियों को किराया कटौती का विवरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. इस प्रकार की परिपाटी व व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। परन्तु इस प्रकार की कटौतियों का विवरण जी. ए. 74 में अंकित एवं कार्यालयों में उपलब्ध रहता है और कर्मचारियों को जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार की सूचना फार्म जी. ए. 55 द्वारा कर्मचारियों को हर वर्ष दी जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये हुए हैं।

सूरजपोल, जयपुर के निवासी श्री महेन्द्र की हत्या

876. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि दिनांक 18 अप्रैल, 1985 को सूरजपोल, जयपुर के निवासी श्री महेन्द्र की कुछ लोगों द्वारा मारे जाने के कारण बेहोशी की हालत में दिनांक 9 जुलाई, 1985 को मृत्यु हो गई ?

2. क्या इस संबंध में पुलिस थाना रामगंज में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गयी थी ? यदि हां तो कृपया एफ. आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

3. क्या यह भी सही है कि आई. जी. पी. राजस्थान, जयपुर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर को 3 जुलाई, 1985 को तफतीश हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

4. अब दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

उत्तर

1. जी नहीं। श्री महेन्द्र की मृत्यु दिनांक 18-4-85 को सड़क दुर्घटना में बेहोश हो जाने के कारण दिनांक 9-7-85 को घटित हुई।

2. जी हां। एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है।

3. जी हां, अनुसंधान जारी है।

4. अनुसंधान पूर्ण होने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

[प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई]

जोधपुर–बाड़मेर सड़क

877. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि जोधपुर बाड़मेर सड़क, आवागमन की दृष्टि से अति व्यस्त सड़क मार्ग है ?

2. क्या यह सही है कि यह मार्ग सैनिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण मार्ग है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस मार्ग का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

3. क्या उक्त मार्ग की महत्ता को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में हाईवे की योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

3. जी नहीं।

आर. डी. 330 से सिंचाई

878. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़)
श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. इंदिरा गांधी मुख्य नहर के प्रथम चरण की आर. डी. 330 के नीचे किस-किस नहर प्रणाली पर वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में रबी व खरीफ में किस-किस चक में कितने बीघों में सिंचाई की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

2. उक्त क्षेत्र की विभिन्न नहर प्रणालीवार सी.सी.ए. कितना है तथा उक्त प्रणालियां किस-किस वर्ष में पूर्ण हो गई थीं ? पूर्ण सिंचाई नहीं होने के क्या कारण थे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 330 के नीचे प्रणालीवार एवं चकवार रबी व खरीफ में वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 जो सिंचाई हुई है उसकी सूची संलग्न है।

2. विभिन्न नहर प्रणालीवार सी.सी.ए. संलग्न प्रपत्र में दर्शा दिये गये हैं। प्रणालियां जिस वर्ष में पूर्ण हुई हैं वह भी अंकित कर दिया गया है। अविकसित रेतीले क्षेत्र में काश्तकारों द्वारा चकों में जाकर आबाद नहीं होना एवं पूर्ण सिंचाई नहीं होने के प्रमुख कारण रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सार्वजनिक निर्माण विभाग छबड़ा के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

879. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा),
श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),
श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर),
श्री माला राम (खेतड़ी),

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग के छबड़ा सब-डिवीजन में सन् 1980 से कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

2. क्या इन कर्मचारियों को जुलाई, 1982 में सेवा से मुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

3. क्या हटाये गये कर्मचारी सेवा से मुक्त किये गये आदेश के विरुद्ध श्रम निरीक्षक व समझौता अधिकारी के समक्ष गये थे ? यदि हां, तो क्या समझौता हुआ ? कृपया समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

4. क्या हटाये गये कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर ले लिया गया ? यदि हां, तो कब से ?

5. क्या इन कर्मचारियों को स्थाई कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

6. क्या सरकार इन कर्मचारियों को स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग के छबड़ा सब-डिवीजन में सन् 1980 से संलग्न तालिका "अ" जो सदन के पटल पर रख दी गई है के अनुसार 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं।

2. जी हां। क्योंकि वे निर्धारित अवधि से कम सेवाकाल के थे और विभागीय नीति निर्देशों के अनुसार उन्हें सेवा मुक्त करने के आदेश दिये गये थे।

3. जी नहीं। श्रमिक यूनियन से हुए समझौते के अनुसार 1-9-82 से हटाये गये श्रमिकों को पुनः काम पर लेना व उनकी नौकरी को खण्डित नहीं मानना था।

4. जी हां। इन्हें 1-9-83 से कार्य पर ले लिया गया।

5. जी नहीं। क्योंकि नार्मस के अनुसार सेमीपरमानेन्ट के पद रिक्त नहीं थे।

6. नार्मस का संशोधन विचाराधीन है। उनके फाइनल होने पर यदि रिक्त पद उपलब्ध हुए तो सेमीपरमानेन्ट कर दिये जायेंगे।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

बाली क्षेत्र की नई सड़कें व पुलियायें

880. **श्री रघुनाथ परिहार** (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र बाली में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1980 से अब तक कितनी नई पक्की सड़कों और पुलियों को स्वीकृत दी गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

2. उपरोक्त स्वीकृत की गई सड़कों, पुलियाओं में से कितनी सड़कें, पुलिया पूर्ण

(श्री रघुनाथ परिहार)

हो चुकी हैं व कितनी पर कार्य चालू है? अधूरे कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे ?

3. क्या इस विभाग द्वारा बाली उप खण्ड मुख्यालय पर सरकारी अधिकारियों के निवास हेतु क्वाटर्स पिछले तीन वर्षों में बनाये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारियों हेतु बनाये गये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

4. क्या यह सही है कि ये क्वार्टर्स पूर्ण हो चुके हैं परन्तु अब तक विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को सुपुर्द नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो अब कब तक सुपुर्द किये जायेंगे ?

उत्तर

1. पाली जिले के बाली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1980 से अब तक 5 नई सड़कें मय पुलों की स्वीकृत दे दी गई है । जिनकी संलग्न सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

2 इन स्वीकृत सड़कों में से 2 सड़कें पूर्ण हो गई हैं । शेष तीन सड़के अधूरी हैं । ये अधूरे कार्य योजना में धनराशि उपलब्ध होने पर पूर्ण करा दिये जायेंगे ।

3. जी हां । बाली उपखण्ड मुख्यालय पर अधिकारियों जिनका वेतनमान 1200 से 1800 है, हेतु 111 टाईप क्वार्टरों का निर्माण कराया गया है ।

4. जी हां । उपरोक्त क्वार्टरों में बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं देने के कारण संबंधित अधिकारियों को हस्तानान्तिरित नहीं किये गये हैं । ये कनेक्शन हो जाने पर हस्तानान्तरित कर दिये जायेंगे ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें ।)

लूणी नदी पर निर्माणाधीन रपट

881. **श्री मोटाराम** (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या समदड़ी, तहसील सिवाना में लूणी नदी पर बन रही रपट का कार्य बहुत ही मंद गति से चल रहा है ? यदि हां, तो आस पास के लगभग 50 गांवों की आवागमन की विकट समस्या को देखते हुए क्या सरकार इस रपट का कार्य शीघ्र पूरा करायेगी ?

2. समदड़ी लूणी नदी पर काजवे की कुल लागत कितनी है तथा इस वर्ष 1985-86 में कितना व्यय होगा ?

उत्तर

1. इस रपट का कार्य धनाभाव के कारण धीरे जल रहा हैं । आवश्यक राशि उपलब्ध होने पर यह कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा ।

2. इस काजवे की लागत 20 लाख रुपये हैं तथा वर्ष 85-86 हेतु 70 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई हैं ।

अन्ता-मांगरोल सड़क

882. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवनारायण)

1. क्या अन्ता से मांगरोल सड़क फैवर-वेदर रोड़ में शामिल है और इसे मास्टर प्लान में शामिल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां तो इसे पक्का बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

2. क्या सरकार इस सड़क को इस वर्ष बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां तो इस पर कितनी राशि व्यय होगी ? यदि नहीं, तो कब तक बनाने का विचार है ?

उत्तर

1. जी हां। इसे जिले के मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया हैं। योजना में धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य संभव होगा।

2. जी नहीं। यह योजना में राशि उपलब्ध होने पर ही हाथ में ली जा सकती हैं।

सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

8?3. **श्री लालचन्द** (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या जिला गंगानगर की तहसील भादरा में चक 5 बी. एच.डी. में से जो बाई पास सड़क निकाली है उसमें आई भूमि का मुआवजा सरकार ने किसानों को दे दिया है ? अगर नहीं, तो क्यों ? अब कब तक यह मुआवजा दे दिया जावेगा अब क्या मुआवजा देने में हुई देरी का हर्जाना किसानों को दिया जावेगा ?

उत्तर

1. यह बाईपास मार्ग सुरक्षा विभाग भारत सरकार के संगठन जी. आर. ई. एफ. द्वारा बनाया गया था अतः भूमि के मुआवजे का प्रश्न भी उस विभाग से संबंधित है।

बाल विकास परियोजना, बाली के अधिकारी

884. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) ; क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी बाली तथा महिला सुपरवाइजर बाली, जिला पाली के पद पर कौन-कौन कार्यरत हैं ?

2. क्या उक्त दोनों ही महिला अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष, श्री बाकली ने भ्रष्टाचार की शिकायत राज्य सरकार को की ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर

1. बाल विकास परियोजना बाली के अधिकारी के पद पर श्री जगदीशचन्द्र देसाई, आर. ए. एस. तथा महिला सुपरवाईजर के पद पर (1) स्नेहलता (2) निर्मला आर्य (3) निर्मला जोलवाल (4) दाखाबाई (5) विमला सिसोदिया (6) सरोज रोहिला (7) मधुकुमारी कार्यरत हैं।

2. जी नहीं। वर्तमान में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कामां में नालियों का निर्माण

885. **श्री शमशुल हसन** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कामां में से बाढ़ के पानी को निकालने के लिये के. पी. ड्रेन मेन केनाल में पानी डालने के लिए नालियों का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में से और कितनी का ?

2. क्या यह भी सही है कि जो नालियां निर्मित की गई थीं वे खराब हो चुकी हैं ? यदि हां तो क्या सरकार जनहित में इन नालियों की सफाई एवं खुदवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. जी हां। 13 नालियों का निर्माण कार्य किया गया था जिसको सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है। गांवों के नाम नालियों के नाम साथ जुड़े हैं।

2. जी नहीं। सफाई करवाना विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

भाखरा तथा गंगनहर क्षेत्र में पक्के खाले

886. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. भाखरा तथा गंगनहर क्षेत्र में सी. ए.डी. द्वारा पक्के खाले व माइनर्स बनाने का कार्य शुरू किया गया था तथा अब तक कितने खाले व माइनर्स पक्के हो चुके हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

2. पक्के खालों व माइनर्स पर कुल कितनी राशि खर्च की गई व कितनी राशि इंजीनियर्स आदि के वेतन, वाहन व रिहायशी मकानों आदि पर खर्च हुई ? कृपया कुल व्यय की अलग-अलग तालिका सदन की मेज पर रखें।

–उत्तर

1. भाखड़ा सि.क्षे.वि. के अन्तर्गत खाले पक्के करने का कार्य अप्रेल, 1977 में आरम्भ किया गया था, भाखड़ा नहर की माइनर्स को पक्का करने का कोई कार्य नहीं किया गया है। अब तक 30 चकों में खाले का निर्माण कार्य किया गया है।

गंगनहर सि.क्षे.वि. के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र, विकास, इगानप के अधीन दो खण्डों द्वारा खाले का पक्का करने का कार्य दिसम्बर, 1977 और मई, 1980 में आरम्भ किया गया था माइनर्स को पक्का करने का कोई कार्य नहीं किया है अब तक 51 चकों में खाले का निर्माण कार्य किया गया। इन चकों की सूचियां संलग्न हैं।

2. भाखड़ा और गंग नहर सि.क्षे.वि. में खाले को पक्का करने, इंजिनियर्स के वेतन आदि वाहन व रिहायशी मकानों पर निम्नलिखित राशि खर्च हुई।

	भाखरा	गंगनहर
1. खाले पक्के करने का व्यय	रु. 149.69 लाख	232.60 लाख

(सिंचाई मंत्री)

2. अभियन्ताओं आदि के वेतन पर व्यय	78.99 लाख	70.89 लाख
3. वाहन (मशीनरी तथा ओजार) पर व्यय	3.64 ,,	3.45,,
4. रिहायशी मकान पर व्यय	—	—
	रु. 232.32 लाख	306.94 लाख

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

कोटा के सिंचाई बांध

887. **श्री हरि कुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. गत वर्ष कोटा जिले में चल रहे सिंचाई बांधों के कामों को किन-किन अभियन्ताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है ?

2. उनके खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. गत वर्ष अप्रेल, 84 से मार्च 85 तक कोटा जिले में चल रहे सिंचाई बांधों के काम की निम्नलिखित अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं :—

1. श्री सवाई सिंह राठोड अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड बांरा

2. श्री राम सिंह दिवाकर सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखंड बांरा

3. श्री मदन मोहन गुप्ता सहायक अभियन्ता, सिंचाई उप खण्ड बांरा

4. श्री शिशुपाल कथूरिया उप अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड बांरा

5. श्री भानु कुमार जैन उप अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड बांरा

6. श्री के.एल. गुप्ता, सहायक अभियन्ता सिंचाई उप खंड शाहबाद

7. श्री देवीसिंह उप अभियन्ता, सिंचाई उप खण्ड शाहबाद

8. श्री किरोड़ी लाल मीणा उप अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड शाहबाद

9. श्री आर.एस.व्यास, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड भंवरगढ़

10. श्री अनिल कुमार, उप अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड भंवरगढ़

11. श्री एस.के. कोठारी, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड सांगोद

12. श्री आर.पी. छाबड़ा, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड दरा

13. श्री शिव देव कटारा सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड बांरा

14. श्री एस.सी. मित्तल सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड कोटा

(सिचाई मंत्री)

15. श्री एल.एन. गुलाटी उप अभियन्ता सिचाई उपखण्ड कोटा

16. श्री गजराज सिंह चौधरी अधिशाषी अभियन्ता चम्बल परि. खण्ड II कोटा

17. श्री सेवा राम गुप्ता, सहायक अभियन्ता, चम्बल परि. खण्ड प्रथम कोटा

18. श्री सी.एल. दयानी अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड प्रथम कोटा

19. श्री पी. एन. माथुर सहायक अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड कोटा

20. श्री टी. आर. टांक अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड बांरा

2. कार्यवाही अापेक्षित है।

पुष्कर क्षेत्र के थानों में दर्ज अपराधिक प्रकरण

889. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के अन्तर्गत आने वाले पुलिस स्टेशन पुष्कर, पीसांगन, गेंगल एवं मांगलियावास थानों पर गत एक वर्ष में हत्या, डाकेजनी, चोरी तथा बलात्कार के प्रकरण, कब-कब पंजीबद्ध किये गये? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

2. इन प्रकरणों में कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये? कितना माल बरामद किया गया, और कितने प्रकरणों में तफतीश पूरी करके चालान न्यायालयों में पेश कर दिये गये हैं? बाकी रहे प्रकरणों में तफतीश किस किस स्टेज पर है?

3. इस प्रकरण में से किस किस में अदम वकुअा अथवा सबूत नहीं मिलने से निगेटिव फाईनल रिपोर्ट न्यायालयों में कब कब, किस कारणों से प्रस्तुत की गई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1, 2 व 3 विवरण तालिका संलग्न है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

तहसील लूणकरणसर के गांवों में सिचाई सुविधा

890. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या लूणकरणसर तहसील क्षेत्र का बारानी इलाका अामतौर पर सूखे से प्रभावित रहता है? अगर हां तो सूखा प्रभाव से मुक्ति हेतु सरकार क्या योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं?

2. क्या उक्त तहसील के ढोखरांना, धीरेरा, सोढ़वाली पंचायतों की कृषि भूमि उपजाऊ एवं समतल है, तथा तीस फीट लिफ्ट करके सिचाई सुविधाएं मुहैय्या की जा सकती हैं?

3. क्या उक्त गांवों में सिचाई सुविधाएं प्रदान करने की मांग स्थानीय जनता कर रही है? अगर हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों का सर्वे कराकर योजना तैयार कराने का इरादा रखती है? ताकि आंठवीं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

पंचवर्षीय योजना में इसको क्रियान्वित कराया जा सके ?

उत्तर

1. प्रश्न इस विभाग से संबंधित नहीं है।

2. प्रश्न में उल्लिखित खोखराना, घीरेरा व सोढपाली पंचायतों की कृषि भूमि का कोई सर्वेक्षण इस विभाग द्वारा नहीं करवाया गया है। अतः यह कहना संभव नहीं कि केवल 30 फिट लिफ्ट करके इस क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा दी जा सकती हैं। बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर का कमांड क्षेत्र राज्य सरकार की नीति के अनुसार मुख्य नहर के जल स्तर से 60 मीटर ऊंचाई तक ही सीमित है।

3. उक्त गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

तहसील सलुम्बर के निवासी श्री बेलिया की हत्या

891. **श्री कमला भाई मीणा** (लसाडिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या श्री बेलिया पुत्र श्री राया मीना हरमारे सा. देवला छोटी तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर को मार दिया गया ? यदि हां, तो आसपुर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

2. क्या यह सही है कि ता. 26-4-1983 को बेलिया को मारने वालों का पुलिस को पता नहीं है ?

3. क्या यह सही है कि जहां बेलिया मारा गया वहां दिनांक 26-7-1983 को सोम नदी में नाजायज शराब निकालने वाले लोग थे ? यदि हां, तो क्या उनके खिलाफ पुलिस आसपुर या जलारा पुलिस ने कोई कार्यवाही की ? जिनके विरुद्ध कार्यवाही की, कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. जी नहीं

2. मृतक बेलिया की पानी में डूबने से मृत्यु होना पाया गया। मामला हत्या का नहीं पाया गया।

3. जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के गुमशुदा ड्राइवर

892. **श्री मुलताना राम** (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में श्री लक्ष्मीचन्द नाम का एक ड्राईवर नियुक्त है ? यदि हां, तो वर्तमान में उसकी नियुक्ति कहां है ?

2. क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मीचंद ड्राइवर दिनांक 26-11-1982 से कार्यभार के दौरान लापता हुए ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

3. क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मीचन्द ड्राईवर की पत्नी और बच्चों ने कोई सहायता व वेतन आदि की मांग की है तथा इसकी जांच सी. बी. आई. से करानी चाही है ? यदि हां, तो उसकी पत्नी और बच्चों को

(श्री मुलताना राम)

कितनी-2 राशि सहायता स्वरूप दी गई है ? क्या जांच सी. बी. आई. को देने हेतु सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी हां। ड्राइवर लक्ष्मीचन्द पुलिस लाइन जैसलमेर में तैनात होकर दिनांक 25-11-82 तक पुलिस थाना जैसलमेर की सरकारी जीप पर ड्यूटी दे रहा था। दिनांक 26-11-82 से यह ड्राइवर लापता है, जिसके संबंध में अभियोग संख्या 112 दिनांक 3-11-83 धारा 364 भा.द.सं. के अन्तर्गत थाना जैसलमेर में पंजियन होकर दिनांक 31-12-84 को एफ. आर. अदम पता दी गई।

3. जी हां, लक्ष्मीचन्द के परिवार को 26-11-82 तक वेतन का भुगतान किया जा चुका है और दिनांक 6-3-83 को मैनजमैन्ट फण्ड से एक हजार रुपये की सहायता दी गई है। सी.बी.आई. से जांच कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बीकानेर में अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा सवर्ण विरोधी नारेबाजी

895. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या सरकार को जिला बीकानेर में दिनांक 29 मार्च, 1985 को श्री एस. एल. वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) व श्री मुकेश राजस्थानी, वरिष्ठ लिपिक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के नेतृत्व में सवर्ण विरोधी नारे लगाते हुये जिलाधीश को दिये गये ज्ञापन की जानकारी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी सेवा नियम व जातीय विद्वेष करने के विरुद्ध अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की है ?

2. क्या मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर को भी इसकी लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर मुख्य अभियन्ता ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

3. राज्य पुलिस द्वारा उक्त जुलूस को क्यों नहीं रोका गया ?

उत्तर

1. जी हां। संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए।

2. जी हां। मुख्य अभियन्ता इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगे हैं।

3. दिनांक 29-3-85 को बीकानेर में जुलूस निकालने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

डीडवाना साल्ट प्लान्ट में जमा नमक का स्टाक

896. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि डीडवाना साल्ट प्लांट में तीन लाख टन नमक का स्टाक पड़ा है (जून 1985 तक) जिसकी मूल कीमत एक करोड़ पचास लाख रुपये होती है ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

2. क्या इस स्टाक को बेचने के लिए विभाग के पास स्टाक में जनरल मैनेजर व इन्सपेक्टर की व्यवस्था नहीं है ?

3. क्या यह सही है कि विभाग के पास भारत सरकार से यह डीडवाना साल्ट प्लांट संभालते वक्त 1960 से 1978 तक यह दोनों पदाधिकारी मुख्यालय जयपुर में कार्यरत थे, इसलिए मार्च 1979 तक वहां नमक का स्टाक केवल 9823 टन ही था जो अब छः वर्षों में बढ़कर तीन लाख टन तक पहुंच गया है ?

4. क्या यह सही है कि विभागीय टैक्निकल एडवाइजर ने यह दोनों पद पुनः भरने के लिए क्रमशः नवम्बर व दिसम्बर, 1984 में दो बार नोट बनाकर शासन सचिव को स्वीकृति के लिए भेजा था ?

5. यदि हां, तो यह पद क्यों नहीं भरे गये ? नमक के भारी स्टाक को बेचने के लिए यह दोनों पद पुनः कायम करने का सरकार क्या इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो इस नमक स्टाक को किस तरह से बेचा जावेगा ?

उत्तर

1. डीडवाना साल्ट में जून, 85 के अन्त में 3,66,028 टन नमक स्टाक में था जिसकी मूल अनुमानित कीमत करीब 1,70,00,000 रुपये है।

2. जी नहीं। डीडवाना लवण श्रोत पर एक प्रबन्धक, एक सहायक प्रबन्धक तथा तीन नमक निरीक्षक नियुक्त हैं जो नमक क्रय एवं विक्रय का ही कार्य देखते हैं।

3. वर्ष 1964 में इस विभाग का सृजन हुआ था तब से डीडवाना व पच-पदरा नमक श्रोत, राजकीय उपक्रम विभाग की अधीनस्थ इकाई बनी जिसका नियंत्रण अधिकारी महाप्रबन्धक, लवण था तथा इनका मुख्यालय जयपुर में था। इनके अधीनस्थ एक नमक निरीक्षक एवं अन्य स्टाफ कार्यरत था। तदुपरान्त दिनांक 1.4.89 से यह पद स्थगन में है। माह मार्च 79 के अन्त में इस श्रोत में 9823 टन नमक था जबकि जून, 85 के अन्त में 3,66,028 टन नमक स्टाक में था।

उल्लेखनीय है कि प्रथम 15 वर्षों में जहां उत्पादन करीब 6 लाख क्वि. औसत विक्रय 5.8 लाख क्वि. प्रति वर्ष था वहां वर्ष 1978-79 के उपरान्त 5 वर्षों में औसत उत्पादन 13 लाख क्वि. और विक्रय 8.5 लाख क्वि रहा है।

4-5. नमक के स्टाक की वृद्धि स्टाफ की कमी के कारण नहीं अपितु अन्य कारणों से है। जैसा कि क्रम संख्या 3 के उत्तर से स्पष्ट है नमक का उत्पादन गत 5 वर्षों में पूर्व के विक्रय वर्षों की अपेक्षा दो गुना से अधिक हुआ। यद्यपि गत 5 वर्षों में विक्रय भी पूर्व वर्षों की अपेक्षा डेढ़ गुना बढ़ा है फिर भी अखाद्य नमक के अधिक उत्पादन के कारण स्टाक अधिक हुआ। इससे विक्रय के लिए मुख्यालय पर तकनिकी सलाहकार को दायित्व दिया गया है। अखाद्य नमक को परिष्कृत करने की विधि निकालने के लिए भारत सरकार की लवण अनुसंधान शाला, भावनगर से पत्र व्यवहार किया जा

(राजकीय उपक्रम मन्त्री)

रहा है। साथ ही गत नौ माह में औसत विक्रय प्रति माह 12000 टन रहा है जो पूर्व के 9000 टन की अपेक्षा अधिक है।

चूरू एवं बाड़मेर जिलों में उद्योगों को प्रोत्साहन

897. श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु क्या-क्या सुविधायें दी गई ? क्या रुग्ण इकाइयों को सरकार आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिरिक्त सुविधायें देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

2. क्या सरकार चूरू एवं बाड़मेर जिले में औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या सुविधायें औद्योगिक विकास हेतु दी जायेगी ?

3. क्या उक्त पिछले जिलों में उद्योग के विस्तार हेतु विभाग प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन्स दिलाये जाने हेतु विद्युत मण्डल से पेशकश करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

1. 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु उद्योगों को पंजीयन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं रुग्ण औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली सुविधाओं की सूची क्रमशः 'क' व 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. चूरू एवं बाड़मेर जिले को भारत सरकार द्वारा 'उद्योग रहित जिले' दिनांक 1.4.1985 से घोषित किये गये हैं। इन जिलों में औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु सूची 'क' में वर्णित सुविधाओं के अतिरिक्त इन जिलों में उद्योग स्थापित करने पर औद्योगिक इकाइयों को कुल विनियोजन का 25 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रुपये तक केन्द्रीय विनियोजन अनुदान की विशेष सुविधा दिनांक 1.4.1985 से उपलब्ध कराई गई है।

3. जी नहीं। उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन देने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के नियमों में पूर्व से ही प्रावधान है। अतः विद्युत मण्डल से पेशकश करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

नैनवा में पेयजल के कुए

898. श्री प्रभुलाल (नैनवा) : क्या पंचायतराज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या पंचायत समिति नैनवां (बूंदी) में पेयजल कुए गहरे करवाने हेतु एक लाख रुपये की स्वीकृति हुई है ? यदि हां, तो कितने कुऐ गहरे करवाये गये और कहां कहां ?

2. उक्त कुओं पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? कृपया कुओंवार राशि का विवरण कृपया सदन के पटल पर रखें।

3. क्या बालापुरा पंचायत के ग्राम

72

(श्री प्रभुलाल)

रघनाथ गंज के कुओं की स्वीकृति पंचायत समिति, नैनवां द्वारा उक्त स्वीकृत राशि में से हुई है ? यदि हां, तो रघनाथ गंज के कुओं को गहरा करवाया या नहीं ? यदि उक्त कुओं को गहरा करवाया है तो कितनी राशि व्यय की गई है ?

उत्तर

1. जी हां । 28 कुवे गहरे करवाये गये है जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

2. सदन के पटल पर रखी गई सूची में इसका विवरण अंकित है ।

3. जी हां । रघुनाथ गंज के कुएं को गहरा नहीं करवाया गया है । अतः राशि व्यय करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 30 देखें)

मांसी बांध

899. श्री ललित किशोरचतुर्वेदी (कोटा) :

श्री ग्यारसी लाल (निवाई) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. मांसी बांध (टोंक) की भराव क्षमता क्या है और वर्ष 1984 में मांसी बांध पूर्ण भराव क्षमता तक भर गया था ?

2. क्या यह सही है कि पूर्ण भराव के पश्चात मासी बांध से सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में तीन बार पानी पिलाने के पश्चात भी 2-3 फीट पानी बच जाता है ?

3. वर्ष 1984 में काश्तकारों को क्या तीन पिलाई पानी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो कितने रकबे को कितनी बार दिया गया ? कृपया सूची सदन की पटल पर रखें ।

4. क्या यह सही है कि पिलाने के दौरान बांध की नहर कई बार टूटती हैं ? पिछले पांच वर्षों में यह नहर कितनी बार एवं कब कब टूटी है एवं इसकी मरम्मत में कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

5. क्या यह भी सही है कि नहर के टूट जाने से बांध की टेल पर काश्तकारों को सिचाई से वंचित रहना पड़ता है ? क्या 15 जनवरी, 1984 के पश्चात टेल पर पानी नहीं गया ?

6 क्या यह सही है कि मांसी आधुनिककरण योजना के अन्तर्गत मांसी नहर को पक्का करने के लिए सीमेंट की कितनी बोरियां व्यय हुई हैं ?

7. क्या तहसील निवाई के मांसी डेम से जो नहरें निकाली गई हैं वे सर्वे के अनुसार ही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

8. क्या सरकार आगे भी मांसी डेम से नहरें निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा किन किन ग्रामों में होकर ?

उत्तर

1. मांसी बांध की उपयोगी भराव क्षमता 1240 एम. सी. एफ. टी. हैं । सन 1984 में यह पूरा भर गया था ।

(सिंचाई मन्त्री)

2. जी नहीं । सिर्फ 1.5 फुट पानी बचता है जो नहर के जरिये नहीं निकल पाता है ।

3. बांध से कुल 8157 एकड जमीन में रबी की फसल को पानी दिया गया जिसमें 1953 एकड में चार पानी, 4747 एकड में तीन व 1457 एकड में दो पानी दिये गये । इसके अतिरिक्त 279 एकड में खरीफ में पानी दिया गया ।

4. जी नहीं । पिछले पांच वर्षों में पिलाई के दौरान नहर कभी भी नहीं टूटी है । मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

5. जी नहीं, नहर व माईनरों की टेल पर पानी 27-2-85 तक गया है । परन्तु टेल पर पानी की कमी ऊपर के काश्तकारों के अधिक पानी लेने के कारण रहती है ।

6. जी हां । नहर के पक्का करने में जून, '85 तक 89986 सीमेन्ट की बोरियों का उपयोग हो चुका है ।

चूरू की ऊन मिल के व्यवस्थापक

901. **श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी):- क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित चूरू की ऊन मिल में व्यवस्थापक के पद पर जिस व्यक्ति को लगाया गया है वह मध्यप्रदेश के एक निगम में भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गये अधिकारी हैं ?

2. उक्त व्यवस्थापक की योग्यता क्या है और उन्हें निगम की सेवा में लिये जाने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

3 क्या उन्हें निगम की सेवा में लिये जाने और उक्त पद पर नियुक्त किये जाने के पूर्व इस बात की जानकारी थी कि उन्हें पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मध्यप्रदेश में एक निगम की सेवा से पृथक् किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त अधिकारी ने यह तथ्य निगम से छिपाया है ? निगम की सेवा में नियुक्ति से पूर्व जो आवेदन-पत्र निगम में प्रस्तुत किया गया था उसकी प्रति तथा निगम के आदेशों की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें ।

4. क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में दैनिक न्याय दिनांक 17 जून, 1985 में भी कोई समाचार प्रकाशित हुआ है ? यदि हां, तो क्या निगम ने खण्डन स्वरूप कोई विज्ञप्ति जारी की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. जी नहीं ।

2. उक्त व्यवस्थापक की योग्यता प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण-बी. ई. टेक्सटाईल (टेक्नीकल) है ।

निगम के सेवा नियमों के नियम 6 (3) (सी) के अन्तर्गत उक्त व्यवस्थापक की नियुक्ति की गई । इस हेतु उनसे प्राप्त आवेदन पत्र पर उनकी योग्यता एवं अनुभव के आंकलन हेतु निगम के प्रबन्ध निदेशक, महा प्रबन्धक (कार्मिक), उप-महा प्रबन्धक

(उद्योग मन्त्री)

(वित्त), उप महा प्रबन्धक (उत्पादन) ने उनका साक्षात्कार लिया तथा उन्हें निगम के चूरू मिल के लिये योग्य पाया। अत: कोन्ट्रेक्ट बेसिस पर एक साल की अवधि के लिये नियुक्त किया गया।

3. जी नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप तथा सेवा से पृथक् किये जाने का आरोप उन पर मध्यप्रदेश स्टेट टैक्सटाईल कारपोरेशन ने लगाया ही नहीं। अत: निगम की जानकारी में इस बात का आना अथवा उक्त अधिकारी द्वारा इसे छुपाये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आवेदन पत्र दिनांक 2-7-84 तथा निगम के नियुक्ति पत्र दिनांक 16-7-84 की प्रति संलग्न है।

(4) दैनिक न्याय दिनांक 17-6-85 में इस सम्बन्ध में प्रकाशित किसी समाचार की जानकारी नहीं है।

(प्रतिलिपियों के लिये कृपया परिशिष्ट 31 देखें)

राजस्थान हाउस, दिल्ली के भूतपूर्व मैनेजर

902. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत)– **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी):–क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि विधान सभा प्रांगण में शिकायतें करने पर सरकार द्वारा माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि राजस्थान हाउस में तब कार्यरत मैनेजर, श्री माथुर को वहां से हटा दिया जायेगा ?

2. यदि हां तो यह आश्वासन कब दिया गया और मैनेजर का वहां से स्थानान्तरण जोधपुर हाउस में नया पद सृजित करके कब किया गया ?

उत्तर

1. जी हां।

2. आश्वासन दिनांक 10-9-1982 को दिया गया था। स्थानान्तरण दिनांक 15-2-1983 को किया गया था जिसके लिए नया पद सृजित नहीं किया गया था।

सिरोही जिले के बांधों का निर्माण

903. **श्री रामलाल सोलंकी** (सिरोही):– क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सिरोही जिले के फासरिया, कमेरी तथा तलेटा लघु बांध योजनाओं को सातवीं योजना में रखा गया है ? यदि हां, तो कब तक इनका निर्माण कार्य पूरा हो जावेगा और उससे कितने-कितने बीघा भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ?

उत्तर

जी नहीं। परन्तु फांसरिया व कामेरी को लघु सिंचाई मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया है और वर्तमान में दोनों कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे हैं। इन दोनों योजनाओं के पूर्ण होने पर क्रमश: 208 व 590 हैक्टर कुल क्षेत्र 798 हैक्टर (3184 बीघा) भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

स्थगित प्रश्न

(17 जुलाई, 1985)

बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर में हथियारों के लाइसेन्स

417. **श्री प्रभूलाल (नैनवा),**
श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर जिलों में 1 अप्रैल, 1980 से लेकर अब तक कैसे कैसे हथियारों का किन-किन व्यक्तियों को कब-कब लाइसेन्स दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(दिनांक 18 जुलाई, 1985)

गजनेर में वृक्षों की अनधिकृत कटाई

497. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि बीकानेर जिलान्तर्गत ग्राम गजनेर की रोही में तीतरों के बाड़े से अनधिकृत पेड़ काटने की एफ. आई. आर. नम्बर 8 दिनांक 25-2-1982 तहसीलदार कोलायत द्वारा थाना पुलिस गजनेर में दर्ज करवाई गई ? यदि हां, तो इस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया एफ. आई. आर. की प्रति व की गई कार्यवाही का विवरण व निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रखें ।

2. क्या यह सही है कि महानिरीक्षक, पुलिस द्वारा उक्त मुकदमें में मुल्जिमान के खिलाफ अदालत में स्थानीय पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान करने के बावजूद पुनः उक्त फाइल अपने पास मंगवाली ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

3. क्या यह सही है कि उक्त तीतरों के बाड़े में अनधिकृत रूप से 9000 पेड़ काटे गए हैं, जबकि मात्र 1900 मन लकड़ी ही बरामद की गई ? यदि हां, तो उक्त लकड़ी किन-किन व्यक्तियों के यहां से कितनी-कितनी मात्रा में बरामद की गई, तथा वर्तमान में उक्त लकड़ी किसकी सुपुर्दगी में है ? कृपया सुपुर्दगीनामा की प्रति सदन के पटल पर रखें ।

4. क्या यह सही है कि उक्त लकड़ी श्री रामनारायण राठी नामक व्यक्ति के जगमलसर स्थित बाड़े से बरामद की गई है ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को मुलजिम बनाकर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

5. तीतरों के बाड़े से काटे गये पेड़ों की भूमि का स्वामित्व किसका है ? कृपया स्वामित्व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखें ।

6. बजट सत्र 1982 में स्थगन प्रस्ताव पर गृह मंत्री के आश्वासन के बावजूद चालान प्रस्तुत नहीं करने का क्या कारण हैं ? वर्तमान में उक्त मुकदमें की क्या स्थिति है ?

उत्तर

1. जी हां । अभियोग दर्ज कर अनु-

(गृह मंत्री)

संधान सी. आई. डी. (क्राइम ब्रांच) द्वारा किया जाने के उपरांत दिनांक 26-2-83 को फाइनल रिपोर्ट (अदम वकुवा) दी गई जो अभी अदालत में पेन्डिग है। एफ. आई. आर. की प्रति एवं एफ. आर. की प्रति संलग्न है।

2. रामनारायण राठी, अध्यक्ष चेरीटीबल ट्रस्ट द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को परिवाद प्रस्तुत कर स्थानीय पुलिस द्वारा वास्तविकता के विपरीत कार्यवाही कर निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध गलत कार्यवाही करने के आरोप लगाये जाने पर न्याय की दृष्टि से निष्पक्ष अनुसंधान कराने हेतु अभियोग का अनुसंधान अपराध शाखा द्वारा किये जाने के आदेश महानिरीक्षक द्वारा दिये गये थे।

3. जी नहीं। पुलिस ने कुल 1750 मन लकड़िया बरामद की, जिनमें से 1500 मन लकड़िया हरिकिशन राठी के बाड़े से एवं 250 मन लकड़ियां तीतरों के बाड़े से बरामदगी गई थी। पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद ये लकडिया किसी को सुपुर्दगीनामे पर नहीं दी गई। अतः सुपुर्दगीनामा की प्रति पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

4. जी नहीं। प्रश्न पैदा नहीं होता।

5. राजस्व रेकार्ड के अनुसार भू-स्वामी का नाम महाराजकुमार श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री करणीसिंह है। जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न है।

6 अनुसंधान से चोरी का आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण चालान प्रस्तुत करना न्यायोचित नहीं था। वर्तमान में अभियोग की पत्रावली अन्तिम रिपोर्ट के अवलोकनार्थ अदालत में विचाराधीन है।

(प्रतिलिपियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(दिनांक 22 जुलाई, 1985)

तालाबों से भूमि की सिंचाई

583. **श्री हरिमोहन शर्मा** (बूंदी): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. बूंदी जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में कुल कितने ऐसे तालाब पंचायत एवं पंचायत समितियों को दे रखे हैं, जिससे 50 एकड़ भूमि सिंचित होती है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

2. क्या उक्त तालाबों के रख रखाव हेतु राज्य सरकार ने पंचायत समितियों एवं पंचायतों को राशि आवंटित की है? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

उत्तर

1. पंचायत समिति, केशोरायपाटन के अधीन निम्न ऐसे 6 ऐसे तालाब हैं, जिसमें 50 एकड़ तक भूमि सिंचित होती है:—

1. अचला तालाब
2. बड़ा तालाब
3. घटला तालाब
4. राठोडिया तालाब
5. चाचोलिया तालाब

(पंचायत राज मंत्री)

6. गुथा तालाब

अन्य पंचायत समितियों के अधीन तालावों से सिचाई नहीं होती है एवं इनसे केवल पशुओं के पीने के लिए पानी प्रयोग में आता है।

2. जी नहीं। केवल राठोडिया तालाव की मरम्मत हेतु वर्ष 1982 में अकाल सहायता मद से 17258.50 व्यय किये गये हैं।

(दिनांक 22 जुलाई, 1985)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कार्यरत मजदूरों को भुगतान

589. **श्री नारायण राम बेड़ा** (मोपालगढ़) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में मार्च, 1985 से जून, 1985 तक कितने मजदूर लगाये गये ?

2. जो मजदूर लगाये गये थे उन सभी का भुगतान हो चुका है या नहीं ?

3. कितने मजदूरों का भुगतान बकाया है ?

4. इन मजदूरों को कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

5. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में वर्ष 1983 से 1985 तक ऐसे कितने मिट्टी के कार्य हुए हैं जिनका दो बार नाप लिया गया है, और पहले वाले नाप से बाद वाला नाप कम हुआ है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

6. क्या पूर्व में भी इस प्रकार के मिट्टी के कार्यों का दो बार नाप हुआ था, या नहीं ? यदि नहीं, तो इसी वर्ष में यह दुबारा नाप क्यों लिया गया ?

7. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से जैसलमेर जिले में कितना क्यूसेक्स पानी आ रहा है ? उसमें कितने एकड़ जमीन सिचाई की जा रही है ?

8. सिचाई के अलावा जो पानी बचता है, तो उसका कहां उपयोग लिया जा रहा है।

उत्तर

1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कार्यों में मार्च 1985 से जून, तक लगाये गये मजदूरों की औसत संख्या 31,232 थी।

2. जी, नहीं।

3. 93 मजदूरों के भुगतान बकाया हैं।

4. बकाया भुगतान वाले मजदूरों में से विभिन्न कार्यों पर उपलब्ध मजदूरों को इसी माह में भुगतान कर दिया जावेगा। एवं जो मजदूर स्वेच्छा से छोड़कर चले गये हैं या उपस्थित नहीं हैं, उनको उनकी उपस्थित होने पर भुगतान दिया जा सकेगा।

5. परियोजना पर 48 ऐसे कार्य हैं जिनका दो वार नाप लिया गया है। (सूची संलग्न है।)

6. ठेकेदार जो कार्य अधूरे छोड देते हैं

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

उन्हें पूरा करवाने हेतु पूर्व में भी पुन: निविदायें आमंत्रित की जाती रही हैं। नए ठेकेदारों को आवेदन से पूर्व अधूरे छोड़े गए कार्यों का पुन: नाप देना व तदनुसार नये ठेकेदारों को निशान देना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में कार्यों के हमेशा दो बार नाप लिये जाते रहे हैं।

7. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की बुर्जी 1080 के बाद जैसलमेर जिले का क्षेत्र जाता है। उसमें आवश्यकतानुसार 200 से 400 क्यूसेक्स पानी चलता है।

8. जिससे पेय जल व निमाण कार्यों को प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् 2152 एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 32 देखें)

(दिनांक 22 जुलाई, 1985)

रामलीला मैदान, जयपुर में गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी

602. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विगत 3 वर्षों में जयपुर के रामलीला मैदान में गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी व राजस्थान विकास प्रदर्शनी में सरकारी स्टालें लगाने से क्या लाभ हुआ तथा गत 3 वर्षों में अब तक विभिन्न विभागों की स्टालों पर कितनी राशि व्यय हुई ?

उत्तर

विगत 3 वर्षों में रामलीला मैदान में आयोजित गणतंत्र मेला प्रदर्शनी एवं राजस्थान विकास मेला प्रदर्शनी में लगाये गये विभिन्न विभागों के मण्डल द्वारा राज्य की विकास योजनाओं, आर्थिक उत्थान व सामाजिक बदलाव के कार्यक्रमों की जानकारी जन साधारण को उपलब्ध कराई गई। इन प्रदर्शनियों में जिन विभागों ने भाग लिया तथा जो व्यय हुआ इसकी सूची संलग्न कर प्रेषित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 33 देखें)

(दिनांक 25 जुलाई, 1985)

पंचायत धरियावाद की भूमि पर अवैध कब्जे

768. **श्री कमला भाई मीणा** (लसाडिया) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. धरियावद पंचायत हल्का आबादी भूमि पर कितने लोगों ने नाजायज कब्जे किये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

2. क्या आबादी भूमि पर कब्जा किया है, उन लोगों के खिलाफ पंचायत ने कार्यवाही की है यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है और कब ?

उत्तर

1. पंचायत समिति, धारियावद की ग्राम पंचायत, धरियावद का हल्का आबादी भूमि पर 84 व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा किया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

2. यह सही है कि आबादी भूमि पर उन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है जिस

(पंचायत राज्य मंत्री)

पर ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायत अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की है। दिनांकवार सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 34 देखें)

विशेषाधिकार हनन प्रश्न
आय-व्ययक में व मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों में अन्तर

श्री मानिक चन्द सुराणा (लूणकरणसर) : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध आपको दो दिन पहले....

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको एग्जामिन करा लिया। वह तो विषय भी हो चुका है। वह प्रश्न ही खत्म हुआ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : वह प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन....

श्री अध्यक्ष : मैंने वह नहीं माना। अस्वीकार किया है उसे। मैंने अस्वीकार किया है उसे। आपको सूचना मिलेगी उसकी।

श्री मानिक चन्द सुराणा : आपने यदि अस्वीकार उसको किया तो मुझे तो कोई सूचना इसकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आज मैंने अस्वीकार किया है। आपको सूचना मिलेगी उसकी। उसके बाद कोई बात हो तो आप बता सकते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराणा : यदि आपने अस्वीकार किया है तो मुझे आप मेरा पक्ष रखने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : मैं देऊंगा। सूचना देऊंगा, साहब। आपको सूचना मिल जायगी। जिसकी मैंने व्यवस्था दे दी उसके बारे में आप चर्चा करना चाहें तो मुझसे चर्चा कर लें उसके बाद कोई बात होगी तो देखेंगे। I will see to it, please. कृपया बैठें।

श्री मानिक चन्द सुराणा : आप इस विषय की गंभीरता को देखें....

श्री अध्यक्ष : मैंने उस विषय की गंभीरता को...

श्री मानिक चन्द सुराणा : बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा उसके विपरीत उन्होंने लैण्ड टैक्स बिल में चार गुणा टैक्स के....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसके ऊपर यहां पर चर्चा भी हो चुकी है।

श्री मानिक चन्द सुराणा : चर्चा नहीं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मानिक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव के बाद में राज्य सरकार....

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : उसमें संशोधन भी हो चुका है और वह पारित भी हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसकी इजाजत नहीं दी ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : यदि संशोधन राज्य सरकार मेरे ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन के बाद लाई है तो उसके लिये राज्य सरकार को स्पष्ट तौर पर माफी मांगनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : उस वक्त बता दिया था वह तो । गलती हुई है यह तो प्रकट कर दिया था । उसके बाद अमेंडमेंट आया है । माननीय सदस्य, कृपया ..

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : इन्होंने यह कहा था...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था मैंने दे दी । उस बारे में अगर कोई बात करना चाहें तो कर लें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : उस दिन मंत्री महोदया ने कहा था, जब इन्होंने यह कहा कि आप नहीं समझेंगे । हमने कहा किस मुद्दे के बारे में आप कह रही हैं, माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि आप नहीं समझेंगे । उसके बाद एक घंटे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री मोहन प्रकाश : इसलिये आप ऐसा न कहें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : कोई मुद्दे की मिस्टेक नहीं है । हिन्दी के अन्दर एक बीच में मात्रा लगने से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है बाकी कोई मिस्टेक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इसे विवाद का विषय न बनायें । कृपया बैठें आप । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : वह प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैंने आपसे कहा मैं व्यवस्था दे चुका हूं । आप इस व्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा करना....

(व्यवधान)

कृपया बैठें । श्री मोहन प्रकाश बैठे आप ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, बैठें ।

आप कृपया बैठें । आर्डर प्लीज माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, आपकी इस व्यवस्था की सूचना मिलने पर फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। बैठें कृपया। माननीय सदस्य, बैठें। श्री मोहनप्रकाश, आप बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : इसमें प्रिन्टिग मिस्टेक नहीं हैं। इसको अपने आप ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य. आप बैठें कृपया। बैठें। आर्डर प्लीज।

मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ..

श्री अध्यक्ष : पहले आप अनुमति लें, अनुमति से आगे नहीं बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो ले रहा हूं। अनुमति से....

श्री अध्यक्ष : आप तो अनुमति से आगे बोल रहे हैं। अनुमति से कहने का मतलब तो यह है कि You are starting something.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि मैं राज्य मंत्री परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मुझे मंत्री परिषद् के विरुद्ध माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, माननीय श्री नाथूराम मिर्धा, माननीय श्री प्रोफेसर केदारनाथ और श्री शोपतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से अविश्वास प्रस्ताव, "यह सदन मंत्री परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है" मुझे मिला है। सदन की मुझे उस पर अनुमति लेनी होगी। सदन ही उसकी अनुमति देता है। मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत हों वे कृपया खड़े हो जायं।

(माननीय सदस्य खड़े हुए)

एक माननीय सदस्य : मोदी जी खड़े हो जाओ।

श्री अध्यक्ष : चालीस से ज्यादा जो वन फिफ्थ इसमें होना चाहिए, चालीस से ज्यादा माननीय सदस्य इसकी स्वीकृति के लिए सहमत हैं तो मैं सदन की स्वीकृति प्रदान करता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज ही इसको विचारार्थ ले लिया जाय और इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी जाय। अभी तुरन्त इसको ले लें। आगे भी 3 अप्रैल, 1981 को तत्कालीन सरकार के खिलाफ जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो अध्यक्ष महोदय जी ने यह व्यवस्था दी थी कि उसको सभी विषयों को स्थगित करके ..

श्री अध्यक्ष : नहीं, अगर सरकार चाहती है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और हम फेस करने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, इस प्रस्ताव को प्रारम्भ किया जाता है। मैं....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : हमें थोड़ा समय दीजिए, तैयारी करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव आपकी तरफ से आया है, राज्य सरकार उस चैलेन्ज को स्वीकार करके उस पर तत्काल बहस करना चाहती है तो उसमें विलम्ब करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि इसको तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाय और मैं इसके लिए दो घण्टा बहस के लिए....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। तीन घण्टा इसकी बहस के लिए -

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन का टाइम तय किया जाय।

श्री अध्यक्ष : साढ़े तीन बजे इस पर सरकार का जवाब होगा।

(व्यवधान)

आपने खुद ने कहा अभी। आप तीन घण्टा बता रहे हैं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठें।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : मेरा निवेदन है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन को पूरी तरह सुना जाय, पूरा विचार हो। उसमें कम से कम तीन दिन का समय देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं इसमें तीन घण्टे का समय निश्चित करता हूं। साढ़े तीन बजे सरकार का इस पर जवाब होगा।

(व्यवधान)

बहस प्रारम्भ की जाय।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमण्डी) : तीन घण्टे में तो पूरी बात ही नहीं कह पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बहस प्रारम्भ करें।

(व्यवधान)

तीन घण्टे बहुत हैं। तीन घण्टे बहस चले, इसको बहुत पर्याप्त मानता हूं। साढ़े तीन बजे सरकार का जवाब होगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। श्री भैरोंसिंह जी, प्रारम्भ करें, कृपया प्रारम्भ करें।

(व्यवधान)

आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। सदन के नेता कुछ कह रहे हैं। कृपया बैठें।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने जो तीन घण्टे निर्धारित किये हैं उसमें भी विभाजन कर दें ताकि उसका, समय का पालन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा, साढ़े तीन बजे तीन घण्टे बहस के लिए दिए हैं, साढ़े तीन बजे सरकार का जवाब होगा। यह मैंने स्पष्ट कहा है।

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य। माननीय भैरोंसिंह जी, आप बहस प्रारम्भ करें। आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा तात्पर्य यह था कि विरोध पक्ष में और कांग्रेस पक्ष के बीच समय निर्धारित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन के सभी सदस्यों का हक है। अपनी अपनी बात कहेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मुझे आज इस अविश्वास के प्रस्ताव के बाद आज का बिजनस समाप्त करना है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

बहस प्रारम्भ करें, कृपया। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप तीन घण्टे में से भी ले रहे हैं। आप समय तीन घन्टे में से समय ले रहे हैं। मैंने साढ़े बारह बजे कहा है, यह समय भी आप ले रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव के कारण आज की कार्यसूची में लिए जाने वाले काम को आपने स्थगित कर दिया। फिर समय रहता है पांच बजे तक का।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर समय रहेगा उसके बाद तो कार्य सूची ली जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, "यह सदन मन्त्री परिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है" इस सम्बन्ध का प्रस्ताव विपक्ष की ओर से इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव कोई औपचारिकता के लिए पेश नहीं किया है और ना ही इस प्रस्ताव के जरिये हम कोई आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बना कर इस विषय की गम्भीरता समाप्त करना चाहते हैं। यह प्रश्न राजस्थान की जनता की मौत और जिंदगी का प्रश्न की और उसी गम्भीरता के आधार पर हमने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24.7.85 को प्रधानमन्त्री एवं अकाली दल के नेता के बीच जो समझौता हुआ और उस समझौते में राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होने की जो स्थिति बनी है उसी प्रश्न को लेकर राजस्थान में और सदन के माननीय सदस्यों में बड़ी चिंता है। हम, अध्यक्ष महोदय, नहीं चाहते कि इस प्रश्न के ऊपर सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच में किसी प्रकार का विभाजन हो। यह राजस्थान की आम जनता की बहबूदी का मसला है, हम इसको राजनीतिक परिपेक्ष में नहीं लेना चाहते। हम यह चाहते थे कि यह पूरा सदन जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शामिल हैं, मिलकर गम्भीरता से इस प्रकार का रास्ता निकालें जिस रास्ते के कारण हमारे हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो सके। अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख का समझौता होने के बाद 25 तारीख को जब इसी प्रश्न पर सदन में चर्चा हुई, मुख्य मन्त्रीजी ने अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए एक आश्वासन दिया था कि वह दिल्ली जाकर प्रधानमन्त्री से बात करेंगे और उनसे इस बात का आश्वासन प्राप्त करेंगे कि राजस्थान के हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो। मुख्य मन्त्रीजी दूसरे दिन आये और यह कह कर वक्तव्य दिया कि प्रधानमन्त्री की बातचीत के बाद मैं आश्वस्त हूं कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात नहीं होगा। विपक्ष की ओर से मुख्यमन्त्री से यह चाहा गया कि मुख्य मन्त्री स्पष्ट शब्दों में इस बात की घोषणा करें कि प्रधानमन्त्री ने उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि 1955 और 1981 के समझौते री-ओपन नहीं होंगे और राजस्थान को समझौते के आधार पर मिलने वाले 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, जिस चीज को मुख्य मन्त्रीजी ने अनावश्यक समझा है इस समझौते की धारा 9 के खण्ड [1] में जो राजस्थान को 1.7.85 के आधार पर पानी दिये जाने की गारण्टी दी गई है इसमें राजस्थान को क्यों नही शामिल किया गया, मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं इसको अनावश्यक माना है। हमारा यह संदेह है कि जिस अनावश्यक बात को शामिल नहीं किया गया है वह केवल अनावश्यक रूप में ही शामिल नहीं की गई है उसके पीछे एक कारण है कि 9.1 और 9.2 को अगर साथ पढ़ें तो यह इनफरेंस निकलता है कि जिस ट्रिब्यूनल को मामला रैफर किया जायगा उस ट्रिब्यूनल के हाथ नहीं बांधे जा सकते, ट्रिब्यूनल स्वतन्त्र होगा कि 1955 और 1981, इन दोनों समझौतों के ऊपर भी विचार करें। इसी आधार पर जब हमने मुख्य मन्त्रीजी से स्पष्ट आश्वासन चाहा सदन में तो वे यह कहते रहे कि प्रधान मन्त्री जी की बातचीत के बाद मैं आश्वस्त हूं, प्रधानमन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि राजस्थान के हितों को देखा जायेगा और मुख्यमन्त्री जी ने कहा कि राजस्थान के हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इन दो बातों को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता और कम से कम आज की स्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकता कि 1955 और 1981 के एग्रीमेंट नहीं खुलेंगे या उन पर पुनर्विचार नहीं होगा। कल सायंकाल रेडियो पर समाचार सुना जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 1955 का भी नाम लिया, 1955 का समझौता नहीं खुलेगा और सारा सारांश कुछ इस प्रकार निकल रहा था कि जैसे मुख्यमन्त्री जी को प्रधान मन्त्री ने आश्वस्त किया प्रधान मन्त्री का आश्वासन हो कि 1955 और 1981 का एग्रीमेंट नहीं खुलेगा तो हम नहीं चाहते थे कि इस सारे इस एक प्रकार के विवाद को आगे बढ़ाया जाए और हम सब मिलकर इस बात की चेष्टा करें कि 1955 और 1981 के एग्रीमेंट नहीं खुले। मुख्यमन्त्री जी से हमने बात करने की चेष्टा की, बात नहीं हो सकी। आज प्रातःकाल यहां आने पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुख्य मन्त्रीजी से फिर स्पष्टीकरण कराना चाहा लेकिन दुर्भाग्य से जो स्पष्टीकरण हम चाहते थे, जो राजस्थान के हित में है, जो 1955 और 1981 के समझौते के अनुकूल है वह मुख्य मन्त्रीजी स्पष्ट रूप से आश्वासन नहीं दे सके और उसी के परिणामस्वरूप यह हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय, आप यह जानते हैं कि राजस्थान का विकास दो चीजों पर निर्भर है एक बिजली और एक पानी। अगर बिजली और पानी का हम प्रबन्ध नहीं कर सके तो राजस्थान का विकास नहीं होगा। आज यह कह कर हम सन्तोष नहीं कर सकते कि राजस्थान का भूगोल ही इस प्रकार का है। हम यह कह कर नहीं चल सकते कि राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार की है जिसके आधार के ऊपर हम राजस्थान का विकास करने में अन्य राज्यों से पीछे रह गये। यह बात तो वे लोग करेंगे जो कुछ कर नहीं सकते, जिनको कुछ करना नहीं है वह भूगोल की आड़ लेगा, जिसको कुछ करना नहीं है वह इतिहास की आड़ लेगा जिसको कुछ करना नहीं है वह पुरानी परम्पराओं की आड़ लेगा। और जिसको करना है वह भूगोल भी दूसरी बना देगा इतिहास भी नया लिख देगा और राजस्थान में परम्पराएं भी दूसरी डाल देगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार की स्थिति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के सामने सबसे बड़ी समस्या है बिजली की और उसके साथ ही समस्या है पानी की। राजस्थान सरकार के स्वयं के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 1149 मेगावाट बिजली की कमी रहने वाली है। उसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, हम जहां तक अपने खेती की सिन्चाई करने की व्यवस्था कर पायेंगे उस व्यवस्था के आधार पर भी राजस्थान आल इण्डिया एवरेज से और अन्य राज्यों की तुलना में बहुत नीचे रहेगा। अन्य राज्यों की तुलना में तो हमारा 18वां नम्बर रहेगा और आल इण्डिया एवरेज से बहुत नीचे रहेंगे। इसका मतलब है, न सिंचाई का प्रबन्ध होगा और न बिजली का प्रबन्ध होगा और राजस्थान का विकास जिस प्रकार का हम चाहते हैं उस प्रकार का विकास नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, यह भी आप जानते हैं कि बिजली के लिए हाइडल पावर सस्ती होती है, थर्मल पावर कोस्टली होती है और उस थर्मल पावर के साथ राजस्थान में एटामिक पावर प्लान्ट लगा, वह भी दुर्भाग्य से हमारे लिए एक सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है, वहां से उत्पादित बिजली की भी कीमत ज्यादा हो रही है और इस कारण राजस्थान में, राजस्थान की आम जनता की जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है उस स्थिति में हम कितनी हाइडल पावर राजस्थान के हिस्से के लिए जनरेट करवा सकते हैं उससे राजस्थान का विकास निश्चित रूप से होगा। आज ये दोनों ही प्रश्न हमारे सामने बड़े बुनियादी प्रश्न हैं। और अब 1981 का समझौता किया अब इस समझौते की भूमिका में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। समझौते की भूमिका में अकाली दल और सरकार के बीच में आपस में क्या समझौता हुआ, आपस में क्या अण्डरस्टेंडिंग है लेकिन यह निश्चित बात है कि राजस्थान को उसमें जान-बूझकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इम्प्लीकेट किया गया है। कोई यह समझे कि अनजाने रूप में इम्प्लीकेट किया गया है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। जान-बूझकर इम्प्लीकेट किया गया और इसलिये इम्प्लीकेट किया गया, अध्यक्ष महोदय, मैं पहले सदन में कह चुका कि 1983 में जो ट्री पार्टाइट कान्फ्रेन्स हुई, सबके बीच में जो समझौता हुआ वह समझौता केवल इसी आधार पर टूटा था कि 1955 का एग्रीमेन्ट रि-ओपन किया जाय, सरकार भी पक्ष में नही थी, विपक्ष भी इसके पक्ष में नहीं था और हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकार भी इसके पक्ष में नहीं थी कि 1955 का एग्रीमेन्ट रि-ऑपन किया जाय। इसी बात पर बात टूटी और बात टूटने के बाद अकाली दल अपना आन्दोलन करता रहा। उस आन्दोलन में कितनी हत्याएं हुई, मैं उनकी गिनती नहीं कराना चाहता। लेकिन भारत सरकार ने जो ह्वाइट पेपर पेश किया है उस ह्वाइट पेपर में, यदि आप अच्छी तरह से देखेंगे तो, भारत सरकार ने कहा है कि हम हत्या की राजनीति के आगे घुटने टेकना नहीं चाहते। दुर्भाग्य से हमारे देश की प्रधान मन्त्रीजी इसी आन्दोलन के, इसी एक झगड़े के कारण से उनकी मृत्यु हुई, हमने देश की प्रधान मन्त्री को खोया और भारत के लोकतन्त्र पर अपना कलंक लगवाया। आज हमने समझौता किया और समझौते के कारण आज हम केवल वही स्थिति लाना चाहें जो 1983 में भारत सरकार ने मना कर दिया था, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान की राज्य सरकारों ने मना कर दिया था, वही समझौते में अकाली दल अपनी बात रखने के लिए नहीं, अकाली दल वास्तव में कुछ लेने के लिए उस समझौते में 1955 और 1981 के समझौते को छद्म वेष में उसे खुलवाने की स्थिति पैदा कर दे, राजस्थान की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समझौता कोई आज यह कहे कि पंजाब हम पर दया कर रहा है या भारत सरकार हम पर दया कर रही है और दया कर रही है इसलिये रावी, ब्यास और सतलज का पानी राजस्थान को मिल रहा है। मैं समझता हूं, यह दया का कोई कारण नहीं है, यह हम पर कोई दया नहीं कर रहे हैं। हमारे स्वयं के इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट है यदि, अध्यक्ष महोदय, उसको उठा कर देखें तो एक बात स्पष्ट हो जायेगी कि नदियों के पानी में इन समझौतों के अतिरिक्त हमारा हिस्सा है। आज कोई यह मान कर चले कि यह समझौते के कारण से हमें पानी मिला है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। हमारा हक है पानी का और हक है इसलिए पानी का समझौता हुआ है। और यह हक कैसे है, मैं एक निवेदन कर दूं कि आज जितने भी इन्टरनेशनल लॉ हैं उन लॉ में उन राज्यों को, उन क्षेत्रों का हक बनता है जो उस नदी के बेसिन में आते हैं। इरिगेशन कमीशन ने चैप्टर-15 में इस बात को स्वीकार किया है और स्वीकार केवल इरिगेशन कमीशन की मान्यता नहीं है अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितने भी नदी पानी के विवाद खड़े हुए हैं उसमें बेसिन के क्वेश्चन को महत्वपूर्ण माना है और जो बेसिन में स्टेट्स आते हैं, बेसिन में जो क्षेत्र आता है उनका अपने आप में हक बनता है, उस हक को कोई समाप्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं कर सकता। मैं इसी में से पैरा 15.2 उसको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा ताकि किसी के दिल में, मन में यह भ्रान्ति नहीं रह जाय कि इस समझौते के कारण से हमारा हक बना है, पहले हमारा कोई हक नहीं था। इसमें लिखा है—

'The major rivers of this country are almost all inter-state rivers. In the North-West is the Indus basin, which includes parts of India and Pakistan. In India, it includes Kashmir, Punjab, parts of Himachal Pradesh, Haryana and Rajasthan."

इस इन्डस बेसिन में है और बेसिन में होने के कारण से हमारा हक बना। यह हक कोई इस 55 के एग्रीमेन्ट से नहीं है, हम हकदार हैं, आरम्भ से हकदार हैं और हकदार होने के नाते 1955 में केवल पानी का बंटवारा हुआ है। हक को निर्धारित करने की बात नहीं है। जो इन तीन नदियों का पानी है उस पानी का बंटवारा हुआ है और, अध्यक्ष महोदय, जब पानी का बंटवारा हुआ और पानी के बंटवारे में फिर एक बात और तय कर दी कि इन्टर स्टेट रिवर कौन सी है जो बेसिन में आती है लेकिन "An Inter-state river is one which flows through more than one State or which forms the boundry between two or more States. In questions relating to the sharing of the utilisation of the water of Inter-State rivers, the concept of river valley or river basin which embraces the main river and all the distributories and includes the catchment of the main river and its' tributories has to be borne in mind."

इसका स्पष्ट मतलब है कि हम यह 1955 के समझौते के कारण से ही रावी-व्यास नदियों के पानी के हकदार नहीं बने हैं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज तक नदी पानी के सम्बन्ध में जो भी निर्णय हुए हैं और जिसमें बेसिन में आने वाली नदियां और बेसिन में आने वाले क्षेत्र हकदार माने गये हैं हम उस आधार पर इस पानी के हकदार हैं। कोई 1955 के समझौते में केवल हमारी हकदारी निर्धारित नहीं की गयी है कि इस पानी में राजस्थान का कितना हिस्सा है, पंजाब का कितना हिस्सा है। अब, अध्यक्ष महोदय, 1955 में एग्रीमेन्ट हुआ, उस एग्रीमेन्ट के बाद 1966 में इन्टरनेशनल ट्रीटी हुई, भारत की ओर से इस ट्रीटी के ऊपर स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू के दस्तख्त हैं और पाकिस्तान की ओर से उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अयूब खां के हस्ताक्षर हैं। यह समझौता जिस समय हुआ उस समझौते के बैक ग्राउण्ड में आखिर हिन्दुस्तान को इन तीन नदियों का पानी मिला। तो अयूब खां की कृपा से पानी नहीं मिला। यह हमारा एक हक था उस हक के कारण से हमको यह पानी मिला और पानी मिलने में जो हक के लिए हमने अपना बेस बनाया, जो वर्ल्ड बैंक के सामने अपना केस रखा, पहले हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वर्षो तक इन पांच नदियों के बंटवारे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का मामला चलता रहा, कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ तो वर्ल्ड बैंक को हमने मध्यस्थ बनाया और उसकी मध्यस्थता के अन्दर जब यह मामला निर्णय हुआ तो आप सबको यह जानकारी होगी कि उस निर्णय के पहले स्वयं पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू ने जो वर्ल्ड बैंक को चिट्ठियां लिखीं, इन चिट्ठियों में सबसे ज्यादा स्ट्रैस इस बात पर डाला गया था कि राजस्थान के एरिड जोन्स को यदि पानी देकर उनको आबाद नहीं किया गया तो बड़ी मुश्किल होगी और हमें इन एरिड जोन्स को सिंचित करने के लिए पानी चाहिए। इस दलील को वर्ल्ड बैंक ने स्वीकार किया और रावी, ब्यास और सतलज ये तीन नदियां हिन्दुस्तान के हिस्से में रहीं और चिनाब, झेलम और सिंध ये तीन नदियां पाकिस्तान के हिस्से में चली गयीं। यहां भी राजस्थान के एरिड जोन इन नदियों को भारत के हक में प्राप्त करने के आधार बने थे। इसलिए कोई यह नहीं समझे कि हम पर किसी तरह की कोई दया कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, 1955 में एग्रीमेन्ट हुआ। इस एग्रीमेन्ट के साथ ही 1955 में स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा और नई-नई स्टेट बनी। कुछ छोटी दूसरी स्टेट में मिल गई, कुछ स्टेट नई बन गयीं और उस समय एक सवाल खड़ा हुआ कि इन स्टेट के अन्दर जो एग्रीमेन्ट्स होंगे उन एग्रीमेन्ट्स की क्या स्थिति रहेगी। मान लीजिए, नदी और पानी के सम्बन्ध में दो राज्यों के बीच में समझौता हो गया, आधे राज्य का बाइफरकेशन हो गया, आधा राज्य दूसरे में चला गया, उस समय यह क्वश्चन आया स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने कि इन नदियों के पानी का बंटवारा किस प्रकार से किया जाय और जो एग्रीमेन्ट्स हो गये उन एग्रीमेन्ट्स का स्टेट्स के रीआर्गेनाइजेशन के बाद में क्या स्टेट्स रहेगा. इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कानून में इस बात की व्याख्या की गयी कि 1956 के पहले जो एग्रीमेन्ट हो गये उन एग्रीमेन्ट्स में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता जब तक कि उस राज्य की राज्य सरकार इस बात की अनुमति नहीं दे। मैं सदन की जानकारी के लिए धारा 108 का उद्धरण देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, स्टेट रीआर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 108 में लिखा है—

"Any agreement or arrangement entered into between the central Government and one or more existing States or between two or more existing States relating to the administration, maintenance and operation of any project executed before the appointed day, the distribution of benefits such as the right to receive and utilise water or electric power to be derived as a result of the execution of such project which was subisting immediately before the appointed day, shall continue in force, subject to such adaptations and modifications, if any, being of a character

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

not affecting the general operation of the agrement or arrangement. as may be agreed upon between the Central Government and the successor State concernend, or between the successor States concernned, as the case may be, by the 1st day of November 1957, or, if no agreement is reached by the said state, as may be made therein by order of the Central Government.

(2) Where a project concerning one or more of the existing States affected by the provisions of para II has been taken in hand but not completed, or has been accepted by the Government of India for inclusion in the Second Five Year Plan before the appointed day, neither the scope of the project nor the provisions relating to its administration, maintenace or operation or to the distribution of benefits to be derived from it shall be varied."

आगे दो इम्पार्टेन्ट है :

"In the case where a single successor State is concerned with the project after the appointed day except with the previous approval of the Central Government and in the case where two or more successor States are concerned with the project after that day except by agreement between these successor States or if no agreement is reached except in such manners as the Central Government may, be order, direct."

मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट शब्दों में इस सदन में कहा है कि 24 जुलाई, 1985 को जो समझौता हुआ उसमें उनकी सहमति नहीं है। उनसे कोई कन्सेण्ट नहीं ली गयी है। यह समझौता उनकी बिना कन्सेण्ट के हुआ है। मुख्य मंत्रीजी ने और कोई बात कही हो या नहीं लेकिन यह बात तो बिलकुल स्पष्ट शब्दों में कही है कि इस समझौते में उनकी कोई सहमति नहीं ली गयी। अब फिर प्रश्न खड़ा होता है, अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार की सहमति नहीं तो भारत सरकार किस अधिकार से हमारे इस समझौते में 1955 के समझौते में जो स्टेट रीआर्गेनाइजेशन एक्ट में प्रोटेक्टेड हैं उस समझौते में किस प्रकार का परिवर्तन कर सकती है ? मैं समझता हूं भारत सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती। और मुझे अध्यक्ष महोदय, यह सन्देह

(12.54 म.प.)

(श्री गिरिजाप्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

है कि भारत सरकार इस स्थिति को देखकर कहीं ऐसा न कर ले कि मुख्य मंत्रीजी से बैक डेट के अन्दर कण्सैण्ट ले लें या उन्होंने अपनी तरफ से फाइल पर लिख दिया हो कि मुख्य मंत्रीजी की कण्सैण्ट आब्टेन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर ली गयी है और मुख्य मंत्रीजी दबाव से इस बात को स्वीकार कर लें कि मैंने मौखिक रूप से कन्सैण्ट दे दी थी, लिखित में कन्सैण्ट नहीं दी थी। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जब तक वह स्टैण्ड लेऊं जो मुख्य मंत्रीजी ने लिया है, मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट रूप से इस सदन में कहा कि मेरी कोई कन्सैण्ट नहीं है तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि भारत सरकार के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को कोई अधिकार नहीं है कि राजस्थान की बिना अनुमति से वह ऐसा कोई समझौता कर लें जो पुराने समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन कर रहा हो। और इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने किया, उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। राज्य सरकार ने, मैं मुख्य मंत्रीजी को कम से कम यह दाद देना चाहता हूं, उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया मेरी बिना कन्सैण्ट के यह समझौता हुआ। इस समझौते में, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, केवल यह इतनी सी बात नहीं है. अब दूसरा एक विवाद आता है, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अकाली दल और प्रधान मंत्री के बीच समझौता होने के पहले न पंजाब सरकार की तरफ से कोई रैफरेंस किया गया था, न हरियाणा सरकार की तरफ से कोई रैफरेंस किया गया. बिना रैफरेंस के प्रधान मंत्री ने समझौता किया है। समझौता किया तो सैण्ट्रल सब्जैक्ट्स पर समझौता करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन राज्यों के मुहायदों में कोई हेरफेर करने के बारे में वह किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक कानून और है, इन्टर स्टेट वाटर डिस्पुट्स एक्ट में, इसमें भारत सरकार को कुछ अधिकार मिलता है। उसमें है—"Section 4 of this Act lays down that when any request under Section 3 is received from the State Gove nment in respect of any Inter-dispute and the Central Government is of the opinion that the water dispute cannot be settled by negotiation, the Central Government shall, by notification in the offcial Gazette, constitute a Water Dispute Tribunal or the adjudication for the water dispute."

इसका अर्थ यह है, अध्यक्ष महोदय, एस.आर.सी. एक्ट में न तो कोई स्टेट ने रैफरेंस किया, न राजस्थान की सरकार ने सहमति दी, बिना सहमति के प्रधान मंत्री ने हमारे इस समझौते को भंग करने के लिए या समझौते में हस्तक्षेप करने के लिए या हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिए 24 जुलाई, 1985 का समझौता किया है। न इन्टर स्टेट रिवर वाटर डिस्पुट एक्ट के मातहत राजस्थान की सरकार ने कोई रैफरैंस किया, न हरियाणा सरकार ने कोई रैफरैंस किया, न पंजाब की सरकार ने कोई रैफरेंस किया और उस एक्ट के मातहत भी कोई ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार भारत सरकार को स्वतन्त्र रूप से नहीं मिलता। वहां भी उन्होंने इसका उल्लंघन किया। अब, अध्यक्ष महोदय, आप ध्यान रखें कि इन्टरनेशनल ट्रीटी 1960,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन्टर स्टेट ट्रीटी 1955, इन्टर स्टेट ट्रीटी 1981 और उसके बाद इन्टर स्टेट रिवर वाटर डिस्पुट एक्ट और एस.आर.सी. एक्ट इन पांचों का वायोलेशन प्रधान मंत्री ने किया है और इन पांचों का वायोलेशन केवल इसलिए किया कि अकालियों को खुश किया जाय, अकालियों के साथ चुनाव लड़ने की भूमिका बनाई जाय और इसकी कॉस्ट को राजस्थान को भुगतान कराया जाय। कोई चिन्ता की बात नहीं कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र किसी प्रकार से विकसित नहीं हों। इस बात की चिन्ता नहीं कि राजस्थान की प्यासी धरती को पानी मिले, राजस्थान की प्यासी जनता को पानी मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान कैनाल केवल एक सिंचाई की कैनाल नहीं है। 1965 के युद्ध के समाचार जिन माननीय सदस्यों ने देखे हैं वे जानते होंगे कि लाहौर के पास जिस जमाने में हमारी सेनायें पहुंच गई इच्छोगल कैनाल के पास पिलर थे और बंकर्स की इतनी संख्या थी कि हमारी सेना को काफी मुठभेड़ लेनी पड़ी। वह इच्छोगल कैनाल केवल इरिगेशन कैनाल नहीं है। वहां पिल बाक्स से हमारे जवानों को मारा। बंकर्स में हमारे जवानों की हत्या की गई, चार दिन तक हमारी फौजें उस कैनाल के कारण आगे नहीं बढ़ सकीं। हम भी चाहते थे, अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की 1500 किलोमीटर की सीमा, जो बिलकुल डेजर्ट में है, उस सीमा में, मैं दोहराना नहीं चाहता, आज वह सारा सीमा का क्षेत्र जासूसों का स्वर्ग बना हुआ है। आज वह सारा सीमा क्षेत्र पाक गुप्तचरों का स्वर्ग बना हुआ है। उसमें किसी प्रकार की कानून और व्यवस्था नहीं है। स्मगलरों का राज है। ऐसी स्थिति में मैं याद दिलाना चाहूंगा इस सदन को, 1965 में जब पाक-भारत का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के काफी मुजाहिम राजस्थान की सीमा में आ गये और सीमा में आकर चौहटन के तले इब्राहिम के तल तक वह पहुंच गये। उधर, अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर की सीमा में रामगढ़ के दरवाजे के ऊपर अपना डंका लगा दिया। आज वह स्थिति में और जब 1971 का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने लोगोंवाला तक टैंक्स की एक बटालियन भेजी। आप अंदाज लगा लें कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्ताक के बीच में यह 1500 किलोमीटर की सीमा किसी प्रकार से गैर अपवाद रही तो पाकिस्तान के प्रवेश करने का यह स्वागत का द्वार होगा। और इस स्वागत द्वार को रोकना है तो हमें राजस्थान कैनाल इस सारी सीमा पर ले जानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल टेल एण्ड तक, मैं समझता हूं, भाटी साहब जानते हैं कि टेल एण्ड तक लगभग इसका निर्माण हो चुका है और वहां से टेल के गडरा रोड तक जायेगी, गडरा से एक लिफ्ट के जरिये पानी बाड़मेर, ले जाने की योजना है। और, अध्यक्ष महोदय, दूसरी दिशा में हम नर्मदा का पानी यदि हमारी योजना के अनुसार ले आये तो बाड़मेर के थोड़े से सीमा क्षेत्र में नर्मदा का पानी पहुंचेगा। मतलब यह है कि 1500 किलोमीटर सीमा की रक्षा के लिए इच्छोगल कैनाल जैसी राजस्थान कैनाल को खड़ा कर देंगे और वह इलाका आबाद हो गया जो आज के दिन गैर आबाद है। पीने के पानी के संकट से वहां आबादी नहीं होती, अन्य विकास के कामों के अभाव में वहां किसी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार की आबादी नहीं होती यदि इस प्रकार की कैनाल का वहां निर्माण हो जाय तो भारत सरकार को सीमा सुरक्षा की दृष्टि से भी चैन मिलेगा। पाकिस्तान के स्मगलर तो करोड़ों रुपए की हेरोइन का बिजनेस करके हिन्दुस्तान की इकॉनॉमी के ऊपर आज चोट पहुंचा रहे हैं

(1.00 म.उ.)

वह रुकेंगे, जो गुप्तचर हमारे यहां से सामान और सूचनायें ले जाते हैं वह रुकेंगे, पाकिस्तान से जिस समय चाहे वह हमारी सीमा में प्रवेश करें, उस काम के ऊपर भी हम रोक लगा लेंगे। इसलिए राजस्थान कैनाल का निर्माण केवल सिचाई की दृष्टि से नहीं उसका महत्व इससे भी है कि वह हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं केवल इतनी ही चर्चा करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इसमें से पहले 500 क्यूसेक्स पानी, पीने के पानी के लिए रिजर्व किया था लेकिन राज्य सरकार ने घोषणाएं करते-करते, मेरी समझ में 1200 क्यूसेक्स तो पहले ही तय कर दिया और बाद में अब 1800 क्यूसेक्स तक चले गये। सीकर के लोगों की भूख जगा दी कि राजस्थान कैनाल का पानी सीकर आयेगा झुंझनु के लोगों की भूख जगा दी कि राजस्थान कैनाल का पानी झुंझनु आयेगा, नागौर क्षेत्र की भूख जगा दी कि राजस्थान कैनाल का पानी नागौर क्षेत्र में जायेगा, कोलायत में भूख जगा दी। वहां तो कमांड एरिया करके जमीन का आवंटन भी कर दिया, वहां भी यह भूख जगा दी कि राजस्थान कैनाल का पानी कोलायत पहुंचेगा और जोधपुर की भूख जगा दी कि जोधपुर में पानी की समस्या के समाधान के लिए राजस्थान कैनाल का पानी आयेगा। मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि इस समझौते को रद्द नहीं कराया तो आप विश्वास रख कर चलिये कि जो पानी का आपने पोटेन्शियल क्रियेट कर लिया है आज के दिन तक ज्यादा से ज्यादा आप लड़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा आपको कामयाबी हासिल हो तो आप यह विश्वास रखकर चलें कि जो कुछ हमने पोटेन्शिल क्रियेट कर लिया है, वह भी इस आधार पर कहता हूं कि ट्रिब्यूनल जो भी फैसला करेगा वह आंख बन्द नहीं कर सकता, हमने इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, करोड़ों रुपए हमने खर्च किए हैं, आज मैं समझता हूं कोई भी भारत सरकार हो, चाहे कोई भी ट्रिब्यूनल हो, यदि इस प्रकार का अन्धापन दिखाकर वह हमारे इनफ्रास्ट्रक्चर को बिलकुल वेस्ट के खाते में डाल दे और पानी का बंटवारा कर दे तो देश के लिये बहुत दुर्भाग्य होगा, लेकिन ट्रिब्यूनल है, इन्डिपेण्डेन्ट ट्रिब्यूनल है, उसके हाथ को पकड़ा नहीं जा सकता। वह टर्म्स आफ रेफरेन्स से गाइड होगा और टर्म्स आफ रेफरेन्स के अन्दर 24 जुलाई, सन 1985 का समझौता उसका मुख्य आधार होगा। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यदि एक एम.ए. एफ. पानी किसी भी प्रकार से कम हो गया तो 6 लाख एकड़ भूमि की सिचाई नहीं होगी, अगर 2 एम. ए. एफ. पानी कम हो गया तो 12 लाख एकड़ भूमि की सिचाई नहीं होगी। इसलिए यदि थोड़ी बहुत भी कमी होती है, उपाध्यक्ष महोदय, तो जो कुछ हमने लोगों की आशायें जगा दी, पीने के पानी का प्रबन्ध का जो आश्वासन दिया उस आश्वासन को पूरा कर पायेंगे और उसके कारण से राजस्थान की बहुत बड़ी हानि होगी। अब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि इन टर्म्स आफ रेफरेन्स में, इस समझौते में ऐसी कौनसी बातें हैं जिनके आधार के ऊपर हमारे सामने यह समस्या खड़ी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस समझौते में, आज यह पूरी सरकार बैठी है....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (मंत्री, इन्दिरा गान्धी नहर) : मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था, एकड़ फर्माया या हैक्टेयर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एकड़। क्यों, हैक्टेयर कहना चाहिये था ? I am subject to correction.

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : एक एम. ए. एफ. का कितना बताया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 6 लाख एकड़।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कैसे हो सकता है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक एम. ए. एफ. में 6 लाख एकड़ कैसे हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूंगा, सॉरी तीन लाख एकड़ I correct myself, आप करेक्ट कर दीजिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : No, I just wanted for my information.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तीन लाख है। मैंने वह छः के आधार पर लिखा था, तीन लाख है।

मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कितना ही एकड़ हो, कितना बीघा और कितना हैक्टेयर, वह ज्यादा इम्पारटैंट नहीं है लेकिन यह निश्चित बात है कि एक एम. ए. एफ. के साथ तीन लाख एकड़ में सिंचाई नहीं होगी। अब मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि कोई यह कहे कि समझौते का क्या असर होगा तो मैंने आरम्भ में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, पूरा सत्तारूढ़ दल यहां बैठा है, कोई माननीय सदस्य यह कहने की स्थिति में नहीं है कि क्लाज 9.1 में राजस्थान को क्यों सम्मिलित किया गया ? राजस्थान को सम्मिलित करने का आधार क्या है ? अब कोई यह कहे कि हमने यूं ही शामिल कर लिया तो दूसरा मुद्दा आता है, उपाध्यक्ष महोदय, 1-7-1985 को जो कट आफ डेट रखी गयी, 1-7-1985 को राजस्थान के किसानों को जितना पानी मिलता रहा है वह पानी मिलता रहे। सीधा सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी ट्रीटीज के और एग्रीमेंट के आधार पर 8.6 मिलियन एकड़ फीट का हिस्सा है 8.6 में, उपाध्यक्ष महोदय, बी. बी. एम. बी. की रिपोर्ट के आधार पर, उनका यह कहना है, समाचार पत्रों के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है कि 5.5 एम. ए. एफ. 1-7-85 को राजस्थान को उन्होंने रिलीज किया है और वह भी सबजेक्ट टू वेरिफिकेशन बाई ट्रिब्यूनल। एक्चुअल यूज क्या थे। इसका फैसला भी ट्रिब्यूनल करेगा। अब पानी तो हमारा है। हम अपना पानी ले रहे हैं। उस पानी का फैसला करने का अधिकार ट्रिब्यूनल को क्यों दिया ! 8.6 के हम हकदार हैं और 5.5 एम. ए. एफ हम यूज कर रहे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं, इसका भी फैसला ट्रिब्यूनल करेगा, यह मेरे समझ में नहीं आया । उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक किताब है, इस किताब पर मेरा अधिकार है । अधिकार के सम्बन्ध में कोई यह फैसला करे कि आपकी किताब कितने वर्षों से है । 10 वर्ष से है तो फैसला होगा आपके पक्ष में । लेकिन जब से मैंने किताब खरीदी है तब से मेरे अधिकार में है । इस आधार पर मैं पूछना चाहता हूं सत्ता रूढ़ दल से, आज तक जो सफाई नहीं दे सके, इस प्रश्न की सफाई नहीं दे सके कि राजस्थान को क्यों शामिल किया गया । हमारा 8-6 मिलियन एकड़ फीट का हिस्सा है । उसके ऊपर 1-7-1985 को जितना पानी उपयोग में आया उसको इन किसानों को सुरक्षित क्यों किया गया ? आज तक राजस्थान की सरकार को सुरक्षित किया जाता था, अब किसानों को क्यों सुरक्षित किया गया ? क्या राजस्थान की राज्य सरकार और किसान इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग. राजस्थान का प्रयोग नहीं किया है और किसानों का प्रयोग किया है । उसके पीछे सीधा तर्क है कि एक्चुअल पानी फील्ड में कितना जा रहा था, सिंचाई कितने पानी से होती थी, वह हमारा सुरक्षित है और इसका फैसला ट्रिब्यूनल करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पानी हमारा है । जहां हरिके बैराज से निकलने के बाद 8.6 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान का है, हम इससे मच्छी पालें, हम इससे सिंचाई करें, हम इसको कैनाल में भरे, हम इससे सेवण घास में पानी दें, हम इससे चरागाह तैयार करें या जोधपुर और बीकानेर में पीने के पानी के लिये ले जाये । मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, कौनसा एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट में पानी के यूजेज के सम्बन्ध में कोई कन्डीशन लगाई हो ? कोई कण्डीशन नहीं है । हमारी मर्जी आये, जिस तरह से पानी का उपयोग करें । यह भारत सरकार ने कन्डीशन किस आधार पर लगाई कि इतना तो सुरक्षित है और बाकी के लिये मौन, कोई भी अर्थ निकल सकता है कि कितना पानी सुरक्षित रखा है इसके आगे का पानी डिस्प्युटेड भारत सरकार ने कर दिया । उस पर हमारा हक है या नहीं, देंगे या नहीं देंगे वह एक प्रकार से डिस्प्यूट खड़ा कर दिया । वह जो डिस्प्यूट खड़ा कर दिया उपाध्यक्ष महोदय, वह डिस्प्यूट जायेगा 9.2 के अन्तर्गत एक ट्रिब्यूनल को रेफर किया जायेगा और ट्रिब्यूनल 9.1 और 9.2 और सारे समझौते की भावनाओं को ध्यान में रखकर इस बात का फैसला करेगा कि इन तीन राज्यों में जो अब तक पानी का बंटवारा हो चुका था वह बंटवारा अब किस सीमा तक माना जाय, कितना पानी किस राज्य को दिया जाय, कितना पानी किस राज्य को नहीं दिया जाय । इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह एक उदाहरण के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय शिवचरणजी माथुर यहां बैठे हैं, सौभाग्य से यह बहुत अच्छी बात है । मैं इसलिये कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, क्या हमारे और पंजाब तथा हरियाणा के बीच इन नदियों के सम्बन्ध में जितना भी समझौता हुआ, 1955 का समझौता हुआ, उस समझौते के बाद में भाखड़ा–नांगल डैम बना । भाखड़ा–नांगल डैम से नांगल और बाकी जगह बिजली पैदा होने लगी । बिजली पैदा होने मे राजस्थान का, पंजाब का और हरियाणा का, हरियाणा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस समय नहीं था. यह समझौता हुआ। उस समझौते से हमें अपने हिस्से की बिजली मिलने लगी। माननीय माथुर साहब और जोशी जी जानते हैं कि उसके बाद पोंग डैम का निर्माण हुआ, वहां जनरेटिंग सेट्स लगे। पोंग डैम में, व्यास के पानी में हमारा बिजली का कितना हिस्सा हो, उस खोसला की मध्यस्थता हुई. खोसला ने एक अवार्ड दिया और उस अवार्ड के बाद राजस्थान का कितना हिस्सा होगा और पंजाब का कितना होगा यह तय हो गया लेकिन इस बात को मान लिया अच्छी तरह से कि इन नदियों से पैदा होने वाली बिजली में राजस्थान का हिस्सा है, एक चैप्टर वहां क्लोज होता है लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस चैप्टर के क्लोज होने के बाद यह सर्वमान्य सिद्धान्त बनने के बाद की इन तीनों नदियों के पानी से जो बिजली पैदा होगी उस बिजली में डिफरेन्ट पर्सेन्टेज के हिसाब से राजस्थान का हिस्सा निश्चित है। मैं समझता हूं राज्य सरकार इसको निश्चित कहेगी लेकिन निश्चित होने के बाद 10 मई, 1984 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर ने एक समझौता किया और उस समझौते के आधार पर आनन्दपुर साहिब, मुकेरिया, शाहपुर काण्डी, बारी दोआब और थीन इन डैम से जो बिजली पैदा होगी उस मामले को जस्टिसियोबिल बना दिया। उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज अपाइन्ट होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज तीनों राज्यों से क्लेम लेंगे और फिर यह फैसला करेंगे। इसका मतलब यदि आप निकालेंगे तो वही हालत हो गई कि यदि हमने 24 जुलाई वाले समझौते को इन्टेक्ट स्वीकार कर लिया तो हमारा जो बाकी का पानी है वह जस्टिसियेबिल हो गया और ट्रिब्यूनल उसके ऊपर फैसला करेगा। जैसा आपने 10 मई, 1984 को रोपड़ के लिये कूलिंग वाटर देने के लिये बात कही. कूलिंग वाटर देने की बात कह कर रोपड़ आपने क्लियर कर दिया, मुकेरियां आनन्दपुर साहिब की हाइडल चैनल आपने क्लियर कर दी, वह सारी क्लियर कर दी तो नतीजा क्या निकला? हमको भारत सरकार ने उस समझौते में लिखा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, एक आश्वासन दिया कि जब तक इन 5 परियोजनाओं का समझौता सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा, भारत सरकार उदारतापूर्वक यह विचार करेगी कि राजस्थान को सेन्ट्रल सैक्टर में जो बिजली अभी तक अनडिवाइडेड है, या किसी राज्य के खाते में नहीं गई उसमें से राजस्थान सरकार को बिजली देगी। मैं, भूतपूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री बैठे हैं, इन दोनों से पूछना चाहता हूं कि 10 मई, 1984 के बाद इस भारत सरकार की उदारता का क्या कभी कहीं दिग्दर्शन हुआ है। राजस्थान में तो बिजली का संकट बना हुआ है लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, वही समझौता अगर आप देखें तो उस समझौते में आप देखेंगे कि राजस्थान की सरकार ने, यह राजस्थान की सरकार, पंजाब और हरियाणा के बीच में यह समझौता हुआ था कि भाखरा मेन लाइन इसकी रेस्टोरेशन करा कर इसकी मूल केपेसिटि जितनी है उसके ऊपर लायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि 10 मई, 1984 के बाद क्या भाखरा मेन लाइन से कोई रेस्टोरेशन का काम हुआ? क्या भाखरा मेन लाइन अपनी ओरीजिनल कैपेसिटी के ऊपर आ गई जिससे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान और हरियाणा को पानी की मात्रा ज्यादा मिल सके ? मेरा विश्वास है और मेरी जानकारी है कि बी. एम. एल. रेस्टोरेशन के सम्बन्ध में पंजाब ने इसी प्रकार की कार्यवाही की।

उपाध्यक्ष महोदय, उस समझौते में यह भी लिखा है कि इस कूलिंग सिस्टम को हम ऐसी साइकिल चेन्ज करके पानी का कन्जम्शन कम हो इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे और भारत सरकार ने हमको यह आश्वासन दिया था इस समझौते के आधार पर कि एक वर्ष के अन्दर-अन्दर पंजाब इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे कूलिंग सिस्टम का पेटर्न चेन्ज हो जाय और पानी का कन्जम्पशन कम हो। लेकिन श्री शिवचरण जी माथुर अच्छी तरह से जानते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी अच्छी तरह से जानते होंगे कि उस समझौते के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, समझौते वही होते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो, समझौते वही होते हैं जिसमें किसी प्रकार की दया का कोई कारण नहीं बनता है, समझौते तो वही होंगे जो अधिकारों के आधार पर लिये जायं, अधिकारों का समझौता हो सकता है, दया का कोई समझौता नहीं हो सकता और इसलिये मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, एक पेराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहूंगा, दोनों मुख्य मंत्री यहां बैठें हैं, यह 10 मई, 1984 का समझौता है जिसके पार्ट थ्री में लिखा है—

"Punjab will further take expeditious steps to complete restoration of the B.M.L. to its designed capacity of 12500 cusecs not later than 31st May, 1985."

मैं पूछना चाहता हूं आप दोनों से, क्या पंजाब ने इस एग्रीमेंट का पालन किया, क्या भाखरा मैन लाइन का रेस्टोरेशन ओरीजिनल शेप में आ गई, क्या वह 12500 क्युसेक पानी केरी आउट करने की क्षमता रखता है। मैं समझता हूं कि क्षमता नहीं है लेकिन समझौता करके शिवचरण जी माथुर के हाथ में एक लड्डू पकड़ा दिया रोओ मत, जाओ, खाओ और आराम करो, इस समझौते पर तो दस्तखत कर जावो। उपाध्यक्ष महोदय, उससे आज नुकसान हो रहा है, भाखरा मेन लाइन अपनी ओरीजनल कैपेसिटी पर नहीं आई और इतना ही नहीं, इस समझौते के बाद में तीन बार भाखरा मेन लाइन को तोड़ दिया गया। उससे भी राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गंगानगर जिले के किसान जिन्हें उस समय पानी नहीं मिला त्राहि त्राहि कर रहे हैं और हरियाणा में भी नुकसान हुआ लेकिन हरियाणा के किसानों को हरियाणा की सरकार ने कम्पेनसेशन दिया और राजस्थान की सरकार ने कह दिया कि कम्पेनसेशन का कोई प्रावधान नहीं है, कम्पेनसेशन नहीं दिया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा, इस समझौते के आखिरी पेराग्राफ उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इस समझौते में लिखा है—

"In the lights of clauses 1, 2, 3 abovs, the signatory states concur to the link up of Anandpur Sahib Hydel Channel with Nangal

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

Reservoir to enable commissioning of the Anandpur Sahib Hydel Project expeditiously."

"The administration, maintenance and operation of the Anand Sahib Hydel Project head regulator will vest with the B. B. M. B."

मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार जो कहती है कि हम बहुत सतर्क हैं, यह रेगूलेटर किसके कब्जे में हैं ? आज पंजाब पानी किसका ले रहा है ? क्या पंजाब पानी अपने हिस्से का ले रहा है ? पानी पंजाब अपने हिस्से का नहीं ले रहा है। राजस्थान के हिस्से का 500 क्यूसेक जोइन्ट, वह पूरा सबका मिला जुला हिस्सा है, लेना चाहिये था। पंजाब को अपने हिस्से का पानी, वह अपने हिस्से का पानी नहीं ले कर जो संयुक्त है, हरियाणा पंजाब और राजस्थान का इन तीनों का पानी ले रहा है। एक वर्ष का समय निकल गया। हम इसको रोक नहीं पाये न उस रेगूलेटर के ऊपर बी. बी. एम. बी. का हम कब्जा करा पाये। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाज लगा लें जो स्टेट समझौते का वायोलेशन करना चाहें, वह वायोलेशन करने की स्थिति आ सकती है। न भारत सकार उसके ऊपर एक्शन ले सकती और न हम एक्शन ले सकते। ऐसी स्थिति में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस समझौते का पालन करवाने की कोई चिन्ता नहीं की। अब मैं कहता हूं—

"Upon receipt of the opinion of the Supreme Court/decision of the Judge, the Government of India will give due consideration to the requests of Haryana and Rajasthan for making available additional power from the Central un-allocated share in the Central generating stations."

इस मद के नाते भी हमें एक मेगावाट पावर नहीं है। अब इसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फैसला होना चाहिये जो टर्म्स आफ रेफरेन्स है जिनके ऊपर मैं सन्देह कर रहा हूं कि भारत सरकार इसी एग्रीमेंट को आधार बना कर टर्म्स आफ रेफरेन्स निर्धारित करेगी। वह फैसला यह है विद्युत योजनाओं के सम्बन्ध में—

'Are the States of Haryana and Rajasthan entitled to a share in the power generated in the Anandpur Sahib Hydel Project, Mukerian Hydel Project, Thien Dam Project, U. B. D. C. Stage II and Shahpur-Kandi Hydel Scheme ?"

यह टर्म्स आफ रेफरेन्स की एक टर्म है। यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी टर्म है— "If they are, what would be the share of each State ?"

मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी। हमने तो अपने हाथ काट कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिये, दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट यह फैसला कर ले that Rajasthan is not

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

entitled for the share of power generated from the water of these rivers.

दुर्भाग्य से यह फैसला हो जाय तो क्या आपको नांगल से पैदा होने वाली बिजली मिलेगी, क्या आपको कोटला से पैदा होने वाली बिजली मिलेगी, क्या पोंग डैम से पैदा होने वाली बिजली मिलेगी, क्या व्यास यूनिट नं. वन और दो से आपको बिजली मिलेगी ? इसलिए मैं कहता हूं कि उस समय जिसने समझौता किया है, माननीय शिव-चरण जी माथुर बड़े नाराज हुए जब उस समय कहा, मीर जाफर ने हिन्दुस्तान के साथ जो गद्दारी की, मैंने उस समय कहा था और फिर आज रिपीट कर रहा हूं कि शिवचरण जी माथुर ने 1981 का सम-झौता करके राजस्थान का पानी लुटवा दिया और 10 मई, 1984 का समझौता कर पूरे राजस्थान में अन्धेरा कर दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं जो चीज मेरी है, उसका फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया और हमारी सरकार ने क्यों उसे माना ? मेरी किताब है, इसका फैसला मुझे कराने की आवश्यकता ही नहीं है। उस पानी से पैदा होने वाली बिजली में हमारा हक है, उस हक को किस आधार के ऊपर सरकार ने जस्टिसियेबिल डिक्लेयर करा कर सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया। अब उपाध्यक्ष महोदय, तमाशा देखिये आज तक हिन्दुस्तान में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ। लिखते हैं :—

'In case no opinion on the above terms is expressed by the Supreme Court for any reason, the parties agree to jointly make a submission to the Supreme Court for referring the dispute to a sitting Judge of that court, whose award shall be binding on them as well as on the B.B.M.B."

मैं पूछना चाहता हूं जस्टिसियेबिल समझौता, एक साल निकल गया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट को मामला रेफर ही नहीं किया। कब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला नहीं करेगी, मतलब यह हुआ मुकेरियां से पैदा होने वाली बिजली हमको नहीं मिलेगी। आनन्दपुर से पैदा होने वाली बिजली हमको नहीं मिलेगी, शाहपुर काण्डी से पैदा होने वाली बिजली हमको नहीं मिली, बारी दोआब स्टेज टू से पैदा होने वाली बिजली हमको नहीं मिलेगी और थीम डेम तो अभी निर्माणाधीन है, इस समझौते के फैसला न होने तक उसका भी निर्माण हो गया और बिजली पैदा होने लग गई, वह बिजली हमको नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि शिवचरणजी ने बिजली का समझौता करके राजस्थान में अन्धेरा ला दिया। मैं, जोशी जी, आपको कहना चाहता हूं, आप अपने हाथ काले मत करिये और काले हाथों से इस समझौते को स्वीकार नहीं करिये नहीं तो राजस्थान का सारा इलाका प्यासा मर जायगा और राजस्थान की जनता आपको बद-दुआये देगी। मैं पूछना चाहता हूं अगर कोई इस पर जिक्र करना चाहे कि 10 मई, 1984 का एक समझौता राजस्थान के अनुकूल है, मेरा विश्वास है कि आज के दिन शिवचरणजी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माथुर का साहस नहीं है जो इस सदन में खड़े होकर यह कह दें कि यह समझौता मैंने मर्जी से किया है या यह समझौता राजस्थान के हित में है। कोई समझौता राजस्थान के हित में नहीं है। यह समझौता केवल इसलिये किया कि इनको मुख्य मंत्री का पद चाहिये था और इन्दिरा गांधी का आशीर्वाद उसके लिये चाहिये था यह जिस समय गये उस समय इसी सदन में कह कर गये थे, बड़े जोर शोर से कह कर गये थे, तालियां हमने बजवाई हमने उनमें विश्वास प्रकट कर दिया और इसलिये मुख्य मंत्री जी हम दूध के जले हुए हैं, इसलिये आपकी बात पर पूरा विश्वास नहीं होता जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं हो। यहां पर परसराम जी मदेरणा और शिवचरणजी माथुर हमसे तालियां बजवा कर यह कह कर गये हम चूहे नहीं हैं, हम दिल्ली में जा रहे हैं, डरेंगे नहीं, हम बिल के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगे। हम भारत सरकार के सामने अपना केस पुरजोर शब्दों में रखेंगे। और मुझे क्षमा करें, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, शायद मन में इनके भी नहीं है, मन में इनके भी नहीं होगी कि राजस्थान का अहित हो लेकिन मन में अपने पद का लोभ था। यहां पर प्रधान मंत्री से क्या बात हुई मैं नहीं कह सकता लेकिन शिवचरणजी माथुर इस बात की गवाही देंगे कि इनको परसरामजी पदेरणा ने, परसरामजी मदेरणा को शिवशंकर जी ने, जो आपके इस राजस्थान हवाई अड्डे के ऊपर आपसे बातचीत करके गये उन्होंने इनसे कहा दस्तखत करना चाहा तो करो, प्रधान मंत्री का आदेश है। मैं केवल दो ही बात सुनना चाहता हूं या तो दस्तखत करिये या मना करिये। प्रधान मंत्री ने आदेश दिया है दस्तखत करा लावो, फिर शिवचरण जी की क्या औकात है। प्रधान मंत्री का आदेश आ गया, राजस्थान जाये भाड़ में, राजस्थान जाय अन्धेरे में। दस्तखत करके आ गये और आज तक उस समझौते में न शिवचरण जी माथुर, जब तक मुख्य मंत्री थे, इस समझौते के आधार पर किसी प्रकार की कोई चिन्ता की और न भारत सरकार ने इसकी चिन्ता की। पंजाब अपना आराम से पानी का उपयोग कर रहा है। सारे प्रोजेक्ट उनके क्लियर हो गये और प्रोजेक्ट क्लियर हो गये तो बिजली के कन्स्ट्रक्शन का काम वह चालू किये हुए है। आनन्दपुर साहब तो, मुकेरियां तो आपरेशन में आ गया। आनन्दपुर साहब जल्दी आपरेशन में आ जायेंगे। मैं समझता हूं उसके बाद में उनकी तो बिजली की कमी नहीं, धीरे धीरे वह बिजली लेते रहें। अब सवाल यह आता है कि हमारे पास बिजली के और साधन नहीं हैं। अगर हमारे पास मुख्य मंत्री जी साधन होते तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपकी भी इच्छा होती, मेरी भी इच्छा होती कि और सारे मदों का पैसा काट कर हम बिजली के उत्पादन में लगायें, हम पानी लाने में लगायें, लेकिन हमारे पास साधन नहीं। हाइडल पावर का तो कोई साधन नहीं। आपने राजस्थान कैनाल पर कोई सात या आठ जगह आपने पावर प्रोजेक्ट करने के लिये एक-एक, दो दो मेगावट का सर्वे कराया. मैं आज आपको पूछता हूं इस कैनाल का 18500 क्यूसेक से फ्लो कम हो गया तो इसका फोर्स खतम होगा और उसके कारण से छोटी छोटी जगहों पर जो आप बिजली पैदा करना चाहते हैं वह बिजली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पैदा करने की उतनी स्थिति नहीं रहेगी जो हम योजनायें बना चुके हैं। इसलिये इस आधार पर चिन्ता करनी पड़ेगी। पुराने समझौते का बेकग्राउन्ड क्या है, उस आधार पर कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ। इसी सदन में शिवचरणजी ने मुझे जवाब देते हुए कहा, 1981 का समझौता हमने इसलिये किया है कि नोहर सिद्धमुख कैनाल में पानी आयेगा और उस क्षेत्र के लोग भी सिंचाई कर सकेंगे। वह क्षेत्र भी हरा भरा होगा। जोशी जी, आपके पास तो कार होगी, मेरे पास तो है नहीं चलें वहां नोहर भादरा देखें, कितनी हरियाली हो गई, वहां पता लगेगा कि आपके इस समझौते के आधार पर उस क्षेत्र में क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय इसी सदन में माननीय माथुर साहब ने यह घोषणा की थी कि मैंने हिमाचल प्रदेश से समझौता कर लिया। धौल पार्वती के ऊपर वहां योजना बनेगी और बिजली पैदा होगी। मैं समझता हूं इसी सदन में जब घोषणा की, उस घोषणा को देखकर खूब तालियां बजवाई, 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यह समझौते की कापी मेरे पास है।

इस समझौते की कापी में, यह समझौता आपने बहुत लम्बा चौड़ा किया है। इस समझौते को मैं ज्यादा रेफर नहीं करना चाहता। मैं केवल आपको आपके दस्तखत बताना चाहता हूं। माथुर साहब, इसके ऊपर दस्तखत हैं और जोशीजी से यह पूछना चाहता हूं कि इस समझौते के अनुसार यदि पार्वती पर और कोल वाले मामले पर आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक पैसा भी खर्च करने का प्रावधान किया है? एक पैसे का प्रावधान नहीं है। यह समझौता, हमको आप बच्चे समझते हैं क्या? आप यह समझते हैं कि राजस्थान की जनता ऐसी सीधी है कि मैं समझौता करके उनके घर में बिजली पहुंचा देउंगा। आज न तो आपने इस पर काम किया, न 10 मई, 1984 के समझौते पर काम किया, न 31 दिसम्बर, 1981 का जो आपने समझौता किया उसके आधार पर काम किया और यह क्यों नहीं, इस पाइन्ट पर मैं अराइत करना चाहता हूं, वह इसलिये नहीं किया कि पंजाब आपकी सुनता ही नहीं, पंजाब आपकी परवाह नहीं करता। आप ज्यादा से ज्यादा दिल्ली को शिकायत कीजिये, दिल्ली वालों की पंजाब नहीं सुनता, तो राजस्थान की कौन सुनेगा और जब राजस्थान की नहीं सुनेगा तो आपको पानी कौन देगा? अध्यक्ष महोदय, यही हैड वर्क्स का मामला है, हैड वर्क्स का मामला मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। एक कानून की धारा आपको बताना चाहता हूं, यह कानून है पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट इसकी धारा 79, उस 79, में लिखा है, 79 के पार्ट (ए), पार्ट (बी) "The irrigation headworks at Ropar, Harike and Firozpur,"

यह बी. बी. एम. बी. को ट्रान्सफर होगा। यह कानून बना 1966 में। आज 19 वर्ष हो गये। कानून तो नहीं हम मनवा सकें, एग्रीमेन्ट को मनवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन कानून को जो सरकार नहीं मनवा सकती इन एग्रीमेन्ट्स की कौन चिन्ता करेगा। और इसी आधार पर माननीय माथुर साहब जानते होंगे कि जब 1981 का समझौता करके वह आये, तीन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महीने के बाद भारत सरकार को लिखना शुरू कर दिया कि पंजाब हमें समझौते के आधार पर पानी नहीं दे रहा है, राजस्थान को पानी कम मिल रहा है, बहुत चिट्ठियां लिखीं भारत सरकार को ; भारत सरकार ने चिट्ठी फारवर्ड कर दी पंजाब में, पंजाब वाले चिट्ठी पढ़ते तो है, यह तो खैर किया, लेकिन जवाब नहीं । जवाब देते हैं तो उस पर कार्यवाही नहीं करते तो किस राज्य से आपका पाला पड़ रहा है । और अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है कि सारे एक हैं समझौतों के बैकग्राउण्ड में जब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार यह समझ कर चल रही है कि जो हमने समझौता किया वह लागू हो जायेगा। पंजाब की आज हालत देखें, चाहे बड़े-बड़े नेताओं ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया है लेकिन बाकी के विरोध में आवाज उठने लग गयी । जबर्दस्त आवाज उठ रही है और मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि पंजाब में तो एक प्रक्रिया चालू होती है, अध्यक्ष महोदय, एक नेता समझौता करता है, समझौता करने वाले नेता को अपदस्थ कर दिया जाता है, समझौते के विरोध में दूसरा वातावरण बनता है, वातावरण बन कर उसमें नेता पैदा होता है और वही नेता फिर आगे का समझौता करता है । यह सारे एग्रीमेंट की भूमिका यदि देखना चाहें तो केवल मात्र इसी प्रकार की भूमिका है, इस भूमिका के आधार पर, मेरा विश्वास है कि जो आपने यह समझौता किया है इस समझौते के कारण राजस्थान को निश्चित रूप से हानि होगी, बिजली की हानि होगी, पानी की हानि होगी, सीमा सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान कैनाल का निर्माण जो एक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम था उसमें ढिलाई आयेगी और अन्त में, मैं कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजस्थान के कोई भी प्रतिनिधि ने दिल्ली के दरबार में सिर झुकाया उसका सिर काट दिया और जिसने दिल्ली के दरबार में अंगद की तरह पांव रखा वह विजय की पताका लेकर बाहर निकला और पूरे राजस्थान ने उसका स्वागत किया । मैं अध्यक्ष महोदय, यह इस आधार पर कहना चाहता हूं मैंने इसी सदन में जयनारायणजी व्यास को देखा, उसके पहले भी जयनारायणजी व्यास को देखा, जिस समय सिरोही, माउण्ट आबू गुजरात में शामिल हो गये थे, आज तो आप छोटे मोटे शिवशंकर इससे साफ बात करने में झिझकते हैं और वह ही सरदार पटेल जो आबू को चाहते थे कि गुजरात में मिल जाय, जयनारायण व्यास ने कहा कि मेरी छाती पर से आबू गुजरात में जायेगा, आबू वापस लिया, कोई चिन्ता की बात नहीं कि 6 महीने बाद उनको मुख्य मंत्री का पद छोड़ना पड़ा, कोई चिन्ता की बात नहीं कि एक बहुत बड़े देश का नेता मुख्य मंत्री के पद से हटने के बाद पूरे राजस्थान की परिक्रमा करने लगा । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दम है । हीरालाल शास्त्री भी यहां प्रधान मंत्री के रूप में थे, वह हीरालाल शास्त्री मैंने जान बूझकर कहा, प्रधान मंत्री के सामने भी जब यह विवाद खड़ा हुआ उन्होंने भी राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को बेचने की बात नहीं की । वह भी गये, कोई चिन्ता की बात नहीं लेकिन याद रहेगा, हीरालाल जी शास्त्री और जयनारायण जी व्यास कि राजस्थान के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हित में उन्होंने अपनी कुर्सी का परित्याग किया।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में मोहन लाल जी सुखाड़िया आये, मैं यह कह सकता हूं कि चाहे किसी भी आधार पर करें, राजस्थान के हितों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन उसके बाद में जो हालात हुए, हालात कांग्रेस पार्टी में डिग्रेडेशन आया। जोशीजी, आपको याद होगा, आप जिस समय चुनाव लड़कर मुख्य मन्त्री बने थे, आप में दम था, आप रिस्क उठाने की क्षमता रखते थे। कोई बात नहीं, आपने इमर्जेन्सी उस समय लगायी, हम लोगों को जेलखाने में रख दिया लेकिन हम अखबारों में पढ़ते थे कि आप इमर्जेन्सी के विरोधी हैं। आपने कमीशन के सामने भी कुछ ऐसी बातें कही कि जिससे कि यह झलक मिलती थी कि आप इमर्जेन्सी पसन्द नहीं करते थे। लेकिन उस समय मुख्य मन्त्रीजी आप में दम था इसलिए दम दिखा दिया और जब से, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रियों का नामिनेशन होने लगा उस समय से मुख्य मन्त्री कमजोर होने लग गये। उसके बाद में आए पहाड़ियाजी। क्या कसूर किया था पहाड़िया जी ने....

एक माननीय सदस्य : आप भी तो ऊपर से ही आये थे, राज्य सभा की सीट से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठे रहो।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पहाड़िया जी आये, एक साल के बाद में चले गये। अब पहाड़ियाजी में क्या कमी थी यह तो पहाड़ियाजी जाने....

(व्यवधान)

देखो जी, इकबाल कौर जी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका ससुर बोल रहा है, चुपचाप बैठ जाओ।

श्रीमती इकबाल कौर (करणपुर) : पंजाब की समस्या हल हो गई, आपको बहुत तकलीफ है। आपको बहुत तकलीफ है, पानी की कोई तकलीफ नहीं, पानी तो सानु चाइंद है। असी पानी वाले किसान हो, साड़े जिम्मे वाले किसान हो। पेपरा में आपका नाम बहुत आ गया। पेपरा में बहुत आ गया रेडियो में आ गया, पानी की सुरक्षा कोई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस ठीक है। अध्यक्ष महोदय, अब उसके बाद पहला चुनाव हुआ जोशीजी का और मुख्य मन्त्री बने, मैं समझता हूं, उस समय साहस था, केन्द्रीय सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, विधायकों को छूट दी गई मर्जी आये जिसको अपना नेता चुनो। बहुमत से मुख्यमन्त्री शिवचरणजी माथुर बने। उनमें कुछ साहस था, बाद में पहाड़ियाजी आये। पहाड़ियाजी आये उस समय से लेजिस्लेचर का महत्व खत्म हो गया। विधायक अपनी मर्जी से जिसको नेता चुन लें, इसका वातावरण खत्म हो गया। पहाड़ियाजी मुख्य मन्त्री बन गये। अब क्या गलती थी, हमको तो पता नहीं, लेकिन ऐसे उठाकर फेंक दिये गये कि न इनको पता लगा, न दुनिया को पता लगा, पहाड़ियाजी कहां गये और क्यों गये। चले गये अब जाने के बाद शिवचरणजी माथुर मुख्य मन्त्री बने। अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मानता हूं कि निर्वाचित मुख्य मन्त्री जो होगा उसका एक अलग वजूद होगा, जो ऊपर से थोपा हुआ होगा उसका एक अलग वजूद होगा। पहाड़ियाजी के बाद में सिस्टम शुरू हुआ कि ऊपर से थोपे जायेंगे। एक थोपे गये उसके बाद में शिवचरणजी आये। यह भी यह समझते थे कि इन्दिराजी का और राजीव गांधी का मेरे सिर पर तो ऐसा हाथ है कि मैं ही नहीं मेरी सात पीढ़ी राज करेगी, मैं निकलने वाला नहीं हूं। लेकिन हुआ क्या, रात को 12 बजे इस्तीफा दिया, इनकी आत्मा जाग उठी। आत्मा कचोट रही है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब, त्यागपत्र देते वक्त भी सही बात नहीं कही। आदमी मरते वक्त सही बात नहीं कहता है तो समझ जाओ घोर पापी है। लेकिन आपने त्याग पत्र देते वक्त भी यह बात नहीं, मैं तो नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे रहा हूं। दुनियां जानती थी, ऊपर से आदेश आया और रवाना हो गये। उस समय आपकी लेजिस्लेचर पार्टी का बहुमत कहीं भी नहीं रहा। उसके बाद में फिर चुनाव हुए और चुनाव में, अध्यक्ष महोदय, देवपुराजी मुख्य मन्त्री हो गये। अब देवपुराजी, बहुमत के आधार पर चुनाव होता, जोशीजी में, देवपुराजी में तो पता लगता किसका बहुमत है। लेकिन देवपुराजी को तेरह दिन के बाद××× रवाना कर दिया और रवाना करके जोशीजी मुख्य मंत्री बन गये। अब जोशीजी के दिमाग में था इस परम्परा में कोई भी आने वाला मुख्य मन्त्री होगा उसके दिमाग में यह बात रहेगी मैं अपनी ताकत से मुख्य मन्त्री नहीं, मैं दिल्ली की कृपा पर मुख्य मन्त्री हूं। यदि मुख्य मन्त्री रहना है तो दिल्ली की कृपा प्राप्त करते रहो और उस दिल्ली की कृपा प्राप्त करने के लिए, मुख्य मन्त्रीजी, मैं कह सकता हूं कि आपने इस समझौते पर स्पष्ट रूप से कहने की ताकत नहीं हुई प्रधान मन्त्रीजी को कि सन् 1955 और 1981 का समझौता इससे रिओपन हो सकता है। आप इसकी गारन्टी दीजिये कि रिओपन नहीं हो। आपने न गारन्टी दी, खुद आज आप खुद भी कहने की स्थिति में नहीं हैं, दुर्भाग्य तो यह है। प्रधान मन्त्री कहें या नहीं कहें, लेकिन आज तक अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने भी नहीं कहा कि सन् 1955 का एग्रीमेन्ट नहीं खुलेगा। आपने रेडियो पर कल यह कहा, एग्रीमेन्ट खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पूछने के बाद में ही जरूरत का फैसला होता है। उस समय कोई नहीं पूछता है। आज तक आपने यह नहीं कहा कि 1955 का एग्रीमेन्ट नहीं खुलेगा, आज तक आपने नहीं कहा कि 1981 का एग्रीमेन्ट नहीं खुलेगा। आज तक आपने नहीं कहा कि 8.6 मिलियन एकड़ फीट जो राजस्थान का हिस्सा है उसमें एक क्यूसेक पानी भी कम नहीं होगा। आपने कुछ नहीं कहा और इसका मतलब जो दिल्ली वाले कहेंगे यह वह ही बोलेंगे। प्रधान मन्त्री ने आपको आश्वस्त कर दिया और आप पर विश्वास हम कर लें। हम कहें जोशीजी ने हमें विश्वास दिलाया था और प्रधान मन्त्री कल नाराज हो जायं और नाराज होकर आपको रवाना कर दें तो हम किसकी पूंछ पकड़ें। शिवचरणजी ने भी बहुत विश्वास दिये थे, अब इधर आकर बैठ गये। कर क्या सकते

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

थे ये भी और मैं भी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस सारे सन्दर्भ में....

(व्यवधान)

हमने अच्छी तरह से विचार किया। राजस्थान का इस समझौते से बहुत भारी अहित होगा और अहित को रोकने में यह सरकार नाकामयाब रही है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा प्रसंग है, जो पांच सात मिनट में मैं लेना चाहूंगा। इस सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये एक हजार करोड़ रुपये के ऐसे साधन जुटाने के नाम पर राजस्थान में इस समय बिजली पर, पीने के पानी पर, यातायात सुविधा पर और उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली कर के नाम से टैक्स लगाया। मैं यह समझता था, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, हमारी बात मानें या नहीं मानें लेकिन कांग्रेस के जिन 85 सदस्यों ने दस्तखत किये हैं, उनकी बात तो शायद स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके बिजली का टैक्स कम करेंगे। लेकिन सबके हाथ में लालीपौप पकड़ा दी, पांच पैसे, एक पैसा, दो पैसे, तीन पैसे ...

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : पांच पैसे भी कहा इकी दुकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ ऐसा समझा आपने, शायद मुख्य मन्त्रीजी ने यह समझा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य ऐसे हैं जिनको एक पैसा छोड़ देंगे तो ही राजी हो जायेंगे। अब इस हालत में पूछना चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी से, आप बार-बार यह कहते हैं कि मैंने साहसिक कदम उठाया है। साहसिक कदम क्या? मैंने जनता पर टैक्स लगाकर संसाधन जुटाये हैं। आप इसको साहसिक कदम मानते हैं। मैं साहसिक कदम इसको मानता हूं कि आप प्रधान मंत्रीजी को दिल्ली में जाकर कह दें कि आपने मेरी पीठ के पीछे समझौता किया, राजस्थान की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। वह तो है बहादुरी, और आप लोगों पर टैक्स लगा कर यह कहें कि मैंने साहसिक कदम उठाया है, मेरी समझ में नहीं आता यदि यह साहस आपका उत्तरोत्तर बढ़ता रहा तो राजस्थान की जनता कहां रहेगी, इसका तो कोई पता ही नहीं है। इसलिए इस साहस को रोकना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं, साहस दिखा रहे हैं टैक्स लगाने में, आवश्यकता है साहस दिखायें, राजस्थान के हितों पर कुठाराघात न हो। ऐसी स्थिति पैदा करें। आपने पीने के पानी पर दरें बढ़ा दी, आपने ट्रान्सपोर्ट का किराया बढ़ा दिया आपने सब तरह के ऐसा संसाधन जुटाने के लिए सब कुछ कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं अब तो मेरा विश्वास है, यह सरकार रहने वाली नहीं है, यह जायेगी जायेगी आधी रात में, यह मैं बता दूं आपको, यह तीनों, पहाड़ियाजी आधी रात में गये, शिवचरणजी माथुर आधी रात में गये, हीरालालजी देवपुरा आधी रात में गये और आप भी निश्चित रूप से आधी रात में जायेंगे, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है आप यह मानकर चलिये कि राजस्थान के हितों पर जिसने कुठाराघात किया है, आज हम जयनारायणजी व्यास का नाम लेने में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संकोच नहीं करते। हीरालालजी शास्त्री का नाम लेने में हमको संकोच नहीं होता, मोहनलालजी सुखाड़िया का नाम लेने में संकोच नहीं होता। लेकिन जिन्होंने समझौता करके राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है, न हम नाम लेंगे और न राजस्थान की जनता नाम लेगी। और रात के अन्धियारे में ऐसे जायेंगे कि सुबह राजस्थान पत्रिका बोलेगी कि मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने अपनी नैतिकता स्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया है। बहुत ज्यादा त्यागी, तपस्वी हमको नहीं चाहिए, हमें तो साहसी व्यक्ति चाहिये जो राजस्थान के हितों की सुरक्षा कर सके और इस आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने गरीब जनता पर बिजली की दरें बढ़ाई, गरीब जनता पर पीने के पानी की दरें बढ़ा दी, दस पर्सेन्ट का सरचार्ज, आम उपभोक्ताओं पर टैक्स लगाने के आधार पर, इन सब बातों के आधार पर और मोटे रूप से 24 अगस्त, 85 को समझौता कर जो राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है उस आधार पर हमनें यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। मैं माननीय सदस्य, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक तो आप भी बनते हैं और हम भी बनते हैं, हम भी सरकार की कृपा से विधायक नहीं बने हैं, इतने लोग आये सरकारी पक्ष के आदमियों को हराकर आये; आप भी एक शुभ काम अपने जन्म में कर डालिये, ऐसा पवित्र काम तो इतिहास में लिखा जायगा। आप चुनाव लड़कर जीतकर आये हैं यह नाम तो केवल विधान सभा की पुस्तिका में होगा कि नरेन्द्रसिंहजी भाटी वहां से जीतकर आये, इतने वोटों से जीते, यह तो इलेक्शन रिजल्ट्स में लिखा जायेगा लेकिन आज नरेन्द्रसिंह भाटी यह कह दें कि राजस्थान कैनाल का या राजस्थान के हिस्से का एक बूंद भी पानी चला गया तो नरेन्द्रसिंहजी भाटी एक बूंद खून की बहायेगा वह इतिहास में लिखा जायेगा। आज अभी इस अविश्वास के प्रस्ताव के साथ हमारे साथ यदि आप आकर खड़े होते हैं, इतिहास में आपका नाम लिखा जायेगा और यदि कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो वोटर लिस्ट के अलावा आपका नाम कहीं भी बाहर नहीं जायेगा। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रस्ताव का समर्थन कर राजस्थान पर जो संकट आया है उस संकट का मुकाबला करने के लिए राजस्थान की जनता को साथ लेकर एक ऐसा साहसिक काम करें कि भारत सरकार हमारे हितों पर कुठाराघात नहीं कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा। माननीय नेता ने समय के साथ तो थोड़ा सा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें समय की कोई बात नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस अविश्वास के प्रस्ताव रखने की भूमिका के बारे में विरोधी पक्ष के नेता ने बहुत सी बातें कह दीं। मैं उन बातों को वापस दुहराना नहीं चाहता। मैं कुछ बातों की ओर विशेष तौर से ध्यान

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खींचना चाहता हूं। आज देश में जिस तरीके के नैतिक मूल्य और जिस तरीके से आज की राजनीति चलाई जा रही है उसका मुझे बहुत अफसोस है और बहुत दुख भी है। लोकतन्त्र दिखावे के लिए रह रहा है और लोकतन्त्र के जरिये जो बहुमत प्राप्त करके सरकार बनती है उसके चलने के तौर-तरीकों के बारे में हमारे विपक्ष के नेता ने बहुत से मुख्य मन्त्रियों के और जो किस प्रकार से नियुक्ति होती है और किस प्रकार से चले जाते हैं उसका जिक्र किया। मैं सोचता हूं इसमें बहुत सत्यता है और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे, बाहर से नहीं तो भी आत्मा से। अब जिस प्रकार से पहले के मुख्य मन्त्री या पहले के नेता जिस तरह के नेता या जिस तरह से चुनाव होते थे या जिस तरह से पार्टियां चलती थीं, वह तो सारी इतिहास की कहानी बन गई हैं। अब आपकी केन्द्र सरकार और उनमें एक दो-चार नेता ही सारे इस लोकतन्त्र का संचालन करते हैं। इसलिए देश को कुल मिलाकर दो-चार आदमियों की राय पर और इनकी बात पर निर्भर रहना पड़ता है, आप भी रहते हैं और देश के दूसरे लोग भी रहते हैं। अब राजस्थान जैसा आप सब स्वीकार करते हैं, बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है और इस प्रदेश में आज भी जिस प्रकार की कमियां हैं, आप और हम सदन में नित चर्चा करते हैं, उन कमियों को महसूस भी करते हैं। सूखा प्रान्त है, बरसात की इसमें हमेशा कमी रहती है। इस वजह से बाहर से जो बेसिन के वाटर का जिक्र किया और जिसका संविधान में जिक्र है और उन नदियों के बेसिन के राज्यों को पानी का, नदियों के पानी का बंटवारा करने का सिद्धान्त है और सिद्धान्त के हिसाब से ही राजस्थान को गुजरात से पानी मिले, राजस्थान का पानी गुजरात में जाने की जरूरत हो और सिंचाई हो सके तो गुजरात में भी जाये, गुजरात के मार्फत जाये।

पंजाब का पानी हरियाणा के मार्फत आए, हरियाणा का पानी राजस्थान के अन्दर आये, एक दूसरे राज्यों का आपस में बहुत तालमेल है और बहुत चीजें इसमें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। पर धीरे-धीरे आज कुछ विधान की धाराओं की पवित्रता खत्म हो रही है। जो कानून और नियम के नीचे काम होना चाहिये वह काम होता नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करवाने की शक्ति किसी में भी नहीं रही। चार सौ आदमियों की मेजोरिटी की सरकार केन्द्र में है, आज क्या उन फैसलों को जो फैसले हो चुके हैं जिनका जिक्र किया है, मैं उनको वापस लम्बे-चौड़े तरीके से दोहराने को जरूरत नहीं समझता, जो फैसले हो चुके हैं उनको इम्प्लीमेन्ट करवाने की शक्ति नहीं। कोई किसी राज्य को कहकर आप उन फैसले, जो हो चुके हैं को इम्प्लीमेन्ट करवाने की स्थिति में नहीं। आगे फैसले हुए हैं उनको उखाड़ने में लगे हुए हैं, और इसी तरीके से लगे हुए हैं कि किसी तरह से राजनीतिक जो कुछ आपने वायदा किया वह बनता चला जाये। अब पंजाब की सारी स्थितियां हुई उसके पूरे इतिहास में मुझे आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं और सारा देश जानता है, पंजाब का झगड़ा किस तरह से शुरू हुआ और पंजाब के झगड़े के अन्दर जो मर गये उनका पहले क्या इतिहास रहा और फिर उसके बाद में पंजाब के अन्दर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कैसे यह नये जवानों की टोली बनी, किसने बनाई, किन के प्रोत्साहन से बनी, यह एक अपने आप में भूमिका रखता है, इसमें हम और आप चर्चायें करते जायें इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। पर उस सत्यता को अगर आप परखें तो कुछ ऐसे एलिमेन्ट्स पनपाये गये एक समय के अन्दर बड़े हौसला बुलन्द हो गये और फिर अंकुश से निकल गये और फिर उनके अन्दर जो कि बड़े हौसला बुलन्द हो गये, फिर अंकुश से निकल गये, फिर उन्होंने प्रान्त में एक तरह का वातावरण पैदा किया। उसके बाद में समझौते की बातचीत में कई दफे आई और समझौते करने की स्थिति में भी पहुंच गये, और अभी भी जो समझौता हुआ वह पहले पहुंची उस स्थिति से बहुत उसमें फर्क भी नहीं था फिर इतने बड़ा पंजाब का यह वातावरण क्यों बिगाड़ा गया, क्यों देश का सारा वातावरण बिगड़ता चला गया। सारे देश के अन्दर जो मारकाट हुई, नुकसान हुआ, दोनों तरफ से क्यों करने की जरूरत थी। पर अब उसके बाद में फिर वापस जो दुनिया की बातें हैं, कुछ हमारे लिये, उनको बीच में फंसने की क्या जरूरत थी। अब इस समझौते के अन्दर 1955 का समझौता जो एक बहुत ही बुनियादी और पुराना समझौता है हर तरह से प्रोटेक्टिव, उसके कहने के बारे में प्रधान मन्त्रीजी को और मुख्य मन्त्रीजी को क्या जोर पड़ता है. अगर उनका इरादा साफ है कि 1955 का समझौता रावी-व्यास-सतलज के जल वितरण से बारे में जो बेस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। जबकि आप घुमा फिराकर कुछ बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं, साफ-साफ कहने में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है। वास्तव में राजस्थान को पानी की बहुत जरूरत है, पानी के जरिये उत्पादन होने वाली बिजली की बहुत जरूरत है, राजस्थान के विकास के लिए इन चीजों की जरूरत है पर आज की केन्द्रीय सरकार और आज की राज्यों की कांग्रेस की कई जगह थोपी हुई सरकारें भी, आज देश में नदियों का बहता हुआ पानी जो बेकार जा रहा है उस पानी का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। पिछले दस-पन्द्रह वर्षों का यह इतिहास है कोई बड़े प्रोजेक्ट का फैसला हम करके इस देश में उस पानी का उपयोग नहीं कर पाये हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक नर्मदा का फैसला भी हाइट घटाने का फैसला भी पन्द्रह साल लगे इसको करने में और उसके बीच में उसकी कितनी कीमत बढ़ गई। नेहरूजी के जमाने में एक वक्त था जब उन्होंने भाखड़ा बनाया और फैसला किया और पानी के बंटवारे का जो फैसला करके तुरन्त आगे बढ़े, कितना सस्ता वह बांध बन गया। पिछले पन्द्रह-बीस वर्षों में कितने ऐसे प्रोजेक्ट बने जो अन्तर्राज्यीय हित के हों और नदी के पूरे पानी का उपयोग सही तरीके से कर सकें, बेसिन देश में नदियों का, पानी का उपयोग आज भी नहीं हो रहा है और इसका नतीजा यह है कि पानी के बिना देश की बहबूदी, जो कृषि के लिए जरूरी है वह नहीं बन रही है। इसकी ओर ध्यान ही नहीं है, इसके बारे में आपको याद हो, मैं याद दिलाना चाहता हूं जब राव साहब केन्द्रीय मन्त्री थे सिंचाई के उस वक्त उन्होंने कहा था कि अभी जो विधान, संविधान में प्रावधान है और जो ट्रिब्यूनल मुकर्रर करके फैसला करने की

108

(श्री नाथूराम मिर्धा)

व्यवस्था है उसके अन्दर स्टेट रेफर करे, फिर उसका लम्बा समय हो इन व्यवस्थाओं को बदला जाना चाहिए। उसके बारे में नया कानून बनाना चाहिए. इन्दिरा जी तक इससे सहमत हो गई थीं उस समय मैं भी पालियामेन्ट का मैम्बर था पर दुर्भाग्य से वह कानून पालियामेन्ट में नहीं लाया जा सका। कांग्रेस का जबर्दस्त जोर होते हुए भी जब एक दफा अन्दरूनी तौर से ऊंचे लेवल पर यह तय हो गया कि यह कानून लाया जाये फिर भी वह कानून पालियामेन्ट में नहीं आया।

अगर वह आता तो मेरे खयाल से बहुत से उलझे हुए विवाद उस कानून के नीचे सुलझाये जा सकते हैं। तो देश में नदियों का बहता हुआ पानी फालतू चला जाये, सिर्फ 30 पर्सेन्ट पानी का उपयोग हो, फिर आपका इतना बड़ा बहुमत लाकर केन्द्र की सरकार को और राज्य की सरकारों को लगातार आप इस देश में 38 वर्षों तक राज्य करते रहें, बीच का दो ढाई साल का समय निकाल दीजिये जिसका आप कई बार ज्यादा जिक्र करते हैं, 37-38 साल में सिर्फ दो ढाई साल निकाल दीजिये उसके बाद में सारा राज्य आप लोगों के हाथों में रहा है। उसके बाद में यह पानी का विवाद जो पहले था वह सुलझे नहीं और उलझते ही चले जायें और उनको सुलझाने के लिए जो आगे कुछ सुलझे हुए हैं उनको फिर उलझा दिया जाये तो मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी। राजस्थान के अन्दर तो आपने इन्फास्ट्रक्चर बनाया। इस राजस्थान कैनाल का जो विचार है जिसका कि विरोधी दल ने नेता ने जिक्र कर दिया, लिफ्ट कैनाल की आकांक्षायें हैं, चूरू जिले को मैं और जोड़ना चाहता हूं जो जिले उन्होंने बोले और उसके बाद में पीने का पानी और सारी बातें जो टेल एण्ड तक जैसा आपने कहा कि इस कैनाल की इम्पार्टेन्स एक सुरक्षा की दृष्टि से भी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर यह एग्रीमेन्ट छेड़ा जाता है फिर क्या रहेगा. इस सरकार के हाथ में और केन्द्र सरकार के हाथ में ? फिर तो सारा मामला जैसे एक कानूनी जज के सामने आता है उसी तरह से जायेगा और फिर से कैसे जल का वितरण होगा, इसका आज कोई अन्दाज लगा सकता है। फिर उसके बाद राजस्थान को कितना पानी मिलेगा और जो आप यह कैनाल बनाने की अभी तक आगे जो सोच रहे हैं किसी लेवल पर आपको यह भी फैसला करना पड़ेगा कि अब आगे कुछ नहीं बनाया जाये, जो बन गया वह भी शायद ज्यादा बन गया। पता नहीं मुझे, क्या हो सकता है इस सारे मामले में।

तो अगर यह विवाद खुलता है जिसके बारे में आप कोई स्पष्ट बात इस सदन में कहने को तैयार नहीं हैं और रेडियो पर जो सुनी है वह मैंने बोला, तो सुबह मुख्य मन्त्री जी को मैंने कहा कि आपके रेडियो में प्रसारण में कल यह बात आई थी कि 1955 का एग्रीमेन्ट जो आपने सब मुद्दों की बात की है आप क्लियरली इतना ही बता दीजिये कि 1955 का रावी-व्यास और सतलज के पानी के वितरण का एग्रीमेन्ट जो हुआ है वह वापस री-ओपन नहीं किया जायेगा। ऐसा प्रसारण में कल कहा। आप सदन में कह दीजिये। बहुत स्पेसिफिक तौर से इसको कह दीजिये। अब इतनी बात

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमको कहा, कह दूंगा, और फिर उसके वाद भी कुछ और भी यहां आने के बाद में भी अगर मुख्य मन्त्री जी इसको अपने तरीके से, गोलमाल तरीके से कहें तो निश्चित तौर से यह कोई हमको या किसी को धोखा देने की बात नहीं है। यह प्रश्न राजस्थान की जनता का सवाल है और राजस्थान की जनता को आप एक तरफ यह बात कहें और हमको यहां पर दूसरी बात कहें और फिर कल तीसरी बात होगी तो आपकी और हमारी सबकी क्या प्रतिष्ठा रहेगी ? और कुल मिलाकर के राजस्थान की जनता के अन्दर तकलीफ तो है। जैसे बिजली के बहुत विकास की बात कही, सतलज की, योजना की बात कही। आपने तीन हजार करोड़ योजना की बात कही, पर तीन हजार करोड़ की योजना को पांच वर्षों में पूरा करने के बाद भी तो राजस्थान में बहुत जबरदस्त बिजली की करीब 1000-1200 मेगावाट बिजली की कमी रहेगी, और बिजली की भूख इतनी जबरदस्त है बावजूद इसके कि आपने बहुत दरें बढ़ाई, इस साल में आपने बिजली के विकास का कार्यक्रम कुल मिलाकर रखा है एक हजार गांव का विद्युतिकरण। एक हजार गांवों में विद्युतिकरण का मतलब एक पोल ले जाकर एक लट्टू जला दो तो विद्युतिकरण तो कानूनन हो गया। इसके अलावा आपने दो एक लाख बिजली के कनेक्शन दिये पर आज किसानों का मेरे जिले का मुझे ज्ञान है कि 79 से लेकर आज तक 6500 एप्लीकेशन्स पेण्डिंग हैं और राजस्थान के अन्दर अलग अलग जिलों में करीब सवा लाख, डेढ़ लाख एप्लीकेशन्स पेण्डिंग हैं। अब उसमें से दस हजार कुओं को, किस को देंगे, कैसे देंगे, बाकी के लोग जो कुछ लिये बैठे हैं। बिजली देने का एक तरीका ही और है। तरीके में यह है कि पहले बिजली की मोटर लगाओ, नल लगाओ, खर्चा कर दो, तार जड़ा दो, फिर वह आपको सिक्योरिटी जमा करने की बात कहे। फिर कनेक्शन दें। वह लाखों कुओं में से करीब 50 हजार कुओं में इस प्रकार के किसानों ने खर्च कर दिये हैं। किसानों के खर्चा करने का मतलब यह हुआ कि किसानों को हजारों रुपये का व्याज चुकाना पड़ रहा है। वह किसान तो कल बिजली का कनेक्शन लेने के लिये तैयार बैठे हैं। एक तरफ आप उनको बिजली का कनेक्शन कहेंगे कि भई दस हजार में से ज्यादा तो एक जिले में दो सौ, चार सौ से ज्यादा कनेक्शन आने का सवाल नहीं हैं। तो कुल मिला करके किसान तो बिजली के लिए मर रहा है। देते हैं तो तीन चार घंटे से ज्यादा नहीं मिलती, वह भी टूटती हुई मिलती है। फिर भी बिजली के दाम आपने बढ़ाये। बहुत ज्यादा लोगों ने कहा और खास तौर से आपकी पार्टी के लोगों ने कहा तो आपने एक एक दो-दो पैसा कम कर दिया। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों को योजना बड़ी बता करके, बातें बता करके एक्च्युअल फील्ड में लोगों को क्या मिला। उनकी जो तकलीफें पैदा हुई उनका हल हम कहां तक निकाल पाये। पानी की चारों तरफ से अगर मायूसी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो एग्रीमेन्ट हुए हैं उनको स्टेट लागू नहीं करे, जो एग्रीमेन्ट हैं पुराने उनको खोल दें, जहां कि खोलने को जरूरत नहीं है और सिर्फ एक यही बात क्योंकि उन्होंने एक जबरदस्त प्रेशर बनाया उस राज्य के लोगों ने और राज्य के लोगों ने प्रेशर डालकर पांच-दस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हजार आदमियों की कुर्बानी की और इसकी वजह से आप झट उनके नीचे झुक गये और झुक करके आपने उन्होंने कहा जैसी बात को मान ली और उसके अन्दर दूसरे कोई दुखी हों, उसकी कोई परवाह नहीं की । तो इसका मतलब क्या है, आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को । लोगों को यह सिखा रहे हैं कि जो नागाई करेगा और जो लड़ेगा और जो मारेगा और जो काटेगा, जो जितना उत्पात करेगा उतना ही ज्यादा वह लाभ उठायेगा । यह मेरे खयाल से प्रोत्साहन है, मैं आपको बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं । जैसा आप जानते हैं, अपने सूबे की जनता बड़ी शांत है और झगड़ा नहीं करना चाहती है । पर अगर मरते आदमी को जरूरत पड़े तो मरना तो है ही, लड़कर तो मरो । ठोकेंगे लोग और मजबूरी के अन्दर इन सारी बातों को लोगों को आपको भी समझाना पड़ेगा, हमको भी समझाना पड़ेगा । आप अपने तरीके से क्या समझायेंगे और हमको हमारे तरीके से कहना पड़ेगा, भई, मौत तो आ रही है, न तो कोई नर्बदा और रावी का पानी मिलने वाला है और न माही का पानी भी मिलने वाला है, इस राज्य में रूड़ियारा हो रहा है, न कोई केन्द्र की सुनता है,न कोई राज्य किसी की सुनता है, न कोई राज्य किसी को मानता है, कानून और व्यवस्था, तो डंडा जिसके हाथ में रहेगा उसी की रहेगी । यह अगर सबक आज जिस तरह के हालात खड़े करके सिखाना चाहते हैं, क्या होगा इस देश का ? इसलिए चार सौ आदमी जीत गये, क्या होगा 400 से ? इसलिए आप बहुमत यहां लिये बैठे हैं और राज्यों में लिये बैठे हैं, देश में अगर एक जगह अशांति को दबाने के लिए, झुक करके शांति पैदा करने के लिए दूसरों को फिर आप झोंक दो इस लड़ाई के अन्दर, इसका नतीजा क्या होगा ? इसलिए यह बहुत बुरी बात होगी, हरिदेवजी भाई। इस सारे मामले को ठीक करने के लिए आपको बहुत कम शब्दों के अन्दर हमने निवेदन किया कि कम से कम जितनी बात आपको प्रधान मंत्रीजी से हुई है उस बात को स्पष्ट तरीके से कहिये आप । इस मुहाअदे का नाम जब आपने मुहाअदा कह दिया तो ले लीजिये और यह मुहाअदा अगर नाम लेकर हमको भी यकीन हो जाये कि आपके और प्रधान मन्त्री के बात हो गयी, और रावी व्यास का पानी जो मिल चुका है, जो तारीख आपने बताई उस दिन तो हमारी कैनाल, जैसा सबने कहा, सूखी पड़ी थी । जो 1 जुलाई की बात कही है उस दिन तो हमारी कैनाल में पानी नहीं था । पर फिर भी हमने पानी का मेग्जिमम इण्डेन्ट 6.5 मिलियन एकड़ फीट तक भेजा है । मुझे मालूम है, 6.5 मेग्जिमम इण्डेन्ट भेजा है । अब वह मेग्जिमम इण्डेन्ट भेजा हुआ है, बात सबको मालूम है तो फिर इसके एडजुडिकेशन की क्या जरूरत है ? यह सारा मामला अगर राजस्थान का आगे पानी कितना मिला, अब कितना पानी उनको मिलना चाहिए, अगर खुल जाता है तो राजस्थान की जनता का कोई हिन्दुस्तान को जनता का, मैं राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राजस्थान का प्रोजेक्ट नहीं मानता । राजस्थान के सब लोगों ने तो त्याग और सेक्रिफाइस किया है । कैनाल तो कुछ जिलों में जायेगी । वहां के किसान या और कुछ किसान जाकर वहां बसेंगे और उससे उत्पादन बढ़ायेंगे पर राजस्थान की तमाम जनता का त्याग और कुर्बानी इसमें इन्वाल्व्ड है तब राजस्थान

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कैनाल की इतनी बड़ी कास्ट उठा करके हमने बनाई है और कुछ और बनानी बाकी रह गई है इसलिए राजस्थान के हर आदमी की कुर्बानी इन्वाल्व्ड है। राजस्थान कैनाल की विशेष धरती जो आज कुछ पैदा नहीं करती है वह नया प्रोडक्शन करेगी और नया प्रोडक्शन करेगी सब चीजों का जिसकी देश को बढ़ती हुई जनसंख्या को जबरदस्त आवश्यकता है। हमको हर चीज के अन्दर प्रोडक्शन चाहिए। आज देश के अन्दर कुछ एक दो साल में गन्ना ज्यादा पैदा हो गया, चीनी है, सरकार के सामने स्टाक बनाने की नौबत आ गई। दूसरे साल बाहर से इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ गयी। तेल हमेशा बाहर से मंगाते है, शक्कर बाहर से मंगाते हैं, दालें बाहर से मंगाते हैं। आखिर यह उत्पादन इस देश के लिए बाहर से कितने दिन हम मंगाते चले जायेंगे? इन सारी चीजों के लिए कोई ज्यादा पोटेन्शियल बढ़ाकर इस देश, इस धरती की चीजों को सप्लाई कर सकते हैं तो राजस्थान कैनाल और राजस्थान की धरती के इलाके हैं जहां हम सिंचाई दें तो उत्पादन तेजी से बढ़ सकता है और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की आपूर्ति की पूर्ति कर सकता है। अब इस सारे पोटेन्शियल को जो राजस्थान के लिए जरूरी है, इसकी अहमियत को सोचकर वर्ल्ड बैंक ने भी मदद की, नेहरूजी ने मदद की, डेजर्ट एरिया को पानी दिलाया और उसमें जो पानी अब पाया हुआ है, जो हिस्सा है वह भी 1955 में जो फैसला था वह भी वापिस चला जायेगा तो राजस्थान के किसानों को और लोगों को दुख नहीं होगा? बहुत तकलीफ होगी।

(2.00 म. प.)

उसके साथ-साथ में जो आज जिस प्रकार की परेशानियां बरदाश्त करेंगे उन परेशानियों में जब और समस्यायें जुड़ जायेगी बहुत सी तो लोगों को तकलीफ होगी तो वे लड़ने की कोशिश करेंगे, और लड़ेंगे तो फिर एक जगह से जैसा मैंने कहा आग बुझाई दूसरी तूली फेंक दी, आग जलनी शुरू हो गयी। अगर आप चाहते हैं आगे इस प्रकार का एक वातावरण, उद्वेलित वातावरण राजस्थान के अन्दर खड़ा हो तो फिर ठीक है, दिल्ली की सरकार के लिये भी ठीक है राजस्थान के लिये भी ठीक है। फिर कभी राजस्थान के लोगों की हैसियत होगी, कोई समझौता करने आयेगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो जो होगी सो देखी जायेगी। आखिर आप इस स्टेज पर हमको क्यों मजबूर करते हैं? आप सब सोच समझ करके जितनी बात हम आपसे कहलाना चाहते हैं, वह इतनी ही है कि राजस्थान का पहले का जो पानी हिस्से में आ चुका है वह विवाद न ट्रिब्यूनल के सामने जायेगा, न उसको कोई छेड़ेंगे। राजस्थान का नाम क्यों जोड़ा गया इसको ही समझाने की जरूरत है। धारा एक में राजस्थान के नाम को जोड़ने की क्या जरूरत है? इसके अलावा यह बताने की भी जरूरत है, इतना पानी तो हम एश्योर करते हैं मिनिमम जबकि उस समय बहुत ही कम पानी का उपयोग था, नहर सूखी पड़ी थी। तो मैं सोचता हूं कुछ न कुछ इसके पीछे अन्दर कुछ है बाहर कुछ है, कैसे किसको राजी करना है, कैसे नहीं करना है पर एक जगह आग बुझाकर के दूसरी जगह आग की तुली फेंकना कतई उचित नहीं है। इस बारे में,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हरिदेवजी मुख्य मन्त्रीजी आपकी बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इस राजस्थान के अन्दर जिस तरह के आज हालात है उनमें शांति बनी रहे, लोगों को अपनी मुसीबतें निकालने के लिये शांत तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अवसर मिलता रहे और लोकतन्त्र में बैठे हुए सब लोगों की बात को सुनकर आप उसका सही निदान करें। इसलिये यह कोई प्रेस्टिज का प्रश्न नहीं है न दिस वे है न देट वे है हम यहां बैठे तो हमें कोई आनन्द थोड़े ही आ रहा था, we were not enjoying. हमें बैठने के लिये इसलिये मजबूर होना पड़ा, कुछ आप भी सोचो कुछ भारत सरकार भी सोचे और सोचकर यह आश्वासन दे, वास्तव में पुराने एग्रीमेंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है इतनी सी बात हम चाहते हैं, अब इस मामले में जब आपने नहीं कहा तो इस बहस को इस तरीके से करना पड़ रहा है। हम भी जानते हैं, कौन सा अविश्वास प्रस्ताव हम पास करा देंगे आपके खिलाफ। हम जानते हैं, हमारी ताकत भी कितनी है, आप जानते हैं और हम भी जानते हैं परन्तु हम इसी मुद्दे के ऊपर आपको फिर से अनुरोध करना चाहते हैं, पर फिर भी हम तो हमारी बात कहने के लिये लोकतांत्रिक तरीकों को काम लेंगे, आगे भी जायेंगे, कहेंगे, राष्ट्रपति जी को कहेंगे और किसी को कहेंगे, और कुछ कहेंगे लोकतन्त्र में इसके सिवाय विरोध पक्ष में बैठने वाले लोगों के पास और क्या चारा है ? अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो हम उसी रास्ते चलते। पर लोगों को जाकर के इन बातों के बारे में कुछ जिम्मेदारी से हमें कहना तो पड़ेगा कि आखिर इस सारे फैसले का क्या मतलब है ? राजस्थान का बीच में क्यों आया नाम हम क्या बतावेंगे। हम और चुपचाप भी नहीं रह सकते। आप तो यह भी कह सकते हैं कि भई प्रधान मन्त्रीजी का हुक्म है, चुपचाप बैठे रहो। तो आप तो बैठे रह जाओ हम कैसे बैठे रहें। हम क्या जवाब दें। आप तो सब लोगों को यह कह दें कि बोलना नहीं, नहीं बोलेंगे। हमारी इशारे की बात नहीं है। हमको पूछेंगे तो मजबूरी से बोलना पड़ेगा, भाई अब हुई जिकी हुई पण आ बात है, अरे भाई अब यूं करो, अब झगड़ो करो, अब यूं करो, कहेंगे लोगों को. और क्या कहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कोई मेरा व्यक्तिगत या आपका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है. यह राजस्थान के आम लोगों का सवाल है। राजस्थान सूखा प्रान्त है देश के अन्दर हालात गिरे हैं। वह एक नेतृत्व था जब नेहरू जी के वक्त में, उसमें और आज के नेतृत्व में कितना फर्क है, वह आप भी मन में सब जानते हैं, मैं क्या उसके बारे में आपको बताऊं। कहां कहां पर आज कल कितने पावर के केन्द्र बने हुए हैं. कितने सीमित केन्द्र हैं। इस तरह के लोकतन्त्र में आप लोग घुटन महसूस नहीं करें, आपकी मर्जी की बात है इस लोकतन्त्र में तो मैं सोचता हूं, रहना है तो बिल्कुल आपको बन्धुआ मजबूर रहना ठीक है। जिस तरह के लोकतन्त्र में आप रहते हो ईमानदारी की बात है मैं तो आपको सही कहता हूं, आखिर अपन को बोलने की कोई आजादी है ? कोई कहने की आजादी है....

(व्यवधान)

(श्री नाथूराम मिर्धा)

माताजी बोलेंगी जितने तो एक आध और कही जा सकें।

अनेक माननीय सदस्य : बैठ जायें, बैठ जायें।

श्रीमती इकबाल कौर : असी भी वोट नाल जीत कर आया, कोई वैसे ही नहीं चले आये। गप के वास्ते नहीं आय, थोड़ा ए. पिण्डांच जाके जादा होवेंगा....

श्री नाथूराम मिर्धा : खैर कोई बात नहीं। मैंने कहा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। मुख्य मन्त्रीजी का जवाब तो आप बाद में सुनना, एक महिला सदस्या से आप इतना घबरा रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सुना नहीं। वह क्या बोली हैं? और वे बोलें तो मैं समझूं नहीं। चलिये छोड़िये, तो मैं आप लोगों को आत्मा से अपील करना चाहता हूं, देखिये पोलिटिक्स सिर्फ कोई धन्धा नहीं है। पोलिटिक्स है वह एक नैतिकता का लोगों का प्रतिनिधित्व करने का रास्ता है और वह देश के हित के लिये है और देश के जिस इलाके में रहते हैं इस सदन में बैठते है एक पर्टीकुलर इलाके के लिये है और वह सारा राजस्थान आपका और हमारा सामूहिक राजस्थान है। सबको मिल जुलकर उसकी सेवा कैसे करें, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। सत्ता में रहें न रहें, कितने दिन रहें, यह बेसिक बात नहीं है, बेसिक बात यह है कि हम लोगों का सत्ता में रहकर कितना भला कर सकते हैं। आज जिस तरह का वातावरण आपके दिल्ली के बजट के बाद और यहां के बजट के बाद बना है, मैं उसकी गहराई में, डिटेल में भी नहीं जाना चाहता उसके बाद में लोगों में आज बहुत सी बातों का असंतोष है उनकी नीड्स का, स्कूल एक क्यों नहीं खोला, ऊंचो एक नहीं कर सका, शफाखाना नुग्रो कोनी खुल सके, पहले के चुनावों में हमला एक साथ खोल दिया अबे बारी नहीं आ सके अबार। आगली खामियां ने पूरा करण सारू रुपया खर्च पेड आ बातां ने लोगां ने कठाऊं समझावां। अपन लोगों को यह बातें समझा नहीं सकते आसानी से उनके सामने फिर समस्या के साथ समस्या जुड़ती चली जाये तो लोगों के अन्दर निश्चित तौर से नाराजगी पैदा होगी उस नाराजगी को ठंडा करने के लिये हमको भी प्रयास करने पड़ेंगे और आपको भी करने पड़ेंगे पर आत्मा तो साफ हो, बुद्धि और दिल दिमाग तो साफ हो और उसके बारे में हम लोगों का प्रयास तो सही दिशा में हो। यह सारी चीजें सोचने का प्रश्न है इस सदन के बीच में, इसलिये इस अविश्वास प्रस्ताव को रखने का मतलब हमारे सामने सिर्फ यही था कि इस प्राब्लम को फिर सोचा जाये और जिम्मेदारी के साथ। मैं फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप स्पेसेफिक बोल दें इस बात को कि 1955 के एग्रीमेंट को नहीं छुआ जायेगा, यह मेरी बातचीत प्रधान मन्त्रीजी से हो चुकी है इतनी बात हमको आप कह दें साफ साफ तो हम भी लोगों को जाकर कहेंगे भई प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी विश्वसनीय आदमी हैं और चुनोड्या आदमी है, इनकी बात इतनी विश्वसनीय माननी चाहिए अपन ने। लोगों को कह सकेंगे, यह बात जोर से जाकर कह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकेंगे और नहीं तो फिर आप लोग गोलमाल बोलेंगे तो हम भी लोगों को क्या कहेंगे जाकर के। गोलमाल मत बोलो। वह नहीं बोले तो हमको जरूरत नहीं है वह अपने आगे कुछ बोले नहीं क्या करें। आप तो उनकी तरफ से मिलकर आये हैं बात करके आये हो, साफ साफ कहने में आपको क्या तकलीफ हो रही है। अगर पहले दिन यह कुछ बात साफ हो जाती तो जिन स्थितियों से हमको गुजरना पड़ रहा है वह शायद नहीं गुजरना पड़ता। मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आपको भी कष्ट होता है, तकलीफ होती है, हमको भी कष्ट होता है तकलीफ होती है, इस बात का अगर मानस आपका और हमारा एक है और इरादे हमारे और आपके दोनों के साफ हैं तो फिर साफ भाषा बोलना और साफ उसके साथ कर्म करना उसमें क्या दिक्कत है। तो मेरा कोई बहुत लम्बा चौड़ा भाषण नहीं हैं बहस नहीं है, राजस्थान बिजली और पानी के लिये आज भी बहुत दु:खी है, आगे भी बहुत गुंजाइश नहीं है सुखी होने की, और जो अगर है वह भी कट जायेगा तो और ज्यादा दुखी होगा, जिसको कभी हम सुधार नहीं सकेंगे। तो आप किसी तरह से पूरा जोर लगाकर चाहे कुछ भी इसमें हमें कुर्बानी करनी पड़े, मुख्य मंत्री जी, एक दफा जोर पूरा लगाओ आप इस सारे मामले को ठीक करें ताकि फिर आज इसी बात पर जोर देने के लिये हमने यह अविश्वास प्रस्ताव रखा है, आप अगर हमको यहीं शांत करके सांत्वना कर देंगे तो फिर दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जायेंगे, फिरेंगे, जो कुछ होगा सो देखा जायेगा, आगे की जो कार्यवाही जैसे वैधानिक तरीके से हम जो लोकतंत्र में जितनी कर सकते हैं वह करेंगे। लोकतंत्र के रास्ते हम छोड़कर नहीं चलेंगे। बराबर उसी के हिसाब से जो हमको करना है, वह करेंगे। पर आप भी जरा इसके ऊपर सोचिये और विचार कीजिये, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रो० केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, हमने यह अविश्वास का प्रस्ताव, कोई सेन्टीमेन्टल तरीके से पेश किया हो, ऐसी बात नहीं है, न नाराजगी से और न गुस्से में आकर पेश किया। दो दिन के धरने के दौरान हमने बड़े सीरियस डेलिबरेशन किये इस पर नेशनल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान के वाइटल इन्ट्रस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारा जो अपोजिशन का फर्ज है वह कैसे हम अदा करें, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। हमने जब सोचा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके वोट आफ नो कान्फिडेन्स के अपनी प्रोटेस्ट को, रिजेंटमेंट को जाहिर करने का, लोगों के सामने अपना केस करने का तो हमने इस रास्ते का इस्तेमाल किया। मान्यवर, मैं यहां यह भी याद दिलाना चाहता हूं जो लीडर आफ दी हाउस हैं 25 तारीख को जब उन्होंने टेलेक्स भाषा हमें पढ़ कर सुनाई जो उन्होंने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को भेजी अपनी, उस वक्त उनका डिफाइंग एटीट्यूड था, गुस्से में थे वह, राजस्थान का हित उनके दिमाग में था बतौर चीफ मिनिस्टर के जिनको पूछा नहीं

(श्री केदारनाथ)

उस एग्रीमेंट में सलाह नहीं ली। उनको नाराजगी, गुस्सा था। श्रोटोनोमी का ध्यान रखते हुए जो उन्होंने टेलेक्स की भाषा यहां पर सुनाई हमने उसी भाषा के आधार पर उसके सब्सटेन्स को मानते हुए अविश्वास प्रस्ताव आज आपके खिलाफ पेश किया है। वह भाषा मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि कभी कभी बात बोल जाते हैं सब कांसियस में रहती है, मान्यवर, जब याद दिलाते हैं तो याद आती है। हो सकता है कि शायद माननीय मुख्य मंत्री जी फिर वह फिजा पैदा हो जाय और अपना बयान, आत्म विश्वास वापस रिगेन कर लें और बतौर एक चीफ मिनिस्टर, एक स्टेट की ओटोनोमी के मालिक जिनको पूछा उन्होंने एग्रीमेंट में, वे अपनी बात कह दें, सुधार दें तो हमारा यह सारा झगड़ा तय हो जाय। भाषा क्या है....

"From :—Harideo Joshi, to the Prime Minister, for his personal attention. Have seen possible graft pertaining to share of river waters. Inclusion of name of Rajasthan seems wholly unnecessary and contradicts the substance of reference to the proposed name of Rajasthan."

मैं फिर पढ़ देता हूं "Inclusion of name of Rajasthan seems wholly unnecesary and contradicts the substance of reference to the proposed Tribunal. Insistence of inclusion of Rajasthan seems to be designed .."

बहुत बड़ा खतरा है। 'Designed' means conspiracy, calculated move, mischievous.

"....by the party concerned to create complication in actual flow of water from head works into Rajasthan."

इससे स्ट्रांग शब्द भैरोंसिंह जी, जो माननीय विरोधी पक्ष के नेता हैं, जिन्होंने मूव किया है, ने नहीं किये इस्तेमाल।

"Requests reference to the water Treaty and Memo of Understanding signed in 1955 as also the agreement of 31 December, 1981, at the level of Chief Ministers with the late Prime Miniser as wi ness. Please also refer para 17 of the White Paper issued by the Government of India on 10July 1984 and annexure 5 thereto. Control over headworks should be under B.B.M.B. control as per earlier decision to ensure our due share."

ये बातें मानकर जिस स्पिरिट में, जिम्मेदारी से यह भाषा आपने इस्तेमाल की और टेलेक्स को भेजा वही हमने मानकर आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। मान्यवर, व्हाइट पेपर को आज पढ़ लें जो उस वक्त अकाली पार्टी के साथ बैठकर उनकी 15 मांगों पर हो गया था, 84 की बात है यह। हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर के मरने के पहले हुई है यह। अगर वह बातें उस समय मान ली जातीं जानबूझकर नहीं

(श्री केदारनाथ)

मानी कन्सेन्शस बात होने वाली थी, पार्लियामेंट सैशन में थी, उसमें घोषणा करनी थी जान बूझ नहीं मानी। इसका एक बैक ग्राउन्ड है, नदी के पानी के बारे में आपने कह दिया। मैं भी जिक्र करूंगा वापस उसका, और उसका जो पालिटिकल कांटेक्स्ट है वह जरूर बयान करूंगा क्योंकि आज रेडियो पर, अखबारों में, टेलीविजन पर एक हवा बान्धी जा रही है, अगर यह समझौता न होता तो देश की एकता को खतरा पहुंच जाता, देश की सोविरनिटी को खतरा पहुंच जाता और जो लोग आज इसकी खिलाफत कर रहे हैं वे वह लोग हैं जिन्होंने इस सारी टेरेरिस्ट एक्टीविटी को पनाह दी है उनको प्रश्रय दिया है। यह हवा कायम की जा रही है यह बड़ी खतरनाक है। अगर कोई स्माल सेक्रिफाइस होता मान्यवर, राजस्थान ने हमेशा देश की एकता के नाम से कुर्बानी की है। विरोध पक्ष के नेता जितने बैठे हैं माननीय सदस्य जब कि तीन हमले हुए चाइना के, दो बार पाकिस्तान के, कोई भी आज तक इतिहास में मिसाल नहीं मिलेगी कि हिन्दुस्तान के विरोध पक्ष ने देश की, सारे देश की केन्द्रीय सरकार जो है उसको मदद नहीं दी हो। यह कोई कह नहीं सकता। हम अब भी कुर्बानी करने के लिये तैयार हैं। यह भूमिका हमेशा अदा की है और हमेशा करते रहेंगे, अगर वक्त आया। अगर यह समझौता आप कर लेते तो खून खराबा बच जाता। करता कौन? दक्षिण भारत इनके हाथ से निकल गया, मुसलमानों की भी इनके हाथ से निकल गयी, तो इन्होंने सिक्ख के नाम से, कम्यूनिटी के नाम से सारे उत्तरी भारत के हिन्दुओं के वोट देने के लिये एक हवा पैदा कर दी आनन्दपुर रिजोल्यूशन के मार्फत। देश के टुकड़े हो जायेंगे, एक होमलैण्ड क्रियेट हो जायगा, बफर स्टेट हो जायेगी। पाकिस्तान, चायना, अमेरिका जो तीनों की एक्टीविटीज हैं उसके साथ मिलने से देश को खतरा पहुंचेगा, देश की सारी आजादी को यह हवा पैदा कर दी। चुनाव जीत गये, हम लोग हार गये, उस वक्त अकाली पार्टी का एजीटेशन, मान्यवर, बहुत पीसफुल एजीटेशन था, 82-83 के हाफ के पहले। हजारों क्या लाखों आदमी जेलों में गये, तीन बार पंजाब बन्द रहा, पीसफुल घेराव किये, एक मतलब था सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कि अकाली पार्टी के पालिटिकल इनफ्लुएन्स को समाप्त किया जाय हमेशा के लिये। नम्बर एक। राजनैतिक असर को समाप्त किया जाय। नम्बर दो, हिन्दू और सिक्ख कम्यूनिटी में एक साइक्लोजिकल डिविजन पैदा कर दिया जाय हमेशा के लिये बाई पालिटिकल डिविजन। थर्ड पीसफुल मेथड से एजीटेशन से न मानी जाय उनकी मांगें। ये तीन मतलब थे केन्द्रीय सरकार के जो उन्होंने पूरे कर लिये केवल अपनी गद्दी को कायम रखने के लिये। और किस की मार्फत, मान्यवर, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं ब्लू स्टार आपरेशन में जो मारा गया, उस भिन्डरवाले के मार्फत। कौन था, मान्यवर, ये? सन् 80 के चुनाव में गवर्नमेंट का वफादार सिपाही बनकर लोकसभा के चुनावों में आपका साथ दिया। गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव में मौजूदा तोहरा, लोंगोवाला, बादल अयोग्य हैं इनके खिलाफ जो आज हमारे राष्ट्रपति हैं उनके ग्रुप के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव में हिस्सा लिया।

(श्री केदारनाथ)

उस वक्त क्या क्या जुल्म किया गया ताकि पालिटिकल इन्फ्लूएंस से एक पेरेलल पार्टी बना दी जाय पंजाब में। और उसके कारण, जैसा माननीय नाथूराम जी मिर्धा ने कहा, पहले तो इनके हाथ में था रिसोर्सेज पैदा किये, कुछ नौजवान साथ आ गये, आहिस्ता आहिस्ता एम्बीशन्स इसकी बढ़ गयीं कि अगर मैं होमलैण्ड क्रियेट कर दूंगा, सन्त-फतेहसिंह ने तो पंजाबी सूबा कायम किया, हमेशा के लिये सन्त बन गया, अगर मैं होम लैण्ड क्रियेट कर दूंगा, मैं सिक्खों का ग्यारहवां गुरु बन जाऊंगा और हमेशा के लिये अमर हो जाऊंगा। बस ट्रेनिंग शुरू हो गयी, ट्रेनिंग के लिये हथियार वहां पर आये, इतने तादाद में आये मालूम नहीं कहां सी. आई. डी. रहती थी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की, पंजाब की. वहां ट्रेनिंग शुरू कर दी गयी और एक गुरिल्ला वारफेयर के लिये तैयारी हो गयी। ये उन्हें पनाह देते रहे। जब इनके काबू से बाहर चला गया तब ब्लू स्टार आपरेशन के नाम से वहां पर एक्शन लिया गया। यह इनकी हिस्टरी है. मैं इसलिये बयान कर रहा हूं ये सारी बातें जो आज आतंकवादी ताकतें पैदा हुई हैं, इनमें हाथ आपका, केन्द्र सरकार का, जो कांग्रेस के दो हिस्से हैं, उन दोनों का है, यह हमारा दोष नहीं, जो विपक्ष को आप देना चाहते हो, यह हमारा नहीं है। हमें यह कह कर कि इस समझौते का यह विरोध कर रहा है, नेशनल पर्सपेक्टिव के खिलाफ है, देश की एकता के खिलाफ जो ताकते हैं उनमें शामिल हैं लोग, यहां जो चार्ज हमारे खिलाफ लगाया जाता है, यह चार्ज मैं आपके खिलाफ लगाता हूं। यह इसकी पृष्ठभूमि है. मान्यवर, अकाली पार्टी अब हारी बैठी है। इस समझौते का जो विरोध कर रहे हैं, यह हमारा दोष नहीं है। देश के पर्सपेक्टिव में सभी अपोजीशन पार्टीज ने साथ लेना छोड़ दिया जो यंग लीडर का कैडर मोटिवेटेड है, जो मिलिटेन्ट हैं, जो एविडेन्स हैं वह छोड़ गया। उस वक्त अकाली पार्टी को आपने जिन्दा किया, केवल इसलिये वह भी केवल पालिटिकल गेम खेलने के लिये। मान्यवर यहां अखबारों में बयान दिया गये हैं कि यह एक्ट आफ डिप्लोमेसी है। मुझे समझ में नहीं आता, अंग्रेजी के लफ्ज का क्या मतलब है? यह एक्ट आफ स्टेटसमैनशिप है। यह बयान पालिटिकल बयान है, सेटिलमेंट पालिटिकल सेटलमेंट और उनको यह सलाह दे दी कि नेशनल पर्सपेक्टिव में इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं था। साइक्लोजिकल इम्पेक्ट सारे देश में ऐसे बनेंगे कि आयन्दा के लिये एक्सट्रीमिज्म, टेरेरिज्म समाप्त हो जायेंगे। यह हवा पैदा की जा रही है। मान्यवर, न आज समाप्त हो वह, न कल समाप्त हो, जैसे हालात आज देश के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के, राजस्थान के, वह आप देख लीजिये।

अब मैं असली मकसद पर आपके सामने आता हूं। मान्यवर, क्या आप सोचते हो जिन्होंने यह ड्राफ्ट पेश किया, वहां पर एग्रीमेन्ट को जिसे हम मैमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग कहते हैं। एग्रीमेंट कहते हैं सैटलमेन्ट। क्या आप सोचते हो, यह ड्राफ्ट किसी ने ऐसे ही पेश कर दिया? इसमें एक लफ्ज, माननीय जोशी जी, 55 का, 81 का, इन्टरनेशनल ट्रीटी, जो इण्डस वाटर ट्रीटी है, जिसका जिक्र किया कोई लफ्ज नहीं जोड़ा गया। इसे आप एग्रीमेन्ट मानते हो

(श्री केदारनाथ)

क्या ? कोई एग्रीमेन्ट नहीं। शेयर किस बात का ? कौन सा शेयर ? रिवर्स का शेअर, हिस्सा कहां से मिला हमें ? कौन से वह एक्ट थे, कौन से वह एग्रीमेन्ट हैं जो इनवाऐट किये हमारे साथ ? कहीं उनका मेन्शन नहीं, मान्यवर। तो हम यही बात चाहते हैं कि वह मेन्शन हो जाय हमारा शेयर हमारे सामने आ जाय और उस सारे एग्रीमेन्ट को रि-ओपन न किया जाय, यही जो माननीय विरोधी पक्ष ने मूव किया है उसका मेन थीम इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, उसका मेन थीम यही थी और यही मेन बर्डन आपका है और उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए हम लोग जब इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि राजस्थान का क्या हाल होगा ? आपने राजस्थान कैनाल का फर्स्ट फेज कम्पलीट लिया। दूसरे फेज में 250, 300 करोड़ और लगेंगे। और जो लिफ्ट इरिगेशन आप प्रपोज कर रहे हैं मेरे ख्याल से 450, 400 करोड़ उसमें लगेंगे और कितना आपने, जैसा आपने कहा, पोटेन्शियल आपने क्रिएट कर लिया, इस्तेमाल करने की आज क्षमता आपकी है तो यह पानी कहां से आयेगा ? मैं एक निवेदन कर दूं आपको कि तीन बार तो भाखड़ा को तोड़ा उन्होंने, आठ दस साल पहले जब मौजूदा राष्ट्रपति हमारे मुख्यमंत्री थे पंजाब के उन्होंने गंग-कैनाल को तोड़ा था 67 आर डी से 30 क्यूसेक्स की एक नयी नहर निकाल ली, एक चैनल निकाल ली। जब पानी लेना हो तो हमें पूछते नहीं, पानी इस्तेमाल करना हो पूछते नहीं, हमें बिजली देने में उनका एतराज, हमारा हिस्सा हमें देते नहीं। तो मुझे बताइये हैड वर्क्स आपके हाथ में नहीं हैं, मुझे बताइये, यह समझौता किस बात का है ? हैड वर्क्स के नाम गायब हैं, 55 का नाम गायब, 81 का नाम गायब है। इसे आप समझौता मानोगे। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, जिसका वास्ता एग्रीमेन्ट से हो, वह इसको समझौते की तारीफ में नहीं मानेगा। मैं, मान्यवर, इस बात को और मानकर चलता हूं कि राजस्थान का क्या होगा ? आपने विश्लेषण कर दिया, बिजली की कितनी कमी रहेगी, यह आपने विश्लेषण कर दिया, राजस्थान की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, यह आपने विश्लेषण कर दिया। राजस्थान आप सोचते हो, आज इस एग्रीमेन्ट में जैसी आप भाषा बोल रहे हो, माननीय जोशी जी, इस भाषा को बोलते हुए देश में साइकोफेंट्स पैदा हो जायेंगे। मेरा ख्याल है आपकी यह मन्शा नहीं है कि जो बात चाहें हम से कहलवा लें। मेरा ख्याल है यह आप अपनी आत्मा से नहीं बोलेंगे। इस देश में इस एग्रीमेन्ट में जो आप अपने आप हां बोलता है केवल प्राइम मिनिस्टर की वाहवाही करने के लिए, करने के लिये तो मैं सोचता हूं साइकोफेंसी पैदा होगी इस देश में। न सैल्फ रेस्पेक्ट रहेगी, न आत्म-विश्वास रहेगा, न आब्जेक्टिव थिंकिंग रहेगी, न असेसमेन्ट रहेगा। इस देश में अगर आप चाहते हो इस देश को इस ओर ले जाना तो आप ले जाइये. हम लोग इसके खिलाफ हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सारी ओवर आल हमारी इकोनोमी को बहुत सेट बैक पहुंचेगा। आपको हैड वर्क्स का कन्ट्रोल देने वाली नहीं, जैसा यह सैटलमेन्ट है मैं इस बात को मानकर चलता हूं अकाली पार्टी जीतेगी। मैं जानता हूं आज मासेज जब माननीय लोंगोवाल दूसरे स्टेट में घूमने गये, मान्यवर, उसने पाया कि सिख

(श्री केदारनाथ)

क़ौम में फीलिंग आफ हर्ट एलीनेशन पैदा हो गया, यह पैदा हो गया इसमें कोई शक नहीं जब सिख कौम ने यह पाया कि हम मैन स्ट्रीम से अलग हो गये और हमने जो पालिटिकल प्रोसेज था इस देश का डैमोक्रेटिक प्रोसेस उसको डाइवर्ट और खतम करने की कोशिश की है तो हमें नुकसान पहुंचा । यह जनरल अवेयरनैस जब उन्होंने पायी तो माननीय लोंगोवाल के दिमाग में यही चीज आयी कि तब तो सैटलमेन्ट करना ही ठीक है । टोर्न थे वह, हताश थे उस वक्त आपने यह सैटलमैन्ट किया, यह बहुत बड़ा घातक सैटलमेन्ट । आप सोचते हैं इस देश में हवा बन जायेगी । हवा आपके खिलाफ रहेगी । जिस दिन लोग व्हाइट पेपर की सारी बातें पढ़ेंगे । जो कन्सेन्शस हुई 84 में, उन एग्रीमैन्ट्स की शर्तें पढ़ेंगे और उसके बाद जितना कारनेज हुआ, ब्लड बाथ हुआ, प्रापर्टी का नुकसान हुआ, इन्नोसेंट आदमी मारे गये, जब वह पढ़ेंगे सारी कहानियां तो हमारा पक्ष उनके दिमाग में मजबूत होगा, आपका पक्ष कमजोर होगा । आखिर देश के सामने यह चीज आनी चाहिए । मैं इसलिए यह सारा पालिटिकल आस्पेक्ट्स आपके सामने बयान कर रहा हूं कि हमेशा पोलिटिकल आस्पैक्ट्स ध्यान देने के बाद लोगों में जागृति पैदा हो जायेगी, जानकारी मिलेगी, आखिर एग्रीमेन्ट किस बात का है । यह मैंने आपके सामने निवेदन किया ।

दूसरी बात, जो यह अविश्वास का प्रस्ताव है मैं यहां पर रिवर्स की बात नहीं करना चाहता, मैं आपको सारे देश की, आपने राजस्थान में हालात यह हैं कि क्या आप सोचते हो, इतने प्लान के बाद, सारे देश में इतने प्लान डवलपमैन्ट के बाद इतनी इन्सटीट्यूशनल चेंजेज आप ले आये, क्या कोई स्पेशल सोशल चेंज देश को आप दे पाये । 37 साल की इस प्लानिंग के बाद भी कोई इन्सटीट्यूशनल चेंजेज हमारे आये नहीं । जब फर्स्ट प्लान बना वहां पर उस वक्त 40 लाख बेकार थे, अब सिक्स्थ प्लान के बाद कितने बेकार हैं, मालूम हैं आपको ? अंदाज ही नहीं । कोई 8 करोड़ कहता है, कोई 9 करोड़, कोई 11 करोड़ कहते हैं, यह बेकार है, हर साल, मान्यवर, 70 लाख लोग, जो नये रोजगार चाहेंगे नये जोन चाहेंगे, नया काम चाहेंगे वह आपके मार्केट में आयेंगे 70 लाख लोग और कितने दे पा रहे हो आप, एक साल में 25-30 लाख को रोजगार आप दे पा रहे हो । यह इतना बड़ा आपका फर्क, इसके साथ जो डिस्पैरिटी की जो बात है, जो विषमता है वह बढ़ती गयी । आप देख लीजिए, आपका फोरेन ट्रेड का डैफीशिट कितना है आज ? कितना है 5000 करोड़ एक साल का फोरेन एक्सचेंज आपका कम होता जा रहा है ।

डैप्रीशिएशन की स्टेज पर है आज । आपका डेफीसिट फाइनेंस आप देख लीजिए । यह इकोनोमी की हालत सारे देश की मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं । आप कहां आगे बढ़ रहे हैं । कोई रास्ता आपके पास नहीं, कोई सोशल चेंजेज नहीं । जहां तक राजस्थान का सवाल है, माननीय जोशी जी, आपने 7,000 हजार करोड़ रुपया खर्च किया प्लान के लिए और कितने आपके विजुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं टेंजीबल, 38 करोड़ केवल । और आपने 2500 करोड़

(श्री केदारनाथ)

खर्च किया आपने प्रशासन पर । एक प्रति व्यक्ति कितना खर्चा हो गया ? 750 रुपये और हमारी 70-71 के प्राइसेस के बिना पर प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है ? 595 रुपये । फाइव नाइन फाइव रुपीज । खर्चा आपके प्रशासन पर इतना और प्रति व्यक्ति आमदनी आपकी यह । अगर इसको आप सोचते हो, हमारी इकोनोमी आगे बढ़ रही है, अगर आप सोचते हो, नयी टैक्सटाइल पालिसी, नयी कम्प्यूटर, जो आपने नयी इलेक्ट्रोनिकी पालिसी बनायी है जो आज, उसमें आप सोचते हो आयन्दा बेकारी मिट जायेगी, भूख मिट जायेगी देश में एकता समानता आ जायेगी, यह बिल्कुल स्वप्न होगा इस देश के लिए । मैं आपसे निवेदन कर रहा था, खुद आप देखिये, आंकड़े आपके पास है, किस हालात में आप आज हो । कोई हालात आज हमारे सामने सोशल हमारी लाइफ कैसी है, मान्यवर, कास्ट, इन्टरकास्ट सबकास्ट टेन्शन आपने पैदा कर दी । ऐसे हालात पैदा कर दिये जो आज जो गांवों की हारमनी थी, पीस थी उसको समाप्त कर दिया आपने हमेशा के लिए लोगों में झगड़े पैदा कर दिये । हमारी खुद की पालिटिकल लाइफ है आज कितना क्रिमिनल एलीमेन्ट शामिल हो गया, इलेक्शन का तरीका आप जानते हो, कितना पैसा, मसलन, सरकारी खर्च, मशीनरी का इस्तेमाल यह सारे रास्ते किस ओर जा रहे हैं । आयन्दा आपका डैमोक्रेटिक सैटअप, हमारी ओर से नहीं, की रैंक करने का, सबवर्ट करने का अगर चार्ज लगेगा तो आप पर लगेगा । कांग्रेस पार्टी पर लगेगा, अपोजीशन पर नहीं लगेगा । मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, मान्यवर, सारे देश की हमारी लाइफ को देखते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं, आज, माननीय जोशीजी, एम. एल. ए. का बजट के बाद, असेम्बली सैशन समाप्त होने के बाद क्या रोल है हमारा, आपकी इकानामिक पालिसीज के इम्पलीमेंटेशन में, जो कानून हम यहां पर पास करते हैं उनके इम्पलीमेंटेशन में क्या रोल है एम. एल. ए. का ? क्या रोल है कांग्रेस पार्टी, रूलिंग पार्टी का ? कोई रोल नहीं हैं, स्टेज पर कोई रोल नहीं है । मासेज के इन्वाल्वमेंट का सवाल नहीं उठता । जो एम. एल. ए. हैं डिग्नीफाइड, इलेक्टेड आदमी हैं, उनकी कोई कीमत नहीं । किसी आफिसर के पास जाओ, मैं यह नहीं कहता, अच्छे भी आफिसर्स हैं, आम तौर पर 90 पर्सेन्ट आफिशियल्स जो बड़े हैं जिन्हें ब्यूरोक्रेट कहते हैं, जब उनके पास एम. एल. ए. जाता है, नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, किसी और दृष्टि से देखते हैं, बात करना पसन्द करते । यह आपका रिवाज, मैन्टेलिटी पैदा हो गयी राजस्थान में । यहीं नहीं पंजाब और सब जगह पैदा हो गयी । अब यह कैसे ब्रेक थ्रू करोगे आप, कैसे यह काम कर पाओगे आगे, हम लोगों की यह आइडेन्टिटी कैसे आप कायम कर पाओगे, मैं समझता हूं यही बड़ी मुश्किल की बात है ।

मैं यही बात नहीं करता, आयन्दा आपका लॉ एण्ड आर्डर देख लीजिये, आपकी सारी मिलिटरी को आपने डिप्लाय किया, मान्यवर पैरा मिलिटरी फोर्सेज को डिप्लाय किया, आपने स्पेशल फोर्स बना ली । जो भी इस कान्स्टीट्यूशन के तहत जो लॉ बना सकते हैं वह भी इनैक्ट कर दिया, सारे

(श्री केदारनाथ)

सख्त से सख्त आपने इस्तेमाल किये रिप्रे-सिव मैजर्स फिर भी उस एलीमेंट को आप कन्टेन नहीं कर पाये जब हार गई सारी ताकत तब आपने अकाली पार्टी से समझौता कर लिया। उस एलीमेन्ट के रहते हुए मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। नयी अकाली पार्टी का हमदर्द उग्र एलीमेंट था। आज बादल साहब टोहरा साहब की बात तो मैं नहीं कहता, टोहरा साहब दो तरफ चलते हैं, बादल का इन्टेन्शन और बोना-फाइड पर मैं विश्वास करता हूं। उनको खुद को यह भी मालूम नहीं पड़ा, अन अवेयर पकड़ा इस समझौते की मार्फत, केवल दो दिनों में आपने कर लिया, नेशन तैयार नहीं था, आपने किसी को ज्यादा विश्वास में नहीं लिया। जो स्टेट्स थीं कन्सर्न्ड उनको विश्वास में नहीं लिया, समझौता कर लिया और कहने के लिए कि साइक्लोजिकल इम्पेक्ट पड़ेगा सारे देश में और कन्टेन कर देंगे हम टेरेरिस्ट फोर्सेस, यह आपका वहम है। जब तक आप इकोनामिक-सोशल चेंजेज नहीं लाओ, आज अकाली पार्टी में, मान्यवर, यह मैं मानता हूं कि अगर सबसे पहली सेंसस हुई, मान्यवर, अगर सही तरीके से लेंग्वेज के ऊपर आप पंजाब को कर्व-आउट करके प्रान्त बना देते, उसका हिस्सा हिमाचल प्रदेश को न देते, उसका हिस्सा हरियाणा को न देते, आज पंजाब में रिजेन्टमेंट पैदा नहीं होने वाला था। यह हमने किया है, भाषा मेरी पंजाबी और सेंसस में लिखी हुई है हिन्दी। यह आज से बीस साल पहले जिन लोगों ने बीज बोये हैं उनमें मेन हाथ कांग्रेस पार्टी के सेक्शन का था। आज जो राष्ट्रपति बने बैठे हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, उनके बारे में कन्ट्रोवर्सी है कि ये मैन पिलर्स हैं इन बातों के लिए जो पंजाब में आज बिगाड़ पैदा हुआ है, यह नारा कहां से लगा? मान्यवर, फिर भी इतने प्रवोकेशन होने के बाद भी, मान्यवर, देहात में एक इन्सीडेन्ट नहीं मिला। कोई मार काट नहीं हुई, कोई झगड़े नहीं हुए। शहरों में नहीं हुए। बसों से उतार कर मारे गये। दुकानों में मारे गए, पुलिस स्टेशन के सामने मारे गए, सेक्रेटेरियट के सामने मारे गए और जगह मारे गए मगर देहात में एक भी इन्सीडेन्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हिन्दू और सिखों में एक बहुत बड़ा आपस में मेल है, बहुत बड़ा रिश्ता है। आपस में। उस रिश्ते को आपने तोड़ कर फेंक दिया और इस सेटलमेन्ट के जरिये से अगर सिख कौम वापस मेन स्ट्रिम में आ जाये, जो मिलिटेन्ट मोटीवेटेड यूथ है, जो बिखरा हुआ है आज अगर वह सही रास्ते पर आ जाये, अगर वह एलीमेन्ट इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना विश्वास जाहिर कर दें, मौजूदा कान्स्टीट्यूशन के फ्रेम वर्क में अपना विश्वास जाहिर कर दें, अपनी मांगों को उसकी मार्फत मनवायें तो हमें बड़ी खुशी होगी कि उस एग्रीमेंट के बाद राहत मिली। अगर इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के बाद वैसा का वैसा वातावरण रहा, केवल पालिटीकल पावर के पंचर करने के लिए और, मान्यवर, छुपे हुए उनके इरादे हैं, होम लैंड के लिए वापस आपके सामने आ जाते हैं तो यह बड़ा खतरनाक होगा हमारे सामने और इसके रिजल्ट हमारे लिए बड़े खतरनाक होंगे। क्योंकि मान्यवर, हरियाणा पंजाब के बार्डर से मेरा काफी वास्ता है। मैं खूब जाता आता रहता हूं। तो मैं

(122)

(श्री केदारनाथ)

आपके सामने अपने एप्रिहेंशन पेश कर रहा हूं मिसगिविंग्स पेश कर रहा हूं, इन इन बातों के साथ जो इसका पालिटिकल आस्पेक्ट है वह समाप्त करते हुए अब अपनी बात कहता हूं। आज गंग कैनाल की कैपेसिटी 2760 क्यूसेक्स है। भाखरा की है 2530 और राजस्थान कैनाल की है 1800 इस कैपेसिटी में आपको बता रहा हूं और इसके लिहाज से हमारे शेयर तय हो गये डैम में, जब बड़े कन्सट्रक्शन शुरू हुए हमने पैसा दे दिया। हमने चेनल्स के डिजाइन बना लिए क्योंकि फर्स्ट फेज सब पूरा कर दिया। क्या हाल होगा हैड वर्क्स उनके पास हैं। कौन, माननीय जोशी जी, पानी ले आएगा, यह मुझे आप बताइये। 0.6, साठ हजार जो एकड़ फीट हमारा पानी है उसने इस्तेमाल कर लिया है। आप चलिये मेरे साथ अम्बाला में, चलिये हमारे साथ आगे, जाकर देखोगे आप, तो सारा इस्तेमाल पानी कर लिया है। क्रोप्स के पैटर्न बदल दिए उसने। कहीं चावल, कहीं बगीचे, कहीं शुगरकेन। सारा पैटर्न बदल दिया उसने, कहीं सब्जी, कहीं कुछ। पैटर्न बदल दिया। आपका 0.6 जो 60 हजार एकड़ फीट पानी का इस्तेमाल कर लिया। कौन वापस लाएगा। आपने कह दिया, एग्रीमेंट हमने मान लिया। कौन वापस लाएगा? जैसा माननीय विरोध पक्ष के नेता ने कहा कि पांचों जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं, उसमें बिजली जो है, दो बार तीन बार पानी आपका ले गये रोपड थर्मल प्लान्ट ठन्डा करने के लिए, बिजली के हिस्से के लिए रेफरेन्स कीजिए आप सुप्रीम कोर्ट का। कौन आपको बिजली देगा? न पानी मिले, न बिजली मिले फिर राजस्थान की प्लेन्टी प्रोसपेरिटी कहां से लाओगे आप? राजस्थान की इकानामी कहां से सुधारोगे आप? बेकारी, भूख कहां से मिटाओगे आप? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब जैसे बिजली के बारे में कहा गया है कि 85-86 में मांग होगी 1738 और उपलब्धि होगी 1249। 28 पर्सेन्ट की कमी। इसी ढंग से 86-87 में 18 पर्सेन्ट की कमी और 87-88 में 32 पर्सेन्ट की कमी और 88-89 में 28 पर्सेन्ट की कमी और 89-90 में 26 पर्सेन्ट की कमी। यह तो आपका हाल है बिजली का और यह मैंने पानी की बात में कहा। मैंने आपको पालिटीकल आस्पेक्ट बता दिया राजस्थान का। मैंने हमारा खुद का एम. एल. एज. का इंवाल्वमेन्ट बता दिया। ला एण्ड आर्डर पोजीशन आपके सामने बयान कर दी। आज राजस्थान के प्रशासन की क्या पिक्चर है लोगों के दिमाग में। क्या इस मन्त्री मण्डल की तस्वीर है लोगों के दिमाग में, उसका निवेदन कर दिया। अब मुझे बताइये आप, टैक्सेज आपने लगा दिए। आपकी हिम्मत यह नहीं हुई कि आपका शेयर है सेन्टर के सारे टैक्सेशन में उसमें ज्यादा हिस्सा ले आते। फार्मूला आप बदला देते। जो फाइव पर्सेन्ट मिला टोटल टैक्सेज में आप सात पर्सेन्ट ले आते तो टैक्सेशन की जरूरत नहीं। वह रास्ता तो आपने लिया नहीं और रास्ता आपने सबसे खतरनाक ले लिया। अब जैसा माननीय मिर्धा जी ने कहा, हम अपने इलाके में ज्यादा इफक्टेड हमारा इलाका है, जोधपुर रीजन, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर यहां तक भी आ जाता है और सारा चूरू, बीकानेर, गंगानगर सबसे अच्छा फर्टाइल इलाका और जिसमें लड़ने

(श्री केदारनाथ)

की पोटेंशियलिटी है, जिसने लड़ने की अपनी ताकत को आपको असर्ट कर दिया. एक बार नहीं कई बार असर्ट भी कर दिया, उनको फिर बिगाड़ा आपने । हमारे पांच दस हजार आदमी हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं । किसलिए लड़ें ? जोशीजी, पर्सनली आपके खिलाफ नहीं, लड़ना पड़ेगा जिस दिन हमारे इन्ट्रेस्ट का सवाल आएगा । उसमें कौन अफेक्टेट हैं, जो एग्रीमेन्ट से अफेक्टेड लोग हैं सिख कौम के लोग नहीं लड़ेंगे । इसकी बहनें हैं, भाई हैं, देवर हैं, क्या वह नहीं लड़ेंगे ? लड़ेंगे जिसके खेत में पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी, हरियाली सूख जायेगी, लेण्ड का कल्टीवेशन बन्द हो जाएगा, वह लड़ेगा । हमें सिवाय मजबूर करने के आपने हमारे पास रास्ता नहीं छोड़ा । लड़ना पड़ेगा, लड़ने का तरीके क्या होंगे यह हम सोच रहे हैं । आप उसको अवाइड कीजिए । माननीय, जोशी जी, केवल प्रश्न इस बात का है कि आप क्यों नहीं नाम लेना चाहते '55 का । मुझे समझ में नहीं आया । मैं पर्सनली आपको जानता भी हूं, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, 55 में ऐसा कौन सा हो गया ? क्या ह्यूमिलियेशन की टर्म हो जाता, क्या सेक्रोलाजियस टर्म है कोई कि आपके गले से उतरती नहीं, 55 का एग्रीमेन्ट रिओपन नहीं होगा । मान्यवर, हमारे विरोध पक्ष के नेता ने और मिर्धा जी ने एक ही बात कही, और कुछ मत कहो आप, 55 के एग्रीमेन्ट में जो हमारा हिस्सा इननसियेटेड है 8 मिलियन एकड़ फीट का, आप कह दीजिए, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे । यह एक ही बात है, क्यों इतनी बहस होती, क्यों इतनी बातें कही जातीं । एक ही बात है । मैं समझता हूं कि मैंने आपको बात कही । यह डिबेट, मान्यवर, लम्बी चलनी चाहिए । हमारा यंग एलीमेन्ट इसमें जरूर हिस्सा लेगा । माननीय सदस्य, जो वेल इन्फार्म्ड हैं इस सबजेक्ट के ऊपर वे अपनी बात कहेंगे । और मैं सोचता हूं माननीय शोपतसिंह जी के बाद उधर से भी कोई आयें, डिबेट में हिस्सा ले ताकि डिबेट कोई लिवली हो, ज्यादा एन्करेजिंग हो और कुछ रिजल्ट आए । इन शब्दों के साथ न गुस्से से, न राजनैतिक से यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, न कोई इमोशनल सेन्टीमेन्ट में आकर किया जो बातें आपके कहने से इसमें लिखी हैं, उस बात को मनवाने के लिए राजस्थान के हित को देखते हुए, आयन्दा की जनरेशन के प्रति हमारी वफादारी, जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए यहां विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव पेश करके अपनी नाराजगी जाहिर की है और राजस्थान के हित के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास जाहिर किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोपतसिंह ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल से सारी विजिटर्स गेलेरीज में केवल सी. आई. डी. के आदमी हैं । आम जनता को इसमें आने की इजाजत नहीं दी गई है ।

(व्यवधान)

या तो स्टाफ के हैं या खाली हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, काफी हैं । काफी लोग हैं जिनके

(124)

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पासेज बने हुए हैं, इधर महिलायें आई हुई हैं ...

एक माननीय सदस्य : सी. आई. डी. वालों को भी जानते हो आप ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को इजाजत नहीं मिल रही है।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सारी गैलेरीज खाली पड़ी हैं। आप देखलो खुद।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख रहा हूं कि विजिटर्स बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहनप्रकाश (राजाखेड़ा) : आज सुबह हमने जिनके पास बनाए थे वे आए ही नहीं अभी तक।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : पास बनाए ही नहीं जा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं अगर कोई इन्डीविजुअल केसेज हैं जिनके पास नहीं बने हुए हों तो मुझे कहें कोई नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूं।

श्री दिग्विजयसिंह : गेलेरीज में जो बैठे हुए हैं उनका वेरीफिकेशन करवा लीजिए, ये सब सी. आई. डी. के आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसी को नहीं आने दे रहे हो, या कोई पास नहीं बने हों तो उसका इन्तजाम मैं करवा सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हमने जिनको पास दिया था उनको अलाऊ नहीं किया है।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : ×××

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको नाम बताता हूं। सरपंच महरोला हरजीराम जिसका नाम है, उसका पास बनने को दिया था लेकिन वह आया नहीं है।.... मैं आपको नाम बता रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर.....अलग अलग समय रहता है।

श्री दिग्विजयसिंह : एक घन्टा हो गया, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य .. आर्डर, आर्डर ..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक नई सूचना दे रहा हूं। आप ऊपर की

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तरफ देखिये, आगे की सब पंक्तियां खाली करा रखी हैं। यहां पर सब सी. आई. डी. के आदमी बैठे हैं। आप देखिये...

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख रहा हूं....

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : ये महिलायें बैठी हैं दोनों तरफ गेलेरीज हैं, ये सी. आई. डी. के आदमी हैं.. आप इनका अपमान तो मत करो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ...

(व्यवधान)

अगर कोई मामला हो तो मेरे पास भेज दें। अगर विजिटर नहीं आ रहे हैं तो हम कलेक्ट करके तो नहीं लायेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : पास तो बन रहे हैं, आप चाहें जितने मैं बनवा दूं —

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय हरिमोहनजी, माननीय दाऊदयाल जी माननीय सदस्य आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर। मैंने कह दिया कि किसी के नहीं बन रहे हैं तो मेरे पास स्लिप भेज दें। बो बिल नोट दी ..

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : आप × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, मैंने कह दिया What do you want more ? I am not expected to see them. माननीय शोपतसिंह जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने एक बार मुस्कराया था।

श्री मोहन प्रकाश : यह भरतपुर में अंग्रेजी कब से आ गई।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस एग्रीमेन्ट के बाद बीकानेर और गंगानगर जिले के लोग जितने परेशान हैं, निश्चित रूप से हम चाहते थे कि आखिरकार हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जो टेलीस्कोप से भाषा बोल रहे थे, दे रहे थे टेलेक्स से -

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शोपतसिंह जी कृपया अपने औजारों को ठीक रखियेगा।

श्री शोपतसिंह : टेलेक्स से।

श्री उपाध्यक्ष : जिस औजार से वही काम लें दूसरा काम नहीं लें।

श्री शोपतसिंह : हां कोई बात नहीं। टेलेक्स से जो भाषा बोल रहे थे, हम सोच रहे थे कि कुछ जवां मर्द हैं उनमें अभी कुछ हिम्मत है हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री में, मगर दूसरे दिन जब आए तो सिर्फ पंचर होकर आए। एक ही भाषा बोलते रहे लगातार कि राजस्थान के हित सुरक्षित रहेंगे। जिस तरह से टेप भर कर आता है

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शोपतसिंह)

कोई आदमी, उस टेप की तरह बोलते रहे। उनके सिवाय कोई दूसरी भाषा नहीं बोली हमारे मुख्य मंत्री जी ने। स्वाभाविक बात है, मुख्य मंत्री जी, आखिरकार आपके हित सुरक्षित हैं राजीव गांधी के हाथ में। यह कोई अमृतधारा की तरह तो नहीं है कि आपका सिरदर्द करे तो लगा लो, पेट दर्द करे तो लगा लो, कहीं पैर दर्द करे तो उसे लगा लो। सिर्फ यह भाषा काफी नहीं है इस देश के अन्दर कि राजीव गांधी के हाथ में इस देश के, राजस्थान के हित सुरक्षित हैं। यह भाषा काफी नहीं है। आखिरकार हम लोग जो बैठे हैं यहां पर प्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं राजस्थान में, हम भी तो इस राजस्थान के हितों के लिए बात कर कर रहे हैं। हम कौन सी दूसरी बात कर रहे हैं। आज कोई चुनाव नहीं होने जा रहा, आज कोई बात नहीं होने जा रही। आखिरकार आपको परहेज क्या है? हमारे यहां अभी भी रिवाज है कि औरतें जेठ का नाम नहीं लेतीं, बाकी और सबका लेती हैं। पर जेठ का नाम नहीं लेती हैं....

एक माननीय सदस्य : पति का नाम भी नहीं लेती हैं।

श्री शोपतसिंह : तो यह कोई जेठ के नाम की तरह है, यह 55 और 81 का कौन सा ऐसा नाम है जो कि आपको शर्म आ रही है नाम लेने से। अन्दर तो आप नाम ले लेते हैं, अन्दर कहते हैं हित सुरक्षित हैं रात को हमने रेडियो सुना और जब हमने रेडियो पर सुना तो हमने इस बात पर विचार किया, हम यही चाहते थे, उस दिन हमने एक ही बात कही थी विरोधी पार्टी की तरफ से कि आप राजीव गांधी की तरफ से यह बात कह दीजिए कि 55 और 81 के हमारे एग्रीमेंट हैं उनको रि ओपन नहीं किया जायेगा। उनमें कोई दखल नहीं दिया जायेगा। यही तो बात हम चाहते हैं और क्या कहते हैं हम। और अगर आप यह बात कहें कि नहीं यह बात, आश्वासन काफी है तो हम इस बात का भरोसा नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा है तबाह होते हुए अपने इलाके को देखा है। गंगानगर जिले की, राजस्थान कैनाल की कम से कम 30 लाख एकड़ जमीन को हमने तबाह होते हुए देखा है। पिछली रबी की फसल हमारी तबाह हो गई। यह अभी खरीफ की फसल की भी बहुत कम बुवाई हुई है। आपको मालूम है, आपने कितने प्रयत्न किये, राज्य सरकार की तरफ से कितने प्रयत्न किये गये।

आपने चीफ इन्जीनियर भेज दिया। इस विधान सभा के अन्दर बार बार हमने हमारी तबाह फसलों का जिक्र किया, आपने हमको कोई माफी नहीं दी। आपके अधिकारी उस इलाके से टैक्स वसूल कर रहे हैं, हमारी बारियां काट रहे हैं। उसका इम्पेक्ट क्या होगा। पक्के खालों की आपने खुद ने जब हालत देखी, हमारे से चक्रवर्ती ब्याज वसूल किया जा रहा था, आपने कहा कि हम चक्रवर्ती ब्याज वसूल नहीं करेंगे। गंगानगर जिले और बीकानेर रीजन के करोड़ों लोग जब परेशानी में हैं, पानी नहीं मिल रहा हो, ऐसे मौके पर अगर यह एग्रीमेन्ट होकर आता है जिसमें आपको बड़ा परहेज है, यह बात तो कह दूंगा मैं,

(श्री शोपतसिंह)

सभी हम सुबह चाहते थे, हमारे लिए कोई अविश्वास का प्रस्ताव और घरना कोई प्लेजर की बात नहीं है. यह हमको मालूम है अगर आपका रुख यही रहा और अगरचे आपका यही तरीका रहा तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक बहुत बड़ा चेलेन्ज किया है कि या तो राजस्थान की जनता लड़े इस एग्रीमेन्ट के खिलाफ या लोग उजड़े उस इलाके में इन दोनों बातों में से एक को चुनना पड़ेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप पीटो भी और रोने भी मत दो। मारो और रोने भी नहीं दो, दोनों बातें नहीं होगी। अगर आप मारोगे तो हम रोयेंगे। अगर आप एग्रीमेन्ट इस तरह का करोगे जिससे हमारे इलाके उजड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ लड़ेंगे। कोई वजह नहीं है। आपने कौन सी राहत दी है जमीनों की। आपने कीमत तय कर दी, आपने हमारे इलाके के लोगों की जमीनों पर खुशहाली टैक्स लगा दिया। आप कोई कन्सेशन नहीं देने जा रहा रहे। हमारे साथ कोई रियायत नहीं करने जा रहे, आप चाहे कितना ही पानी दो, माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, एक बात पूछी थी, आप जाकर आए हैं यहां पर, अभी भाटी साहब भी कह रहे थे कि नहीं 9.2 के क्लाज में कुछ अलग बात है। फर्स्ट को आप भूल जाओ। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आखिरकार एक जुलाई का बताओ तो सही, मतलब समझाओ तो सही। मतलब तो समझाओ। आपके पास तो बड़े बड़े सैक्रेट्री हैं, चीफ इन्जीनियर हैं। आप राजीव गांधी से बात करके आए हैं। दिल्ली जाकर आए हैं। आखिर यह एक जुलाई का मतलब क्या है, मुख्य मंत्री जी? हमको इतना तो बताओ। आपने कहा कि आपके हित सुरक्षित हैं, यह कोई गोली खालो तुम, तुम्हारा पेट भी ठीक हो जाएगा, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। दस्त बन्द हो जायेंगे, सारी बात हो जायेगी। तो इससे तो बात नहीं बनेगी आपको बताना पड़ेगा, आपको परहेज क्यों है कृषकों से डर क्यों लगता है आपको। आप अगर यह बात कह दें, आप प्रधान मंत्री से मिलकर आए हैं, सदन में यह बात दें कि 55 के एग्रीमेन्ट को टच नहीं किया जायेगा, 81 के एग्रीमेन्ट को टच नहीं किया जायेगा। क्यों क्या बात क्या है, आखिरकार इसको कहने में परहेज क्या है आपको? अजी कोई बात नहीं, आपने पहले कुछ बहादुरी ज्यादा दिखा दी तो अब कम दिखाइये उतनी मत दिखाइये। आप नहीं दिखाते इतनी बड़ी बहादुरी। आपने तो बहुत गालियां निकाली हैं देश के प्रधान मंत्री को। जो टेलेक्स पढ़ा है अभी अभी तो आपने गालियां निकाली हैं और उन गालियों का गुस्सा हमारे राजस्थान को, सारे लोगों को भुगता रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आपको पहले संयत भाषा में बात करनी चाहिए थी। पहले तो आप बड़े सूरमा बन गये और अब बिल्कुल बिल्ली बन गये, अब चूहा बन गये बिल्कुल। अब आप एक बात भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं। रात रेडियो में तो आ गये मगर असेम्बली में बोलने के लिए तैयार नहीं। 55 का नाम तो नहीं लूं। ऐ जी कौन सा सेठ लगता है 55 आपके। कह दीजिए बात। अगरचे आपके हित सुरक्षित हैं, राजीव गांधी ने आपको कह दिया तो फिर 55 और 81 के एग्रीमेन्ट को टच नहीं करेंगे। इसको कहने में क्या

(श्री शोपत सिंह)

दिक्कत आती है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपको नहीं बतायेंगे. एक जुलाई की बात आपको नहीं बतायेंगे। मैं बताता हूं. एक जुलाई को हमको पानी कितना मिल रहा था ? अभी 5.6, पंजाब 5.15 और हरियाणा 0.2। हरियाणा दो पाइन्ट। पंजाब जिसको साढे तीन मिलना चाहिए पानी, 3.5 है उसका....

एक माननीय सदस्य : 4.2।

श्री शोपत सिंह : 4.2 नहीं है। उसका शेयर है। यह तो दूसरा है 81 के बाद का। मैं 81 के पहले की बात कर रहा हूं, आप 81 के बाद की बात कर रहे हैं। मैं 81 से पहले की बात कर रहा हूं। 81 से पहले पंजाब और हरियाणा दोनों को 3 5, 3.5 कुछ समथिंग था। वह पानी हमसे आज ज्यादा ले रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप छोड़ दीजिए। आप चलिये. हमारे साथ चलिये। ऐ जी हम आपके साथ हो जायेंगे. आपको तो डर लगता है पंजाब में जाने से. हम आपके साथ जायेंगे, कोई डर नहीं रहेगा। हां आप हमारे बीच में बैठ जाना। आप फिरोजपुर के इलाके में जाकर देखिये, कैसी फसलें हैं। फसलों को आप देख लीजिए, अगर पानी कम हो तो उनकी फसलों की क्या हालत होगी ? वह आज पानी हमको नहीं देगा निश्चित रूप से। हमारे माननीय माथुर साहब भी बैठे हैं, इनके भी बड़े दस्तखत हुए हैं हमारे लिये तो। हमारे लिये तो इनके भी दस्तखत बहुत बड़े हैं। भाखरा में, मैंने परसों भी कहा था. माननीय मुख्य मंत्री जी, सबसे कम पानी है। सबसे ज्यादा फर्टाइल लैण्ड है भाखरा का। सबसे ज्यादा फर्टाइल लैण्ड सबसे कम पानी। आपने लिंक बनाया, लिंक में से हम पानी नहीं ले सकते माथुर साहब ले सकते हैं क्या आप लिखकर दे आये पंजाब को तो कि जब तक हम यूटिलाइज नहीं करें राजस्थान कैनाल का पानी पंजाब यूटिलाइज करेगा। यह तो लिख कर दे दिया आपने। मगर अगले राजस्थान के लोग भाखरा के अन्दर जब तक पानी यूटीलाइज नहीं करें, लेना चाहें, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें, पैदावार बढ़ाना चाहें तो नहीं ले सकते। यह आपके दस्तखत हुए हैं सारे के सारे। यह कांग्रेस सरकार के दस्तखत हैं। आप तो कहते हैं, हम तो बड़ी भागीरथी गंगा ले आये, गंगा नहीं ले आये, आपने बहुत बड़े गुनाह किये। यह राजस्थान की जनता उसको बर्दाश्त किसी भी तरह नहीं कर सकेगी, यह मुझे मालूम है। यह राजस्थान कैनाल सन् 75 में पूरी होनी चाहिए थी। 75 या 74 के अन्दर पूरी होनी चाहिए थी. आपने दस साल तक इसको लेट किया। अरबों रुपया इसके ऊपर खर्चा आया और आज पंजाब पानी के लिए इसलिए कह रहा है कि तुम यूटीलाइज नहीं कर सकते। यह एलीगेशन है हमारे खिलाफ। पजाब जानता है आप पानी जितना ले जा रहे हैं, हरियाणा जानता है कितना पानी ले जा रहे हैं आप। आपकी इस गैर जिम्मेदारी की वजह से, आपकी गलत नीतियों की वजह से, आज दस साल बाद भी, पांच साल बाद, बीस साल बाद, पन्द्रह साल बाद, हमारी नहरें लेट हुई हैं। हमको चोगौने और तिगुने खर्चे उठाने पड़े। और हमारा जो पानी जो पहले यूटीलाइज करना चाहिए था, अगर कोई जनता की सरकार होती, अगर कोई सरकार होती तो टाइम पर पूरी करती और

(श्री शोपतसिंह)

18 हजार क्युसेक्स पानी आज हम यूटिलाइज करते। आज पंजाब यूटीलाइज कर रहा है। भाखरा के किसान बैठे बैठे देख रहे हैं। मोतीराम कमेटी ने सिफारिश की है। 70 के अन्दर मोतीराम चीफ इन्जीनियर की कमेटी ने सिफारिश की थी कि भाखरा के कुछ एरिया को राजस्थान कैनाल में मिला दिया जाये। नहीं मिला सकते आप। आप पानी ले नहीं सकते। तो फिर जो आपके पीछे कारनामे रहे हैं, जो कमजोरियां रही हैं आपकी इस एग्रीमेन्ट में हमको वह आपकी पिछली कमजोरियां भयभीत करती हैं। हमको डर है इस बात का कि राजस्थान का किसान अभी पानी नहीं ले सकेगा। आपमें हिम्मत है नहीं। आप इस बात की जरूरत ही नहीं समझते, न इस देश का प्रधान मंत्री इस बात की जरूरत समझता है, हमारे पानी से, राजस्थान कैनाल के पानी से, राजस्थान कैनाल के पानी से पालिटिक्स खेल रहे हो तुम। देश की राजनीति चलाना चाहते हो हमारे पानी से। जो हमारे राजस्थान के करोड़ों करोड़ों लोगों के पेट का सवाल है उससे तुम राजनीति चलाना चाहते हो, हम इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे आपको कि हमारा पानी जो हमारी मौत और जिन्दगी का सवाल है उससे आप अपनी राजनीति चलाना चाहो देश के अन्दर और जब हम विरोध करें, जब हम इस एग्रीमेन्ट का विरोध करें तो तुम, हमारे कांग्रेस के महान नेता कहते हैं यह बहुत बढ़िया अच्छा हुआ और इसका जो विरोध कर रहे हैं वह एंटी नेशनल हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं जब आप हमको डिपिक्ट करोगे कि यह एन्टी नेशनल लोग हैं, देश के अन्दर शांति और अमन की बात नहीं करना चाहते हैं। यह तो कांग्रेस है जो देश के अन्दर यह चाहती है। मेहरबानी करके, मुख्य मंत्री जी, कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है, आपको परहेज क्या है इस बात में अगर यह कह दो कि जो 55 का एग्रीमेन्ट है वह टच नहीं करेंगे। अगर कोई ईमानदारी है तो, अगर कोई सच्चाई है तो। वह क्यों अड़े हुए हैं इस पर हित सुरक्षित रहेंगे। हित सुरक्षित की डेफिनेशन क्या है जरा बताओ तो सही हमको। आप हमको बताओ तो सही, यह आप कह रहे हैं कि राजस्थान को कोई चाहता नहीं है तो क्लाज वन क्यों जोड़ा है? स्क्रेप करो इसको। स्क्रेप नहीं करते हैं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है तो कम से कम यह तो आप बात कहो कि 55 के पानी को कोई नहीं छेड़ेगा। हम आपके साथ हैं। आज कोई सवाल नहीं है, आप अड़ जाते इस बात पर। यह कोई आपकी इज्जत का सवाल नहीं है, हमारी इज्जत का सवाल नहीं है, राजस्थान की करोड़ों करोड़ों जनता का सवाल है। इस सवाल पर आपको अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के प्रधान हैं नवल किशोर जी। वह भी बोल रहे हैं। मंत्री हैं हमारे। सेन्टर में महत्वपूर्ण पद हैं उनके पास। अब वह नहीं बोलते। अरे भले आदमियों, तुम वहां पर रहते हो, हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हो आप, आपको पूछा नहीं। जयपुर तो समझ में आ सकता है दूर है। हमारे मुख्य मंत्री जी एप्रोप्रिवेशन बिल यहां पर पेश हुआ था, नहीं जा सके मगर वह मंत्री तो वहां पर बैठे हैं। हमारे वहां पर प्रतिनिधि सरदार बूटासिंह भी राजस्थान का है।

एक माननीय सदस्य : वह पंजाब का है।

श्री शोपतसिंह : नहीं, पंजाब का नहीं हमारा है। राजस्थान का प्रतिनिधि है। हमारे राजस्थान के प्रतिनिधि चौधरी बलराम जाखड़ धरती पुत्र हैं।

(व्यवधान)

धरती पुत्र चौधरी बलराम जाखड़ हमारे राजस्थान के प्रतिनिधि हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उन लोगों को नहीं पूछा और वह क्या फरमा रहे थे। नवलकिशोर जी ने स्टेटमेन्ट दिया कि विरोधी पार्टी बहुत गड़बड़ कर रही है। आपमें तो दम है नहीं लड़ने का, आपमें दम नहीं है बात करने का और हम लड़ें तो हम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या करें बताओ आप ? कहां जायं हम ? साधु बन जायें क्या हम ? लोग हमसे पूछेंगे, लोग हमसे पूछेंगे इन्टरप्रिटेशन क्या है ? माननीय मुख्य मंत्री जी, आप यह जो तीन तीन तरह की भाषा बोलते हो, यहां पर जो आज कहते हो कि हमारे हित सुरक्षित रहेंगे, इतनी ही भाषा बोलते हो, इससे ज्यादा नहीं बोलते हो। बाहर आप भाषण बड़े शेर की तरह गरजते हो कि बस हमने कह दिया। रात रेडियो पर हमने आपका स्टेटमेन्ट सुना। यह कन्ट्रेडिक्टरी क्यों है, जरा बताओ तो सही आप। यह किसने कहा रात ? रेडियो पर हमने तो नहीं कहा। हम तो अन्दर बैठे थे। यह किसने ब्रीफ किया ? आपने ही ब्रीफ किया। फिर जो आपने बाहर ब्रीफ किया, रेडियो पर ब्रीफ किया, आपने बड़ी सूरमाई का भाषण दिया कि विरोधी पार्टी तो गलत कर रही और हम जो कह रहे हैं बिलकुल ठीक कह रहे हैं तो वह बात भी आप कह दो। वह भी नहीं कहने जा रहे हो आप। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। यह राजस्थान कोई न तो आपकी जागीर है, न कोई हमारी जागीर है। इस राजस्थान के अन्दर तो आपको बताना पड़ेगा। यह हुकूमत भी आ जाती है, कोई बात नहीं है, हुकूमत बदलती और बिगड़ती रहती है। 15 इधर और आ जाते तो आप उधर बैठते। 15 का ही तो फर्क है। कोई बहुत ज्यादा फर्क है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।

(व्यवधान)

आपको गिनती भी सिखानी पड़ेगी अब। अरे अभी क्या पता। आप ले जाओ। दो चार कूड़ा कचरा ले जाओ तो ले जाओ उससे क्या फर्क पड़ता है। राजस्थान की जनता का फैसला क्या है ? आप देखिये, आप खरीद सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, मगर लोगों की राय नहीं खरीद सकते। लोग खरीद सकते हैं आपको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक और कुछ नहीं कहता हुआ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री शोपतसिंह : अधिक और कुछ नहीं कहता हुआ एक ही बात कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी, हमारे सामने तो कोई और रास्ता छोड़ा नहीं है आपने सिवाय लड़ने के। गंगानगर के लोग तो पहले ही तैयार बैठे हैं, अभी समाचार आ रहे हैं लोग आये मिलने के लिए सैकड़ों की तादाद में, वह कहते हैं सारे का सारा इकट्ठा मामला कर देंगे हम तो।

(3.00 म.प.)

(श्री शोपतसिंह)

यह जो आपने पहले परेशान कर रखा है दो साल से और अब फिर आपने इस एग्रीमेंट में और उनकी तबाही का पैगाम भेज दिया। हमारे सामने तो आपने लड़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अब देखी जायगी आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है मगर एक बात सच है कि हम आराम से आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। हमेशा आप विधान सभा में ही नहीं रहेंगे, बाहर भी जायेंगे आप। जनता में भी जाना पड़ेगा आपको, लोगों में भी जाना पड़ेगा आपको, जवाब देना पड़ेगा, लोग पूछेंगे आपसे।

श्री जय कृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : हम तो जाते हैं।

श्री शोपतसिंह : कोई बात नहीं, जाते हैं तो कोई पता थोड़े ही लगता है। जब हुकूमत में होता है तो सारी बात अलग होती है।

इन्हीं शब्दों के साथ एक ही बात कहता हुआ फिर मैं एक अपील करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, इस शब्द को छोड़िये, अगर कोई ईमानदारी है, अगर कोई राजीव गान्धी ने आपको कहा है कि हित सुरक्षित हैं तो फिर सीधी बात कीजिये कि 55 और 81 के फैसले को डिस्टर्ब नहीं किया जायगा, यही सुनना चाहते हैं इसके सिवाय और कुछ नहीं सुनना चाहते हम।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणजी माथुर।

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन लगातार धरने पर बैठने के बाद में संयुक्त विरोधी पक्ष ने एक जो नई रणनीति को अपनाया है, मुझे इस पर बड़ा अचम्भा हो रहा है। पहले तो उन्होंने यह कहा और यह लगातार विरोधी पक्ष के नेताओं के बयान निकले कि हम जब तक प्रधान मंत्री केटेगोरिकली इस बात को नहीं कह दें कि राजस्थान के साथ में ज्याद-तियां नहीं होंगी, 1955 का एग्रीमेंट री-ओपन नहीं किया जायगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। सुनिये हमने बहुत निवेदन किया कि यह समस्या का कोई हल नहीं है, यदि आपको कोई नाराजी है, राजस्थान के हित में कोई बात सोचते हैं तो उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका हो सकता है। हम और आप राजस्थान के हितों में कहीं दो राय नहीं रखते, लेकिन सोचने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन चूंकि विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं और केवल जो कुछ भी इधर से कहा जाय और इधर से तय किया जाय उसका येन केन प्रकारेण विरोध करना ही है। इस रणनीति को ले करके आपने 26 तारीख को अचानक इस सदन केवल पर धरणे की रणनीति अपनाई और बाद में लगातार यह बयान अखबारों में आते रहे कि जब तक यह बात निर्णीत नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं विरोध पक्ष के नेताओं को कि उन्होंने एक सही बात सोच कर धरणा तो वापस ले लिया और यह जो आपका हक है सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने का उस अधिकार का आपने प्रयोग करके एक रणनीति आपने अपनाई, इससे हमें कोई एतराज नहीं, न कोई संकोच है न कोई गुरेज और न कोई नाराजी है क्योंकि....

श्री शोपतसिंह : आपको तो एतराज मुख्य मंत्री हटने से भी बहुत था।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, क्या फायदा इससे ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये। बहुत शान्ति से।

श्री शिवचरण माथुर : जिस प्रकार से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय ने जो प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय उनको यह मालूम है और सबको मालूम है कि इस प्रस्ताव का भविष्य क्या होने वाला है, इस प्रस्ताव के फेट के बारे में कोई दो राय, कोई शंका की बात हो नहीं सकती लेकिन आपका अधिकार है, सरकार की आलोचना करना, इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाना, यह आपका अधिकार है और आपने इस अधिकार का प्रयोग किया हमें उससे कोई नाराजी नहीं है...मुझे कहते हुए....

एक माननीय सदस्य : राजी हैं। राजी हैं। यह तो राजी हैं, जाने दो।

श्री नवरंग सिंह : × × × यह अधिकार था क्या आपका ? आप XXX है मानसिंह जी के मानसिंह जी की XXX करवाने वाले आप हैं। आपके समक्ष बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवरंग सिंह जी, कृपया डिस्टर्ब नहीं करें, जो बोल रहे हैं, बड़ी शान्ति से चल रहा है। यह ठीक नहीं रहेगा।

श्री शिव चरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम देश की आजादी के इतिहास में जाय तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिन्दुस्तान की आजादी के लिये हजारों, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लोग जेल के सींखचों के पीछे रहे और एक लम्बी लड़ाई हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ी गई, इसमें कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 1885 में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ...

श्री शोपत सिंह : आप तो पानी की बात करें ..

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय व्यवस्था दीजिये ...।

(व्यवधान)

आपको कोई भी बोले, आपको नहीं बोलने देंगे...

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : जो ब्रिटिश सत्ता के साथ थे और स्वतन्त्रता संग्राम में कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज होता था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, ऐसा लगता है कि जवाब सुनना नहीं चाहते, तो बात दूसरी है, अपनी अपनी कहें .

श्री शोपत सिंह : इनके पास जवाब है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर एक तरफ की करना चाहते हैं अगर यह चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं सुनना नहीं चाहते हैं तो वैसा

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

किया जाय। नहीं कोई तकलीफ है। और सुनना चाहते हैं तो ठीक है।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ××× इनकी बात कौन सुनेगा ?

श्री मदन महाराज (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के विपक्ष के नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने के लिए विपक्ष के माननीय सदस्यों को व्यवस्थित रखें –

श्रीमती हमीदा बेगम : नहीं वह तो इशारा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इतिहास का वास्ता इसलिए दिला रहा था कि हमने जब भारत का निर्माण किया था तो सोचा था कि भारत एक है, सम्पूर्ण इकाई है. एक इकाई है और उसका कोई भी भाग चाहे वह जम्मू कश्मीर का भाग हो, या केरल और तमिलनाडु का भाग हो बंगाल का भाग हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य-प्रदेश हो. सब भारत के अभिन्न अंग हैं और सब को सही तौर से पूर्ण रूप से विकास करने का अधिकार है। हमने कुछ अधिकार केन्द्र को इसलिए दिये कि यदि कहीं पर कोई भी विवाद, कोई भी झगड़ा दो राज्यों में उपस्थित होता है तो कम से कम एक तीसरा पक्ष ऐसा होना चाहिए जो सबकी बात को सोच करके एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपना करके उसका सही तौर से फैसला कर सके। मैं समझता हूं, हमारे संविधान के निर्माता जो बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति थे और जिन्होंने कोई 2,4,5 साल की बात नहीं सोची लेकिन आने वाले 50 साल और 100 साल के बाद की हिन्दुस्तान के लिए कल्पना की थी और उसी आधार पर...

श्री लालचन्द (मादरी) : उपाध्यक्ष जी, उसी तरह किये हुए समझौते लागू रहें वही तो हमारी मांग है, बोल तो आप रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्द जी।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पीड़ा होती है कि कालांतर में 38 साल की आजादी के बाद में शायद हम सब उन उसूलों को जो कि भारत को एक बनाने के लिए अपनाये थे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : वह कांग्रेस नहीं है वह डालडा कांग्रेस है।

श्री शिवचरण माथुर : हमने 26 तारीख को भी कहा था, हम छोटे स्थानीय स्वार्थों में पड़ करके बड़े राष्ट्रीय हित को भूलने की आदत में पड़ गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर कौन नहीं जानता कि यह पंजाब की समस्या बहुत गम्भीर समस्या हमारे देश के सामने

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शिवचरण माथुर)

बनी हुई थी। हजारों आदमी मौत के घाट उतार दिये गये...

श्री डूंगरराम पंवार : इसके निर्माता तो आप ही हैं, कांग्रेस पैदा करने वाले....

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जितने भी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष के अन्दर कोई भी बात कही तो कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने बड़ी गंभीरता से सुना, क्योंकि इस विषय को गंभीरता से लेते हैं। उनका बार बार का इन्टरप्शन, इस प्रकार की गलत बात है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप ठीक कह रही हैं।

श्री नवरंग सिंह : विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं वह सच्ची बात कही हैं और आप लोग सब ××× बोलते हो।

श्रीमती हमीदा बेगम : और यह नीति हमें बर्दाश्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माथुर साहब की जगह हमीदा जी को बोलने दो।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माथुर साहब ज्यादा प्रभावशाली बोल रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह परम्परा अच्छी नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पंजाब की समस्या हमारे देश के सामने इन पिछले 38 सालों में सबसे बड़ी समस्या थी। पंजाब में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खतरे में था। यह मालूम नहीं पड़ता था कि सुबह कोई व्यक्ति अपने घर से निकलेगा और शाम को सुरक्षित वापस आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। हालांकि इसमें उसका कोई दोष नहीं होता था....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह क्या तरीका है।

श्री शिवचरण माथुर : तो यह स्थिति पंजाब की बनी हुई थी और हम सब लोग चिन्तित थे। मुझे मालूम है विरोधी पक्ष के केन्द्रीय नेताओं के बयान आते थे उन दिनों में और यह कहा जाता था कि कांग्रेस इस सारी समस्या को राजनैतिक दृष्टि से हल नहीं करना चाहती है और दूसरे एक्ट्रानुअस सर्कम्सटान्सेज ला करके इस बात को टालने की कोशिश की जा रही है। उसका जो राजनैतिक समाधान है उसको निकालने के लिए कांग्रेस यत्न नहीं कर रही है।

राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री का पद संभालने के बाद

एक माननीय सदस्य : विषय पर आइये।

श्री शिवचरण माथुर : यह कहा कि पंजाब की समस्या को हल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और, उपाध्यक्ष

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवचरण माथुर)

महोदय, मैंने 26 तारीख को भी यह बात कही थी कि राजीव गांधीजी ने इस समस्या को हल करने के लिए....

एक माननीय सदस्य : राजीवजी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : यह रनिंग कमेण्ट्री चलती रहेगी तो बड़ी मुश्किल होगी, उपाध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : माथुर साहब, आप राजीवजी को मस्का क्यों लगा रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : राजीवजी के विरुद्ध नहीं है अविश्वास....

श्री नवरंग सिंह : x x x आपने क्यों करवायी, कैसे रातों रात भाग गये आप।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं विरोधी पक्ष से कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है इसमें सीरियस विरोधी पक्ष है कि नहीं है। अगर है तो सुनना चाहिए और नहीं है तो उसको खत्म करें।

(व्यवधान)

सीरियसली सुनना चाहे नहीं तो दो चीजें हैं, अगर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको खत्म करिये। काहे को बोल रहे हैं।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : यह अविश्वास का प्रस्ताव प्रधान मंत्री के विरुद्ध नहीं है, मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस समय विरोधी पक्ष बोल रहा था सत्ता पक्ष बड़ी शांति से सुन रहा था। मैं चाहूंगा, आप सब लोग भी सुनें तो अच्छा है। और नहीं सुनें तो फिर समाप्त करें।

श्रीमती हमीदा बेगम : हमें लगता है, यह नेताओं के पक्ष में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जब विरोधी दल बोल रहा था....

श्री शिवचरण सिंह : विरोधी दल रेलेवेन्ट बोल रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष नहीं सुनना चाहता है तो मुख्य मंत्री से निवेदन कर दूं।

श्री नवरंग सिंह : सीधी सी बात बतायें कि बिजली और पानी के मामले में....

श्री शिवचरण माथुर : विरोध पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं तो सदन को सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आगे बहस को चालू रखना चाहें तो ठीक, नहीं तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं, इसको क्लोज कर दें।

---

x x x शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : नहीं चालू क्यों नहीं रखें, उपाध्यक्ष जी ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो बिल्कुल शान्त रहें। माननीय सदस्य, कृपया आप बिराजें।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पंजाब की समस्या का एक हल निकालने की ईमानदारी से कोशिश की गयी और —

एक माननीय सदस्य : बड़े ईमानदार हैं आप ।

श्री शिवचरण माथुर : यह मैं कह सकता हूं कि सारे भारत में कटिंग एक्रोस दी पार्टी लाइन्स कोई पार्टी का प्रश्न नहीं लेकिन आम तौर से लोगों ने इसका स्वागत किया है। हो सकता है कुछ लोग इसके विरोध में भी हों लेकिन मूल रूप से इस समझौते का स्वागत किया है और, उपाध्यक्ष महोदय, न केवल भारत में लेकिन दुनिया में भी जो कि भारत जैसे उप-महाद्वीप में शान्ति के लिए चिन्तित थे उन्होंने भी उसका स्वागत किया है। आप और हम अखबार पढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के आफिशियल आर्गन प्रावदा ने अभी दो दिन पहले एक अग्रलेख में इस बात को कहा कि एक बहुत बड़ी पेचीदा समस्या जो भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के शान्तिप्रिय लोगों के सामने उपस्थित थी उसको भारत के प्रधान मंत्री ने और अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचन्दसिंह लोंगोवाल ने बड़ी हिम्मत से, साहस और राजनैतिक बुद्धिमत्ता से, पोलिटिकल सेंसेटिटी से उस समस्या का हल निकालने की चेष्टा की है वे उसके लिये बधाई के पात्र हैं। अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयार्क टाइम्स ने और दुनिया के जितने भी अच्छे लीडिंग न्यूज पेपर्स हैं, उन्होंने इस समझौते पर अग्रलेख लिखे हैं, एडिटोरियल लिखे हैं और इस बात को सराहा है कि भारत में जो समस्या का हल निकाला गया है उसके लिए वे दोनों नेता धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और दुनिया की जनता ने, भारत की जनता ने ही नहीं दुनिया की जनता ने आज राहत की सांस ली है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने ही नहीं लेकिन दुनिया के सामने एक प्रश्न उपस्थित है कि क्या आतंकवाद से, क्या गोली के निशाने से किन्हीं समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह केवल भारत की समस्या ही नहीं है लेकिन यह दुनिया की समस्या है....

(व्यवधान)

लेकिन यह दुनिया की समस्या है। अब इतनी गम्भीर बात को मैं आपसे कह रहा हूं उसके बाद भी आप एप्रीसिएट नहीं करते तो या तो मैं समझता हूं कि वाकई सीरियस नहीं हैं....

(व्यवधान)

सुनिये ।

श्री चम्पालाल बाठिया : यह बतायें कि राजस्थान को पानी मिल जायेगा ।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह आतंकवाद सारी दुनिया को परेशान किए हुए है। अगर कनिष्क की दुर्घटना कहीं पर होती है, अमेरिका के हवाई जहाज को बेरुत में रोक लिया जाता है और जगह जगह लोगों की जान को खतरा पैदा

(श्री शिवचरण माथुर)

होता है तो यह सारी आतंकवाद की परिणति है। और मैं समझता हूं उस ओर हिन्दुस्तान में जो पहल की गयी है उसको बचाने के लिए उसका हमें स्वागत करना चाहिए। मैं इस मोटी पृष्ठभूमि में, इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं। यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्य इस तरफ और उस तरफ अपनी जिन्दगी के बहुत बहुमूल्य वर्ष उन्होंने जनता की सेवा में निकाले हैं। हम कोई दावा नहीं करते कि साहब, उधर बैठने वाले लोगों ने ही आजादी की लड़ाई लड़ी या सार्वजनिक हित में उधर बैठने वाले लोग नहीं सोचते। उधर बैठने वाले कई बहुत से माननीय नेता ऐसे हैं जिनकी जिन्दगी के, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल, किसी के 50 साल सार्वजनिक जीवन में बीते हैं और जो देश के हित में सोचते हैं, एक बड़े पैमाने पर सोचने का उनका एक तरीका है। इसलिए मैं उनसे बहुत गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं यह ठीक है राजस्थान का आज एक प्रश्न बहुत गलत रूप से हमारे सामने मौजूद है, उसका भी हल हम किसी प्रकार से ढूंढें यह बात तो समझ में आती है लेकिन व्यापक रूप से, मोटे तौर से जो इस समझौते के आधार पर एक देश की समस्या का हल निकालने की चेष्टा की है गम्भीर रूप से उसको हमें सराहना चाहिए और मैं समझता हूं यदि हम यह नहीं करते तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हम केवल विपक्ष के लिए ही कोई बात करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं और जो देश के सामने जो गम्भीर प्रश्न उपस्थित हैं उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं रहता। मैं इसी परिपेक्ष्य में, इसी भूमिका के रूप में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 24 जुलाई, 1985 को जो समझौता पंजाब की समस्या को हल करने के लिए प्रधान मंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचन्द लोंगोवाल के मध्य में हुआ उस से सारे देश की जनता ने राहत की सांस ली है। मैंने तो कई देहात से आने वाले लोगों से भी इस बारे में बातचीत की है, लोग आते हैं उनसे पूछते हैं कि भई, क्या आपका मत है? तो आम तौर से लोग यही कहते हैं कि साहब, एक बड़ी समस्या का हल निकाला है राजीव जी ने और हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि यह समझौता किसी प्रकार से सफल हो और भारत में जो अशांति का वातावरण बना हुआ था यह अशान्ति का वातावरण समाप्त हो और हम सब लोग मिल जुलकर काम कर सकें। आखिर इस झगड़े में भारत ने ही नहीं लूज किया, सबसे ज्यादा पंजाब में खोया है। पंजाब के ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : हमारा हिस्सा गया।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, सुनिये तिवाड़ी जी, सुन लीजिए आप। पंजाब की जनता को कितनी तकलीफ तकलीफ हुई है, वहां उद्योग ठप्प हुआ है, वहां का व्यापार मिटा है और दोनों पक्षों में एक ऐसा आतंक का सा वातावरण पैदा हुआ कि वहां से लोग उठने लगे, जाने लगे, दिल्ली से लोग चण्डीगढ़ भागने लगे, एक ऐसा वातावरण जब इस देश में पैदा हुआ, मैं समझता हूं, उस वातावरण को डिफ्यूज करने के लिए, उस राजनैतिक अशांति को, अस्थिरता के

(श्री शिवचरण माथुर)

वातावरण को डिफ्यूज करने के लिए जो प्रयास किया गया, उसकी उस हद तक सराहना जरूरी करनी चाहिए और मुझे खुशी होती कि जहां राजस्थान के हित के बारे में इतने जोरदार तरीके से बात रहे थे वहां इस समझौते के बारे में जो उसका महत्वपूर्ण पक्ष है उसकी भी यदि आपने चर्चा की होती, उसका जिक्र किया होता तो ऐसा मालूम पड़ता कि आप राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में रखते हैं और उसके साथ में आप राजस्थान के हित को भी ध्यान में रखते हैं। मैं इन्कार नहीं करता कि राजस्थान के हित को हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हमें सबसे पहले राजस्थान के हित को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रीय परिपेक्ष्य है, एक बहुत नेशनल पर्सपेक्टिव है उसको हमें कभी भी आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं विरोधी पक्ष के माननीय नेता से, मिर्धा साहब से जो सीनियर लीडर अपोजिशन के है, इस पक्ष को भी आप नजरन्दाज नहीं करें। मैं मानता हूं कि उस दृष्टि से ...

श्री नाथूराम मिर्धा : आप उनकी तारीफ कर लो।

श्री शिवचरण माथुर : मैं नहीं था। मैं नहीं था।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तो बोला ही यह था। मैंने तो कहा कि उनकी तारीफ कर लो, समझौते की तारीफ कर लो, पर राजस्थान के हित को कहने के लिए साफ साफ कह दो। मैं तो बोला और सब लोग तैयार थे। मैं तो फिर कहता हूं कि आज कर लो, इस तरह का प्रस्ताव पास कर लो ...

श्री शिवचरण माथुर : मुझे खुशी है कि आपने इस बात को रखा, बहुत धन्यवाद।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सदन में रखा।

श्री शिवचरण माथुर : बहुत धन्यवाद, तो मैं समझता हूं कि यह सभी लोग इस बात को अगर दोहराएं, कहें....

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : मिर्धा साहब ने बोला तब हम सब ने तालियां बजायी थीं, क्या मतलब ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम सब तैयार हैं, माथुर साहब आप तो पास करवा दो।

श्री शिवचरण माथुर : सुन लीजिए, मैंने तो विरोधी पक्ष के नेता का भाषण सुना था अभी उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं आया....

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले कर दिया था, आज नहीं किया तो क्या।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिए मुझे खेद हुआ, इसलिए मैंने यह बात निवेदन की, इसका दूसरा अर्थ न लिया जाय, मैं समझता हूं कि व्यापक दृष्टिकोण से यदि आप सोचेंगे तो आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमें इस बात को बहुत साफ तौर से स्वीकार करना पड़ेगा, अब विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए सदन के सामने 1955 के

(श्री शिवचरण माथुर)

एग्रीमेंट की चर्चा की, 1981 के एग्रीमेंट की चर्चा की, मुझे खुशी है कि कम से कम अब विरोधी पक्ष के नेता 1955 के एग्रीमेंट के साथ में 1981 के एग्रीमेंट को भी शामिल करने लगे हैं और वह एक दर्जे में 'उसको रखने लगे हैं, 1955 और 1981 का एग्रीमेंट सैंकरोसांट है और उसको रि-ओपन नहीं किया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I have never said. 1981 का कभी भी सैंकरोसांट नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : आपने यह कहा है—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल नहीं कहा है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने तो मीर-जाफर कहा है।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने तो यही सुना।

1981 के एग्रीमेंट को भी आप 1955 के एग्रीमेंट का रिइट्रेशन मानने लगे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कम से कम मुझे जो यहां पर लगातार रात-दिन आप लोग गालियां देते हैं और जो कहते हैं कम से कम मुझे आज संतुष्टि हुई····

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक सैक्शन को छोड़ कर····

श्री शोपतसिंह : हमेशा रोयेंगे, भाखरा में ले सकते हैं क्या ? हम पानी भाखरा में नहीं ले सकते हैं पानी। आपने पंजाब को पानी दे दिया, भाखरा को नहीं दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक को छोड़ कर।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सुझाव को गालियां कहते हैं कौन सी गाली दी आपको ? आपको सलाह दी, सुझाव दिये, आप उनको गालियां कहते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सलाह और सुझाव को गालियां मानते हैं, कौनसी गाली दी ? गाली शब्द एक्सपंज हो, गाली शब्द असंसदीय है इसको निकाला जाना चाहिये, क्या मतलब हुआ ? हम सुझाव दे रहे हैं आपको।

श्री डूंगरराम पंवार : एग्रीमेंट में गलत एलीमेंट थे उनके साथ क्यों समझौता किया।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कहना चाहता हूं कि 1955 और 1981 के एग्रीमेंट की जो बात आपने कही है. दोनों को उसी आधार पर सामने रखा है, यह एक सही दृष्टिकोण है क्योंकि 1981 का एग्रीमेंट भी वही एग्रीमेंट था जो 1955 का एग्रीमेंट था, उसमें फर्क केवल इतना पड़ा कि जो पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गयी उसमें

(140)

(श्री शिवचरण माथुर)

राजस्थान का हिस्सा, उसका पोर्शन होता था उसको हमने उसमें शामिल किया, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के लिये एक उपलब्धि मानी जा सकती है, और उसके लिए 1981 को भी आप शामिल करते हैं मैं इसके लिए आपका आभार मानता हूं, सवाल यह आया, आपने यह जिक्र किया कि राजस्थान के विकास के संबंध में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक पानी और दूसरी बिजली, मैं भी स्वीकार करता हूं और हर व्यक्ति राजस्थान का स्वीकार करेगा कि पानी और बिजली राजस्थान को मिलनी चाहिए और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान जब बना था उस समय 13 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलती थी, 13 मेगावाट बिजली मिलती थी ···आज····

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनसंख्या कितनी थी तब ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आदमी बना उससे पहले बन्दर था, वहां से शुरू करें आप ।

श्री शिवचरण माथुर : इसको कौन नहीं मानता ।

श्री हरिदेव जोशी : आपके भाई, पूर्वज बन्दर थे, यह अपन मानते हैं इसमें क्या बात है ?

श्री शोपतसिंह : रंगीन टेलीविजन आ गया, यह भी हम लाये, कह दो ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माथुर साहब यहां बोलने के बहुत पहले आप मां के पेट में थे····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए, कृपया उस युग में नहीं जायें, कृपया उस युग में नहीं जाएं ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो इस तथ्य से इन्कार नहीं करता हूं कि पहले बालक होगा उसके बाद ··

श्री उपाध्यक्ष : कृपया यहां उस युग में न जायें नहीं तो घर पर पूछेगा नहीं कोई, ये कहां से आ गये हैं धरती पर ।

श्री शिवचरण माथुर : यह प्राकृतिक वास्तविकता है लेकिन सवाल यह है कि पहले राजस्थान केवल 13 मेगावाट बिजली क्यों पैदा करता था और 38 साल के अन्दर ···

श्री शोपतसिंह : यह आपकी मेहरबानी है ।

श्री शिवचरण माथुर : और राजस्थान बनने के बाद में ···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप जापान से क्यों तुलना नहीं करते हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : आप अगर सुनें तो मैं बता दूं उसको, अगर आप सुनने की

(श्री शिवचरण माथुर)

मेहरबानी करें तो।

मैं यह कह रहा था, आखिर राजस्थान के अन्दर 13 मेगावाट के बजाय 1713 मेगावाट बिजली आज मिलने लगी है, 1700 मेगावाट बढ़ी बिजली, इसको क्या आप उपलब्धि नहीं मानते ?

(व्यवधान)

जहां तक सातवें प्लान में आपने कहा कि 1179 मेगावाट का गैप राजस्थान में रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं कि बढ़ती हुई इकानामी में, बढ़ते हुए डवलपमेंट के प्रोसेस में यह गैप रहेगा, इससे हम इन्कार करके नहीं चलना चाहते, क्योंकि जितनी आपकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं और जितने रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं उन रिसोर्सेज में और आपकी आवश्यकता की पूर्ति में कभी भी मेल नहीं हो सकता, यह केवल राजस्थान की बात नहीं करता हूं, आप सारे राष्ट्रीय स्तर पर उठा कर देख लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गुजरात में कमी नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये। मेरी बात सुन लीजिए, गुजरात में भी कमी है, सब जगह कमी है, राष्ट्रीय स्तर पर कमी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां न पानी की कमी है, न बिजली की कमी है, वे समर्थ लोग हैं आप लोग असमर्थ हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह कह रहा था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में अगर यह गैप रह जाता है तो हमारी प्रगति का निशान है, यदि बिजली पैदा हो और उपयोग में नहीं लायें, खेती के लिए काम में नहीं आये तो समझ में आ सकता है कि भई प्रगति नहीं हो रही है लेकिन यह तो मान कर चलिए कि जितनी बिजली और हमको उपलब्ध सातवीं पंचवर्षीय योजना में होगी उससे ज्यादा हमने खपत बढ़ाने की बात सोची है, तो यह प्रगति की निशानी नहीं है तो और क्या है? और यह डवलपिंग इकानामी, बढ़ती हुई इकानामी का एक अच्छा निशान है, जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं उनमें अगर बिजली का उपयोग उद्योग के लिए नहीं होता है....

श्री शोपतसिंह : बीस साल पहले आप जवान थे अब बुड्ढे हो गये।

श्री शिवचरण माथुर : या उसकी कल्पना आगे नहीं करते हैं या खेती के विकास के लिए उसकी कल्पना नहीं होती है तो जाहिर बात है कि बिजली आप पैदा करेंगे उसकी खपत नहीं होगी, इसलिए यह थोड़ा गैप रहेगा, और यह गैप केवल यहीं नहीं है मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि दुनियां के विकसित राष्ट्रों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जो बहुत डवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी जनरेशन और आवश्यकता में एक प्रकार से गैप रहता है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : मैं यह मान कर चलता हूं कि प्रोजेक्ट्स अपने हों और उसके अनुरूप अपने पास साधन हों....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मैं बता रहा हूं, प्रोजेक्ट्स बता रहा हूं।

श्रीमती हमीदा बेगम : आप बीच में क्यों पूछ रहे हैं, बाद में पूछा जा सकता है।

श्री मोहन छंगाणी : अपने यहां तो जीरो पर्सेन्ट पावर है। आज जापान में 23 पर्सेन्ट एनर्जी एफिसियेन्सी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी : अपने पास जीरो है, इससे भी उतरी हुई है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर बाहर एक अलग डिबेट रख ली जाये उसमें अपन बात कर लेंगे ..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको समय मिलेगा, तब अपनी बात कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो एक सिद्धान्त की बात कह रहा था, मैं एक उसूल की बात कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा यह रहता कि आप ड्राफ्ट बना लेते, उसको एप्रूव करा लेते तो अच्छा रहता। ड्राफ्ट बना करके एप्रूव करा कर कि यह बोलेंगे, यह नही बोलेंगे, तो बेहतर रहता, फैसला भी हो जाता।

श्री शिवचरण माथुर : पावर की उपलब्धि में और जनरेशन में फर्क आयेगा ही क्योंकि हमारी आवश्यकतायें बढ़ रही हैं, हमारी मांग बढ़ रही है इसलिए गैप है तो मैं समझता हूं कि यह एक प्रगति का निशान है उस गैप को हम कैसे पूरा करें, यह बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए, मैं समझता हूं कि हमने उसके लिए प्रयास किये हैं, अभी विपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश से हमने एक समझौता किया और उस समझौते के अनुसार हमने कौल पर पन बिजली-घर बनाने का, जैसा वह कह रहे थे सही बात है, हाइडल बिजली सबसे सस्ती होती है, हाइडल बिजली जितनी हमको मिले, वह हमारे लिए लाभदायक है, हमने यही निश्चय किया कि जो हमारी थर्मल पावर का जनरेशन बढ़ता है वह तो हमारी स्टेट में कभी भी बढ़ सकता है उसको बढ़ाने का हम अलग से प्रयास कर रहे हैं। कोटा थर्मल प्लाण्ट की सैकेण्ड स्टेज में दो यूनिट 210-210 मेगावाट की लगेंगी, 420 मेगावाट उसमें बिजली मिलेगी, उसके बाद थर्ड स्टेज पर उसको किया है, एक तरफ हम थर्मल पावर स्टेशन्स की बात अलग से कर रहे हैं, एक एटामिक पावर की जनरेशन की बात भी राजस्थान में चल रही है, लेकिन जैसा वह कह रहे थे माननीय विपक्ष के नेता महोदय ..

श्री दाऊदयाल जोशी : साल भर पिछड़ गया है आपका थर्मल पावर स्टेशन....

श्री शिवचरण माथुर : सुनिए, यह सही बात है कि जितनी राजस्थान को हाइडल पावर मिल सकती है, उससे हमको सबसे अधिक लाभ हो सकता है। इसीलिए हमने हिमाचल से समझौता किया था कि हम कोल का जो पावर प्रोजेक्ट होगा उसमें हमको 367 मैगावाट बिजली मिलेगी।

(श्री शिवचरण माथुर)

367 मैगावाट बिजली को प्राप्त करने के लिए हिमाचल से हमने फैसला किया था। मेरी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि 1984-85 का मुझे याद है, मैंने वहां से आते ही, हिमाचल की सरकार ने यह कहा कि हम एक कैनेडियन फर्म को....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज भाषण जम नहीं रहा आपका।

श्री डूंगरराम पंवार : बिजली मिलना तो मुश्किल है। आसमान से बिजली गिर सकती है, और वह गलत प्रवृत्ति के आदमी पर गिरेगी।

श्री शिवचरण माथुर : अब यह आपके जवाब की बात कही जाये आपको जंचे नहीं तो उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन यह मैं जो कह रहा था, शेखावत साहब ने जो बात कही हिमाचल से हमने जो समझौता किया उसके अनुसार हमने उनको 10 लाख रुपये 1983-84 में भेजे। उन्होंने यह कहा था, कैनेडियन फर्म से कन्सल्टैन्सी के लिए हमको इतना पैसा चाहिये। उसके बाद उसमें डिजाइन बनाने के लिए उन्होंने और पैसा हम से मांगा। डेढ़ करोड़ रुपया हमने 1984-85 में उनको और भेजा। उस समझौते के मुताबिक उसका डिजाइन आज तैयार हो रहा है और कौल में जो राजस्थान को 367 मैगावाट बिजली मिलेगी हाइडल जनरेशन के आधार पर, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है और उसमें जो आगे तक कार्यवाही हुई है उसका मैंने यहां पर जिक्र किया। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री शोपतसिंह : इस साल के बजट में कितना प्रोविजन है, यह बता दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : बजट का प्रोविजन मालूम होगा। सुनिये। जहां तक मेरी जानकारी है....

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : एक यूनिट भी आपने नहीं बढ़ाई . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक मेरी जानकारी है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। प्लीज, आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक मेरी जानकारी है, यह पैसा जो हिमाचल प्रदेश को दिया जायेगा यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट में शामिल होता है, वह राजस्थान के बजट में, मेरे ख्याल से, रिफलेक्ट नहीं होता है। इसलिये 1985–86 के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट में इसका कोई न कोई प्रावधान होना चाहिये, ऐसा मैं मानता हूं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इसका प्रावधान होना चाहिये, निश्चित रूप से जितना पैसा हम दे चुके हैं उसके क्रियान्वयन के लिए आगे भी हम इसको पैसा देना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी इस कोल की योजना को लागू करके राजस्थान में 367 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिले इसका हम प्रयास करना चाहते हैं।

अब रहा सवाल इस समझौते के बारे

(श्री शिवचरण माथुर)

में, इस समझौते के बारे में विपक्ष के नेता ने यह बात कही कि स्टेट रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 108 के मुताबिक राज्य सरकार से इसकी अनुमति लेने वाली बात की जानी चाहिये थी। मैंने जैसा उस दिन भी निवेदन किया था और आज भी कहता हूं जहां तक मैं प्रक्रिया को समझता हूं यह एग्रीमेंट इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने किया है उसके और जो करीब पहलू हैं उनके बारे में निश्चित रूप से राज्य सरकार को मौका मिलेगा अपनी बात कहने का और अपनी बात सामने रखने का। कहीं पर भी मुझे तो इसकी भाषा में ऐसा नजर नहीं आता जिससे कि यह बात हमको मालूम पड़े कि 1955 के एग्रीमेंट को रि-ओपन करने वाली बात इसमें कहीं गई हो, ऐसा कहीं पर भी इस एग्रीमेंट से मुझे तो आभास नहीं मिलता। अब आप बहुत बारीकी से उसका इन्टर-प्रिटेशन क्या निकालते हैं, यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जब इसके विस्तार में हम जायेंगे, इसकी टर्म्स आफ रेफरेन्स बनेगी, इसका नोटिफिकेशन बनेगा उस समय इस बात को बहुत साफ तौर से राजस्थान की सरकार भी कह सकती है और भी कहा जा सकता है कि इसमें जो राजस्थान का 1955 का एग्रीमेंट है जिसका रिइट्रेशन 1981 में हुआ था उसको रि-ओपन करने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये क्योंकि इतिहास की कसौटी पर 1955 का एग्रीमेंट खरा उतारा जा चुका है। उसके जब जब भी बाद में मुहाअदे हुए, कोई भी एग्रीमेंट हुआ उसको 1955 का आधार माना गया है। और इसी प्रकार से जैसा मैंने 26 तारीख को भी निवेदन किया, इण्डस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में हुई थी, तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी नेहरू ने इस बात को वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन के सामने कहा कि सतलज, व्यास और रावी का जो पानी है, जो हमको मिला था अपने हिस्से में उस पानी को पाकिस्तान नहीं ले सकेगा, वह पानी हिन्दुस्तान के हिस्से में आयेगा और चिनाब, झेलम और सिंध इन तीन नदियों का पानी पाकिस्तान को जायेगा। एक निश्चित समय तय किया गया था कि इस निश्चित समय के अन्तर्गत उस पानी का उपयोग हिन्दुस्तान अपनी नहरें बना करके या और दूसरे बांध बना करके उसका उपयोग करेगा और जब यह सवाल आया तो हिसाब लगाया गया कि जितना पानी मिलने वाला है उसके लिए जमीन अनडिवाइडेड पंजाब में नहीं है, इतनी जमीन हो नहीं सकती कि उस पानी का उपयोग कर सके, अगर वह पानी का उपयोग हो तो वाटर लागिंग की समस्या हो जाती है, फिर भी उस पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यह तय किया गया कि राज-स्थान की भूमि को एक रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के सिद्धान्त को मान करके उस पानी को राजस्थान के हिस्से में डाइवर्ट किया जाय। आपको मालूम है उस समय यह बात कही जा सकती थी कि राईपेरियन थ्योरी आफ वाटर डिस्ट्रिब्यूशन के आधार पर इसका उपयोग किया जाना चाहिये लेकिन उस वक्त यह तय किया गया कि रिवर बेसिन के आधार पर उस पानी का जहां पर भी उपयोग हो सकता है वह पानी जायेगा। वह पानी के जाने का केवल अगर जगह थी तो वह राजस्थान का डेजर्ट ट्रैक्ट है उसके सिवाय और कोई जगह नहीं थी और यह

(श्री शिवचरण माथुर)

बात जवाहरलाल जी ने बहुत तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ में वर्ल्ड बैंक के चैयरमैन के सामने रखी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और यह तय किया गया कि यह पानी राजस्थान में जायेगा।

मैं एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, आप एक इन्फरेन्स निकाल सकते हैं। आप कहते हैं, साहब भारत सरकार हमारे हितों की अनदेखी कर रही है। मेरी समझ में नहीं आता इस राजस्थान कैनाल को आगे तक सैकण्ड स्टेज की भारत सरकार ने स्वीकृति दी हुई है। उस स्वीकृति के पूरा करने के लिए एक तरफ जहां उसके कमाण्ड एरिया डवलपमेंट के लिए हमने वर्ल्ड बैंक को एक प्रोजेक्ट भेजा हुआ है, एक तरफ तो यह भेजा हुआ है, उसका बहुत आगे प्रोसेसिंग हो चुका है और दूसरी तरफ भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जहां तक मुझे जानकारी है शायद 200 करोड़ रुपया क्यों साहब, 200 करोड़ रुपया एडीशनल राजस्थान कैनाल के लिए सुरक्षित रखा है। यदि भारत सरकार को चिन्ता नहीं होती कि यह राजस्थान कैनाल, इन्दिरा गांधी कैनाल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, केवल पानी की दृष्टि से नहीं लेकिन जैसा विपक्ष के नेता कह रहे थे, सामरिक दृष्टि से भी इसका अपने आप में महत्व है, इच्छोगल कैनाल का उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि वह महत्व इस कैनाल का यहां पर भी है। इस बात को भारत सरकार बहुत अच्छी तरह से समझती है, इसको मानती है तभी इस कैनाल को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अतिरिक्त रकम छठी पंचवर्षीय योजना में भी दी। इन्दिरा गांधीजी ने 40 करोड़ रुपया जो हमारा प्लान प्रोविजन था 162.50 करोड़ का, उसके अलावा 40 करोड़ का प्रावधान उन्होंने और अलग से किया और छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक मुझे मालुम है कि वह 40 करोड़ के अलावा करीब 15-20 करोड़ रुपया छठी पंचवर्षीय योजना में और खर्च हो चुका था। वो आखिर 215 करोड़ रुपये के आसपास छठी पंचवर्षीय योजना में यहां पर खर्च किया गया, और यहां उस 40 करोड़ को बढ़ाकर के भारत सरकार ने आउट साइड द प्लान एक तरफ 200 करोड़ का....

(व्यवधान)

प्लान में मान लीजिये, 200 करोड़ का प्रोविजन तो किया ही। 200 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ने अपने तौर से स्वीकार किया है तो भारत सरकार की चिन्ता आप स्वयं मान सकते हैं कि इस राजस्थान कैनाल को आगे बढ़ाने की उनकी चिन्ता है। यह जल्दी से जल्दी पूरी हो, यह चिन्ता उनको है। इसलिए यह मान लेना कि चूंकि राजीव गांधी जी ने एक फैसला कर लिया है इसलिये पंजाब के दबाव में आ करके राजस्थान के हितों को बलिदान चढ़ा दिया जायेगा। मैं तो कम से कम इस बात को नहीं मानता क्योंकि जब भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है, उसके लिए एडीशनल फण्ड्स एलोकेट करती है और उसके लिए यह इनसिस्ट करती हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कोशिश की जावे तो फिर यह प्रश्न कहां उठता है कि इन्दिरा गांधी कैनाल को हम पूरा नहीं करके और राजस्थान के हितों का बलिदान

(श्री शिवचरण माथुर)

कर देंगे। मेरी समझ में कम से कम नहीं आता। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह समझौता हुआ है इसके कई पहलू और सामने आने वाले हैं। कई पारलेज होंगी वातचीत होगी, राजस्थान की तरफ से भी अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का मौका....

श्री डूंगरराम पंवार : एग्रीमेंट राजस्थान के लिए पनिशमेंट है। डवलपमेंट की जगह डेजर्टमेंट होगा, यह देखते जाना आप नहीं हो जाये तो।

श्री शिवचरण माथुर : मैं ऐसा मानता हूं कि हमें इन सारे....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : इन टोटेलिटी जो सम्पूर्ण तथ्य हमारे समाने हैं उन तथ्यों को सामने रखते हुए और भारत सरकार से जो कुछ भी एडीशनल फण्ड्स इसको दिये हैं अलाट किये हैं और जो भारत सरकार की चिन्ता है उस चिन्ता को देखते हुये हमें यह कहीं पर भी नहीं मानना चाहिये कि इन्दिरा गांधी कैनाल को एक प्रकार से अबरप्टली कहीं वन्द कर दिया जावेगा, या दूसरीयोजनाओं को समाप्त कर दिया जायेगा हमको हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलेगा ऐसा कम से कम हमें नहीं मानना चाहिये। हमें कोशिश जरूर करनी चाहिये मैं यह नहीं कहता कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए कोशिश लगातार करते रहना चाहिये और मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि इन्दिरा गांधी जी हमेशा राजस्थान के पक्ष के बारे में यह कहती थीं कि राजस्थान का सवाल डिस्पूट में है ही नहीं।

श्री शोपतसिंह : वह गयीं।

श्री शिवचरण माथुर : आज राजीव जी भी वही कहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण मसले पर बहुत गम्भीरता से आप लोग विचार करें...

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : एक लाइन कह दो आप तो...

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : यह तो नेशनल पर्सपेक्टिव में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में जो एक बात सामने रखी गई है उसके महत्व को समझते हुए मेहरबानी करके मैं तो कहना चाहूंगा विपक्ष के माननीय नेता से कि आज जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव में जो बात हमारे सामने है उसको ध्यान में रखते हुए वह यह कृपा करें कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस लें और इसको प्रेस नहीं करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं जैसा उन्होंने....

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय सदस्य, यह भी बता दें, मानसिंह हत्याकण्ड का भी पुलिस से एग्रीमेंट था आपका।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैं विपक्ष के माननीय....

श्री बुलाकीदास कल्ला : बार बार व्यवधान पैदा कर रहे हैं उनको रोकें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आर्डर ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं उन्हें रोकें ताकि सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से चल सके ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं विपक्ष के नेता महोदय से और माननीय सदस्यों से भी आग्रह करता हूं कि आप बहुत छोटे राजनैतिक दायरे में नहीं सोच करके, अपनी पार्टी का एक हित है हमारे पक्ष का हित है इसको नहीं सोच करके व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को रख करके नेशनल पर्सपेक्टिव में बात सोचें । और इस प्रस्ताव को पहली बात तो यह है कि आपके नेता से कहें कि वह इसको वापस लें और यदि इसके बाद भी इन्सिस्ट करते हैं तो इसको गिरायें, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्नाथ पहाड़िया ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार सदन में इनकी मेडन स्पीच हो रही इसके लिये आपका स्वागत कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बशर्ते आप, विपक्ष सुनने का कष्ट करें । शान्ति से सुनें जरा ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप सही बात कहेंगे, आपको सुनेंगे ।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (वैर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस बात को मैं कहना चाहता था, मुझे खुशी है कि आदरणीय भामड़ा जी ने वह बात सदन को याद दिला दी और मैं आशा करता हूं न केवल भामड़ा जी और उनके दल के सदस्यों से बल्कि सदन के सभी माननीय सदस्यों से कि मेरे बोलते समय इस बात का कृपा करके ध्यान रखेंगे कि मैं 4 साल के अन्तराल के बाद इस सदन में पहली बार बोल रहा हूं । हो सकता है कि सदन के कुछ नियम, गरिमायें, परम्परायें और जिस तरह का धारा प्रवाह वक्तव्य हम यहां सुनते रहे हैं माननीय विभिन्न सदस्यों का वह ना दे पाऊं क्योंकि मुझे अभ्यास रहा नहीं । इसलिये मैं आशा करके चलता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाये, तो मेरी इस स्पीच को मेडन स्पीच ही मान लिया जाय क्योंकि इस विधान सभा के अन्दर मैं पहली बार और जैसा मैंने आपको निवेदन किया चार साल के अन्तराल के बाद पहली बार बोल रहा हूं ।

श्रीमान्, आपने देखा होगा कि चार साल से लगातार मैं सुनता ही रहा और सुनता ही रहा । कई बार ऐसे मौके आये जबकि मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को भी उत्तेजना हो सकती थी, कई बार छिपे तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर मेरा नाम इस सदन में आया फिर मैं यह उचित समझता था कि मुझे सुनना ही चाहिये लेकिन आज जबकि इस सदन के अन्दर राजस्थान की वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि मैं अपने कर्तव्य में फेल हो जाऊंगा यदि इस पर अपनी राय जाहिर नहीं करूं । क्योंकि श्रीमन्, तरह तरह की बातें पिछले हफ्ते से

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

लगातार इस सदन के अन्दर और सदन के बाहर कही जाती रही है। अगर केवल पंजाब एकार्ड के बारे में चर्चा होती रहती तो मेरे जैसा कम अक्ल सदस्य, मैं खुद अपने आपको कम अक्ल कह लेता हूं, माननीय सदस्य को कहने की कष्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि मैं मानता हूं कि मुझे जितनी जानकारी होनी चाहिये उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के अन्दर कुछ थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो बातें कही जा रही हैं उससे और बातों के साथ साथ एक बात का भ्रम और भी पैदा किया जा रहा है कि शायद राजस्थान के अन्दर कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी मतभेद है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को और सदन के माध्यम से सारे राजस्थान को और देशवासियों को बता देना चाहता हूं कि वैसे तो प्रजातंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक ही है, जहां मतभेद नहीं हों मैं समझता हूं कि उस जगह प्रजातंत्र सफल हो नहीं सकता है। लेकिन जहां तक राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का सवाल है और खास तौर से इस सदन के अन्दर इस अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के अन्दर कोई मतभेद नहीं है। आप चाहे कितना ही भ्रम पैदा करने की कोशिश करें, तरह तरह की बात करके कितना पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करें मैं समझता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी एक रही है और एक आगे भी रहेगी। और बाद में आपको इन्टृप्ट ना करना पड़े इसलिये आपकी तसल्ली के लिये कहता हूं हमने तो अपनी मर्जी से, स्वयं अपनी मर्जी से, उसका बैकग्राउण्ड कुछ भी हो सकता है, सदन के नेता, मुख्य मंत्री, माननीय श्री हरिदेव जोशी को अपनी कांग्रेस पार्टी का नेता सर्वसम्मति से चुना है। आप कह सकते हैं कि हमको हुकम ऊपर से आया उसका हमने पालन किया। मैं इसको एक मिनट के लिये मान लेता हूं। लेकिन यह किस बात का प्रतीक है ? मैं समझता हूं, यह हमारी पार्टी के अन्दर एकता का प्रतीक है कि जो भी तय हम कर लें उस पर हम कायम रहते हैं, जो भी हम तय कर लें उसको हम निभाते हैं। अन्य विरोधी पार्टियों की तरह से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नेता आज चुनें और कल को विरोध शुरू कर दें। मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी के अन्दर ऐसा तो नहीं होता है और मुझे क्षमा करें थोड़ा सा राजनैतिक बैकग्राउण्ड में जा रहा हूं. मुझे इस बात की खुशी भी है कि देश के अन्दर प्रधान मंत्री राजीव गांधी जैसा नेता हमको मिला जो दुनिया और देश की सारी परिस्थिति के अन्दर हमको कुछ राय सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर देते हैं। इसके पहले हमारी स्वर्गीय नेता, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीजी का वरद्हस्त हमारे ऊपर था। न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि सारे देश को उनकी रहनुमाई मिलती थी। यह देश की बदकिस्मती है कि उनका जैसा नेता हमारे बीच मे नहीं रहा। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि हमारी और देश की खुशकिस्मती है कि उनके बाद हमारे युवा साथी और युवा नेता, माननीय राजीव गांधी साहब जैसी हस्ती को इस देश का नेतृत्व करने का मौका मिला। अगर सारी दुनिया और देश की जानकारी के आधार पर राजीव गांधी साहब न केवल व्यक्तिगत तौर पर

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

बल्कि वह हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, न केवल इस पार्टी के अध्यक्ष हैं बल्कि इस देश के प्रधान मंत्री भी हैं....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : अच्छा ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब आप कबूल नहीं करें तो आपकी मर्जी की बात है। हैं तो....

(व्यवधान)

शोपत सिंहजी, कुछ समझने की कोशिश करें, मैं पहले थोड़ा बैकग्रांउड दे रहा हूं पालिटिकल और आपको यह भी निवेदन किया, मैं चार साल के बाद बोल रहा हूं, मैंने पहले ही क्षमा मांग ली, हो सकता है, मुझसे कुछ नियमों में, परम्पराओं में शायद धृष्टता हो जाय इसलिये पहले ही माफी मैंने मांग ली थी।

इसलिये आपको निवेदन कर रहा था कि वह केवल हमारे नेता नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, देश के प्रधान मंत्री भी हैं और पंजाब पर जो एकार्ड हुआ, उसने तो इस बात को साबित कर दिया है कि राजीव गांधी केवल कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, केवल सरकार के अन्दर प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं, इस देश के सच्चे मायने में नेता हैं। क्योंकि ऐसी कौन सी पालीटिकल पार्टी है और ऐसा कौन सा नेता है जिसने पंजाब समस्या के समाधान के लिये सेवा, विचार किया और एक नहीं अनेक बार, न केवल अपनी पार्टी के अन्दर बल्कि विरोधी दलों से भी बैठकर बातचीत की। मैं समझता हूं कि पंजाब समस्या पर चर्चा होने के बाद समाधान ढूंढा गया है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आदरणीय राजीव गांधीजी की जगह पर होता तो ...

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : संजय गांधी होता तो...

श्री रामकिशन वर्मा (लाडपुरा) : आप यहां आ नहीं सकते थे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : वह हैं नहीं दुनिया में और मैं जो आपके दूसरी पार्टियों के नेताओं के नाम बताऊं, वे होते तो क्या करते, वह अच्छा नहीं रहेगा ना। जो हैं उसी पर बात कर रहा आज। आज के, परिप्रेक्ष में बात कर रहा हूं।

इसलिये मैंने आपको निवेदन किया कोई दूसरा नेता भी अगर उनकी जगह पर होता चाहे कांग्रेस पार्टी के अन्दर से हो चाहे विरोधी पक्ष के अन्दर से तो मैं समझता हूं इससे अच्छा फैसला हो नहीं सकता था। इसलिये मैं अन्य बातों के विस्तार में नहीं जाकर सबसे पहले तो मैं प्रधान मंत्री श्रीमान् राजीव गांधी साहब को बधाई देता हूं कि एक ऐसी समस्या जिससे न केवल पंजाब में, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी खलबली मची हुई थी, आतंक फैला हुआ था, हिंसा व्याप्त थी और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होगा, आगे चल करके उसका समाधान निकाल लिया गया। आदरणीय लोंगोवाल साहब भी हमारी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने...

एक माननीय सदस्य : अब आदरणीय हो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हमारे लिये आप भी आदरणीय हैं और आदरणीय रहोगे। अगर आप किसी को आदरणीय नहीं मानना चाहे तो आपकी मर्जी की बात है, हम तो आदरणीय ही मानते है सबको।

वह भी हमारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने पंजाब के साथ देश को और दुनिया को समझा और मुझे याद आती है संत फतहसिंह जी, इसी समस्या के समाधान के लिये जब वह चर्चा करते थे, आखिर में जब फैसला हुआ, मैं समझता हूं कि किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा उसका जवाब उन्होंने दिया "India Is dear, but Punjab is dearer."

मैं समझता हूं, सन्त लोंगेवालाजी ने इसको भी माना और उसका उल्टा भी किया।

"Punjab is dear, but India is dearer."

मैं समझाता हूं अगर हम सभी लोग इस तरह से अगर सोचकर चलेंगे तो न केवल इस अविश्वास के प्रस्ताव पर बल्कि जो पंजाब समस्या है उसका जो समाधान निकाला गया है और उससे राजस्थान के हित कहां पर किस जगह कितने टकराते हैं या सुरक्षित रहते हैं उसको हम सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। श्रीमन्, मेरी मुश्किल यह है कि मैं बोल रहा हूं अविश्वास के प्रस्ताव पर, केवल पंजाब समस्या इसमें नहीं है, विरोधी पक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं। यह बात सही है जैसा माथुर साहब ने कहा कि अविश्वास का प्रस्ताव केवल इसलिये शायद लाये आप लोग कि पंजाब पर जो एकार्ड हुआ वह पसन्द नहीं आया। स्वाभाविक है हममें से बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की थीं और मैं विपक्ष के सदस्यों को कोट करके कहता हूं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से नहीं कह रहा या कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं कह रहा या सदस्यों की तरफ से नहीं कह रहा, आप लोगों ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी, कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी इसमें मतभेद हैं, आप लोगों ने कहा था कि मुख्य मंत्री जी, जो सदन में कह गये, सदन के बाहर जाकर उसको मुकर गये। यह तो आपने मान ही लिया कि थोड़ा बहुत सोचने विचारने का हौंसला कांग्रेस पार्टी के लोग भी रखते हैं। इसके मायने यह कहा कि राजस्थान के हितों का संरक्षण केवल आप ही नहीं करना चाहते, कांग्रेस पार्टी के लोग भी करना चाहते हैं। जब आपने खुद ने यह कह दिया, मान लिया कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस बारे में चिन्तित हैं तो मैं समझता हूं अब राजस्थान की जनता को यह कहने की, सोचने की आवश्यकता नहीं रही कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सभी लोग तो अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, मैं समझता हूं व्यक्ति ही क्यों, कोई भी जीव जन्तु जिसको थोड़ी सी भी फीलिंग है, अपने हित को अनदेखा कर देगा और उसमें भी राजस्थान का मुख्य मंत्री जो बन कर बैठा हो चाहे कोई भी हो, कोई शब्द इसलिये कहता हूं कि किसी को बहुत मौका मिला, किसी को मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत कम मौका मिला, इतिहास किसी का नाम लिखेगा, किसी का नहीं लिखेगा, जो

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कुछ कोई करेगा उसी का तो लिखेगा। मैंने कुछ किया नहीं तो मेरा क्या लिखेगा....

(व्यवधान)

लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं साधारण सदस्य के रूप में --

एक माननीय सदस्य : अपने साथियों का नमूना दिया है।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : न केवल राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के रूप में बल्कि आज राजस्थान विधान सभा के साधारण सदस्य के रूप में, और श्रीमन्, उसके भी एक कदम आगे जाता हूं. राजस्थान का नागरिक होने के नाते, मैं समझता हूं राजस्थान का कोई व्यक्ति इससे चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकता कि कहीं हमारा हित मारा तो नहीं जा रहा है। मैं इसमें माननीय हरिदेवजी को केवल मुख्य मंत्री के तौर पर नहीं, केवल कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं और मेरी ऐसी मान्यता है, यदि आवश्यकता हो तो हम घर में बैठ कर इस बात का विचार जरूर करते, हमने किया है विचार कि हमको अपनी क्या प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिये हमको क्या स्टेण्ड लेना चाहिये, हमको भारत सरकार से, प्रधान मंत्री से क्या निवेदन करना चाहिये। मैं सदन में इस बात का खुलासा किये बिना रह नहीं सकता कि अन्य समस्याओं के बारे में चाहे सदन के नेता ने हमको विश्वास में लिया हो, न लिया हो, हमसे चर्चा की हो न की हो लेकिन इस मामले में वे जरूर इतने चिन्तित थे कि हम सभी को उन्होंने बुलाकर इस बात पर चर्चा की और इसीलिये मुझे पूरी आशा है कि आपने जो आशंकायें व्यक्त की हैं अभी भी न उनसे वह बेखबर हैं और न हम बेखबर हैं। और मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं कि आप बेखबर हो जायें, जोशोजी बेखबर होना चाहें तो हम होने नहीं देंगे अगर राजस्थान के हित मारे जायेंगे, लेकिन मुश्किल यह है कि हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं। नम्बर एक, अविश्वास के प्रस्ताव पर कर रहे हैं। नम्बर दो, अविश्वास के प्रस्ताव में मुद्दा मुख्य तौर से क्या है वह पंजाब की समस्या है।

भाटी साहब देना जरा....

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : पानी का मामला है, पंजाब की समस्या नहीं।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं उसी पर आ रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : बंगाल की समस्या है।

श्री शोपतसिंह : वह तो तुम्हारी समस्या है बंगाल की तो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने, शोपतसिंह जी, एक बात कहीं, फतहसिंह जी की याद दिलायी वह शायद गंगानगर में ही जन्मे थे, इसका भी ध्यान रखें थोड़ा सा, और आप इन्टरनेशनल पार्टी हैं, चाहे आप उठकर जाते हैं तो मैं और मेरा दल

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

साथ ही चला जाय तो वह एक अलग बात है।

यह श्रीमन्, कोई करार नहीं है अभी, इसको फार्मल रूप दिया नहीं गया है। वह नहीं मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग है। This is a memorandum of understanding.

इसको फार्मूलाईज करना है, उसका प्रारूप डिटेल में तैयार होना है। जो बात आप कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री को पूछा नहीं गया, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने तो, आपको बता ही दिया इतना खुलासा करना ही नहीं चाहिये था कि भारत सरकार का कोई दूत वहां पर आया था, नाम भी उन्होंने बतला दिया, कौन शख्स आया था, इतना ज्यादा खुलासा और राजस्थान का मुख्य मंत्री कर क्या सकता था। उन्होंने साफ साफ आपको बतला दिया कि भारत सरकार एक दूत, नाम भी उन्होंने बतलाया, वह यहां पर आया था, उनसे चर्चा करके गया उसके बाद वह समझौता हुआ, उस पर दस्तखत हुए....

श्री केदारनाथ शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन, सर। मेमोरेण्डम आफ अण्डरटेकिंग है या अण्डरस्टेंडिंग है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जब आप अण्डरटेकिंग कह रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो कोई एतराज नहीं अगर आप अण्टरटेकिंग कहें। है तो अण्डरस्टेंडिंग।

एक माननीय सदस्य : इसके बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया से नहीं पूछा गया तो आगे क्या पूछेगी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब यह बात मुख्य मंत्रीजी फिर दुबारा बता देंगे। बता तो कई बार चुके हैं। आपकी शंका का समाधान वह कर देंगे। मैं उस टेक्निकल्टीज और लीगेलिटीज में नहीं जा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अच्छी तलवार चला रहे हैं जोशी जी पर।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : तो मैंने आपको निवेदन किया। आप तो मेरे पीछे विराजे हुए हैं। उनको हाथ जोड़ते हैं। मैं आपको हाथ जोड़ता हूं। यह आर्ट तो आपसे जरूर सीखना पड़ेगा लेकिन केवल यह आर्ट ही सीखना पड़ेगा और कोई बात नहीं। जिस तरह से छोटी बात को बड़ा बनाना आपको आता है मेहरबानी करके सबको मत सिखाइयेगा। एक ही बात को इस सदन में कम से कम दस बार हम सुन चुके हैं वह ही आंकड़ें हैं, वह ही बातें हैं, वह ही तथ्य हैं लेकिन आपके कहने का तरीका भी लाजवाब है, सुभान अल्लाह।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग है इसके विस्तार में बहुत सारी बातें हुयी पड़ी हैं, यहां आयेगी और मेरी मान्यता है कि भारत सरकार और देश के नेता प्रधान मंत्री राजीव गांधी साहब बिना राजस्थान की सरकार के, खास तौर से मुख्य मंत्री के बिना पूछे उन बातों को तय नहीं करेंगे। मैंने आपको निवेदन किया, इसके दो मुद्दे हैं जिसको हमें देखना है, एक तो आल इंडिया परिप्रेक्ष्य में, अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

और जैसा मैंने आपको निवेदन किया, मेरी छोटी राय में इससे अच्छा समझौता, इससे अच्छी कोई बातचीत, इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं हो सकती जो राजीव गांधी और लोंगेवाला के बीच में हुई और उसके लिये मैंने बधाई दी, राजीव गांधी साहब को जो उसके बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से वह हैं और मैं समझता हूं कि अगर मेरी चपट्टी पर आपको ऐतराज है तो मैं प्रदेश से शुरू करूं या अन्तर्राष्ट्रीय, जिसका हवाला आप बहुत देते हैं, उनसे शुरू करूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहीं से मत करो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : छोड़ दें देश प्रदेश की बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चन्द्रमा से शुरू करो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : पार्डन ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चन्द्रमा से शुरू करो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं समझता हूं, थोड़े दिन के अन्दर वह हालात भी पैदा हो जायेंगे जब कि हर समस्या चन्द्रमा से भी जुड़ेगी, सूरज से भी जुड़ेगी। आज भी जुड़ गयी, राजस्थान कैनाल में पानी कितना मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा बिजली कितनी मिलेगी, नहीं मिलेगी, उस समस्या का समाधान आखिर सूरज से हमको निकालना है, सूर्यताप के बहुत से बिजलीघर लगने वाले हैं, इसलिये यह तो आयेंगे ही आयेंगे आज नहीं आयेंगे तो कल आयेंगे।

(4.00 म. प.)

आपने आज इच्छा व्यक्त कर दी बहुत अच्छा किया। मैं आपसे निवेदन कर रहा था इसके दो पहलू हैं एक तो हमको अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं इससे अच्छा एकार्ड कोई हो नहीं सकता था। दूसरा है, राजस्थान के सन्दर्भ में दो बातों पर विवाद चल रहा है। यह, श्रीमन् मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और जहां तक मैं इसको समझ पाता हूं क्योंकि मैंने तो इसको डील नहीं किया है। अगर हमारी समझ में कुछ कमी हो तो शेखावत साहब से हमको, जरा बुरा मत मानियेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा क्योंकि आपने 30 साल से लगातार इसको डील किया है, हम लोग तो इसको समझने की कोशिश कर रहे है। इसका पहला पैरा, श्रीमन्, पढ़ कर सुनाता हूं आपको मैं :

'The farmers of Punjab, Haryana and Rajasthan will continue to get water not less than what they are using from the Ravi Beas system as on 1st July, 1985.

' Waters used for consumptive purposes will also remain unaffected. The quantum of...."

यह क्या है, भाई। यह क्या है भाई... ". usage claimed shall be verified by the Tribunal referred to in part, 9.2 below."

'9.2 पैरा क्या है ? "The claims of Punjab and Haryana regarding the

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

shares of their remaining waters will be referred for a adjudication to a Tribunal to be presided over by a Supreme Court Judge."

एक माननीय सदस्य : "remaining..."

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : "their remaing .. ".

"The decision of this Trtbunal will be rendered within six months and would be binding on both parties. All legal and constitutional steps required in this respect be taken expeditiously."

और इसका तीसरा पैरा भी है :—

'The construction of the S B. L. Canal shall continnue. The canal shall be completed by the 15th August, 1986."

अब, श्रीमन जो बात अब तक कही जा रही थी मैं भी भ्रमित हो रहा था कि वाकई हमारा हित नुकसान में होगा। अभी मैं बहुत क्लीयर नहीं हूं लेकिन मैंने समझने की कोशिश की, किसी आफिशियल सोर्स से नहीं, मैंने आज तक किसी आफिसर्स से बात नहीं की क्योंकि थोड़ी बहुत अक्ल अपनी भी लड़ानी चाहिये। केवल दूसरों की अक्ल का हम इस्तेमाल करते रहें तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है मामला और दूसरे इसलिये लेते हैं कि हो सकता है आपकी अक्ल इतनी नहीं हो। दूसरों से जानकारी प्राप्त करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। इसलिये मैंने यह रिपोर्ट जो सरकारी है, जो समझौते हुई मंगवाई। भ्रम हमको भी इस बात का था कि कहीं हमारा हित मारा तो नहीं जा रहा है। क्योंकि पहले पैरा में राजस्थान का नाम है, दूसरे पैरा में राजस्थान का नाम नहीं। अब, श्रीमन् मैं केवल व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूं, न मैं पार्टी की ओर से बोल रहा हूं, न सरकार की ओर से बोल रहा हूं केवल खुद का विचार है। आपने अभी थोड़ी देर पहले माननीय माथुर साहब जब बोल रहे थे उस समय 1981 को बेस माना, यह तो माना साहब या नहीं माना?

एक माननीय सदस्य : सन् 1955 को माना।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अच्छा उसी में से एक पैरा पढ़कर सुनाता हूं आपको। 1955 का ही, सुनाता हूं आपको। वह सुनाता हूं ..

(व्यवधान)

नहीं एग्रीमेंट 81 का है। इसमें रिइट्रेट किया है....

(व्यवधान)

नहीं वह तो भैरोंसिह जी ने रिजेक्ट कर दिया कल, परसों पुष्पाजी को कुछ कह रहे थे ना। एं ? ठीक है। आपको नेगलेक्ट किया और, श्रीमन उपाध्यक्ष महोदय, यह भी आप देख लें, इस सदन के अन्दर कांग्रेस पार्टी रिजेक्ट या एक्सेप्ट करती नहीं है कुछ भी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कर दिया ना आपको।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जब भी हम नेता का चुनाव करते हैं तो सदन के बाहर कर के लाते हैं ।

(4.05 म.प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमन् हम तो अपनी पार्टी के नेता का चुनाव अपनी पार्टी कार्यालय में या जहां हाईकमान निर्धारित करता है वहां बैठते हैं, नेता चुनते हैं । राज्यपाल महोदय उसको ओथ दिलाते हैं उसके बाद में मुख्य मंत्री बनकर यहां पर आता है .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सब हाथ ऊंचे करने वाले हैं । सब ऊंचे हाथ करने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कितने मुख्य मंत्री किस तरह से आये और किस तरह से गये, कैसे आये, कैसे जायेंगे यह फैसला आप लोग वहां बैठे बैठे किया करते हो और दो दिन पहले मेरे बारे में फैसला कर दिया शेखावत साहब ने कि पहाड़िया ठीक नहीं ।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हम हैं आपके पक्ष में ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, कृपया बोलने दें ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मेरे पक्ष में हैं तो बहुत अच्छी बात है । मैं आपको धन्यवाद देता हूं । पक्ष में बने रहना आप ।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बोलने दें ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : तो मैं इस विस्तार में नहीं जाऊं कि मुख्य मंत्री कैसे बनते हैं । मैं आपको सही निवेदन कर रहा था अगर आप चाहें तो पैरा पढ़कर सुना दूं ।

श्री शोपत सिंह : हां ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : "Now, therefore, we, the Chief Ministers of Haryana, Rajasthan and Punjab, keeping in view the over all national interest and desirous of speedy and optimum utilisation of waters of Ravi and Beas rivers, and also having regard to the imparative need to resolve speedily the differences relating to the use of these waters, in a spirit of give and take, to hereby agree as under "

नम्बर वन ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप 55 का पढ़ रहे हैं या 81 का ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : 81 का पढ़ रहा हूं इसमें रेफर किया 55 को ।

श्री अध्यक्ष : Haryana and Punjab cannot be in 55.

आर्डर प्लीज ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसमें रिइट्रेट किया है उन्होंने :—

"According to flow series of 1921-60, the total mean supply of the Ravi Beas waters in 20.56 MAF. Deducting the pre-Partition usage of 3.13 MAF and transit losses in the Madhopur Beas link of 0.26 MAF, the net surplus Ravi Beas waters according to the flow series 1921-60 is 17.17 MAF as against the corresponding figure of 15.85 MAF for the flow series 1921-45, which forms the basis of water allocation under the 1955 agreement.

"It is now hereby agreed that the mean supply of 17.17 MAF (Flow and Storage) may be re-allocated as under :—

Share of Punjab :— 4.22 MAF

Share of Haryana :— 3.50 MAF

Share of Rajasthan :— 8.60 MAF

Quantity earmarked for Delhi ?

Water Supply :— 0.20 MAF

Share of Jammu & Kashmir. 0.65 MAF

Total comes 17.17 MAF

अब दूसरा पैराग्राफ और पढ़ने लायक है। बहुत जरूरी है।

"In case of any variation in the figure of 17.17 MAF in any year -"

Sir, with your permission, I repeat it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Repeat for hundred times.

श्री अध्यक्ष : He has sought permission from me.

आर्डर, आर्डर, प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : "In case of any variation in the figure of 17.17 MAF in any year, the shares shall be changed prorata ..."

Sir, for your kind information,

" of the above revised allocations, subject to the condition that no change shall be made in the allocation of Jammu & Kashmir which shall remain fixed as 0.65 MAF as stipulated in 1955 agreement."

मुझे बहुत डर लग रहा है, श्रीमन् इसको मुझे कोट करना चाहिये, नहीं करना चाहिये क्योंकि ? इसके यह निकलते हैं कि केवल जम्मू कश्मीर का तो तय हो गया,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

अनुपात तय हो गया। बची हुई जो तीन स्टेट आज बन गयीं उस समय दो स्टेट थीं, वह पंजाब हरियाणा और राजस्थान का, इसका मतलब प्रोराटी होता रहेगा। अगर इसका मतलब यह है तो मुझे पता नहीं।

I take it, subject to corrections.

The quantity....

वह दिल्ली का मामला है, छोड़ देता हूं।

'Until such time as Rajasthan is in a position to utilise its full share, Punjab shall be free to utilise the waters surplus to Rajasthan's requirements. As Rajasthan will soon be able to utilise its share, Punjab shall make adequate alternative arrangements expeditiously for irrigation of its lands by the time Rajasthan is in a position to utilise its full share.

As a result it is expected that during this transitional period, when Rajasthan's requirements would not exceed 8.0 M A F., 4.82 M. A. F, of water should be available to Punjab in a mean year when the availability is 17.17 M. A. F."

यह तो मान लिया, साहब, 17.17 हो उसको हम कंसिडर करें तो राजस्थान पंजाब का शेयर कितना-कितना होगा, यह मान लिया होगा, और कट वगैरह होगी तो प्रोराटा हमने मान लिया सिवाय जम्मू कश्मीर के ...

श्री शोपतसिंह : हमारा फालतू पानी तो दे दिया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : तब तक के लिए है जब तक हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते।

श्री शोपत सिंह : आगे नहीं देंगे राजस्थान के पानी को।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आपस में नहीं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हां, तब तक के लिए जब तक आल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं कर लेते। उसके बाद एक बूंद पानी भी राजस्थान का पंजाब को नहीं जाना चाहिए. इसमें बहुत साफ है। लेकिन इसमें यह बहुत साफ है कि केवल जम्मू कश्मीर के लिए जो हमने अनुपात तय किया है वह फिक्स रहेगा बाकी रिमेनिंग स्टेट के अन्दर प्रोराटा घटता-बढ़ता रह सकता है और उसमें फाइनल अथोरिटी, सारा मैं पढ़ कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तय कर दिया कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो तो लॉस्ट एक सेन्टेन्स है. श्रीमन् वह बहुत नोटेबल है "In case of any difference on interpretation of this agreement, the matter will be referred to the Central Government whose decision shall be final."

इस पांइन्ट पर, श्रीमन्, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विपक्ष के

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

माननीय सदस्य और नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राजस्थान की विधान सभा को कोई प्रस्ताव पास करना चाहिए चाहे वह प्रस्ताव प्रधान मंत्री राजीव गांधी और लोंगोवाल साहब के बीच हुआ है, इससे मेल खाता है कि नहीं खाता है, हमको अपने हितों की रक्षा करनी है, हम एग्री करते हैं इस बात को, और साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहते हैं कि हम केवल राजस्थान के हित की बात सोचते-सोचते भारत के हित को इग्नोर नहीं कर सकते····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़कर सुनाओ, समझ में नहीं आया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : समझ में आयगा इसलिए नहीं कि मैं समझा नहीं सकूंगा आपको, आप मुझे समझ नहीं पायेंगे। दोनों समझने की कोशिश न करें तो ही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया जारी रखें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब आर्गूमेंट हो जाए तो ही बताऊंगा न। आर्गूमेंट मेरा कहने का यह है कि अगर कोई झगड़ा पड़े तो इसका मतलब यह निकलता है कि उस हालात के अन्दर भारत सरकार को मामला रेफर कर दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कर दिया गया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : रेफर कर दिया गया तो बहुत अच्छा हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पूछें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब उनसे क्यों पूछें। मैं तो अध्यक्ष जी के सामने मुखारबिन्द हो रहा हूं इसलिए उनसे और आपसे दोनों से नहीं पूछना चाहता इस समय तो।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह दें, कृपया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं तो अपनी बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष जी, इसके मायने यह हुए कि भारत सरकार सर्वोपरि है, हम सर्वोपरि नहीं हैं। और हमसे जिस प्रस्ताव की चर्चा की जा रही है, माननीय मिर्धा साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं आप हमारे बुजुर्ग हैं, मुझे आशा थी, आशा है और आशा रहेगी कि जिस तरह आपने अब तक इस सारे मामले को देखा है, मेहरबानी करके इस मामले को आपको देखना पड़ेगा। हम खुद इस बात से सहमत थे कि एक शब्द अननेसेसरी जोड़ दिया जाए कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रधान मंत्रीजी से मिलने के बाद जब दिल्ली से लौटे और उन्होंने जो बात हमको बतलाई, उससे तो हमको ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि मैं एक ही बात आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस समझौते के बारे में केवल देश-प्रदेश के नेताओं ने ही नहीं दुनिया के और सबसे ज्यादा तो लोग आजकल बी. बी. सी. सुनते हैं, उसने भी और वाशिंगटन पोस्ट ने क्या छापा है उसको भी कोट करना चाहता हूं। उन्होंने साफ कहा कि प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने इस छोटे अर्से के अन्दर इससे बड़ा अहम् सवाल उन्होंने और कोई हल नहीं किया, दुनिया

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

का सबसे बड़ा सवाल उन्होंने छोटे समय में तय कर दिया। सवाल इस बात का है कि अब कुछ अखबारों को कोट किया जाता है और यह कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री राजीव गांधी आश्वासन दें। अगर यह अखबार सही है और इत्तफाक की बात है कि वह अखबार दूसरे मेरे हाथ ही नहीं आये, मैंने मंगाया था लाइब्रेरी से अखबार ला दो तो अखबार भी वह आ गये हैं जो माननीय शेखावतजी कोट करते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : दूसरा भी ले आते तो ठीक रहता। यह 26 तारीख का राजस्थान पत्रिका है, साहब। इत्तफाक से आ गया, मैंने नहीं मंगाया। मैंने कहा था अखबार ले आना उस तारीख के।

एक माननीय सदस्य : आप हमसे कह देते साहब, हम ले आयें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसमें प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने कांग्रेस (इ) संसदीय दल को गुरुवार को यह भरोसा दिलाया कि पंजाब की समस्या के बारे में केन्द्र और अकाली दल के बीच हुए समझौते को क्रियान्वित करते समय राजस्थान व हरियाणा हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कहा। अकेले में मुख्यमन्त्री जी से भी नहीं कहा। क्या कहा वह तो वह जाने, संसदीय दल की साधारण सभा में जिसका आप कह रहे सदस्य हैं चार सौ पूरे, एकाध ज्यादा ही है, कम नहीं। कुल मिलाकर ज्यादा ही हैं। जाखड़ साहब को मिलाकर ज्यादा हैं। उसमें भरी सभा में उन्होंने कहा है कि राजस्थान के हितों को हम सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमन्त्री जी से भी न कहें प्रधान मन्त्री जी ने। तब भी साहब हमारे कोई अखबार नहीं है, इत्तफाक की बात है कि आपने जो अखबार बताया था वही आ गया उसी को मैं कोट करके दिखा रहा हूं, इसको तो मान ही लेना चाहिये। इसका मतलब यह है कि राजीव गांधी साहब . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज का एडिटोरियल पढ़ लीजिये इसी अखबार का।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब एडिटोरियल पढ़ने के लिए तो अगर अध्यक्ष जी इजाजत दें तो पूरा अखबार पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अपनी बात संक्षेप में कहें। आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मेरा निवेदन यह है कि जब देश के प्रधान मन्त्री सार्वजनिक तौर पर जिसकी चर्चा केवल संसदीय कांग्रेस दल में नहीं जिसको आल इण्डिया प्रेस से पब्लिसिटी नहीं मिली, जिसको दुनिया के सारे स्टेटों ने सराहा, जिसकी पब्लिसिटी हुई उस पर हम भी विश्वास नहीं करें हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह से मुख्य मन्त्री से अलग से जाकर पूछें कि आपको राजीव गांधी साहब ने क्या कहा . . .

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): किस-किस देश ने सराहा, यह बता दें आप।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब यह अखबार पढ़ने की, अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दे दें, सबको पढ़कर सुना दूं कि किस-किस ने सराहा ' ' '

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

शोपत सिंह : अखबार पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिया है ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : पढ़ लिया तो क्यों टाइम वेस्ट कराते हैं । इसमें लिखा हुआ है मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, लोक दल, तेलगुदेशम्, डी. एम. के., एम. के. नेशनल कांफ्रेंस व्यर्थ में काहे को कराते हो इसमें इसको । सबने इसकी तारीफ की है इसके बाद समझ में नहीं आता कि हमको और विश्वास दिलाने के लिए क्या करना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पार्टियों के नाम गिनाये, देशों के नाम कहां गिनायें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बैठे आप ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं समझता हूं कि जो बात माननीय प्रधान मन्त्री ने सार्वजनिक तौर पर कह दी उसी बात को भारत के गृह मन्त्री माननीय चव्हान साहब ने शायद कल ही आमेट में राजस्थान में आ कर उसको दोहरा दिया....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन्होंने क्या कहा है कि हित सुरक्षित नहीं रहेंगे ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं था नहीं उनके साथ, अखबार ही पढ़ा है । तिवाड़ी जी, आपने सुना होगा, हमने तो नहीं सुना । अखबार पढ़ा है उसको कोट कर रहे हैं आपके सामने । उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान के हितों की रक्षा की जाएगी । फिर मैंने आपके निवेदन किया, श्रीमान् यह तो मेमोरेंडम आफ अण्डर स्टेंडिंग है । अभी कहां सवाल पैदा हुआ कि राजीव गांधी की कलम पकड़ें, जुबान पकड़ें हम जाकर के । अभी तो हमको मौका है इस बात का कि इसके पहले कि इसकी डिटेल्स तैयार हों, मैं, शेखावत साहब, आपके जरिये से और सदन के सब सदस्यों को, मैं अपनी पार्टी के नेताओं को भी आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सब लोगों को इस बात का कांग्रेस पार्टी की ओर से, वैसे तो हमारे मुख्य मन्त्री जी, सदन के नेता हैं उन्होंने विश्वास दिला दिया, मैं अपने आपको उनके साथ एसोसिएट करता हूं कि कहीं कोई कमी रहेगी तो हम जरूर जायेंगे, सारी राजस्थान पार्टी, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी जाएगी राजीव जी के पास में और उनसे कहेगी कि राजस्थान के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए । लेकिन कब जायें, कैसे जायें, यह हमको विचार करना है, यह श्रीमन, हमको विचार करना है । हम ऐसा मानकर चलते हैं, हम आश्वस्त हैं कि जो प्रधान मन्त्री जी ने कह दिया, गृह मन्त्री जी ने कह दिया उस पर निश्चित रूप से कायम रहेंगे, आखिर वह देश के नेता है, उनको देश चलाना है । किसी को प्रदेश चलाना है, किसी को पार्टी चलानी है मेरे जैसे को कुछ नहीं चलाना है, अपने आप को भी नहीं चलाना है, हम तो बन्धे हुए हैं उनसे । हम तो बन्धे हुए हैं उनसे,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मुद्दे याद पड़ता है कि मैं उस कमरे का, उस तारीख का, उस समय का हवाला नहीं दूंगा जब हम कहते हैं कि हम छोटे कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी के तब आपको भी पसन्द नहीं आता, जब हम कहते हैं कि हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं तब भी आपको पसन्द नहीं आता और आप हमसे कहलवाना चाहते हैं कि हम राजीव गांधी के बराबर हैं तो यह हम कहने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम प्रधान मंत्री हैं ही नहीं। आपके यहां आते हैं लेकिन यह सत्यता है कि मैं राजीव गांधी की जगह प्रधान मंत्री नहीं हूं, लेकिन यह भी सत्यता है कि आपमें से भी कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं है। एक पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष माननीय चौधरी चरणसिंह जी हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी हैं....

श्री शोपत सिंह : ठीक बोल रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इत्यादि-इत्यादि। तो हम तो अपनी पार्टी और अपने अध्यक्षों के साथ चलते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसी कौनसी पार्टी है जो अपने नेता के और अपनी पार्टी के आदेशों पर नहीं चलती है पार्टी के अनुशासन में नहीं रहती है। अगर हम अनुशासन में रहते हैं तो कौनसा गुनाह करते हैं। मैं समझता हूं, अच्छा करते हैं। हर पार्टी को अपने अनुशासन में रहना चाहिए। यहां हमने जो दृश्य देखा है सदन के अन्दर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन के नेता बोलें तो, विपक्ष के नेता बोलें तो, मैं दोनों को कह रहा हूं, किसी एक को नहीं कह रहा हूं।

श्री शोपत सिंह : जनता को डंडा मत दिखाइए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अभी जनता के बीच तो आप गए ही नहीं। वह फिगर्स भी मैंने मंगा कर रख लिए हैं आपकी जानकरी के लिए। जो पार्टियां धरने पर यहां बैठी थीं उन सबके फिगर्स कुल मिला कर के शोपतसिंह जी, आपकी जानकारी के लिए 3.3 पर्सेन्ट हो गया. हमारा 47 पर्सेन्ट था, यह मेरे नहीं आपके दिए हुए आंकड़े हैं। इसलिए श्रीमान् आपसे आशा करके चलता हूं और माननीय विपक्ष के सदस्यों से भी आशा करके चलता हूं कि इसको कुछ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सोचना आपको जरूर है, राजस्थान में हमको रहना है, राजस्थान का विकास करना है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, इसका विकास करना है और हमारी और आपकी सब की जिम्मेदारी अगर बराबर नहीं, आपकी कुछ ज्यादा हो सकती है और हमारी कम हो सकती है लेकिन कुछ-कुछ तो है ही थोड़ी बहुत। इसलिए बार-बार इस बात को कहना कि राजस्थान के हितों की हमने तो उपेक्षा कर दी और आपने राजस्थान के हितों को बनाए रखा तो मैं उस पिछले इतिहास में नहीं जाना चाहता। माननीय मिर्धा साहब, आपने ही फर्माया अभी कि 38 साल के अर्से में हम कई समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हुजूर, हम अकेले तो नहीं थे आप भी थे हमारे साथ --

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने ट्रेडीशंस दूसरी बताई। आपने सुना नहीं मुझे पूरा।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मैं था 69 तक आपके साथ। तब तक मेरे खयाल से नेहरूजी बहुत मौजूद थे, फिर कुछ इन्दिरा जी भी पहले कुछ और थीं, फिर और हुआ। फर्क बहुत हो गया और मैं आपसे छोड़कर गया क्यों इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वह ट्रेडीशन का ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : आप 77 तक थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो उस समय तक था जब कि अपनी पार्टी हम सिर्फ दो ही पहुंचे वहां पार्लियामेंट में।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह भले ही हों। पहुंचने का सवाल नहीं है। एक भी पहुंच सकता है और सब भी नहीं पहुंचे। इससे कोई मतलब नहीं है। वह तो जनता है…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं डिनाई नहीं करता कि मैं आपके साथ नहीं था। पर उस समय ट्रेडीशंस और थे। उस समय काम काम करने की प्रवृत्ति और थी, तरीका और था। अब पूरा ठोठ ही ठोठ और वोटां के खातर मरो, कठीने ही जाओ अर कठीने ही जाओ। ए बात जकी हुई अब हुई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं मैं सही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : उस समय कांग्रेस थी अब इन्दिरा कांग्रेस है।

एक माननीय सदस्य : ये कांग्रेस में थे। कांग्रेस (आई) में नहीं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं…

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : समय के हिसाब से बहुत फर्क आया है। आना चाहिये और उस को लाने के लिए हम आप कोशिश कर रहे हैं। क्या, श्रीमान्, देश की गरीबी को नहीं मिटाना चाहते हैं आप ?

श्री शोपतसिंह : मिटा दी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप अपनी बात कहें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : तो लगे ही हैं इस काम में और किस काम में लगे हैं। देश के अन्दर से बेकारी को मिटाना, देश के अन्दर से गरीबी को मिटाना . .

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह दें, माननीय सदस्य।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यही तो समय का परिवर्तन है। इसमें कोशिश होती रहती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उल्टा मत करो। परिवर्तन अच्छा करो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : परिवर्तन

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

अच्छे के लिए हो रहा है। धीरज रखें, तसल्ली रखें . . .

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह दें। आपस में बातचीत नहीं कृपया। माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं। आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : कितने साल तसल्ली रखें ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब कितने साल रखें शोपत जी पूछते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय पार्टी के मेम्बर हैं। एक व्यक्ति का देश नहीं है यह 70 करोड़ व्यक्तियों का देश है और सारी दुनिया के साथ चल कर हमको देश को बदलना है।

श्री शोपत सिंह : और मेरी पार्टी का राज पूरी दुनिया के तीसरे हिस्से में है। दुनिया की तीसरी आबादी में है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, मैं इनसे सहमत हूं क्योंकि जितना अनुपात इनका यहां है दुनिया में उतना अनुपात इनका है। इसलिए मैं और बातों की चर्चा नहीं करके मैंने आपको निवेदन किया कि भारत सरकार को मामला सौंपा हुआ है, भारत सरकार है ही है। हम भारत सरकार के ऊपर नहीं हैं। हम केवल उनसे निवेदन कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं : और बात कहने के दो तरीके हैं। एक बहुत नरमी के साथ और एक बहुत गरमी के साथ। एक उत्तेजना के साथ एक शान्ति के साथ। एक कानूनी दायरे के अन्दर और एक गैर कानूनी तरीके से। तो श्रीमन्, मैं समझता हूं, पहला रास्ता हमारा ठीक है, जो मुख्यमन्त्री जी के जरिये से हम राजस्थान को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं। सारा सदन अपनी राय जाहिर कर चुका है। वह भी अखबारों में छप चुका है। वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमको प्रधान मन्त्रीजी की बात पर भरोसा करना चाहिये, विश्वास करना चाहिये। सारे देश को, दुनिया को इस बात की जानकारी है ; कहीं छोटी मोटी गलतियां भी हो सकती हैं लेकिन अभी तो हमारे पास में समय है। हम जाकर अपनी बात जो आपने कही है उसको भी कहेंगे और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सारी कांग्रेस पार्टी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली जायेंगे। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो जायेंगे। अभी हम समझ रहे हैं सारे मामले को। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा धीरज रखें तसल्ली रखें और जो आप कह रहे हैं, वह शब्द क्या था, हां, केवल औपचारिकता के लिये अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाये। यह आपके जीवन मरण का सवाल है। जीवन मरण का सवाल आपका और हम सबका है। हम मानते हैं कि पानी बहुत जरूरी है, बिजली बहुत जरूरी है। इसके बिना तो इन्सान जिन्दा रह नहीं सकता और पश्चिमी राजस्थान खास तौर से उसकी हालत को, हम रहते नहीं हैं लेकिन हम बहुत बार गये हैं और जानते हैं और जितना आप समझ सकते हैं शायद उससे ज्यादा हम महसूस कर सकते हैं इस बात को क्योंकि आप तो भोग चुके, आपको तो दर्द का पता नहीं चलता

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

है। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, मैं भी मुख्यमन्त्री बनने के पहले सात बार पश्चिमी राजस्थान गया था और उसके बाद भी गया लेकिन मुख्य मन्त्री के रूप में जब मैं गया तो मेरी आंखों में आंसू आते थे। आपको मालूम होगा, इसलिये पहली प्राथमिकता हमने पानी को ही रखी थी। बिना पानी के इन्सान जिन्दा रह नहीं सकता। इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अविश्वास का प्रस्ताव औपचारिकता के लिए नहीं रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और औपचारिकता के लिये रखा है तो भी औपचारिकता पूरी हो गई। आप जनता में जाकर कह सकते हैं कि हमने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया है। हम सौभाग्य मानते हैं, लेकिन मैं एक बात माननीय मिर्धा साहब के बारे में निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें कृपया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हुजूर मैं तो पहली बार ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बोल तो पहली बार रहे हैं लेकिन समय का मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत - ऐसे टेंस एटमोस्फियर में एंटरटेनमेंट की भी आवश्यकता है। जरा हमारा भी ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : लाइट होना चाहते हैं आप।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मिर्धा साहब ने फर्माया, जिस तरह की राजनीति चलाई जा रही है उसका हमको बहुत दुःख है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हम सब को बहुत दुःख है इस बात का। उसका बहुत दुःख है हमें लेकिन आप किस तरह से समझ रहे हैं और हम किस तरह से समझ रहे हैं इस बात को समझना पड़ेगा न आपको इस बात का दुःख है कि एक तरफा कार्यवाही की जा रही है, हमको इस बात का दुःख है कि आप एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं। बैठ करके कोई बातचीत हो, उसमें से कोई रास्ता निकालें। कोई कमीबेशी हो तो उसको पूरा करें। वह बात तो समझ में आती है लेकिन यह धमकियां यहां मर देना कि अगर सदन में इस मामले को तय नहीं किया गया तो सड़कों पर ले जायेंगे, या किस तरह का था मुझे पता नहीं, राजस्थान में आन्दोलन करेंगे। तो आन्दोलन तो करना चाहिए, प्रजातन्त्र का तरीका है। आपने यहां भी उसका प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी बात हुई। मुझे तो इस बात की खुशी है कि पहली बार शायद विधान सभा में बैठकर धरना दिया, शांतिपूर्वक धरना दिया। मैं समझता हूं कि यह बात सरकार में बैठने के बाद ही आई होगी अगर सरकार में विपक्ष के नाते विपक्ष के सदस्य नहीं बैठे होते तो शायद वह पुराना सिलसिला चलता रहता। यह तो बहुत अच्छी बात हुई कि देश के अन्दर कुछ समय ऐसा भी आया हालांकि था वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्योंकि देश की गति उससे रुकी, गरीबी के जो कार्यक्रम चल रहे थे हमारे उसमें बाधा पड़ी, विकास के काम चल रहे थे उसमें बाधा पड़ी और बहुत सारे मामले जो काफी दूर तक पहुंच जाने चाहिए थे वह रुके लेकिन एक बात का फायदा देश को

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

हुआ कि कम से कम जिस तरह की राजनीति चल रही थी विरोधी पक्ष की उसमें रुकावट तो आई। तो हमको भी बहुत दुःख है इस बात का, इस तरह की राजनीति चल रही है, आखिर सारे देश को, सारी दुनिया को, सारे राजस्थान वासियों को चन्द व्यक्ति गुमराह कर दें और यह कह कर दें कि राजस्थान के हितों को अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और उसके नेता ने। श्रीमन् इससे हम बिलकुल सहमत नहीं हैं। हम आपको निवेदन करना चाहते हैं, दुःख हमको भी है लेकिन दूसरे ढंग का है।

श्रीमन्, माननीय शोपत सिंहजी ने एक बात बहुत मार्के की कही। वैसे तो वह सभी बातें मार्के की कहते हैं लेकिन उन्होंने जिस बात पर आशंका व्यक्त की अगर हिन्दू सिख एकता कायम हो जाए तो खुशी होगी....

श्री शोपत सिंह : हम तो हिन्दू सिख मानते हैं हम तो आदमी मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं कृपया। अ.सन की ओर मुखातिब हों। लम्बा समय लग जाएगा अन्यथा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आप क्यों सिक्खों पर अविश्वास करते हो क्या बात है? मैंने तो खुद कहा है, श्रीमान्, हमारे नेता माननीय राजीव गांधी साहब हमारी पार्टी देश के सभी वासियों पर विश्वास करती है। उसी का है कांग्रेस पार्टी बहुमत में पार्टी है क्योंकि देशवासी हमारा विश्वास करते हैं। हम खास तौर से इस सिलसिले सभी सिख भाई-बहनों का विश्वास करते हैं और मेरी ऐसी आशा है कि हिन्दू हों चाहे सिख हों मैं तो, माफ कीजिए, सभी को एक ही मानता हूं। मेरे दिमाग में अभी यह बात बैठ नहीं पाई है, चाहे सिख भाई मुझ से नाराज हो जाएं कि हिन्दू और सिख अलग कैसे हो सकते हैं। हैं क्या अलग ? लेकिन चल रहा है सिलसिला इसलिए मैं कहता हूं, मान लो, अलग हैं भी तो निश्चित रूप से सौहार्दता का, भाईचारे का वातावरण इससे पैदा होगा और काफी दिन से जो हिंसा थी आतंकवाद की राजनीति चल रही थी जिससे केवल भारतवर्ष ही नहीं, केवल पंजाब ही नहीं सारी दुनिया चिंतित हो रही थी, उस घटनाक्रम में मैं जाना नहीं चाहता, श्रीमन् पिछले तीन चार साल से, जब से आतंकवाद चला है मुझे दुनिया के अन्य देशों में भी जाने का मौका मिला। पश्चिम में भी गया और मैं खास तौर से कनाडा, अमरीका ब्रिटेन और जर्मनी का नाम लेना चाहूंगा, और साउथ ईस्ट कुछ मुल्कों में भी गया, जिनमें आस्ट्रेलिया का नाम खास तौर से लेना चाहूंगा। जिस तरह का घिनौना प्रचार भारत के खिलाफ इस आन्दोलन के चलते हो रहा था, मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति बाहर जाए तो कानों से सुन करके सिवाय अपना माथा ठोकेगा और आ करके अपनी भारत सरकार से निवेदन करेगा कि मेहरबानी कीजिए, इस पर कुछ रोक लगाइये। इसके अलावा दूसरा कुछ कर नहीं सकता है। हमने भी वही किया। हमें आशा है और हमें इस बात की खुशी है कि चाहे देश की नेता प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी का बलिदान सारे देश को उसकी खातिर करना पड़ा लेकिन उनके बलिदान से जो नया नेतृत्व हमको मिला

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

उसमें समझदारी इतनी आई कि उस समस्या का समाधान उन्होंने निकाला। हम आशा करके चलते हैं कि भारत के खिलाफ दुनियां के अन्य देशों में जिस प्रकार का प्रचार चलता था वह रुका है, निश्चित रूप से आगे भी रूकेगा और इस आन्दोलन के चलते न केवल आतंकवाद बल्कि जो हिंसा की राजनीति चल रही थी जिसमें जिस प्रकार से बेकसूर लोग मारे जा रहे थे अब शायद वह रुक जायेगा। ऐसी हम आशा करके चलते हैं। भाईचारे का, सौहार्द का वातावरण पैदा होगा, देश के अन्दर विकास की गति बढ़ेगी और देश की एकता, अखंडता कायम रह पायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : बोल नहीं रहे हो? मैं समझता हूं सभी पार्टियों के नेता महोदय बोल चुके हैं काफी चर्चा इस पर हो चुकी है अब इजाजत दें तो मुख्य मंत्रीजी को जवाब के लिए....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो घंटे तो उन्होंने ले लिये, साहब, आखिर।

श्री अध्यक्ष : नेताओं ने इधर भी लिए हैं, टाइम तो सबने लिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

समय का खयाल रखते हुए दस-दस मिनट में अपनी बात समाप्त करें कृपया। आर्डर प्लीज मैं सबको समय नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज आपके नेता बोल चुके हैं। माननीय सदस्य, इतना आग्रह नहीं करें कृपया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष जी, मार्च के महीने में नई विधान सभा बनी। 115 माननीय सदस्य कांग्रेस के जीत कर आये, 85 हमारे जीत-कर आये। राजस्थान के मुख्य मंत्री के रू में, सदन के नेता के रूप में माननीय जोशी जी चुने गये। दो ही कारण थे। शायद एक साल प्रभावी मुख्य मंत्री रह चुके और दूसरे तरफ जिस थोड़ी संख्या में कांग्रेस जीती है छोटे से बहुमत से, शायद कारण यह थ कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के रूप में श्रीमान जोशी जी चुने गये। माननीय अध्यक्ष महोदय हमको भी बहुत आशा बंधी थी हमने भी सोचा था कि जो विकास की गंगा अवरुद्ध हो गई राजस्थान में, श्रीमान जोशी जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद उसको गति मिलेगी। हमने भी सोचा था कि पुराने मंत्री जो रहे, सील कर दिया था उन्होंने राज-स्थान की सब प्रकार की सेवाओं को, न पोस्टिंग बन्द हो गए थे, राजस्थान बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी थी। आशा राजस्थान के नए मुख्य मंत्री अनुभवी मुख मंत्री बनने के बाद शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों के रोजगार के लिए में कुछ म खुलेंगे। आशा थी, राजस्थान की सरक वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में फिर स होगी। बड़ी बड़ी आशाएं बंधी थी मुख्य मंत्रीजी से, इस मंत्रिमण्डल से, किन्तु आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता साढ़े चार महीने का यह समय इन बा को पूरा नहीं कर सका किन्तु राजस्थान जब सर्वोत्तम हित का सवाल आकर ख

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हो गया रावी और ब्यास के पानी के बंटवारे के विषय को लेकर It was the last straw on the camel's back.

साढ़े चार महीने के थोड़े से समय में ही राजस्थान की गरीब जनता के साथ किस प्रकार का प्रहार होगा, यह सवाल समझौते के कारण आकर खड़ा हो गया है यही कारण है कि मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव हमको लाना पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही तो मांग थी हमारी, एक चर्चा की जा रही है, एक पंक्ति कही जा रही है, राजस्थान के हित सुरक्षित हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, मुख्य मंत्री जी ने कई बार दोहराया है। अभी पूर्व मुख्य मंत्री भी कह रहे थे, उनके पूर्व मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि देश के प्रधान मंत्री ने भी इसकी चर्चा की है सब जगह चर्चा की होगी। हित सुरक्षित रखने को कोई डिफाइन कर सकता है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कभी इन्टेन्सिटी 110 थी? आज इन्टेन्सिटी 80 करके हम बाड़मेर और गड़रा रोड तक राजस्थान कैनाल से पानी ले जाना चाहते हैं। तर्क दिया जा सकता है कि 60 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी देकर भी इस समझौते के अनुसार बाकी का पानी पंजाब को समर्पण कर दिया जाये। एक ही तो बात चाही थी, एक ही तो बात मुद्दे की मुख्य मंत्री जी के सामने हमने रखी थी. अगर प्रधान मंत्री से आपकी बात हो गई है एश्योर कर दीजिए कि 1955 के समझौते में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। क्यों घबराते हैं मुख्य मंत्री जी, अगर फेर बदल नहीं होने वाला है तो। अगर 1955 के समझौते में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आने वाला है तो कौन से घुंघरू लग जाते हैं कि राजस्थान विधान सभा में, सर्वोच्च सदन में राजस्थान के मुख्य मंत्री इन शब्दों को बोल नहीं सकते, उच्चारण नहीं कर सकते, 25 तारीख को तो था वह। 25 तारीख को जब तक मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री जी से नहीं मिले थे तब शायद उनके मन में थी भावना, अब भी भावना तो है, उनकी स्थिति देखते हुए मुझे लगता है, उनके दिल में कसक तो है, वेदना तो है, 25 को थी, परिलक्षित होती थी किन्तु जैसे यहां से पधार गये 25 की रात को और 26 को प्रधान मंत्री से मिलना हो गया उसके बाद राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की यह हालत हो गई है, यह शब्द तो दोहराते हैं कि हितों की रक्षा की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी, मैं कह रहा हूं, प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : नहीं लताड़ पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किन्तु राजस्थान के मुख्य मंत्री अब 26 के बाद, हमारे माननीय नेता महोदय ने कहा था कि हम तो पुरानी बात भी मान लेते, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं चर्चा करूंगा उसकी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में जिसकी चर्चा की जा रही है किन्तु उन्होंने कहा कि यह भी मान लेते हैं, प्रस्ताव पास कर लो। नहीं 26 के बाद वह प्रस्ताव पास करने की स्थिति में भी नहीं हैं। मैं उनके दिल की वेदना जानता हूं। मुझे लगता है क्योंकि, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी, यह बात सत्य कह रहे थे जैसे पूर्व मुख्य मंत्री जी कि राज-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

स्थान का कौन व्यक्ति अहित चाहेगा, मैं जानता हूं कि वे नहीं चाहेंगे किन्तु प्रधान मंत्री जी का जो मन था, जो उनके मन का दृष्टिकोण है उन्होंने जो क्लियरकट राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है, यह कारण है इस राजस्थान के मुख्य मंत्री इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन में यह कहने की स्थिति में नहीं है कि 1955 का जो समझौता हो गया है उसमें किसी प्रकार का फेर बदल नहीं किया जायेगा। मैं तो बहुत उत्साही था, माननीय नेता महोदय ने रेडियो सुना और रेडियो सुन कर फिक्र कर गये और एकदम इतने तैयार हो गये, फोन से बातचीत भी हो गई, प्रातःकाल बातचीत भी हो गई, सब वातावरण बन गया किन्तु जब सदन में आना-हो गया तब हिचकिचा गये कहीं बोला नहीं गया इनसे, और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, अगर ऐसा दबाव केन्द्र का आप पर है, प्रधान मंत्री जी है, तो नैतिकता है कि राजस्थान के हितों की रक्षा करने के लिए 1955 के समझौते पर फेर बदल नहीं हो, आप रिजाइन करिये, हमारे अविश्वास प्रस्ताथ लाने का कोई कारण नहीं है। आपका नैतिक मूल्य जाग्रत हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से यही निवेदन करना चाहता हूं, कुछ नहीं चाहिए, हितों को बार बार दोहराने से काम नहीं चलेगा, एक कैटेगोरिकल बात है, सब मान रहे हैं यहां का जो सदस्य बोल रहा है, जो चर्चा कर रहा है कि नहीं कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। जब कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा तो फिर कहने में डर क्या हो गया। कौन से हीरे लग रहे हैं इस बात की घोषणा करने से, किन्तु फिर भी मन में चोर है। बोलने की स्थिति में राजस्थान के मुख्य मंत्री नहीं है। उनके मन में इच्छा भी है इस प्रकार की किन्तु ऊपर के दबाव के कारण वह बोलने की स्थिति में नही है। वह इस्तीफा नहीं दे सकते इन कारणों से, इसलिये हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, उनके हाथ प्रबल करने के लिये, राजस्थान के हितों को प्रधान मंत्री से मनवाने के लिये हमको यह बात लानी पड़ी, और किसी कारण से हम यह बात नहीं लाये हैं, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी सी तो बात है, एक चर्चा की गई। पूर्व मुख्य मंत्री बोल रहे थे ..

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कृपया,

मैं अगर तर्क दोहराऊंगा तो आप बता देना, किसी प्रकार की बात। मैं तो केवल यही चाहता हूं आपके माध्यम से, राजस्थान के हितों का जो सवाल आया, मैंने उदाहरण पहले दिया, पूर्व मुख्य मंत्री कह रहे थे कि इतने करोड़ रुपये देने की, 200 करोड़ की और योजना है। कौन चाहेगा प्रधान मंत्री देश का, यह बात सच हो सकती थी पहले लेकिन पता नहीं कौन सलाहकार है, जिन्होंने दिशा दी, 25 तारीख, 24 तारीख को इतनी प्रकार की बात भूल कर, प्रधान मंत्री ने अकाली दल से समझौता करने के लिये राजस्थान के हितों की बलि चढ़ा दी। चर्चा की जा रही है आज देश के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। मैं राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य

(169)

(श्री अध्यक्ष)

में चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपको चुनाव के पहले की याद दिलाना चाहता हूं। ये ही देश के प्रधान मंत्री थे श्रीमान राजीव जी गांधी से केटेगरीकल कहा था. एक एक दल से पूछा था, आनन्दपुर प्रस्ताव के बारे में आपकी क्या राय है, स्पष्ट करो। आनन्दपुर प्रस्ताव को मानने वाले देशद्रोही हैं। यह बात कही थी उन्होंने एक दल के सामने, मीडिया उनके पास था रेडियो उनके पास था, अखबार उनके पास थे, आखिर जवाब देना पड़ा. उसके कारण चुनाव जीत गये इस बात को लेकर। आज देश के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की जा रही है कि आनन्दपुर प्रस्ताव दे दिया जाय उनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो आतंकवाद के आगे घुटने टेकने की प्रवृत्ति है, हम भी इस बात के हामी हैं, इस समस्या का समझौता राजनैतिक रूप से होना चाहिये था, सब मानते हैं इस बात को देश का एक एक व्यक्ति मानता है, विदेश के लोग भी मानते हैं, अखबार भी मानते हैं इस बात को किन्तु मतलब यह नहीं है कि किसी कन्डीशन पर भी, किन्हीं शर्तों को मान कर भी आनन्दपुर प्रस्ताव को राष्ट्र द्रोही से राष्ट्र प्रेम में बदल कर देने के प्रस्ताव पर भी, आवश्यकता तो यह थी आतंकवाद जो पनपा था उस आतंकवाद को पेक-अप करने का विचार किया जाता यह समझौता करने के पहले सारे विरोधी दलों के लोगों को बैठा कर चर्चा की जाती। धीरे धीरे करके स्थिति क्या बन रही थी देश की, आतंकवाद सिमटता चला जा रहा था। यह बात सच है कनिष्क की बड़ी दुर्घटना हो गई, यह बात सच है कि विदेश में इस प्रकार की घटना हो गई किन्तु देश में धीरे धीरे आतंकवाद कम हो रहा था जैसे जैसे जाग्रति हो रही थी। मैं तो सभी सिक्खों को अकाली दल की दृष्टि से नहीं मानता आज पंजाब में हिन्दू और सिक्ख एक ही मां के दो बेटे, दो भाई के रूप में हैं। सारे सिक्ख अकाली नहीं है यह बात सच है. पंजाब का जो हित होगा वह पंजाब के सारे लोगों को चाहिये, वह चाहे सिक्ख हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मीना हो, चाहे और कोई हो, और इसलिए पानी का जब सवाल आयेगा, पंजाब एक साथ हो जाएगा किन्तु मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव जी से कि क्या देश के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करके इनके आगे घुटने टेकने वाली जो बात हो गई उसमें राजस्थान के हितों को बलिदान कर दिया जाय, बलिदान पर चढ़ा दिया जाय और उसके बाद क्लियर कट कहने की उनकी स्थिति न रहे लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की खाली चर्चा करते समय, यह कारण यह कह कर, मैं कहना चाहता हूं उधर बैठे लोग इधर बैठे लोग भारत माता के पुत्र के रूप में अपने जीवन की बाजी लगाने को तैयार हैं किन्तु उसका कारण यह नहीं है, एक बार आतंकवाद पनपा था और उसका राजनैतिक हल होना था तो राजनैतिक हल किन्हीं शर्तों पर कर दिया जाय, और आज क्योंकि थोड़ी बहुत रिलीफ एक दम मिल गई, इस भयंकर सारी स्थिति में से तो कह उठे, बहुत अच्छा हो गया और हम भी उस स्वर में स्वर मिला कर कहते हैं यह बात निश्चित रूप से गलत है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी गलत है। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश का हर व्यक्ति समझ लेगा, हर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

समुदाय समझ लेगा, हर प्रदेश समझ लेगा कि अपनी बात मनवानी हो तो तरीका यही है कि इधर-उधर से दबाव लाते चले जाओ आतंकवाद को पनपाओ, लोगों की बलि कराओ, पहले समझौता होता हो तो मत होने दो, अन्त में इस स्थिति तक पहुंचा दो, उसके आगे घुटने टेक कर कोई भी सरकार उन्हीं की शर्तों पर सारी बातें मंजूर कर ले यह मन की प्रवृत्ति लोगों में होगी और लोग अपनी बात को लेकर आएंगे। इस प्रवृत्ति का जन्म होगा मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं। आपको निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो दो-तीन बात इसलिए कहना चाहता हूं, अविश्वास प्रस्ताव रखा है। मुख्य बात तो यह है मैं एक-दो बात की चर्चा अवश्य करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय, साढ़े चार महीने आपको हो गये। हमको और देखना चाहिए था आपको अविश्वास प्रस्ताव का कोई कारण नहीं था, किन्तु जैसा मैंने कहा—"It is the last straw on camel's back", इस तरह से लाए, किन्तु कुछ और बातों की ओर इंगित मैं आपको करना चाहता हूं। किस परिणाम में बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ रही है, शिक्षितों की और अशिक्षितों की। आपका पहला बजट है यह तो, दोनों ग्रामीण योजनाओं में पैसे कम कर दिए आपने, दोनों में, ग्रामीण योजना और रोजगारी योजना में धनराशि कम कर दी जिस परिणाम में कालेज से निकल कर, स्कूल से निकल कर, माता पिता पेट काट कर लड़के को पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाते हैं, इच्छा करते हैं कि बुढ़ापे में हमारी नौकरी करके इस नाते से खड़ा हो, कुछ इस कारण से संख्या बढ़ रही है। आपके बजट में साढ़े चार महीने में उस नाते से कोई भी कदम नहीं है। मुझे अत्यंत कष्ट के साथ कहना पड़ता है, मैं चर्चा कर रहा था दो दिन पहले सी. ए. डी. की, मैं आपको कहना चाहता हूं 9–9 साल से वर्क चार्ज डेली वेजेज के लोग नहीं, जो सी. ए. डी. आज लोग लेकर आये हैं 31 लोगों को निकाल दिया नौकरी से, निकाल ही नहीं दिया एक दफा नौकरी दे देते हैं और 9–9 साल से नौकरी कर रहे हैं वर्क चार्ज के डेली वेजेज के नहीं उनको निकाल दिया, वे कोर्ट से स्टे लेकर आये, मुंसिफ कोर्ट का स्टे है, फिर भी वहां लोग कहते हैं, आफिसर कहते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं रखेंगे। हुक्म उदूली अलग हो रही है नौकरी न दो तो कम से कम रोजगार से तो मत निकालो। यह रोजगार की क्षति, ये जवानों के दिल, ये जवानों की ताकत ऐसे खड़ी होगी कि एक कांग्रेस का राज तो क्या पचासों कांग्रेस का राज धून्धू करके जलेंगे और समाप्त हो जायेंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बजट में निश्चित रूप से उनकी सब प्रकार से उपेक्षा की गई है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : खा जायेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की गरिमा न खोयें ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-दो बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों को देख लीजिए राजस्थान के चारों तरफ के प्रदेशों को देख लीजिए । उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 32 करोड़ रुपए के टैक्स लगे हैं । मैं मध्य प्रदेश और गुजरात की चर्चा नहीं करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय बैठे हुए हैं एक तरफ स्टेटस को लिए हुए । वही स्थिति प्लान की है, कहते हैं कंसोलिडेशन हो रहा है ।

(व्यवधान)

और दूसरी तरफ राजस्थान के लोगों पर जिस परिमाण में टैक्स इस बार लगाया गया है गरीब किसान कहता है मुझे बिजली दो । एक लाख पच्चीस हजार लोग बिजली लेने के लिए पंक्ति में खड़े हैं । 6–6 साल से एप्लीकेशन फार्म भरे हुए हैं । कई कई लोगों को डिमाण्ड नोटिस मिल गये हैं । तीन तीन साल में डिमाण्ड नोटिस मिल रहे हैं बिजली तो नहीं मिल रही है । सर्दी की रात में बिजली मिल रही है । 12 घंटे की चर्चा करके तीन घंटे बिजली मिल रही है । सारी चीजें उसकी जल रही हैं और बिजली का सारा टैक्स उसकी कमर पर लगा दिया है, दो तीन पैसे, एक पैसा, दो पैसे, तीन पैसे की छूट करके इस प्रकार की प्रक्रिया की है माननीय मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं वह तो समय चला गया आगे का समय आयेगा वह बतायेगा, किसानों पर जो टैक्स लगाने की आपकी प्रवृत्ति है । स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज पर टैक्स लगाने की जो आपने जुर्रत की है, राजस्थान की स्माल स्केल इण्डस्ट्री समाप्त हो जाएगी । किसान हाहाकार करके उठेगा और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कुछ दिन बाद आप देख लीजिए, शायद निर्धन किसान तो स्वयं अपनी बिजली कटवाने को तैयार हो जाएगा । माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, आज चर्चा इस विषय पर है इसलिए विद्युत की और विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता था किन्तु मैं तो चाहता था कि वेलफेयर स्टेट के नाते आप खड़े हों, कुछ स्टेट की बहबूदी के लिए प्रयास करें । केवल कंसोलिडेशन के नाम पर न स्कूल, न दवाखाने और न और कोई प्रगति, सारी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करके....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, कृपया-

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और एक कृषि की बात कह कर समाप्त करूंगा ।

कुछ हमको भी मौका मिला था, एक प्रक्रिया शुरु हुई थी, सिंचाई के बांधों के माडर्नाइजेशन की, उसके लिए यू. एस. ऐड आई. लगी भी बहुत बांधों में, 16 या 20 इस प्रकार के बांध हैं जिनके लिए यह प्रक्रिया है, सारा पैसा वह देवें, तय कर दिया उन्होंने प्रत्येक साल में, आप जवाब दें तो बताने की कृपा करें कि यू. एस. एड. इसका पूरा मनी देने को तैयार है, राजस्थान के बांधों के माडर्नाइजेशन का, इनकी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहरों को पक्का करने का, इसके विस्तार का, ठीक रूप से विचार करने का, वह पैसा कहां जा रहा है ? कंसोलिडेटेड फण्ड में आ गया है केन्द्र से आकर, इसलिए उन बांधों में लगाने की प्रक्रिया नहीं है,

रुलर इलेक्ट्रिफिकेशन ने कार्पोरेशन ने अपना पैसा मंजूर करके कहा, सब पैसा हम देंगे, गांवों के विद्युतीकरण करने का. हमारे इटावा से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं आज से तीन साल पहले एक एक गांव इलेक्ट्रिफाई होना चाहिए था । कभी एक गांव हो रहा है, कभी दो गांव हो रहे हैं, पूरा पैसा मिल गया रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन से किन्तु गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो रहा है, कहां जा रहा है पैसा ?

एक ही बात कहना चाहता हूं बहुत आशायें थीं, आशाएं अब भी हैं, आपके दिल में भी दर्द है आपके दिल में भी कसक है राजस्थान के हितों की, वह जो दबाव है वह आपको बोलने के लिए शब्द नहीं, ताकत दे रहा है, शक्ति नहीं दे रहा है, हमारा अविश्वास प्रस्ताव दिया है कि यह आप में शक्ति पैदा करे, यह बात सच है हम कम संख्या में हैं आप ज्यादा संख्या में है, आप जीत जायेंगे यह बात अलग है, औपचारिकता मात्र ही जाय इतनी बात नहीं है, किंतु यह अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान की मूलभूत समस्या एक अत्यन्त आवश्यक समस्या को लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया है इसलिए कि आपके हाथ मजबूत हो, केन्द्र के सामने हिम्मत से आप कह सकें । और हिम्मत नहीं हो तो माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, resign, go and vacate the seat. यही कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज.

सदन की कार्यवाही
विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकी दास कल्ला : (मुख्य सचेतक) मैं समय बढ़वा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होकर निर्णय हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से जब तक कि इस अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय न हो जाय, समय बढ़ाया जाता है ।

श्री नत्थी सिंह ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर, माननीय सदस्य बैठें । कृपया संक्षेप में, माननीय सदस्य । दोहरायें नहीं, कृपया ।

मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो भूतपूर्व मुख्य मंत्री और आज के माननीय सदस्य इस सदन में बोल रहे थे तो मैं यह महसूस कर रहा था कि दोनों के दोनों आधे मन से बोल रहे हैं । उन्होंने शुरूआत की कि पंजाब में जो कुछ हुआ, जो घटनाएं

(श्री नत्थीसिंह)

घटीं, जिस पंजाब की दुर्घटनाओं में हमारे दल के अध्यक्ष चौधरी बलबीर सिंह का भी बलिदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बलिदान हुए, जिसमें निरीह बच्चे मारे गये, बालक मारे गये डी. आई. जी. अटवाल मारे गये और जिस घटना की परिणति हुई कि हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री का बलिदान हुआ, उस घटनाक्रम से विपक्ष के लोगों को दुख नहीं था, विपक्ष के लोग चाहते नहीं थे उस घटनाक्रम का अन्त हो किसी तरह से, लेकिन विपक्ष के लोगों ने और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, हमारे दल के नेता ने बहुत पहले कहा था, आज हमको जो पाठ पढ़ाया, श्रीमान् पहाड़िया जी बोल रहे थे, सन्त फतेहसिंह जी की याद दिला रहे थे और कह रहे थे कि सन्त फतेहसिंह ने कहा था कि हिन्दुस्तान उसको डियर है लेकिन पंजाब डियर है, लेकिन मैं उन्हें चौधरी चरणसिंह के वह शब्द याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री इन्दिराजी को इस पंजाब की समस्या के परिप्रेक्ष्य में कहे थे कि हिन्दुस्तान, देश सबसे ऊपर है। अगर देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अगर देश नहीं रहेगा तो वोट की खातिर जो राजनीति करते हो, वोट की खातिर जो हमारे देश के अन्दर अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है न राज करने वाला रहेगा, न विरोध पक्ष रहेगा। लेकिन उस बात को उस वक्त नहीं सुना गया। उस बात को उस वक्त नहीं सुना उसके परिणाम हमें भुगतने पड़े। और आज अगर पंजाब में शांति होती है, पंजाब की समस्या का समाधान होता है तो क्या विपक्ष के लोग इस बात से की महसूस करते हैं। कहा गया, फलां पार्टी ने स्वागत किया है, अमुक पार्टी ने स्वागत किया है। हिन्दुस्तान का बच्चा इस बात में एकमत है कि हिन्दुस्तान के पंजाब में ही नहीं, हिन्दुस्तान के मिजोरम में ही नहीं, हिन्दुस्तान के नागालेण्ड में ही नहीं, हिन्दुस्तान के आसाम में ही नहीं, हिन्दुस्तान के त्रिपुरा में नहीं, जहां जहां अलगाववादी प्रवृतियां बढ़ रही हैं वह अलगाववादी प्रवृतियों पर अंकुश लगे, हिन्दुस्तान में एकता की भावना बढ़े लेकिन उसके पहले हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज जब हम यह बात कहते हैं कि केवल इस बात से कि पंजाब के परिपेक्ष्य में समझौता हुआ है, हम राजस्थान की बात नहीं करें। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब विरोधी दल के नेता महोदय बोल रहे थे और वह कह रहे थे कि दिल्ली से आकर थोपे जाने वाले मुख्य मन्त्री कारगर नहीं हो सकते हिम्मत वाले नहीं हो सकते तब मेरे दिमाग में यह प्रश्न आ रहा था, जब माननीय हरिदेव जी जोशी इस सदन के नेता चुने गये, इस बार मुख्य मन्त्री बने तो मैं सोचता था कि पुराने आधार पर इनमें तो दम जरूर होगा लेकिन 2-3 घटनाएं ऐसी हुई कि मुझे तो पूरी पूरी तरह से शक हुआ है कि दबाव के आगे झुकने वाले मुख्य मन्त्री साबित हुए हैं। सबसे पहले तो घटना हुई मेरे जिले में 21 फरवरी को डीग में राजा मानसिंह जी की हत्या की गयी जो मुख्य मन्त्रीजी थे पुराने, जो जिम्मेदार ठहराये गये आज चाहे वह कुछ भी कहें लेकिन उनको पद त्याग करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए कि डीग में खूंखार तरीके से राजा मानसिंह की हत्या कर दी गयी। उसके बाद जब यह सदन बना, सदन

(174)

(श्री नत्थीसिंह)

की बैठक हुई, पहला हमारा सत्र हुआ, पहले दिन से इस सदन की चिन्ता थी कि किसी भी हालत में जो इस तरह की घटना हुई है, उसके अपराधियों को, मुलजिमों को बेदाग नहीं छोड़ा जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी जोर से, बड़े मार्मिक शब्दों में सदन की उस भावना के साथ अपने आपको शामिल किया और कहा कि किसी भी हाल में जो सी. बी. आई. जांच करेगी, जो और एजेंन्सी जांच करेंगी हम उसके आड़े नहीं आयेंगे, सहयोग देंगे लेकिन सबसे पहला शक मुझे उसी दिन हुआ जब 90 दिन पूरे होने जा रहे थे, हम इस सदन में आवाज उठा रहे थे कि 90 दिन पूरे होने जा रहे हैं, मुख्य मंत्री महोदय, क्या बात है, आप मंजूरी नहीं दे रहे, आप प्रोसीक्यूशन के लिए इजाजत नहीं दे रहे, अपराधी छूटेंगे, वह चले जायेंगे। और वह आशंका हमारी साफ साबित हुई, यहां भी टाइम बढ़ाया गया। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं, 4 बज कर 55 मिनट तक तो इन्टरिम रूप से भी उनको चालान पेश करने की बात नहीं कही गयी। वह दबाव था और जो हम यह सोचते थे कि मुख्य मंत्री दबावों के सामने झुकेंगे नहीं और सही बात जो होगी उसको करेंगे, उसमें पहली शंका, प्रश्नवाचक चिह्न उस दिन लगा जब उनके इस कृत्य से, उनके दबाव के आगे झुकने से अपराधी छूट गये। और आज तक वह शक्तियां भरतपुर में हैं जो गवाहों को दबा रही हैं। उसके बाद तारीख 24 का समझौता हुआ, 25 तारीख को सदन में चिन्ता हुई, सारे पक्ष को विपक्ष को और आपको भी। आप आये, आपने टेलेक्स की बात कही और छोटी सी बात कहते हैं कि मैं भी इससे चिन्तित हूं। राजस्थान का हक नहीं जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस सदन से बाहर जब हम जाते हैं, बड़ी बहस इस बात पर होती है, क्यों चिन्ता कर रहे हो, क्लाज एक में अगर राजस्थान का नाम आ गया है 9.1 में तो इससे चिन्ता क्या है। दोनों भूतपूर्व मुख्य मंत्री बोले, हमारे श्री पहाड़िया जी बोले, आप घबराते क्यों हैं। जरूरत होगी, चिन्ता हमें भी है, हमारी सारी पार्टी दिल्ली जायेगी। हम कहेंगे कि राजस्थान के हितों की रक्षा होनी चाहिए। अगर आपको कोई शक नहीं है, कोई शुबहा नहीं है, आपके दिमाग में यह बात साफ है कि राजस्थान के हितों को कोई चोट इस समझौते से पहुंचती नहीं है तो आप चिन्तित क्यों हैं, किस बात की चिन्ता आपको सता रही है और फिर क्यों आप कहते हैं, हमारी पूरी पार्टी जायेगी। इस समझौते को, जैसा माननीय नहर मन्त्री ने एक दिन बताया था राजस्थान के हितों के विपरीत नहीं है। अगर ऐसा आप मानते हो तो फिर यह बात कहते क्यों है ? यह साफ बताता है, शक उनको भी है, चिन्ता उनको भी है हरएक को, और आज एक बात उन्होंने और कही कि भारत सरकार सर्वोपरि है, भारत सरकार को हमने अधिकार दे रखे हैं, सन् 81 के क्लाजेज पढ़े उन्होंने एग्रीमेन्ट के, मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहते। हिन्दुस्तान में भारत सरकार सर्वोपरि नहीं है। भारत में अगर कोई सर्वोपरि है तो भारत का संविधान सर्वोपरि है जिसके अन्तर्गत अधिकार मिले हैं केन्द्र को भी और जिसके अन्तर्गत अधिकार

(श्री नत्थीसिंह)

मिले हैं राज्यों को भी और आज उसी चिन्ता के अन्तर्गत हमारे राज्य का यह हक है कि हमारे देश में गरीबी मिटायें, गरीबी भुखमरी मिटायें, बेरोजगारी मिटायें। इसके लिए माननीय पहाड़िया जी चले गये। उनको अनुभव है कि हमारे साथ इकरार हुए हैं, हमें आश्वासन भी मिले हैं। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में तो यमुना का पानी तो आता नहीं है, अब की बार बिल्कुल भी नहीं आया, सूखी रहती हैं हमारी नहरें, हमारे बम्बे लेकिन एकमात्र आशा थी इस बात की कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो राजस्थान कैनाल पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो हमने इस बात की क्षमता प्राप्त की है कि हम अपनी रेगिस्तानी भूमि को उर्वरा बना सकें, हरा भरा बना सकें उसमें भी कोई प्रश्नवाचक चिह्न लगे नहीं, और जो 24 तारीख को जो समझौता हुआ है जिसे वह कहते हैं कि एग्रीमेंट नहीं है, यह तो अण्डरस्टेंडिंग का मैमोरेण्डम है। यह उनकी समझ का फेर है। आज स्थिति यह पैदा हो गयी है कि जो अधिकार हमें मिला था सन् 55 के एग्रीमेंट से, आज के दिन भी वह खुल गया। एक तरह से प्रश्नवाचक चिह्न लग गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सुबह हमारे दल के नेता ने माननीय मुख्य मन्त्रीजी से बात की और हम सबको आश्वस्त किया कि वह यह कहने वाले हैं, जैसा उन्होंने रेडियो पर कह दिया कि सन् 55 के एग्रीमेंट पर किसी तरह से कोई किसी तरह का संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, उसे रि-ओपन नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जब कभी यह बात कही जाती है, क्यों नहीं कहते? कहते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं। यह खुद शंका की स्थिति पैदा करता है। आप क्यों नहीं कह पाते कि सन् 55 और 81 में सन् 55 का जो रिइट्रेशन हुआ है उसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है यह बात आपको अगर प्रधान मन्त्री ने कह दी है तो इस सदन को कान्फिडेन्स में लेने से आपको क्या गुरेज हो रहा है? यह गुरेज जो हो रहा है, यह बताता है हमको कि निश्चित रूप से आज यह बात है कि राजस्थान का जो हिस्सा सन् 55 में तय किया था वह सुरक्षित नहीं रह गया है, उस पर प्रश्न वाचक चिह्न लग गया है और वह खतरे में पड़ा है। और जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, 1.7.85 को सबसे कम पानी था, राजस्थान की नहरों में पानी था ही नहीं, वह पानी हमको गारण्टी करते हो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब माननीय विपक्ष के नेता ने कहा, जब किताब मेरी है तो उस किताब पर मैं किससे निर्णय लेने जाऊं। जब राजस्थान का पानी 8.6 तय है हमारे 55 और 81 के समझौते के अन्तर्गत तो उसको किस तरह से दूसरों के अधिकार में देते हो, इसका फैसला किया जाय। यह सबसे बड़ा शक है, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लायें क्यों इसका कारण दोनों मुख्य मंत्री की समझ में नहीं आया। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाये कि राजस्थान के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सरकार का दिमाग स्पष्ट है कि नहीं, और स्पष्ट है तो क्या वह हितों को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ और मजबूत हैं कि नहीं?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नत्थी सिंह : लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय की 25 तारीख से लेकर आज दिन तक जो हमने स्थिति देखी है, उसको जिस तरह से लड़खड़ाता हुआ देखा है, उद्विग्न देखा है उससे निश्चित रूप से हमको एक शक पैदा हो गया है, न तो हमारे हित सुरक्षित हैं और न उनके दिमाग में यह बात स्पष्ट है कि 55 के हमारे एग्रीमेंट को कोई खतरा नहीं है। न उनके दिमाग में यह है कि हमको कोई पूरी तरह से आश्वासन दे दिया गया है, बल्कि किसी तरह से हमारे सदन के सामने स्थिति

(5.00 म.प.)

को न बताते हुए वह एक तरह से सैल्फ सीक करते हैं उस तरह की स्थिति कर रहे हैं। जहां यह स्थिति होगी वहां निश्चित रूप से खतरा है कि हमारे हितों की रक्षा वह कैसे कर पायेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो राजस्थान में जो थोड़ा बहुत एक इंफास्ट्रक्चर बना था राजस्थान कैनाल के जरिए पानी का, वह किसान हमारे खेतिहर लोग खतरे में पड़ गये हैं। बाकी हमारे दल के नेता ने कृषि की मांग पर बहस करते समय कहा था, राजस्थान में जमीन को अगर उर्वरा बनाना है तो स्टेट ट्यूब वैल के जरिये होगा। वह कोई कार्यक्रम नहीं है। खेती की तरक्की करने के और दूसरे काम नहीं हैं। एक चीज थी उस पर भी खतरा पैदा हो गया है। और जब ऐसी स्थिति पैदा हो तब क्या हम अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लायें।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नत्थीसिंह : कौन सा हमारे पास तरीका रहता है, अध्यक्ष महोदय, जिसके द्वारा हम सारे राजस्थान की जनता को यह बता सकें, हिन्दुस्तान के लोगों को, जो केंद्र में चाहें सरकार में है या संसद के लोग हैं, आज मैं कहना चाहता हूं, यह कमजोरी पूरी तरह दिखाई दे रही है। सांसद हमारे 25 लोक सभा में हैं और हमारे लोग राज्य सभा में भी राजस्थान के हैं, किसी में हिम्मत नहीं हुई जो यह कहता कि 9.1 का जो क्लाज है जिसमें राजस्थान का नाम आया है इससे राजस्थान के हितों पर चोट हुई है। इसलिए यह सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, चाहे वे यहां हों, चाहे वहां हो, एक ही बात कर रहे हैं राजीवजी की आरती उतारो, और कहो उन्होंने किया वह सब कुछ ठीक है। लेकिन किसी हालत में भी यह मत कहो कि राजस्थान का मामला तुमने रि-ओपन कर दिया, इससे खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे के लिए राजस्थान के लोग व्यग्र है, इसको भी ठीक करो। यह कहने कि हिम्मत किसी में नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है। इसीलिए वह अविश्वास का प्रस्ताव हमको लाना पड़ा है अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, स्टेट ट्यूब वैल्स आप लगायें नहीं गंगा जमुना का पानी मिले नहीं और जो सतलज रावी व्यास का पानी आपको मिल रहा था उस पर प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दें। राजस्थान तो फिर रेगिस्तान होने की नौबत पर खड़ा हो गया। उसके बाद किसी तरह से बेरोजगारी मिटाने का आप का कोई कार्यक्रम नहीं और तो और गांवों में, शहरों में पढ़े लिखे और विना पढ़े--लिखे लाखों की तादाद में नौजवान फिरते हैं। आपके यहां जो एग्रो टैक्निकल पास करके जाते हैं इंजीनियरिंग और डिप्लोमा होल्डर, तीन–तीन साल से उनमें से भी आप किसी को नौकरी नहीं दे पा रहे। हालात आपके यह है। बेरोजगारी आप मिटायें नहीं, असमानताएं बढ़ती चली जायें

(श्री नत्थी सिंह)

स्कूल आप खोले नहीं, अस्पताल आप खोलें नहीं और उसके बाद हमसे कहें, अविश्वास का प्रस्ताव मत लाओ, हम राजस्थान का भला कर रहे हैं, यह हमारी समझ से परे की बात है। किस हिसाब से मना कर रहे हैं, यह हमारे समझ से परे की बात है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस बात को साफ करने के लिए, जो सरकार स्वयं के दिमाग में स्पष्ट नहीं हो और स्पष्ट न होने के बाद भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो कि वह कह सके, इस बात को साफ किया जाये। सिर्फ इतना ही तो झगड़ा था कि साफ-साफ कर दो इस बात को कि हमारा 55 का जो समझौता है और 81 में जो रिइट्रेशन हुआ है उसको कोई खतरा नहीं आयेगा। इस बात को कहने में जो डर लगता है, जो भय लगता है, जो उनकी सारी आत्मा तड़-पती है वह हम सबको भी इस शंका के घेरे में बांध देती है; हमको भी चलायमान कर देती है कि राजस्थान के हित निश्चित रूप से दांव पर लग गये हैं, तो अध्यक्ष महो-दय, इस अविश्वास के प्रस्ताव के जरिये....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नत्थी सिंह : हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान के जो हित हैं उनको किसी भी प्रकार कोई खतरा पैदा नहीं होना चाहिये। इस बात में पूरा विपक्ष एकमत था। प्रस्ताव लाते मुख्य मंत्री महोदय मुख्य मंत्री महोदय ने तीन बार अपना स्टैण्ड बदला। टैलेक्स के जरिये एक बात कही, और प्रस्ताव की बात हुई, जब चैम्बर में दूसरी बात कहीं। और उसके बाद जब इस सदन में आये, तीसरी बात कही। और कल रेडियो पर एक बात कही थी और जब हमने कहा, हमारे नेताओं ने कहा, बहुत अच्छी स्थिति आ गई है यह तो, रेडियो पर सन् 55 की बात आ गई है, हमने भी कहा यद्यपि हमारे बहुत से लोगों को तब भी शक था कि यह बात सही नहीं उतरेगी, यह केवल हमको मुगालते में डालने की बात है लेकिन हमारे नेताओं ने कहा। मुझे तो दुख इस बात को है कि एक मिनट पहले भी हमारे नेताओं का पूरा विश्वास था कि निश्चित रूप से हमारे मुख्य मंत्री महोदय सदन में घोषणा करेंगे कि सन् 55 के एग्रीमेंट को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, इसका आश्वासन मुझे प्रधान मंत्री से मिल गया है। यह कर देते हैं तो हमको क्या गुरेज है। हमारी लाबी में गये तब भी हमको यह कहा गया, लेकिन यहां बात आपने भी देखी और हमने भी देखी, बिल्कुल दूसरी बात हुई, वह अपने मुंह पर 1955 के एग्रीमेंट को खतरे से मुक्त होने की बात लाना नहीं चाहते। 81 में जो उसका रिइटेशन हुआ है उसको भी कहना नहीं चाहते, यही सब बड़े खतरे और शक की बात है कि उनको, आज राजनैतिक स्थिति ऐसी है, दबा दिया गया है। सारे लोग तो हमारे गीत गा रहे हैं, जब इमर्जेन्सी लगी तब भी और आज भी गीत गा रहे हैं, तुम कैसे बेसुरे बोल रहे हो, इसलिये बेसुरे बोलने के लिये राजस्थान के हित चले जायें, मुख्य मंत्री जी बर्दाश्त कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त कर सकती है लेकिन विपक्ष में बैठे हुए हम लोग कतई इस बात को और इस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इसलिये स्थिति को स्पष्ट करने के लिये, अपने कदम को साफ साफ जनता और भारत सरकार के सामने रखने के लिये, हिन्दुस्तान के लोगों के सामने रखने के लिये हम यह अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं और इसके

(श्री नत्थी सिंह)

जरिये हम कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, अब भी मौका है, जवाब देते वक्त फिर कहें हमारे मुख्य मंत्री महोदय कि 1955 का जो हमारा मुहायदा है उस पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है तो हम समझेंगे निश्चित रूप से, उन्होंने सदन की भावना का समझा है और कांग्रेस पार्टी की जो दुविधा है उसको भी समझा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : अगर यह नहीं है तो हम यही मानेंगे अध्यक्ष महोदय, 85 लोगों ने लिख कर दे दिया, उसके बाद भी पैसा, दो पैसा कम किये, न पानी पर कम किया, न हमारे किराये बढ़ाये हैं रोडवेज के उस पर कम किया। इसी तरह की संवेदनशीलता का अहसास कराने के लिये, अपील कराने के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने राज्य कर्मचारियों को कहा था कि आप संवेदनशील बनो, लेकिन आज हमें तो सारी की सारी शिकायतें मुख्य मंत्रीजी से हैं कि वह खुद कितने संवेदनशील रहे हैं। सारा सदन एक बात कह रहा है लेकिन वह इतने संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील हैं दिल्ली से कोई खतरे की बात पैदा नहीं हो जाय, संवेदनशील हैं अपने लिये खतरे के प्रति। पर संवेदनशील नहीं हैं राजस्थान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके लिये। इसीलिये संवेदनशील का जो आयाम बदला है उसको सही परिपेक्ष में लाने के लिये अविश्वास का प्रस्ताव हमने रखा है और इस आशा से रखा है कि जवाब देते वक्त उनकी संवेदनशीलता पुनः वापस आयेगी और राजस्थान का जो 1955 का एग्रीमेंट है उस पर कोई खतरा नहीं हैं, ऐसी घोषणा वह इस सदन में करेंगे। इस विश्वास के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य। मुख्य मंत्री महोदय। आर्डर। आप बोले नहीं क्या ?

श्री मानिक चंद सुराणा : जी हां, मैं बोला नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : बोल तो चुके सब लोग। आर्डर प्लीज।

श्री मानिक चंद सुराणा : मैं कुछ निवेदन करूंगा, मैं थोड़ा निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में।

श्री मानिक चंद सुराणा : जितना सम्भव हुआ।

श्री अध्यक्ष : जितना सम्भव नहीं, सम्भव आप कर सकते हैं।

श्री मानिक चंद सुराणा : जहां आप समझे कि मैं अप्रासांगिक बोल रहा हूं वहां आप मुझे बता दें।

श्री अध्यक्ष : मुझे विश्वास है आप संक्षिप्त कर सकते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराणा : मैं संक्षेप में कहूंगा लेकिन कई बार, अध्यक्ष महोदय, अधिक संक्षिप्त होना उचित नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरे को भी समय दिया जाये, दस मिनट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, बैठें कृपया।

श्री मानिक चंद सुराणा : अध्यक्ष जी, अभी इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो सत्ता पक्ष के माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री बोले हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा जैसे कि विपक्ष के चार नेताओं ने यह प्रस्ताव पेश कर दिया हो कि पंजाब के एकार्ड को हम डिसएप्रूव करते हैं। यानि लगा यह कि जो वह जो मुद्दा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन पंजाब का एकार्ड राजस्थान का विपक्ष डिसएप्रूव कर रहा है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह सबसे बढ़िया मुद्दा है। कोई प्रश्न जब हो, रावी-व्यास के पानी के बंटवारे का तो यह कहो कि यह पंजाब की समस्या को राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में देखिये और आप पंजाब की समस्या के हल होने से दुखी हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ और, सावन भादों की, यह बात कर रहे हैं फागुन की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, माननीय शिवचरण जी माथुर ने कहा कि जो कुछ 81 में एकार्ड हुआ हमने 55 को बार बार रिइट्रेट किया। मैं 26 जुलाई को उनका भाषण था उसका संदर्भ दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने विपक्ष के नेताओं से आपस में चर्चा की, 26 जुलाई को बहस की, सबसे बड़ी उपलब्धि शिवचरण माथुर का भाषण था जिन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ से 25 बार यह कहा, हमने एक एक क्लाज में 55 को रिइट्रेट किया।

अध्यक्ष महोदय, 1955 को रिइट्रेट करना चाहा, 1981 में रिइट्रेट किया और अब मुद्दा, 1955 और 1981 का मुद्दा क्यों खड़ा हुआ, अध्यक्ष जी ? क्योंकि 24 जुलाई को एक नया अण्डरस्टेंडिंग, मीमो आफ अण्डरस्टेंडिंग हरचन्दसिंह लोंगोवाल और माननीय प्रधान मंत्री के बीच में हुआ। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, यह राजस्थान सरकार बार-बार दुहाई दे रही है कि माननीय प्रधान मंत्री ने हमको कह दिया है कि राजस्थान के हितों का वह ध्यान रखेंगे और 1981 के एकार्ड में यह कहा गया है कि 17.17 मिलियन एकड़ एम.ए.एफ. का बंटवारा किया गया है उस बंटवारे में यदि कभी पलों में पानी ज्यादा होगा, कम होगा तो प्रो-रेटा उसमें कटौती होगी, बढ़ोत्तरी होगी, और उसमें कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय प्रधान मंत्री भारत सरकार करेंगे। अब भारत सरकार का मतलब मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का मतलब है जो उसके सबसे बड़े ओहदेदार हैं, प्रधान मंत्री उनसे बड़ा भारत सरकार का मालिक कोई नहीं है। हमारे में विवाद हो, पंजाब-हरियाणा में विवाद हो तो 1981 के फैसले में निर्णय करेगी भारत सरकार और 24 जुलाई में क्या होगा ? 24 जुलाई को माननीय सिंचाई मंत्रीजी, भारत सरकार खुद पाबन्द कर रही है, अपने आपको हरचंद सिंह लोंगोवाल से इकरारनामा करके, मीमो आफ अण्डरस्टेंडिंग के द्वारा कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जज को सुपुर्द करेंगे और माननीय प्रधान मंत्री घोषित कर रहे हैं कि भारत सरकार उस अदालत के निर्णय से अपने आपको पाबंद करके मानेगी। यह कह रहे हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी 1981 के हमारे एकार्ड का निर्णय करके रहेंगे और माननीय

(श्री मानिक चंद सुराना)

प्रधान मंत्री जी 24 जुलाई, 1985 को जो कह रहे हैं कि भई मैं तो मामला सुपुर्द कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जज को। उसके क्लाज में लिख दिया है कि उनका निर्णय अन्तिम होगा। आप, जोशीजी, किस आधार पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार पर, हम पर 24 जुलाई, 1985 का एग्रीमेंट पाबन्द नहीं है। आपके पाबन्द होने से क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया के उस पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, भारत सरकार पाबन्द हो रही है। यह सही है कि हम लोगों ने ही दलील दी थी कि यह फैसला, यह जो कुछ भी एग्रीमेंट है मीमो आफ अण्डरस्टेंडिंग है, यह यूनिलेटरल है, और हम लोगों ने कहा था कि यह मीमो आफ अंडरस्टेंडिंग यूनिलेटरल है इसलिए हम पर पाबन्दी नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे इस बात का, जहां कि भारत सरकार अपने आपको पाबन्द कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के जज को भेज रही है। तो आप तो कह रहे हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी की शरण में जा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि आपके हितों की हम रक्षा करेंगे और जो कुछ हित हैं देश के, उन्होंने एक फैसला करके सुप्रीम कोर्ट के जज को मामला सुपुर्द कर दिया है और यह घोषित कर दिया कि हम पाबन्द हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। अब यदि इस पर भी आप नहीं जागना चाहें और आप हमको यह कहना चाहें कि पंजाब के एकार्ड के हम खिलाफ हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के एकार्ड के हम खिलाफ नहीं हैं। किसी भी प्रान्त की बहबूदी से राष्ट्र के हितों को कोई चोट नहीं पहुंच सकती, कई ऐसी मान्यता है। किसी भी जिले का विकास प्रान्त के विकास को करेगा, लेकिन राष्ट्र हित यदि एब्स्ट्रेक्ट है तो, अध्यक्ष महोदय, पता ही नहीं चलेगा कि राष्ट्र हित किसका होगा। यह जो राष्ट्र हित में आप हमको कह रहे हैं कि यह कड़वी घूंट पी लीजिए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी को साफ चोइस आपके सामने है, इस राष्ट्र हित को, सबको छोड़ दीजिए एक बार किनारे चोइस यह है कि क्या आप 8.6 एम.ए.एफ. राजस्थान का जो पानी है उसमें से 1 एम.ए.एफ., 2 एम.ए.एफ. पानी की कुर्बानी करने को तैयार हैं? यदि आप समझते हैं कि इस पानी की कुर्बानी की जा सकती है क्योंकि पंजाब का एकार्ड हो गया, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि देरी से बोलने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान को अपनी बात कहनी है तो राजस्थान को वह बात आज कहनी है. जुलाई को जो एग्रीमेंट आ गया मीमो आफ अण्डरस्टेंडिंग आ गया, यह बिलकुल कानूनी बहस है कि साहब यह हम पर पाबन्द नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि 24 जुलाई के एग्रीमेंट की हम पर क्या पाबन्दी है। उन लोगों ने बहस कर ली। लेकिन वह एग्रीमेंट, अध्यक्ष महोदय, दो स्टेट्स में जो एग्रीमेंट होता है उससे भी बड़ा है, क्योंकि भारत सरकार का गृह मंत्रालय, दूसरे दिन ही एस.बी. चव्हाण ने कहा कि हम इसके परिपेक्ष्य में कमीशंस अपाइंट कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स अपाइंट कर रहे हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1970 से इस मामले को टलाया किसने? अध्यक्ष महोदय, मैं डाइवर्शन के लिए माफी चाहता हूं, 1970 में माननीय इन्दिरा गांधी जी ने यह तय कर दिया था कि चण्डीगढ़ पंजाब को जाएगा। उन्होंने

(श्री मानिक चंद सुराणा)

कह दिया था और उसके बाद में उसके साथ में यह भी कहा कि पार्ट आफ फजिल्का तहसील जो है वह हरियाणा को जाएगा। 1970 से, अध्यक्ष महोदय, यह मामला 14-15 साल लटकाए हुए रखा गया। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने बीच-बीच में अपना रवैया बदल लिया और बीच में रवैया बदल कर चंडीगढ़ का बंटवारा होगा, आधा हरियाणा को जाएगा, आधा पंजाब को जाएगा, मेजर पोर्शन हरियाणा को जाएगा, इस तरह की बातों पर भारत सरकार टिकी रही। इस मामले में जितनी पेचीदगी पैदा की, उन्होंने की। आज कहा जा रहा है आदरणीय संत लोगोंवाल साहब मैं कहना चाहता हूं, आनन्दपुर साहब प्रस्ताव के बारे में जो व्हाइट पेपर भारत सरकार का है, इस व्हाइट पेपर में लिखा है, अध्यक्ष महोदय, आनंदपुर साहब प्रस्ताव के बारे में :—

"The propositions contained in the Anandpur Sahib Resolution on Centre-State relations are at total variance with the basic concept of the unity and integrity of the nation as expressed in our Constitution. These cannot be accepted even as a basis for discussion"

इनको तो एक चर्चा के आधार के तौर पर भी माना नहीं जा सकता और आनन्दपुर साहिब रिजोल्यूशन का एक पूरा पैराग्राफ, अध्यक्ष महोदय, कोट कर दिया है। वह जो पैराग्राफ कोट किया है, अध्यक्ष महोदय, मैं उस पैराग्राफ को कोट करना चाहूंगा --

"As per the Anandpur Sahib Resolution, the Shiromani Akali Dal is firmly convinced that progress of states would entail prosperity of the centre, for which suitable amendments should be made in the constitution to give more rights and provincial autonomy to the states. The centre should retain Foreign Affairs, Defence, Currency and Communications, including means of transport, while the remaining portfolios should be with the states. Besides, the Sikhs should enjoy special rights as a nation."

यह है वह हिस्सा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का जिसको आपने कल तक कहा था व्हाइट पेपर में कि वह बेसिस आफ डिस्कशन नहीं है और आज आप उस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को सरकार या कमीशन को भेज कर हमको पार्ट बनाना चाहते हैं कि राष्ट्र हित में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के खिलाफ अब मत बोलो। क्योंकि कल हम बोल रहे थे तो चुनाव का मौसम था और अब आज हम चुनाव जीत चुके हैं हमको गद्दी में रहने के लिए यह प्रस्ताव यदि हमने सरकारिया कमीशन को भेज दिया है तो इसमें कोई सैंक्टिटी हो गई। आपका नजरिया बदल सकता है, आपकी सैंक्टिटी बदल सकती है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्र हित की बड़ी-बड़ी बातों से एब्स्ट्रैक्ट गुणगान राष्ट्र हित के करने से, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो विशिष्ट मुद्दा हमने उठाया है, मुद्दा सिर्फ यह है,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अध्यक्ष महोदय, 86 लाख एकड़ फीट 8.6 एम. ए. एफ. पानी, इस पानी की एक बूंद राज्य सरकार किसी भी तरीके से जो 1955 का एकार्ड है और जिसको जहां तक आपने 1981 में रिपीट किया है, मैं इस पोर्शन को छोड़ देता हूं जिसमें कि उन्होंने 6 एम. ए. एफ. पंजाब को यूटिलाइज करने के लिए दे दिया, उसकी काफी आलोचना हम लोग कर चुके हैं। जिस तरीके से भी आपने इसको रिइट्रेट किया है सवाल यह है कि आज साफ तौर पर खतरा इस बात का है कि प्रधान मंत्री पाबन्द हो रहे हैं, अपने आपको पाबन्द कर रहे हैं लोगोंवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज को मामला भेज कर कि आज आप इस बात पर अपने हक के लिए, हकों के लिए बोलने की हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज कुछ साफ गोई श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया ने की। उन्होंने कहा, मौका आएगा तो हम सारी कांग्रेस पार्टी के लोग प्रधान मंत्री जी के पास जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं शिवचरण जी माथुर ने कहा कि यह मेमोरेंडम जो है राज्य सरकार को बहुत मौके आएंगे जब कि हमको पूछा जाएगा और हमको एन्डोर्समेंट का मौका आयेगा तब हम बोलेंगे। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी, किस दुनिया में रह रहे हैं, क्या राजीव गांधी, जो प्रधान मंत्री भारत सरकार है, इस राज्य सरकार को यह एग्रीमेंट हरचन्दसिंह लोंगोवाल का एंडोर्समेंट के लिए भेजेंगे? अध्यक्ष महोदय, यह मुंह और मसूर की दाल, यह एग्रीमेंट इनको एंडोर्समेंट के लिए आएगा। मैं कहना चाहता हूं, राज्य सरकार को राइटिंग आन दी वॉल को देखना चाहिए। राइटिंग ऑन दी वॉल तो देखिए, इस 55 के एग्रीमेंट पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता, 9.1 में क्या लिखा है, आपने पढ़ दिया, बहुत है। हम लोगों ने खूब पढ़ा है। मैं आज भी मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने टेलेक्स में जो भाषा का जो प्रयोग आपने किया है कि यह डिजाइन है जो कि दूसरी पार्टी ने राजस्थान को धोखा देने के लिए और राजस्थान का पानी हैड वर्क्स पर रोकने के लिए यह जो डिजाइन है इस डिजाइन के खिलाफ आपने जो टेलेक्स दिया था, आपका जो मन था, आपकी जो हिम्मत थी उस वक्त में, बिलकुल हम उसके साथ हैं। लेकिन यदि आप आत्म-समर्पण करके आ जाएंगे दिल्ली में, विपक्ष आपके साथ नहीं है, विपक्ष अपनी ड्यूटी करेगा, कर्त्तव्य करेगा, जनता के हितों की रक्षा कर रहे होंगे आप।

लेकिन आप कर रहे हैं कुछ आत्म-समर्पण के साथ में और हम लोग बिना किसी आत्म समर्पण के, बिना किसी लाग लपेट के और हम भ्रम में नहीं रहेंगे कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कह दिया, हाई कोर्ट के जज को रेफर होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, हितों की रक्षा बिलकुल वेग वर्ड है। हमको हितों की रक्षा नहीं करवानी। हमको 86 लाख एकड़ फीट पानी चाहिए और वह पानी जिस तरह घटता-बढ़ता रहे, 17.17 एम. ए. एफ. जिस तरह बढ़ा है हमको भी बढ़ा हुआ पानी चाहिए। इसलिए, अध्यक्ष

(श्री मानिक चन्द सुराना)

महोदय, मैं निवेदन करना यह चाहूंगा कि यह एग्रीमेंट, कोई पश्चिमी राजस्थान के जो 7-8 जिले हैं इससे प्रभावित होंगे उनका सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को कि पश्चिमी राजस्थान से इस राजस्थान नहर से राज्य की कितनी ग्रामदनी है, राज्य सरकार की कितनी ग्रामदनी है, मैं बताना चाहता हूं, एक लाख मुरब्बे कमाण्ड एरिया सैकंड स्टेज में राजस्थान सरकार को मिलेगा, एक लाख मुरब्बे का कमाण्ड एरिया, डेढ़ लाख मुरब्बे का ग्रन कमाण्ड एरिया मिलेगा, अध्यक्ष महोदय, एक....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । संक्षेप में ।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक लाख मुरब्बे में से यदि पचास हजार मुरब्बे राज्य सरकार साढ़े सैंतीस हजार रुपये मुरब्बे के हिसाब से भूमिहीनों को आवंटित करेगी तो 187.50 करोड़ रुपये की ग्रामदनी राज्य सरकार को सात सालों में होगी, 187.50 करोड़ रुपयें की ग्रामदनी । और, अध्यक्ष महोदय, जो पचास हजार मुरब्बे यह बेचेंगे सवा लाख में, एक लाख से सवा लाख के बीच में स्पेशल ग्रलाटमेंट्स में जिसका चाहें हम विरोध कर रहे हों, उससे राज्य सरकार को 301 करोड़ की ग्रामदनी होगी ग्रौर ग्रन कमाण्ड जो डेढ़ लाख मुरब्बे हैं उनसे 113.50 लाख की ग्रामदनी होगी । कुल ग्रामदनी इससे 861 करोड़ रुपये राज्य सरकार को होगी कम से कम, इस सैकण्ड स्टेज, सिर्फ ग्राप जो हमको बताते हैं कि दो सौ करोड़ खर्च हो रहा है, तीन सौ करोड़ खर्च हो रहा है इसमें राज्य को बहुत बड़ी ग्रामदनी का सवाल है ग्रौर दो हजार करोड़ रुपये की जो पैदावार प्रत्येक वर्ष में होगी, अध्यक्ष महोदय उसका सवाल है । यह पूर्वी, पश्चिमी जिला है, यदि यह सैकण्ड स्टेज में पानी पूरा नहीं मिला ग्रौर हमारा पानी एक जुलाई, 1985 को फ्रीज कर दिया गया तो अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान की ग्रोर जितनी लिफ्ट कैनाल ले जाना चाहते हैं उनकी सम्पूर्ण रूप से बर्बादी होगी । यह राजस्थान की खेती को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका सवाल है, अध्यक्ष महोदय, ग्रौर इसलिए पंजाब ने क्यों मांग कर ली खालिस्तान की ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री मानिक चन्द सुराना : खालिस्तान के लिए नहीं की, अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ पानी के लिए की है ग्रौर ग्राज भी पंजाब की कुल निगाह पानी पर है ताकि वे अधिक से अधिक पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक खेती की पैदावार बढ़ा सकें, ग्रौद्योगिक कच्चा उत्पादन बढ़ा सकें ग्रौर देश का सबसे प्रमुख प्रोविंस उत्पादन के माध्यम से बन सकें । इसलिए अध्यक्ष महोदय, यदि हमको भी उत्पादन की दौड़ में ग्रागे बढ़ना है ग्रौर पश्चिमी राजस्थान की बात को पश्चिमी राजस्थान तक सीमित नहीं रखनी है ग्रौर राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है तो मैं निश्चत रूप से ग्रापको कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे में यह जो कुछ भी राजनीतिक भाषण पंजाब के एकार्ड के सम्बन्ध में उन्होंने दिए हैं बिलकुल बे-मौजूं हैं । ग्रानन्दपुर साहिब प्रस्ताव का जो विरोध ग्राप कल तक कर रहे थे ग्राज ग्रापने ग्रात्म समर्पण करके

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वह जो फैसला किया है, मैं कहना चाहूंगा कि यह फैसला 14 साल पहले भी कर सकते थे। यदि इतना ही आत्म समर्पण करना था तो हजारों-लाखों लोगों की जानें कुर्बान करवाने की आवश्यकता नहीं थी, राजस्थान चाहे प्रधान मंत्री जी ने एकार्ड कर लिया होगा लोंगोवाल के साथ में, मैं कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : निश्चित रूप से अपने हकों के लिए हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी इस बात से उनके मन में कुछ भी होगा, माननीय ललित जी ने कहा कि उनके मन में भी है, उनके मन को मैं भी समझ रहा हूं, ललित जी भी समझ रहे हैं, भैरोंसिंह जी भी समझ रहे हैं, अब मन में क्या है इससे काम नहीं चलेगा, कागज पर डाक्यूमेंट बनाने से, वक्तव्य देने से अधिकारों की रक्षा करने से काम चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं way to hell may be paved with good intentions नर्क का रास्ता गुड इंटेंशन के साथ में भी पेव किया जा सकता है, इसलिए आपके मन में बहुत अच्छी बातें होंगी, लेकिन यहां मन की बातों का सवाल नहीं है, यहां बिलकुल मुद्दा यह है कि यदि आप 1955 और 81 के एकार्ड पर कायम हैं और उसके लिये यदि प्रधान मंत्रीजी का एकार्ड हमारे विरुद्ध जाता है तो....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मानिक चन्द सुराना : भारत सरकार के खिलाफ भी खड़े होने की आवश्यकता पड़ने पर आप खड़े होंगे या नहीं होंगे, प्रश्न इस बात का है..

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराणा : विपक्ष का मुद्दा इसी बात का है, अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने इस मुद्दे पर साफ तौर पर केटेगोरिकल मांग की है कि हम 1955 और 81 के जो एकार्ड हैं उनके साथ खड़े रहेंगे और राजस्थान के किसानों के जो पानी के हकों का बलिदान चाहे प्रधान मंत्री के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी होगा तो पंजाब में जो आग बुझ गई है, मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को, पश्चिमी राजस्थान में भी वही आग जलेगी जो कल तक पंजाब में थी या तो वह पानी आप देंगे और पानी नहीं देंगे तो पश्चिमी राजस्थान आने वाले दिनों में सबसे बड़े आन्दोलन को जन्म देगा और भारत सरकार के घुटने भी झुकाएगा।

श्री अध्यक्ष : सी. पी. जोशी बोल रहे हैं। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। सी. पी. जोशी। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो-चार मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

सबसे पहले मूल प्रश्न यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव आया क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी याददाश्त ठीक है, जब सदन प्रारम्भ हुआ था चुनाव के बाद तब विरोधी पक्ष के नेता खास तौर

(श्री सी. पी. जोशी)

से भाभड़ा साहब ने यह कहा था कि हम सदन में सूडो केबिनेट बनायेंगे और बतायेंगे, किस तरह से हमारे विरोधी दल की एकता है जिस एकता के आधार पर हमने लोगों से वोट लिये हैं। यह कहा था कि हम राजस्थान में सरकार बनायेंगे, पिछले चार महीने में जब विरोधी दल की एकता टूट गई, और टूटने के बाद जनता के सामने अपनी क्रेडेबिलिटी खत्म हो गई, उस एक्सपोजर से बचने के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव को माध्यम बनाया, और माध्यम बनाकर जनता के सामने अपनी क्रेडेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि राजस्थान के हित इस एकार्ड से सुरक्षित नहीं हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं इस बात के लिए, हम विरोध कर रहे हैं 9.1 का, माननीय विरोधी पक्ष के नेता एक बात जानते हैं, हमने 1981 के एकार्ड को एक्सेप्ट किया है। माननीय भैरोंसिह शेखावत 1983 के अन्दर अकाली दल की ट्री-पार्टाइट वार्ता करने के अन्दर भागीदार हैं, 1981 के एकार्ड को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, 1981 के एकार्ड में हमने माना इस बात को कि सरप्लस वाटर को यूज पंजाब कर सकेगा। आज 9.1 है क्या? 9.1 केवल मात्र, अध्यक्ष महोदय, जो 1981 में हमने एग्रीमेंट किया है भारत सरकार के साथ, पंजाब के साथ इस 9.1 में केवल मात्र वही चीज लिखी हुई है जो 1981 में हम लिख कर देकर आये हैं। माननीय भैरोंसिह जी इस बात को मना कर दें, 1981 का समझौता हुआ था जिसमें हमने यह अधिकार दिया था कि सरप्लस वाटर पंजाब यूज करेगा, आज 9.1 में यही बात लिखी हुई है कि 1.7.1985 को फार्मर जो पानी यूज कर रहे हैं कंजम्पशन आफ वाटर और क्वांटम आफ यूजेज को जज करने के लिए 9.2 का जो ट्रिब्यूनल का रेफरेंस है, 9.1 का 9.2 से सम्बन्ध इस तरह से है। इसलिए राजस्थान का रेफरेंस उसमें आया, यह बात माननीय भैरोंसिह शेखावत जानते हैं, विरोधी पक्ष के नेता भी इस बात को जानते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : कि राजस्थान का 9.1 में जो रेफरेंस आया है वह केवल मात्र 1981 का हमारा जो एग्रीमेंट है उसको आधार बनाने की खातिर आया है वह तो आप सब लोग जानते हैं। आपने भी यह बात मानी है, मैं चाहूंगा इसको रिपयूट करें भैरोंसिह साहब और नाथूराम मिर्धा वह स्वयं इस बात को जानते हैं कि 1955 का जो एग्रीमेंट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह 1955 का एग्रीमेंट रिवोक नहीं किया जा सकता। यह बात सब आदमी जानते हैं, लेकिन 9.1 क्यों आया, बार-बार रिपीटिशन करें इस बात का कि राजस्थान का नाम 9.1 के अन्दर क्यों आया। मेरा स्पष्ट मानना है अध्यक्ष महोदय, 1981 का एग्रीमेंट जो राजस्थान सरकार ने किया इस 1981 के एग्रीमेंट के आधार पर विरोधी पक्ष के नेता तत्कालीन मुख्य मन्त्री के सामने भारत सरकार के साथ ट्री पार्टाइट वार्ता में भागीदार बने, उस समय तक भैरोंसिह शेखावत ने सदन में और जनता के बीच में जाकर यह नहीं कहा था कि 1981 के एग्रीमेंट में हम एग्री नहीं करते हैं। यदि

(श्री सी. पी. जोशी)

आज 1981 का एग्रीमेंट वेलिड एग्रीमेंट है ..

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा माननीय भैरोंसिह शेखावत इस बात को स्पष्ट करें। यदि 1981 का एग्रीमेंट सही है जिसमें फुल शेयर आपने पंजाब में यूटिलाइज करने की बात कही है, उसमें भी आपने लिखा है कि जब भी सरप्लस वाटर होगा तब प्रो-रेटा के आधार पर हम डिटरमिन करेंगे। इन दोनों चीजों को इनकारपोरेट करने के लिए 9.1 में राजस्थान का नाम आया है। 9.2 में राजस्थान का नाम नहीं आया है. ट्रिब्यूनल जो फैसला कर रही है वह भी सरप्लस वाटर पंजाब और हरियाणा का फैसला कर रही है वह 9.2 में है लेकिन क्वान्टम आफ यूजेज डिसाइड करने का, जिसको हमने यूज किया है 1981 की ट्रीटी में, माननीय भैरोंसिह शेखावत साहब, उसके लिए 9.1 में राजस्थान का वर्ड आया है। और मैं कहना चाहता हूं, माननीय विरोधी पक्ष के नेताओं से, स्वयं इस बात को जानते हैं कि डिस्प्यूट किस बात का है। आज 5.6 एम. ए. एफ. पानी राजस्थान यूज कर रहा है, 4.2 यूज कर रहा है पंजाब और हरियाणा कर रहा है 2 एम. ए. एफ.। डिस्प्यूट इस बात का है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब जो पानी यूज कर रहा है, हरियाणा जो पानी यूज कर रहा है इसके अन्दर डिस्प्यूट है कि जो क्वान्टम आफ यूजेज है, उसको डिटरमिन करने के लिए 9.2 का रेफरेंस दिया गया है, 1955 के एग्रीमेंट को रिवोक करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है यह, 9.1 और 9.2 के आधार पर नहीं है, यह तो माननीय भैरोंसिह शेखावत भी जानते हैं कि चुनाव में जनता से वायदा लेकर इस बात से लोगों से वोट मांगे थे, आप हमको वोट दीजिए हम सरकार बनाएंगे, वह वोट नहीं मिले, सरकार कांग्रेस की बन गई और जनता में क्रेडेबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए उस क्रेडेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए आज अविश्वास प्रस्ताव को माध्यम बनाया है। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि राजस्थान का हित सुरक्षित है कांग्रेस पार्टी के अन्दर सुरक्षित है, कांग्रेस के नेता, देश के प्रधान मन्त्री राजीव गांधी और राजस्थान के मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास हो सकता है। हम क्रिटीसाइज किस बात को करना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चार महीने का हमारा टर्म है जिसके अन्दर हमने यह साफ कहा है जनता के सामने कि यह ईयर आफ कंसोलिडेशन है, साफ कहा है हमने, कंसोलिडेशन का काम कहा है, लोगों के सामने हमने कि जो स्कूल खोले, जो अस्पताल खोले जिस तरह की व्यवस्था है उनमें व्यवस्था करने के लिए इस साल में अपने फण्ड को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। यह क्रिटिसाइज किस बात को करना चाहते हैं, अविश्वास का प्रस्ताव यदि नीतिगत, आधार पर होता तो माननीय हरिदेव जी जोशी दो साल तक कुछ काम करते। कुछ नीतियों के आधार पर क्रिटिसाइज करते लेकिन नीतियों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। हम स्वयं इस बात को जानते हैं कि सरकार को

(श्री सी पी. जोशी)

क्रिटिसाइज क्या करें, हमको तो अपनी जनता के बीच में क्रेडेबिलिटी इसलिए बनानी है कि चूरू का चुनाव सामने आ रहा है, चूरू के चुनाव में फेस करने के लिए जनता के सामने के लिए हम एक आधार बनाना चाहते हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए हम यह कहना चाहते हैं यह जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है इसमें राजस्थान के हित में कुछ नहीं है, मेरा आरोप है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1981 के एग्रीमेन्ट को जिन नेता लोगों के सामने माना, जिसको आधार मान कर विरोधी पक्ष के सब नेता दिल्ली के अन्दर गये और अकाली दल से ट्री पार्टाइट वार्ता की। 1981 का समझौता नहीं होता तो 9.1 के अन्दर राजस्थान नहीं आता।

श्री लालचन्द : 8.6 एम. ए. एफ. पानी राजस्थान को मिला....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय लालचन्द। आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी माननीय लालचन्द जी. आप को भी मालूम है 1955 के एकार्ड को मैं चाहूं या भैरोंसिह जी चाहे, कोई भी उसको रिवोक नहीं कर सकता। 1955 का एकार्ड तो एज इट इज है ..

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : मुख्य मंत्रीजी से कहला दें। यही बात मुख्य मंत्रीजी से कह दें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : आपके मुख्य मंत्री की आवाज ही कम है....

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री के कारण बात मंजूर हुई...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : लालचन्दजी के सम्बन्ध तो हैं नहीं कानून कायदों से। 1981 के एग्रीमेन्ट में भी 1955 लिखा हुआ है क्या ? 1981 के एग्रीमेन्ट में भी 1955 मेन्शन नहीं है। आप किस मुंह से बात करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

1981 के एग्रीमेंट में भी 1955 का मेन्शन नहीं है।

श्री लालचन्द : पानी तो हमारा ले लिया है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : टीबी से आने वाले माननीय सदस्य को तो बोलने से मतलब है। इनको कोई कानून कायदा तो मालूम है नहीं।

(व्यवधान)

बोल लो आप जितना बोलो।

श्री अध्यक्ष : अपनी बात जारी रखें। कृपया।

श्री सी. पी. जोशी : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इन्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का मामला हो, चाहे आपने जो स्टेट रिआर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा को कोट की है, ये सब चीजें इस बात को दर्शाती हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, 1981 के एग्रीमेंट में भी 1955 के एग्रीमेंट का कोई जिक्र नहीं है। यह बात तो सबको विदित है कि 1955 का एग्रीमेंट जो इन्टरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें पाकिस्तान से हमने पानी लिया है वह रिवोक नहीं किया जा सकता है। 1981 में भी यह मेन्शन नहीं है। इसलिए अब जो एग्रीमेन्ट हुआ है इसमें भी 1955 को मेन्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह तो 1981 का जो हमारा एग्रीमेन्ट था इसके कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, 9.1 में "राजस्थान" वर्ड आया है और मैं समझता हूं कि इस वर्ड से हमको खतरा नहीं है क्योंकि 1981 में हमने सरप्लस वाटर का अधिकार भारत सरकार के तत्वावधान में पंजाब और हरियाणा के बीच में दिया गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं थी। इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जनता को गुमराह करके अपनी क्रेडेबिलिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के अन्दर है, मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी के नेतृत्व में है, राजीव गांधी के नेतृत्व में है। इस एकार्ड से हिन्दुस्तान की एकता बनी रहेगी, राजस्थान के हित सुरक्षित हैं। अविश्वास प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, गुमराह होकर जिस तरह से जनता को पहले गुमराह करते आये हैं इसलिए लोगों ने पहले भी वोट नहीं दिये हैं सरकार कांग्रेस की बनी है। अब अपनी क्रेडेबिलिटी बनाने के लिये नाटक बाजी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने अपना धरना हटाया उसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव को भी हटा दें और नया राजस्थान बनाने के लिये जो कन्सोलिडेट करने की हरिदेव जोशी कोशिश कर रहे हैं, उसमें कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें। यही बात मुझे कहनी है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। माननीय सदस्य। कृपया बैठें।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो बातें कही हैं उनमें से अधिकांश बजट भाषण के अवसर पर चाहे वह पहले मौके पर हो अथवा बाद में एप्रोप्रिएशन बिल के समय हो, अथवा नदी पानी विवाद के सिलसिले

(श्री हरिदेव जोशी)

में जितना कहा है उसका रिपीटेशन मात्र ही है, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिये मैं बहुत विगत में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। यहां पर काफी राजनैतिक चर्चा भी हुयी। यह कहा गया कि आज की राजनीति बड़ी पोल्यूएट हो गयी है, गड़बड़ हो गयी है, पहले बहुत अच्छी थी। पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में यह अन्तर आ गया, अब आदमी इशारे के ऊपर मुख्य मंत्री चुना जाता है पहले बहुमत से चुना जाता था। यहां पर, अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया, मैं बहुत उसमें नहीं कहता मगर यह है कि अब लोग अपने नेता की ओर देखते हैं, उनके इशारों पर चलते हैं, अपनी आत्मा की बात नहीं कहते। मैं एक बात कहना चाहता हूं नाथूरामजी साहब से कि उन्होंने इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की बात कही, हिन्दुस्तान की पूरी पोलिटिक्स के परिपेक्ष्य में थोड़ा सोचते। यह देखने की कोशिश करते कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस के सिवाय भी एक सरकार बनी थी केन्द्र में, वह सरकार टूटी कैसे? क्या हुआ उसके अन्दर? क्यों टूटी वह सरकार? क्या पृष्ठ भूमि थी उसकी? बहुत विशुद्ध राजनीति थी, इसमें कहीं कोई पोल्यूशन नहीं था। और उसके बाद में अगर सब कुछ ठीक था, अनैतिकता अभी आ गयी, तो फिर जब चुनाव हुए 80 के अन्दर हिन्दुस्तान की जनता ने विरोधी पक्ष का विश्वास क्यों नहीं किया और नैतिक पक्ष को क्यों नहीं सराहा? क्या पूरे हिन्दुस्तान की जनता अनैतिक हो गयी और अनैतिकता केवल कांग्रेस के ही जिम्मे आ गयी। नैतिकता सारी विरोधी पक्ष के पास में चली गयी? अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्री कैसे चुने जाते हैं इसकी बात कही गयी। मैं उस समय के अखबार लाया नहीं मगर जनता पार्टी के शासन के समय हिन्दुस्तान में मुख्य मंत्री कैसे चुने गये थे इसको भैरोंसिह जी ज्यादा जानते होंगे मेरी अपेक्षा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वोटिंग से।

श्री हरिदेव जोशी : हां, हां। यहां पर तो अखबारों में यह आया था कि राज-नारायणजी और चौधरी चरणसिंह का टेलीफोन आया था। इसलिये यह सारा सब कुछ हो गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वोटिंग से हुआ।

श्री हरिदेव जोशी : हां, हां। वोटिंग तो मेरे भी हुआ है। किसमें नहीं हुआ?

आपके चुनाव में वोटिंग हुआ, आपकी पार्टी के चुनाव में वोटिंग हुआ तब तो नैतिक और हमारी पार्टी के चुनाव में वोटिंग होवे तो अनैतिकता। तो मीठा मीठा गप्प और कड़वा थू। आप देखिये, यही अगर सिद्धान्त है तो कहीं कुछ बात करने की बात नहीं है....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं और कभी कहूंगा इसके बारे में।

श्री हरिदेव जोशी : आपने, कई मान-सदस्यों ने बजट की बात कहीं। योजना की बात कहीं। मुझसे यह अपेक्षा की गयी कि बेरोजगारी मिटाने के लिये लोगों को बेरोजगार नहीं किया जाना चाहिये। रिक्रूटमेन्ट बन्द हो गया है। होता है, प्रान्त के

(श्री हरिदेव जोशी)

जीवन में और राष्ट्र के जीवन में इस प्रकार के समय आते हैं। क्या संसार के जीवन के अन्दर ऐसा मौका केवल हिन्दुस्तान के ऊपर ही आया, क्या केवल राजस्थान के ऊपर ही आया है जब इकानामी क्राइसेज हुआ हो उस समय दूसरे लोगों ने कोई कड़े कदम नहीं उठाये ? आपकी क्या राय है ? थोड़ा कह देते कि कड़े कदम नहीं उठाये जायं। पहले के मुख्य मंत्रियों को, जिसमें भैरोंसिंह जी शेखावत भी सम्मिलित है, जिसमें सुखाड़िया जी भी शामिल हैं, जिसमें शिवचरण जी भी शामिल थे, पहाड़िया जी और वो थे कितनी एक सुविधा थी मुख्य मंत्री को कि वह जितना स्वीकार था उतना अथवा कोई व्याख्या नहीं की गयी थी, ओवर ड्राफ्ट ले सकता था। आज के परिपेक्ष्य बदल गये हैं उनको मेहरबानी करके देखने की कोशिश कीजिये। आज परिपेक्ष्य क्या हैं ? आज राष्ट्र की परिस्थितियां यह हैं कि कोई मुख्य मंत्री स्पेसिफाइड एलबो स्पेस के सिवाय एक नये पैसे का ओवर ड्राफ्ट नहीं कर सकता। जब वह ओवर ड्राफ्ट नहीं कर सकता तो कौन मुख्य मंत्री यह पसन्द करेगा कि वह ओवर ड्राफ्ट करके अपने राज्य की स्थिति को खराब करे। जिन परिस्थितियों में आज आपका मुख्य मंत्री अथवा वित्त मंत्री काम कर रहा है मेहरबानी करके उसको समझने की कोशिश कीजिये।

एक तरफ आप कहते हैं कि पानी और बिजली ही हमारा जीवन है और जब हम पानी और बिजली के लिये प्रावधान करते हैं तब आप उसके ऊपर एतराज करते हैं। हम जब हमारे स्टेट एन्टरप्राइजेज को टाइटन अप करने की कोशिश करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि वह घाटे में नहीं जाये, वह सैल्फ सपोर्टिंग होवे तब चित भी मेरी और पट भी मेरी। एक तरफ आप जनता से कहें कि तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ कहें कि आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। आखिर कोई ऐसा जादू है क्या कि जो घाटा है उस घाटे को बगैर रिसोर्सेज बढ़ाये हुए किसी प्रकार से पूरा किया जा सके ? आप में और मुझ में ओनेस्ट डिफरेन्सेज आफ ओपीनियन हो सकता है। मगर जब एक बहुमत ने मुझे जिम्मेदारी के ऊपर बिठाया है तो मेरा यह फर्ज हो जाता है, मैं जो भी बेस्ट, मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका उपयोग करके इस घाटे को कम करने की कोशिश करूं और यह प्रयत्न करूं कि झूठी वाहवाही में न पड़ूं। आपको बुरा लगाने के लिए नहीं कह रहा मगर आपनी झूठी वाहवाही का काम किया था। जिस समय आप इलैक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर थे 17 हजार सरप्लस आदमियों को आपने बगैर काम के रिक्रूट किया, 17 हजार आदमियों को ..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वर्क था साहब उनके पास।

There was work for them.

श्री हरिदेव जोशी : No work was there.

उस दिन भी काम नहीं था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : उस दिन की बात तो छोड़ दीजिए—it is on record, sir.

उस दिन की बात तो छोड़ दीजिये it

(श्री हरिदेव जोशी)

is on record. कि आज तक उनके पास में काम नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 60 thousand wells and 33 hundred electric ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज नैतिकता और अनैतिकता की बात कही जाती है मगर एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज को एक तरफ दर किनारे रख करके रिक्रूटमेन्ट कर दिया गया इस रैकलेसनैस से कि वह योग्य हैं अथवा नहीं हैं वह अनएम्प्लायड हैं या एम्प्लायड हैं, जरूरत है अथवा नहीं है। तब आखिर आपकी इकानामी खराब होगी, इसमें कोई संदेह रह जाता है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : गुस्से होने की बात नहीं है। बात यह है कि जब आप मुझसे जवाब चाहते हैं तो मेरे पास में जो जवाब है जो मैं समझा हुआ हूं वही तो जवाब दूंगा।

और क्या यह सही नहीं है कि जनता शासन के अन्दर एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज को एक तरफ रख दिया गया था? कहिये फाइनेन्स मिनिस्टर साहब उस समय के, क्या मैं गलत कह रहा हूं?

श्री मानिक चन्द सुराना : गलत कह रहे हैं यह लेबर मिनिस्टर बैठे हैं उनसे पूछ लीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं क्यों पूछूं, यह तो आम जानी हुई बात है। तो इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री मानिक चन्द सुराना आप मुझसे पूछ रहे हैं, पांच साल हो गये आपकी सरकार ने, यह 17 हजार आप बार बार कह चुके हैं आर. एस. ई. बी. के एम्प्लाइज का, आपको रिट्रेन्च कर देना चाहिये था। आप पांच साल में रिट्रेन्च क्यों नहीं कर पाये, इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : सुन लीजिये पहले।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो प्रिन्टेड फिगर्स हैं। प्रिन्ट करने में कोई गलती हो गयी हो तो मैं नहीं जानता....

श्री मानिक चन्द सुराना : रिट्रेन्च क्यों नहीं किया....

श्री हरिदेव जोशी : अगर इनको रिट्रेन्च करना संभव होता....

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि वह सरप्लस हैं तो आपकी सरकार की....

एक माननीय सदस्य : सुन लीजिये पहले, बाद में बोलना।

श्री मानिक चन्द सुराना : जिम्मेदारी थी कि आप उनको रिट्रेन्च कर देते। पांच साल हो गये आपकी सरकार को आये हुए। 1980 में आ गये थे आप।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यही तो कह रहा हूं। अभी आपकी शिकायत क्या थी ? अभी आपने शिकायत यह की रोजगार लगे हुए आदमियों को क्यों हटा रहे हो, उसी का तो जवाब मैं कह रहा हूं। मैं कह क्या रहा हूं कि रोजगार पर लगे हुए आदमियों को क्यों हटा रहे हो, यह शिकायत की है इसलिये मैं कह रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम कह रहे हैं आपको इसको रिट्रेन्च कर देना चाहिए था।

श्री हरिदेव जोशी : If you make it a Question Answer Hour, तब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है।

तो इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं तो वही प्रश्न की बात कर रहा हूं जिसको आपने यहां पर उठाया है। अध्यक्ष महोदय, हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप यह कहते हैं कि आप अजनतांत्रिक काम करते हैं, अलोकतांत्रिक काम करते हैं आपकी लोकतंत्र की व्याख्या क्या है ? जनता का वर्डिक्ट अथवा कुछ और ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके साथ और भी है।

श्री हरिदेव जोशी : किस जनता का वर्डिक्ट ? अखिल भारतीय परिपेक्ष के अन्दर, अखिल भारतीय स्तर के ऊपर और राजकीय स्तर के ऊपर राज्य की जनता का यही तो परिपेक्ष है लोकतांत्रिक जिसको कि आपने कहा कि अलोकतांत्रिक हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, युग के बदलने के साथ पार्टियों का आउटलुक बदलता है, उसमें परिवर्तन आता है, एप्रोच में फर्क आता है, सिद्धान्तों में भी फर्क आता है। कई पार्टियां तो अपने मूलभूत सिद्धान्तों को बदल डालती हैं, अपने मूलभूत सिद्धान्तों को बदल डालती हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बात कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप सोचिये, इस हिन्दुस्तान के अन्दर कितनी पार्टियां आये दिन बदलती हैं, क्या स्थितियां हुई हैं, इसको केवल आप हमको ही कहना चाहते हैं। और हमको ही दोष देना चाहते हो। आप हिन्दुस्तान का राजनीतिक स्वरूप क्यों बदला है इसके एनलेसिस को पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिये, कांग्रेस में दोष नहीं होंगे, यह मैं नहीं कहता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : जब हम इस युग के अन्दर हैं तो आप हमसे प्रभावित होते हैं हम आपसे प्रभावित होते हैं। सारे समाज के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण होत है वह वातावरण आपको भी प्रभावित करत हमको भी प्रभावित करता है। मगर हमारी एक अपेक्षा है कि हम जो कुछ भी दूसरों के लिए कहें, यह देखने की कोशिश करें कि स्वयं के लिए हम क्या कहना चाहते हैं। मैं अपने नेत को बात मानू तो मैं तो हो गया कि बिक गया हूं और आप अपने नेता की बात नहीं मानी तो आप बड़े प्रगतिशील हो। मैं आपसे आपके नेता से प्रभावित नहीं होना चाहता

(श्री हरिदेव जोशी)

आप राजीव गांधी से प्रभावित मत होइये, आपका अधिकार है और मेरा भी अधिकार है मगर अगर कांग्रेस मैन कांग्रेस के लीडर से प्रभावित होना चाहता है तो यह उसका अधिकार है और उसका कर्तव्य है, अगर उससे प्रभावित होता है तो उसमें बुराई क्या करता है। बुराई इस बात में है कि पार्टी का एक नेता और सर्वोच्च नेता एक बात कहे और दूसरे लोग दूसरी बात कहें। बुराई उसके अन्दर है। आज लोकदल के वाइस प्रेसिडेण्ट क्या कहते हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिये। मैं जब मेरे नेता पब्लिकली कहते हैं कि राजस्थान के हितों को अनदेखा नहीं किया जायेगा, तब मैं उनकी बातों को कहता हूं तो मैं गलती कहता हूं और गुनाह करता हूं और गुनाह के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है मुझे, इससे मुझे एतराज है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने 25 तारीख को यहां पर एक स्टेटमेन्ट दिया....

श्री यदुनाथ सिंह : उसी पर डटे रहो।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे ऊपर आपने विश्वास किया उस दिन ? विश्वास किया तो फिर सन्देह क्या था आपको ? मेरी बात को मान लेना चाहिये था। फिर विवाद काहे का था ? उस दिन अगर मैं सच्चा आदमी था, अच्छा आदमी था और मैंने कोई स्टेटमेन्ट दिया तो उसके बाद में दूसरे दिन फिर विवाद क्यों पैदा हुआ ? आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिये था। दूसरे दिन किसी ने आपको कुछ कहा नहीं था। मगर सवाल यह है कि आपकी मुश्किल यह है कि आप जो कहते हैं वह आपकी फौज मानती नहीं है आपकी बात को और आपकी फौज मानती नहीं है इसलिए आपकी मजबूरी यह है कि अगर आपको उसका नेता रहना है तो आपको उसके साथ चलना है, आपका दूसरा आदमी नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि मेरे मन के ऊपर जो असर पड़ेगा वही तो मैं कहूंगा। और मेरे मन के ऊपर असर यह है कि आप लोग जो नेता हो विरोधी पक्ष में वह हैल्पलैस हैं –

श्री भंवरलाल शर्मा : पूअर थिंकिंग है।

श्री हरिदेव जोशी : पूअर हो सकती है, वैरी पूअर हो सकता है, मोस्ट पूअर हो सकता है मगर मेरे ऊपर इम्प्रेशन यह है –

श्री यदुनाथसिंह : narrow also.

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब हम विकास की बात करते हैं तब हम यह भूल जाते हैं कि जितना इन्फ्रस्ट्रक्चर हम डवलप करेंगे उतना ही हमारा विकास होगा। विकास के मायने आखिर हैं क्या ? जीवन के अन्दर एक परिवर्तन लाना। और जब तक आदमी के जीवन के अन्दर परिवर्तन नहीं आता तब तक विकास के कोई मायने नहीं रह जाते, वह एब्सट्रैक्ट चीज है। मैं यह कह सकता हूं कि दूसरों के मुकाबले में गति धीमी हुई हो कई क्षेत्रों के अन्दर उसको मैं स्वीकार करता हूं। मगर राजस्थान के जीवन के अन्दर एक प्रकार का परिवर्तन आया है। उसको नकारा करना

(194)

(श्री हरिदेव जोशी)

एक प्रकार के सत्य को झुठलाना है और इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जब कोई यह कहता है कि तुमने किया क्या तब मैं यह कहता हूं, जो कुछ किया है वह एक प्रकार से ऐसा है जो इतिहास के अन्दर मंडा हुआ रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी कहा गया कि तुम इस्तीफा दे दो। मैंने उस दिन भी कहा था, अब फिर दोहराता हूं और वह यह है कि विधवा को सधवा ने प्रणाम किया तो कहे कि मेरी जैसी तू हो जाना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : महारावल साहब जानते हैं उस भाषा को, 'सुहागणो राण्डी राणी पगे लागी म्हारो हाथ तू हो जाजे'। आप तो यह चाहते हैं कि मैं छोड़कर भाग जाऊं। अगर जुओं के भार से घाघरा फेंक करके नहीं जाया जाता। आप तो यह चाहते हो, मैं छोड़कर भाग जाऊं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। बैठें।

श्री हरिदेव जोशी : उसके बदले में....

श्रीमती उजला अरोड़ा : कैसी कैसी गन्दी बातें कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा उत्तर आपको यह है, आपको पसन्द आवे तब भी, आपको पसन्द न आवे तब भी, 21 तारीख को जो कुछ मैंने महसूस किया वह आनेस्टली गवर्नमेंट आफ इण्डिया को और अपने लीडर को लिख दिया। और आपने चाहा कि मैं दिल्ली जाऊं और राजीव जी से बात करूं, आपने मुझे कहा, बार बार कहा। मैं गया, उनसे बात की और करने के बाद मैं बहुत साफ कहता हूं कि मेरे ऊपर यह विश्वास हुआ, मेरी आत्मा के ऊपर कि राजीव जी के हाथ में राजस्थान का भाग्य निश्चित है, उस पर कोई चोट नहीं आयेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोपतसिंह : नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मैं फिर कहता हूं कि मैंने उनके अन्दर, उनकी भाषा के अन्दर कहीं कोई बनावट नहीं देखी, उनकी भाषा के अन्दर कोई फर्जीपना नहीं देखा, उनकी भाषा के अन्दर कहीं कोई गलत बात नहीं देखी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : ....और जब आपने मुझसे पूछा, मैंने आपसे बहुत साफ साफ कह दिया। अब वह आपके संतोष का कारण नहीं बने, वह हो सकता है, मैं आपको

(श्री हरिदेव जोशी)

न समझा सका होऊं, वह हो सकता है, मेरे समझाने में कमी रह गई हो, वह हो सकता है, अथवा मेरे समझने मे कमी रह गई हो ऐसा मैं नहीं मानता। सवाल यह है कि आप आज मुझे यह लगता है कि समझना ही नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय....

श्री शोपत सिंह : आप तो 1955 के बारे में बोल दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : कोई जागा हुआ आदमी हो, सोया हुआ आदमी होता है चद्दर ओढ़ कर के उसको तो आवाज लगाकर जगाया जा सकता है मगर जो सोने का बहाना करके चद्दर ओढ़ करके सो जाय उसके ढोल बजाओ, वह कैसे जगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कन्विन्स हो गया हूं। आज सवेरे के बाद में मैं कन्विन्स हो गया हूं, आप जागना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते....

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपसे बढ़िया तो पहाड़िया जी ही बोले।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : आप सोचना नहीं चाहते। मैं यह पूछता हूं कि जब आप मेरी बात को ही नहीं मानना चाहते, मेरी बात को समझना नहीं चाहते तब मुझे फिर बार बार पूछते क्यों हैं? आपको अगर यह लगता है तो आप अपनी वैधानिक जो कार्यवाही करते हैं, उसको आप कीजिये. हम यही कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि we differ to agree.

ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि असहमति है हमारी और ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : we agree to differ.

श्री हरिदेव जोशी : We agree to differ.. ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी में यह हो सकता है कि आप के मत के ऊपर आप दृढ़ रहिये, मेरे मत के ऊपर मैं दृढ़ रहता हूं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह जो एक्वीजिशन है वह तकलीफ देते हैं। तकलीफ यह देते हैं कि मैंने इन चार महीनों में यह कोशिश की है कि जो में सोचता हूं वह मैं आपको कहूं, उसमें कहीं कोई फर्जीगना न लाऊं। मैंने आपको विकास में लेने की कोशिश की। मैंने अपने अन्तःकरण से जो ठीक समझता था उसको आपको सामने रखने की कोशिश की और मैंने यह प्रयत्न किया कि आपसे सलाह मशविरा भी करूं, आपसे बात भी करूं, आपके साथ में भी बैठूं। अब उसमें यह हो सकता है कि आप मुझे कन्विन्सन कर सके हों, आप मुझे कन्विन्स न कर सके हो यह बात हृ सकती है। पर डेमोक्रेसी में यह बात है इसलिये आप उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं।

अब प्रश्न रह जाता है यह कि राजस्थान के हक में अगर यह एकार्ड नहीं है और प्राइम मिनिस्टर और लोंगोवाल एक

(श्री हरिदेव जोशी)

नतीजे पर पहुंचे हैं तो क्या है? अब क्या है? मैं इतना ही कह सकता हूं, जो बात शिवचरण जी ने भी कही थी, पहाड़िया जी ने भी कही थी और दूसरे लोगों ने भी कही वह यह है कि जिस किसी क्षण मुझे ऐसा लगे कि इस मुहायदे से राजस्थान को नुकसान है तो मैं वह सारे आवश्यक कदम उठाने के लिये जो जरूरत है, उसको उठाने में कहीं कोई संकोच नहीं करूंगा। यह बात है। मगर आज आप मुझसे यह कहलाना चाहो, आप आज मुझ से यह कहलाना चाहें कि मैं आज भी कन्विन्स नहीं हूं यह मेरा मानस नहीं है। इसलिये कि मैं कन्विन्स हूं, इसलिये कि मैं ऐसा समझता हूं। अब कई चीजें ऐसी हो सकती हैं, जो आपको ऐसा लगता हो कि आज कही जानी चाहिये, मुझे ऐसा लगता हो कि आज नहीं कही जानी चाहिये। कई चीजें ऐसी हो सकती हैं। आपका आग्रह एक प्रकार का हो सकता है, मेरा आग्रह यह हो सकता है कि नहीं "प्री मेच्योअर" कोई बात कहने का कोई अर्थ नहीं। और इसलिये मैं बहुत विगत में नहीं जाकर के मैं फिर रिइट्रेट करना चाहता हूं, जो बात मैं कह चुका हूं वह यह है, जो मैंने पहले कहा था वह भी और कहा था वह भी कि राजस्थान के हित को कहीं भी आंच नहीं आवेगी, और अगर कहीं ऐसा लगा कि कहीं भी राजस्थान का पानी कम होने की स्थिति होती है तो हम पूरी की पूरी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत है कि राजस्थान के हितों को चोट नहीं पहुंचने दी जाये।

धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। What point of order? बैठें कृपया। बैठें आप।

श्री सम्पतसिंह : नहीं एक....

श्री अध्यक्ष : बैठें आप। विपक्ष के नेता खड़े हैं। बैठें माननीय सदस्य, बैठें आप। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने यह समस्या है कि --

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मुख्य मंत्री जी एवं भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्रीमान श्री शिवचरण जी माथुर, माननीय श्री पहाड़िया जी, इन्होंने जो कुछ अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कहा है....

श्री अध्यक्ष : यह श्रीमान् और माननीय का फर्क कुछ बता दें। एक मुख्य मंत्री तो श्रीमान् श्री शिवचरण जी और एक माननीय श्री पहाड़िया जी....

(व्यवधान).

आर्डर प्लीज। आर्डर। माननीय सदस्य, बैठें, कृपया बैठें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्रीमान् इस-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिये किया कि पहाड़िया जी श्रीमान् ही सबको कहते हैं। इसलिये मैंने इनको मान-नीय कहा है

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों को बराबर समान स्तर पर देखना चाहता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का उत्तर आया है उस उत्तर से स्पष्ट है कि सरकार के पास कोई आर-ग्यूमेंट नहीं है। एक राजस्थानी में कहावत है, जोशी जी, "कोई आदमी जब फंस जाये या तो तिनका मुंह में ले ले या घाघरा पहन ले" तो उस पर वार नहीं करना चाहिये। आज आपने घाघरा पहनने की बात खुद ने कह दी। अब मैं यह विचार करता हूं कि घाघरा पहने हुये मुख्य मंत्री पर वार करना चाहिये या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सारी चर्चा में एक बात पर विशेष ध्यान दिया गया सत्ता पक्ष की तरफ कि इस सारे समझौते को अखिल भारतीय परिपेक्ष में देखा जाना चाहिये। मुझे ऐसा लगता है कि मूल मुद्दे पर सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है और अखिल भारतीय परिपेक्ष की आढ़ में इस मूल मुद्दे को दबाने की चेष्टा की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोशी जी को और सदन के सत्ता पक्ष के सदस्यों को यह कह सकता हूं कि राष्ट्रीय परिपेक्ष में देखने का ठेका केवल कांग्रेस पार्टी का ही नहीं है। हम जो इधर बैठे हैं वह भी राष्ट्रीय प्रश्नों पर कांग्रेस के किसी सदस्य से पीछे नहीं हैं। हमारे सामने भी राष्ट्रीय स्तर की समस्यायें हैं, उन समस्याओं पर हम मिलकर आज इस समस्या का समाधान कैसे किया जाये, उस पर विचार करने को तैयार हैं और पूर्व में कई विषयों पर विचार किया है और सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुये हैं। अब यह विचार जो आपके दिमाग में आ रहा है, कि राष्ट्रीय परिपेक्ष में विचार करने का ठेका केवल कांग्रेस पार्टी को है, यह स्थिति सही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार की चर्चा हुई और चर्चा में पहाड़िया जी के बारे में, तो कह सकता हूं कि उन्होंने राजनैतिक स्कोर कर लिया। चार वर्ष के बाद बोले, लेकिन चार वर्ष के बाद बोलकर दो बातें ऐसी कह गये कि जो दिल्ली से दूत आया था उसका नाम नहीं लेना है बहुत अच्छा किया। आप लोगों का प्रचार भी यही था कि हरिदेवजी जोशी को उस दूत का नाम नहीं लेना चाहिये और आपने ऊपर से कहा, कांग्रेस पार्टी में मतभेद नहीं है तो यह बात कहां से पैदा हुई, यह कहां से बात पैदा हुई......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : व्यक्तिगत राय है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्तिगत राय हो, चाहे पार्टी की राय हो, मुझे उसमें कोई विवाद में नहीं पड़ना। लेकिन यह बात सदन में साफ तौर से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उन्होंने दूसरी बात यह भी कह दी कि इस मेमोरेण्डम के संबंध में जब भी चर्चा होगी तो राजस्थान सरकार को बुलाया जायगा। मैं क्या इस सदन से जानकारी कर सकता हूं कि यदि चर्चा के सन्दर्भ में राजस्थान का कोई हित का प्रश्न पैदा नहीं होता तो राजस्थान को बुलाने की आवश्यकता क्या हुई ? इसका मतलब आपके दिमाग में सबके है कि इस समझौते के कारण से राजस्थान का अहित होगा लेकिन जब इसके क्रियान्विति का प्रश्न आयेगा तो भारत सरकार हमसे चर्चा करेगी। यही बात पहाड़िया जी ने कही और यही बात माथुर साहब ने कही...

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माफ करें, मैंने क्रियान्विति के लिये नहीं कहा, मैंने विस्तार की बात कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, कोई चिन्ता की बात नहीं। इस मेमोरेण्डम के संबंध में जब विस्तार से चर्चा होगी तो राजस्थान को बुलाया जायेगा। आपसे पूछना चाहता हूं जब राजस्थान के हितों के प्रतिकूल नहीं है तो क्यों बुलाया जायेगा राजस्थान को ? क्या विवाह होगा या जीमण का कार्यक्रम होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्ली, आधार पर जो कुछ माथुर साहब ने कहा जो कुछ पहाड़िया जी ने कहा, उस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अन्दर ही अन्दर सब लोगों के दिमाग में यह बात है कि इस समझौते में राजस्थान का अहित है लेकिन इसको कार्यरूप में जिस समय परिणत किया जायेगा तो उसकी मोडेलिटीज के ऊपर राजस्थान की सरकार से चर्चा की जायेगी। केवल क्वेश्चन मोडेलिटीज का है, सिद्धान्त तो तय हो गये, उन सिद्धान्तों को किस प्रकार से एक्शन में लाया जाय उस समय राजस्थान की सरकार से चर्चा की जायेगी। यह दूसरे काऊण्ट पर भी मैं कहता हूं कि सरकारी पक्ष ने इस बात को स्वीकार किया। और, अध्यक्ष महोदय, इस सारी कार्यवाही को आपने ध्यान से सुना हैं, कोई कांग्रेस के माननीय सदस्य में यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि 1955 का एग्रीमेंट नहीं खुलेगा, क्या आप 1955 का एग्रीमेन्ट नहीं खुलने की बात आज कह सकते हैं ? किसी ने भी नहीं कहा....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या नहीं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोल लेते न ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 25 को बोला हूं, 25 को बोला गया है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : सारे राजस्थान का ठेका आपका ही है—

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बोले माननीय शिवचरणजी माथुर, उन्होंने यह नहीं कहा कि 1955 का एग्रीमेंट नहीं खुलेगा, रिओपन नहीं होगा। उसके बाद श्रीमान् सी. पी. जोशी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

जी बोले। उन्होंने नहीं कहा कि 1955 का एग्रीमेंट रिग्रोपन नहीं होगा। और उसके बाद में जोशी जी बोले। उन्होंने भी नहीं कहा कि 1955 का एग्रीमेंट रिग्रोपन नहीं होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : भैरोंसिह जी साहब, 25 की प्रोसीडिंग्स भी देख लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं, देखिये, प्रोसीडिंग्स भी देखता हूं और आपको भी देखता हूं। मैं दोनों काम करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं भी आपको देखता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप देखते रहिये। मुझे आप देखते रहेंगे तो आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, इन चारों में कुछ नहीं। 1955 का एग्रीमेंट नहीं खुलेगा, रिग्रोपन नहीं होगा, रिकन्सीडरेशन इस पर नहीं होगा, इस सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रवक्ता कोई भी नहीं बोले और न उन्होंने यह कहा कि नहीं...

श्री. सी. पी. जोशी : कहा है नेगोशिएबल नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Totally incorrect.

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री शोपतसिंह : मुख्य मंत्री कह दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं भाटी साहब की बात को स्वीकार कर लेता हूं और मैं यह मान लूंगा कि यदि चीफ मिनिस्टर जो आपके मुख्य मंत्री हैं और जिनकी केबिनेट के आप सदस्य हैं वह मुख्य मंत्री यदि अब भी खड़े हो कर कह दें कि 1955 का एग्रीमेंट रिग्रोपन नहीं होगा। कह दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। कृपया जारी रखें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कभी तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात करते हैं --

श्री भैरोंसिह शेखावत : कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, आपके मुख्य मंत्री हैं। आप उनसे कहलवा दीजिये कि 1955 का एग्रीमेंट रिग्रोपन नहीं होगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, कृपया जारी रखें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं, भाटी साहब, आपकी बात राजस्थान के मुख्य मंत्री नहीं मानते हैं तो मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो ? मनाना तो उनको है आपको, आप उनसे मनवाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, वह ठीक है, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं....

श्री लक्ष्मणसिंह (चित्तौड़गढ़) : क्या नेता महोदय यह अनुभव नहीं करते कि इस

(श्री लक्ष्मणसिंह)

एग्रीमेंट में यह झलक प्रतिलक्षित नहीं होती कि स्टेट्स-को मेन्टेन किया जायेगा। मैं समझता हूं स्टेट्स को मेन्टेन किया जायेगा यह साईनेक्वानन हैं इस एग्रीमेंट में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, महारावल साहब बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े विद्वान, हैं, मैं चाहूंगा कि आपने जो बात कही हैं, उसका मुख्य मंत्री जी समर्थन कर दें।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी....

श्री हरिदेव जोशी : आप यह चाहते हैं कि आप और मैं क्वेश्चन आन्सर में पड़े। मैं रिफ्यूज करता हूं इसको। मैं चार दिन से बराबर देख रहा हूं आपको और इसलिए मैंने ना कह दिया कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो कमजोर होता है वो क्वेश्चन आन्सर को अवोइड करता है।

श्री हरिदेव जोशी : कमजोर का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने नरेन्द्र-सिंह जी भाटी की बात नहीं मानी, आपने महारावल साहब बुजुर्ग हैं उनकी बात नहीं मानी। मुझे अफसोस इसी बात का है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो अपनी बात मानता हूं, अपनी बात और इसमें महारावल साहब में, भाटी जी में, मेरे में, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूं कहीं यह नहीं है। मगर मैं आपकी टेक्टिस के अन्दर नहीं आना चाहता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई बात नहीं। आप मेरी टेक्टिस से कब तक बचेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कुछ भी नहीं पूछना चाहता। मैं माननीय नेता महोदय से यह सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज की बहस के दौरान आपको यह महसूस हुआ या नहीं कि एग्रीमेंट का मूल बेसिस जो है वह स्टेटस को मेन्टेट करके आगे बढ़ाना है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : महारावल साहब, मुझे महसूस हुआ या नहीं हुआ....

श्री लक्ष्मणसिंह : संभवत: संभवत, नेता महोदय, मेरा इण्टरप्रिटेशन ठीक नहीं भी हो, लेकिन मेरी यह भावना है, दृढ़ भावना है और यह भावना कांग्रेस पक्ष की दृढ़ भावना है। और यह प्रेस्टिज का इश्यू प्रधान मंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, यह भी मेरी भावना है अतएव मैं आपको पुरजोर शब्दों में विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करूंगा कि इस पक्ष की इस हद तक इस बात को मानने की कृपा करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी और सबकी भावना तो दृढ़ है और मान गये कि दृढ़ है भावनायें और मान लो पूरी आपकी न हो तो क्या जोर लगाओगे।

श्री हरिदेव जोशी : वह भी मैं कह चुका हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, बस, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता; नेता से

(श्री लक्ष्मणसिंह)

दर्य से विनम्रतापूर्वक यही निवेदन करूंगा कि फिर आपका जी चाहे जो कर लो। और सुनिये, अगर आवश्यकता होगी तो बहुत सारे कांग्रेस के आदमी भी आपके साथ सहानुभूति रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

वैद्य श्री भैरूलाल भारद्वाज : उस मामले में हम तैयार रहेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी उस मामले में तैयार है माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।-माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है, अध्यक्ष महोदय, इस सारी चर्चा का असर कांग्रेस पार्टी पर होने लगा है...

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं और बात पर टिप्पणी नहीं करता, मैं तो मैंने कहा, उसी को मानता हूं। यह तो आपने कहा ना। यह तो कह दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर. आर्डर प्लीज। आप सवाल जवाब देना पड़े।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जवाब सवाल नहीं कर रहा हूं। अब, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने क्या कहा है, मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा, वह मैं कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, कल के फैसले के बाबत में यहां काफी चिन्ता व्यक्त की गई और जो लैंग्वेज उसकी आई है उससे में भी उतना ही चिन्तित और पीड़ित हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने पहले भी कहा कि 24 को जो मैंने फील किया मैंने अभी कहा है, थोड़ी देर पहिले, 24 को जो फील किया मैंने यह कह दिया, अब 25 को मैंने कह दिया। और आपने कहा था कि तुम राजीव गांधी से जाकर मिलो, मैं मिला और उनसे मिलने के बाद में कंन्विन्स्ड हूं कि राजस्थान के हित उनके हाथ में सुरक्षित हैं। यह भी मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। इसका मतलब है, अध्यक्ष महोदय ...

श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मंत्री महोदय और विरोधी पक्ष के नेता महोदय के बयान में कोई अन्तर नहीं है। यह तो बिल्कुल यह हो गया कि एक अपनी मां कहे और दूसरा अपनी मां को अपने बाप की बहू कहे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : हो गया भाषण। हो गया-भाषण।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं, मैं भी यही चाहता हूं कि जो मैंने कहा है उसमें और मुख्य मंत्री जी की बात में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । मैंने अपने ढंग से कहा....

श्री लक्ष्मण सिंह : इसका स्वागत है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस यही चाहता हूं मैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो आपने 25 तारीख को पीड़ा व्यक्त की और जो चिन्ता व्यक्त की, अब आप पीड़ित नहीं हैं, अब आप पीड़ित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें कृपया । आप बैठें कृपया ।

श्रीमती कमला : मैं विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने इतने प्रश्न पूछे, उनके संदर्भ में एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूं । यह तमाम बातों के बीच में भारत सरकार ने या प्रधान मंत्री जी ने 1955 के समझौते को खोले जाने के लिये या उसे किसी ट्रिब्यूनल को दिये जाने के लिये या उसे किसी तरह से छेड़े जाने का कहीं संदर्भ दिया है क्या जिससे आप इतने परेशान हो रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर, आर्डर प्लीज । सवाल जवाब में न पड़ें । आप अपनी बात कहें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसा है कि सारी रात रामायण सुनाई और उसके बाद में कोई पूछे कि सीता का हसबैन्ड कौन था और राम की पत्नी कौन थी ?

(व्यवधान)

दो दिन से हम कह कह क्या रहे थे । दो दिन से हम कह क्या रहे हैं । आप उसको अब तक समझ नहीं पाईं, यह मेरा दुर्भाग्य है ।

श्रीमती कमला : खूब समझ पा रही हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर । आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने फिर, उनके और मेरे बीच में लगभग तीन साढ़े तीन घण्टे तक चर्चा हुई । उस चर्चा के अन्दर मैंने बहुत स्पष्ट रूप से जो मसविदा यहां पर आया था उसको अस्वीकार कर दिया और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं इससे सहमत नहीं हूं । मुख्य मंत्रीजी या तो आप अपने शब्दों को वापस लें ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया है, मैं कन्विन्स्ड हूं उसके बाद में

(श्री हरिदेव जोशी)

जो चैन्जेज किये गये हैं, जो पृष्ठ भूमि मुझे दी गई है, जिस प्रकार से है, इसलिये मैं कन्विन्स्ड हूं। उसमें कोई चैन्ज की जरूरत नहीं है। मेरी बात को कहने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि 25 तारीख को जो कुछ आपने इस सदन में कहा, 24 को नहीं 25 को जो कुछ आपने सदन में कहा, वह सही नहीं था।

श्री अध्यक्ष : आप इन्टरप्रिटेशन ले लीजिये। सवाल क्या पूछ रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप इन्टरप्रिटेशन अपना कर लीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनके पास जवाब देने के लिये कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर।

एक माननीय सदस्य : आप उधर कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी अब यह कह रहे हैं कि जो मैंने कहा वह सही नहीं था और इस परिप्रेक्ष में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : हद हो गयी। हद हो गयी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि मैं कन्विन्स हो गया हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिदेव जोशी : इतना हलाहल, ऐसा नहीं कहें, अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : कुछ दम नहीं, कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से पूछ लीजिये कि वे बोलने में विघ्न डालने में ही अपनी बहादुरी समझते हों।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप जारी रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो मैं उसके लिये भी तैयार हूं और मेरी पार्टी भी तैयार है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया आप जारी रखें। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान विधान सभा को धोखा दिया।

एक माननीय सदस्य : नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कहते हैं कि मैं दिल्ली जाकर कन्विन्स हो गया। क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री में इतनी बुद्धि है कि पहले दिन जो कह दें, दूसरे दिन उससे बदल जाये ? मैं समझता हूं हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक कोई ऐसा मुख्य मंत्री नहीं आया होगा जो सदन में कुछ कहे और दूसरे दिन आकर सदन में कुछ कहे और पहले वाली बात को ताईद नहीं करे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा है मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि केवल इतनी ही बात नहीं कही, मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्री पर भी आरोप लगाया वह आरोप किस रूप में लगाया वह आपको जानकर आश्चर्य होगा।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप सुनिये, जो टेलीग्राम दिया या टैलेक्स दिया ..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक ही बात को बार बार कह रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : हजार बार कहेंगे, जब तक सही जवाब नहीं आयेगा तब तक कहेंगे। शांति से बैठिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं टैलेक्स की लैंग्वेज इस सदन में पढ़कर सुनाना चाहूंगा। लैंग्वेज है : 'Insistence of inclusion of Rajasthan seems to be design by the parties concerned." What is party ? Parties and Rajiv Gandhi.

आप बताइये क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि यह सही बात है इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। अब, अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित है कि मुख्य मंत्रीजी ने जो भाषण दिया है, इस सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि चौपड़ पर जाकर-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बोलते तो अच्छा भाषण देते। यह कोई मुख्य मंत्री का भाषण है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो मुख्य मंत्री यह नहीं कह सकते, कहा कि 1955 का एग्रीमेंट नहीं खुलेगा, वह मुख्य मंत्री दबे स्वर में इस बात को स्वीकार करते हैं कि 1955 का एग्रीमेंट खुलेगा। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष की बात कही जाय, यह सब दल है जिन दलों ने एक बार नहीं कई बार भारत सरकार से निवेदन किया है कि अकाली समस्या का राजनैतिक आधार पर समाधान किया जाय। हमारे सामने प्रश्न खड़ा किया गया कि जो आनन्दपुर साहब का प्रस्ताव है यह प्रस्ताव या तो पहले एक्सेप्ट हो या इस प्रस्ताव के विरोध में हो।

हमने उस समय भी कहा था कि हम राष्ट्र के हितों के विपरीत, चाहे आनन्दपुर साहब का प्रस्ताव हो, चाहे और कोई प्रस्ताव हो न खालिस्तान की बात को स्वीकार करते हैं, न अलग किस्म का राज्य हो, इस बात को स्वीकार करते हैं। न इस बात को स्वीकार करते हैं कि सारे सिख अकाली दल के मूवमेन्ट के साथ हैं या सारे सिख टेरेरिस्ट के साथ हैं। हमने उस समय भी कहा, उस समय भारत सरकार ने इस आनन्दपुर साहब की आड़ में चुनाव लड़ने की भी ठानी, चुनाव भी लड़ लिया और चुनाव के बाद में फिर विरोधी दलों के सामने प्रश्न उपस्थित किया कि आप आनन्दपुर साहब प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं? आज हमको आप दोष दे रहे हैं। अगर यही समझौता, जो आपने परसों 24 तारीख को किया है, यही समझौता आज के तीन वर्ष पहले कर लेते तो न ब्ल्यू ऑपरेशन करने की स्वर्ण मन्दिर में आवश्यकता होती न हजारों गरीब आदमी मारे जाते, न फौजों को वहां भेजना पड़ता, और न ही इन्दिरा गांधी की हत्या होती। मैं ऐसा समझता हूं कि उस समय समझौता नहीं करके आज उन्हीं लाइन्स के ऊपर जो अकाली दल चाहता था उस पर समझौता किया है। कोई उसमें अन्तर नहीं। अध्यक्ष महोदय, 1983 का व्हाइट पेपर उठाकर देख लें उस व्हाइट पेपर में साफ-साफ लिखा है कि पंजाब में अकाली दल ने 1955 को रि-ओपन करने की बात कही। हमने इसको स्वीकार नहीं किया। उस व्हाइट पेपर में साफ लिखा है कि हम आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। उसमें साफ लिखा है कि गुरूद्वारा कानून में हम कोई संशोधन नहीं करना चाहते जिससे सारे गुरूद्वारों पर अकालियों का प्रभुत्व जम जाये। उन्होंने इस बात को साफ कहा उस समय भी कि नदी-पानी या सीमा सम्बन्ध में जो विवाद होंगे उन विवादों को हम कमीशन को देने को तैयार हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, तीन वर्ष में सारे देश की बर्बादी कराने के बाद राजीव गांधी ने कौन सा नया शगूफा पैदा कर दिया जिसकी आप वाह-वाही कर रहे हैं। हालत तो वही की वही है जो 1983 में थे जो 1982 में थे और आज 1985 में हैं। सब वाहवाही में लगे हुए हैं। इस वाहवाही में मुझे एक खतरा है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हितों के ऊपर निश्चित रूप से कुठाराघात होगा। आज शिवचरण जी माथुर ने कहा, पहाड़िया जी ने कहा, दोनों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि इसमें कोई न कोई गड़बड़ है, लेकिन उस समय हमारे से सलाह

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

ली जायेगी. उस सलाह के समय हम अपनी ताकत बतायेंगे । जो ताकत एक दिन के अन्दर मुकर सकते हैं. जो 25 तारीख को ताकत दिखाई वह 26 तारीख को गायब हो चुकी है. और 26 तारीख को जो कुछ कहा वह 27 तारीख को बदल सकते हैं, उस सरकार का किस सीमा तक भरोसा किया जाए, यह मुझे तो नहीं लगता । अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि हमने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, मैं बाकी के मुख्य मंत्री की बातों का और जवाब नहीं देना चाहता, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुख्य मन्त्री का इस अविश्वास प्रस्ताव पर और ऐसे गम्भीर मसले पर जिस प्रकार का हल्का भाषण हुआ इस विधान सभा के इतिहास में किसी भी मुख्य मन्त्री का नहीं हुआ ...

अनेक माननीय सदस्य : शेम शेम ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा उस बात का जवाब नहीं देना चाहता, कहीं राजनीति लेकर आ गये, कहीं और बातें लेकर आ गये । आप कह रहे हैं, 17 हजार आदमियों को आर. एस. ई. बी. में नियुक्त किया, लेकिन, मुख्य मन्त्रीजी, आपको ध्यान होगा कि ढाई वर्ष में हमने हिन्दुस्तान में एक कीर्तिमान कायम किया, 87 हजार कुओं को बिजली दी, 87 हजार कुओं पर बिजली के कनेक्शन दिये और साढ़े 6 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई । आप में यदि दम हो तो पांच वर्ष तक न तो माथुर साहब बोले न पहाड़ियाजी बोले, आप आज 17 हजार की बात करने लग गये तो किस ने आपका हाथ पकड़ा है, 17 हजार के खिलाफ आप किसी प्रकार का एक्शन लेते । वह तो आप में हिम्मत नहीं है और अफसरों ने पकड़ा दिया 17 हजार का । एम्पलायमेंट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, यह श्रीमती कमलाजी बैठी हैं, इन्होंने इसी सदन में जनता पार्टी के शासन की एम्पलायमेंट एक्सचेंज के आधार पर बुराई की और दूसरी तरफ शिवचरणजी माथुर बैठे हैं जिन्होंने इसी रामलीला मैदान में जो नई घोषणाएं की थीं अध्यापकों की और कम्पाउण्डरों की भर्ती के लिये, उस घोषणा में यह कहां था कि अब एम्पलायमेंट एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं होगी । आप अपने किये को तो भूल जाओ और दूसरे ने अच्छी नीयत से जो काम किया है उसकी आम चर्चा करना आरम्भ कर दो, दोनों बातें नहीं चल सकतीं ।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, जिस कारण से हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा वह कारण स्पष्ट हो गया. राजस्थान की सरकार के सामने राजस्थान के हित महत्वपूर्ण नहीं है. राजस्थान की सरकार के सामने महत्वपूर्ण केवल अपना एक्जिस्टेंस है । राजस्थान चाहे डूबे, चाहे राजस्थान रहे, राजस्थान का पानी चला जाये, कोई चिन्ता की बात नहीं, बिजली चली जाए कोई चिन्ता की बात नहीं, कुर्सी नहीं चली जाए केवल एक मात्र चिन्ता कांग्रेस पार्टी को रही है ।

अनेक माननीय सदस्य : शेम शेम ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस चिन्ता के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, कोई भी राजस्थान का हित चिन्तक, इधर बैठे हैं और उधर बैठे हैं, यह सोच समझ कर जायें कि आप भी गांवों में वायदे करके आये हैं कि बिजली पहुंचेगी, यह सरकार बिजली नहीं पहुंचा सकती ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या बैठें।

श्रीमती इकबाल कौर : आपने तो सारे गांवों में बिजली पहुंचा दी थी ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, आप बैठें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है या तो उनको आप अपने पास बिठा लें या जोशी जी के पास बैठा दें....

श्री अध्यक्ष : आपके ज्यादा नजदीक हैं आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्या।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन से, मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि अविश्वास का प्रस्ताव कोई आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बनाने के लिए नहीं है, मैंने पहले भी यह स्पष्ट किया था कि औपचारिकता निभाने के लिए हमने यह प्रस्ताव पारित नहीं किया है। मैंने यह भी निवेदन किया था कि इस प्रस्ताव के साथ हमारी भावनायें जुड़ी हुई हैं, पूरे राजस्थान के विकास की श्रृंखला उसके साथ जुड़ी हुई है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे खेद हुआ, जब माननीय शिवचरण जी माथुर, वह तो इसी बात को अपना केपिटल बनाने लगे कि अखबारों में हमने यह कहा था हम जब तक विधान सभा चलती रहेगी तब तक धरना देंगे। हम आज सुबह तक धरने कर बैठें, हम आगे भी केवल धरने से ही संतोष नहीं करेंगे, आगे भी चलेंगे, राष्ट्रपति से हम मिलने जा रहे हैं, राष्ट्रपति हमारी बात पर क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, उस आधार के बाद हम तय करेंगे कि राजस्थान में इस सारे मसले को किस प्रकार से जनता में रखा जाये। केवल आप यह चाहें कि हम यहीं बैठे रहें, केवल यही बैठे रहें यहां से हिलें ही नहीं और आप समझौते का पालन करवा दें, यह मौका हम नहीं देने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा गंभीर मसला है कि इस गंभीर मसले पर आप दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठे तो राजस्थान की पीढ़ियां आपको कोसेंगी, राजस्थान की विकास की गंगा अवरुद्ध हो जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जो हमने प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का समर्थन किया जाये। यह प्रस्ताव का समर्थन होगा, यह इस बात का समर्थन होगा कि राजस्थान की विधान सभा 1955 का एग्रीमेंट खोला जाये इसके पक्ष में नहीं है। यह समर्थन इस बात का होगा कि राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का जो हिस्सा है उसमें से एक इंच पानी भी कम नहीं होगा, यह इन दो बातों का मुख्य रूप से समर्थन करना चाहेंगे। मेरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी में मंत्रिमण्डल के सदस्यों को छोड़ कर कोई सदस्य ऐसा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं होगा और खास तौर से महारावल साहब तो बिलकुल ऐसे नहीं होंगे जो ...

श्री लक्ष्मणसिंह : यह समझौता, आप समझौता समझौता करते हैं, मैं इसको समझौता नहीं कहता। मैं इसको रिकंसिलियेशन कहता हूं। और एक स्थिति आती है समाज में जब आप दबाना चाहे लोगों को, लोग नहीं दबेंगे और लोग नहीं दबते हैं तो रिकंसिलियेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। वह रिकंसिलियेशन की स्थिति जब उत्पन्न हुई है तो प्रधान मन्त्री के निर्णय को सराहे बिना मैं नहीं रह सकता आप भी इसकी सराहना ....

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल : लेकिन, महारावल साहब, अगर राजस्थान की रक्षा नहीं करोगे तो ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

माननीय श्री चुन्नीलाल जी कृपया बैठें।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य, मेरी बात तो कृपया सुनें। मैं इस समझौते को रिकंसिलियेशन मानता हूं और रिकंसिलएशन अगर देर से हुआ, देर आयद. दुरुस्त आयद, आप इसकी सराहना करेंगे तो मेरे ख्याल में आप राजस्थान की जनता के अन्दर एक उच्च कोटि का स्थान प्राप्त करेंगे, आपकी लोकप्रियता के अन्दर कोई ठेस नहीं आयेगी और कांग्रेस की बात है वह सतह आने रह जायेगी, और प्रधान-मन्त्री की बात भी रह जायेगी और आपकी बात भी रह जायेगी।

एक माननीय सदस्य : नहीं रहेगी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि पिछले तीन वर्ष से महारावल साहब को प्रधान मंत्री की बात अच्छी लगने लगी है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मणसिंह : जो अच्छी बात है, अच्छी कहूंगा, कम अच्छी होगी उसको कम अच्छी कहूंगा। और रद्दी होगी उसको रद्दी जरूर कहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आज तक इसी सदन में महारावल साहब के मैंने भाषण सुने हैं। कांग्रेस पार्टी की अच्छी चीज भी उनको बुरी लगती थी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह महारावल साहब के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : नेता महोदय मेरे प्रति अन्याय कर रहे हैं। मैंने अच्छी बात की अच्छी बात कही है और फिर भी कहूंगा और कांग्रेस में बहुत सारी अच्छी बातें थीं उनकी सराहना भी की। बहुत सारी बुरी बातें थीं उनकी कठोर आलोचना की।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय तो महारावल साहब को कांग्रेस में आपा-धापी ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया बैठे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नजर नहीं आता था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रासिंह : केवल आपाधापी, अधिनायकवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नजर नहीं आता था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठें कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान की जनता के हित में है। राजस्थान की जनता का हित इसमें निहित है। राजस्थान को मिलने वाला पानी सुरक्षित रहे, केवल प्रधान मंत्री के शब्दों में नहीं। प्रधान मंत्री कहते है, मैंने सारे समाचार पत्र देखे हैं, यह हित सुरक्षित करने की बात प्रधान मंत्री ने कभी नहीं कही केवल इतना सा कहा है कि क्रियान्वयन करते समय हरियाणा व राजस्थान के हितों का ध्यान रखेंगे। कहीं सुरक्षित की बात नहीं की। ऐसी स्थिति में जो कुछ विपक्ष की ओर से यह अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव का समर्थन करें और समर्थन करके राजस्थान के हितों को सुरक्षित बनाये रखें। राजस्थान के हित किसी विवाद का कारण नहीं बनें, इस सम्बन्ध के अन्दर प्रस्ताव पास करके जो विवाद का विषय बनाना चाहते हैं उनके हाथ बांध दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री नाथूराम मिर्धा, प्रोफेसर केदार, श्री शोपतसिंह ने जो प्रस्ताव मंत्री परिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करने का रखा है उसे स्वीकार किया जाये?

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता....

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं एक बार पुकार लेता हूं। आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री नाथूराम मिर्धा, श्री प्रोफेसर केदार व श्री शोपतसिंह ने मन्त्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करने हेतु रखा है उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय हमने एक अविश्वास का प्रस्ताव रखा था, इस सद्भावना के साथ रखा था कि सदन हमारी भावनाओं को स्वीकार कर इस प्रस्ताव में ऐसा निर्णय लेगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा निर्णय लेगा जिसके कारण से राजस्थान के हित सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहेंगे । मुझे खेद है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुमत के सहारे राजस्थान के हितों पर भारी कुठाराघात पहुंचाया है । इसलिये हमने यह निर्णय लिया है कि ऐसी विधान सभा का जब तक यह सत्र चले उसका बायकाट कर दिया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम लोगों का प्रस्ताव को लाने में विचार था, हम इस मामले में बहुत क्लियर थे और समझ रहे थे कि बहुमत आपके पास में है और प्रस्ताव हम हार जायेंगे । यह हमको अच्छी तरह से मालूम था और यह भी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस सरकार को बने हुए अभी सिर्फ चार पांच महीने का समय हुआ है इसलिये इस सरकार से हम बहुत लम्बी चौड़ी दूसरी कई चीजों की जो अपेक्षायें करते थे वह अपेक्षाओं की तुरन्त पूर्ति भी हम नहीं सोचते थे कि हो जायेगी इस सरकार के जरिये से । बहुत पाइन्टेड मुद्दे पर और बहुत ही बातचीत करने के बाद क्योंकि राजस्थान के इस नदी जल विवाद से जो उसके दूरदर्शी परिणाम होने की जो आशंका है और उस आशंका का निवारणीकरण हम आपसे करवाना चाहते थे, और आपने जिस तरीके से समय समय पर इसमें जो परिवर्तन की स्थिति दिखाई, उससे हमको बहुत दुःख है, और प्रस्ताव में जैसा मैंने कहा कि हम वोट करवाने के पक्ष में थे नहीं इसलिए हमने इस पक्ष का निर्णय ले लिया प्रस्ताव के ऊपर जो माननीय विपक्ष के नेता ने अन्त में फैसला किया है यही हमारे लिए रास्ता बचा है । अब आप अपनी जो कार्यवाही करना चाहें वह कीजिये । हम बाहर जाना चाहेंगे सदन के, सदन के बाहर बहिर्गमन करेंगे ।

श्री कल्याणसिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, यह जो हमने अविश्वास का प्रस्ताव विपक्ष की ओर से प्रस्तुत किया था, यह हम स्पष्ट जानते थे कि कांग्रेस का बहुमत है, हमारा बहुमत नहीं है किन्तु पिछले दिनों के अन्दर जब चुनाव हो रहे थे उस समय राजस्थान की जनता ने अपनी बहुत सी आशायें जगाई थीं, अपने अरमान संजोये थे और इस बजट सत्र के बाद में राजास्थान की जनता के जो अरमान जगे थे जो उन्होंने संजोयी थीं उनके ऊपर करीब करीब पानी फिरता जा रहा है । इस राजस्थान के अन्दर 100 में से 80–82 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, जिनकी आजीविका का धंधा मुख्य रूप से खेती है । उस खेती को लाभप्रद कैसे बनाया जायेगा, उस खेती में तो मुख्य जरूरत इस बात की है बिजली की उस बिजली को सस्ती और पर्याप्त बिजली कैसे दी जायेगी, इसको हमारे यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है । उसके साथ ही साथ उस खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जहां पानी की जरूरत होती है, वहां पानी का जो हमारा अधिकार था उस अधिकार को भी पंजाब के हित में बेच दिया गया, यह हमारे

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

लिए सबसे बड़े दुःख की बात थी और हम चाहते थे कि उस पानी के हक के आधार पर हमारा जो 55 के अन्दर समझौता हुआ था उस समझौते को अक्षुण्ण रखा जाये और उसको अक्षुण्ण रखने के अन्दर आज हमारी जो सरकार है वह स्पष्ट रूप से राजस्थान की सरकार उसमें घोषणा करने से हिचकिचा रही है इसलिये हमको स्पष्ट सन्देह हो रहा है कि यह राजस्थान के हितों को किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, उनकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में सदन की जो आगे कार्यवाही चल रही है उस सारी कार्यवाही का हमारा दल विपक्ष के साथ ही उस सारी कार्यवाही का बायकाट करता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ..

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते थे कि सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार करें, इस बात को कहें कि 55 के समझौते को, 55 के एग्रीमेन्ट को तोड़ा नहीं जायेगा, उसको नहीं टच किया जायेगा, मगर इनका मुकरना इस बात को साफ जाहिर करता है कि देश के राजस्थान का, जो राजस्थान कैनाल का पानी है वह निश्चित रूप से जिस तरह से इससे पहले पंजाब यूज कर रहा था अब और ज्यादा हौंसले से वह उसको यूज करेगा और राजस्थान कैनाल के बहुत बड़े भू-भाग को, किसानों को उजाड़ेगा। आप लोग इस सदन के अन्दर, हम चाहते थे, उसकी भावना को हमारी तरह समझो। अब तो मैदाने जंग में होंगे आप और हम। उसके बाद जब हम मिलेंगे, और यह मैं चेतावनी देना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी आपको जनता के सामने यह कहना पड़ेगा। सदन में आप छुपा सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, शायद आपको धमका दिया गया। आपको कहीं से टेलीफोन आ गया हो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री शोपतसिंह : राजीव गांधी और आप दोनों को इस बात को कहना पड़ेगा जनता की अदालत में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री शोपतसिंह : कि 55 के समझौते को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और यह जनता कहलवायेगी। हमने देखा है बहुत दफा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त हो और तीनों विधेयक पारित हों तब तक के लिये बढ़ाया जाये।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से आज की कार्य सूची का काम पूरा होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्य द्वारा विधान सभा सत्र का बहिष्कार)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को लेकर के...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके सत्ता पक्ष के लोगों ने इस तरह की बकवास की है मैं समझती हूं राण्ड निपूती शब्दों को निकाला जाये। यह सदन की मर्यादा नहीं है। साथ ही

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री हरिकुमार औदिच्य राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा संस्थान के आर्थिक हितों की अनदेखी कर प्रबन्धक एवं अधिकारियों के स्वयं के लाभ के लिये ब्ल्यू पोट्री की भट्टी एवं ब्लाक प्रिंटिग शेड के निर्माण हेतु अधिक राशि का भुगतान कर घोटाला करने से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी, श्री मानिकचन्द सुराना, श्री हंसराज मिढ़ा, प्रो केदार नाथ, राज्य सेवा में रहते हुए कतिपय राज्य कर्मचारियों द्वारा जुलूस निकालने एवं प्रदर्शन कर सेवा नियमों का उल्लंघन करने में उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे?

(अनुपस्थिति)

श्री हरिकुमार औदिच्य, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री दाऊदयाल जोशी श्री हरलालसिंह श्री, रमजान खां श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्रीमती वसुधराराजे, श्री शिवचरण सिंह, श्री मांगीलाल मेघवाल, श्री नवनीतलाल निनामा, श्री रघुवर दयाल, श्री ग्यारसीलाल, श्री सी. पी. जोशी, श्री मानिक चंद सुराना जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(अनुपस्थित)

सुश्री गिरिजा व्यास, सदस्या, विधान सभा लोक कला मण्डल उदयपुर में व्याप्त अव्यवस्था एवं कलाकारों को समय पर वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर कला एवं संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

कई माननीय सदस्य : नहीं करेंगी।

श्री अध्यक्ष : Let her say.

(विराम)

शासकीय वक्तव्य
भरतपुर सिमको वैगन फैक्ट्री के मजदूरों की छंटनी

भरतपुर सिमको वैगन फैक्ट्री के मजदूरों की छंटनी के संबंध में वक्तव्य।

वक्तव्य आपको देना है संक्षेप में कह दो, दो बात।

श्रीमती कमला (श्रम मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि भरतपुर सिमको वैगन फैक्ट्री को वैगन का आर्डर कम मिलने से कुछ मजदूरों की छंटनी के कारण से यह रखा गया है। कोई छटनी नहीं हो रही है और न कोई ले आफ हो रहा है बल्कि श्रमिक संगठनों ने मालिकों के साथ और समझौता अधिकारी के साथ बैठकर यह तय कर लिया है कि हम बीच के एक दो महीने, जो संकटकाल है, में इसको बारी बारी सवैतनिक छुट्टी लेकर इस फैक्ट्री को चलाने का काम करते रहेंगे। मैंने स्वयं रेलवे मंत्री जी से बात की है। सुबह उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है क्योंकि 85-86 के बजट में जहां 12500 पिछले साल वैगन की व्यवस्था थी इस साल 5600 वैगन होने से सभी को अनुपात में उतना कम दिया गया लेकिन अगस्त के महीने में यह कोटा वापस बढ़ायेंगे उस वक्त भरतपुर सिमको वैगन फैक्ट्री को भी और आर्डर दे दिये जायेंगे जिससे मजदूरों के सामने जो समस्या है वह उपस्थित नहीं होगी।

आधे घण्टे की चर्चा
फर्जी पट्टों के प्रकरण में कार्यवाही
(प्रश्न संख्या 60)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य विधान सभा फर्जी पट्टों के प्रकरणों में कार्यवाही विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 60 (31 राम मं.) के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य विधान विधान सभा, चर्चा में लेने की।

(अनुपस्थित)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार एवं उसका पारण
राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

श्री नाथूसिंह, श्री घनश्याम तिवाड़ी, डा. उजला अरोड़ा, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री भंवरलाल शर्मा सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 मई, 1985 को प्रख्यापित राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1985) को अस्वीकार करता है।

(अनुपस्थित)

श्री हरिदेव जोशी, प्रभारी मंत्री।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान

(श्रीमती कमला)

आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक, 1985 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री नाथूसिंह, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री भंवर लाल शर्मा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे —

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 8 मई, 1985 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1985) को अस्वीकार करता है।

(अनुपस्थित)

श्री शीशराम ओला (मंत्री, एकीकृत ग्रामीण विकास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां-निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां-निराकरण) (संशोधन), 1985 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां-निराकरण) (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि प्रचालन (कठिनाइयां-निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण संशोधन विधेयक, 1985

श्री नाथूसिंह, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री दिग्विजय सिंह, श्री भंवरलाल शर्मा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे —

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 मई, 1985 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1985) को अस्वीकार करता है।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान कृषि व जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1985 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1985 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

प्रस्ताव

सदन की बैठक का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आज मेरी सरकार से बात हुई उसके अनुसार सभी महत्वपूर्ण टापिक्स के ऊपर, इम्पार्टेंट बिजनेस के ऊपर विचार हो चुका है और कोई आवश्यक विषय इम्पार्टेन्ट बिजनेस बाकी नहीं है अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 6.48 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 117 से सम्बन्धित सूचना)

Measurement of Top width and depth of I. C. N. P. between R. D. 961 and R. D. 1254

S.No.	Bridge at R.D.	Designed top width of canal	Actual measured top width of canal	Designed depth incl. free board	Actual measured depth incl- Free board	Remarks
1	2	3	4	5	6	—
1.	980	130'6"	130'5½"	20'6"	20'8½"	
2.	1000	130'6"	129'8½"	20'6"	20'5"	
3.	1020.300	130'6"	129'10½"	20'6"	19'9½"	
4.	1041.350	130'6"	130'11½	20'6"	19'11½"	
5.	1058	130'6"	130'2½"	20'6"	25'9"	
6	1059	130'6"	130'1"	20'6"	20'5"	

1	2	3	4	5	6
7.	1095	130'6"	129'9$\frac{1}{2}$"	20'6"	20'4$\frac{1}{2}$"
8.	1140	128'3"	128'4$\frac{1}{2}$"	20"	19'10$\frac{1}{2}$"
9.	11.500	128'3"	127'9$\frac{1}{2}$"	20"	19'7"
10.	1168	128'3"	128'6$\frac{1}{2}$"	20"	20"
11.	1185	128'3"	127'1"	20"	19'$\frac{1}{2}$"
12.	1205	128'3"	127'10$\frac{1}{2}$"	20"	19'10"
13.	1223	128'3"	128'4$\frac{1}{2}$"	20"	20'2"
14.	1243	128'3"	128'4$\frac{1}{2}$"	20"	20'4"

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 364 की सूचियां)

सूचि "क"

विगत 5 वर्षों में सन् 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा ट्रेप केस वर्षवार एवं जिलेवार अपराधी की सूची।

क्र.सं.	अपराध संख्या	विरुद्ध
1	2	3
जिला—अजमेर		
1.	1/80	श्रीकंवर बहादुर सक्सेना विकास अधिकारी अजमेर।
जिला बाड़मेर		
2.	3/80	श्री मोहन लाल आसदेव इन्चार्ज. एम. एल. सी. राजकीय अस्पताल बाड़मेर व श्री विष्णु दत्त उपनिरीक्षक आई. बी. बाड़मेर
3.	8/80	श्री रतनलाल गोयल जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर।
जिला जयपुर		
4.	6/80	श्री रामाराव उपनिरीक्षक पुलिस, थाना मोती डूंगरी, जयपुर
5.	15/80	" दल्लाराम पुत्र श्री तेजाराम।
6.	48/80	" छीतर खां मुख्य आरक्षक पुलिस चौकी माधोपुर, थाना फागी, जयपुर।
जिला झालावाड़		
7.	9/80	श्री शुभकरण सिंह, एस. एच. ओ. झालावाड़ पाटन, जिला झालावाड़।
जिला कोटा		
8.	16/80	श्री अब्दुल गफूर ए. एस. आई., थाना नयापुरा, जिला कोटा।
9.	20/80	" भगवती प्रसाद पटवारी हल्का तालाब, थाना सांथोली, कोटा।
10.	39/80	" रघुनाथ सिंह एस. एच. ओ. कैथून, जिला कोटा।
11.	50/80	" गोपाल लाल शर्मा ए. सी. टी. ओ. कोटा।
12.	61/80	" कृपाल पुत्र चैलाराम व श्री सुन्दर सिंधी, भीमगंज मण्डी कोटा।
13.	62/80	" छोटे खां सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, थाना उद्योग नगर कोटा।

1	2	3

जिला जालौर

14. 17/80 श्री प्रमोद कुमार क. अभि. जंगलात ओफिस, जालौर।

जिला गंगानगर

15. 21/80 " रामजीलाल पटवारी, उपनिवेशन, विजयनगर, जि. श्रीगंगानगर।
16. 33/80 " शंकरलाल एकाउन्टेन्ट तह. रेवेन्यू, गंगानगर।
17. 35/80 " मदनसिंह, रजिस्ट्री क्लर्क तह. नोहर, हनुमानगढ़, गंगानगर।
18. 52/80 " भागीरथमल आडिट निरीक्षक, सहकारी समितियां, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
19. 65/80 " पतराम पटवारी हल्का बगीचा ए. तह. रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर।
20. 73/80 " कैलाशचन्द यातायात निरीक्षक व श्री गुरूवचनसिंह, यातायात एजेन्ट श्रीगंगानगर।

जिला चित्तौड़गढ़

21. 22/80 श्री जीवण सिंह पटवारी नदवई, तह० बेगू, जि० चित्तौड़गढ़

जिला अलवर

22. 24/80 श्री राधेश्याम शर्मा कनिष्ठ लेखाकार, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति खैरथल जिला-अलवर।
23. 27/80 " श्यामलाल शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता, आर.एस.ई.बी. अलवर।
24. 75/80 " सत्यनारायण गुप्ता, सुपरवाईजर, अलवर।

जिला उदयपुर

25. 28/80 श्री राजेन्द्र प्रसाद एकाउन्टेंट, पी.एच.ई.डी. उदयपुर

जिला टोंक।

26. 29/80 श्रीरामराय वर्मा गिरदावर, राजस्व विभाग, हल्का-देवली टोंक।
27. 71/80 " जगदीश नारायण गूजर, पटवरी हल्का-टोंक।

जिला नागौर

28. 34/80 " खुमा राम कनिष्ठ लिपिक संव रजिस्ट्रार, जायल, नागौर।

1	2	3
29.	44/80	श्री राधाकृष्ण पाठक साल्ट मैनेजर, डीडवाना, नागौर ।

जिला सीकर

30.	37/80	श्री रमेशचन्द्र गुप्ता एईएन, आर.एस.ई.बी. नीमकाथाना, जि० सीकर ।
31.	49/80	" मुरारीलाल मैनेजर, शेखावटी, ग्रामीण बैंक दांता, सीकर ।
32.	55/80	डा. एन.के. कट्टा सी.ए.एस.एस.के. अस्पताल, सीकर ।

जिला सवाई माधोपुर

33.	38/80	श्री परमानन्द मिश्रा निरीक्षक, भू-प्रबन्ध विभाग, बामनवास व " ओमप्रकाश गुप्ता, अमीन बन्दोबस्त विभाग बामनवास, सवाई माधोपुर ।
34.	40/80	" श्यामलाल निरीक्षक कोतवाली, सवाईमाधोपुर ।

जिला भरतपुर

35.	53/80	श्री एन.एस. गुप्ता, ए.सी.एम. धौलपुर व श्री मोतीराम चपरासी ।
36.	60/80	" भूरालाल रसद लिपिक, तह० नदवई जि० भरतपुर ।

जिला पाली

37.	58/80	श्री पारसमल सहा० रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां पाली ।
38.	72/80	" रत्येन्द्र सिंह सचिव, कृषि उपज मंडी, जैतारण, जि० पाली ।

जिला चित्तौडगढ़

1.	1/81	श्री जगदीशचन्द्र कनिष्ठ लिपिक नगर पालिका चित्तौडगढ़ ।
2.	53/81	" रामसिंह, ए. एस. आई., थाना भदेसर, जि. चित्तौडगढ़ ।

जिला भरतपुर

3.	3/81	श्री रामशरण सरपंच, ग्रा.पं. आजऊ, थाना कुम्हेर, जि. भरतपुर ।
4.	9/81	" गम्भीरसिंह, पटवारी हल्का नगला तह. बाडी, भरतपुर ।
5.	24/81	" सुरेश गर्ग, प्रा. स्वा. केन्द्र बसई, नबाब, जि. भरतपुर ।
6.	40/81	श्री नवलसिंह पटवारी तह. बाडी जि. भरतपुर ।

1	2	3

जिला झुन्झुनूं

7. 4/81 श्री जयचन्द सोनी, कनिष्ट लिपिक, परिवहन अधिकारी झुंझुनूं।

जिला कोटा

8. 5/81. श्री रामनारायण मेहर मीटर रीडर जलदाय विभाग, कोटा।
9. 18/81 " रामअवतार ए पी पी (11) जे. एम. कोर्ट बारां व श्री नवलसिंह क.लि., जे. एम. कोर्ट कोटा।
10. 45/81 " बाबूलाल गुप्ता, ए सी टी ओ, श्री ईश्वरसिंह खिची कोटा।
11. 51/81 " नूर अहमद ए.एस.आई. पुलिस कोतवाली, रामपुरा, कोटा।

जिला सीकर

12. 6/81 श्री मांगीलाल अमीन, सेटलमेंट विभाग, नवलगढ़, सीकर।
13. 7/81 " सोमेन्द्रकुमार प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमाधोपुर, जि. सीकर।
14. 37/81 " सत्यनारायण शर्मा अमीन, सेटलमेंट रींगस, जि. सीकर।
15. 39/81 " गोरीशंकर तहसीलदार, श्री वासुदेव पटवारी व श्री ओमप्रकाश चपरासी, तह. फतेहपुर, जि. सीकर।
16. 63/81 डा. मनसुखराम चौधरी, मेडीकल आफिसर, राज. अस्पताल कोछोर, सीकर।

जिला जयपुर।

17. 8/81 श्री मीठाराम मीना तहसीलदार, तह. फागी, जि. जयपुर।
18. 15/81 " भरतलाल ए.एस.आई. थाना–सोडाला, जयपुर।
19. 30/81 डा. एच. के. कुकरेजा, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।

जिला सवाई माधोपुर

20. 10/81 श्री गोविन्दलाल आबकारी निरीक्षक, श्री रामकल्याण आबकारी विभाग सवाई माधोपुर।

जिला बीकानेर

21. 12/81 श्री गिरधारीलाल पारीक निवासी बीकानेर।

जिला बून्दी

22. 13/81 श्री मूलचन्द्र वर्मा पटवारी केशोराय पाटन, जिला बूंदी।

1	2	3
23.	38/81	श्री नाथाराम शर्मा, हाल एडी एम, बूंदी ।
24.	55/81	" कल्याणसिंह एस.एच.ओ. बूंदी ।

जिला चूरू

25.	17/81	श्री अनवर हुसैन, उद्योग प्रसार अधिकारी चूरू ।

जिला अलवर

26.	19/81	श्री राजदेवप्रसाद, हाल अमीन, हल्का गुन्ती, तह. थाना बहरोड़, अलवर ।
27.	21/81	" बिरदीचंद्र जैन, डी.एस.ओ. अलवर ।
28.	36/81	" अतिबलसिंह पटवारी, हल्का लूंगा जिला अलवर ।
29.	47/81	" भोदूराम क. लि., तहसील कार्यालय रामगढ़, जि. अलवर ।
30.	49/81	" कर्मचंद पटवारी जठियाना, श्री नारायणलाल अलवर ।
31.	54/81	" लक्ष्मीनारायण यूडीसी व श्री कालूराम च. श्रे. क., न. पा. राजगढ़ अलवर ।
32.	56/81	" रामजीलाल पटवारी हल्का जैतपुर सिलीबावडी, तह. थाना गाजी जिला अलवर ।

जिला श्रीगंगानगर

33.	27/81	श्री उमाशंकर ओवरसियर आर. सी. पी., विजयनगर, श्रीगंगानगर ।
34.	29/81	" मुख्तयारसिंह व्यवस्थापक, 35 जी ग्रामसेवा सहकारी समिति पदमपुर जि. श्रीगंगानगर ।
35.	31/81	" जवाहरसिंह पटवारी तह. टी. वी., श्रीगंगानगर ।

जिला टोंक

36.	33/81	श्री रतनलाल बैरवा, क. लि., सैल्सटैक्स चुंगी नाका, देवली, जि. टोंक ।

जिला नागौर

37.	46/81	श्री मोहनलाल पटवारी, हल्का मंगलाना, जि. नागौर ।

जिला भीलवाड़ा

38.	50/81	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता. पटवारी ग्राम नाहरी, तह. रायपुर, जि. भीलवाड़ा ।
39.	52/81	" माणकचंद्र कटारिया, क. लि. पं.स. माण्डलगढ़, भीलवाड़ा ।

223

वर्ष 1982

1	2	3

जिला झालावाड़

1. 5/82 श्री भंवरलाल मीणा, सहायक प्रबन्धक, आर. एफ. सी. झालावाड़ ।

ज़िला बीकानेर

2. 6/82 श्री अमरसिंह पटवारी हल्का थेवडा, उपनिवेशन, जिला बीकानेर ।

जिला पाली

3. 16/82 श्री दयालसिंह कोठारी, जिला पर्यवेक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी पाली ।

जिला चित्तौड़गढ़

4. 17/82 श्री प्रकाश मनिहार, सहा. अभि. आर. एस. ई. वी. गंगरार, चित्तौड़गढ़ ।

जिला गंगानगर

5. 20/82 श्री अब्दुल अजीज, एस. एच. ओ. थाना मुक्लावा, तह. रायसिंहनगर श्री गंगानगर

6. 76/82 श्री फकीरमल व. लि. रा. न. प. सूरतगढ़, श्री गंगानगर ।

जिला नागौर

7. 21/82 श्री पी. जी. पी. नैय्यर व. लि., आर. एस. ई. वी, नागौर ।

8. 58/82 डा. अमृतलाल सोनी, इन्चार्ज मौलासर, पी. एच. सी., नागौर ।

जिला अलवर

9. 25/82 श्री सुरेन्द्र सिंह उद्योग प्रसार अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर ।

10. 49/82 " ताराचन्द जैन, पटवारी हल्का इन्द्रपुर, जि. अलवर ।

11. 69/82 " लालचन्द्र पटवारी हल्का ललावडी तह. रामगढ़, जिला. अलवर ।

12. 78/82 " लल्लूखां एस. एच. ओ. थाना किशनगढ़वास, जि. अलवर ।

1	2	3

13. 87/82 श्री बनवारी गुप्ता लेखकार, एवं श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता, क. लेखाकार, रा. रा. प. प. निगम, अलवर ।

जिला उदयपुर

14. 42/82 श्री नन्दलाल मैनारिया, पटवारी हल्का चारगडिया, तह. बल्लभनगर जिला उदयपुर ।

जिला सवाईमाधोपुर

15. 44/82 श्री रामस्वरूप पटवारी हल्का मलारना चौड, सवाईमाधोपुर ।
16. 51/82 " रेवडमल पटवारी, एवं श्री कमल किशोर जि. सवाई माधोपुर ।
17. 89/82 " चन्द्रशेखर ए. डी. एम. विकास परियोजना अभिकरण, सवाईमाधोपुर ।

जिला डूंगरपुर

18. 48/82 श्री हरीसिंह मोगरा, सी. एम. एच. ओ. परिवार कल्याण संस्थान, डूंगरपुर ।

जिला सीकर

19. 50/82 डा. आर. एस. सोनी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस. के. अस्पताल, सीकर ।

जिला जयपुर

20. 54/82 श्री प्रहलादचन्द्र शर्मा गिरदावर एवं श्री रामदयाल पटवारी हल्का थडी, त. जमवारामगढ़, जिला जयपुर ।
21. 64/82 " जगदीश चन्द्र गोयल वनपाल, सूरजपोल जिला जयपुर ।
22. 68/82 " मूलचन्द सैनी पटवारी, श्रीनारायण लाल गिरदावर, वृत–2 सिकन्दरा तह. सिंकराय, जिला जयपुर ।
23. 86/82 " सत्यनारायण शर्मा रिकार्ड कीपर न. प. जयपुर ।
24. 90/82 " भंवरलाल जैन, सरपंच, ग्रा. पं. लूनियावास, जिला जयपुर ।

जिला कोटा

25. 55/82 श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, ए. पी. पी. 11, जे. एम. कोर्ट नं 3 कोटा ।

1	2	3

26. 61/82 डा. ओमप्रकाश खण्डेलवाल, मेडिकल ऑफिसर पी. एच. सी. मोडक, कोटा।

27. 66/82 डा. जुगलकिशोर शर्मा मेडीकल ज्यूरिस्ट, महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा।

28. 73/82 " बांकेबिहारी लाल गुप्ता, बी. डी. ओ., प. स. इटावा, जि. कोटा।

29. 85/82 " जानकीलाल पटवारी हल्का छत्तरगढ़, तह. किशनगंज, कोटा।

जिला अजमेर

30. 85/82 श्री कैलाशचन्द्र केशियर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, किशनगढ अजमेर।

जिला चूरू

31. 75/82 श्री गिरधारी लाल व. लि. एवं अन्य, उपजिलाधीश, राजगढ़, चूरू

जिला टोंक

32. 77/82 श्री रामकरण एस. एच. ओ. थाना अलीगढ, व श्री कन्हैयालाल, जिला टोंक।

वर्ष 1983

जिला अजमेर

1. 3/83 श्री अब्दुल सत्तार पटवारी, पटवार मंडल नल, तह. किशनगढ, अजमेर
2. 11/83 " प्रदीपसिंह वन रक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी अजमेर

जिला जयपुर

3. 7/83 श्री ओमप्रकाश रीडर, कार्यालय एस. डी. एम., जयपुर नगर
4. 9/83 " रूपनारायण पटवारी हल्का बोराज, तह. दूदू, जयपुर
5. 14/83 " प्रमोदसिंह चौहान, रीडर कार्यालय राज्य सक्षम अधिकारी पुनर्वास विभाग, जयपुर
6. 15/83 " मोहनवीर क. लि. व बद्रीनारायण मीणा चपरासी, एम. एम. कोर्ट, सांभर, जिला जयपुर

1	2	3
7.	45/83	श्री भगवानसिंह ए. एस. आई थाना दौसा जि. जयपुर
8.	53/83	" चन्द्रपाल कोहली ए. एम. ई. व श्री मूलचन्द शर्मा टाइमकीपर रा. रा. प. प. निगम, जयपुर
9.	80/83	" जगदीश प्रसाद चौकरी, वनपाल, नाका विराटनगर, जयपुर
10.	82/83	" भगवान सहाय एस. आई. व श्री मोहनसिंह एच. सी. थाना बस्सी, जयपुर
11.	83/83	" सीताराम क. लि., राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

जिला अलवर

12. 10/83 श्री अमरसिंह मुख्य आरक्षक, व श्री राधेश्याम कनि. इन्चार्ज चौकी भीवाडी, थाना टपूकड़ा जिला अलवर

जिला झुन्झनू

13. 16/83 श्री गोकुल चन्द सैनी, पटवारी छापोली, जि. झुन्झनू

14. 50/83 " हरदयालसिंह चन्दी, सहा. अभि. आर. एस. ई. बी. मन्डावर जिला झुन्झनू

जिला कोटा

15. 20/83 श्री नन्दकिशोर एच. सी. न. 1607, ट्रैफिक पुलिस, कोटा

16. 62/83 " देशदीपक रस्तोगी, ए. एम. ई, राज. रोडवेज, कोटा

17. 68/83 " रामकल्याण एस. एच. ओ. थाना बुढादीत, जिला कोटा

जिला नागौर

18. 25/83 श्री धर्मवीरसिंह मैदा, विकास अधिकारी मकराना, जि. नागौर

19. 73/83 " श्रीदान एस. एच. एच. ओ. थाना कुचामन सिटी, जिला नागौर व श्री गिरवरदान (प्राइवेट)

जिला सिरोही

20. 38/83 श्री जयवन्त जैन, ड्रग निरीक्षक, जिला सिरोही

जिला चित्तौड़गढ़

21. 28/83 श्री हिम्मतलाल सरपंच, ग्रा. प. महुड़ा, तह. बडी सादड़ी, चित्तौडगढ

1	2	3

22. 52/83 श्री हरिचरण मीणा, इन्सपेक्टर माप तोल विभाग, चित्तौडगढ़
23. 54/83 " मुश्तफा खां एच. सी. नं. 1048 थाना निम्बाहेडा, चित्तौडगढ़
24. 63/83 " श्री महावीर सिंह ए. एस. आई. थाना छोटी सादड़ी, चित्तौड़गढ़

जिला भरतपुर

25. 37/83 श्री गयालाल पटवारी हल्का मन्डोली तह. रूपवास राज. भरतपुर ।

जिला गंगानगर

26. 41/83 श्री सुरेन्द्रसिंह पटवारी हल्का मटीली राठान, श्रीगंगानगर
27. 43/83 " मुरारीलाल शर्मा, कनि. लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, जिला कारागृह, श्री गंगानगर
28. 44/83 " गोरीसांनगरा, अध्यक्ष नगर पालिका, सूरतगढ़, श्री गंगानगर
29. 51/83 " राधाकिशन पटवारी, हल्का तारसर, जिला श्रीगंगानगर
30. 55/83 " चन्द्रभूषण गुप्ता, एस. टी. ओ. हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर
31. 75/83 " रमेश सिडाना, कनिष्ठ लिपिक, अति. जिलाधीश कार्यालय श्रीगंगानगर ।
32. 76/83 " विजयकुमार पटवारी, हल्का मसानी वाला, श्री गंगानगर ।
33. 86/83 " गुरुवचनसिंह, राजस्व पटवारी, हल्का 27 जी. जी, श्रीगंगानगर

जिला डूंगरपुर

34. 49/83 श्री नन्दलाल गोपटन, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, डूंगरपुर

जिला झालावाड़

35. 56/83 श्री अब्दुल शकूर ए. एस. आई. थाना खानपुर जिला झालावाड़

जिला सवाईमाधोपुर

36. 61/83 श्री रतनसिंह ए. एस. आई. थाना टोडाभीम, जिला सवाईमाधोपुर

जिला उदयपुर

37. 69/83 श्री नाहरसिंह ए. एस. आई. थाना नाथद्वारा जिला उदयपुर

वर्ष 1984

1	2	3

जिला–चुरू

38. 70/83 श्री बी. आर. जांगिड़, सहा. अभि., सा. नि. वि. उपखण्ड चुरू

जिला–टोंक

39. 74/83 श्री रामनिवास त्यागी, एस. एच. ओ., लाम्बारीसिंह जिला टोंक

जिला–सीकर

40. 81/83 श्री रामेश्वरलाल, विकास अधिकारी पं. स. खण्डेला, जिला सीकर

जिला चित्तौड़गढ़

1. 2/84 श्री डालचन्द शर्मा, ए.एस.आई. पुलिस थाना-कपासन जि.-चित्तौड़गढ़ ।
2. 58/84 ,, भैरूलाल, पटवारी, हल्का हिंगोरिया तहसील-कपासन चित्तौड़गढ़ ।
3. 87/84 ,, गोविन्द सिंह शक्तावत, लेखाकार, खण्डीय बागान, सिंचाई खण्ड जिला-चित्तौडगढ़ ।
4. 89/84 ,, लक्ष्मीनारायण अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका छोटी सादड़ी जिला-चित्तौड़गढ़ ।
5. 90/84 ,, सुरेन्द्र सिंह कुमावत, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग, चित्तौड़गढ़ ।

जिला–अलवर

6. 3/84 श्री लालसिंह तोमर, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा. विद्यालय, राजगढ़ अलवर ।
7. 26/84 " फूलचन्द मीणा, सी. टी. आई., व श्री कैलाशचन्द शर्मा, एल.डी.सी. वाणिज्य कर चैक पोस्ट रेल्वे स्टेशन अलवर ।
8. 38/84 " कैलाशचन्द शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक, हल्का-अलावड़ा रामगढ़ अलवर
9. 47/84 " मेहरचन्द शर्मा, ए.एस.आई. थाना-राजगढ़ जिला-अलवर ।
10. 56/84 " खुशालीराम पटवारी, हल्का टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला-अलवर ।
11. 72/84 " जगदीश प्रसाद शर्मा, व.लि., एवं श्री सुशील कुमार क.लि.सी.एम.एच.ओ. कार्यालय अलवर ।

1	2	3
12.	94/84	श्री सुखदेव गुप्ता, एल.डी.सी., व दिनेशचन्द, एल.डी.सी.रा.रा.प.प.नि. जिला-अलवर।
13.	95/84	" रमजान खां पटवारी, हल्का-आलमपुर जिला-अलवर।
14.	97/84	" गिरधारी लाल क.लि. व श्री मनोहरलाल, चपरासी, कार्यालय उप जिलाधीश अलवर।

जिला-भरतपुर

15.	5/84	श्री ओमप्रकाश अरोड़ा, व.लि. परियोजना निदेशक, यू.एन.एफ.पी.ए. भरतपुर।
16.	30/84	" होरीलाल, सरपंच ग्राम-पंचायत-चिचाना जिला-भरतपुर।
17.	50/84	" रामप्रसाद, ए.एस.आई., थाना-डीग जिला-भरतपुर।
18.	51/84	" महेश बन्सल, क.लि. सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, डीग भरतपुर।
19.	85/84	" जगन्नाथ मीणा, क.लि.आर.एस.ई.बी.डीग जिला-भरतपुर।
20.	86/84	" डा रमेश गुप्ता, पशु चिकित्सिक, राजकीय पशु चिकित्सालय डीग एवं अन्य
21.	101/84	" श्री देवीसिंह पटवारी, हल्का-वीरमपुरा तहसील-बयाना भरतपुर।

जिला-डूंगरपुर

22.	6/84	श्री राजकुमार दुआ, क्राईम असिस्टेंट, एस.पी. ऑफिस डूंगरपुर।

जिला-सीकर

23.	7/84	श्री गोपीचन्द क.लि.डा. राजेन्द्र प्रसार रा. आयुर्वेदिक चिकित्सालय सीकर।
24.	59/84	" डा.बी.डी. कावरा वरिष्ठ विशेषज्ञ सर्जन, एस.के. अस्पताल, सीकर।
25.	92/94	" अशोक कुमार, एस.डी.ओ., खेतड़ी, जिला-सीकर।

जिला–श्रीगंगानगर

26.	10/84	श्री नारायण राम, लेखाकार, जिलाधीश, कार्यालय श्री गंगानगर।
27.	11/84	" बनारसीदास, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका संगरिया श्रीगंगानगर
28.	96/84	" रामलाल रजिस्ट्रेशन सेन, एल.डी.सी. कार्यालय सब रजिस्ट्रार, जिला-श्री गंगानगर।

1	2	3
29.	106/84	श्री हेतराम पटवारी, नहरी हल्का-बांडा तहसील-अनुपगढ़ श्री गंगानगर।

जिला–नागौर

30. 13/84 श्री राजेन्द्रसिंह, जिला कृषि अधिकारी, जिला-नागौर।
31. 28/84 " चन्दनमल नवल, उप अधीक्षक पुलिस, वृत्ताधिकारी मकराना
32: 103/84 " मदनलाल एस.एच.ओ., पुलिस थाना-पांचोड़ी नागौर
33. 105/84 " कैलाशनारायण माथुर यू डी.सी., व.लि.आर.एस.ई. बी. मकराना।
34. 107/84 " सुखवीर सिंह पटवारी हल्का घाटवा-तहसील नावा नागौर।

जिला–उदयपुर

35. 14/84 श्री किताबसिंह एस.एच.ओ., थाना-देलवाड़ा उदयपुर
36. 49/84 " सुरेशचन्द माथुर, कनि.अभि.सा.नि.वि., नेशनल हाईवे न. 8 देवगढ़ उदयपुर।
37. 104/84 " चेनराम पटवारी, हल्का-कुन्थवास तहसील वल्लभनगर जिला-उदयपुर।

जिला–अजमेर

38. 15/84 श्री मदनलाल सोनी, क.लि. कार्यालय जिला-ग्रामीण विकास अभिकरण अजमेर।
39. 91/84 " किशनलाल क.लि. नगर सुधार न्यास, अजमेर।

जिला–झालावाड़

40. 21/84 श्री विष्णुभगवान, गुप्ता, ए.ई.एन. व श्री राजबीर सिंह जे.ई.एन.आर.एस. ई.बी. बकानी जिला-झालावाड़

जिला–बांसवाड़ा

41. 23/84 श्री रामगोपाल माहेश्वरी, डी.टी.ओ. बांसवाड़ा

जिला–जयपुर

42. 24/84 श्री अशोक कुमार चौधरी, एस.आई., थाना प्रयागपुरा जयपुर
43. 84/84 " ओमप्रकाश शर्मा, शाखा सचिव, जयपुर जिला-भूमि विकास बैंक जयपुर।

1	2	3
44.	100/84	श्री प्रभु सिंह पटवारी, हल्का गिवानी, तहसील-दूदू जयपुर

जिला–सवाईमाधोपुर

45. 29/84 श्री गोविन्द प्रसाद पटवारी, हल्का खण्डीप तहसील-गंगापुर.

जिला–कोटा

46. 31/84 श्री मुरारीलाल गुप्ता, रीडर तहसीलदार लाडपुरा कोटा।
47. 52/84 " बी.एन. माथुर, निरीक्षक उद्योग कोटा।
48. 57/84 " कृष्ण अवतार त्यागी, एस.एच.ओ. सागोद जिला-कोटा
49. 88/84 " कानसिंह, मुख्य आरक्षक, सं. 1894 थाना बांरा जिला-कोटा
50. 111/84 " महावीर प्रसाद शर्मा, प्रोजेक्ट ऑफिसर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ कोटा व अन्य।

जिला–भीलवाड़ा

51. 52/84 श्री सुरेशकुमार कोहली, क.लि.रा.उ.प्रा. विद्यालय प्रताप नगर भीलवाड़ा।

जिला–टोंक

52. 70/84. श्री राधेश्याम व.लि. पंजीयन क्लर्क, उप पंजीयन कार्यालय जिला-टोंक।

सूची "ख"

वर्ष 1980 में दर्ज शुदा ट्रेप के अपराधों की चालान सूची।

क्र.सं.	अपराध सं.	विरुद्ध	चालान की दिनांक	विवरण
1.	3/80	श्री मोहन लाल इन्चार्ज. एम.एल.सी. राज.अस्प. बाडमेर एवं अन्य	30/4/81	
2.	6/80	" रामराय पुलिस उप निरीक्षक मोती डूगरी, जयपुर।	10/11/80	

1	2	3	4	5
3.	8/80	श्री रतनलाल गोयल, जिला परिवहन अधिकारी बाडमेर ।	16/12/80	
4.	15/80	" दल्लाराम पुत्र श्री तेजाराम जोधपुर ।	30/6/80	
5.	16/80	" अब्दुल गफूर ए.एस.आई. थाना नयापुरा कोटा ।	18/12/80	
6.	17/80	" प्रमोदकुमार क.लि. जंगलात रेंज आफिस भीनमाल बाडमेर ।	21/7/80	
7.	20/80	" भगवती प्रसाद पटवारी हल्का सांथोली जिला कोटा ।	30/2/81	
8.	21/80	" रामजीलाल पटवारी उपनिवेशन विजयनगर श्री गंगानगर ।	20/11/80	
9.	22/80	" जीवनसिंह पटवारी तह. बेगू चित्तौडगढ ।	20/1/81	
10.	24/80	" राधेश्याम शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल, अलवर ।	30/3/81	
11.	27/80	" श्याम लाल शर्मा जे.ई.एन रा.रा.वि.म. वजीरपुर स. माधोपुर	29/9/80	
12.	28/80	" राजेन्द्र प्रसाद लेखाकार पी.एच.ई. डी. उदयपुर ।	24/11/80	
13.	29/80	" रामराय वर्मा, गिरदावर देवली जिला टौंक	30/3/80	
14.	3?/80	" शंकर लाल एकाउन्टेन्ट मह. रेवेन्यू गंगानगर ।	14/11/80	
15.	49/80	" मुरारीलाल मैनेजर शेखावटी ग्रामीण बैंक दांता सीकर ।	26/5/81	
16.	52/80	" भागीरथ मल आडिट इन्सपेक्टर सहकारी समिति रायसिंहनगर श्री गंगानगर ।	27/2/81	

1	2	3	4	5
17.	53/80	" एन.एल. गुप्ता, एसीएम धौलपुर ।	4/5/82	
18.	61/80	" कृपाल पुत्र चेलाराम भीमगंज मण्डी कोटा ।	28/4/81	
19.	65/80	" पतराम पटवारी सह. रायसिंह नगर श्रीगंगानगर ।	26/5/81	
20.	71/80	" जगदीश नारायण गूजर पटवारी हल्का टोंक	21/12/81	
21.	73/80	" कैलाश चन्द यातायात निरीक्षक एवं अन्य श्री गंगानगर	20/1/83	
22	75/80	श्री सत्यनारायण गुप्ता सुपरवाईजर पं.स. सेवर जिला भरतपुर	22/12/81	

वर्ष 1981 में दर्ज शुदा ट्रेप के अपराधों की चालान की सूची

क्र.सं.	अपराध सं.	विरुद्ध	चालान की दिनांक	विवरण
1.	5/81	श्री रामनारायण मीटर रीडर जलदाय विभाग कोटा ।	1/6/81	
2.	7/81	" सोमदत्त कुमार प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमाधोपुर सीकर ।	15/2/83	
3.	9/81	" गम्भीर सिंह पटवारी तह. बाड़ी जिला भरतपुर ।	6/5/83	
4.	12/81	" गिरधारी लाल पारीक बीकानेर	6/5/83	
5.	13/81	" फूलचन्द शर्मा पटवारी केशोराय पाटन कोटा ।	7/12/81	
6.	17/81	" अनवर हुसैन उद्योग प्रसार अधिकारी चूरू	30/12/81	
7.	19/81	" राजेन्द्र प्रसाद अमीन हल्का गुन्ती जिला अलवर ।	6/9/82	
8.	21/81	" विरदी चन्द जैन डी एस ओ अलवर ।	16/10/82	

(234)

1	2	3	4	5
9.	27/81	" उमाशंकर ओवरसियर नहर परियोजना विजयनगर श्रीगंगानगर	31/5/83	
10.	29/81	" मुख्तयार सिंह व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति पदमपुर श्रीगंगानगर।	28/4/83	
11.	31/81	" जवारसिंह पटवारी तह. टीबी श्रीगंगानगर।	25/6/82	
12.	33/81	" रतन लाल बैरवा क. लि. सेलटेक्स हल्का देवली जिला दौसा	29/4/82	
13.	37/82	" सत्यनारायण अमीन सेटलमेन्ट रींगस जिला सीकर।	31/8/82	
14.	38/81	" मायाराम शर्मा एस डी एम बून्दी	28/9/82	
15.	39/81	" गोरीशंकर तहसीलदार एवं अन्य तहसील फतेहपुर सीकर।	21/7/83	
16.	40/81	" नवल सिंह पटवारी तहसील वाड़ी भरतपुर।	16/4/82	
17	45/81	" बाबूलाल गुप्ता एसीटीओ एवं " ईश्वर सिंह इन्सपेक्टर कोटा।	15/1/83	
18.	47/81	" मोटूराम क. लि. तह. रामगढ़ जिला अलवर।	24/11/82	
19.	50/81	" बद्री प्रसाद गुप्ता पटवारी ग्राम नाहरी जिला भीलवाड़ा ।	10/6/83	
20.	51/81	" नूर मोहम्मद ए. एस. आई. कोतवाली रामपुरा कोटा।	21/2/83	
21.	52/82	" माणकचन्द कटारिया क. लि. पं.स. माण्डलगढ़ भीलवाड़ा	30/7/83	
22.	54/81	" लक्ष्मीनारायण शर्मा वा. लि. न.पा. व अन्य रामगढ़ अलवर।	11/3/83	
23.	56/81	" रामजीलाल पटवारी जैतसर सिली बावड़ी अलवर।	8/3/83	

1	2	3	4	5
24.	53/81	" रामसिंह ए.एस.आई. थाना मदेसर चित्तौड़गढ़	17/12/82	

वर्ष 1982 में दर्ज शुदा ट्रैप के अपराधों की चालान सूची

क्र. सं.	अपराध सं.	विरुद्ध	चालान की दिनांक	विवरण
1.	5/82	श्री भंवर लाल सहा. प्रबन्धक आरएफसी झालावाड़ ।	23/2/83	
2.	16/82	" दयालसिंह कोठारी जिला पर्यवेक्षक समाजकल्याण अधिकारी पाली ।	22/1/83	
2.	17/82	" वेद प्रकाश मनिहार एईएन रा.रा.वि. म. गंगरार चित्तौड़गढ़ ।	4/7/83	
4.	21/82	" पी.जी.पी. नैय्यर व. लि. ग्रा. रा. वि. म. नागौर ।	29/8/84	
5.	25/82	" सुरेन्द्र सिंह उद्योग प्रसार अधि. अलवर	4/3/83	
6.	44/82	" रामस्वरूप पटवारी स. माधोपुर ।	15/3/85	
7.	61/82	" रेवडमल पटवारी स. माधोपुर ।	8/3/84	
8,	55/82	" लक्ष्मीनारायण एपीपी (II) जे एम. कोर्ट नं. 3 कोटा ।	29/7/83	
9.	58/82	अमृतलाल सोनी इन्चार्ज पी.एस.सी. मोलासर नागौर ।	16/4/85	
10.	61/82	डा. ओमप्रकाश मेडिकल आफिसर कोटा	29/7/83	
11.	69/82	श्री आलमचन्द पटवारी हल्का लवायडी रामगढ़ जि. अलवर ।	21/9/83	
12	75/82	" गिरधारी लाल व. लि. रीडर व अन्य उप जिलाधीश रामगढ़ जि. चूरू ।	2/1/85	
13.	76/82	" फकीर चन्द व लि. रानप सूरतगढ़	29/6/84	
14,	77/82	" रामकरण एसएचओ अलीगढ़ टोंक	15/10/82	

(236)

1	2	3	4	5
15.	78/82 "	लल्लू खां एस एच ओ किशनगढ़वास अलवर	26/7/83	
16.	85/82 "	जानकीलाल पटवारी किशनगंज कोटा	19/9/83	
17.	87/82 "	मुरारीलाल गुप्ता लेखाकार एवं अन्य राजस्थान रोडवेज अलवर।	7/7/83	

वर्ष 1983 में दर्जशुदा ट्रेप अपराधों की चालान की सूची

क्र. सं.	अपराध सं.	विरुद्ध	चालान की दिनांक	विवरण
1.	3/83	श्री अब्दुल सतार पटवारी तह. किशनगढ़ अजमेर।	6/12/83	
2.	7/83 "	ओमप्रकाश रीडर, कार्यालय एस.डी.एम. जयपुर नगर।	30/3/84	
3.	9/83 "	रूपनारायण पटवारी दूदू जयपुर	16/8/83	
4.	10/83 "	अमरसिंह मु.आ. टपूकड़ा, अलवर	4/10/83	
5.	11/83 '	प्रदीपसिंह वनरक्षक अजमेर	3/8/83	
6.	14/83 "	प्रमोद सिंह व. लि. पुर्नवास विभाग जयपुर	15/9/83	
7.	15/83 "	मोहनवीर क. लि. व अन्य एम. एम. कोर्ट सांभर जयपुर।	18/1/84	
8.	16/83 "	गोकुलचंद पटवारी, झुन्झनू	3/7/84	
9.	20/83 "	नन्दकिशोर एच. सी. कोटा	21/1/84	
10.	41/83 "	सुरेन्द्र सिंह पटवारी मडीली राठान गंगानगर।	28/5/84	
11.	43/83 "	मुरारीलाल शर्मा कनिस्ठ लेखाकार कारागृह गंगानगर।	6/6/84	
12.	44/83 "	गोरी शंकर अध्यक्ष न. पा, सूरतगढ़	30/1/85	
13.	49/83 "	नन्दलाल गोयटान, उप मुख्य चिकि. अधिकारी डूंगरपुर	14/5/85	
14.	50/83 "	हरदयाल सिंह एईएन रा रा वि म झुन्झनू	3/7/84	

1	2	3	4	
15.	51/83 "	राधाकिशन पटवारी लातरसर गंगानगर	30/4/84	
16.	52/83 "	हरीशचंद इन्सपेक्टर नापतोल चित्तोड़गढ़	12/7/84	
17.	53/83 "	चन्द्रपाल कोहली एएमई रा. रोडवेज जयपुर	16/10/84	
18.	54/83 "	मुश्तफा खां एचसी चित्तौड़गढ़	19/6/84	
19.	55/83 "	चन्द्रभूषण गुप्ता एसटीग्रो हनुमानगढ़	17/5/85	
20.	56/83 "	ग्रब्दुल शकूर ए एस ग्राई खानपुर झालावाड़	30/5/84	
21.	61/83 "	रतनसिंह ए एस ग्राई टोडाभीम स. माधोपुर	7/6/85	
22.	63/83 "	महावीर सिंह ए एन ग्राई छोटी सादडी चित्तोड़गढ़।	31/7/84	
23.	68/83 "	रामकल्याण एसएचग्रो गुढादीत कोटा	25/6/84	
24.	69/84 "	नाहर सिंह ए एस ग्राई नाथद्वारा उदयपुर।	31/7/84	
25.	73/83 "	श्रीदान एस.एच.ग्रो. कुचामनसिटी नागोर		चालान की कार्यवाही जारी है।
26.	74/83 "	रामनिवास त्यागी एस एच ग्रो लाम्बाहरी सिंह टोंक	13/8/84	
27.	76/83 "	विजय कुमार पटवारी मसानीवाला श्रीगंगानगर।	17/1/85	
28.	83/83 "	सीताराम क. लि. ग्रावासन मण्डल जयपुर।		चालान की कार्यवाही जारी है।
29.	86/83 "	गुरुवचन सिंह पटवारी 27 जी बी गंगानगर।	15/11/84	

वर्ष 1984 में दर्ज शुदा ट्रेप के अपराधों की चालान की सूची

क्र.सं.	अपराध सं.	विरुद्ध	चालान की दिनांक	विवरण
1.	2/84	श्री डालचन्द शर्मा ए. एस. आई. पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ़	3/1/85	
2.	6/84	" राजकुमार दुआ, त्राईम असिस्टेंड एस. पी. आफिस डूगरपुर ।	30/4/85	
3.	7/84	" गोपी चंद व. लि. डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सालय ए-श्रेणी सीकर	16/1/85	
4.	10/84	" नारायण राम लेखाकार जिलाधीश कार्यालय श्रीगंगानगर ।	26/3/85	
5.	11/84	" बनारसीदास अधिशाषी अधिकारी न.पा. सांगरिया श्रीगंगानगर।	14/12/84	
6.	14/84	" किताब सिंह पुलिस उपनिरीक्षक थाना देलवाड़ा एवं अन्य उदयपुर	22/3/85	
7.	15/84	" मदनलाल सोनी क. लि. कार्यालय जिला विकास अभिकरण अजमेर ।	5/12/84	
8.	21/84	" विष्णु भगवान गुप्ता ए. ई. एन. व श्री राजवीर सिंह जे.ई.एन. आर. एस. ई. बी. बकानी जिला झालावाड़ा	28/5/85	चार्जशीट
9.	29/84	" गोविन्दप्रसाद गुप्ता, पटवारी हल्का खण्ड दीप तहसील गंगापुर स. माधोपुर ।	15/3/85	
10.	38/84	" कैलाशचन्द शर्मा भू-अभिलेख निरीक्षक हल्का अलामडा रामगढ़ जिला अलवर ।	30/5/84	!
11.	47/84	" मेहरचंद ए एस आई थाना राजगढ़ जिला अलवर ।	4/4/85	
12.	51/84	" महेश बन्सल एल डी सी सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी डीग भरतपुर।	3/5/85	

239

1	2	3	4	5
13.	52/84	श्री वी. एस. माथुर उद्योग निरीक्षक कोटा	18/1/85	
14.	56/84	" कुशालीराम पटवारी हल्का टपूकड़ा जिला अलवर।	चार्जशीट 28/6/85	
15.	58/84	" भैरूलाल पटवारी हल्का हिंगोरिया तह. कपासन जिला चित्तौड़गढ़।	15/2/85	
16.	62/84	" सुरेशकुमार कोहली क.लि. रा.उ.मा. विद्यालय प्रतापनगर भीलवाड़ा।	15/4/85	
17.	70/84	" राधेश्याम व.लि. पंजियन कर्क उप पंजियन कार्यालय टोंक।	25/2/85	
18.	85/84	" जगन्नाथ मीणा क. लि. कार्यालय सहायक अभि. आर. एस. ई. बी. डीग भरतपुर।	26/2/85	
19.	88/84	" कान्तसिंह मुख्य आरक्षी नं. 1854 थाना बारां जिला कोटा।	21/1/85	
20.	91/84	" किशनलाल क. लि. कार्यालय नगर सुधार न्यास अजमेर।	25/3/85	
21.	95/84	" रमजान खां पटवारी हल्का आलपुर राजगढ़ अलवर।	28/3/85	
22.	100/84	" प्रभुसिंह पटवारी हल्का गिमानो तह. ढूंढी जिला जयपुर।	18/6/83	
23.	101/84	" देवीसिंह पटवारी हल्का ब्रह्मपुरी तह. बयाना जिला भरतपुर।	चार्जशीट 25/3/85	
24.	104/84	" चेयनराम पटवारी हल्का कन्यवाल तह. बल्लभनगर जिला उदयपुर।	30/4/84	
25.	24/84	" अशोककुमार चौधरी उप निरीक्षक पुलिस थाना प्रयागपुर जयपुर।	24/1/85	

सूची "ग"

विगत पांच वर्षों में (1980, 1981, 1982, 1983, 1984) रंगे हाथों पकड़े गये मामलों में सही नहीं पाये जाने पर अन्तिम प्रतिवेदन दिये गये अपराधों की सूची ।

क्र.सं.	अपराध सं.	विरुद्ध	अन्तिम प्रतिवेदन की दिनांक	विवरण
1.	1/80	श्री कंवरबहादुर विकास अधिकारी पंचायत समिति टोंक	30/1/81	अभि.स्वी.के अभाव में ।
2.	9/80	" शुभकरणसिंह एस. एच. ओ. झालरा पाटन ।	24/7/80	
3.	34/80	" खुमाराम क. लि. सब रजिस्ट्रार नागौर ।	11/12/80	
4.	35/80	" मदनसिंह रजिस्ट्री क्लर्क नोहर हनुमानगढ ।	11/11/80	
5.	37/80	" रमेशचंद गुप्ता ए ई एन आर एस ई बो नीमका थाना ।	16/1/81	
6.	38/80	" परमानन्द मिश्रा निरीक्षक एवं अन्य भू-प्रबन्ध विभाग वामनवास स. माधोपुर ।	16/12/82	
7.	39/80	" रघुनाथसिंह एस एच ओ कैथूर कोटा ।	18/2/81	
8.	40/80	" श्यामलाल निरीक्षक कोतवाली स. माधोपुर ।	6/12/80	
9.	44/80	" राधाकृष्ण पाठक साल्ट मैनेजर डीडवाना नागौर ।	8/4/85	अभि. स्वी. के. अभाव में ।
10.	48/80	" छीतर खां मुख्य आरक्षक फागी जयपुर ।	22/1/81	
11.	50/80	" गोपाललाल ए सी टी ओ कोटा ।	25/6/82	
12.	55/80	" एन के कट्टा एस के अस्पताल सीकर	14/12/82	

1	2	3	4	5
13.	58/80	श्री पारसमल सहायक रजिस्ट्रार स. समितियां पाली ।	18/4/81	
14.	60/80	" भूरालाल रसद लिपिक भरतपुर ।	26/6/81	
15.	62/80	" छोटे खां ए एस आई उद्योग नगर कोटा ।	23/10/81	अभि. स्वी. के अभाव में ।
16.	72/80	" राजेन्द्रसिंह सचिव कृषि उपज मण्डी जेतारण जिला पाली ।	26/11/81	
17.	1/81	श्री जगदीश चन्द क. लि. नगर पालिका चित्तोड़गढ़ ।	30/4/81	
18.	3/81	" रामशरण सरपंच ग्राम पंचायत आजऊ जिला भरतपुर ।	12/11/84	अभि. स्वी. के. अभाव में ।
19.	4/81	" जयचन्द सोनी क. लि. कार्यालय परि. अधिकारी झुन्झनू	18/9/81	
20.	6/81	" मांगीलाल अमीन सेटलमेन्ट विभाग सीकर ।	24/2/83	
21.	8/81	" मीठाराम मीणा तह. फागी जयपुर	12/11/81	
22.	10/81	" गोविन्दलाल आबकारी निरीक्षक सवाई माधोपुर ।	31/12/81	
23.	15/81	" भरतलाल ए.एस.आई. सोडाला जयपुर	19/8/81	
24.	18/81	" रामावतार ए. पी. पी. (II) कोर्ट बांरा जिला कोटा ।	7/9/81	
25.	24/81	" सुरेशचन्द गर्ग प्रा. स्वा. केन्द्र भरतपुर	19/1/82	
26.	30/81	डा. एस. के. कुकरेजा नाक, कान, गला, एस. एम. एस. जयपुर ।	8/2/81	
27.	30/81	" अतिमल सिंह पटवारी हल्का तुंगा जिला अलवर ।	8/3/82	
28.	49/81	" करमचन्द पटवारी जटियाला अलवर ।	12/4/82	
29.	55/81	" कल्याण सिंह एस. एच. ओ. हरनावदा कोटा ।	6/1/84	

1	2	3	4	5
30.	63/81	श्री डा. मुनसुखराम चौधरी मेडिकल ग्रफिसर सीकर।	24/4/82	
31.	6/82	" ग्रमरसिंह पटवारी उप निवेशन तह. सूरतगढ़।	31/3/83	
32.	20/82	" ग्रब्दुल ग्रजीज एस. एच. ग्रो. मुकलाग्रा गंगानगर।	7/1/83	
33.	42/82	" नन्दलाल पटवारी वल्लभ नगर जिला उदयपुर।	2/3/83	
34.	48/82	" डा. हरिसिंह मोगरा उप मुख्य चिकि. एवं स्वा. ग्रधिकारी डूंगरपुर।	4/2/83	
35.	49/82	" ताराचन्द पटवारी हल्का इन्दरपुरा जिला ग्रलवर।	2/5/82	
36.	50/82	" डा. एस. ग्रार. तोसी उप मुख्य चि. एवं स्वा. ग्रधिकारी सीकर।	27/12/82	
37.	54/82	" प्रहलाद चन्द शर्मा गिरदावर एवं ग्रन्य जमवा रामगढ़ जयपुर।	22/2/83	
38.	64/82	" जगदीश चन्द्र गोयल वनपाल सूरजपोल	29/10/83	
39.	66/82	डा. जुगलकिशोर शर्मा मेडिकल ज्यूरिस्ट कोटा	29/7/83	
40.	68/82	" मूलचन्द सेनी पटवारी एवं ग्रन्य तह. सिकराय जिला जयपुर।	14/11/83	
41	73/82	" बाकेबिहारी लाल गुप्ता बीडीग्रो पं. स. इटावा जिला कोटा।	7/4/83	
42.	86/82	" सत्यनारायण शर्मा रिकार्ड कीपर न. प. जयपुर	29/10/83	
43.	89/82	" चन्द्रशेखर शर्मा ग्रति. जिलाधीश विकास परियोजना ग्रभिकरण सवाई माधोपुर।	3/6/85	ग्रभि. स्वी. के ग्रभाव में।
44.	90/82	" भंवरलाल जैन सरपंच ग्रा. पं. लूनियावास जयपुर	29/10/83	
45.	37/83	" गयालाल पटवारी हल्का मन्डोली भरतपुर	19/12/83	

1	2	3	4	5
46.	29/83	श्री हिम्मतलाल सरपंच ग्रा. पं. महूडा, बड़ी-सादडी, चित्तोड़गढ़	22/10/84	अभि. स्वी. के अभाव में।
47.	45/83	" भगवान सहाय ए.एस.आई. थाना दौसा. जयपुर	7/7/84	
48.	62/83	" देशदीपक रस्तोगी ए. एम ई. राजस्थान रोडवेज कोटा।	19/4/85	अभि. स्वी. के अभाव में।
49.	83/80	" जगदीश प्रसाद चौधरी वनपाल विराटनगर जयपुर।	27/4/84	
50.	82/83	" भगवानसहाय ए.एस.आई. एवं अन्य थाना बस्सी जिला जयपुर।	6/7/84	
51.	3/84	" लालसिंह प्रधानाचार्य, रा. उ. मा. वि.	18/8/84	
52.	23/84	" रामगोपाल माहेश्वरी जिला परिवहन अधिकारी जिला बांसवाड़ा	29/11/84	
53.	50/84	" रामप्रसाद ए.एस.आई. थाना डीग जिला भरतपुर।	27/2/85	
54.	57/84	" कृष्ण अवतार त्यागी एस. एच. ओ. सांगोद कोटा	चार्जशीट से एफ आर. अभियुक्त की मृत्यु होने के कारण।	
55.	59/84	डा. वी. डी. कावरा वरिष्ठ विशेषज्ञ सर्जन एस. के. अस्पताल सीकर	29/3/85	
56.	84/84	" ओमप्रकाश शर्मा शाखा सचिव जिला- भूमि विकास बैंक जयपुर।	22/4/85	
57.	38/83	" जसवन्तजैन, निरीक्षक जिला सिरोही	2/2/84	
68.	75/83	" रमेशचन्द सिडाना, क. लि., जिलाधीश कार्यालय श्री गंगानगर	5/12/84	
59.	89/84	" लक्ष्मीनारायाण, अधिशाषी अधिकारी न. पा. सादड़ी. चित्तौडगढ़	10/4/85	
60.	92/84	" अशोक कुमार चौधरी, एस. डी. ओ. खेतडी, झुन्झनु	29/3/85	

1	2	3	4	5
61.	94/84	श्री सुखदेव एल. डी. सी. व अन्य, रा. रा. प.प. निगम, अलवर	16/7/85	
62.	107/84	" सुखवीर सिंह पटवारी सर्किल घाटवा, जिला नागौर	14/6/85	
63.	111/84	" महादेव प्रसाद शर्मा, प्रोजेक्ट आफिसर एवं दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, कोटा	29/5/85	

विचाराधीन ट्रेप अपराधों की सूची

क्र. सं.	अपराध संख्या	विरुद्ध
1	2	3
1.	30/84	श्री होरीलाल, सरपंच, ग्राम-पंचायत चिचाना जिला भरतपुर ।
2.	49/84	" सुरेशचन्द माथुर, कनिष्ट अभियन्ता, सा. नि. वि. नेशनल हाईवे नं–8 देवगढ़ जिला-उदयपुर ।
3.	72/84	" जगदीश प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री सुशील कुमार कनिष्ट लिपिक सी. एम. एच. ओ. कार्यालय, अलवर ।
4.	87/84	" गोविन्दसिंह शक्तावत, लेखाकार खण्डीय बागान सिंचाई खण्ड जिला–चित्तोड़गढ़ ।
5.	96/84	" रामलाल, रजिस्ट्रेशन सैल, कनिष्ठ लिपिक कार्यालय सब रजिस्ट्रार, रावतसर जिला श्रीगंगानगर ।
6.	105/84	" कैलाशनारायण माथुर, वरिष्ठ लिपिक, आर. एस. ई. बी., मकराना जिला–नागौर ।

सूची "ङ"

रंगे हाथों पकड़े गये अपराध सन् 1980 से लेकर सन् 1984 तक जिसमें विभिन्न न्यायालयों से सजा हुई है उनकी सूची ; –

सन् 1980 :

1. अ. स. 58/77 विरुद्ध श्री भोपालसिंह पटवारी तह. गंगवार जिला झालावाड़
2. अ. स. 11/78 विरुद्ध श्री अमरसिंह कनिष्ठ अभियन्ता वर्ल्ड बैंक सब-डिवि. कोटा
3. अ. स. 37/77 विरुद्ध " अहमद खां मिस्त्री नगरपरिषद, बीकानेर
4. अ. स. 74/77 विरुद्ध " भंवरलाल मंडालिया कार्यालय सहायक अभियन्ता खनिज, विभाग, बून्दी ।
5. अ. स. 28/75 विरुद्ध " विजयदान मु. आ. थाना शेरगढ़ जोधपुर
6. अ. स. 26/77 विरुद्ध " नरेन्द्र कुमार जैन क. लि. यातायात विभाग, जयपुर
7. अ. स. 38/77 विरुद्ध " अमरनाथ व. लि. आर. एस. इ. बी. गंगानगर
8. अ. स. 70/78 विरुद्ध " राजेन्द्र कुमार फोरमैन नगरपालिका श्रीगंगानगर
9. अ. स. 62/77 विरुद्ध " गजानन्द कनि. लिपिक मुंसिफ मजि. जयपुर
10. अ. स. 50/77 विरुद्ध " पन्नालाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना वाड़ी जिला भरतपुर
11. अ. स. 11/77 विरुद्ध " धन्नाराम मु. आफ. ए. पी. पी. (1) कार्यालय कोर्ट आमेर

सन् 1981

12. अ. स. 77/77 विरुद्ध श्री अजीजउल्ला एस. एच. ओ. थाना बकानी जिला झालावाड़
13. अ. स. 57/76 विरुद्ध " कैलाश चन्द कौशिक पटवारी हल्का लालपुरा तहसील गाजा जिला अलवर
14. अ. स. 2/77 विरुद्ध " चन्द्रभान पटवारी हल्का तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर
15. अ. स. 49/78 विरुद्ध " दौलाराम पटवारी तहसील जमाई जिला बाडमेर
16. अ. स. 19/76 विरुद्ध " सूरजप्रसाद कनि. पी. एस. टहला जिला अलवर
17. अ. स. 41/76 विरुद्ध " घूडाराम फूड निरीक्षक बीकानेर
18. अ. स. 18/79 विरुद्ध " प्रेम सुख एक्सरे टैक्नाशियन द्वावा क्लिनीक कोटा
19. अ. स. 51/77 विरुद्ध " शिवदाय पटवारी हल्का 21 चैनपुरा, बरोला जिला सवाई माधोपुर
20. अ. स. 20/77 विरुद्ध " रामस्वरूप पटवारी हल्का कनीला तहसील मोवाती जिला सवाई माधोपुर

(246)

21. अ. स. 70/75 विरुद्ध श्री कैसाराम पटवारी हल्का पपलाना जिला नागौर
22. अ. स. 39/77 विरुद्ध " उगमसिंह पटवारी जिला पाली
23. अ. स. 3/76 विरुद्ध " हरीसिंह पटवारी जोधपुर
24. अ. स. 18/76 विरुद्ध , शिवनन्दन क. लि. आर. एस. इ. बी. अलवर
25. अ. स. 48/74 विरुद्ध ,, अब्दुल शकूर सहायक वनपालक कोटा
26. अ. स. 37/78 विरुद्ध ,, गुलाम रसूल डाक्टर कमेला कोटा
27. अ. स. 28/78 विरुद्ध ,, पूनमचन्द रेवन्यू कलर्क नगरपालिका मोनासर बीकानेर

सन् 1982

28. अ. स. 64/76 विरुद्ध ,, श्यामलाल राठौड बीकानेर
29. अ. स. 11/79 विरुद्ध ,, वसीर मोहम्मद एस. आई. पी. एस. खानपुर जिला कोटा
30. अ. स. 75/75 विरुद्ध ,, हरभगवान कानि. थाना रामगढ़ जिला अलवर
31. अ. स. 51/73 विरुद्ध ,, वैद्यश्री नारायण लाल निराला बृजमोहन उप वैद्य व अन्य आयुर्वेद विभाग, जयपुर
32. अ. स. 6/79 विरुद्ध ,, शमसुद्दीन पम्प ड्राइवर जोधपुर
33. अ. स. 119/78 विरुद्ध ,, लक्ष्मण चन्द पटवारी हल्का सवाईमाधोपुर
34. अ. स. 77/78 विरुद्ध , लक्ष्मण प्रसाद एस. एच. ओ. थाना सांभर जिला अजमेर
35. अ. स. 117/78 विरुद्ध ,, मोहरसिंह पटवारी अलवर
36. अ. स. 10/76 विरुद्ध ,, जोरावरसिंह पटवारी जोधपुर
37. अ. स. 62/79 विरुद्ध ,, नत्थुराम व अन्य जिलाधीश कार्यालय अलवर
38. अ. स. 61/80 विरुद्ध ,, कृपाल कोटा (165ए)
39. अ. स. 23/77 विरुद्ध ,, गणपतलाल माथुर फूड निरीक्षक जोधपुर
40. अ. स. 67/78 विरुद्ध , बलवीरसिंह अजमेर
41. अ. स. 51/76 विरुद्ध ,, मोहम्मद सद्दीक पटवारी जिला नागौर
42. अ. स. 73/77 विरुद्ध ,, मनोहरलाल पटवारी जयपुर
43. अ. स. 65/72 विरुद्ध ,, मुनीर खां अमीन सैटलमैन्ट बांसवाडा
44. अ. स. 38/76 विरुद्ध ,, गोपीराम पटवारी अजमेर
45. अ. स. 73/78 विरुद्ध ,, रामगोपाल पटवारी सीकर
46. अ. स. 83/79 विरुद्ध ,, नाथूलाल गोपाल, चन्दा आर. एस. इ. बी. अचरोल जयपुर
47. अ. स. 61/76 विरुद्ध ,, मोहनलाल मुख्य आरक्षक जयपुर

सन् 1983

48. अ. स. 36/77 विरुद्ध श्री रणजीतमल जिला परिवहन अधिकारी सवाई माधोपुर

49. अ.स. 56/77 विरुद्ध श्री प्रकाश सिंह कानि. बीकानेर

50. अ.स. 33/80 विरुद्ध श्री शंकरलाल बीकानेर

51. अ.स. 6/78 विरुद्ध श्री भैरूलाल रीडर तहसील गिरवा, उदयपुर

52. अ.स. 43/76 विरुद्ध श्री नेमीचन्द क.लि. यातायात विभाग, उदयपुर

53. अ.स. 57/77 विरुद्ध श्री शम्भूगिरी मु.आ. थाना अरनोद जिला चित्तौडगढ़

54. अ.स. 104/78 विरुद्ध श्री गोपाल कृष्ण एक्सरे टैक्निसियन राज्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर

55. अ.स. 13/81 विरुद्ध श्री मूलचन्द पटवारी जयपुर

56. अ.स. 62/78 विरुद्ध श्री सुगन सिंह एस.आई जिला सीकर

57. अ.स. 43/78 विरुद्ध श्री बाबूलाल रेडियो ग्राफर जनरल अस्पताल अलवर

58. अ.स. 10/80 विरुद्ध श्री भगवती प्रसाद पटवारी कोटा।

सन् 1984

59. अ.स. 15/80 विरुद्ध श्री ढल्ला रस्म धारा 165ए जयपुर

60. अ.स. 17/80 विरुद्ध श्री श्यामलाल कनि. अभियन्ता आरएसबी सवाई माधोपुर

61. अ.स. 35/78 विरुद्ध श्री ओंकारलाल पटवारी बस्सी जिला जयपुर

62. अ.स. 76/79 विरुद्ध श्री जयनारायण जाट धारा 165ए

63. अ.स. 52/78 विरुद्ध श्री मिश्रीलाल पटवारी जोधपुर

64. अ.स. 112/78 विरुद्ध श्री अमरचन्द गुप्ता जे-ई-एन आरएसइबी राजगढ अलवर

65. अ.स. 115/78 विरुद्ध श्री आशाराम केरवाल सवाई माधोपुर

66. अ.स. 32/79 विरुद्ध श्री लक्ष्मण विज्यानी लेखाकार राज. राज्य पथ परिवहन निगम गंगानगर

67. अ.स. 13/78 विरुद्ध श्री रामदयाल पटवारी हल्का मानका तह. मुण्डावर जिला अलवर

68. अ.स. 83/78 विरुद्ध श्री रामखिलौना क.लि. जिला परि. आफिस डूंगरपुर

69. अ.स. 20/79 विरुद्ध श्री रमेशचन्द शर्मा व.लि. सिंचाई विभाग, चित्तौडगढ़

70. अ.स. 68/79 विरुद्ध श्री नारायण लाल कम्पाउण्डर गंगानगर जिला चित्तौडगढ़

71. अ.स. 109/78 विरुद्ध श्री मोहन लाल जमादार नगर परिषद, जयपुर

72. अ.स. 59/77 विरुद्ध श्री बाबूलाल आफिस कानूगो जिला सवाईमाधोपुर

73. अ.स. 36/78 विरूद्ध श्री चिरंजीलाल आफिस कानूगो बस्सी, जयपुर

74. अ.स. 24/77 विरूद्ध श्री चाण्डदान घुमडवाली जिला गंगानगर

75. अ.स. 5/81 विरूद्ध श्री रामनारायण मीटर रीडर कोटा।

76. अ.स. 77/79 विरूद्ध श्री जहीद हुसैन नायब तहसीलदार उदयपुर

सूची 'च'

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गत 5 वर्षों के ट्रेप के पंजीबद्ध अपराधों में न्यायालय में प्रस्तुत किये गये चालानों में न्यायालयों द्वारा सजा। बरी की सूची

क्र.सं.	अपराध संख्या	विरूद्ध	सजा	निर्णय का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	61/80	श्री कृपाल व श्री सुन्दर धारा 165ए भादस	सजा	20-8-82
2.	33/80	,, शंकरलाल रेवेन्यू अकाउन्टटेंट श्री गंगानगर।	,,	31-1-83
3.	13/81	श्री मूलचन्द पटवारी	,,	18-7-83
4.	20/80	,, भगवती प्रसाद पटवारी	,,	30-9-88
5.	15/80	,, दलाराम 165 एमादस	,,	18-1-84
6.	27/80	,, श्यामलाल कनिष्ठ अभियन्ता आर.एस.ई.बी.।	,,	17-1-84
7.	5/81	,, रामनारायण मीटर रीडर	,,	21-11-84
8.	35/80	,, मदनसिंह रजिस्ट्री क्लर्क 182 भादस।	,,	10-12-84

बरी

1.	6/80	श्री रामेराय एस.आई. मोती डूंगरी जयपुर।	बरी ड्रीप	12-5-81
2.	16/80	,, अब्दुल गफूर एसआई, कोटा	बरी	8-11-82
3.	24/80	,, राधेश्याम क.लि. जयपुर।	,,	20-10-83

249

1	2	3	4	5
4.	73/80	,, कैलाश चन्द्र यातायात निरीक्षक	,,	21-5-83
5.	52/80	,, भागीरथ मल आडिट निरीक्षक	,,	19-5-84
6.	49/80	,, मुरारी लाल मैनेजर शेखावटी ग्रामीण बैंक सीकर।	,,	23-8-84
7.	22/80	,, जीवन सिंह पटवारी	,,	20-9-84
8.	38/81	,, नाथाराम एडीएम बून्दी	,,	12-9-84
9.	9/81	,, गम्भीरसिंह पटवारी	,,	7-11-84
10.	25/82	,, भंवरलाल मीणा सहायक मैनेजर आर.एफ.सी., कोटा	,,	31-1-84
11.	25/82	,, सुरेन्द्रसिंह उद्योग प्रसार अधिकारी, अलवर।	,,	30-11-84

सूची "छ"

सूची जिनमें विभाग द्वारा कार्यवाही की गई

क्र.सं. 1	अपराध सं. 2	विरुद्ध 3	कार्यवाही 4
1.	38/80	श्री परमानन्द मिश्रा निरीक्षक भू-प्रबन्ध विभाग बामूनवास व श्री ओमप्रकाश अमीन सवाई माधोपुर	विभागीय जांच
2.	48/80	,, छीतर खां मुख्य आरक्षक थाना फागी, जि.-जयपुर	विभागीय जांच
3.	72/80	,, रत्वेन्द्रसिंह सचिव कृषि उपज मंडी जैतारण, पाली	विभागीय जांच
4.	6/81	,, मांगीलाल अमीन, सेटलमेन्ट विभाग, नवलगढ़ जि.-सीकर।	विभागीय जांच
5.	36/81	,, अतिबूल सिंह पटवारी, हल्का लूगां जिला-अलवर	विभागीय जांच
6.	49/81	,, कर्मचन्द पटवारी, जटियाला, अलवर	विभागीय जांच
7.	45/83	,, भगवान सहाय, ए.एस.आई. थाना-दौसा जि.-जयपुर।	विभागीय जांच

1	2	3	4
8.	40/80	,, श्यामलाल निरीक्षक, कोतवाली सवाई माधोपुर	धारा 182 भा. द.सं. की कार्यवाही
9.	58/80	,, पारसमल सहायक रजिस्ट्रार सहकारी. समितियां पाली	धारा 182 भा. द.सं. की कार्यवाही
10.	84/82	,, प्रहलाद राय, गिरदावर एवं अन्य जमुवारामगढ़ जि.-जयपुर ।	धारा 182 भा. द.सं. की कार्यवाही
11.	82/83	,, भगवान सहाय, एस.आई. एवं अन्य पुलिस थाना बस्सी, जयपुर ।	धारा 182 भा. द.सं. की कार्यवाही
12.	50/84	,, रामप्रसाद, ए.एस.आई., थाना-डीग जिला-भरतपुर ।	धारा 182 भा. द.सं. की कार्यवाही

परिशिष्ट 3

(तारांकित अल्पकाल सूचना प्रश्न (43/अ.का.सू.) की सूची)

मुख्य अभियन्ता एवम सम कक्ष पद पर पदोन्नत अधिकारियों के नाम एवं उनके कार्यरत स्थानों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदोन्नति आदेशों की सं. व दिनांक	वर्तमान पद स्थापन का स्थान
1.	श्री एल.बी. बक्शी	एफ1 (1) सानि/81/ दिनांक 12.6.81	मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. 12.8.81 से 4.8.83 जे.डी.ए. में 1.2.84 से 5.3.84, सेवा निवृत
2.	श्री ए आर. माथुर	एफ1 (1)सानि/81 दिनांक 12.8.81	आवासन आयुक्त, दिनांक 16 8.81 से 3.8.83 सी.ई. आरएसई बी. दिनांक 4.8.83 से 19.4.84 जे.डी.ए. में 20.4.84 से निरन्तर।
3.	श्री एम.एम.एस. माथुर	एफ 16(232)सानि/ दिनांक 3.8.82	जे.डी.ए. में दि. 7.8.82 से 5.8.83 मुख्य अभियन्ता (भवन) दि. 6.8.83 से निरन्तर
4.	श्री एम.सी.शर्मा	एफ1 (109) सानि/78 दिनांक 3.8.83	मुख्य अभियन्ता (पथ) 3.8.83 से निरन्तर
5.	श्री पी.के.लोरिया	उपरोक्त	आयुक्त आवासन मण्डल दि. 3.8.83 से निरन्तर
6.	श्री सी.बी. माथुर	उपरोक्त	अध्यक्ष, राज. पुल निगम, दि. 3.8.83 से निरन्तर

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

रानीवाड़ा विद्युत उपखण्ड के विरुद्ध शिकायतों में कार्यवाही

593. **श्री अर्जुनसिंह देवड़ा** (रानीवाड़ा)–क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1984 में विजीलेन्स पार्टी रानीवाड़ा विद्युत उपखण्ड के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने गई थी ? यदि हां, तो क्या विजीलेन्स पार्टी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में रानीवाड़ा में 120 कनेक्शन विद्युत विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से अवैध रूप से चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ! निदेशक (सुरक्षा एवं सतर्कता), विद्युत मण्डल द्वारा इस विषय में दी गई रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। विजिलेंस पार्टी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया है। तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भी मेजर पेनेल्टी के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया में है तथा इन्हें आरोप-पत्र दिये जा चुके है।

निदेशक (सुरक्षा एवं सतर्कता), रा. रा. वि. मं. की रिपोर्ट की प्रति।

Subject : Theft of power in collusion with RSEB employees in Raniwara Sub-Division of Jalore District.

1. The A. En (Vig.), Jodhpur alongwith the Police staff of the RSEB visited village Dehipur on 30-8-1984. The Party visited the field of one Shri Dhira S/o Shri Hemraj and observed that he had taken a direct connection to operate his 5 HP motor (The photographs taken at the time of checking may kindly be seen at Page 16/C). Shri Dhira S/o Hemraj and his son Shri Purakha were also present at the time of checking. When

inquired, Shri Purakha stated that the line was drawn by the RSEB employees about $2\frac{1}{2}$ years back under the instructions of the then A. En Shri R. R. Agarwal and Shri P. M. Soni, J. En.

2. The S. I. (Vig.) visited Raniwara Sub-Dn office on 31-8-84 and learnt that Shri Dhira S/o Hemraj had submitted an application for connection of 5 HP on 26-10-81 and in pursuance of it, a Demand Notice was issued by the A. En on 28-11-81. The applicant deposited the amount of Demand Notice on 5-12-81. However, 'L' Form was never deposited by the applicant and also no S. C. O. (Sevrice Connection Order) was issued by the A. En.

3. A Police case has been lodged vide Crime No. 50/84 under Sections 379 IPC and 39 of Indian Electricity Act, 1910 against Shri Dhira S/o Hemraj at Raniwara Police Station on 31-8-1984.

4. According to the report of S I. (Vig.) (Pages 12/C to 15/C), the following Officers and employees of the Board, who were posted there at that time, are responsible for drawing a three pole line to facilitate Shri Dhira S/o Hemraj to commit theft of electricity :

   (1) Shri R. R. Agarwal, A. En
   (2) Shri P. M. Soni, J. En
   (3) Shri Birmaram, Lineman (Expired)
   (4) Meter-Reader, Dehipur Village.
   (5) C. C. A. Clerk posted after death of Shri Birmaram.

5. Subsequently, the following officers posted at Jalore/Raniwara also connived at this and permitted Shri Dhira to commit theft of power. Shri N. D. Sharma, X. En can be held reponsible for only supervisory negligence.

   (1) Shri N. D. Sharma, X. En
   (2) Shri Mahadev Khanchandani, A. En

(3) Shri Pabu Singh Ranawat, J. En

6. It is suggested that departmental action against the X. En, A. En and J. En named above may be ordered. Against other employees, C. E. (O & M) may be asked to initiate departmental enquiry against them and intimate the results.

7. Suspension of the following officials who are directly responsible for this brazen act of indiscipline and impropriety may also be ordered :

(1) Shri R. R. Agarwal, A. En

(2) Shri P. M. Soni, J. En

Sd/-
Director (S & N)
8-10-84

हिन्दी-भाषी राज्यों के पर्यटकों को हिन्दी में प्रचार साहित्य

594. **श्री हरीश शर्मा (खानपुर):** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में हिन्दी भाषी राज्यों के एवं हिन्दी जानने वाले पर्यटक भी आते हैं ? यदि हां, तो उन्हें अंग्रेजी में नक्शे एवं मार्गदर्शक पुस्तिकायें क्यों उपलब्ध करवाई जाती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन्हें इससे कठिनाई होती है ? हिन्दी में ऐसी सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और राज्य की पर्यटक सामग्री कब तक हिन्दी में उपलब्ध करवा दी जावेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार की नीति राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रोत्साहन देने व उसको प्रतिष्ठित करने की है ? यदि हां, तो पर्यटन विभाग इस नीति के विपरीत कार्य क्यों कर रहा है ? पर्यटन विभाग की इस गतिविधि के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। आमतौर पर यह देखा गया है कि अधिकतर पर्यटक अंग्रेजी में छपे पर्यटन साहित्य को पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं।

(2) सामान्यतया नहीं। राज्य सरकार द्वारा हिन्दी में पर्यटन सामग्री उपलब्ध कराये जाने का निर्णय ले लिया गया है और निकट भविष्य में ही यह उपलब्ध करा दी जावेगी।

(3) जी हां। पर्यटन विभाग इस नीति के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है।

उदयपुर जिले में सिंचाई हेतु नलकूप

595. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम): क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने उदयपुर जिले में सिंचाई हेतु (नलकूप) लगाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या रूपरेखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत भीम व देवगढ़ तहसीलों में कितने नलकूप कब तक लगाने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह क्षेत्र पथरीला व पहाड़ी होने से विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण किये बिना नलकूप की योजना नहीं बनाई जा सकती है। विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण कराये जाने की कोई योजना वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु वर्ष 1986-87 में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिना अनुमति विदेश गये कर्मचारियों की सेवा में वापसी

596. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़), **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत):—क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभागीय कर्मचारी, श्री त्रिलोचन सिंह, श्री रफीक (वैल्डर), श्री रामदुलारे बिना इजाजत मध्य पूर्व देशों में मजदूरी करने चले गए थे, व वापिस आने पर नियम विरुद्ध इनको पुनः सेवा में ले लिया गया ? यदि हां, तो कृपया विदेश जाने के सम्बन्ध के राजकीय निर्देशों की प्रति, नौकरी में वापिस लेने की स्वीकृति देने वाले अधिकारी का नाम सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारी विदेश कब गये व सेवा में पुनः वापस कब लिया गया ?

(3) विभाग के कितने कर्मचारी अब तक बिना स्वीकृति विदेश गये, तथा कितनों को पुनः सेवा में लिया गया ? कृपया सूची मय नाम, पता, पद, विदेश आने जाने की तिथि सहित सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार नियम के विरुद्ध पुनः सेवा में उक्त कर्मचारियों को लेने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 व 2) केवल श्री त्रिलोचन सिंह कार्य प्रभारी कर्मकार को ही मध्य पूर्व देशों में सन् 1981 में मजदूरी करने जाने के बाद 28-12-84 को लौटने पर पुनः कार्य पर लगाया गया। श्री मोहम्मद रफीक को कार्य से लम्बे अर्से तक अनुपस्थित रहने के कारण हटा दिया गया और श्री रामदुलारे स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर कार्य छोड़ गये। श्री मोहम्मद रफीक व रामदुलारे की मध्य पूर्व देशों में जाने की सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) विभागीय अभिलेख के अनुसार

(256)

(इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री)

निम्न अन्य कर्मकार/कर्मचारी विदेश गये जिनके विषय में वांछित सूचना निम्नानुसार है :—

(1) श्री भवानी सिंह (वैल्डर) दिनांक 25.11.81 से 14.10.82 तक, इन्हें विभाग द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गई एवं लौटने पर दिनांक 4.11.82 के आदेश से निलम्बित किया गया व तदुपरान्त आवश्यक विभागीय जांच के पश्चात् दि. 10.5.83 को बहाल कर दिया गया।

(2) श्री आर. सी. सरदाना, कनिष्ठ अभियन्ता–जून, 78 के तीसरे सप्ताह से जुलाई, 79 के प्रथम सप्ताह तक विदेश (ईराक) गये, जिसकी स्वीकृति विभाग द्वारा नहीं दी गई। यह प्रकरण विचाराधीन है।

(3) श्री ओ. पी. छंगाणी, सहायक अभियन्ता दिनांक 26.11.81 को विदेश (हंगरी) प्रस्थान कर गये एवं वापस आने की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है। इन्हें विदेश जाने हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(4) प्रकरणों की जांच करने के उपरांत उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

फलासिया क्षेत्र के छात्रावासों की व्यवस्था

579. **श्री कुबेर सिंह (फलासिया)** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फलासिया निर्वाचन क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं, तथा प्रत्येक छात्रावास में छात्र-छात्राओं की स्वीकृत संख्या कितनी है ?

(2) इन छात्रावासों के प्रत्येक छात्र को विभाग द्वारा खाने, पाठ्य सामग्री, एवं गणवेश के लिए कितनी राशि स्वीकृत है, तथा उसके अनुसार दी जा रही है अथवा नहीं ?

(3) क्या सभी छात्रावासों में व्यवस्थापक कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? विभाग इनकी पूर्ति कब तक करने का विचार रखता है ?

(4) क्या बालिका छात्रावासों में महिला व्यवस्थापक कार्यरत नहीं हैं ? यदि हां, तो इसकी पूर्ति हेतु सरकार क्या विचार रखती है ?

(5) क्या सभी स्वीकृत छात्रावासों के लिए भवन उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? भवन तैयार कराने हेतु सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) फलासिया निर्वाचन क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा 9 छात्रावास चलाये जा रहे हैं। जिनकी प्रत्येक की स्वीकृत संख्या परिशिष्ट 'अ' में सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) इन छात्रावासों में प्रत्येक छात्र को खाने, कपड़े, नाश्ते आदि के लिए कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 100 रुपये प्रतिमाह तथा 40 रुपये पाठ्य-पुस्तकों व

(समाज कल्याण मन्त्री)

स्टेशनरी के लिए वर्ष में एक बार व कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों को 106 रुपये खाने, कपड़े आदि के लिये व 60 रुपये पाठ्य पुस्तकों व स्टेशनरी के लिए वर्ष में एक बार दिया जाता है जो स्वीकृत मात्रा में दी जा रही है।

(3) इन छात्रावासों में गोराना, नालवा जेड एवं कोटड़ा के बालिका छात्रावास में व्यवस्थापक नियुक्त नहीं है जिनकी शीघ्र पूर्ति करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। इस स्थान पर महिला व्यवस्थापिका की नियुक्ति करने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(5) दो छात्रावास राजकीय भवन में हैं। शेष किराये के भवनों में है जिसके लिए ज्यों-ज्यों वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे त्यों-त्यों भवन तैयार करवाने की कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट "अ"

फलासिया निर्वाचन क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की सूची

क्र.सं.	नाम छात्रावास	श्रेणी छात्रावास	स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	भवन की स्थित
1.	राजकीय बालक छात्रावास	अ	कोटड़ा	125	राजकीय भवन
2.	राजकीय बालिका छात्रावास	स	कोटड़ा	25	राजकीय भवन
3.	राजकीय बालक छात्रावास	ब	झाडोल	80	किराये का भवन
4.	राजकीय बालक छात्रावास	अ	फलासिया	105	,,
5.	राजकीय बालक छात्रावास	स	उय्या	25	,,
6.	राजकीय बालक छात्रावास	स	गोराना	25	,,
7.	राजकीय छात्रावास (बालक)	स	नालवा	25	,,
8.	राजकीय बालक छात्रावास	स	ओडा	25	,,
9.	राजकीय बालक छात्रावास	स	जैड	25	,,

ग्राम पंचायत रायपुर (जयपुर) के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

599. **वैद्य श्री भैरूलाल भारद्वाज** (जमुवारामगढ़) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत, रायपुर, पंचायत समिति, जमुवारामगढ़ के सरपंच के खिलाफ काम के बदले अनाज योजना में की गई हेराफेरी के संबंध में जनता ने शिकायत की थी? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई है? कृपया जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त सरपंच द्वारा अन्त्योदय योजना के तहत फर्जी नामों का प्रमाणीकरण कर उठाई गई राशि की जनता की शिकायत पर जाँच की गई है? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला?

(3.) क्या ग्राम पंचायत फुटोलाव पंचायत समिति, जमुवारामगढ़ के सरपंच ग्राम सरपुरा के नामांतरण संख्या 142 में की गई कार्यवाही को पुनः बदल कर फर्जी दूसरी कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप अपराधिक जांच की एक पत्रावली सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? इस पर कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है। अब कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा?

(4) क्या इसी सरपंच के खिलाफ जांच रिपोर्ट कलेक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक 28-5-1985 को मन्त्री महोदय के पास भेजी गई है? यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

(5) उक्त मामलों में कब तक सरकार द्वारा निर्णय ले लिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त शिकायतों की जांच उप जिलाधीश, आमेर द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई।

(2) जांच की गई थी। कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जी हां। जिलाधीश, जयपुर से यह मामला उनके पत्र दिनांक 28-5-85 द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। विभाग द्वारा दिनांक 26-7-85 को सरपंच को आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(4) जिलाधीश ने प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट पंचायत राज विभाग को भेजी है। सरपंच के आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(5) विस्तृत जांच पूर्ण होने पर ही निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

जांच रिपोर्ट

जांच प्रतिवेदन-विरूद्ध श्री कल्याण सहाय, सरपंच, ग्राम पंचायत रायपुर

अवर सचिव (जांच), सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग के आदेश क्रमांक: एफ-3/एजे/16/जांच/पवि./जय./81/1436 दिनांक 5-3-82 के अनुसार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को उक्त श्री कल्याण सहाय, सरपंच, ग्राम पंचायत. रायपुर के विरुद्ध. राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 21(4) के अनुसार उस पर स्थापित आरोपों की जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः निर्देशानुसार जांच राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम. 21 (4) के अन्तर्गत सरपंच के समकक्ष की गई।

उक्त श्री कल्याण सहाय, सरपंच, ग्राम पंचायत, रायपुर के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना एवं अकाल राहत योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में धनराशि का दुरूपयोग किये जाने, जिला रसद अधिकारी, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार सीमेन्ट लाईसेन्सियल एक्ट कन्ट्रोल आर्डर, 1974 की धारा 19 की अवहेलना करने एवं सहायक परियोजना अधिकारी, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अन्त्योदय में गलत व्यक्तियों का चयन कर उनको लाभान्वित करने एवं पद के दुरूपयोग करने संबंधी आरोप स्थापित किये गये हैं।

उक्त आरोपों में उक्त श्री कल्याण सहाय सरपंच ने इन्कार किया है, आरोपों का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया व केवल लिखित बहस पेश की है एवं अपने बचाव पक्ष में अपना स्वयं का बयान करवाया है।

जांच से संबंधित रिकार्ड में प्राथमिक जांच पत्रावलियां किता 3 (तीन) आदेश के साथ प्राप्त हुई एवं जांच रिकार्ड मस्ट्रोल कार्यवाही रजिस्टर, प्राप्त एवं वितरण रजिस्टर खाद्यान्नों का रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, मस्ट्रोल वितरण रजिस्टर, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, गेहूं प्राप्ति रसीदात, गेहूं की पंचायत द्वारा दी गई स्वीकृति, सार्वजनिक कूप मरम्मत रायपुर के इकरारनामें आदि पंचायत प्रसार अधिकारी, जयपुर से प्राप्त किये गये।

मैंने श्री कल्याण सहायक सरपंच रायपुर के समक्ष जांच पूर्ण की। मेरा आरोपवार निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :—

(1) काम के बदले अनाज एवं अकाल राहत योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में पाये गये आरोप :—

1. ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराये गये निर्माण कार्यों में 7503-22 की राशि का दुरूपयोग :—

श्री कल्याण सहाय, सरपंच, ग्राम पंचायत, रायपुर ने बयान किया है कि काम

के बदले अनाज योजना एवं अकाल राहत योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में जो पंचायत क्षेत्र में कराये गये थे उसमें 7503–22 की राशि या किसी भी प्रकार की राशि का दुरूपयोग नहीं किया है। यह सारा निर्माण कार्य पंचों द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में रखे गये प्रस्तावों के अनुसार कराये गये हैं। वह प्रस्ताव दिनांक 28-12-78 को प्रस्ताव संख्या 4 लिया गया था जो एक्जी. 3 है। पंचायत में काम करवाने की पूरी जिम्मेदारी पंचों पर डाली थी। भुगतान की जिम्मेदारी भी वार्ड पंचों पर ही डाली गई थी। उसने जो भुगतान के लिये गेहूं प्राप्त किये वह मस्ट्रोल के अनुसार वार्ड पंचों को भुगतान हेतु दे दिये थे एवं उन पंचों की रसीदें करवा ली थी। पंचायत में सर्व सम्मति से कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये थे।

चूंकि आरोप में यह स्पष्ट नहीं है कि किन किन निर्माण कार्यों में धन राशि का दुरूपयोग किया गया अतः श्री रामकल्याण शर्मा द्वारा प्रस्तुत शिकायत (जिलाधीश महोदय, जयपुर) दिनांक 3-2-81 का अवलोकन किया गया। इसके पैरा नम्बर 2 में अंकित निर्माण कार्य ग्राम रायपुर, सायपुर एवं घोरेट का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

(1) ग्राम रायपुर से धौलाई जाने का ग्राम रास्ता :—

पंचायत प्रसार अधिकारी की जांच से जाहिर है कि यह कार्य पंचायत द्वारा कराया गया है। मौके पर कार्य को उन्होंने देखा है व पूर्ण का होना व्यस्त किया है। इस कार्य हेतु मस्ट्रोल संख्या 22107, 22108, 22109 व 22110 श्री रेवडमल के नाम जारी हुई है। प्राप्त एवं वितरित किये गये खाद्यान्नों के रजिस्टर एवं मस्ट्रोल से स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :—

मस्ट्रोल सं.	श्रमिकों की सं.	दिनों की सं.	गेहूं की मात्रा	कीमत
1. 22107	8	124	675-800	744-00
2. 22108	11	161	1206-350	1326-00
3. 23109	11	144	2096-100	2304-00
4. 22110	10	30	432-000	432-00
			योग	4806-00

इन मस्ट्रोलों से प्रत्येक पर संबंधित पंचों सर्व श्री रेवडमल, छीतर पंच, बद्रीनारायण शर्मा एवं रूप नारायण के हस्ताक्षर हैं। भुगतान किये जाने का प्रमाणकरण श्री रेवड़मल पंच का है। दिनांक 28-3-79 को ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृति की

गई है। इससे जाहिर है कि यह कार्य अकेले सरपंच ने नहीं कराया बल्कि सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत की मीटिंग में पेश हुये प्रस्तावानुसार कराया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी पेश किया है जिस पर सरपंच के अलावा अन्य पंचों के भी 15-4-79 के हस्ताक्षर विद्यमान है। यह 5000-00 रुपये की स्वीकृति बदले 4806-00 रुपये का कार्य है। इसका मूल्यांकन नहीं किया गया अत: यह कहना संभव नहीं है कि यह कार्य की कितनी राशि का कराया गया है।

(2) ग्राम सायपुरा :—

(1) भोपता बंधे का खरंजा :

इस कार्य हेतु दो मस्ट्रोल संख्या 17279 व 49581 दिनांक 28-1-79 श्री बद्रीनारायण शर्मा पंच को जारी की गई है। इनकी स्थिति निम्न प्रकार हैं :—

(1) 17239	7	91	1490-450	1638-00

इसमें दूसरी मस्ट्रोल संख्या 494851 जारी हुई है। इसमें केवल 172-39 वाली ही मस्ट्रोल प्रयुक्त हुई है। सरपंच का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 15-4-79 का विद्यमान है। दिनांक 28-12-78 के प्रस्ताव अनुसार यह कार्य कराया गया है।

सहायक अभियन्ता, सामुदायिक विकास (कलेक्टर) में इसका मूल्यांकन केवल 554-19 पैसे का किया है जबकि इसमें 1638-00 रुपये खर्च किये गये हैं। यह कार्य श्री बद्रीनारायण, उप सरपंच की मार्फत हुआ है। अत: अन्तर राशि उससे वसूल योग्य है। सरपंच इसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) गांव वाली तलाई में खरड़ जाने का रास्ता :—

यह निर्माण कार्य पंचायत की स्वीकृति दिनांक 15-12-78 के प्रस्ताव संख्या 12 के अनुसार कराया गया है। श्री बद्री नारायण, उप सरपंच के मस्ट्रोल संख्या 495854 व 495845 जारी हुई है। स्थिति निम्न प्रकार है :

क्र. स.	मस्ट्रोल नं.	श्रमिकों की संख्या	दिनों की संख्या	गेहूं की मात्रा
1.	494854	20	140	2674-00
2.	495845	20	121	2324-00
				4998-00

262

सरपंच का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 15-4-79 का पेश हुआ है। मस्टरोल पर प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार पंचायत की स्वीकृति दिनांक 15-1-79 की होने का प्रमाण-पत्र अंकित थे। पंचों के हस्ताक्षर भी कराये गये हैं। सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास (क्लेक्टर) जयपुर द्वारा इसका मूल्यांकन कराया गया तो यह कार्य 2316-30 का अधिक कराया गया है क्योंकि उनके हिसाब से 7314-30 का कार्य है। अत: यह आरोप सरपंच पर प्रमाणित नहीं होता।

(4) बड़ी खान से चेतीलाव तक ग्राम रास्ता :—

रिकार्ड के अनुसार यह कार्य काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायत की स्वीकृति दिनांक 28-12-78 के प्रस्ताव 13 के अनुसार कराया गया है। इस कार्य हेतु मस्ट्रोल संख्या 22111, 28038 व 26132 जारी हुई है। श्री रेवडमल, छीतर पंचों ने यह कार्य कराया है। इसके पश्चात् पंचायत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पंचायत ने भुगतान की स्वीकृति दिनांक 28-3-79 को प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार दी है। श्री रेवडमल ने 4856-00 रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश किया है। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो मूल्यांकन किया है उसमें अंकित किया है कि 5000-00 रुपये की राशि से भी अधिक कार्य हुआ है, लेकिन पुराना हो जाने की वजह से यह कहना मुश्किल है कि कार्य खान वालों की तरफ से हुआ है या पंचायत द्वारा। कुछ भी हो कार्य 5000.00 रुपये से अधिक का होना जाहिर है। अत: यह आरोप सरपंच पर प्रमाणित नहीं होता।

(5) घोरेट से आंधी जाने का रास्ता :—

यह निर्माण कार्य भी काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत दिनांक 28-12-78 के प्रस्ताव संख्या 11 की स्वीकृति के अनुसार कराया गया है। निर्माण कार्य कराने हेतु छीतरमल पंच व श्री शुभाराम को मस्ट्रोल दिये गये है। मस्ट्रोल पर अंकित प्रमाण पत्रों के आधार पर उक्त दोनों पंचों ने कार्य कराया है। सहायक अभियन्ता के मूल्यांकन के अनुसार यह कार्य 3068.00 का अधिक का बताया गया है, जबकि यह कार्य 4874.00 का कराया गया है। अत: 1806.00 का अधिक भुगतान हुआ है। जो श्री दुलाराम व श्री छीतर पंच से वसूली योग्य है इसमें सरपंच का दोषी होना प्रमाणित नहीं होता है।

(6) भगवानपुरा से आंधी जाने का रास्ता —

यह कार्य भी काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कराया गया है। पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 15-12-78 प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार श्री गंगाराम पंच के द्वारा कराया गया है। गंगाराम पंच ने मस्ट्रोल प्राप्त की है तथा इन्होंने मस्ट्रोल पर कार्य कराया है। गंगाराम की रिपोर्ट आने पर दिनांक 1-5-79 के प्रस्ताव 5 के अनुसार भुगतान की स्वीकृति पंचायत ने दी है। सहायक अभियन्ता ने इस कार्य का मूल्यांकन

राशि नहीं बतलाई है तथा जवाब भी नहीं दिया है। अतः मूल्यांकन के अभाव में अन्तर राशि दर्शाया जाना असम्भव है। वैसे यदि कोई अन्तर आता है तो भी उसके लिये गंगाराम पंच उत्तरदायी होगें। सरपंच इसके लिये दोषी नहीं होता है।

(7) राड़ा की ढाणी से खरड जाने का रास्ता :—

यह निर्माण कार्य भी काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 14-11-78 के प्रस्ताव संख्या 6/3 की स्वीकृति के अनुसार कराया गया है। जिसकी मस्ट्रोल गंगाराम ने प्राप्त की है। इन्हीं के द्वारा भुगतान किया गया है। 5000/- रुपये कीमत के गेहूं का भुगतान कराया गया है। सहायक अभियन्ता के मूल्यांकन के अनुसार यह कार्य 1934-40 का अधिक कराया गया है। अर्थात उनका मूल्यांकन 6934.40 का है। अतः यह आरोप भी सरपंच पर प्रमाणित नहीं होता है।

(8) ग्राम घोरेट में खुर्रा निर्माण : —

मस्ट्रोल के अनुसार यह कार्य छीतर व दूला पंचों ने किया है जिन्होंने यह कार्य कराकर भुगतान किया है। पंचायत के प्रस्ताव संख्या 5(1) दिनांक 14-11-78 के अनुसार कार्य हुआ है। स्वीकृति पंचायत द्वारा 15-2-79 को दी गई है। 5,000/- की स्वीकृति राशि के मुकाबले कार्य कराया गया है। इस कार्य हेतु मस्ट्रोल संख्या 956, 17242, 22093, 22094 28042 प्राप्त हुई है। इसका मूल्याकन भी सहायक अभियन्ता से नहीं कराया गया अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अन्तर कितना है। यदि यह अन्तर भी जांच के बाद आये तो सरपंच इसीलिये दोषी नहीं बल्कि अन्तर की राशि संबंधित पंचों से वसूली योग्य है।

(9) ग्राम भगवानपुरा का खुर्रा :—

यह कार्य के बदले अनाज योजना में कराया गया है। मस्ट्रोल के अनुसार प्रयुक्त तीन मस्ट्रोल अवलोकन से 4980-00 का कार्य करवाया गया है किन्तु भुगतान 4785-00 का ही किया गया है। सहायक अभियन्ता ने इसका मूल्यांकन नहीं किया है। यह पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 14-11-78 के अनुसार हुआ है। सरपंच स्वयं इसीलिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पंचायत प्रसार अधिकारी ने मौके पर देखने के अनुसार कार्य सन्तोषप्रद बताया है। अतः यह आरोप भी सरपंच पर प्रमाणित नहीं होता।

(10) भगवानपुरा से ढाणी रेगरान का रास्ता :—

यह कार्य काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत हुआ है। दिनांक 15-12-78 की बैठक के प्रस्तस्ताव संख्या 14 के अनुसार यह कार्य कराया है। कुल 4680.00 का कार्य कराया गया है। गंगाराम पंच ने यह कार्य कराया है। सहायक अभियन्ता ने मूल्यांकन नहीं किया अतः अन्तर दर्शाना असम्भव है। अतः यह आरोप भी प्रमाणित नहीं होता।

(11) जारंडा तलाई खान वाली :—

यह कार्य भी पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 28-12-78 द्वारा 3,000/- की स्वीकृति राशि के मुकाबले कराया गया है। श्री रामकिशोर शर्मा, पंच ने प्रमाण पत्र भी दिया है। मस्ट्रोल संख्या 22136 पर संख्या 20 पर श्री राम किशोर पुत्र महादेव मेट के नाम जो 104–00 रुपये का भुगतान किया है उस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है और न किसी अन्य के हैं। तथा नाम बाद में लिखा गया है स्पष्ट जाहिर होता है। अतः यह राशि 104 रुपये श्री रामकिशोर से वसूली योग्य है। सरपंच पर यह आरोप प्रमाणित नहीं होता।

(12) जाखडा सार्वजनिक तलाई

यह निर्माण कार्य भी काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कराया गया है पंचायत के प्रस्ताव 14-11-78 प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार यह हुआ है। मस्ट्रोल पंचायत से श्री घीसीलाल पंच ने प्राप्त किये है। पर मस्ट्रोल पर प्रमाणपत्र श्री रामकिशोर पंच का दिया हुआ है। कि यह कार्य उसके द्वारा कराया गया है।

मस्ट्रोल के देखने से जाहिर है कि मस्ट्रोल संख्या 10692 पर भुगतान केवल 10 व्यक्तियों के करने की निशानी है जिनमें 4 पर स्टाम्प लगाकर निशानी करा कराई गई है तथा 6 पर निशानी के निशान हैं किन्तु किसको भुगतान किया अज्ञात है। इन चार लोगों सर्वश्री मैदा पुत्र गणेश, केशर पुत्र धीस्या नहनू पुत्र लादू, कजोड पुत्र भैरों कुल 4 मजदूरों का भुगतान प्रमाणित नहीं होता। इनकी 264.00 रुपये की राशि का गबन श्री रामकिशोर पंच द्वारा करना जाहिर है। इनसे यह रकम वसूली योग्य है व कार्यवाही तलब मामला हैं।

मस्ट्रोल संख्या 10690 पर मेट जिसने मस्ट्रोल पर कहीं भी हस्ताक्षर नहीं किये है तथा मस्ट्रोल भी दोहरे राइटिंग के तैयार किये गये हैं किन्तु मेट भोंरी लाल पुत्र श्रवण मीणा जारूण्डा के नाम से 104 किलोग्राम गेहूं मस्ट्रोल में अंकित किये हैं। प्राप्ति पर श्री भौंरीलाल के हस्ताक्षर नहीं है। अतः 104.00 भी गबन की तारीफ में आता है जो श्री रामकिशोर पंच से वसूली एवं कार्यवाही योग्य है। सरपंच इसमें स्वयं दोषी नहीं पाया जाता है।

(13) सायपुरा तलाई गूजरान

यह कार्य काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायत के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 14-11-78 के अन्तर्गत हुआ है। यह कार्य श्री किशनलाल पंच ने करवाया है तथा इन्हीं ने भुगतान किया है जैसा कि मस्ट्रोल के नीचे मेट का प्रमाण पत्र स्पष्ट है मेट के हाजरी लेने वाले कालम में प्रतिदिन कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करना तथा मेट के भुगतान प्राप्ति के हस्ताक्षर के कालम में मेट की निशानी करना यह स्पष्ट करता है कि 112·00 रुपये का गलत भुगतान कर श्री किशन लाल पंच द्वारा उक्त राशि का दुरुपयोग किया है सरपंच पर यह प्रमाणित नहीं होता।

(14) ग्राम घोरेट तलाई हरवाला

यह कार्य दुलाराम पंच ने मस्ट्रोल प्राप्त कर कराया है जैसा कि मस्ट्रोल वितरण रजिस्टर है से जाहिर है। मस्ट्रोल उसने प्राप्त की है। भुगतान प्रमाण पत्र पर भी उसी के हस्ताक्षर है। यह ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुसार 14-11-78 द्वारा हुआ है। तीनों मस्ट्रोलों पर मेट रेबड सिंह पुत्र उमराव सिंह का नाम काटा गया है तथा अलग स्याही से काटकर उसके स्थान पर अन्य व्यक्तियों के नाम लिखे गये हैं। जो नाम मैंट का बाद में लिखा है। उसके राइटिंग से भी जाहिर है कि यह बाद में लिखा गया है। क्योंकि दोनों लेखन में अन्तर है। इससे साबित है कि बाद में लिखे गये मस्ट्रोलों का भुगतान गलत किया गया है यह 160.00 रुपये की राशि श्री दुलाराम पंच से वसूल योग्य है। तथा कार्यवाही तरफा है। सरपंच इसके लिये दोषी नहीं कहा जा सकता।

(15) जारुण्डा मोड से घाट नला तक का खूरा घाट जमवा

यह कार्य काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कराया गया है। श्री सोहनाथ पंच के द्वारा कार्य कराया गया है तथा भुगतान श्री सोहनाथ पंच ने किया है जैसा कि मस्टोल पर दिये गये प्रमाण पत्र से जाहिर है। यह कार्य 4464.00 रुपये का कराया गया है। सरपंच ने अपने बयान में कार्य पूर्ण होना बताया है। शिकायत कर्ताओं द्वारा कोई प्रमाण पेश नहीं हुये हैं। सहायक अभियन्ता ने मूल्यांकन नहीं भेजा है। आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(16) घोकला मेड़ की ढाणी का खुर्रा

यह निर्माण कार्य ग्राम पंचायत की स्वीकृति के अन्तर्गत कराया गया है श्री रामकिशोर पंच के द्वारा कराया गया है जैसा कि मस्ट्रोल पर दिये प्रमाण पत्र से जाहिर है। श्री रामकिशोर ने ही पंचायत से 4992.00 रु. का गेहूं प्राप्त कर भुगतान किया है। इस कार्य पर जो मेट लगाया गया है वह अनपढ़ मालूम होता है क्योंकि उसके मस्टोल पर हाजरी लेने वाले के हस्ताक्षर कालम में नहीं हैं। गेहूं प्राप्ति की निशानी मौजूद है। अत: घोकलराम को जो 184–00 रुपये का जो भुगतान किया गया है वह गलत है। इसकी वसूली श्री रामकिशोर पंच से होनी चाहिये। सहायक अभियन्ता, सामुदायिक विकास (क्लेक्ट्रेट) जयपुर को मूल्यांकन हेतु लिखा गया था। पर रिपोर्ट में इस कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है। अत: घरुकार्य का सही अनुमान नही लगाया जा सकता कि यह कार्य कितने रुपये का हो चुका है। सरपंच इस कार्य के लिये दोषी प्रमाणित नहीं होता।

(17) सायपुर गांगाई तलाई सार्वजनिक

यह निर्माण कार्य काम के बदले अनाज योजना में पंचायत की स्वीकृति दिनांक 15-12-78 के प्रस्ताव संख्या 11 के अनुसार कराया गया है। इस कार्य हेतु श्री बद्री-

नारायण उप सरपंच को नियुक्त किया गया था उसी ने अपनी देखरेख में यह कार्य कराया है।

यह कार्य 4634.00 रुपये के गेहूं की लागत में हुआ है। भुगतान श्री बद्रीनारायण उप सरपंच ने किया है जैसा कि मस्टरोल पर दिये गये प्रमाण पत्र से जाहिर है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के अनुसार यह कार्य वर्ष 1978 का होने से, व कच्चा होने के कारण काफी समय बीत जाने के फलस्वरूप तलाई का कार्य का मूल्यांकन नहीं हो सकने के कारण नहीं कराया गया। जांच में दिये गये तथ्यों के अनुसार निर्माण कार्य कर स्थिति में कम कराया जाना प्रमाणित नहीं होता। सरपंच पर यह आरोप भी प्रमाणित नहीं होता।

(18) **घोरेट तलाई बसीब**

यह निर्माण कार्य श्री छीतर मल पंच के द्वारा कराया गया है।

इस कार्य पर जो मेट बोदू पुत्र महादेव को लगाया गया था उसके गेहूं प्राप्ति की निशानी की है। हाजरी लेने वाले के कालम में मेट का कालम खाली है इससे जाहिर है कि यह व्यक्ति अनपढ़ है।

उक्त श्री बोदु पुत्र महादेव योगी ने हरवाला घोरेट तलाई निर्माण कार्य में मेट बनकर प्राप्ति पर हस्ताक्षर किये है। अतः यह साफ जाहिर है कि यह निशानी फर्जी की गई है तथा 96 00 रुपये का श्री छीतरमल पंच द्वारा गबन किया गया है। तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कराये गये हैं। यह राशि श्री छीतरमल पंच से वसूल योग्य है। मस्ट्रोल पर भुगतान पर रसीदी टिकट नहीं लगाकर सरकारी फीस की क्षति की है। यह राशि (रसीदी टिकटों) की भी उक्त श्री छीतरमल पंच से वसूली योग्य है। सरपंच पर यह आरोप सिद्ध नहीं होता।

(19) **सार्वजनिक कूप मरम्मत रायपुर**

यह निर्माण कार्य रायपुर में एक खातेदार के कुए में कराया जाना जाहिर है। निर्माण कार्य बेलकोटा तथा कूप मरम्मत कार्य के नाम से दिनांक 15-12-78 को प्रस्ताव संख्या 8 के अनुसार कार्य कराने की पंचायत ने स्वीकृति दी है। प्राप्त रिकार्ड के अनुसार इस कूये के खातेदारान ने दि. 25-11-78 को एक प्रार्थना पत्र पंचायत रायपुर के समक्ष इस आशय की पेश की है कि यह कुआ पुराना बेकार पड़ा हुआ है जो कृषि कार्य में नहीं आता। यह सदैव से सार्वजनिक काम में आता रहा है। अतः इस कूये को गहरा कराने व मरम्मत कराने व नई खेली बनाने हेतु 5,000/– रुपये की मन्जूरी प्रदान की जावें। इस प्रार्थना पत्र पर वार्ड पंच श्री रेवडमल ने कूप नम्बर 30 का बेकार पडा होना हमेशा से पशुओं के पानी पीने के काम में आने की रिपोर्ट करते हुए इकमी (कूप खसरा नम्बर 30) मरम्मत व खेली के लिये स्वीकृति दिलाने की सिफारिश की है।

दिनाक 28-11-78 को इस कूए के खातेदारान ने एक सादा कागज पर तहरीर इस आरोप की लिखवाई है कि इस कूऐ पर उनका कोई उज्र नहीं होगा और व: पंचायत के अधिकार में रहेगा । यह सार्वजनिक सम्पत्ति रहेगी । निर्माण कार्य उक्त तहरीर के अनुसार कराया गया है । पटवारी के रिकार्ड में भी पंचायत इंसपेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार यह खातेदारी का कुआ है। राजस्व रिकार्ड में इसकी दुरूस्ती विधिवत रूप से नहीं कराई गई है । नियमानुसार या तो खातेदार को पंचायत के हक में रजिस्ट्री कराते अथवा इसे पंचायत के हक में सरेण्डर करते और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराई जानी चाहिये थी । यह नहीं किया गया है । सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास कलेक्ट्रेट जयपुर का इसका मूल्यांकन करने हेतु लिखा जाना जाहिर है पर मूल्यां-नहीं किया गया है । अतः राशि का पूर्ण उपयोग होने ।

(20) ग्राम बावडी का ग्राम रास्ता

यह कार्य पंचायत की स्वीकृति के अनुसार काम के बदले अनाज योजना में कराया गया है । इस कार्य को कराने के लिये श्री रामकिशोर पंच ने मस्ट्रोल प्राप्त की है तथा ग्राम पंचायत से श्रमिकों को भुगतान हेतु गेहूं प्राप्त कर रसीद पेश की है ।

मस्ट्रोल के अवलोकन करने से जाहिर है कि मस्ट्रोल संख्या 22135 पर श्री मनमोहन पुत्र राधेश्याम मेट के नाम 65,700 किलो गेहूं उठाया गया है किन्तु मेट द्वारा श्रमिक की हाजरी लेने वाले का नाम लिखने आदि की कोई कार्यवाही नही की गई है । और नहीं अपने निर्धारित हस्ताक्षरों के कालमों में हस्ताक्षर ही किये है । श्री. मनमोहन मेट का 72,00 रुपये का भुगतान गलत रूप से किया व जो श्री रामकिशोर पंच से वसूली योग्य है इसी मस्ट्रोल पर श्री बंशीधर को 288.00 रुपये देना बताया है जबकि हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं । केवल स्टाम्प लगाकर छोड़ दिया गया है । अतः ये 288.00 रुपये भी श्री रामकिशोर पंच से वसूली योग्य है।

मस्ट्रोल संख्या 495862 पर राधेश्याम मेट का नाम बेलदार लिखकर मेट बनाया गया है जो दोहरा राईटिंग होने से संदेह उत्पादन करता है किन्तु श्रमिकों की हाजरी के कालम में मेट के हस्ताक्षर नहीं होने से यह स्पष्ट है कि यह भुगतान फर्जी है अतः राशि 104.00 रुपये भी श्री शर्मा पंच से वसूली योग्य है ।

श्री हरसहाय पुत्र रामचन्द्र ने प्राथमिक जांच में सशपथ बयान किया है कि उक्त कार्य पर उसमें कोई गाडी का कार्य नहीं किया है जबकि दोनों मस्ट्रोलों में क्रमशः 3:11 पर श्री हरसहाय पुत्र रामचन्द्र का नाम गाडी बैल से कराने का भुगतान देने के हस्ताक्षर कराये गये है या दिये गये हैं ।

मस्ट्रोल संख्या 22135 के क्रमांक 3 पर स्टाम्प रसीद हरसहाय की है अर्थात हरसहाय के हस्ताक्षर होना स्पष्ट है किन्तु मस्ट्रोल संख्या 495862 क्रम संख्या 11 पर

उसी हरसहाय पुत्र रामचन्द है जो हस्ताक्षर स्टाम्प पर कराये गये है उसे मस्ट्रोल संख्या 22136 के क्रमांक 3 पर किये गये हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते। इससे स्पष्ट है कि वे हस्ताक्षर फर्जी कराये गये है। यह राशि 352.00 रुपये श्री रामकिशोर पंच से वसूली योग्य है इस प्रकार श्री रामकिशोर पंच से कुल 816.00 रुपये की राशि वसूली योग्य है। सरपंच इसके लिते दोषी नहीं ठहरता।

(21) **सार्वजनिक तलाई भगवानपुरा**

यह कार्य भी गंगाराम मेट ने मस्ट्रोल लेकर कराया है। इसका मूल्यांकन सहायक अभियन्ता से नहीं हुआ है। अतः अन्तर राशि निकाला जाना संभव नहीं है वैसे सरपंच इसके लिये दोषी नहीं कहा जा सकता।

(22) **खुर्रा भूरियों का वास कुई तक**

यह कार्य भी पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार कराया गया है इस कार्य के लिये दो मस्ट्रोल काम में ली गई है इस कार्य में कुल 4905.00 रुपये की कीमत की गेहूं के बदले कराया गया है। स्वीकृति 5,000.00 रुपये के अधीन कार्य कराया गया है।

मस्ट्रोल संख्या 495846 के अवलोकन से जाहिर है कि श्री रामधन पुत्र हीरालाल मेट के 104.00 रुपये की कीमत के गेहूं का भुगतान किया गया है जबकि मेट के हाजरी लेने तक के हस्ताक्षर नहीं है। उसके द्वारा कोई कार्य कराया जाना नहीं पाया जाता। अतः यह 104.00 रुपये की राशि श्री बद्रीनारायण उप सरपंच से वसूली योग्य है। जिनके भुगतान हेतु गेहूं प्राप्त किये व कार्य कराया है।

मस्ट्रोल संख्या 495844 में श्री भगवाना पुत्र जैला ब्राह्मण कारीगर को 126.00 रुपये का भुगतान किया गया है। जिस पर हस्ताक्षर के कालम में टिकिट लगा हुआ है पर श्री भगवाना के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार यह राशि भी श्री बद्रीनारायण उप सरपंच के वसूली योग्य है। सरपंच इस मामले में दोषी नहीं ठहरता।

(23) **शमशान के तले ढाणी गुजरान का आम रास्ता भरवाई :**

यह कार्य श्री गंगाराम पंच के द्वारा करवाया जाना जाहिर है जैसा कि मस्टरोल पर उसके हस्ताक्षर से स्पष्ट होता है। पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 28-12-78 प्रस्ताव संख्या 1 के अधीन स्वीकृति पर कराया गया है। सहायक अभियन्ता के मूल्यांकन अभाव में अन्तर राशि दर्शाया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी सरपंच इसमें दोषी नहीं ठहरता।

(24) **ढाणी गुजरान के आम रास्ते का खुर्रा :**

यह कार्य भी पंचायत के प्रस्ताव संख्या 6 (6) दिनांक 14-11-78 के अनुसार

श्री गंगाराम पंच के द्वारा कराया गया है । सहायक अभियन्ता के मूल्यांकन के अभाव में अन्तर राशि दर्शाया जाना संभव नहीं है फिर भी सरपंच पर यह आरोप सिद्ध नहीं होता है ।

(25) **प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण रायपुर :**

यह निर्माण कार्य अकाल राहत योजना के अन्तर्गत दिनांक 15-12-79 की स्वीकृति के अनुसार श्री बद्रीनारायण, उप सरपंच के द्वारा कराया गया है । मस्ट्रोल के अनुसार 1928.80 कीमत का गेहूं एवं 4912.60 पैसे का नगद भुगतान कुल 6841.48 का भुगतान किया गया है । सहायक अभियन्ता द्वारा शाला भवन का जो मूल्यांकन किया गया है वह 5184.76 का बताने के साथ 20% अधिक मूल्यांकन बढाने की सिफारिश की है । इस प्रकार यह कार्य का कुल 6221.00 का आता है अधिक राशि का कराया गया है । यह कार्य मूल्यांकन से 620.48 अधिक राशि का कराया गया है अत: रुपये 620.48 की राशि श्री बद्रीनारायण शर्मा, उप सरपंच से वसूल योग्य है ।

(26) **प्राथमिक शाला भवन भगवानपुरा :**

यह निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पंचायत के निर्णय दिनांक 15-12-79 के 3 के अनुसार कराया गया है । इस कार्य को कराने हेतु श्री गंगाराम पंच ने दो मस्ट्रोल प्राप्त किये हैं तथा मस्ट्रोल में खण्डवालों तथा श्रमिकों को भुगतान दर्शाया गया है जो 2155.89 की कीमत का गेहूं तथा 4774.75 रुपये का नकद भुगतान कुल 6930.64 का व्यय होना बताया है सहायक अभियन्ता के द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार कार्य 5792.68 का होना एवं 20% रेट बढ जाने के कारण और दिये जाने का नोट अंकित किया गया है इस प्रकार यह कार्य मूल्यांकन से अधिक का होना पाया जाता है । शिकायत सिद्ध नहीं होती है ।

(27) **प्राथमिक विद्यालय निर्माण धोरेट :—**

यह निर्माण कार्य पंचायत की बैठक दिनांक 15-12-79 की स्वीकृति के अनुसार श्री दुलाराम पंच के द्वारा कराया गया है जो अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत हुआ है । इस कार्य में मस्ट्रोलों के अनुसार 2062.83 की कीमत का गेहूं एवं 4862.85 नकद राशि कुल 6925.68 की राशि का व्यय होना बताया गया है । सहायक अभियन्ता के मूल्यांकन के अनुसार 20% की सिफारिश के अनुसार वृद्धि करने पर 5909.00 का कार्य आता है । अन्तर राशि 1016.68 की राशि श्री दुलाराम से वसूल योग्य है ।

(28) **पेयजल कूप निर्माण धोरेट :—**

यह निर्माण कार्य भी अकाल राहत योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की स्वीकृति

दिनांक 15-9-79 के द्वारा श्री दुलाराम पंच के द्वारा कराया गया है निर्माण कार्य 3849.30 की कीमत के गेहूं एवं 9353.00 नकद कुल 13202.30 का व्यय हुआ है। सहायक अभियन्ता के मूल्यांकन के अनुसार कार्य 20% बढाने पर 12498.00 का होता है। 704.30 का कार्य कम कराया गया है जो श्री दुलाराम पंच से वसूल योग्य है। सरपंच इसमें दोषी साबित नहीं होता।

(29) खुर्द भगवानपुरा से ढाणी गुजरान में जाने का रास्ता :—

यह निर्माण कार्य अकाल राहत कार्य योजना में पंचायत के निर्णय दिनांक 28-5-80 के प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार कराया गया है। इस कार्य को कराने हेतु श्री गंगाराम पंच ने दो मस्ट्रोल संख्या 62985 व 73623 प्राप्त की है। तथा मस्ट्रोल में बड वालों व बेलदारों को भुगतान करना अंकित है। इस कार्यालय में केवल मस्ट्रोल संख्या 62985 एक ही प्राप्त हुई है। इस कार्य में 2924.34 की कीमत का गेहूं एवं 762.30 नगद कुल 3686.64 व्यय किये गये हैं। गंगाराम के द्वारा भुगतान किया गया है। सहायक अभियन्ता ने इसे 4416.62 का होना बताया है। मूल्यांकन के द्वारा भुगतान सहायक अभियन्ता ने इसे 4416.62 का होना बताया है। मूल्यांकन अधिक राशि का होने से कोई राशि वसूल योग्य नहीं रहती है। अतः यह आरोप सरपंच पर प्रमाणित नहीं होता है।

(30) भगवानपुरा से सावपुर का रोड :—

यह निर्माण कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत पंचायत की स्वीकृति दिनांक 17-1-80 के पश्चात प्रस्ताव संख्या 1 के अनुसार कराया गया है। कार्य कराने हेतु श्री बद्रीनारायण सरपंच ने मस्ट्रोल प्राप्त की है। तथा कार्य कराया है मस्ट्रोल के अनुसार 10792.14 की राशि का गेहूं तथा 8608.85 नगद-कुल 19300.99 रुपयों का कराया गया है। उस कोष का मूल्यांकन सहायक अभियन्ता से कराया गया। तो मूल्यांकन राशि 19573.80 का होना बताया है। इस प्रकार 273.00 मूल्यांकन रिपोर्ट से अधिक का कराया जाना साबित है अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

I. इस प्रकार आरोप संख्या 1 काम के बदले अनाज एवं अकाल राहत योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में श्री कल्याण सहायक सरपंच, ग्राम पंचायत रायपुर दोषी प्रमाणित नहीं होता।

II. जहां तक निर्माण कार्य कराने एवं भुगतान करने में अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाने का आरोप का प्रश्न है सरपंच व्यक्तिशः इसके लिये उत्तरदायी नहीं ठहरता क्योंकि पंचायत के प्रस्तावानुसार यह कार्य विभिन्न पंचों को सौंपा गया है व पंचायत ने ही इसे स्वीकृत किया है। सरपंच केवल नियन्त्रक अधिकारी होने के नाते सूचित नियन्त्रण नहीं रखने का दोषी अवश्य है।

निम्न कस्बों पर भी विचार किया गया है :

(31) **खुर्रा हररामपुरा —**

यह निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत की बैठक दिनांक 28.5.80 के प्रस्ताव संख्या 1 की स्वीकृति के अनुसार कराया गया है। श्री दुलाराम पंच के इस कार्य हेतु दो मस्ट्रोल संख्या 62986 व 73622 प्राप्त की है। प्राथमिक जांच के अनुसार 7000/- रुपये में से 2972.28 का गेहूं तथा 930.60 रोकड़ी भुगतान कर 3902.88 का कार्य बतलाया गया है। कार्य में केवल पत्थर उखाड़ कर व बेलदार का भुगतान बताया है। मौके पर कोई खुर्रा निर्मित नहीं कराया जाना प्राथमिक जांच रिपोर्ट में दर्ज है। इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट में मौके पर कार्य नहीं हुआ दर्शाया गया है। मस्ट्रोल भी इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई। अतः अन्तर राशि दर्शाया जाना असम्भव है।

(32) **खुर्रा शिवालय से मीनों का वास रायपुर —**

1. यह निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 28.5.80 के प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार 7000/– रुपये की स्वीकृति के अनुसार कराया गया है। इस कार्य की मस्ट्रोल इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के अनुसार मस्ट्रोलों के आधार पर 3082.26 पैसे (3082.26) का गेहूं तथा 1316.70 नकद कुल 4398.96 का कार्य केवल बड़वास व बेलदारों को पत्थर निकालने का व्यय किया गया है। मौके पर जांच के समय स्थान पर पत्थरों के ढेर जो स्थानों पर लगे हुए पाए गये। सहायक अभियन्ता ने मूल्यांकन रिपोर्ट में मौके पर कार्य नहीं हुआ किया है। अतः निर्माण कार्य पर व्यय तथा मौके पर पड़े हुए पत्थरों की कीमत का अन्तर दर्शाया जाना संभव नहीं है।

(2) जिला रसद अधिकारी, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार पाये गये आरोप —

(1) निजी कार्य हेतु प्राप्त सीमेंट कट्टों से विना स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण कार्य पंचायत में उपयोग लिया गया है —

श्री कल्याण सहाय सरपंच, ग्राम पंचायत रायपुर ने अपने कुओं के लिए जरिये परमिट नम्बर 21921 दिनांक 27.6.79–30 कट्टे सीमेंट तथा परमिट नम्बर 21960 दिनांक 2.9.79 को 20 कट्टे तथा परमिट नम्बर 61 दिनांक 15.5.80 में 25 कट्टे कुल 75 कट्टे सीमेंट लिए थे। इनमें से 25 कट्टे ग्राम पंचायत को सार्वजनिक कार्य हेतु देना सरपंच ने बताया है शेष 50 कट्टे के उपयोग के लिए बताया है कि 10 कट्टे तो कुवे के ढाणे खोल कपेठे व गुनटी में लगे हैं। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार

यह ठीक प्रतीत होता है । शेष 40 कट्टे कुवे की नाला चुनाई में खर्च होना बताया यह नाली पानी में डूबी होना बताया गया जो देखी नहीं जा सकती । इतना अवश्य है कि सरपंच ने विकास अधिकारी की स्वीकृति के बिना 25 कट्टे सीमेंट ग्राम पंचायत, रायपुर को दे दी है श्री कल्याण सहाय सरपंच ने लिखित बहस में व्यक्त किया है कि उसने सार्वजनिक कार्य के लिए दी है जिनको सीमेंट की सख्त आवश्यकता थी । इसमें सीमेंट लाइसेंसिंग आर्डर 1974 की धारा 19 के उल्लंघन का सवाल ही नहीं है । यह कार्य जनहित का था वास्तव में ग्राम पंचायत के सार्वजनिक कार्य में दी गई सीमेंट की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है । सरपंच इसमें इतना ही दोषी है कि उसने विकास अधिकारी से इसकी स्वीकृति नहीं ली ।

(2) पंचायत के विभिन्न निर्माण कार्यों के नाम से 150 कट्टे सीमेंट प्राप्त कर ग्राम घोरेट के पेयजल कूप में उक्त 150 कट्टे सीमेंट को लगाकर राजस्थान सीमेंट (लाइसेंस) एण्ड कन्ट्रोल आर्डर 1974 की धारा 19 का उल्लंघन करना—

श्री कल्याण सहाय सरपंच ने अलग-अलग 5 आवेदन पत्रों पर अपनी पंचायत के सार्वजनिक कार्यों के लिए 150 कट्टे सीमेंट प्राप्त की है जिनका विवरण निम्न प्रकार है —

परमिट नंबर	दिनांक	तादाद कट्टे
(1) 21968	4-9-79	30
(2) 67108	12-11-79	30
(3) 67233	10-12-79	50
(4) 32	23-4-80	20
(5) 90	12-5-80	20
		योग—150 कट्टे

ये कट्टे सीमेंट के जिस कार्य के लिए प्राप्त की उसमें न लगा कर ग्राम घोरेट के पेयजल कूप निर्माणों में ही समस्त 150 कट्टे लगा देना सरपंच ने व्यक्त किया है । लिखित बहस में व्यक्त किया गया है कि पेयजल कूप हेतु सीमेंट की कमी के कारण सीमेंट नहीं मिल पा रही थी. अतः यह सीमेंट पेयजल कूप निर्माण कार्य में लगा दी । सीमेंट की उसने कोई कालाबाजारी नहीं की है, न ही दुरुपयोग किया है । यह सीमेंट सार्वजनिक

कार्यों में लगाने हेतु विकास अधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गई, इतना ही सरपंच दोषी है। पेयजल कूप जैसे महत्वपूर्ण जनहित के कार्यों में यदि उसके सरपंच की हैसियत से सीमेन्ट प्राप्त कर लगा दी तो भी उसे विकास अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये थी।

(3) व्यक्तियों के झूठे नाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाकर सीमेंट प्राप्त करना :—

यह अस्पष्ट आरोप है, फिर भी शिकायत के आधार पर उसके अंकित मामलों पर विवेचन किया जा रहा है।

1. श्री मोहनलाल पुत्र श्री छीतरमल शर्मा ने भी कूप खसरा नम्बर 118/2 के लिये दिनांक 17-5-80 को 25 बोरी सीमेन्ट तथा दिनांक 2-9-79 को कुआ खसरा नम्बर 118/1 के लिये 20 बोरी सीमेंट प्राप्त की है। इस सीमेंट में से कुल 5 कट्टे कुए के काम में लेना निरीक्षण में अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। मोहनलाल श्री कल्याण सहाय का लड़का बताया है। इन दोनों की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 है। इस प्रकार एक ही कुये के लिये अलग अलग दरख्वास्त देकर सीमेन्ट प्राप्त करना जाहिर है। इसके लिये विकास अधिकारी (परमिट जारी करने वाले अधिकारी) को सीमेन्ट लाइसेन्सिग आर्डर, 1974 के क्लाज 18 के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिये थी।

2. श्री सीताराम पुत्र गौरीलाल व छीतर मल व पुत्र जयकिशन के नाम से प्राप्त शुदा पांच पांच कट्टे उपयोग में ले ली गई है।

3. पांचू पुत्र भौरा निवासी रायपुर द्वारा जरिये परमिट नम्बर 67235 दिनांक 12-12-79 के 30 कट्टे सीमेन्ट प्राप्त की है। सीमेन्ट का परमिट स्वयं पांचू ने प्राप्त नहीं किया बल्कि गोपाल पुत्र मांगी लाल निवासी भगवानपुरा ने प्राप्त किया है। उसने कुये के नीचे के हिस्से में हुये होल की मरम्मत के लिये इस सीमेन्ट को लगा देना जाहिर किया। फिर भी यह मामला विकास अधिकारी से सम्बन्धित था। जिसने परमिट जारी किये हैं। सरपंच इसके लिये दोषी नहीं पाया जाता है। इसमें वह सम्बन्धित व्यक्ति ही दोषी है।

इसी प्रकार रामसहाय पुत्र गंगासहाय ब्राह्मण रायपुर ने नया कुआ खुदवाने हेतु 100 कट्टों की दरख्वास्त थी। पटवारी ने सिफारिश लिखी है। रामसहाय के द्वारा सीमेन्ट आर्डर की खिलाफ वर्जी करना निरीक्षक ने बताया है पर इसमें सरपंच दोषी नहीं कहा जा सकता।

4. श्री छीतर नाथ पुत्र मालानाथ निवासी ग्राम घोरेट को उसकी दरख्वास्त पर 15 कट्टे सीमेन्ट दिनांक 2-9-79 को दी गई है। परन्तु सीमेन्ट का परमिट पंचायत समिति से श्री कल्याणसहाय सरपंच ने प्राप्त किया है। श्री छीतर मल ने निरीक्षक के समक्ष जांच के बयान दिये हैं कि वह 9 कट्टे सरपंच के यहां से है। कीमत भी अभी तक

नहीं दी है। यह भी कल्याण सहाय ने बिना अधिकार प्राप्त किया है। 6 कट्टे श्री कल्याण सरपंच ने रख लिये हैं। सरपंच श्री छीतर की रसीद 15 कट्टों की दिनांक 20-7-81 की पेश कर दी है जिसके 15 कट्टे प्राप्त कर लेना जाहिर किया है। इस प्रकार सीमेन्ट जिसके नाम का परमिट कल्याण सहाय सरपंच ने प्राप्त किया था श्री छीतर से प्राप्त करली है किन्तु सरपंच इतना अवश्य दोषी है कि उसने छीतर के नाम का परमिट बिना उसके अधिकार पत्र के प्राप्त किया है।

(3) सहायक परियोजना अधिकारी जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार पाये गये आरोप :—

1. श्री कल्याण, सहायक सरपंच द्वारा अपने भाई बद्रीनारायण का अन्त्योदय परिवार में गलत चुनकर भूमि आवंटन एवं ऋण दिलाने का लाभ :—

इस बारे में दोषी सरपंच ने लिखित बहस में व्यक्त किया है कि यह आरोप गलत है कि अन्त्योदय योजना में जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है वह ग्राम सभा की मीटिंग दिनांक 14-11-78 के प्रस्ताव नम्बर 3 से ग्राम सभा द्वारा चयनित किये गये हैं। उसका भाई बद्रीनारायण दूसरी मां का लड़का है जो बचपन से ही अलग रहता है एवं उसकी स्थिति दयनीय है। उसे केवल 2000 दो हजार रुपये ऋण के दिये हैं। जमीन इसको आवंटन कमेटी ने अलाट की है जिस पर उसने आज तक भी कब्जा नहीं किया है। इस ओर में यह उल्लेखनीय है कि निर्धनतम परिवारों का चयन अन्त्योदय योजना में ग्राम सभा में किया जाता था। सरपंच अकेला चयन करने के लिये सक्षम नहीं था। अत: सरपंच अकेला इसके लिये दोषी नहीं रहता। जहां तक ऋण दिलाने व भूमि आवंटन कराने का प्रश्न है वह भी कोई सरपंच के द्वारा सम्पादित नहीं होकर कमेटी द्वारा हुआ है।

(2) अन्त्योदय में चयनित व्यक्ति जिसके नाम ही नहीं हैं और गांव में उसको चयन कर लिया है। :—

यह आरोप भी अस्पष्ट है। किन किन ऐसे व्यक्तियों का गलत रूप से चयन कराया गया स्पष्ट नहीं होता। दूसरे यह कार्य भी ग्राम सभाओं के द्वारा हुआ है। सरपंच इसके लिये उत्तरदायी नहीं ठहरता।

(3) चयनित महिला को मिलने वाला ऋण सहायता का लाभ चयनित महिला के नाम से दूसरी महिला को दिला कर पद का दुरूपयोग करने :—

इसके लिये भी चूंकि सूचियां पंचायत समिति के पास भी और ऋण वितरण का कार्य भी मजमे आम में हुआ था इसमें अकेला सरपंच उत्तरदायी नहीं है। यह आरोप भी अस्पष्ट है। किस महिला की बजाय किसको दिलाया गया जब तक बात नहीं हो जाय संभव नहीं है।

(4) एक ही परिवार के दो व्यक्तियों को अन्त्योदय में चयन कर गलत रूप से ऋण व सहायता का लाभ दिलाना :—

यह भी अस्पष्ट है जब तक व्यक्तियों के नाम पते स्पष्ट न हों इसकी जांच किया जाना सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति घाटोल में कन्या छात्रावास

600. **श्री बहादुरसिंह (दानपुर)** : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या जिला बांसवाड़ा की घाटोल पंचायत समिति में कन्या छात्रावास के लिए पंचायत के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने की सूचना सरकार के पास आई है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार कन्या छात्रावास के लिए भूमि क्रय करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब, और नहीं, तो क्यों ?

(3) इस कन्या छात्रावास की योजना कब से चल रही है ? तथा इसको क्रियान्वित करने में इतना समय लगने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जिलाधीश, बांसवाड़ा के आदेश संख्या एफ 12(27) राजस्व/75/2649-52 दिनांक 18-7-81 द्वारा घाटोल कन्या छात्रावास के लिए 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन वर्ष 1981-82 में किया जा चुका है।

(3) योजना तो भूमि आवंटन के साथ आरंभ हो गई थी। छात्रावास भवन के निर्माण हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा बराबर-बराबर राशि आवंटित की जाती है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 30-3-84 को रुपये तीन लाख सत्यासी हजार एवं दिनांक 26-3-85 को रुपये दो लाख बारह हजार कुल रुपये पांच लाख निन्यानवे हजार आवंटित किये जा चुके हैं। इस बीच में स्थानीय व्यक्तियों ने भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है, जिससे निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब हुआ है। अनाधिकृत कब्जा हटाने व छात्रावास का निर्माण कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

महुवा में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

601. **श्री किरोड़ी लाल (महुवा)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का जनहित में महुवा जिला सवाई माधोपुर में मुंसिफ कोर्ट खोलने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से मुंसिफ कोर्ट कार्यालय व मुंसिफ मजिस्ट्रेट के आवास हेतु ब्ल्यू प्रिन्ट पंचायत समिति, महुवा को भेजा था ?

(3) क्या यह सही है कि जिला न्याया-

(श्री करोड़ीलाल)

धीश के यहां पंचायत समिति, महुवा की ओर से मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय व मुंसिफ के आवास हेतु ब्ल्यू प्रिन्ट भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कब व अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। महुवा जिला सवाई माधोपुर में मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने मुकदमों की संख्या कम होने से कोर्ट खोलने का औचित्य नहीं बताया है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है कि राज्य सरकार की ओर से मुन्सिफ कार्यालय व मुंसिफ मजिस्ट्रेट के आवास हेतु ब्ल्यू प्रिन्ट पंचायत समिति महुआ को भेजा गया था।

(3) जिला न्यायाधीश के यहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय व मुंसिफ के आवास हेतु पंचायत समिति महुआ की ओर से ब्ल्यू प्रिन्ट भिजवाये जाने मात्र से न्यायालय का सृजन नहीं होता बल्कि न्यायालय का सृजन, माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से औचित्य होने पर किया जाना है।

बिरसलपुर शाखा की बुर्जियों में की गई लाइनिंग में घटिया टाइल्स का उपयोग

602. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बिरसलपुर शाखा की बुर्जी 102, 104, 142 व 2 आखनूर के भट्टों पर बहुत ही घटिया किस्म की टाइलें बनाने की शिकायत मुख्य अभियन्ता को मिली है? कृपया शिकायत कर्ता का नाम एवं शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मुख्य अभियन्ता को यह भी शिकायत मिली है कि बिरसलपुर ब्रांच की बुर्जी 97-5 से 156 तक की लाइनिंग में 10 लाख बहुत ही घटिया किस्म की टाइलें उपयोग में लाई गई ?

(3) उपरोक्त शिकायतें मिलने के पश्चात भी जांच नहीं करवाने के क्या कारण हैं ? अब जांच कब तक करवा ली जायेगी ?

उत्तर

(1) बिरसलपुर शाखा की बुर्जी 104 व 156 एवं छीला वितरिका के बिरलेवाला चक के भट्टों के सम्बन्ध में एक शिकायत श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य विधान सभा, की ओर से दिनांक 17.7.84 को प्राप्त हुई थी (प्रति संलग्न है)।

(2) जी, नहीं। मुख्य तकनीकी परीक्षक ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा यह सूचना मुख्य अभियन्ता को दी।

(3) जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है व जांच प्रगति पर है।

277

शिकायत की प्रति

देवी सिंह भाटी, सदस्य
राजस्थान विधान सभा,
कोलायत (बीकानेर)

दिनांक : 17-7-84

मुख्य अभियन्ता,
राजस्थान नहर परियोजना,
बीकानेर।

विषय :– बिरसलपुर ब्रांच की आर. डी. 104, 156 व छीला डिस्ट्रीब्यूटरी के बिड़ले वाला चक के भट्टों पर 'कच्ची टाइलों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

—0—

उपरोक्त विषय में लेख है कि बिरसलपुर ब्रांच की आर. डी. 104 व 156 तथा छीला डिस्ट्रीब्यूटरी का चक बिरलेवाला के भट्टों पर स्पेसिफिकेशन के अनुसार टाइलों का निर्माण नहीं किया गया है। टाइलें बिल्कुल कच्ची हैं व हाथ के रगड़ने मात्र से टूट जाती हैं। टाइलों को पूरा पकाया नहीं गया और ना ही चिकनी मिट्टी का अनुपात सही है। उक्त भट्टों पर फर्जी मस्टर रोल भरे जाकर हजारों का गबन किया है उक्त भट्टों से टाइलें बिरसलपुर ब्रांच व इसकी वितरिका व माइनर की साईट पर निर्माण कार्य में लगाने हेतु डाल दी गई हैं व कुछ टाइलें प्रयोग में भी ले ली गई हैं। यदि उक्त टाइलें निर्माण कार्य में प्रयोग में ली गई तो लाखों रुपये का तो विभाग को नुकसान होगा ही साथ में भविष्य में उक्त नहर प्रणाली के भरोसे हजारों किसानों का भविष्य आर्थिक दृष्टिकोण से अंधकारमय हो जायेगा।

यह मामला भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है अत: इसे अति आवश्यक समझते हुए तुरन्त टाइलों को प्रयोग में लाने से रोका जावे व उच्चस्तरीय जांच की जावें।

भवदीय,
ह०/–
(देवीसिंह भाटी)

(278)

बालक सम्प्रेक्षण गृह, अलवर

603. **श्री जगमालसिंह यादव** (तिजारा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर में 1-4-1985 से बाल न्यायालय की स्थापना सरकार द्वारा की जा चुकी है ? यदि हां, तो न्यायालय परिसर में क्या व्यवस्था की गई है ?

(2) क्या अलवर में बालक सम्प्रेक्षण गृह से बालकों के भाग जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो एक वर्ष की अवधि में कितने बालक, सम्प्रेक्षण गृह अलवर, से भागे हैं ?

(3) क्या वर्तमान बालक सम्प्रेक्षण गृह सुरक्षा व बालकों के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है ? क्या बालक सम्प्रेक्षण गृह के लिए उचित परिसर की व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर में दिनांक 18-2-85 से बाल न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है। बालक न्यायालय फिलहाल मुख्य न्यायिक दण्डनायक के चैम्बर में लगाया जाता है।

(2) जी हां। केवल एक बालक के पलायन का।

(3) दूसरा भवन देखा जा रहा है। प्राप्त होते ही सम्प्रेक्षण गृह को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

कोटा एवं पार्वती पर पन बिजली घरों का निर्माण

604. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत)
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार का हिमाचल प्रदेश के साथ कोटा व पार्वती पर लगने वाले पन बिजली घरों के बारे में समझौता हुआ था ? यदि हां, तो कब तथा उसकी क्या शर्तें थीं ?

(2) इन पन बिजली घरों के निर्माण कार्य की क्या प्रगति है ? इनसे कितनी बिजली का उत्पादन होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 12.9.1981 को राजस्थान हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के मध्य एक सहमति (मेमोरेन्डम आफ अन्डर स्टेंडिंग) पर हस्ताक्षर हुये थे। तदुपरान्त दिनांक 30.6.1984 का कोल डेम जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से निर्माण करने हेतु राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य इस परियोजना में 75% व्यय वहन करेगा व इस परियोजना से उत्पन्न बिजली में उसका 63% हिस्सा होगा। पार्वती जल-विद्युत परियोजना के बारे में यह तय किया गया था कि परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा होने व केन्द्र सरकार से इसकी तकनीकि अनुमति मिलने पर इस परियोजना को संयुक्त रूप से करने की दिशा में दोनों राज्य कदम उठायेंगे।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) कोल डेम विद्युत परियोजना की विस्तृत तकनीकि फिजीबिल्टी रिपोर्ट तैयार करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजने के ध्येय से विस्तृत सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश विद्युत मण्डल ने कनाडा की एक फर्म क्रिपन इन्टरनेशनल लिमिटेड को कोलडेम जल विद्युत परियोजना की विस्तृत फिजीबिल्टी रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा है। क्रिपन इन्टरनेशनल लिमिटेड, कनाड़ा ने माह अप्रेल, 1985 में हिमाचल राज्य विद्युत मण्डल को एक अन्तरिम रिपोर्ट बना कर सौंप दी है, जिसकी हिमाचल राज्य विद्युत मण्डल ने आज तक इस परियोजना पर खर्च हुई राशि में से अपने हिस्से के 1.6 करोड़ रुपये का भुगतान हिमाचल राज्यविद्युत मण्डल को कर दिया है। इस परियोजना से 600 मेगावाट (120 मेगावाट की जांच इकाइयां) विद्युत उत्पादन की योजना है।

पार्वती पन विद्युत परियोजना पर अभी प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। इस विद्युत परियोजना से 1900 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का लेखाजोखा

605. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी)
श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में पिछले पांच वर्षों में कितने बजट का प्रावधान किया गया, कितना घाटा या मुनाफा हुआ, कितनी राशि का टर्न ओवर रहा, कितनी सबसिडी राज्य बोर्ड द्वारा तथा सेन्ट्रल बोर्ड द्वारा दी गई ?

(2) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? एवं कितने वर्षों से इसका आडिट नहीं हो पाया है ?

(3) राज्य में ऐसे कितने मण्डल या संघ हैं, जिन्हें एक लाख रुपए से अधिक की राशि बिना ब्याज के उपलब्ध करा रखी है ? इनकी गतिविधियों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हेतु पिछले 5 वर्षों में निदेशन एवं प्रशासन हेतु जो बजट का प्रावधान किया गया उसकी सूचना परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है। खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई से धनराशि प्राप्त कर कामगारों को ऋण व सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है इसलिये घाटा, मुनाफा या टर्न ओवर का प्रश्न नहीं उठता। आयोग से ऋण सहायता के रूप में जो राशि प्राप्त हुई व जितनी राशि का वितरण किया उसका विवरण परिशिष्ट "बी" पर उपलब्ध है।

(2) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में 497 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं। आडिट बोर्ड के गठन वर्ष 1955 से 1983-84 तक हो चुकी है और वर्ष 1984-85 की आडिट प्रगति में है।

(3) वर्तमान में 80 खादी संस्थायें/समितियां ऐसी हैं जिन्हें खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई द्वारा एक लाख रुपये से

(उद्योग मंत्री)

अधिक राशि बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया है जिनकी विगत परिशिष्ठ "सी" पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त चार संस्थायें ऐसी हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु एक लाख रुपये से अधिक राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है जिनका विवरण परिशिष्ट "डी" पर उपलब्ध है।

इनकी गतिविधियों की निगरानी हेतु निरीक्षण राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, सहकारी विभाग, चार्टेड एकाउन्टेन्ट/महालेखाकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

विवरण

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर

परिशिष्ट–ए

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त वित्त आयोजना, आयोजना भिन्न व जिला उद्योग केन्द्र में स्वीकृत बजट व व्यय विवरण (लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	आयोजना		आयोजना भिन्न		जिला उद्योग केन्द्र	
		स्वीकृत बजट (लाख)	व्यय	स्वीकृत बजट (लाख)	व्यय	स्वीकृत बजट (लाख)	व्यय राशि
1.	80-81	43.85	43.85	76.81	76.81	3.60	4.53
2.	81-82	86.17	86 17	33.30	33.30	5.20	5.27
3.	82-83	32.45	32.45	89.29	89 29	—	6.24
4.	83-84	32.74	32.74	104.34	104.34	6.66	7.04
5.	84-85	37.44	37.44	107.49	107.49	8.00	7.93

गत पांच वर्षों में उक्त सहायता के अलावा अन्य किसी मद में किसी प्रकार की ऋण राशि प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

परिशिष्ट बी

पांच वर्षों में स्वीकृत बजट एवं वितरण की जानकारी

वर्ष	मद	स्वीकृत बजट		आयोग से प्राप्त राशि एवं वितरण की गई राशि	
		ऋण	सहायता	ऋण	सहायता
80–81	खादी	127.68	8.81	93.66	0.65
	ग्रामोद्योग	287.36	46.87	241.07	42.29
81–82	खादी	128.24	9.39	103.19	1.86
	ग्रामोद्योग	297.29	40.56	154.68	26.50
82–83	खादी	97.83	7.25	32.79	1.29
	ग्रामोद्योग	270.98	42.31	211.60	33.27
83–84	खादी	33.17	2.06	11.71	1.52
	ग्रामोद्योग	374.14	59.25	270.40	47.79
84–85	खादी	28.05	0.96	7.87	1.60
	ग्रामोद्योग	383.72	61.41	298.21	53.75

परिशिष्ट–सी

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

ऐसी संस्थायें जिन्हें आयोग द्वारा एक लाख से अधिक राशि ऋण/सहायता पके रू में उपलब्ध कराई गई की सूची ।

क्रमांक	नाम संस्था/समिति/केन्द्र
1.	मरुधर विकास मंडल, खीचन, जोधपुर
2.	नागौर जिला खादी ग्रामो. संघ
3.	अजमेर मेरवाड़ा ग्राम सेवा मंडल, अजमेर
4.	मेरवाड़ा खादी ग्रामो. संघ, विजयनगर
5.	खेराड ग्रामोद्योग विकास संघ, सावर
6.	ग्रामो. विकास मंडल, देवगढ़, उदयपुर
7.	चित्तौड़ जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, कपासन
8.	जन सेवा मंडल पहुंना, चित्तौड़
9.	गांधी आश्रम सुजानगढ़, चूरू
10.	बैराठ तहसील खादी ग्रामो. समिति, शाहपुरा
11.	खादी ग्रामो. मंडल अमरसर, जयपुर
12.	जैसलमेर खादी ग्रामो. परिषद
13.	सीमा स्वराज्य संघ, जैसलमेर
14.	मारवाड़ खादी संघ, जोधपुर
15.	मालपुरा खादी ग्रामो. समिति, टौंक
16.	राज. सेवा संघ, डूंगरपुर
17.	ग्राम स्वराज्य समिति, लाडनूं, नागौर
18.	ग्रामोद्योग मंडल, बांसवाड़ा
19.	क्षेत्रीय समग्र लोक विकास संघ, बीकानेर
20.	सर्वोदय मंडल रीडमलसर, बीकानेर
21.	बीकानेर खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बीकानेर
22.	ग्राम सेवा समिति जहाजपुर, भीलवाड़ा
23.	हिण्डौन क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति, सवाई माधोपुर
24.	नया समाज मंडल, सिरोही
25.	ग्राम स्वराज्य मंडल, खंडेला, सीकर
26.	खादी ग्रामोद्योग विकास संघ, फतेहगढ़, अजमेर
27.	खादी ग्रामोद्योग समिति, आमेर

क्रमांक	नाम संस्था/समिति/केन्द्र
28.	खादी ग्रामोद्योग समिति, डूंगरगढ़
29.	भीडराय खादी सघन विकास समिति
30.	देशराय ,, ,, ,,
31.	नमूडगर ,, ,, ,,
32.	खादी ग्रामोद्योग समिति संघ
33.	महादेव देसाई खादी मंदिर, बनस्थली
34.	खादी ग्रामोद्योग समिति, कुचामनसिटी
35.	ग्राम स्वराज्य समिति, डीडवाना
36.	मारवाड़ खादी ग्रामो. मंडल, सोजतरोड
37.	खादी ग्रामो. समिति गंगाशहर, बीकानेर
38.	खादी ग्रामो. संघ, गंगानगर
39.	स्वामी केशवानन्द खादी ग्रामो. संस्थान समिति
40.	खादी ग्रामो., टोडारायसिंह
41.	सुरघणा खादी ग्रामो. समिति
42.	ग्रामस्वराज्य समिति, उदयरामसर, बीकानेर
43.	ग्रामो. विकास समिति, बस्सी, जयपुर
44.	पंचायत समिति झोटवाड़ा खादी ग्रामो. समिति
45.	ग्राम सेवा मंडल ग्राइदानका बास, जयपुर
46.	बीरम खादी ग्रामो. संघ समिति, जालोर
47.	पोकरण खादी ग्रामो. संस्थान, जैसलमेर
48.	जोधपुर खादी ग्रामो. परिषद्, जोधपुर
49.	वर्धमान खादी ग्रामोद्योग संघ, जोधपुर
50.	खादी ग्रामो. समिति, मुकन्दगढ, झुन्झुनू
51.	ग्राम स्वराज्य समिति, मकराणा, नागौर
52.	बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर
53.	शेखावाटी खादी संघ, फतेहपुर
54.	लोक सेवा संघ, सीकर

क्रमांक	नाम संस्था/समिति/केन्द्र
55.	खादी भवन, जयपुर
56.	ऊनी उत्पत्ति केन्द्र, बीकानेर
57.	ऊन अनुभाग, बाड़मेर
58.	राजस्थान खादी केन्द्र, फलौदी, जोधपुर
59.	किशमेदेसर खादी उ.क.बु.स.स.लि
60.	नापासर ,, ,, ,,
61.	प्रगतिशील ,, ,, ,,
62.	कालासर ,, ,, ,,
63.	बालोतरा ,, ,, ,,
64.	रूपाहेली खादी उ.क.बु.स.स.लि.
65.	तह. बोली खादी उ.बु.स.स. लि.
66.	आदर्श खादी ,, ,, ,,
67.	कबीर बस्ती खादी ,, ,,
68.	सेऊआ खादी ,, ,,
69.	भीनासर खादी ,, ,, ,,
70.	किलचू खादी ,, ,, ,,
71.	देशनोक खादी ,, ,, ,,
72.	बीकानेर खादी ,, ,, ,,
73.	हिण्डौन खादी ,, ,, ,,
74.	हुण्डेरा खादी ,, ,, ,,
75.	उदासर खादी ,, ,, ,,
76.	खादी उत्पादक स.स.लि., सपोटरा
77.	सर्वोदय जूट उत्पादक स.स. लि., बाड़मेर
78.	खादी ग्रामोद्योग संघ सोजतरोड पाली
79.	खादी ग्रामोद्योग, मंडवा, अजमेर
80.	मरुस्थल खादी ग्रामोद्योग, फलोदी

परिशिष्ठ–डी

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

ऐसी संस्थायें जिन्हें एक लाख से अधिक बिना ब्याज राशि राज्य सरकार के जन-जाति क्षेत्रीय उपयोजना के मद से दी गई

क्रमांक	नाम संस्था/समिति
1.	पूर्णी प्लांट आबू रोड
2.	राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर
3.	बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर
4.	ग्रामोद्योग विकास मंडल, देवगढ़

टोड़ाभीम में समाज कल्याण छात्रावास

606. **श्री मूलचन्द (टोडाभीम)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) क्या यह सही है कि टोडाभीम उच्च माध्यमिक विद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों के रहने के लिए छात्रावास नहीं हैं ?

(2) क्या सरकार टोड़ाभीम में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों के रहने के लिए छात्रावास बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक. यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसी वर्ष से छात्रावास प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं।

तहसील बहरोड़ के ग्रामों को सड़क से जोड़ना

607. **श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार तहसील बहरोड जिला अलवर के निम्नांकित ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का वर्ष 1985-86 में विचार रखती है : -

1. ग्राम माजरी नारनोल सड़क से ग्राम डूमगोली से सम्पर्क, सड़क ग्राम नायसराना।
2. ग्राम मेहतावास से ग्राम बीघाना जाट (हरियाणा सीमा तक) सम्पर्क सड़क।
3. काठूवास-परतापुर सड़क, ग्राम परतापुर से ग्राम रामचन्द्रपुरा (हरियाणा सीमा तक)।

(श्री सुजानसिंह यादव)

4. बहरोड़-नारनोल सड़क से ग्राम निभोर से ग्राम खोहर तक ।

5. बहरोड कुण्ड सड़क से ग्राम गन्डाला से ग्राम पीपली माध्यमिक विद्यालय तक सम्पर्क सड़क ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन ग्रामों को सड़कों से जोड़े जाने के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है ।

1. जी नहीं ।

2. जी नहीं ।

3. जी नहीं ।

4. जी हां, बहरोड़ कुण्ड सड़क से ग्राम खोहर तक सड़क हेतु धनराशि उपलब्ध हो सकी है शेष खोहर से निभोर तक कोई स्वीकृति नहीं है ।

जी नहीं ।

(2) उक्त क्रम संख्या 1 से 3 व 5 पर दर्शाये कार्यों का निर्माण अभी धनाभाव के कारण संभव नहीं होगा ।

लघु उद्योग निगम में ब्ल्यू पोटरी की भट्टी बनाने हेतु सामग्री की खरीद

608. **श्री फूलचन्द** (नीमका थाना)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम में 23-11-1984 को ब्ल्यू पोट्री की भट्टी बनाने हेतु हैण्ड कोटेशन आमन्त्रित किये ? यदि हां, तो कितने रुपये के, तथा किन-किन व्यक्ति अथवा फर्म ने टेण्डर्स दिये थे ? कृपया टेण्डर्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) किस-किस के टेण्डर्स स्वीकार किये गये तथा किस–किस के निरस्त किये गये ? निरस्त करने के क्या कारण थे ?

(3) लघु उद्योग निगम में टेण्डर्स काल करने का क्या नियम है ? कृपया नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या 23–11–1984 को या इससे पहले प्रचार माध्यमों से टेण्डर्स काल किये थे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) किस-किस व्यक्ति तथा संस्था ने कितना–कितना माल किस–किस भाव में सप्लाई किया, तथा कितना पेमेन्ट किया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । निम्न तीन व्यक्तियों के कोटेशन प्राप्त हुये थे जिनकी प्रतियां संलग्न है :–

(1) स्टार कन्सक्ट्रशन

(2) आर. एल. खन्ना एण्ड कम्पनी

(3) बी. के. कन्सक्ट्रशन

(2) मैसर्स आर.एल. खन्ना एण्ड कंपनी का टेण्डर स्वीकार किया गया अन्य इका-

(उद्योग मंत्री)

इयों के कोटेशन अधिक दरों के कारण अमान्य किये गये ।

(3) निगम के कोई पृथक से नियम नहीं हैं । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियां का अनुसरण किया जाता है ।

(4) जी नहीं । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा निर्धारित कार्य में समयाभाव के कारण व्यापक टेण्डर मांगना संभव नहीं था ।

(5) समस्त माल मै. आर. एल. खन्ना एण्ड कम्पनी द्वारा सप्लाई किया गया जो कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के अधिकारियों की देख-रेख में खरीदा गया एवं संस्थापित किया गया । इस पार्टी को भुगतान करने का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	पार्टी का बिल नं.	दिनांक	धनराशि	तिथि जिसको भुगतान किया
1.	1	17/12/84	11,165.00	17/1/85
2.	2	17/12/84	14,346.14	17/1/85
3.	3	22/01/85	191,015.34	14/2/85
4.	4	16/03/85	32,154.00	23/3/85
5.	5	16/04/85	25,580.00	14/5/85
			69,260.48	

कम्पनी द्वारा दिये गये माल एवं दरों के बिल की प्रतियां संलग्न है ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केन्द्रीय कारागार, जयपुर के निरीक्षण के समय पाई अनियमितताओं में कार्यवाही

609. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 1983 में महानिरीक्षक, कारागार ने केन्द्रीय कारागार, जयपुर का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो कृपया निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) महा निरीक्षक, कारागार के निरीक्षण प्रतिवेदन में राज कोष में हुई हानि एवं अनियमितताओं आदि के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर दी गई है।

(2) जांच चल रही है।

(निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

गोगुन्दा एवं कोटड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की बाल विकास परियोजना

611. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (गोगुन्दा):- क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाल विकास परियोजना, गोगुन्दा एवं कोटड़ा, पंचायत समिति क्षेत्र में कब से लागू की गई।

(2) इस परियोजना में कितने पद सृजित हैं, एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरे जाने का सरकार विचार रखती है ?

(3) इस परियोजना के अधीन कितने केन्द्र चल रहे हैं, एवं कितने लोग प्रति वर्ष लाभान्वित हो रहे हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाल विकास परियोजना, गोगुन्दा एवं कोटड़ा वर्ष 83–84 से प्रारम्भ की गई।

(2) बाल विकास परियोजना गोगुन्दा में 10 तथा कोटड़ा में 12 पद सृजित हैं। इनमें से गोगुन्दा में 2 व कोटड़ा में 8 पद रिक्त हैं जिन्हें सरकार शीघ्र ही भरने का प्रयत्न कर रही है।

(3) बाल विकास परियोजना, गोगुन्दा में 84 तथा कोटड़ा में 118 आंगनवाडी केन्द्र चल रहे हैं। जिनसे क्रमशः 5055 तथा 8785 लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

करावली–लसाड़िया–बांसी सड़क

612. **श्री कमला भाई मीणा** (लसाड़िया):–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

करावली से बांसी वाया लसाड़िया की सड़क को कब तक योजना में लेकर डामर की सड़क बनाई जायेगी ?

उत्तर

इस सड़क को प्रस्तावित मास्टर प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है तथा योजना में आवश्यक राशि उपलब्ध होने पर तदनुसार कार्य कराया जा सकेगा।

रीको का लेखा-जोखा

613. **श्री हरि कुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी):—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम में उसके गठन के पश्चात् प्रति वर्ष कितना-कितना लाभ व हानि हुई है ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम पर किस-किस की कितनी देनदारियां है, और उनका सन् 1984–85 में कितना ब्याज दिया गया है ?

(3) निगम की लागत पूंजी कितनी है, और इसमें राज्य सरकार का कितना हिस्सा है ?

(4) निगम द्वारा कब-कब डिविडेन्ड्स बांटे गये हैं, और उसमें राज्य सरकार के हित में कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

(5) निगम की जमा पूंजी कितनी है, और लागत पूंजी कितनी है ?

(6) निगम की स्थायी सम्पत्ति कितनी है ?

(7) निगम द्वारा 1984-85 में कितना-कितना और कौन-कौन से केन्द्रीय कर जमा कराया गया है, या कराना है ?

उत्तर

(1) निगम की स्थापना दिनांक 28-3 69 को हुई थी। वर्ष 1969-70 से वर्ष 1983-84 तक निगम में हुई लाभ-हानि के वर्ष वार विवरण की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निगम की कुल देनदारियां दिनांक 31-3-1984 को रुपये 5584.41 लाख थी जिसके विवरण की सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) निगम की कुल लागत पूंजी 31-3-1984 को 8192.19 लाख रुपये थी जिसमें राज्य सरकार के 2387.50 लाख रु. लगे हुए हैं।

(4) निगम ने केवल वर्ष 1971–72 में लाभांश (डिविडेण्ड) 4,13,000/- रुपये घोषित किया जिसका समस्त भुगतान राज्य सरकार को दिया गया।

(5) निगम की कुल लागत पूंजी 31-3-1984 को 8192.19 लाख रुपये थी व जमा पूंजी रुपये 2200.00 लाख थी। इसके अतिरिक्त 187.50 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा अग्रिम अंश पूंजी के रूप में दिए गये हैं।

(6) निगम की स्थायी सम्पत्ति 31-3 1984 को ह्रास घटाने के पश्चात् 201.65 लाख रुपये थीं।

(7) निगम द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान जमा कराये गए केन्द्रीय कर के विवरण की सूची "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची "क"

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. जयपुर के वर्ष वार लाभ व हानि का विवरण

वर्ष	मुनाफा	(रुपये लाखों में) घाटा
1969-70	0.15	—
1970-71	5.88	—
1971-72	7.29	—
1972-73	1.20	—
1973-74	0.55	—
1974-75	—	0.95
1975-76	1.86	—
1976-77	—	14.60
1977-78	—	88.16
1978-79	—	37.25
1979-80	55.47	—
1980-81	109.08	—
1981-82	181.80	—
1982-83	87.78	—
1983-84	—	112.89

सूची "ख"

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. जयपुर की 31-3-84 को देन दारियों का विवरण

(लाख रुपयों में)

विवरण	रुपये	ब्याज (83-84) में भुगतान किया गया
ऋण-पत्र	1447.53	90.63
बैंक ऋण	328.31	39.71
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुर्नवित्त :	2632.67	116.67
राज्य सरकार :		
ब्याज सहित	373.67	35.85
ब्याज रहित	802.23	—
	5584.41	282.86

सूची "ग"

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर द्वारा वर्ष 1984-85 में जमा कराये गये केन्द्रीय करों का विवरण।

1.	अग्रिम आयकर	19.76 लाख रुपये (1984-85)
2.	डिमाण्ड आयकर	10.00 लाख रुपये (1979-80)
3.	डिमाण्ड आयकर	10.00 लाख रुपये (1980-81)
4.	केन्द्रीय एक्साईज ड्यूटी (टी. वी. फैक्ट्री द्वारा)	13.00 लाख रुपये (1984-85)
		52.76 लाख रुपये

सुजानगढ़ क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

614. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने आदि की वरिष्ठता के आधार पर किया गया है ? यदि नहीं, तो वरिष्ठता के उल्लंघन के क्या कारण रहे ? वरिष्ठता का उल्लंघन करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस क्षेत्र के किसानों को किस तिथि तक के प्रार्थना पत्रों को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं ? कनेक्शन में अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) कितनी नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा कनेक्शन की मांग कब से की हुई है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र का ट्रान्सफारमर मांग की क्षमता से कम क्षमता का है ? यदि हां, तो इसे क्षमता के अनुरूप कब तक लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्रामों का विद्युतीकरण मण्डल द्वारा निर्धारित फेज प्रोग्राम के आधार पर किया जाता है। ग्रामों के विद्युतिकरण के लिए प्रार्थना पत्र नहीं मांगे जाते हैं। अतः वरिष्ठता उल्लंघन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(2) इस क्षेत्र के कृषि हेतु दिनांक 22.2.1983 तक के आवेदकों को कनेक्शन दिया जा चुका है सीमित वित्तीय साधनों के अनुसार प्रति वर्ष विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। अतः सभी आवेदकों को एक साथ कनेक्शन देना सम्भव नहीं है।

(3) सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में औद्योगिक कनेक्शन हेतु फरवरी, 1982 से आज तक के 127 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। पूर्ण विवरण देते हुए। तालिका "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में 33/11 के. वी. ट्रांसफारमर वांछित क्षमता के हैं। सुजानगढ़ कस्बे में 33/11 के. वी. ट्रांसफारमर की क्षमता माह दिसम्बर 1984 में 1.6 एम. वी. ए. से 2.5 एम. वी. ए. की जा चुकी है। सुजानगढ़ में वर्ष 1985-86 में 132/33 का 6 एम. वी. ए. का ट्रांसफारमर लगाना प्रस्तावित है जिससे उक्त क्षेत्र में विद्युत वितरण में और भी सुधार हो सकेगा।

सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में दिनांक 28.7.85 तक विचाराधीन औद्योगिक कनेक्शन का विवरण

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम	आवेदन की तिथि	लोड (एच.पी. में)	मांग पत्र दिया या नहीं
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नन्दकिशोर अमृतचन्द	सुजानगढ़	4.8.83	7.5	नहीं
2.	,, नौरतनमल चिमनाराम	,,	9.9.83	7.5	,,
3.	,, दानाराम मगाराम	,,	27.9.83	10	,,
4.	,, ताराचन्द कन्हैयालाल	,,	16.11.83	7.5	,,
5.	,, हीरालाल दौलतराम	,,	26.11.83	7.5	,,
6.	,, हरदेवासिंह अचल सिंह	,,	12.12.83	4.5	,,
7.	" शर्मा फ्लोर मिल	"	21.12.83	7.5	,,
8.	" रायचन्द थानमल	"	30.12.83	15	"
9.	" मै. दुर्गा इण्डस्ट्रीज	"	30.12.83	5	"
10.	" मालाराम डूंगरमल	"	1९.1.84	7.5	"
11.	" मनोज फ्लोर मिल	"	3.2.84	7.5	"
12.	" रतनलाल विरदाराम	"	27.2.84	6.5	"
13.	" डालराम विरदाराम	"	27.2,84	6.5	"
14.	,, नेमीचन्द बालचन्द	,,	12.3.84	7.5	,,
15.	,, गिरदारीलाल हंसराज	,,	12.3.84	4	,,
16.	,, निजामुदीन फूल मो.	,,	13.3.84	10	,,
17.	,, बाबूलाल तुलसीराम	,,	19.3.84	7.5	,,
18.	,, मेघराम गोपीराम	,,	28.3.84	7.5	,,
19.	,, छोटू मो. चान्द घोशी	,,	9.4.84	7.5	,,
20.	,, मधुसुदन राजेन्द्र प्रसाद	,,	24.4.84	7.5	,,
21.	,, बालाजी इण्ड. कार्पो.	,,	24.4.84	7.5	,,
22.	,, देवाराम सागरमल	,,	2.5.84	7.5	,,
23.	,, कैलाशचन्द्र रामेश्वर दयाल	,,	3.5.84	7.5	,,

1	2	3	4	5	6
24.	श्री बच्छराज रिखबचन्द	सुजानगढ़	19.6.84	20	नहीं
25.	,, भंवरलाल चेनाराम (शिक्षित बेरोजगार)	,,	25.6.84	7.5	हां
26.	,, सोहनलाल बालूराम	,,	5.7.84	7.5	नहीं
27.	ताज मो. लादूखां	,,	6.7.84	7.5	,,
28.	मै स्टार इण्ड.	,,	7.7.84	15	,,
29.	श्री विश्वकर्मा इण्ड.	,,	17.7.84	7.5	,,
30.	,, हबीब गुलाम रसूल	,,	26.7.84	7.5	,,
31.	श्रीमती भगवती देवी सूरजमल	,,	27.8.84	7.5	,,
32.	श्री महालक्ष्मी इण्ड.	,,	8.10.84	7.5	,,
33.	,, लक्ष्मी फ्लोर मिल	,,	9.11.84	7.5	,,
34.	,, हितेश फ्लोर मिल	,,	9.11.84	7.5	,,
35.	,, पवन टिम्बर उद्योग	,,	12.11.84	7.5	,,
36.	,, रामेश्वरलाल जेसाराम	,,	16.11.84	5	,,
37.	श्रीमती मंजू देवी कालीचरण	,,	5.12.84	5	,,
38.	श्री ईश्वर लाल भोजराज	,,	20.12.84	10	,,
39.	,, दानाराम उमाराम	,,	20.12.84	10	,,
40.	,, लक्ष्मी फ्लोर मिल	,,	20.12.84	5	,,
41.	,, राजस्थान टाइल फैक्ट्री	,,	22.12.84	5	,,
42.	,, भंवरलाल केसराराम	,,	31.12.84	5	,,
43.	,, मो. हुसेन जमालुदीन	,,	4.1.85	7.5	,,
44.	,, अब्बास अ. गफूर	,,	4.1.85	7.5	,,
45.	,, छगनलाल रामेश्वर लाल	,,	4.1.85	7.5	,,
46.	,, मालचन्द धनराज	,,	7.1.85	7.5	,,
47.	,, बन्सीलाल परमाराम	,,	7.1.85	7.5	,,
48.	,, गजानन्द महेशकुमार	,,	24.1.85	5	,,
49.	,, गुगालिया आयल मिल	,,	25.1.85	5	,,

1	2	3	4	5	6
50.	श्री भुमरमल मूणाराम	सुजानगढ़	14.2.85	5	नहीं
51.	,, बालाजी पोलीसर	,,	22.2.85	15	,,
52.	,, श्याम फ्लोर मिल	,,	27.2.85	10	,,
53.	श्रीमती तारामणी भंवरलाल	,,	20.3.85	10	,,
54.	श्री भंवर एग्रो. इण्ड.	,,	25.3.85	20	,,
55.	,, विशाल एग्रो. इण्ड.	,,	25.3.85	20	,,
56.	,, पोकरमल शंकरलाल	,,	25.3.85	20	,,
57.	,, बाबूलाल हनुमानदत्त	,,	8.4.85	10	,,
58.	,, कैलाशचन्द सागरमल	,,	9.4.85	5	,,
59.	श्रीमती श्योकोरी (एस. सी)	,,	16.4.85	5	हां
60.	श्री ज्ञानप्रकाश रतनलाल	,,	15.5.85	3	नहीं
61.	,, बिलाल फकीर मो.	,,	14.5.85	4	,,
62.	श्रीमती सुशिलादेवी भाबरमल	,,	21.5.85	7.5	,,
63.	श्री मोहम्मद आरिफ गुलाम रसूल	,,	13.6.85	10	,,
64.	,, कुशलाराम दानाराम	बिदासर	7.8.84	7.5	हां
65.	,, ओमप्रकाश भंवरलाल	,,	17.1.85	2	,,
66.	,, हनुमान सा मिल्स	,,	16.4.85	10	नहीं
67.	,, मोहिल इन्जी. वर्क्स	,,	6.6.85	15	,,
68.	,, पोकरमल मालाराम	,,	28.6.85	3	,,
69.	,, विनोद इन्जी.	,,	6.7.85	10	,,
70.	,, केसरी चन्द नानूराम	छापर	1.6.84	7.5	,,
71.	,, भारत इन्जी. वर्क्स (शिक्षित बेरोजगार)	,,	16.2.85	4	हां
72.	,, आसाम साल्ट इन्ड.	छापर बीड़	1.2.82	5	नहीं
73.	,, चम्पालाल डालमचन्द	,,	11.3.82	5	,,
74.	,, शर्मा नमक उद्योग	,,	9.4.82	3	,,
75.	,, विनोद कुमार अरोड़ा	,,	2.5.83	5	,,

1	2	3	4	5	6
76.	श्री विनोद कुमार अरोडा	छापरबीड	2.5.83	5	नहीं
77.	,, बजरंग साल्ट कम्पनी	,,	3.2.84	5	,,
78.	,, चुन्नीलाल करवासाल्ट इन्ड.	,,	17.1.85	5	,,
79.	सेठ बलिष्ठ कुमार	,,	30.1.85	5	,,
80.	,, ,,	,,	,,	5	,,
81.	,, ,,	,,	,,	5	,,
82.	श्री डालमचन्द सोनी	,,	27.2.86	3	,,
83.	शर्मा साल्ट इन्डस्ट्री	,,	20.3.82	5	,,
84.	व्यवस्थापक सोनी साल्ट	चाड़वास	26.8.82	5	हां
85.	जे. टी. साल्ट	,,	27.9.82	5	,,
86.	बिस्मीला साल्ट	,,	10 2.83	5	,
87.	महबूब असगर इन्ड.	चाड़वास	23.12.83	5	ह
88.	,,	,,	,,	5	ह
89.	शरीफ साल्ट	,,	10.5 84	5	ह
90.	बाबूलाल मालचन्द	,,	16.7.84	6 किवा	नहं
91.	राधाकिशन जवानजी	रणधीसर	15.5.84	10 हा.पा.	,
92.	महेशकुमार राजेशकुमार	गोपालपुरा	24.1.83	10	,
93.	जांगीण उद्योग	शोभासर	11.9.84	12.5	,
94.	श्रीराम आयल इन्ड.	सालासर	27.4.82	10	ह
95.	बाबू खां इदू खां	कानुता	19.10.84	10	नहं
96.	रामप्रसाद रामदेव	,,	13.3.85	15	नहं
97.	श्रीमती सावित्री देवी नसिंह	जोगलसर	19.11.83	10	ह
98.	अध्यक्ष ग्राम विकास समिति	खुडी	30.8.83	10	नह
99.	रामेश्वरलाल चुन्नीलाल	हरासर	29.7.82	7.5	ह
100.	नत्थुसिंह नेनसिंह	गोथियावास	1 2.84	7.5	ह
101.	नारायण फ्लोरमिल	बागसरा	8 2.84	7.5	ह

1	2	3	4	5	6
102.	भीमाराम भूराराम	इंयारा	21.12.84	7.5	नहीं
103.	भीमराम जेठाराम	नब्वासर	17.7.84	10	,,
104.	भवर सिंह बने सिंह	बोवासर विदावतान	23.2.84	7.5	हां
105.	जगमाल सिंह नानू सिंह	मींगणां	17.1.85	7.5	नहीं
106.	श्रीमती मनसुखीदेवी सावत	लोडसर	8.2.84	7.5	नहीं
107.	प्रहलादराय पन्नालाल	,,	8.2.84	10	नहीं
108.	भगवानाराम देवाराम	,,	8.2.84	10	नहीं
109.	रेवतमल जेसाराम	,,	5.3.84	10	,,
110.	मालाराम वगताराम	,,	13.3.84	10	,,
111.	हनुमानाराम मनसाराम	घा चारनान	13.2.84	10	हां
112.	माधोसिंह कुशल सिंह	मोजलाई	15.5.84	7.5	नहीं
113.	नन्दलाल उमाराम	मलसीसर	26.4.84	8.5	,,
114.	गिरधारी लाल त्रिलोकचन्द	,,	,,	7.5	,,
115.	गिरधारी लाल जेठाराम	,,	,,	7.5	,,
116.	दुर्जन सिंह रघुनाथ सिंह	वड़ावर	8.5.84	10	हां
117.	दानाराम मगाराम	,,	,,	7.5	नहीं
118.	भवरलाल मालूराम	,,	24.7.84	7.5	,,
119.	सुरजाराम मगाराम	,,	16.11.84	7.5	,,
120.	कुनणाराम झूमरमल	,,	16.4.85	7.5	,,
121.	पूर्णाराम दूलाराम	हेमासर	10.5.84	5	,,
122.	लक्ष्मीनारायण जीवणराम	नोरंगसर	19.4.85	3	,,
123.	वालाजी खेतान जलदाय यो.	सालासर	25.4.85	7.5	हां
124.	भवरलाल रामेश्वर लाल	,,	18.12.84	4	हां
125.	वी.सी. साल्ट	छापरबीड	16.5.85	5	नहीं
126.	,,	,,	,,	5	,,
127.	,,	,,	,,	5	,,

ग्राम पंचायत सोरण (टौंक) के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

615. **श्री नारायण सिंह** (मालपुरा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश, टौंक को श्री राम प्रसाद, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सोरण, तहसील टौंक द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता करने की शिकायत प्राप्त हुई है ?

(2) क्या इस शिकायत पत्र में रुपये 81,8021 की राशि के उन कामों की सूची भी संलग्न है जिनमें उक्त सरपंच द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया ?

(3) जिलाधीश द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, अथवा की जा रही है ?

(4) क्या सरकार अनियमितताओं की उच्च अधिकारियों से जांच करवायेगी और सही पाने पर उक्त सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी हां। इस शिकायत में उन कार्यों की भी सूची है जिसमें सरपंच द्वारा धन का दुरुपयोग करना बताया गया है।

(3) जिलाधीश ने परियोजना निदेशक एवं अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) से टिप्पणी प्राप्त कर मामला जिला सतर्कता समिति में विचारार्थ रखा था।

(4) जिलाधीश से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि सरपंच दोषी पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पंचायत लाखना (जयपुर) के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

616. **श्री कालीचरण सर्राफ** (जोहरा बाजार)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश जयपुर के आदेश द्वारा सांगानेर थाने में सरपंच, जयपुर जिले की ग्राम पंचायत लाखना के नाथूलाल के विरुद्ध दिनांक 9-9-1983 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एफ.आई.आर. में सरपंच के विरुद्ध लगाए गये आरोप क्या क्या हैं। और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आरोपों की वर्ष 1978 से 1983 तक राजस्थान व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनेक उच्च व अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई जांच में आरोपों को सत्य प्रमाणित किया गया है ? यदि हां तो पुलिस द्वारा अनुसंधान के नाम पर कोर्ट में चालान पेश करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर में भी वर्ष 1981 से सरपंच नाथूलाल एवं पंच मांगीलाल (वार्ड ग्राम रातल्या) के विरुद्ध गबन, भ्रष्टा-

(299)

(श्री काली चरण सर्राफ)

चार मस्ट्रोल में फर्जी इन्द्राज, काटपीट, ऊपर लेखन, दोहरी हाजरी स्कूल के विद्यार्थियों की मस्ट्रोल में फर्जी हाजरी, धोखाधड़ी, जालसाजी एवं पद के दुरुपयोग आदि अनियमितताओं का परिवाद विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त परिवाद में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) आरोपों का ब्यौरा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। अभियोग में तफतीश ज़ारी है।

(3) आरोपों के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया जाकर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

(4) जी नहीं।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर नगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय

618. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में गत 3 वर्षों से कितने मुकदमें विचाराधीन हैं? कृपया वर्षवार आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कितने नये मुकदमें दर्ज किये गये?

(3) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने मुकदमें फैसले किये गये?

(4) क्या सरकार मुकदमों की संख्या को देखते हुए अजमेर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) अजमेर में जिला एवं सैशन न्यायालय में गत 3 वर्षों में अर्थात वर्ष 1982 में 3158, वर्ष 1983 में 3477 एवं वर्ष 1984 में 3609 मुकदमें विचाराधीन हैं।

(2) गत तीन वर्षों में अर्थात वर्ष 1982 में 967, वर्ष 1983 में 1060 एवं वर्ष 1984 में 969 नये मुकदमें दर्ज हुए।

(3) गत तीन वर्षों में अर्थात वर्ष 1982 में 469, वर्ष 1983 में 741 एवं 1984 में 837 मुकदमों का फैसला किया गया।

(4) जी नहीं, अजमेर जिला एवं सैशन न्यायाधीश के न्यायालय के अलावा अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश के दो न्यायालय पहले से ही कार्यरत होने से अजमेर में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश का और न्यायालय खोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है मगर उच्च न्यायालय से परामर्श करने पर इसकी आवश्यकता हुई तो इस पर विचार किया जायेगा। फिलहाल मुकदमों की संख्या देखते हुए अजमेर जिले में ब्यावर, मख्यालय पर अपर जिला एवं

(विधि मंत्री)

सैशन न्यायाधीश का न्यायालय इसी वित्तीय वर्ष में खोला जाना प्रस्तावित है।

चौमूं तहसील में वीर हनुमानजी व समीपस्थ क्षेत्रों का विकास

619. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चौमूं तहसील में ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल वीर हनुमानजी व आस-पास की पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) वीर हनुमान जी के मन्दिर में प्रतिदिन कितने दर्शनार्थी दर्शनार्थ जाते हैं ? सरकार की ओर से जनहित में क्या-क्या सुविधाएं मुहैय्या कर रखी हैं ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह स्थल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है।

(2) वीर हनुमान जी के दर्शन हेतु प्रतिदिन लगभग 100–125 दर्शनार्थी दर्शनार्थ आते हैं। यहां सरकार द्वारा बिजली, पानी एवं दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है।

घाटोल क्षेत्र में डुंगलावाणी तालाब का निर्माण

620. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में डूंगलावाणी तालाब कब बनना चालू हुआ था ? स्वीकृत योजना का बजट कितने का था ? काम पूरा हुआ या चालू है, काम प्रारम्भ होने से अप्रेल, 1985 तक कुल कितना व्यय हुआ ? कृपया वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) किस कनिष्ठ अभियन्ता की देखरेख में यह काम हुआ ? कितनी राशि किस-किस कनिष्ठ अभियन्ता की देखरेख में व्यय हुई ?

(3) क्या इसमें धन के अपव्यय की कोई अनियमितता हुई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) डूंगलवानी तालाब का कार्य वर्ष 1970–71 में प्रारम्भ किया गया था। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति रुपया 15.15 लाख की दी गई थी। कार्य अभी भी चालू है व प्रारम्भ से अप्रेल, 85 तक रुपये 52.57 लाख का खर्चा हुआ। वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) यह सूचना संलग्न परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट "अ"

डूंगलवानी परियोजना पर वर्षवार दिये गये खर्चे का विवरण।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	खर्चा
1.	70–71	0.17 लाख
2.	71–72	1.20 ,,
3.	72–73	1.17 ,,
4.	73–74	4.79 ,,
5.	74–75	4.45 ,,
6.	75–76	3.63 ,,
7.	76–77	6.49 ,,
8.	77–78	4.13 ,,
9.	78–79	3.09 ,,
10.	79–80	7.60 ,,
11.	80–81	3.07 ,,
12.	81–82	0.89 ,,
13.	82–83	2.22 ,,
14.	83–84	3.99 ,,
15.	84–85	4.98 ,,
16.	85–86 (अप्रेल, 85)	0.50 ,,
	योग	52.37 लाख

परिशिष्ट "ब"

डूंगलवानी परियोजना पर समय समय पर कार्यरत उपअभियन्ताओं की सूची

क्र.सं.	नाम	अवधि	किया हुआ व्यय (लाखों में)
1.	श्री जे.डी. जैन	वर्ष 1970–71 में आरंभ से जुलाई 1978	26.03
2.	श्री बी.सी. गौड़	अगस्त, 78 से दिसम्बर 78	—
3.	श्री एम.एल. कोठारी	जून, 79 से जून, 1982	14.99
4.	श्री एस.एम. कोठारी	जुलाई, 82 से जून, 83	0.49
5.	श्री अहमदनूर खां	फर. 83 से अप्रेल, 85	10.86
		योग	52.37

डीग के महलों को पर्यटक स्थल बनाना

621. **श्री शमशुल हसन** (कामां) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार डीग के महलों को पर्यटन स्थल बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इन भवनों के रख-रखाव की राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) डीग वर्तमान में भी एक सुपरिचित पर्यटन स्थल है।

(2) डीग महल केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है इन भवनों की देख-रेख भी उनके द्वारा ही की जाती है।

टौंक सिंचाई खण्ड में लघु व मध्यम सिंचाई योजनायें

622. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टौंक खण्ड में लघु व मध्यम सिंचाई योजनाओं के कुल कितने कार्य चल रहे हैं ? कृपया खण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ योजनायें राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत चल रही

(श्री दिग्विजय सिंह)

है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रूपवास, सरदारपुरा, ठीकरिया व कुमारीया योजनाओं का सर्वे हो चुका है ? यदि हां तो इन पर विभागीय कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(4) उक्त लघु सिंचाई योजनाओं से कुल कितना क्षेत्रफल सिंचित होगा ? कृपया योजनावार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला टौंक में सिंचाई विभाग का एक ही खण्ड है। इस खण्ड में 9 लघु सिंचाई योजनाओं के कार्य चल रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) रूपवास व कुमारिया का सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है जबकि सरदारपुरा एवं ठीकरिया का सर्वे कार्य पूर्ण होकर कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(4) उक्त 9 लघु सिंचाई योजनाओं से प्रस्तावित सिंचन क्षेत्र 2998 है.। योजनावार संलग्न सूची में अंकित कर दिया गया है।

टौंक जिले में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू कार्यों की सूची

क्र. सं.	नाम	पंचायत समिति (विकास खण्ड)	सम्भावित सिंचित क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	शोहदरा	टोड़ारायसिंह	753
2.	सूथड़ा	अलीगढ़	380
3.	श्योदानपुरा	अलीगढ़	634
4.	सिरोही	निवाई	78
5.	कासीर	देवली	119
6.	सरदारपुरा	देवली	206
7.	ठिकरिया	अलीगढ़	375
8.	बोटूण्डा	टोड़ारायसिंह	243
9.	माघोलाव	निवाई	180
			2998 हैक्टर्स

नोट : -× यह चारों कार्य वर्ष 1985-86 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत करवाये जा रहे हैं। वर्ष 1984-85 में इन कार्यों को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था।

पाली जिले के रंगाई व छपाई के उद्योग

623. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) **सुश्री पुष्पा** (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में रंगाई व छपाई के उद्योग कहां-कहां पर लगे हुए हैं ? कृपया उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इनके लाइसेन्स उद्योग नियम के अनुसार दिये गए हैं ? यदि हां, तो किन-किन उद्योगों मे जल प्रदूषण प्लान्ट कब से लगे हुए हैं ? यदि नहीं लगे हैं, तो क्या सरकार उनके लाइसेन्स जब्त करने की कार्यवाही करेगी ?

(3) पाली शहर के इन उद्योगों से जल प्रदूषण के कारण कितने गांवों के कुओं का पानी खराब हुआ है व कितनी जमीन नाकाबिल काश्त हुई है ? कृपया उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि फैक्टरी नियम के अनुसार उनको जल प्रदूषण प्लान्ट लगाना जरूरी है ? अगर नहीं लगे हैं, तो ऐसे कितने उद्योग हैं जो डिफाल्टर हैं और उनके लाइसेन्स कब तक रद्द कर दिये जायेंगे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली जिले में रंगाई व छपाई के उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) लघु उपक्रमियों द्वारा लाईसेन्स प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है अपितु उद्योग विभाग से पंजीयन कराया जाता है इन लघु उद्योगों को नियमानुसार पंजीयन किया गया है । वर्तमान में केवल एक, लघु उद्योग इकाई में जल प्रदूषण प्लान्ट लगा रखा है जो अभी कार्यरत नहीं है । रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मण्डिया रोड़ में प्रदूषित जल को परिशोधन करने हेतु एक संयंत्र लगाया गया है, जो कि संयुक्त रूप से प्रदूषित जल का परिशोधन करता है । अतः लाईसेन्स (पंजीयन प्रमाण पत्र) जब्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) पाली शहर के इन उद्योगों से जल प्रदूषण के कारण 9 गांवों की 12,004 बीघा 17 बिस्वा भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हुई है तथा 14 गांवों में सिंचाई के कुओं का पानी केमिकल्स युक्त प्रदूषित होने से कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है । गांवों की सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी नहीं । फैक्ट्री नियम के अनुसार जल प्रदूषण प्लान्ट लगाना जरूरी नहीं है अतः उद्योगों के लाईसेन्स (पंजीयन प्रमाण पत्र) रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सूची "क"

पाली जिले में पंजीकृत रंगाई व छपाई उद्योगों की सूची :—

क्र. सं. 1	इकाई का नाम व पता 2	पंजीयन क्रमांक व दिनांक 3		उत्पादित वस्तु का नाम 4
1.	छीपा गफूर अलारखजी, मायलावास, पाली	01006	7/2/74	वायलों की रंगाई
2.	छीपाहुसेन मुसाजी, छिपों की ढाल, पाली	01007	7/2/74	,,
3.	मूनलाईट प्रोसेसिंग वर्क्स, चूड़ी बाजार, पाली	01008	,,	वायलों की धुपाई
4.	कुन्दनमल वस्तीमल, वडावास, पाली	01009	,,	वायलों की रंगाई
5.	माणक डाईंग वर्क्स, सिन्धी कालोनी, पाली	01014	13/2/74	,,
6.	अनुपम ब्लिचिंग वर्क्स, भैरूघाट, पाली	01013	11/2/84	,, धुपाई
7.	मेट्रो ब्लिचिंग वर्क्स ,, ,,	01017	18/2/74	वायलों की रंगाई
8.	छिपा अहमदजीफताजी, छिपों की ढाल, पाली	01023	6/3/74	,,
9.	भवानी फेब्रिक्स, रामदेवजी की नाडी, पाली	01024	,,	,, धुपाई
10.	मंजू टेक्स. इण्ड. कालूजी की बगीची, पाली	01037	15/3/85	वायलों की रंगाई, छपाई धुपाई
11.	सुदर्शन ट्रेडिंग क. मेला दरवाजा, पाली	01041	26/3/74	,, की रंगाई
12.	छिपा इब्राहीम हुसेन जी, छिपों की ढाल, पाली	01042	,,	,,

1	2	3		4
13.	फाऊलाल सोहनलाल मोचावाडा, पाली	01C46	28/3/74	वायलों की छापई
14.	महेश्वरी डाईंग वर्क्स, श्रौ. क्षेत्र, पाली	01407	,,	,, रंगाई
15.	शाह जेठमल चम्पालाल, महावीर उद्योग नगर, पाली	01049	,,	,, रंगाई, छपाई
16.	जय भैरव इण्ड. महावीर मार्केट, पाली	01066	18/5/74	,, रंगाई
17.	भैरव प्रिंटिंग वर्क्स, महावीर उद्योग नगर पाली	01067	29/5/74	,, रंगाई, छपाई
18.	महेश डाईंग वर्क्स, सिन्धी कोलोनी, पाली	01073	8/6/74	,, रंगाई
19.	के. एच. फेब्रिक्स, छिपों का बास, पाली	01078	18/6/74	,, रंगाई, छपाई
20.	कुशुम डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, आदर्श नगर, पाली	01081	8/7/74	,, ,,
21.	इकबाल ब्लिचिंग वर्क्स, सिन्धी कोलोनी, पाली	01082	20/7/74	,, छपाई
22.	अमोलक टैक्स. इण्ड. केरिया दरवाजा, पाली	01090	30/7/74	,, रंगाई
23.	आर. के. डाईंग इण्ड. जंगीवाड, पाली	01091	,,	,, रंगाई
24.	प्रकाश डाईंग क. चण्डक मार्केट, पाली	01013	3/9/74	,, रंगाई
25.	बंशीधर रामेश्वर, फतेहपुरिया बाजार, पाली	01105	,,	,, रंगाई
26	पाकीजा प्रिंटिंग वर्क्स, सेशन कोर्ट के पीछे, पाली	01113	21/9/74	,, छपाई
27.	बी. आर. प्रिंटिंग वर्क्स, श्रौ. क्षेत्र, II. पाली	01118	14/10/74	,, रंगाई, छपाई
28.	डायमण्ड प्रोसेस, सिंधी कोलोनी पाली	01129	11/11/74	,, रंगाई

1	2	3			4
29.	परमेश्वर डाईंग क.. भेरूघाट, पाली	·01130	28/11/74	"	रंगाई
30.	छोगालाल भेरूलाल दीपिका नन्द शर्मा	01135	16/12/74	"	"
31.	शांति डाईंग वर्क्स, केरिया दरवाजा, पाली	01136	"	"	रंगाई
32.	ज्ञान टैक्स. मिल. मंडिया रोड, पाली	01137	"	"	रंगाई
33.	मारूति प्रिंटर्स, स्टेशन रोड, पाली	01144	21/12/74	"	छपाई
34.	वेकटेल टैक्स. नाडी मोहल्ला, पाली	01145	"	"	"
35.	जवरीलाल भंवरलाल इण्ड. मंडिया रोड, चुंगी चौकी के पास, पाली	01147	30/12/474	"	रंगाई
36	जैन प्रिंटिंग वर्क्स. महावीर उद्योग नगर, पाली	01155	17/1/75	"	छपाई
37.	विनोद प्रोसेस, सिंधी कोलोनी, पाली	01156	"	"	रंगाई
38.	आनन्द डिसाइजिंग वर्क्स. घोसीवाडा, पाली	01159	29/1/75	"	रंगाई
39.	नाहटा टैक्स. मिल्स, रामदेव रोड, पाली	01190	10/4/75	"	रंगाई, छपाई
40.	एस.एस. डाईंग इण्ड. केरिया दरवाजा, पाली	01186	10/4/75	"	रंगाई
41.	पी.के. टैक्स. इण्ड. खटीकों का वास, पाली	01192	"	"	रंगाई
42.	मुकेश डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, बोहरों. की [illegible]ल, पाली	01193	10/4/75	"	रंगाई

1	2		3	4
43.	एम.एस. टैक्स. औ. क्षेत्र. पाली	01194	10/4/75	वायलों की रंगाई
44.	नाकोडा इण्ड. कालूजी की बगीची, पाली	01195	,,	,, रंगाई
45.	बिड़ला टैक्स. औ. क्षे. पाली	01196	13/4/75	,, छपाई
46.	जे. बी. ब्लिचिंग वर्क्स, अग्रवालों की बगीची, पाली	01197	16/4/75	,, छपाई, रंगाई
47.	ज्योति फेब्रिक्स, घोसीवाडा, पाली	01198	,,	,, रंगाई
48.	सोमना प्रिंटिंग वर्क्स, कालेज रोड पाली	01203	10/5/75	,, छपाई
49.	कल्पना डाईंग इण्ड. कोलेज रोड़, पाली	01204	,,	,, रंगाई
50.	रोशन प्रिंटिंग वर्क्स, मोचीवाडा. पाली	01207	15/5/75	,, छपाई
51.	धारीवाल टैक्स. महावीर उद्योग नगर, पाली	01210	8/6/75	,, रंगाई, छपाई
52.	केसरीचंद्र महाराणा डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, औ. क्षेत्र, पाली	01219	25/9/75	,, रंगाई
53.	स्क्रीन प्रिन्टर्स, औ. क्षेत्र, पाली	01232	25/11/75	,, रंगाई
54.	नाहटा टैक्स. मिल्स, महावीर उद्योग नगर, पाली	01235	4/12/75	,, रंगाई छपाई
55.	सतगुरु डाईंग मोचीवाडा, पाली	01237	22/12/75	,, रंगाई
56.	पन्नू प्रिंटिंग वर्क्स, कुम्हारों का बास, पाली	01243	31/1/76	,, छपाई
57.	कमला प्रिन्टर्स, औ. क्षेत्र, पाली	01244	4/2/76	,, छपाई

1	2	3		4
58.	माणक डाईंग वर्क्स. महावीर उद्योग नगर, पाली	01248	16/2/76	वायलों की रंगाई
59	छिपा गफूर अलाहरखजी, मायलावास, पाली	01273	23/3/76	,, रंगाई छपाई
60.	करणावत गृह उद्योग, रामलीला मैदान, पाली	01281	29/7/76	,, छपाई
61.	माणक ट्रेडिंग क. महावीर उद्योग नगर, पाली	01284	1/9/76	,, रंगाई
62.	गोलेछा प्रिंटिंग वर्क्स, औ. क्षेत्र, पाली	01285	10/9/76	,, रंगाई
63.	लोटेड डाईंग वर्क्स, मण्डिया रोड, पाली	01286	13/9/76	,, छपाई
64.	नरेन्द्र डिसाईजिंग मोची कोलोनी, पाली	01289	16/9/76	,, छपाई
65.	फाईन प्रोसेस, चुड़ीघर मोहल्ला, पाली	01296	2/11/76	,, रंगाई, छपाई
66.	मोनिका प्रिंटिंग वर्क्स इण्डिया रोड, पाली	01299	4/11/76	,, छपाई
67.	रंगवाला टैक्स. मंडिया रोड, पाली	01304	25/11/76	,, छपाई, रंगाई
68.	गणेश टैक्स. औ. बस्ती, पाली	01305	25/11/76	,, छपाई
69.	गणपति प्रिंटिंग वर्क्स, म. रोड, पाली	01306	,,	,,
70.	मालवीया-इण्ड. जंगीवाड़ा, ,,	01309	8/12/74	रंगाई
71.	बिलपुर टैक्स. मायलावास, पाली	01311	,,	छपाई
72.	छिपा जमालुदीन हुसैनुदीन, प्यारा चौक, पाली	01312	,,	रंगाई, छपाई
73.	फुल टैक्स. नियर महेश्वरियों की बगीची, पाली	01313	,,	छपाई, रंगाई

1	2		3	4
74.	प्रकाश डाईग मिल्स, 111 इण्ड. एरिया, पाली	01315	9/12/76	वायलों छपाई, रंगाई
75.	फोनेक्स डाईग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, पाली, मण्डिया रोड, पाली	01316	”	” छपाई
76.	मोहन डिसाइजिंग वर्क्स, महावीर उद्योग नगर, पाली	01370	18/2/75	रंगाई
77.	परमेश्वर डाईग एण्ड. म. रोड, औ क्षेत्र, पाली	01318	10/12/76	” रंगाई
78.	खुशाल प्रिंटिंग वर्क्स, म. रोड, ”	01319	”	” छपाई
79.	गौतम डाईंग वर्क्स, ई. 15 म. रोड, ”	01320	”	” रंगाई, छपाई
80.	ख्वाजा डाईग, म. रोड, पाली	01321	14/12/76	” रंगाई, छपाई
81.	नन्दकिशोर ब्लिचिंग वर्क्स, ”	01322	”	” छपाई
82.	हाजी अल्लाबक्स ब्लिचिंग ”	01323	”	” ”
83.	जांगीड ब्लिचिंग वर्क्स, ”	01324	”	” ”
84.	कृष्णा ब्लिचिंग वर्क्स, ”	01326	16/12/76	” ”
85.	शरीफ अली फिनिसिंग वर्क्स, ”	01327	22/12/76	” ”
86.	मुम्बादेवी टैक्स. मिल्स, औ. क्षे. पाली	01332	30/12/76	प्रोसेसिंग ऑफ कोटन क्लोथ
87.	अमोलक टैक्स. मिल्स, ई. 65 इण्ड. एरिया, पाली	01337	17/1/77	वायलों की रंगाई, छपाई

1	2		3	4
88.	मिकी प्रिंटर्स, ई, 70 म. रोड. पाली	01338		वायलों की छपाई
89.	जवाहरलाल भंवरलाल इण्ड. इ. 3 औ. क्षे. पाली	01339	17/1/77	" रंगाई
90.	कोठारी टैक्स. मिल्स, जी. 13-14, 15, 16 औ. क्षे., पाली	01344	21/1/77	" छपाई
91.	हस्तीमल बाबूलाल, एफ. 85 II इण्ड एरिया, पाली	01345	"	" छपाई, रंगाई
92.	अरोडा प्रोसेसिंग मिल्स, II इण्ड. एरिया, पाली	01358	13/4/77	छपाई
93.	डागा डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, महावीर उद्योग नगर, पाली	01369	3/5/77	" रंगाई, छपाई
94.	पन्नू फिनिसिंग वर्क्स, इण्ड. एरिया, पाली	01374	29/6/77	" छपाई, रंगाई
95.	हेमलता प्रिंटिंग वर्क्स, I इण्ड. एरिया, पाली	01385	1/7/77	" रंगाई
96.	बिडला टैक्सटाईल प्रा., पाली	01387	"	" छपाई
97.	पंकज कुमार एण्ड कम्पनी इ-60, इण्ड. एरिया, पाली	01399	8/11/77	" " रंगाई
98.	छाजेड टैक्स. मिल्स, औ. क्षे. पाली	01403	23/11/77	वॉयलों की रंगाई, धुपाई छपाई
99.	पार्श्वनाथ डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, कालूजी की बगीची के पास, पाली	01404	5/12/77	" रंगाई
100.	श्रीराम प्रोसेस. औ. क्षे., II, पाली	01405	16/12/77	" रंगाई, छपाई

1	2		3	4
101.	विटको प्रिन्टर्स, औ. क्षे., पाली	01407	23/12/77	वायलों की रंगाई, छपाई
102.	पदम ट्रेडिंग कं. रामलीला मैदान, पाली	01409	17/1/78	" छपाई
103	टैक्स. मैन्यू. ट्रेडिंग को., म. रोड, पाली	01410	24/1/88	" छपाई
104.	कानमल बिडला टैक्स. औ. क्षे. पाली	01411	28/1/78	" "
105.	पारस प्रिंटिंग इण्ड औ. क्षे., II पाली	01418	23/3/78	" "
106.	तिरूपति टैक्स. औ. क्षे., पाली	01423	31/3/78	" "
107.	मुकेश डाईंग कं. म. रोड, औ. क्षे., II पाली	01424	"	" रंगाई, छपाई
108.	कैलाश टैक्स. मिल्स, औ. क्षे., पाली	01429	9/4/78	" छपाई
109.	जगदीश डिसाइजिंग, म. रोड, पाली	01437	12/6/78	" रंगाई, छपाई
110.	बोहरा फेब्रिक्स, म. रोड, पाली	01438	"	" "
111.	आनन्द डिसाईजिंग कं. "	01439	15/6/78	" रंगाई, छपाई
112.	चतुर्भुज पोकरराम इण्ड. औ. क्षे.II, पाली	01444	29/6/78	" "
113.	छोगालाल भैरूलाल, एफ. 134-35 म. रोड, औ. क्षे. पाली	01445	"	" "
114.	मणीभद्रा डाईंग कं. महावीर उद्योग नगर, पाली	01448	1/7/78	" घुलाई, रंगाई, छपाई

1	2		3	4
115.	अशोका डाईग एण्ड प्रिंटिग वर्क्स, मण्डिया रोड, पाली	01451	12/7/78	वायलों की रंगाई, छपाई
116.	मंजू डाईग कं. एफ-23, म. रोड, पाली	01457	24/7/78	" रंगाई
117.	जैन प्रोसेसिंग मिल्स, एफ-5, औ. क्षेत्र. II, पाली	01459	28/9/78	" छपाई
118.	एस. डी.बी.इण्ड. एफ-73, 74, 75 औ. क्षे., पाली	01478	26/10/78	" रंगाई, छपाई
119.	लोढा डाईग एण्ड प्रिंटिग वर्क्स, 136 मण्डिया रोड, औ. क्षे., पाली	01482	28/10/78	" छपाई
120.	महेश्वरी डाईग वर्क्स, औ.क्षे. II, पाली	01484	"	" "
121.	शाह नाहरमल उत्तमचन्द म. रोड, पाली	01485	21/12/78	" रंगाई, छपाई
122.	परसराम टैक्स. एफ-85, म. रोड, औ. क्षे., पाली	01494	3/2/79	" छपाई
123.	जैन डिसाईजिंग एण्ड प्रिंटिग वर्क्स, महावीर उद्योग नगर, पाली	01490	12/1/79	" धुपाई, छपाई
124.	मधु डाईग एण्ड प्रिंटिग वर्क्स, एफ-364, औ. क्षे., म. रोड, पाली	01493	3/2/79	" छपाई
125.	सिरोही टैक्स. इण्ड. जी-13, 16 औ. क्षे. II, पाली	01499	5/3/79	" रंगाई, छपाई
126.	वीणा टैक्स. एफ-76 औ. क्षे. II, पाली	01501	7/3/79	" छपाई

1	2		3	4
127.	इन्दु टैक्स. मिल्स., एफ-99, औ. क्षे. I,	01505	17/3/79	वायलों की रंगाई, छपाई
128.	आर. के. टैक्स. इण्ड. डी-7, औ. क्षे. II,	01506	19/3/79	,, ,, रंगाई
129.	राज. इण्ड. ई-90, औ. क्षे. II, पाली	01508	,,	,, ,, धुपाई, रंगाई, छपाई
130.	जेके प्रिन्टर्स, औ. क्षे. II, पाली	01509	22/ 3/79	,, वायलों की छपाई
131.	ईगल प्रिन्टर्स, महावीर उद्योग नगर पाली	01310	24/ 3/79	,, ,, ,,
132.	नवरतन टैक्स. मिल्स, औ. क्षे. II, पाली	01511	,,	,, ,, रंगाई
133.	नाहटा फेब्रिक्स प्रा. लि. महावीर उद्योग नगर, पाली	01512	,,	,, ,, छपाई
134.	गुर्जर टैक्स. इण्ड. म. रोड, पाली	01549	7/ 6/79	,, ,, धुपाई, रंगाई
135.	पी. के. डाईंग इण्ड. ,,	01550	7/ 6/79	,, धुपाई, रंगाई, छपाई
136.	प्रवीण इण्ड. औ. क्षे. II, पाली	01534	16/ 6/79	,, छपाई
137.	केके बिडला टैक्स. औ. क्षे. II, पाली	01555	,,	,, ,,
138.	उषा प्रोसेस, म. रोड, पाली	01556	30/ 6/79	,, धुपाई ,, रंगाई
139.	किरण प्रोसेसिंग सेन्टर, औ. क्षे. II, पाली	01560	10/ 7/79	,, छपाई
140.	मोतीवाला मिल्स, सुमेरपुर रोड, पाली	01563	22/ 7/79	,, रंगाई
141.	जेके टैक्स. म. रोड, पाली	01561	,,	,, ,, ,,

1	2		3	4
142.	मान डाईंग क. एफ. 241 म. रोड पाली	01567	4/ 9/79	वायलों की रंगाई
143.	पन्नालाल पारसमल, ई. ग्रो. क्षे. II, पाली	01574	13/ 9/79	” छपाई
144.	जीभावना स्क्रीन इण्ड. रामलीला पाली	01576	”	” ” ”
145.	जगदीश डाईंग क. मं. रोड, पाली	01590	16/10/79	” रंगाई
146.	नाहटा टैक्स. इण्ड. ई-4-5 ग्रो. क्षे. II, पाली	01593	24/10/79	” छपाई ” धुपाई
147.	ग्राशा डाईंग एफ. 82 ग्रो. क्षे. पाली	01594	”	” धुपाई
148.	एस. ग्रार. प्रिंटिंग वर्क्स, ”	01596	5/11/79	” रंगाई, छपाई
149.	सिल्वर टैक्स. म. रोड, पाली	01597	5/11/79	” ” ”
150.	ग्रल्दे डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, जी.ए. 187-88 म. रोड, पाली	01501	14/11/79	” धुपाई, रंगाई, छपाई
151.	शांति विजय टैक्स. इण्ड. वी 87 ग्रो. क्षे. II, पाली	01512	21/12/79	” ” ”
152.	कमला टैक्स. मिल्स, जी ई-367 ग्रो. क्षे. II, पाली	01613	27/12/79	” रंगाई
153.	धारीवाल इण्ड. एफ. 77-78 ग्रो.	01618	10/ 6/80	” धुलाई, रंगाई, छपाई

1	2		3	4
154.	मोती टैक्स. मिल्स जी. 34-37 औ. क्षे. II, पाली	01620	17/ 1/80	वायलों की धुपाई, रंगाई, छपाई
155.	आनन्द कुमार प्रफूलचन्द एण्ड क. ई. 32 औ. क्षे. II, पाली	01621	,,	,, रंगाई
156.	वन्दना प्रिन्टर्स एफ. 59 (2) औ. क्षे. II, पाली	01625	18/ 1/80	,, छपाई
157.	कमल टैक्स. इण्ड. एफ. 96 औ. क्षे. II, पाली	01627	23/ 1/80	,, रंगाई
158.	अग्रवाल टैक्स. इण्ड. सुमेरपुर रोड, पाली	01630	,,	,, रंगाई, छपाई
159.	प्रकाश प्रिन्टर्स, एफ-283, म. रोड, पाली	01634	5/2/80	वायलों की छपाई
160.	जय अम्बे प्रिन्टर्स, 12ए रामलीला मैदान, पाली	01635	6/2/85	,, ,,
161.	अम्बिका ब्लिचिंग वर्क्स, ,,	01366	,,	,, ,,
162.	महावीर प्रोसेस, ,,	01637	,,	,, छपाई
163.	सुबोध टैक्स, 10 औ. क्षेत्र. II पाली	01639	4.3.80	,, रंगाई
164.	महालक्ष्मी टैक्स. एण्ड केमीकल्स, औ. क्षे. II, पाली	01645	5/3/80	,, रंगाई, छपाई, धुपाई

1	2	3		4
165.	सुनील टैक्स. मिल्स, एफ-130, म. रोड ग्रो. क्षे. पाली	01651	26/3/80	वायलों की रंगाई, छपाई, धुलाई
166.	पारसमल नेमीचन्द, ई-212 म. रोड, पाली	01698	9/7/80	,, ,,
167.	विकास टैक्स. एफ-86 ग्रो. क्षे. II, पाली	01708	,,	,, ,,
168.	मानसरोवर टैक्स. मिल्स, महावीर उद्योग नगर, पाली	01709	9/8/80	,, ,,
169.	महासागर प्रिन्टर्स, ,,	01711	,,	,, ,,
170.	कृष्णा डाईग एण्ड कं. म. रोड, पाली	01772	4/8/80	,, ,,
171.	राजकमल टैक्स. रामलीला मैदान, पाली	01714	6/8/80	,, ,,
172.	फाईन प्रोसेस; ई-288, म. रोड, पाली	01530	3/5/79	,, ,,
173.	विनोद टैक्स. मिल्स, ई-22, म. रोड, पाली	01538	3/5/79	,, ,,
174.	गोपाल टैक्स. मिल्स, पाली	01539	7/5/79	,, ,,
175.	मालू टैक्स. इण्ड. ग्रो. क्षे. II, पाली	01544	16/5/79	,, ,,
176.	कांकरिया फेब्रिक्स, ई-36, म. रोड, पाली	01561	21/3/80	,, ,,
177.	मनीप टैक्स. इण्ड. म. रोड, पाली	01663	31/3/80	,, ,,
178.	ज्ञान डाईग वर्क्स, 122-22, म. ,,	01662	,,	,, ,,
179.	के वी डाईग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, ,,	01664	,,	,, ,,
180.	कुशुम डाईग, जी. 20 ग्रो. क्षे. II, पाली	01667	11/4/80	,, ,,
181.	मांगीलाल महेन्द्रकुमार एफ-115 म. रोड, पाली	01671	2/5/80	,, ,,

1	2		3	4
182.	गादिया टैक्स. म. रोड, पाली	01674	8/5/80	वायलों की रंगाई, छपाई,धुलाई
183.	सुनील टैक्स. म. केमीकल इण्ड. औ. क्षे. II पाली	01683	14/5/80	,, ,,
184.	सेपलानी इण्ड. म. रोड, पाली	01692	9/6/80	,, ,,
185.	लोढा प्रोसेसिंग मिल्स, म. रोड, पाली	01706	6/8/80	,, ,,
186.	एस. कुमार एण्ड कं. म रोड. पाली	01720	16/8/80	,, ,, ,,
187.	मेहता डाईग इण्ड. म. रोड. पाली	01722	18/8/80	,, ,, धुपाई
188.	दुर्गा डाईग मिल्स, म. रोड, पाली	01730	3/9/80	,, ,,
189.	जालोरा ब्लिचिंग एण्ड डाईग म. रोड, रोड, पाली	01735	,,	,, ,, ,,
190.	राजेन्द्र प्रोसेस, ए-236, म. रोड, पाली	01736	12/9/80	वॉयलों की धुपाई,
191.	पारस टैक्स. एफ-236, ,, ,,	01745	9/10/80	,, छपाई ,,
192.	परमेश्वर प्रिंटिंग इण्ड. 296 ,,	01751	17/11/80	,, ,,
193.	नवभारत इण्ड औ. क्षे. II, पाली	01758	26/11/80	,, ,,
194.	जगदीश टैक्स. मिल्स, ,,	01763	29/11/80	,, ,, रंगाई
195.	गोपाल टैक्स. इण्ड. म. रोड, पाली	01775	3/1/81	,, ,, धुपाई
196.	मेहता घीयाडमल पृथ्वीराज पाली	01778	6/1/81	,, ,, धुपाई
197.	फैशन फेब्रिक्स, जी-158, म. रोड, पाली	01780	8/1/81	,, ,, ,,
198.	घननरेश इण्ड. औ. क्षे. II पाली	01787	23/1/81	,, ,, ,,
199.	[illegible]	01798	7/2/81	,, ,, ,,

1	2		3	4
200.	जय टैक्स. इण्ड. पाली	01700	13/2/81	वायलों की रंगाई, छपाई, धुलाई
201.	चोपडा इण्ड. ,,	01719	27/2/81	,, ,, ,,
202.	महिमा डाईग, ,,	01884	12/3/81	,, ,, ,,
203.	राजकुमारी बोहरा एण्ड कं. पाली	01847	16/3/81	,, ,, ,,
204.	सम्पतराज पुखराजन म. रोड, पाली	01870	28/3/81	,, ,, ,,
205.	खीवराज मेहता ,,	01871	28/3/81	,, ,, ,,
206.	मस्तान मिल्स, ,,	01001	8/4/81	,, ,, ,,
207.	मारत डाईग इण्ड. एफ-76 ,,	00004	,,	,, ,, ,,
208.	चैनराज मेरूलाल, एफ-34, ,,	00005	13/4/81	,, ,, ,,
209.	मेहता डाईग वर्क्स, ,,	00008	23/4/81	,, ,, ,,
210.	कवाड टैक्स. एफ-220-21 ,,	00024	11/5/81	,, ,, ,,
211.	लोढा टैक्स. मिल्स, ,,	00031	4/6/81	,, ,, ,,
212.	आर. के. इण्ड. जी-38 औ. क्षे. II ,,	01034	18/6/81	,, ,, ,,
213.	कृष्णा टैक्स. मिल्स, म. रोड, पाली	01033	,,	,, ,, ,,
214.	जगदम्बा टैक्स. एफ-98 औ. क्षे. पाली	01092	26/8/81	,, ,, ,,
215.	विनोद प्रोसेस, एफ-180 म. रोड, पाली	01122	26/9/81	,, ,, ,,
216.	जिनेन्द्र प्रोसेस, म. रो. पाली	01479	24/10/81	,, ,, ,,
217.	नरेश टैक्स. मिल्स, जी-13.5.14, औ. क्षे. II पाली	01502	3/11/81	,, ,, ,,

1	2		3	4
218.	लक्ष्मी टैक्स. इण्ड. पाली	01567	6/11/81	वायलों की छपाई, रंगाई, धुपाई
219.	जगदम्बा डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, औ. क्षे. II, पाली	01775	1/7/81	,, ,, ,,
220.	मान प्रोसेस, रामलीला मैदान, पाली	01786	,,	,, ,,
221.	कुन्दनमल बस्तीमल, म. रोड, पाली	01787	,,	,, ,,
222.	अग्रवाल इण्ड. एफ-255, म. रोड, पाली	01789	25/11/81	,, ,, ,,
223.	डी. एम. टैक्स. कं. ए-104-6, ,,	01790	,,	,, ,, ,,
224.	धारीवाल डाईंग इण्ड. 26, महावीर उद्योग नगर, पाली	01732	12/2/82	,, ,,
225.	धारीवाल प्रिंटिंग वर्क्स, पाली	01731	,,	,, ,,
226.	अरविन्द कुमार टैक्स, ई-16, इण्ड.औ. क्षे. पाली	01763	26/11/82	,, ,, ,,
227.	जय अम्बे टैक्स. एफ-241, पाली	01764	,,	,, ,, ,,
228.	जैन प्रिंटिंग वर्क्स, म. रो. पाली	0018	16/4/82	वायलों की छपाई, धुपाई
229.	अग्रवाल डाईंग इण्ड. इ-62, पाली	0026	23/4/82	,, ,, रंगाई
230.	राम ट्रेडिंग कं. ई-64, पाली	0028	1/5/82	,, ,, ,,
231.	नारायणदास मोहनलाल इ-46 [illegible]	0027	,,	,, ,,

1	2	3	4
232. नाहटा फेब्रिक्स प्रा.लि. एफ-1-2 औ.क्षे. पाली	0029	1/5/82	वायलों की छपाई, घुपाई
233. कीर्ति टैक्स. एफ-87-88 म. रो. पाली	0031	3/5/82	,, ,,
234. वीणा टैक्स. एफ-26, पाली	0032	,,	,,
235. कांकरिया प्रोसेस सिंघी कोलोनी, पाली	0035	5/5/82	,,
236. एन. के प्रोसेस, एफ-179 म. रो., पाली	0037	,,	,, ,,
237. महावीर ट्रेडिंग कं. ,,	0038	,,	,, ,,
238. रुकमणी टैक्स. इ-38 ,,	0043	7/5/82	,, ,, ,,
239. पुखराज मुथा एफ-81 ,,	0045	12/5/81	,,
240. मोहन भाई टैक्स एफ-129 ,,	0049	13/5/82	,,
241. भैरवा स्क्रीन प्रिंटिंग इण्ड. एफ-352 म. रो.. पाली	0052	14/5/82	,, ,,
242. झंकारमल झूमरमल एफ-276 ,,	0060	3/6/82	,, ,,
243. कुशम डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स ,,	0061	,,	,, ,, ,,
244. मो. शरीफ अहमदजी, ,,	0062	9/6/82	,, ,,

1	2		3	4
245.	प्रियंका टैक्स. इण्ड. 106-7 पाली	0063	9/6/92	वायलों की छपाई, धुलाई
246.	मधुर टैक्स. मिल्स, 173 "	0064	"	" "
247.	मिलन ट्रेडिंग कं. एफ-173 "	0065	"	" "
248.	मुकेश टैक्स, मिल्स, इ-11 "	0069	"	" "
249.	श्री प्रिन्टर्स एफ-116 "	0126	16/7/82	" "
250.	मेव टैक्स. मिल्स, "	0127	"	" "
251.	छाजेड ग्रुप ऑफ इण्ड. इ-54 "	0128	21/7/82	" "
252.	राजेश टैक्स. मिल्स, एफ-61 "	0129	"	" "
253.	प्रशान्त एन्टर प्राइजेज, एफ-394 म. रो. पाली	0135	2/8/82	" "
254.	नाकोडा प्रोसेस, एफ-106 "	0168	13/8/82	" "
255.	सज्जन टैक्स. इ-30 "	0171	17/8/82	" "
256.	मेहता ग्रुप आफ इण्ड. 177 "	0175	21/7/82	" "

1	2	3	4
257. प्रेम टैक्स. एफ-172, पाली	0176	23/8/82	वायलों की छपाई,धुलाई
258. पदम प्रकाश प्रोसेस एफ-389 "	0177	24/5/82	" "
259. राजेन्द्र टैक्स. मिल्स इ-47 "	0195	23/9/82	" "
260. मेहता टैक्स. इण्ड. एफ-395 "	0217	16/9/82	" "
261. नानू टैक्स. इण्ड. एफ-237 "	0218	18/9/82	" "
262. स्नेहा इण्ड. ई-60 "	0230	"	" "
263. पदम टैक्स. मिल्स, एफ-69 "	0232	8/10/82	" "
264. सोमानी टैक्स. एफ-175–176 "	0275	11/10/82	" "
265. जी. जी. डाईंग एफ. 93.म. रो. पाली	0276	11/10/82	वायलों की धुपाई
266. अंकुर टैक्स. पाली	0383	7/12/82	" छपाई
267. अमर टैक्स. मिल्स, पाली	0396	16/12/82	" "
268. मोनिका टैक्स. मिल्स, ई. 324 पाली	0394	14/12/82	" "
269. मेहता फिनिशिंग मिल्स, एफ 388 म.रो. पाली	0398	16/12/82	" "

1	2	3		4
270.	मुकेश फैब्रिक्स म. रोड, पाली	0399	16/12/82	बायलों की छपाई
271.	मूथा टैक्स. इण्ड. ई. 54 बी., पाली	0404	24/12/82	,, ,,
272.	एम. एल. टैक्स. मिल्स, पाली	0440	28/12/82	,, रंगाई
273.	बोहरा इण्ड. एफ. 143, पाली	0441	30/12/82	,, ,,
274.	पारसमल सोहनलाल एफ. 358, पाली	0446	,,	,, ,,
275.	अरुण इण्ड. 63, पाली	0464	31/12/82	,, ,,
276.	अरोरा टैक्स. ई. 56 पाली	04403	19/2/85	,, ,,
277.	कृष्ण कन्हैया इण्ड. ई. 26 औ. क्षे.	04242	31/10/84	,, ,,
278.	ओसवाल टैक्स. वीर दुर्गादास नगर, पाली	04207	11/10/84	,, ,,
279.	महावीर टैक्स. मिल्स. एफ. 169 म. रोड, पाली	04278	23/11/78	,, ,,
280.	महेन्द्रा डाईंग इण्ड. एफ. 299, पाली	04281	3/12/84	,, ,,
281.	मेहता डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, ई. 162, म. रोड पाली	04200	,,	,, ,,
282.	पारस टैक्स. इण्ड. म. रोड, पाली	04315	21/12/84	,, ,,
283.	गोरधन टैक्स. मिल्स, इ. 59 पाली	04329	4/1/85	,, ,,
284.	अनिल टैक्स. एफ. 82 म. रोड, पाली	04385	8/2/85	,, ,,

1	2	3		4
285.	रुपचन्द छोटूमल एफ. 366, पाली	C8386	8/2/85	वायलों की छपाई, रंगाई
286.	रामावतार टैक्स. मिल्स, पाली	04388	31/12/85	,, ,,
287.	शांति टैक्स ई. 324 म. रोड, पाली	0502	31/12/82	,, ,,
288.	राज टैक्स. मिल्स, एफ. 82 ग्रो., पाली	0504	1/1/83	,, ,,
289.	नव हीरा टैक्स. एफ. 96 म. रो., पाली	0505	15/1/83	,, ,,
290.	हरेन्द्रा टैक्स. जी. वी. 171-172, पाली	0512	15/1/83	,, ,,
291.	कवाड फेब्रिक्स, एफ. 213, पाली	0513	21/1/83	,, ,,
292.	मयुर प्रिन्टर्स, इ. 12, पाली	0540	,,	,, ,,
293.	परमेश्वर एण्ड क. एफ. 40, पाली	0561	25/1/83	,, ,,
294.	मेहता प्रिंटिंग इण्ड. महावीर उद्योग नगर, पाली	0562	,,	,, ,,
295.	युसुफ इब्राहीम, इण्ड. म. रो., पाली	0568	,,	,, ,,
296.	अरुण प्रोसेस, इ. 54, पाली	0568	1/2/83	,, ,,
297.	पारस डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, पाली	0569	3/2/83	,, ,,
298.	महेन्द्रा डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स ,,	0570	4/2/83	,, ,,
299.	केशरिया डाइंग इण्ड. पाली	0571	5/2/83	,, ,,

1	2	3		4
300.	नंदकिशोर प्रिंटिंग वर्क्स, एफ. 226 म. रोड़, पाली	0889	23/2/83	वायलों की छपाई, रंगाई
301.	महाराजा टैक्स. मिल्स. ई. 17 स. रोड. पाली	0596	24/2/83	वायलों की घुपाई
302.	मेहता इण्ड. एफ. 119, पाली	0598	1/3/83	,, छपाई
303.	मीटेक्सटाईल, एफ. 174, पाली	0617	15/3/83	,, ,,
304.	मोती बाबू टैक्स. मिल्स एफ 145, पाली	0619	,,	,, ,,
305.	मास्टर टैक्स. मिल्स, 182-83 म. रोड, पाली	0651	10/3/83	,, रंगाई
306.	लोढा फेब्रिक्स, केरिया दरवाजा, पाली	233	10/10/66	,, ,,
307.	गफूर सुल्तानजी, प्यारा चौक, पाली	6414	2/9/69	,, ,,
308.	आनन्द डाईंग कं. मोची वाडा, पाली	6441	25/2/70	,, ,,
309.	रंगराज इलालबक्स रमजान, पाली	784	10/6/70	,, ,,
310.	छिपाकरी मशरीफ, प्यारा चौक, पाली	821	20/7/70	,, ,,
311.	इब्राहीम सुल्तान जी छिपों का मायला वास, पाली	013	17/12/70	,, ,,
312.	गोलेच्छा डाई एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स सिन्धी कोलोनी, पाली	076	17/8/71	,, ,,
313.	गदिया टैक्स. इण्ड. ईदगाह रोड, पाली	022	7/4/72	,, ,,
314	महावीर डाईंग क. बस स्टेण्ड के पास, पाली	025	24/4/72	,, ,,

1	2	3		4
315.	छिपा करीम सुल्तान, मोचीवाडा, पाली	087	22/9/72	वायलों की रंगाई
316.	जसवन्त ट्रेडिंग क. ईदगाह रोड, पाली	089	,,	,, ,,
317.	श्री महावीर टैक्स. आदर्श नगर, पाली	094	3/10/72	,, ,,
318.	पारस फेब्रिक्स कोलेज रोड, पाली	095	3/10/72	,, ,,
319.	बोरड डाईग क. वड़ावास, पाली	098	5/10/72	,, ,,
320.	जय भारत इण्ड. कोलेज होस्टल के पास, पाली	0105	23/10/72	,, ,,
321.	पारस प्रिंटिंग वर्क्स, केरिया दरवाजा, पाली	0119	22/11/72	,, ,,
322.	छिपा हाजी रोशन डाईग क. नवलखा. मंदिर के पास, पाली	0137	9/1/73	,, ,,
323.	जय हुकमीचंद् डाईग क. हाहजी का वास, पाली	0145	25/1/73	,, ,,
324.	जिनेन्द्र प्रिंटिंग वर्क्स, ई. 66 औ. क्षेत्र. II, पाली	0259	30/11/73	,, ,,
325.	रूपाली डाईग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, पाली	0150	8/2/73	,, ,,
326.	वसन्त टेडिंग क. ईदगाह रोड, पाली	0153	5/3/73	,, ,,
327.	भैरव टैक्स. इण्ड. औ. क्षे., पाली	0161	23/3/73	,, ,,
328.	छिपा अब्दुलगनी अब्दुलनूर, थूली वाडा, प्यारा चौक, पाली	0165	28/3/73	,, ,,
329.	जैन टैक्स. खारी बेरी के पास, पाली	0179	23/4/73	,, ,,

1	2		3	4
330.	विजय टैक्स. इण्ड. केरिया, पाली	0192	1/5/74	वायलों की रंगाई
331.	बोम्बे डाईग एण्ड प्रिंटिग वर्क्स जगीवाडा पुलिस थाना के सामने पाली	210	7/6/73	वायलों की रंगाई
332.	जेबी प्रोसेस, बस स्टेण्ड के पास ,,	214	23/6/73	,, ,,
333.	मास्टर प्रिन्टस बडी ब्रहमपुरी के बाहर, पाली	232	25/8/73	,, छपाई
334.	जे.के. डाईग म.रोड. पाली	236	22/9/73	,, धुपाई
335.	विनोद टैक्स गुजराती कटला ,,	237	26/9/73	,, ,,
336.	जिनेन्द टैक्स. इ. 67 औ. क्षे. II पाली	238	9/10/73	,, ,,
337.	सोगी. टेक्स. इ. 1–2 ,,	243	24/10/73	,, ,,
338.	नवरंग डाईग क. सटोको बाबास ,,	245	31/10/73	,, ,,
339.	सागर डाईग क. युसीकी गली प्यारा चौक, पाली	247	,,	,, ,,
340.	मन्दडा डाईग क. गूजराती कटला, पाली	248	,,	,, ,,
341.	जयभारत टैक्स. कालूजी की बगीची के पास, पाली	251	18/11/73	,, ,,
342.	छिपा कासिम हुसैन जोडा. जाकीर हुसेन रोड, पाली	257	29/11/73	,, ,,
343.	एस केशा एण्ड क. महावीर उद्योग नगर पाली	229	,,	,, ,,

1	2	3		4
344.	सागर प्रोसेस, गुजराती कटला पाली	260	30/11/73	वायलों की रंगाई, धुपाई
345.	मरूघर डाईग क. खटीको का बास पाली	262	,,	,, ,,
346.	गणेश बैंक्स सिंधी कालोनी	264	,,	,, ,,
347.	जीडी जेमसराइजिंग एण्ड सेन्टर महेश्वारया बगीची, पाली	266	,,	,, ,,
348.	ज्योति टैक्स म. रोड, पाली	269	,,	,, ,,
349.	कल्पना प्रोसेस, कपडा मार्केट ,,	272	,,	,, ,,
350.	नन्दू डाईग फैक्ट्री खत्रियों का वास पाली	273	,,	,, ,,
351.	कमल प्रिन्टर्स ,,	274	,,	,, ,,
352.	नाथ डाईग डा. जाकिर हुसैन ,,	280	15/12/73	,, ,,
353.	एम एम डाईग, घास मण्डी, पाली	281	,,	,, ,,
354.	श्री जिनेन्द्रा डाईग ,,	382	,,	,, ,,
355.	श्रीकान्त फिनिसिंग वर्क्स नाडी मोहल्ला, पाली	284	,,	,, ,,
356.	अशोक डाईग क. महावीर उद्योग नगर, पाली	285	,,	,, ,,
357.	बी विनोद कुमार एण्ड क. घोसी वाडा, पाली	288	,,	,, ,,

1	2	3		4
358.	मनोहर टैक्स. जालोरी दरवाजा, पाली	289	15/12/73	वायलों की रंगाई, छपाई, धुपाई
359.	मोहन डिजाइसिंग, बांडी नदी ,,	290	,,	,, ,,
360.	केशरिया डाइ वर्क्स, जालौरी दरवाजा, पाली	292	15/12/74	,, ,,
361.	सवेरचंद महेन्द्र कुमार एण्ड क. डा. जाकिर हुसेन ,,	293	,,	,, ,,
362.	एमएम टैक्स. इण्ड. आदर्श नगर, पाली	294	31/12/73	,, ,,
363.	रफीक डाईग छिपों का वास, पाली	295	,,	,, ,,
364.	एमआर डाईंग इण्ड. जोधपुरिया बास बारी के पास, पाली	296	,,	,, घुपाई
365.	साबीरटे टैक्स. घोसीवाडा ,,	297	,,	,, ,,
366.	केलीको टैक्स. प्यारा चौक ,,	298	,,	,, छपाई
367.	छिपा नूर मोह. अलाबक्स ,,	299	,,	,, ,,
368.	गफरन बक्सी छिपों की ढोल, पाली	301	,,	,, ,,
369.	,, इस्माइल युसुफ भाई ,,	302	,,	,, ,,
370.	,, अब्दुलगनी अ.मजीद इब्राहीम, रागनिया मो. पाली	303	,,	,, ,,
371.	मोती प्रिंटिंग वर्क्स. गुंदोज का ढेरा पाली	304	,,	,, ,,

1	2	3	4
372. छिपा अ. गनी/अलावक्स छिपों का मायलावास, पाली	305	31/12/73	वायलों की रंगाई, छपाई, धुपाई
373. डिलक्स डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, कचहरी रोड, पाली	306	,,	,, ,,
374. चौहान डाईंग एण्ड बिलचिंग वर्क्स, पाली	307	,,	,, ,,
375. मोहब्बत डाईंग सगलिया मोहल्ला, पाली	308	,,	,, ,,
376. गनी अहमद जी प्यारा चौक ,,	309	,,	,,
377. कृष्णा प्रिंटिंग वर्क्स, मेला दरवाजा, पाली	310	,,	,, ,,
378. इकबाल डाईंग प्रिंटिंग वर्क्स कचहरी रोड, पाली	311	,,	,, ,,
379. असरफ अली रमजान अली प्यारा चौक, पाली	312	,,	,, ,,
380. सरदार डाईंग क. जंगीवाडा ,,	313	,,	,, ,,
381. छिपा अहमद जी करीमजी जोधपुरिया ,,	314	,,	,, ,,
382. मोगी प्रिन्टिंग वर्क्स, टाऊन हाल के पास, पाली	315	,,	,, ,,
383. मोगी ब्लिचिंग वर्क्स आदर्श नगर, पाली	316	,,	,, ,,
384. मोगी डाईंग, टाउन हॉल के पास, पाली	317	,,	,, ,,
385. जयश्री अम्बे डिजाइनिंग वर्क्स, प्यारी कादान, पाली	567.	,,	,, ,,
386. मिनाक्षी टैक्स. म. रोड, पाली	568	,,	,, ,,

1	2		3	4
387.	डोसी फेब्रिक्स, केरिया दरवाजा, पाली	568	31/12/73	वायलों की रंगाई, छपाई
388.	मंजूर डाईंग क. ,,	569	,,	,, ,, ,,
389.	पाली डाईंग क., पाली	570	,,	,, ,,
390.	लक्ष्मी डाईंग वर्क्स, कालूजी की बगीची, पाली	572	,,	,, ,,
391.	मूनलाईट डाईंग क. केरिया दरवाजा, पाली	574	,,	,, ,,
392.	महावीर प्रिंटिंग वर्क्स, सिन्धी कोलोनी, पाली	576	,,	,, ,, ,,
393.	सोनी डाईंग एण्ड फिनिसिंग वर्क्स, धर्मपुरा, पाली	577	,,	,, ,,
394.	एहसान अली महरुअली दोसी कोलोनी, पाली	580	,,	,,
395.	नवीन प्रिंटिंग वर्क्स, केरिया दरवाजा, पाली	581	,,	,, ,, ,,
396.	विजय स्क्रीन प्रिंटिंग वर्क्स, रागनियों का बास, पाली	663	,,	,, ,, ,,
397.	महालक्ष्मी प्रिन्टर्स, सिंधी कालोनी, पाली	662	,,	,, ,, ,,
398.	छिपा गफूर इब्राहीम सुमेरपुर रोड़, पाली	666	,,	,, ,,
399.	नेमीचंद भंवरलाल टैक्स. इण्ड. आर. 399 म. रो., पाली	03925	4/4/84	,, ,,
400.	मयूर फिनिसिंग मिल्स एफ. 209 म. रो., पाली	03931	12/4/84	,, ,,
401.	लक्ष्मी टैक्स. मिल्स इ. 54 एफ. 1 औ. क्षे. पाली	03932	18/4/85	,, ,,

1	2		3	4
402.	जय टैक्स. एफ. 103 नीचे 103 औ. क्षे., पाली	03939	29/5/84	वायलों की रंगाई
403.	मोहन टैक्स. इण्ड. 22 महावीर उद्योग नगर, पाली	03942	29/5/84	,, ,,
404.	सारडा डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स एफ. 393 म. रो. पाली	04000	29/6/84	,, धुपाई
405.	रीनू टैक्स. एफ. 230 औ. म. रो..पाली	04150	29/9/84	,, छपाई
406.	गीता टैक्स. एफ 258–59 ”	04151	,,	,, ,,
407.	सविता टैक्स. एफ 228–59, पाली	04152	,,	,, ,,
408.	मोतीलाल फैब्रिक्स म. रो., पाली	04154	,,	,, ,,
409.	ओसवाल टैक्स. 25 महावीर उद्योग नगर. पाली	04701	10/10/84	,, ,,
410.	कृष्ण कन्हैया इण्ड. इ. 29 म. रो. पाली	04242	31/10/84	,, ,,
411.	एम. दिलीप टैक्स, एस. 289, पाली	04243	,,	,, ,,
412.	विनित प्रिन्टर्स इ. 47 औ. क्षे. II, पाली	04269	23/11/84	,, ,,

333

गांवों की सूची "ख"

(बांडी नदी के किनारे से लगती हुई भूमि)

क्र. सं.	नाम ग्राम	आराजी जिसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई है :— बीघा		बिस्वा
1.	गिरादड़ा खालसा	1540	—	06
2.	गिरादड़ा जागीर	1339	—	11
3.	पुनायता	485	—	00
4.	मुकर लाई	275	—	16
5.	जवडिया	2755	—	11
6.	चाटेलाव	1900	—	09
7.	केरला	2331	—	05
8.	मूलियावास	867	—	05
9.	मंड़िया	509	—	14
	कुल योग	12004	—	17

उपरोक्त ग्रामों के अतिरिक्त निम्नांकित ग्रामों में सिचाई के कुओं का पानी केमीकल युक्त प्रदूषित हो गया है व कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति भी उत्तरोत्तर कम होती जा रही है :—

1. जेतपुर
2. पाली (चक I चक II)
3. धर्मधारी
4. रूपवास
5. घोलेरिया
6. गढवाड़ा
7. खाण्डी
8. फेकारिया
9. ताजी
10. सोनाई लाखा
11. नेहड़ा
12. देवान्दी
13. मांडावास
14. विठू

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में श्रमिकों को सुविधायें

625. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग द्वारा श्रमिकों की चिकित्सा हेतु नहर-परियोजना क्षेत्र में कहां क्या-क्या व्यवस्था सुलभ की हुई है ?

(2) विभाग ने श्रमिक कल्याण हेतु स्कूल, अस्पताल, बालबाड़ी, पुस्तकालय, प्रसूति गृह, सुविधा कहां-कहां प्रदान कर रखी है ।

(3) क्या यह सही है कि विश्व संस्था सहायता कार्यक्रम द्वारा दिये गये सहायतार्थ सामान की बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग सिर्फ श्रमिक कल्याण कार्यों में व्यय करना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या बिक्री से प्राप्त धन राशि का उपयोग अधिकारियों के लिये विश्राम गृह व अन्य कार्यों में किया गया है ? यदि हां तो विश्व संस्था से समझौते का उल्लंघन क्यों किया गया है ?

(4) क्या विभाग द्वारा नहर निर्माण में कार्यरत हजारों ऊंटों के उपचार हेतु कोई स्थाई व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्या नहर विभाग की चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है ? यदि हां, तो विभाग ने चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं की तथा भविष्य में क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) श्रमिकों की चिकित्सा नहर परियोजना क्षेत्र में सात चल चिकित्सा इकाइयां घरसाना, बीकानेर, वज्जू, बीकमपुर, नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़ में कार्यरत हैं जो कि श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती हैं ।

इसके अतिरिक्त बीकानेर, वज्जू, नाचना, मोहनगढ़, जैसलमेर में परियोजना व अन्य सरकारी डिस्पेन्सरी व अस्पताल श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त है ।

(2) रामगढ़, मोहनगढ़ एवं नाचना में तीन विडियो सेट पूरे परियोजना क्षेत्र के लिये एक चलचित्र-वाहन कार्यरत है जो सप्ताह में एक बार वज्जू, बीकमपुर, नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़, जैसलमेर आदि स्थानों पर चलचित्रों का प्रदर्शन कर श्रमिकों को मनोरंजन प्रदान करती है । परियोजना की तरफ से बालबाड़ी, पुस्तकालय एवं प्रसूति-गृह की अभी सुविधा नहीं हैं ।

(3) विश्व खाद्य संस्था सहायता कार्यक्रम से प्राप्त धनराशि का उपयोग किसी भी स्थान पर अधिकारियों के विश्रामगृह आदि सुविधाओं पर खर्च नहीं किया जाता है । अतः विश्व खाद्य संस्था सहायता कार्यक्रम की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।

(4) इस परियोजना के तहत ऊंटों, गधों व अन्य जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु पशु-चिकित्सालय मोहनगढ़, बीकमपुर में लगभग पूर्ण हो चुके हैं और उनके द्वारा चिकित्सा सुविधा शीघ्र आरंभ की जावेगी । फिलहाल यह सुविधा जैसलमेर के राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा कराई जाती हैं ।

भरतपुर फीडर हेतु नियमित जल व्यवस्था

626. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर फीडर में इस वर्ष गर्मियों में यमुना से कोई पानी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार भरतपुर फीडर में नियमित रूप से पानी मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या ओखला बांध में राज्य के पानी का कोई हिस्सा तय हो गया है ? यदि हां, तो क्या तथा ओखला बांध के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित अधिकारियों को इन्डेन्ट, तार, पत्रादि भेजे गये एवं व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया ।

(2) जी हां । राज्य सरकार यमुना नदी के पानी में से समुचित हिस्सा लेने के लिए प्रयत्नशील है । यमुना के पानी में हिस्सा मिलने पर ही नियमित रूप से पानी सभव हो सकता है ।

(3) जी नहीं । यह विचाराधीन है ।

गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस

627. **श्री दीनबंधु वर्मा** (कपासन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस हैं ? उनके द्वारा सन् 1980 से अब तक कितने मूल्य का गारमेंट विदेशों में निर्यात किया गया है ?

(2) एक्सपोर्ट हाउस में लगने वाले कारीगरों की क्या संख्या है व उनको रोजगार देने का क्या आधार है तथा कितना वेतन अथवा दैनिक वेतन दिया जाता है ?

उत्तर

(1) राज्य में 99 गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस दिनांक 31.10.84 तक एपेरल्स निर्यात संवर्धन परिषद में पंजिकृत हैं । वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक किये गये निर्यात के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	तादाद (000 नगों में)	मूल्य (000 रुपयों में)
1980-81	17,61,000	10,65,70,000
1981-82	12,09,000	6,31,99,000
1982-83	11,63,000	5,22,68,000
1983-84	12,42,000	5,77,58,000

(उद्योग मंत्री)

(2) एक्सपोर्ट हाउस में लगने वाले कारीगरों की संख्या लगभग 347 है तथा उनको रोजगार देने का मुख्य आधार कार्य का अनुभव है। इनको न्यूनतम 300/- रु. प्रतिमाह तथा अधिकतम वेतन 1500/- रु. प्रति माह दिया जाता है। सिलाई वाले कारीगरों को कार्य अनुसार वेतन दिया जाता है।

जैतारण उपखंड मुख्यालय पर विश्राम गृह

628. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यह सही है कि पाली जिले में जैतारण उपखण्ड मुख्यालय है, तथा इस उपखण्ड मुख्यालय पर विश्राम गृह बनाने के लिए पिछले कई वर्षों से राज्य के मुख्य मंत्री, जैतारण की ग्राम सभाओं में आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन आज दिन तक इस उपखण्ड मुख्यालय पर विश्राम गृह या इसके समकक्ष कोई सुविधा राज्य सरकार बना नहीं पाई है ?

(2) क्या राजस्थान सरकार निकट भविष्य में उक्त स्थान पर विश्रान्ति गृह बनाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक बनाकर पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

जैतारण उपखंड मुख्यालय विश्रामगृह बनाने हेतु प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे हुये हैं।

(2) जी हां।

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

नगर परिषद् अजमेर की सीमा से गांवों को निकाल कर पंचायतों का पुनर्गठन

629. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पिछले वर्ष कुछ गांवों को अजमेर नगर परिषद् की सीमा से वापिस बाहर निकाल कर पुनः ग्राम पंचायतों में गठन कर लिया गया है ?

(2) यदि हां, तो कुल कितनी ग्राम पंचायतें बनी ? उनमें कौन कौन से गांव किस किस ग्राम पंचायत में शामिल किये गये ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन पुनर्गठित ग्राम पंचायतों में सरपंच वार्ड पंच के चुनाव करवा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार इन ग्राम पंचायतों में कब तक चुनाव करवाने का विचार रखती है ?

(4) क्या इन ग्रामों में ग्रामीण विकास की योजनाएं लागू की गई हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब सरकार ग्रामीण योजनाओं का लाभ इन गांवों को देने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(पंचायत राज मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगर परिषद, अजमेर से पृथक हुए 18 ग्रामों की कुल 9 पंचायतें बनी। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर पंचों की सीटों का निर्धारण किया जाकर चुनाव की तिथि निश्चित होने पर सरपंच एवं वार्ड पंचों के चुनाव करा दिये जावेंगे।

(4) जी हां। इन पंचायतों में प्रशासकों के माध्यम से निम्न विकास योजनायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं:—

1. हैण्ड पम्प संधारण।
2. नवीन प्राथमिक शाला खोलना।
3. शाला भवन निर्माण।
4. गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों का चयन।
5. लघु सिंचाई कार्य।
6. सड़क कार्य।
7. सामाजिक वानिकी।

नगर परिषद की सीमा से निकाले गये ग्रामों की ग्राम पंचायतों का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम जो शामिल किये गये
1.	माकडवाली	श्रीनगर	1. माकडवाली
			2. लोहागल
2.	रसूलपुरा	,,	1. रसूलपुरा
			2. काकरदा मोनावास
			3. गकरडी
			4. मदारपुरा
3.	वडल्या	,,	1. वडल्या
4.	हाथीखेड़ा	,,	1. हाथीखेड़ा
			2. बोराज जी का पुरा
5.	नारेली	,,	1. नारेली
6.	अजयसर	,,	1. अजयसर
			2. खरकेडी

7.	पालरा	,,	1. पालरा 2. किरानीपुरा 3. सैंदरिया
8.	घूघरा	,,	1. घूघरा 2. कायड
9.	सोमलपुरा	पीसांगन	1. सोमलपुर

जयपुर में स्टाक एक्सचेन्ज की व्यवस्था

631. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में स्टाक एक्सचेन्ज की स्थापना का निश्चय किया गया था ? क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही हुई थी तथा नियम उप नियम बनाये गये थे ? यदि हां, तो कृपया नियम उपनियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस संबंध में किसी निदेशक मण्डल का गठन भी किया गया ? यदि हां, तो कृपया मण्डल के सदस्यों के नाम की सूची सदन की पटल पर रखें।

(3) स्टाक एक्सचेन्ज चालू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां भारत सरकार द्वारा राजस्थान चेम्बर ग्राफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर को पत्र दिनांक 25 ग्रक्टूबर, 1983 द्वारा स्टॉक एक्सचेंज खोलने की ग्रनुमति प्रदान की गई। मेमोरेण्डम की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्राटिकल्स ग्राफ एशोसियेशन के ग्राटिकल्स 65 व 68 के ग्रनुसार कौंसिल ग्राफ मैनेजमेन्ट का गठन किया गया था। कौन्सिल के सदस्यों के नामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) स्टाक एक्सचेन्ज की सदस्यता को अन्तिम रूप देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। कौंसिल ग्राफ मैनेजमेन्ट की प्रार्थना पर राज्य सरकार द्वारा स्टॉक एक्सचेन्ज संबंधी समस्याग्रों के समाधान एवं सचिव की नियुक्ति बावत संबंधित व्यक्तियों से विचार विमर्श कर इसे यथा शीघ्र चालू करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर (भरतपुर) क्षेत्र की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

632. **श्री सम्पत सिंह (नगर) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1983-84 में कृषि प्रयोजनार्थ कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये ?

340

(श्री सम्पतसिंह)

कृपया जिलेवार एवं पंचायत समिति वार संख्या सूची सदन पटल पर रखें ।

(2) इस अवधि में नगर निर्वाचन क्षेत्र जिला भरतपुर में हरिजन बस्तियों में कितने कनेक्शन दिये गये एवं कितने विचाराधीन हैं ?

(1) राज्य में वर्ष 1983-84 में 12,722 नये कृषि कनेक्शन दिये गये, जिनका जिलेवार विवरण सूची "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है। पंचायत समितिवार विवरण संकलित किया जा रहा है ।

(2) उक्त अवधि में नगर निर्वाचन क्षेत्र जिला भरतपुर में 5 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है, जिनमें 4 हरिजन बस्तियों को कनेक्शन दे दिया गया है एवं एक ग्राम पीरका की हरिजन बस्ती को कनेक्शन देने के लिये डिमान्ड नोट जारी किया हुआ है लेकिन अभी तक उसकी राशि जमा नहीं कराई गई है। राशि जमा कराते ही कनेक्शन दे दिया जावेगा । अब 8 और हरिजन बस्तियों के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं ।

वर्ष 1983-84 में उर्जीकृत कृषि कुओं का विवरण (जिलेवार)

क्र. सं.	जिले का नाम	उर्जीकृत कुओं की संख्या
1.	अजमेर	604
2.	अलवर	664
3.	बांसवाडा	153
4.	बाडमेर	107
5.	भरतपुर	364
6.	भीलवाड़ा	545
7.	बीकानेर	—
8.	बून्दी	413
9.	चित्तौड़गढ़	1012
10.	चूरू	20
11.	धौलपुर	126

1	2	3
12.	डूंगरपुर	151
13.	जयपुर	1472
14.	जालोर	370
15.	झालावाड़	463
16.	झुन्झुनू	788
17.	जोधपुर	278
18.	कोटा	272
19.	नागौर	1046
20.	पाली	1136
21.	सवाई माधोपुर	805
22.	सीकर	806
23.	सिरोही	179
24.	श्री गंगानगर	275
25.	टोंक	137
26.	उदयपुर	536
27.	जैसलमेर	—
	योग	12722

जे. के. सीमेन्ट वर्क्स में पुलिस द्वारा गोली चलाने की जांच

633. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली)
डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1984 में जे. के. सीमेंट वर्क्स में पुलिस के गोली चलाये जाने से दो व्यक्ति मारे गये व कई घायल हुए? यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई जांच के आदेश दिए गये हैं ?

(2) यदि हां, तो जांच किससे करवाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जांच के आदेश प्रसारित नहीं किए गए थे। जिलाधीश चित्तौडगढ़ ने आदेश दिए थे, तदनुसार ए. डी. एम., चित्तौडगढ़ द्वारा जांच की गयी।

(3) जी हां। सदन के पटल पर रखना आवश्यक नहीं है।

उद्योग की स्थापना के संदर्भ में प्रदूषण नियन्त्रक संयंत्रों की अनिवार्यता

634. **श्री रामचन्द्र** (बनेड़ा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नये उद्योग लगाने की स्वीकृति देने के पूर्व क्या यह शर्त आवश्यक है कि इन उद्योगों से वायु और जल प्रदूषण नहीं होगा अथवा होने पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक संयंत्र लगाये जायेंगे ?

(2) यदि यह शर्त आवश्यक नहीं है तो क्या राज्य सरकार ऐसी शर्त लगाये जाने की आवश्यकता स्वीकार नहीं करती है ?

(3) क्या राज्य सरकार उन सभी उद्योगों को जिन्होंने आवश्यक संयंत्र वायु और जल प्रदूषण रोकने के लिये अब तक नहीं लगाये हैं, तत्काल बंद करने, उन्हें मिलने वाली अनुदान राशि से वंचित रहने के आवश्यक आदेश देने का इरादा रखती है ? राज्य सरकार की ऐसे मामलों में क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम और नीति है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा उपक्रमियों को मध्यम एवं बड़े उद्योग लगाने के लिए दिये जाने वाले एन. ओ. सी. में जल, वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम उठाने तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से इस हेतु एन. ओ. सी. प्राप्त करने की शर्त लगाई जाती है।

(2) जी नहीं। जारी किये जाने वाले एन. ओ. सी. में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी शर्त पूर्व में ही विद्यमान है।

(3) जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु जिन उद्योगों ने संयंत्र नहीं लगा रखे है उनके विरुद्ध राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल द्वारा राजस्थान जल/वायु प्रदूषण निवारण एवं

(उद्योग मन्त्री)

नियंत्रण अधिनियम के तहत अदालती कार्यवाही की जाती है तथा मण्डल ऐसे उद्योगों को परिशोधन के लिए बाध्य करता है। प्रदूषण के कारण दोषी उद्योगों को बंद करने की वैधिक शक्तियां राज्य सरकार को नहीं है।

पंचायत समिति, सुमेरपुर में घरेलू उपभोग हेतु बिजली

635. **श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति सुमेरपुर क्षेत्र में सन् 1979 से 31 मई, 1985 तक प्रतिवर्ष कितने आवेदन घरेलू विद्युत संबंध हेतु प्राप्त हुए व उनमें से कितनों को प्रतिवर्ष संबंध दिये गये? अब कितने मामले विचाराधीन हैं?

(2) इस वित्तीय वर्ष में कब तक के आवेदनों का निपटारा कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र में सन् 1979 से 31/5/1985 तक प्रतिवर्ष घरेलू विद्युत संबंध हेतु प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों, दिये गये कनेक्शन्स एवं विचाराधीन आवेदनों की संख्या परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर एवं तकनीकि दृष्टि से उपयुक्त कनेक्शन्स चालू वित्तीय वर्ष में दिये जा सकेंगे। कब तक के आवेदनों का निपटारा इस वर्ष में किया जा सकेगा इसके बारे में निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र में सन् 1979 से 31/5/85 तक प्रतिवर्ष घरेलू विद्युत संबंध हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्रों, दिये गये कनेक्शन्स एवं विचाराधीन आवेदनों की सूची :—

क्र स.	आवेदन प्राप्ति का वर्ष	वर्ष में प्राप्त कुल आवेदन पत्र	वर्ष वार कनेक्शन देने का विवरण 79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	निरस्त आवेदन पत्र मई 85 तक	वर्ष 79 से अब तक (31-5-85 तक) कुल विचाराधीन आवेदन पत्र	विशेष विवरण
1-	1979-80	1395	123	761	100	8	31	59	1	254	58	तकनिकी
2-	80-81	902	—	89	210	186	78	92	9	139	99	दृष्टि से
3-	81-82	637	—	—	23	98	149	78	20	102	167	अनुपयुक्त
4-	82-83	637	—	—	—	50	42	180	2	68	295	होने के
5-	83-84	1040	—	—	—	—	55	173	—	4	808	कारण
6-	84-85	1043	—	—	—	—	—	—	—	—	1043	लम्बित है।
7-	85-86 (31-5-85 तक)	339	—	—	—	—	—	—	—	—	339	
		5993	123	850	333	342	355	582	32	567	2809	

बून्दी जिले के क्षतिग्रस्त बान्धों की मरम्मत

636. श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सन् 1984 में आई बाढ़ से बून्दी जिले में कितने बांधों को क्षति पहुंची है? कृपया बांधों की सूची मय क्षति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन क्षति ग्रस्त बांधों का निरीक्षण केन्द्र की स्टेडी टीम ने किया है? यदि हां, तो कृपया निरीक्षण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निरीक्षण के आधार पर ग्राम भवानीपुरा, तहसील हिण्डोली स्थित खेयूला बांध की मरम्मत हेतु राज्य सरकार ने धन राशि की स्वीकृति दी है? यदि हां, तो कितनी एवं उससे इस बांध की मरम्मत का कौन सा कार्य पूर्ण करना है?

(4) क्या सिचाई विभाग ने मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्य किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस बरसात से पूर्व इस कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) सन् 1984 में आई बाढ से बून्दी जिले के निम्नलिखित सिचाई बांधों को क्षति हुई :--

क्र.सं.	बांध का नाम	अनुमानित क्षति (लाखों रु. में)
1-	भवानीपुरा बांध व नहर	3.70
2-	जैतसागर बांध	2.00
3-	अभयपुरा बांध व नहर	3.75
4-	बरधा बांध व नहर	2.80
5-	डाबी बांध व नहर	0.75
6-	नवल सागर बांध	0.20
7-	भैरूपुरा बांध	0.25
8-	गुड़ा नहर	2.00
9-	तलवाडा बांध	0.50
10-	मोतीपुरा बांध व नहर	0.80
11-	ढाढून बांध	0.50
	कुल योग	17.25

(2) जैतसागर क्षतिग्रस्त बांध का निरीक्षण केन्द्र की स्टेडी टीम द्वारा किया गया था। उक्त निरीक्षण विवरण भारत सरकार के प्रयोजनार्थ था और उसका विवरण राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

(3) जी हां। ग्राम भवानीपुरा, तहसील हिण्डोली स्थित बांध की मरम्मत हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि 3.50 लाख रु० की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से बांध का मिट्टी का कार्य, स्लूस व वेस्टवियर इत्यादि का कार्य प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। इस बांध के टूटे हुए भाग को मिट्टी से बन्द करने हेतु मिट्टी की

346

(सिंचाई मंत्री)

कुटाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है और बरसात के पहले पानी नजदीक में आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण यह कार्य शुरू नहीं कराया जा सका। यह कार्य वर्षा ऋतु से पहले पूर्ण करना संभव नहीं है।

मण्डावा क्षेत्र में सड़क निर्माण

637. **श्रीमती सुधा देवी** (मण्डावा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1985–86 में विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में कितने किलो मीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव है ? कृपया प्रस्तावित सड़कों की सूची सदन के पटल पर रखें ?

(2) प्रस्तावित सड़कें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

उत्तर

(1) मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985–86 में 19 कि०मी० लम्बी सड़कें बनाने के प्रस्ताव है। संलग्न सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रस्तावित सड़कें सातवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यक वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पूरी की जा सकेंगी।

सूची

मण्डावा विधान सभा क्षेत्र जिला झुन्झनू में वर्ष 1985-85 में 19 कि. मी. लम्बी सड़कें बनाने का प्रस्ताव हैं। जिनके नाम नीचे लिखे हैं :—

1. मोड़ा पहाड़ से सोनासर	2 कि. मी.
2. मण्डावर बिसाऊ	4.50 कि. मी.
3. मलसीसर बिसाऊ	5 कि. मी.
4. मोग्यासर निराधनू	2 कि. मी.
5. मलसीसर कंकरेऊ	3 कि. मी.
6. डावडी मण्ड्रेला	2.50 कि. मी.
योग :	19 कि. मी.

347

भाखरा क्षेत्र में बैटरमेन्ट चार्जेज

638. **श्री के०सी० विश्नोई** (संगरिया): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भाखरा क्षेत्र में बैटरमेंट चार्जेज की दरें क्या हैं ? इस क्षेत्र में इन दरों के हिसाब में कुल कितनी राशि वसूल योग्य थी तथा कितनी वसूली की जा चुकी है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बैटरमेंट चार्जेज केवल भाखरा में ही लग रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के चार्जेज गंग कैनाल राजस्थान कैनाल में व अन्य डैम्स पर नहीं लिये जाते हैं ? यदि हां, तो फिर केवल भाखरा पर यह चार्जेज क्यों लिये जाते हैं ?

उत्तर

(1) भाखरा क्षेत्र में बैटरमेंट चार्जेज की निम्न दरें हैं :—

	दरें प्रति एकड़
वर्ष 59-60 से 61-62 तक	रु. 2.50
वर्ष 62-63	रु. 5.00
वर्ष 63-64 से 69-70 तक	रु. 11.00

दिनांक 12-5-70 से नहरों की तीव्रता के आधार पर निम्न दरें प्रचलित हैं:—

प्रतिशत तीव्रतानुसार	दरें प्रति एकड़
31 % से 40 % तक	रु. 3.00
41 % से 50 % तक	रु. 6.00
50 % से अधिक पर	रु. 11.00

वर्ष 59-60 से 84-85 तक 637.24 लाख रु. वसूली योग्य थे तथा रु. 626.59 लाख की वसूली की जा चुकी है।

(2) जी नहीं।

बैटरमेंट चार्जेज सदा प्रवाह वृहद परियोजना भाखड़ा चम्बल और राजस्थान केनाल (अब इन्दिरा गांधी नहर) में लागू हैं।

(3) जी नहीं। इस प्रकार के चार्जेज भाखड़ा के अतिरिक्त चम्बल एवं राजस्थान कैनाल (अब इन्दिरा गांधी नहर) पर भी लिये जाते हैं। परन्तु गंग केनाल पर नहीं लिये जाते हैं। क्योंकि राजस्थान भूमि स्पेशल सिंचित शुल्क 1953 एवं नियम 1954 के अनुसार बैटरमेंट लेवी उन योजनाओं पर लागू की जाती है जिनका निर्माण 7-4-1949 के बाद हुआ हो एवं जो वृहद सदा प्रवाह योजनायें हों।

जयपुर-चूरू मुख्य सड़क की मरम्मत

639. **श्रीमती हमीदा बेगम** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य कितनी अवधि के बाद किया जाता है ?

(2) जयपुर से चूरू मुख्यालय तक जाने वाली मुख्य सड़क की मरम्मत कितने समय पहले करवाई गयी ? अगर मरम्मत नहीं कराई गई तो क्यों नहीं कराई गयी ? आगे

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इन सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) नियमानुसार सामान्यतया प्रिमेक्स कारपेट पर रिन्युवल कोट पांच साल व सर्फेस ड्रेसिंग रिन्युवल 2 वर्ष में हो जानी चाहिये। वैसे यह सड़क पर ट्रेफिक इन्टेसिटि पर भी निर्भर है।

(2) चूरू जिले में जयपुर से चूरू मुख्यालय तक जाने वाली सड़क 9.5 कि. मी. आती है जिसके प्रथम तीन कि.मी. पर वर्ष 81-82 में तथा कि. मी. 3 से 9 पर वर्ष 73-74 में प्रीमेक्स कारपेट कराया गया है। उसके पश्चात् धनाभाव के कारण नवीनीकरण अन्य कि.मी. में नहीं कराया जा सका। आगे वर्ष 85-86 में चूरू जिले में चूरू से रतनगढ़ की 9.5 कि. मी. में से कि. मी. 8/0 से 9/0 में सड़क के धरातल को ऊंचा उठाने के कार्य हेतु 1.80 रुपये का प्रस्ताव है।

तारा नगर तथा राजगढ़ तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

640. **श्री जयनारायण पूनिया** (तारानगर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले की तारा नगर तथा राजगढ़ तहसील में विद्युतीकृत ग्रामों में घरेलू उपयोग के लिए बिजली लेने हेतु दी हुई दरख्वास्तें सन् 1981 से विचाराधीन हैं ? अगर यह सही है तो आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं ? इन दरख्वास्तों पर सरकार कब तक विद्युत कनेक्शन दे देगी ?

(2) क्या यह सही है कि राजगढ़ तथा तारानगर तहसील के विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युत कनेक्शन देने के लिए ग्रुप सिस्टम, अपनाया गया है ? यदि हां, तो क्या इससे पूरा ग्राम बिजली लेने से वंचित हो जाता है।

(3) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील के ग्राम ढंढाल चैना तथा ढंढाल खेता के तमाम 44 घरों में विद्युत कनेक्शन हेतु 44 दरख्वास्तें दी तथा उनका ग्रुप सिस्टम के आधार पर कनेक्शन चार्ज भरने का आदेश दिया परन्तु एक या दो व्यक्तियों द्वारा कनेक्शन चार्ज न अदा करने पर तमाम दरख्वास्तें खारिज करदी और पूरे ग्राम को बिजली से वंचित कर दिया है ? अब इस ग्राम के लोगों को किस शर्त पर विद्युत कनेक्शन दिये जा सकते हैं ?

(4) राजगढ़ तथा तारानगर तहसील में आटा चक्की, आरा मशीन तथा कुओं के लिए पावर कनेक्शन की कितनी दरख्वास्तें कब से विचाराधीन हैं और कब तक कनेक्शन देने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। सीमित वित्तीय साधनों के कारण एवं तकनीकि दृष्टि से साध्य न पाये जाने वाले कनेक्शनों को रिलीज करने में देरी होना स्वाभाविक है। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर एवं तकनीकि दृष्टि से साध्य पाये जाने पर उक्त कनेक्शनों को

(विद्युत मंत्री)

रिलीज करना सम्भव हो सकेगा। निश्चित रूप से समय बताना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां, नए विद्युत कनेक्शनों के लिए विद्युत प्रणाली पर किए जाने वाले खर्च के सापेक्ष निर्धारित मान दण्डों के अनुरूप आर्थिक उपादेयता प्राप्त करने हेतु ग्रुप स्कीम बनाकर डिमान्ड नोटिस जारी किए जाते हैं। यदि ग्रुप के सभी लोग एक साथ आवश्यक राशि नहीं जमा कराते हैं तो योजना आर्थिक दृष्टि से असाध्य हो जाती है और इस कारण उस ग्रुप के किसी भी व्यक्ति को कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं होता।

(3) ग्राम ढूंढाल खेता विद्युतीकृत नहीं है। ग्राम ढूंढाल खेता में विभिन्न श्रेणी के 44 आवेदन प्राप्त हुये थे। सभी आवेदकों द्वारा मांग-पत्र की राशि नियत अवधि में जमा नहीं कराने के कारण सभी आवेदन निरस्त हो गये। उक्त ग्रुप स्कीम के समस्त आवेदकों द्वारा एक ही साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्पूर्ण औपचारिकतायें एक साथ पूर्ण करने पर कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(4) राजगढ़ तथा तारानगर तहसील में आटा चक्की, आरा मशीन के 226 आवेदन एवं कृषि कुओं के लिए 280 आवेदन विचाराधीन हैं. जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है : -

वर्ष	विचाराधीन कृषि कुओं/आटा चक्की व आरा मशीन	
1	2	3
1979	37	—
1980	81	1
1981	40	2
1982	45	30
1983	40	72
1984	22	55
1985 (जून तक)	15	66
योग :	280	226

उपरोक्त कृषि आवेदकों में से जिन 79 आवेदकों द्वारा दिनांक 31.3.1985 तक मांग राशि जमा करा दी गयी उनको कनेक्शन देने के आदेश हाल ही में प्रसारित किये जा चुके हैं। शेष आवेदकों को उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित कर कनेक्शन दिया जा सकेगा। आटा चक्की व आरा मशीन के आवेदकों को उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

सीकर एवं झुंझुनूं जिले में अपराधिक घटनायें

641. **श्री माला राम** (खेतड़ी)

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर एवं झुंझुनूं जिले में वर्ष 1983-84 से जून, 1985 तक कितनी डकैती, लूटमार एवं चोरी की घटनायें घटी? कितनों का चालान पेश हुआ, कितनी बरामद हुई, कितनी की तफतीश जारी है? कृपया दोनों जिलों का विवरण अलग अलग सदन पटल पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी से सम्बन्धित विवरण कृपया अलग से सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिलेवार सूचना सूची "अ" एवं "ब" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सूची "स" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

अपराधों की सूची जिला सीकर

क्र. सं. 1	अपराध शीर्षक 2	वर्ष 3	अपराध पंजीबद्ध हुए 4	अदम वकुआ 5	अदम पता 6	पेन्डिग तफतीश 7	चालान 8
1.	डकैती	1983	3	—	1	—	3
		1984	1	—	—	—	1
		1985 (जून तक)	1	—	—	1	—
2.	लूट	1983	20	9	2	—	9
		1984	24	9	2	—	13
		1985 (जून तक)	16	6	1	8	1
3,	चोरी	1983	260	76	123	1	58
		1984	236	60	116	—	60
		1985 (जून तक)	121	12	26	68	13

अपराधों की सूची जिला-झुंझुनूं

क्र. संख्या 1	अपराध शीर्षक 2	वर्ष 3	अपराध पंजीबद्ध हुए 4	अदम वकुआ 5	अदम पता 6	पेन्डिग तफतीश 7	चालान 8
1.	डकैती	1983	—	—	—	—	—
		1984	2	—	—	1	1
		1985 (जून तक)	2	—	—	2	—
2.	लूट	1983	22	10	—	2	10
		1984	20	7	1	1	10
		1985 (जून तक)	7	3	—	1	3
3.	चोरी	1983	224	46	76	18	81
		1984	301	70	76	37	112
		1985 (जून तक)	125	17	23	39	44

अपराधों की सूची क्षेत्र खेतड़ी.

क्र, सं.	अपराध शीर्षक	वर्ष	अपराध पंजीबद्ध हुए	अदम बकुआ	अदम पता	पेन्डिग तफतीश	चालान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डकैती	1983	—	—	—	—	—
		1984	—	—	—	—	—
		1985 (जून तक)	—	—	—	—	—
2.	लूट	1983	4	1	—	—	—
		1984	2	2	—	—	—
		1985 (जून तक)	—	—	—	—	—
3.	चोरी	1983	43	9	18	2	12
		1984	70	12	18	12	27
		1985 (जून तक)	26	2	5	8	11

जयपुर जिले में विद्युतीकरण

642. **श्री प्रभुलाल मीणा** (सिकराय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1982-83 वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में किस किस पंचायत समिति में विद्युतीकरण की दृष्टि से क्या क्या कार्य हुआ है ? कृपया वर्ष-वार पंचायत समितिवार विद्युतीकरण का विवरण सदन पटल पर रखें ।

(2) क्या समितिवार विद्युतीकरण कार्य में काफी असमानता है ? यदि हां, तो किस कारण ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में पंचायत समितिवार जो विद्युतीकरण का कार्य किया गया, उसका वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया है ।

(2) जी हां । विभिन्न पंचायत समितियों में विद्युतीकरण के स्तर, स्वीकृत योजनाओं के भौतिक लक्ष्यों के अनुसार तथा वार्षिक योजना मद में उपलब्ध सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में ग्रामों, कृषि कुओं इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं । अतः पंचायत समितिवार लक्ष्य समान होना सम्भव नहीं है ।

वर्षवार पंचायत समितिवार विद्युतीकरण का विवरण

पंचायत समिति	1982-83			1983-84			1984-85		
	कुऐं	ग्राम	हरि. बस्ती	कुऐं	ग्राम	हरि. बस्ती	कुऐं	ग्राम	हरि. बस्ती
1. विराटनगर	32	4	—	196	15	—	105	—	8
2. गोविन्दगढ़	57	—	9	9	—	4	161	—	29
3. आमेर	128	—	2	223	19	3	176	5	26
4. झोटवाड़ा	40	1	3	109	6	—	64	—	7
5. जमवारामगढ़	104	3	1	85	5	—	70	5	3
6. सिकराय	19	1	—	—	—	—	43	—	—
7. फागी	109	10	5	14	12	5	74	9	6
8. शाहपुरा	96	4	4	192	4	3	270	—	28
9. बांदीकुई	200	11	—	76	10	—	132	5	10
10. सांगानेर	104	—	15	35	3	11	154	5	19
11. चाकसू	283	11	1	121	16	1	96	—	—
12. लालसोट	13	5	2	50	5	—	105	9	16
13. दूदू	32	4	9	59	5	8	130	6	23

1		2				3		4	
14. बस्सी	87	4	8	43	8	1	217	6	25
15. दौसा	119	2	7	107	5	4	138	6	14
16. सांभर/जोबनेर	112	5	21	153	15	4	141	6	32
योग	1535	65	87	1472	127	55	2064	62	246
17. कोटपूतली ग्रा. वि. सहकारी समिति	51	6	उपलब्ध नहीं है	190	—	उपलब्ध नहीं है	342	—	उपलब्ध नहीं है
कुल योग	1586	71	87	1662	127	55	2418	62	246

पार्वती सिंचाई योजना का आधुनिकीकरण

643. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पार्वती नहर स्टेट के वक्त की बनी हुई है ? यदि हां, तो उस समय पार्वती नहर से कितनी एकड़ जमीन पर सिंचाई होती थी तथा कितनी राजस्व आय प्राप्त होती थी ?

(2) राजस्थान निर्माण के बाद वर्ष 1984 में पार्वती नहर से कितनी एकड़ जमीन पर सिंचाई की गई, तथा कितनी राजस्व आय प्राप्त हुई ?

(3) क्या यह सही है कि इस नहर से सिंचित क्षेत्र में उत्तरोत्तर काफी वृद्धि हो गई है और पूरे शहर की आवश्यकता के लिये पार्वती नहर की क्षमता पर्याप्त नहीं है ?

(4) यदि हां, तो पानी की कमी को दूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है, और कब तक योजना को अन्तिम रूप दे दिया जावेगा ?

(5) क्या पार्वती सिंचाई योजना के आधुनिकीकरण का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी कब तक स्वीकृति प्रदान करने का राज्य सरकार का विचार है ?

(6) सन् 1978 से 1985 तक इस योजना पर कितना व्यय प्रति वर्ष हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। पार्वती नहर वर्ष 1884 में स्टेट के समय में बनाई गई थी। उस समय के रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने से यह बताना संभव नहीं है कि उस समय नहर से कितने एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होती थी। और कितने राजस्व की प्राप्ति होती थी।

(2) वर्ष 1983-84 में रबी में 23,235 एकड़ व खरीफ 1984 में 7680 एकड़ सिंचाई की गई। अतः कुल सिंचाई 30915 एकड़ हुई व 5,74,019·74 रुपये की राजस्व आय आंकी गई है।

(3) जी हां।

(4) इसके लिए पार्वती नहर आधुनिकरण की योजना बनाई गई है व जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जावेगा।

(5) जी हां, इसका तखमीना तैयार किया जा चुका है जिसकी तकनीकी जांच हो रही है। शीघ्र ही स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(6) वर्ष 1978 से 1985 तक हर वर्ष किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय (लाख रु. में)
1978–79	10.42
1979–80	8.67
1980–81	11.14
1981–82	7.18
1982–83	13.58
1983–84	8.90
1984–85	8.21

बागीडोरा क्षेत्र में आदिवासी एवं हरिजन बस्तियों में बिजली

644. **श्री पन्नालाल** (बागीडोरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में अभी तक आदिवासी तथा हरिजन बस्तियों के अन्दर तथा कुओं पर बिजली नहीं पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो अभी तक बिजली नहीं पहुंचाने के क्या कारण हैं ?

(2) कितने आदिवासियों तथा हरिजनों के घरों में तथा कुओं पर बिजली कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना-पत्र विभाग में कितने समय से पड़े हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चक्की तथा लघु उद्योग लगाने हेतु भी आदिवासियों व हरिजनों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इन लोगों को कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बागीडोरा विधान सभा क्षेत्र में 10 आदिवासी हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाई गई है एवं 223 कृषि कनेक्शन आदिवासी एवं हरिजनों को दिये गये हैं।

(2) बागीडोरा विधान सभा क्षेत्र में आदिवासियों तथा हरिजनों के घरों एवं कुओं पर बिजली के 12–12 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, जिसकी सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। चक्की तथा लघु उद्योग लगाने हेतु आदिवासियों व हरिजनों के 5 प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं इनको कनेक्शन सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करने पर दे पाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में आदिवासी तथा हरिजनों के घरेलू कनेक्शनों के विचाराधीन आवेदकों की सूची

क्र. सं.	आवेदक का नाम	गांव	दिनांक जब से विचाराधीन हैं
1.	श्री मम्सी/पूजा आदि	बागीडोरा	3/5/85
2.	,, श्यामजी/हमीरा	,,	3/5/85
3.	,, मडिया/दल्ला	,,	3/5/85
4.	,, हामेंग/रूपा	,,	3/5/85
5.	,, सोमा/देवेंग	,,	3/5/85
6.	,, कचरा/मंगला	,,	3/5/85
7.	,, हुक्का/भोगजी	,,	3/5/85

क्र.सं.	आवेदक का नाम	गांव	दिनांक जब से विचाराधीन है
8.	श्रीमती कोदरी	,,	3/5/85
9.	श्री शंकरलाल	,,	3/5/85
10.	,, बिठला	,,	3/5/85
11.	,, बिठला/वालेंग	,,	3/5/85
12.	,, कचरू/लालेंग	नौगानां	3/7/85

विधान सभा क्षेत्र वागीडोरा में आदिवासी तथा हरिजनों के कुओं के कनेक्शन के विचाराधीन आवेदनों की सूची।

क्र.सं	आवेदक का नाम	गांव	दिनांक जब से विचाराधीन है
1.	श्री हेमा/फूला	खुरालालूपारजी	6/4/84
2.	" रतना/जाला	काहवाडा	6/6/84
3.	" गमना/दोला	खूटालालूपारजी	1/12/84
4.	" लाला/गब्वा	"	6/6/84
5.	" कचरू/कमजी	उबापान	29/10/84
6.	" जोतिया/रावजी	"	29/10/84
7.	" कोदरा/रूपा	"	29/10/84
8.	" कुबेर/खातिया	वरेठ	5/11/84
9.	" प्रताप/मनिया	"	5/11/84
10.	" गल्ला/जाला	काहवाडा	6/12/83
11.	" सरदारसिंह/मनिया	वरेठ	5/11/84
12.	" खातिया/जाला	काहवाडा	23/2/85

विधान सभा क्षेत्र बांगीडोरा में आदिवासी तथा हरिजनों के चक्की तथा लघु उद्योग के विचाराधीन आवेदकों की सूची

क्र.सं.	आवेदक का नाम	गांव	दिनांक जब से विचाराधीन है
1.	बदिया/लवजी	शेरगढ़	24/4/85
2.	नरसिंह/नाथू	खूटीनारजी	25/3/85
3.	कांतीलाल/कन्हैयालाल	वोदी	16/4/85
4.	पूनिया/धनजी	कांगलिया	14/2/85
5.	गंगजी/रंगा	मडकोलाभोज्जी	26/4/85

भीम सागर सिंचाई बांध से विद्युत उत्पादन

645. **श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** (झालरापाटन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीमसागर सिंचाई बांध से विद्युत उत्पादन हेतु पांच सौ किलोवाट विद्युत उत्पादन की कोई योजना आयोग और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सरकार की ओर से भेजी गई है ?

(2) क्या इस योजना से क्षेत्र की करीब 35 ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने का प्रस्ताव है ?

(3) राज्य सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है, और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तहसील राजसमन्द एवं रेलमगरा के गांवों का विद्युतीकरण

646. **श्री मदनलाल** (राजसमन्द) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द एव रेलमगरा तहसील के कितने गांवों का वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में विद्युतीकरण किया गया ?

(2) वर्ष 1985-86 में कितने और गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है ?

उत्तर

(1) स्वीकृत योजनाओं के अभाव में वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 के कार्यक्रमों के अन्तर्गत तहसील राजसमंद एवं रेलमगरा के किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

(2) वर्ष 1985-86 में ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अत: वर्ष 1985-86 में इन तहसीलों में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सकेगा इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(360)

परिशिष्ट 5

तालिका "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 834 की तालिका)

राजस्थान को अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से प्राप्त पानी का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्षवार पानी की मात्रा (एम. 1 ए. एफ. में) 1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गंग नहर	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	
2.	रावी व्यास नदियों का अधिकाय पानी	4.037	4.91	5.259	5.492	4.828	पिछले तीन वर्षों में वर्षा के सभी दिनों की जोड़ के अनुसार हिस्से से अधिक पानी मिला है ।
		(–) 0.341 (–)	0.339	(+) 0.084	(+) 0.582	(+) 0.240	
3.	भाखड़ा परियोजना	1.237	1.266	1.266	1.306	0.963	अपने भाग से अधिक पानी प्राप्त हुआ है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गुडगांव नहर	0.002	0.0015	0.0016	0.0017	0.0016	उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन ओखला वीयर के बनने के पश्चात् राजस्थान को पूरा पानी मिल सकेगा।
5.	भरतपुर फीडर	0.0096	0.0254	0.0090	0.005	0 005	
6.	नर्वदा	—	—	—	—	—	(निर्माणाधीन है)
7.	माही बजाज सागर	—	—	—	—	—	(")
8.	चम्बल	1.1685	0.9338	0.9682	1.3393	1.0974	अपने भाग से अधिक पानी प्राप्त हुआ है।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 835 से सम्बन्धित सूचना)

नक्शा डकैती, कत्ल, बलात्कार, चोरी, चोट व हरिजन अत्यचार–फरवरी, 84 से 14/6/85 तक जिला सीकर

क्र.सं.	शीर्षक अपराध	रिपोर्ट	अदम-वकू	अदम-पता	अदम-सबूत	जेर-तफ.	चालान	योग 1984–85	1983–84 रिपोर्ट	1983–84 प्रति.	1982–83 रिपोर्ट	1982–83 प्रति.	1981–82 रिपोर्ट	1981–82 प्रति.	1980–81 रिपोर्ट	1980–81 प्रति.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	डकैती	1	—	—	—	—	1	1	2	50.00	4	25.00	2	50.00	—	—	—
2.	कत्ल	42	2	1	1	16	22	42	20	52.03	34	19.04	25	42.05	25	42.05	–
3.	बलात्कार	14	1	—	—	4	9	14	6	57.01	10	28.05	8	42.08	5	64.02	–
4.	चोरी	314	79	145	–	40	50	314	245	21.09	311	0.95	270	14.00	241	23.02	–
5.	चोट	182	13	4	–	4	156	182	161	11.05	83	54.03	121	33.05	185	1.06	–
6.	हरिजन अत्याचार	15	1	–	–	4	10	15	14	6.02	9	40.00	6	60.00	14	62.00	–

परिशिष्ट 7

सूची "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 836 से सम्बन्धित सूचना)

शीर्षक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध अपराध

क्र.सं	पंजीवद्ध अपराधों की संख्या	थानावार	चालान किये गये अपराधों की सं.	फाईनल रिपोर्ट दी गई	अन्वेषणाधीन
1	2	3	4	5	6
1.	पाली	13	9	4	–
2.	केरला	5	5	–	–
3.	गुडाएन्दला	7	7	–	–
4.	पाली	10	9	1	–
5.	सुमेरपुर	5	4	–	1
6.	तखतगढ़	6	5	1	–
7.	सादडी	5	3	1	1
8.	नाणा	3	3	–	–
9.	देसूरी	1	1	–	–
10.	रानी	6	5	1	–

363

1	2		3		4
11.	मगरतलाब	5	4	—	1
12.	सोजत	9	7	2	—
13.	थिरीयारी	3	3	—	—
14.	मारवाड़ जंक्शन	6	5	—	1
15.	बगडी	6	4	2	—
16.	शिवपुरा	8	3	4	1
17.	जैतारण	11	7	2	2
18.	रामपुर	4	3	1	—
19.	सैन्दडा	2	—	2	—
20.	कालू	4	1	1	2

सूची "ब"

सूची अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो वर्ष 1984-85 में भर्ती किये गये :–

क्र.सं.	नाम मय बैल्ट नं.	भर्ती की तिथि
1	2	3
1.	श्री मनोहरसिंह नं. 48 ए.पी.	1/5/85
2.	" गोपाराम नं. 434 सी.पी.	7/7/84
3.	" मानाराम नं. 616 सी.पी.	7/7/84
4.	" मांगीलाल नं. 420 सी.पी.	7/7/84
5.	" लालाराम नं 784 सी.पी.	7/7/84
6.	" नाथूलाल नं. 943 सी. पी.	21/7/84
7.	" बस्तीराम नं. 833 सी.पी.	1/8/84 (कमान्डेन्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 296-97 दि० 16/5/85 के द्वारा सूचित किया था कि श्री बस्तीराम कानि. 833 दिनांक 5/5/85 से गैरहाजर है। अतः इसे सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जाकर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1696 दि० 24/5/85 के द्वारा इसे सेवा से पृथक किया गया।)
8.	श्री भीकानाथ नं. 603 सी.पी.	18/8/84
9.	" बाबूलाल नं. 592 सी.पी.	1/9/84
10.	" नरपतलाल नं. 7 ए.पी.	6/9/84

1	2	3
11.	" शान्तीलाल नं. 65 ए.पी.	6/9/84
12.	" श्यामसुन्दर न. 233 सी.पी.	12/11/84

वर्ष 1985

1	2	3
1.	श्री तेजालाल नं. 23 ए.पी.	5/1/85
2.	" कानाराम नं. 450 सी.पी.	23/1/85
3.	" प्रतापमल नं. 420 सी.पी.	21/1/85
4.	" किशनाराम नं. 876 सी.पी.	1/3/85
5.	" चन्दुलाल नं. 513 सी.पी.	18/3/85
6.	" सूरजमल नं. 620 सी.पी.	19/4/85
7.	" गोरधनराम नं. 833 सी.पी.	26/6/85

सूची "स"

लिस्ट पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी जिला पाली

1. **पुलिस थाना पाली**
   - (1) चौकी टाऊन पाली
   - (2) चौकी स्टेशन रोड पाली
   - (3) चौकी मील पाली
   - (4) चौकी सैरवा
2. **पुलिस थाना गुडाएन्दला**
   - (5) चौकी डेन्डा
3. **पुलिस थाना केरला**
   - (6) चौकी रोहट
4. **पुलिस थाना सोजत**
   - (7) चौकी टाउन सोजत
   - (8) चौकी सोजतरोड
   - (9) चौकी चन्डावल
5. **पुलिस थाना मा. जक्शन**
   - (10) चौकी वाता
   - (11) चौकी ग्रऊवा
6. **पुलिस थाना सिरीयारी**
   - (12) चौकी जोजावर
   - (13) चौकी सारण
7. **पुलिस थाना बगड़ी**
   - (14) चौकी कन्टालिया
   - (15) चौकी बडागुडा
8. **पुलिस थाना शिपुरा**
9. **पुलिस थाना जैतारण**
   - (16) चौकी निम्बाज
10. **पुलिस थाना कालू**
    - (17) चौकी रास
11. **पुलिस थाना सेन्दडा**
    - (19) चौकी वावरा
12. **पुलिस थाना रायपुर**
13. **पुलिस थाना बाली**
    - (20) चौकी फालना
    - (21) चौकी सेवाडी
    - (22) चौकी बिजापुर
14. **पुलिस थाना सादडी**
    - (23) चौकी लाटारा
15. **पुलिस थाना देसूरी**
    - (24) चौकी घाणेराव
16. **पुलिस थाना मगरतालाब**
    - (25) चौकी कोट
    - (26) चौकी खिवाडा
17. **पुलिस थाना नाना**
    - (27) चौकी तणी
    - (28) चौकी बेडा
18. **पुलिस थाना सुमेरपुर**
    - (29) चौकी जवाई बांध
    - (30) चौकी पालडी

19. **पुलिस थाना रानी**

(31) चौकी नाडोल

(32) चौकी सोमेसर

20. **पुलिस थाना तख्तगढ़**

(33) चौकी सान्डेराव

(34) चौकी चोदाण

सूची "द"

पुलिस थानों व चौकियों पर अनुसूचित जाति के पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची :—

क्र. सं.	नाम	स्थान
1.	श्री मोहनलाल उ. नि.	थानाधिकारी पुलिस थाना, रायपुर
2.	श्री गणपतलाल उ. नि.	थानाधिकारी पुलिस थाना मगरतालाब
3.	श्री गजनाथ सहा. उ. नि.	थाना पाली
4.	श्री लूम्बा राम स. उ. नि.	थाना मारवाड़ जक्शन
5.	श्री मोडाराम स. उ. नि.	थाना कालू
	हैड़ कानिस्टेबिल	
6.	श्री मांगीलाल मु. आ. नं. 564	चौकी रोहट
7.	श्री सुवालाल मु. आ. 381	चौकी बाबरा
8.	श्री नेताराम मु. आ. 735	थाना बाली
9.	श्री मूलाराम मु. आ. 308	यातायात शाखा
10.	श्री चम्पालाल मु. आ. 568	अपराध शाखा
11.	श्री सुखराम मु. आ. 295	चौकी फालना
12.	श्री पुख राज मु. आ. 795	चौकी बीजापुर
13.	श्री नेमीचन्द मु. आ. 478	चौकी लाटारा
14.	श्री चूनाराम मु. आ. 718	थाना रानी
15.	श्री छगनाराम मु. आ. 326	थाना देसुरी

क्र. स.	नाम	स्थान
	कानिस्टेबल :—	
1.	श्री मांगीलाल कानि. नं. 464	थाना पाली
2.	श्री भंवरलाल कानि. नं. 379	थाना पाली
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. नं. 840	चौकी स्टेशन रोड पाली
4.	श्री हुवासिंह कानि. नं. 601	चौकी मील पाली
5.	श्री नवलाराम कानि नं.	चौकी मील पाली
6.	श्री सुगन राज नं. 363	थाना केरला
7.	श्री दीपाराम नं. 551	थाना सोजत
8.	श्री अणदाराम नं. 796	थाना सोजत
9.	श्री कन्हैयालाल नं. 555	थाना सोजत
10.	श्री श्यामलाल नं. 927	थाना सोजत
11.	श्री रूपा राम नं. 699	चौकी टाऊन, सोजत
12.	श्री गिरधारी राम नं. 234	थाना बगडी
13.	श्री चेला रावल नं. 354	थाना सिरीयारी
14.	श्री पुखराज नं. 924	थाना ”
15.	श्री शेषाराम नं. 949	थाना ”
16.	श्री मोमा राम नं. 957	थाना शिवपुरा
17.	श्री पूरा राम नं. 359	थाना बाली
18.	श्री हेमाराम नं. 332	चौकी फालना
19.	श्री तुलछाराम नं 314	चौकी बीजापुर
20.	रूपाराम नं. 643	थाना रानी
21.	श्री पोखर राम नं. 824	थाना ”
22.	श्री बंशीलाल नं. 409	चौकी सोमेसर
23.	श्री मोटाराम नं. 783	थाना देसूरी
24.	श्री पन्नालाल नं. 933	” ”
25.	श्री पका राम नं. 682	चौकी घानेराव
26.	श्री बेरा राम नं. 624	चौकी लाटारा

क्र. स.	नाम	स्थान
27.	श्री बिरदाराम नं. 621	थाना मगरतलाव
28.	श्री मांगीलाल नं 733	चौकी कोट
29.	श्री रूपाराम नं. 727	थाना तख्तगढ़
30.	श्री गजाराम नं. 735	चौकी चाणोद
31.	श्री श्यामलाल नं. 609	थाना सुमेरपुर
32.	श्री बाबूराम नं. 581	थाना "
33.	श्री पुख राज नं. 236	थाना "
34.	श्री शिवराम नं. 482	चौकी पालडी
35.	श्री मना लाल नं. 942	थाना नाना
36.	श्री जीवाराम नं. 402	थाना "
37.	श्री जानाराम नं. 895	थाना जैतारण
38.	श्री मोहनलाल नं. 576	"
39.	श्री सुवालाल नं. 633	"
40.	श्री पारसमल नं. 727	थाना कालू
41.	श्री हनुमानाराम नं. 258	"
42.	श्री मदनलाल न. 330	"
43.	श्री चम्पालाल नं. 960	थाना कालू
44.	श्री रूपाराम नं. 918	चौकी रोस
45.	श्री शिवदत्त नं. 387	" "
46.	श्री रतनाराम नं. 392	थाना रायपुर
47.	श्री बगदराम नं. 925	थाना रायपुर
48.	श्री जगदीश सिंह नं. 789	थाना सेंदडा
49.	श्री दलाराम नं. 372	चौकी बावरा
50.	श्री कालूराम नं. 442	थाना देसूरी
51.	श्री पूराराम नं. 224	चौकी सोजत रोड़
52.	श्री मंगाराम नं. 438	सी. ओ. ग्राफिस, बाली
53.	श्री ढगलाराम नं. 432	सी. ओ. ग्राफिस, जैतारण

क्र. सं.	नाम	स्थान
54.	श्री घेवरराम नं. 730	जिला विशेष शाखा
55.	श्री प्रेमप्रकाश नं. 317	,,
56.	श्री डगलाराम नं. 834	,,
57.	श्री रामलाल नं. 486	अपराध शाखा
58.	श्री विरमाराम नं. 566	यातायात शाखा पाली
59.	श्री पूसाराम नं. 416	,,

निम्नांकित कानि. अनुसूचित जाति के पुलिस लाइन पाली में पदस्थापित हैं :—

1. श्री नरसिंहदान नं. 712
2. श्री नगाराम नं. 476
3. श्री नगाराम नं. 211
4. श्री किशनलाल नं. 754
5. श्री श्यामलाल नं. 324 (परिविक्षाधीन अवधि पर हैं)
6. श्री चन्द्राराम नं. 959 (परिविक्षाधीन अवधि पर हैं)
7. श्री बाबूलाल नं. 592 (प्रशिक्षण कर अभी आये हैं। परिविक्षाधीन अवधि पर हैं)
8. श्री नथूलाल न. 943 ,, ,, ,, ,, ,,
9. श्री लीलाराम नं. 784 ,, ,, ,, ,, ,,
10. श्री मांगीलाल नं. 428 ,, ,, ,, ,, ,,
11. श्री गोपीराम नं. 734 ,, ,, ,, ,, ,,
12. श्री मानाराम नं. 616 ,, ,, ,, ,, ,,
13. श्री गोरधनराम नं. 833 (अभी प्रशिक्षण दिनांक 5-8-85 से जायेंगे)
14. श्री सूरजमल नं. 628 ,, ,, ,, ,, ,,
15. श्री चन्दूलाल नं. 513 ,, ,, ,, ,, ,,
16. श्री किशनाराम नं. 874 ,, ,, ,, ,, ,,
17. श्री प्रतापमल नं. 420 ,, ,, ,, ,, ,,
18. श्री कानाराम नं. 450 ,, ,, ,, ,, ,,
19. श्री श्यामसुन्दर नं. 233 अभी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण पा रहा है।

372

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 837 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा प्रश्न संख्या 395 द्वारा श्रीमति उजला अरोड़ा व श्री प्रतापसिंह विधायकगण राजस्थान में वर्ष 1981 में वर्ष जून, 1985 तक महिलाओं की दहेज को लेकर हत्याऐ की गई एवं महिलाओं ने दहेज की यातना से आत्महत्या की, के संबंध में दर्ज प्रकरणों की सूची ।

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष	महिला की दहेज के कारण हत्या की गई	महिला ने दहेज की यातना से आत्महत्या की	अभियोग संख्या दिनांक धारा व नाम थाना	घटना स्थल	एफआर अदम वकुआ	एफआर अदम पता	एफआर अदम सबूत	पैन्डिंग पुलिस	चालान	सजा	रिहा बरी	राजीनामा	पेन्डिंग कोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	जोधपुर	1981	1	....	97/ दिनांक 9/6/81 धारा 302 भा. द. सं. थाना महामंदिर	जोधपुर	...	...	...	....	1	—	...	....	1
2.	कोटा-नगर	,,	1	—	161/12/5/81 धारा 302, 120 बी, 201 भादंस थाना गुमानपुरा	रेनवाल	...	—	...	—	1	—	....	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	जोधपुर	1982	—	1	66/दिनांक 28/8/82 धारा 306 भा. दं. सं. थाना सदर बाजार	सदर बाजार जोधपुर	....	....	...	....	1	....	....	....	1
4.	,,	,,	1	....	195/दिनांक 12/7/82 धारा 302, 201 भा.दं. सं. थाना उदयमंदिर	जोधपुर	...	....	....	—	1	....	1	....	—
5.	पाली	1982	1	—	79/दिनांक 1/12/82 धारा 306, 201 भा. दं. सं. थाना सादड़ी	सादडी	...	....	—	....	1	...	....	...	1
6.	डूंगरपुर	,,	....	1	54/82 धारा 306, भा. दं. सं. थाना आसपुरा	सायला	—	....	—	—	1	1	—	....	....
7.	जयपुर ग्रामीण	1982	1	—	13/82 धारा 302/201 भा.दं.सं. थाना प्रागपुरा	प्रागपुरा	...	...	1	....	...	—	...	....	....
8.	,,	,,	1	....	23/82 धारा 302, 201 भा.दं सं. थाना प्रागपुरा	,,	....	....	...	...	1	...	...	..	1
9.	बीकानेर	,,	1	...	154/82 धारा 302 भा. दं. सं. थाना नया शहर	नया शहर	...	—	....	....	1	—	...	....	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	बीकानेर	1982	1	....	10/82 धारा 302 भा. दं. सं. थाना नया शहर	नया शहर	....	....	...	....	1	....	....	....	1
11.	भरतपुर	"	1	....	150/दिनांक 3/7/82 धारा 302/34 भा.दं. सं. थाना सेवर	सेवर	....	....	....	....	1	....	—	....	1
12.	गंगानगर	"	....	1	177/ दिनांक 14/4/82 धारा 306 भा.दं.सं. थाना कोतवाली, गंगानगर	गंगा नगर	....	....	....	....	1	....	....	....	1
13.	"	"	1	—	75/दिनांक 21/9/82 धारा 302/201 भा दं. सं. थाना विजयनगर	ग्राम- अमर- पुरा	....	....	....	....	1	1	....	....	....
14.	"	"	....	1	61/दिनांक 5/5/82 धारा 306 भा. दं.सं. थाना रायसिहनगर	एमडी कालेज गंगानगर	....	....	....	....	1	....	....	....	1
15.	"	"	1	....	332/दिनांक 27/12/82 धारा 302, 120 बी भा.दं.सं. थाना सूरतगढ़	सिन्धु- वाला	....	....	....	....	1	....	....	....	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	गंगानगर	1982	1	....	102/दिनांक 16/7/82 धारा 302, भा.दं.सं. थाना नोहर	गणेश-पुरा वास	....	....	....	....	1	—	....	....	1
17.	अजमेर	1983	1	—	95/दिनांक 13/12/83 धारा 302, 306 भा.दं.स. थाना मदनगंज	शिवाजी नगर	—	—	—	—	1	—	—	—	1
18.	डूंगरपुर	,,	1	—	28/दिनांक 10/3/83 धारा 302 भादसं थाना बिछीवाडा	बिछी-वाडा	—	—	—	—	1	—	1	—	—
19.	,,	1983	1	—	39/दिनांक 6/4/83 302/201 भा.दं.सं. थाना धम्बोला	उज्जल-पुरा	—	—	—	—	1	—	1	—	—
20.	सवाई-माधोपुर	1983	1	—	253/दिनांक 2/8/83 धारा 302/120 बी 201/176 भा.दं.सं. थाना गंगापुर	गंगापुर	—	—	1	—	—	—	—	—	—
21.	जयपुर ग्रामीण	1983	1	—	64/83 धारा 302 भा.दं.सं. थाना प्रागपुरा	प्रागपुरा	—	—	—	—	1	—	—	—	1

(375)

(378)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.	जयपुर ग्रामीण	1983	1	—	211/83 धारा 302 भा.दंसं. थाना कोटपूतली	कोट-पूतली	—	—	—	—	1	—	—	—	1
23.	बीकानेर	,,	1	—	52/83 धारा 302 भा.दं.सं. थाना कोटगेट	कोट-गेट	—	—	—	—	1	—	—	—	1
24.	,,	,,	—	1	20/83 धारा 306 भादंसं थाना सदर, बीकानेर	सदर बीकानेर	—	—	—	—	1	—	—	—	1
25.	,,	,,	—	1	108/83 धारा 306 भादंसं थाना लूनकरणसर	लून-करणसर	—	—	—	—	1	—	—	—	1
26.	बीकानेर	1983	—	1	40/83 306 भा.दं.सं. थाना गजनेर	गजनेर	—	—	—	—	1	—	—	—	1
27.	,,	,,	—	1	54/83 धारा 306 भा.दं.सं. थाना छतरगढ	छतर-गढ	—	—	—	—	1	—	—	—	1
28.	,,	,,	—	1	141/83 धारा 306 भा.दं.सं. थाना नोखा	नोखा	—	—	—	—	1	—	—	—	1
29.	,,	,,	—	1	157/83 धारा 306 भा.दं.सं.	नोखा	—	—	—	—	1	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30.	भरतपुर	1983	1	—	90/दिनांक 9/7/83 धारा 301/201 भा.दं.सं. थाना रूपवास	रुपवास	—	—	—	—	1	—	—	—	1
31.	गंगानगर	,,	—	1	72/दिनांक 28/4/83 धारा 306 भा.दं.सं. थाना हनुमानगढ़ जं.	एमम्रोडी महर	—	—	—	—	1	—	—	—	1
32.	,,	,,	—	1	201/दिनांक 28/9/83 धारा 306 भा.दं.सं थाना हनुमानगढ जं.	ग्राम सहलोल	—	—	—	—	1	—	—	—	1
33.	,,	,,	1	—	164/दिनांक 22/8/83 302 भा.दं.सं. थाना सांगरिया	सांग-रिया	—	—	—	—	1	—	—	—	1
34.	,,	,,	1	—	136/दिनांक 24/9/83 धारा 302 भा.दं.सं. थाना टीबी	6 केपीएस एपा	—	—	—	—	1	—	—	—	1
35.	,,	,,	1	....	138/दिनांक 29/12/83 धारा 302, 201 भा.दं सं. थाना सादुलशहर	छापवाली	....	....	....	....	1	....	....	....	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36.	नागौर	1984	1	....	160/दिनांक 15/7/84 धारा 302, 201 भा.दं.सं. थाना नागौर कोतवाली	नागौर	——	——	...	——	1	....	...	....	1
37.	,,	,,	1	....	62/दिनांक 23/5/84 धारा 302/201/498ए भादंसं थाना लाडनू	लाडनू	....	....	....	1	....	....	....	....	....
38.	जोधपुर	1984	1	....	128/दिनांक 6/6/84 धारा 307, 302, 34 भा.दं.स. थाना शास्त्रीनगर	शास्त्रीनगर जोधपुर	....	....	....	....	1	....	....	....	1
39.	जोधपुर	,,	1	....	23/दि. 23/4/84 धारा 302, 201, 34 भादंसं थाना लोहावट	जोधपुर	....	....	....	....	1	....	....	....	1
40.	जैसलमेर	,,	1	....	166/दिनांक 27/11/84 धारा 302, भादंसं थाना जैसलमेर	जैसलमेर	....	....	....	....	1	....	....	—	1
41.	पाली	,,	1	....	92/दिनांक 19/9/84 धारा 302 भादंसं थाना रायपुर	पिपलिया	....	....	—	....	1	....	....	....	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42.	रेल्वे अजमेर	1984	....	1	1/दिनांक 5/1/84 धारा 306 भादंसं थाना जीआरपी–भरतपुर	रेल्वे यार्ड भरतपुर	....	....	....	....	1	....	....	....	1
43.	बाड़मेर	,,	....	1	8/दिनांक 28/8/84 धारा 306 भादंसं थाना शिवाना	शिवाना	....	....	....	....	1	....	1	....	....
44.	धौलपुर	,,	1	....	147/84 धारा 302 भादं.सं. थाना धौलपुर	धौलपुर	....	....	....	....	1	....	....	....	1
45.	,,	,,	1	....	168/84 धारा 302 भादं.सं. थाना कोट	कोट	....	....	....	....	1	....	....	....	1
46.	,,	,,	1	....	33/84 धारा 302 भा दं.सं थाना बाडी	बाडी	....	....	....	1	....	....	....	....	—
47.	,,	,,	1	....	77/84 धारा 302 भा.दं.सं. 201, थाना सरमथुरा	सरमथुरा	....	....	....	....	1	....	....	....	1
48.	सीकर	,,	1	....	120/84 धारा 302 201, 498ए भादंसं थाना नीम का थाना	थाना नीम का थाना	....	....	....	....	1	....	....	....	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49.	बीकानेर	1984	....	1	44/84 धारा 306 भा.दं.सं थाना गंगाशहर	गंगा-शहर	....	....	....	....	1	....	....	....	1
50.	बीकानेर	,,	....	1	2/84 धारा 306 भा.दं.सं. थाना दीयातरा	दीया-तरा	....	....	....	....	1	....	....	....	...
51.	,,	,,	....	1	46/84 धारा 306 भा.दं.सं. थाना जामसर	जाम-सर	....	....	....	....	1	....	....	....	1
52.	,,	,,	....	1	21/84 धारा 306 भा.दं.सं. थाना कोतवाली, बीकानेर	बीकानेर	....	....	....	....	1	....	....	....	1
53.	कोटा नगर	,,	....	1	58/दिनांक 19/3/84 धारा 306 भादंसं थाना कैथूनीपोल	कैथूनी पोल	....	....	....	....	1	....	....	....	1
54.	भीलवाडा	,,	....	1	127/दिनांक 1984 धारा498 भादंसं थाना गुलाबपुरा	गांवखारी का बाबा	....	....	....	....	1	....	....	....	1
55.	डूंगरपुर	1984	1	....	33/दिनांक 1/4/84 धारा 302 भा. दं.सं. थाना धम्बोला	ग्राम रास्ता	....	....	....	....	1	—	1	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56.	डूंगरपुर	1984	1	...	79/दिनांक 4/6/84 धारा 302 भा. दं.सं. थाना बिछीवाडा	ग्राम बारोसी	...	—	....	....	1	...	1	....	....
57.	चित्तौडगढ़	”	1	...	57/84 धारा 302/201 भा. दं.सं. थाना निम्बाहेडा	बारडिया	....		....	....	1	....	....	....	1
58.	”	”	1	....	145/84 धारा 302/120 बी भा. दं.सं. थाना गंगरार	गंगराय		....	....	1	....	....	....	....	....
59.	भरतपुर	”	—	1	578/दिनांक 20/12/84 धारा 306, 498 भा.दं.सं. थाना कोतवाली, भरतपुर	भरतपुर		....	....	....	1	....	....	....	1
60.	भरतपुर	”	1	....	102/दिनांक 2/7/84 धारा 302 भा. दं.सं. थाना कामा	कामा		....	....	....	1	....	....	....	1
61.	अलवर	”	1	....	75/84 धारा 302 भा. दं.सं थाना रामगढ़	तिलवाड		....	....	....	1	....	....	....	1

(381)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62.	अलवर	1984	1	....	122/84 धारा 302/201 498 भा. दं.सं. थाना मण्डावर	मण्डावर		....	....	....	1	....	....	....	1
63.	”	”	1	....	149/84 धारा 302,201 498 भा. दं.सं. थाना रामरोली	रामरोली		....	....	....	1	....	....	....	1
64.	गंगानगर	”	1	....	114/दिनांक 11/6/84 धारा 302, 34 भा. दं.सं. थाना रार्यसिहनगर	ग्राम ठाकरी		....	....	....	1	....	....	....	1
65.	गंगानगर	”	1	....	27/दिनांक 1/3/84 धारा 302/201 भा.दं.सं. थाना नोहर	ग्राम फैफाना	....	—	....	....	1	....	....	....	1
66.	गंगानगर	”	1	....	114/दिनांक 21/6/84 धारा 302/भा. दं.सं. थाना सांगरिया	लक्बी ढाब	....	....	....	....	1	....	....	....	1
67.	”	”	....	1	63/दिनांक 1/8/84 धारा 306 भा. दं सं. थाना लालगढ़	सिगा-वाली	....	....	....	....	1	....	....	....	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68.	गंगानगर	1984	....	1	207/127/दि. 8/9/84 धारा 306 मा. दं.सं. थाना पीलीबंगा	नन्देवाली ढाणी	...	....	....	....	1	....	....	....	1
69.	,,	,,	1	....	217/दिनांक 11/11/84 धारा 302 भा. दं.सं. थाना सांगरिया	सांगरिया	....	....	....	.....	1	....	....	....	1
70.	चूरू	1985	1	....	15/दिनांक 14/5/85 धारा 306,478 भा. दं.सं. थाना रतननगर	रतन नगर	....	....	....	....	1	....	....	....	1
71.	चूरू	,,	....	1	109 दि. 16/6/85 धारा 306 भा. दं.सं. थाना राजगढ	राजम	....	....	....	1	—	....	....	....	—
72.	रेल्वे अजमेर	,,	....	1	35/दिनांक 1/5/85 धारा 306 भा.दं.सं. थाना जी.आर.पी., हनुमानगढ	हनु-मानगढ	....	....	....	1	....	....	....	....	....
73.	कोटा नगर	1985	....	1	32/दिनांक 1/4/85 धारा 306 भा. दं. सं. थाना रेल्वे कालोनी	रेल्वे कालोनी	....	....	....	1	....	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74.	डूंगरपुर	1985	...	1	4/दिनांक 8/1/85 धारा 306 भा. दं.सं. थाना सगवाड़ा	गलिया कोट	....	....	....	....	1	....	....	....	1
75.	डूंगरपुर	"	....	1	131/दिनांक 1/7/85 धारा 306 भा. दं.सं. थाना डूंगरपुर	डूंगर-पुर	....	....	....	1	....	....	....	....	1
76.	चित्तौडगढ़	"	1	....	101/85 धारा 302, 201 भा. दं.सं. थाना प्रतापगढ़	वरलिया	....	....	....	1	....	....	....	....	....
77.	झुन्झुनू	"	1	....	68/85 धारा 302/ 201 भा. दं.सं. थाना झुन्झुनू	इन्द्रा कालोनी	....	....	....	....	1	....	....	....	1
78.	झुन्झुनू	"	1	....	29/85 धारा 306/ 201 भा. दं.सं. थाना भूवाना	भूवाना	....	....	....	1	....	....	....	....	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79.	झुन्झुनू	1985	1	....	24/85 धारा 498/ 302 भा. दं.सं. थाना लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मण-गढ	....	....	....	1	....	....	....	....	....
80.	झुन्झुनू	"	1	....	54/85 धारा 302/498 ए भा.दं.सं. थाना नवलगढ	नवलगढ	....	....	....	....	1	....	....	....	1
81.	झुन्झुनू	"	1	....	98/85 धारा 302/ 201 भा. दं.सं. थाना नवलगढ	नवलगढ	....	....	....	1	....	....	....	....	....
82.	भरतपुर	"	....	1	109/दिनांक 17/3/85 धारा 306, 498 भा. दं.सं. थाना कोतवाली, भरतपुर	भरतपुर	....	....	....	....	1	—.	....	...	1
83.	अलवर	1985	1	...	6/85 धारा 302/201 498 भा. दं.सं. थाना सांजापुर	ग्राम पोलारपुर	...	...	...	...	1	....	—.	—.	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84.	गंगानगर	1985	—	1	23/दिनांक 27/3/85 धारा 306 भा. दं.सं. थाना रावतसर	रावतसर 10 बी.पी.एन.	....	....	....	....	1	—	....	....	1
85.	”	”	1	....	82/दिनांक 18/4/85 धारा 302/201 भा. दं.सं. थाना हनुमानगढ जं.	रायपुरा पुल	....	....	....	....	1	—	....	....	1

"ब"

दहेज की मांग को लेकर होने वाली महिलाओं की मृत्यु के संबंध में समस्त संबंधितों को दिये गये निर्देश:

1. नव विवाहित महिलाओं की 10 वर्ष की अवधि में असामयिक एवं संदेहास्पद मृत्यु, आत्महत्या के मामलों में पुलिस द्वारा गंभीरता पूर्वक छानबीन एवं जांच आवश्यक।

3. इस प्रकार की संदेहास्पद मृत्यु, आत्महत्या के मामलों में अनुसंधान उप पुलिस अधीक्षक के स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जावेगा।

3. ऐसे मामलों में शव का परीक्षण दो डाक्टरों की टीम द्वारा ही कराया जाना आवश्यक है।

4. ऐसे सभी मामलों में शव का परीक्षण कराना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में पुलिस द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने पर ही शव परीक्षण में छूट संभव हो सकेगी।

5. जहां तक संभव हो सके मृतक महिला के माता-पिता, अभिभावक या निकटतम संबंधियों को उसका शव दिखाना पुलिस के लिये आवश्यक है।

6. उपर्युक्त कार्यवाही के चिकित्सा अधिकारियों को भी पूर्ण सहायता देने हेतु निर्देश दिये हुये हैं।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 838 की सूची)

जनवरी 1982 से जून, 1985 तक थाना वाईज हत्या सम्बन्धी सूचना :—

क्र. सं.	नाम थाना	मु. नं. व धारा	नाम मुलजिम जो एफ आई आर में दर्ज थे ।	नाम मुलजिम जो गवाई के पीछे बनाये गये ।	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत	नाम अदालत	अपील की गई ।	अपील का नतीजा ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	थाना मोठपुर	15/82 धारा 302 ता. हि.	मोजराज गूजर	मोजराज गूजर	चार्ज शीट	पेन्डिग	ए.डी.जे.	....	—
2.	"	26/82 धारा 302/325/34 ता. हि.	1. रामोवतार 2. मोहनलाल धाकड	1. रामोवतार 2. मोहनलाल धाकड़	"	"	एस.जे.एम. कोटा ।	....	—
3.	"	28/82 धारा 302/307/34 ता. हि.	1. कानसिंह 2. राजू 3. महेन्द्रसिंह 4. शम्भूसिंह 5. सुरेन्द्रसिंह	...	एफ आर	—	....	....	...
4.	"	29/82 धारा 302 36/201/147 ता. हि.	1. हरीसिंह 2. दलीपसिंह 3. लक्ष्मणसिंह 4. श्यामसिंह 5. जोरावरसिंह 6. रघुवीरसिंह,	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान एवं रमेशचन्द्र	चार्ज शीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बांरा	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7. कल्याणसिंह 8. केसरसिंह 9. भवानीसिंह हाडा 10. पन्नालाल 11. छीतरलाल 12. भेरूलाल 13. वंशीलाल 14. किशोर 15. दुलीचंद 16. प्रेमचन्द 17. श्याम 18. नन्दजी 19. वीरेन्द्रसिंह	जगदीशचन्द्र, छोटा माली					
5.	मोठपुर थाना	22/83 धारा 302/307 147/ता. हि.	1. भैरूलाल 2. कंवरलाल 3. हीरालाल, 4. माधोलाल, 5. गुलाब, 6. छीतर	कालम 4 के सभी 6 मुलजिम		चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बारा	....
6.	मोठपुर	15/84 धारा 302/ता.हि.	अज्ञात	—		एफ आर अदम वकू	....	....	....
7.	थाना कवाई	25/84 धारा 302/ ,,	सुरेश पुत्र देवराज	सुरेश		चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बारा	— ....
8.	थाना सुल्तानपुर	102/82 धारा 302/ 147 ता. हि.	परमानन्द, माग्या, चौथमल रमेश, जगन्नाथ	सभी मुलजिम के अदालत से अग्रिम जमानत स्वीकार हुई।		एफ आर अदम वकू	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	थाना सुल्तानपुर	136/82 धारा 302 ताहि	कन्हैयालाल मीना	कन्हैयालाल मीना	चार्जशीट	सजा धारा 304 ताहि में	—	....	...
10.	"	20/83 धारा 302/201/ ता.हि.	नाथू छीतर, मगना, रामनाथ, सूरजमल, मांगीलाल, कान्हा, किशोर, मन्ना, दुर्गालाल, रतनलाल, रामजीवन, रामरतन, बसन्ता, प्रहलाद, कन्हैयालाल, मोहनलाल, मथुरालाल	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमं	चार्जशीट	पेन्डिगकोर्ट	डी.जे.कोटा	...	—
11.	,,	54/83 धारा 302/201 34/ता.हि.	रामनारायण, रमेश	...	एफ. आर. अदम वकू	....	...	—	...
12.	,,	97/83 धारा 302/147/ 148/149/ता. हि.	बद्रीलाल, किशना, माग्या, फूलचंदा, चंदा, भैरू, द्वारका, छीतर, बद्री, शम्भु ।	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	चार्ज शीट	पेन्डिग कोर्ट	डी.जे. कोटा	—	...
13.	सुल्तानपुर	130/83 धारा 302/307/ 147/ता. हि.	गुड्डूअली, गली, बाबू, तथा दो अन्य	अली, गली, ईसाक, बाबू, सलीम, गुडू ।	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	डी.जे. कोटा	...	...
14.	,,	9/85 धारा ता. हि.	अज्ञात	—	एफ.आर. [illegible]	...	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मांगरोल	13/83 धारा 302/147/ ता.हि.	खुवा, साबू, केदार, कल्याण, जमना	खुवा, साबू, केदार, जमनालाल	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	एडीजे बारां	...	...
16.	,,	75/83 धारा 302/147/ ता.हि.	लटूर, नजीर, मांगीलाल, लतीफ, शरीफ, छीतर, फारुक, जगदीश, हेमराज।	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान।	चार्जशीट	,,	,,	....	—
17.	,,	7/84 धारा 302/147/ ता.हि.	रामचरण, सत्यनारायण, ओमप्रकाश, हेमराज, सुरेन्द्र हरीप्रकाश, बद्रीलाल, ब्रह्मा, बाबू।	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	चार्जशीट	,,	,,	—	—
18.	,,	49/85 धारा 302 ता. हि.	हुजूरसिंह व अन्य व्यक्ति	गिरफ्तारी शेष है।	पेन्डिग पुलिस	—	...	....	....
19.	रामगंजमंडी	13/82 धारा 302/ता. हि.	किशोर वाकड	किशोर	चार्जशीट	आजीवन कारावास	—	...	....
20.	,,	54/82 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	—	एफआर अदमपता मुलजिम	....	....	....	....
21.	,,	87/83 धारा 320 ता. हि.	अज्ञात	....	एफआर अदम पता मुलजिम	...	...	...	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	रामगंज मंडी	68/83 धारा 302 ता.हि.	अज्ञात	...	एफआर अदम	...	...	....	...
23.	थाना रामगंज मंडी	59/84 धारा 302 ता.हि.	रामचन्द्र, गोपाल	रामचन्द्र गोपाल,	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	एम.जे.एम. रामगंजमंडी	....	....
24.	,,	72/84 धारा 302 ,,	हकीमउदीन, नजमा	हकीमउदीन, नजमा	चार्जशीट	,,	,,	....	....
25.	,,	85/84 धारा 302 ,,	अज्ञात	....	एफआर	....	....	....	....
26.	,,	151/84 धारा 302 ,,	भंवरलाल	भंवरलाल	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	एम.जे.एम. रामगंजमंडी	.... —	....
27.	,,	207/84 धारा 302 ,,	अज्ञात	...	एफआर अमदपता	....	....	...	—
28.	,,	101/85 धारा 302 ,,	अज्ञात	...	पैन्डिग पुलिस	....	...	...	....
29.	थाना कनवास	9/82 धारा 302 ,,	याकुब, अब्दुलमजीद,	याकुब अब्दुल मजीद	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	डी.जे. कोटा	....	
30.	,,	19/62 धारा 302 379/ता.हि. ,,	अज्ञात	....	एफआर अदमपता	...	—	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	थाना कनवास	13/84 धारा 302 ता.हि.	मोहन.	मोहन	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	एस.जे एम. कोटा कैम्प रामगंजमंडी	....	...
32.	,,	58/84 धारा 302/147/ ता.हि.	जमना, गंगाराम, चन्द्र मान, कंचन, भंवरा, बावू, प्रभू	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	डी.जे.कोटा ,,	....	
33.	,,	27/85 धारा 302/147 ता.हि.	वृद्धिलाल, रामगोपाल, नंदा, मन्ना, मगन, मूरा, प्रहलाद, सूरज-मल, खेमा, वल्लभ	कालम नं 4 के सभी मुलजिमन	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	डी.जे.कोटा	...	....
34.	कनवास	74/85 धारा 302/ 147/326 ता. हि.	सत्यनारायण, घनश्याम, सतू, नोरतम, राजू, ओम, शिव, सतू, दिनेश, ओम कार कीर, शम्भू, सोहनीया देवीलाल ।	सत्यनाराय, घन श्याम, ओम-प्रकाश गोयल	पेन्डीग पुलिस तफतीश	....	....	....	....
35.	थाना अंता	93/84 धारा 302/ ता.हि.	अज्ञात	...	एफआरअदम वकू	....	...	...	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	थाना अंता	24/84 धारा 302/ ता. हि.	अज्ञात	—	एफआर अदम वकू		...	...	...
37.	,,	52/84 धारा 302/ 147/ता.हि.	बाबू, मदन, मोरपाल, कालू, हरीश, बाबूलाल, घन्नालाल,	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान।	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बांरा	—	—
38.	,,	82/84 धारा 302/ 34/ता.हि.	जगदीश, धनराज	जगदीश, धनराज	चार्जशीट	,,	,,	...	...
39.	,,	62/85/धारा 302/ 147/ता.हि.	नन्दलाल, घनश्याम, राधाकिशन, मथुरा, कन्हैयालाल, भंवरलाल, सुन्दरलाल, रामलाल, लालूराम, नाथूलाल	दो मुलजिम लालूराम व नाथू की गिरफ्तारी शेष है बाकी 8 मुल. गिरफ्तार किये जा चुके हैं।	पैन्डिग पुलिस	...	...	...	...
40.	,,	59/85 धारा 302, 201 ता. हि.	अज्ञात	...	पेन्डिग पुलिस	—	...	...	...
41.	थाना सीशवाली	25/84 धारा 302, 34 ता. हि.	रामकल्याण, रामविलास	रामकिल्याण, रामविलास	चार्जशीट	पैन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बांरा	—	...
42.	,,	56/84 धारा 302, 34 ता. हि.	अज्ञात	रवीप्रकाश, श्यामस्वरूप घनश्याम	चार्जशीट	,,	,,	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	थाना छबडा	23/82 धारा 302 ता. हि.	मुस. मरोसी	मुस. मरोसी	चार्जशीट	बरी	....	....	....
44.	,,	48/82 धारा 302, 147/307 ता. हि.	मरद्रग, प्रेम, मालम, आशाराम, सजन, अर्जुन, तोरण, केश कुरारी, प्रकाश, सरदार जनकसिंह	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	चार्जशीट	पैन्डींग कोर्ट	एस.जे.एम. कोटा I	—	—
45.	,,	66/82 धारा 302 ता.हि.	अज्ञात	,,	एफ.आर. अदमपता	,,	,,	—	—
46.	,,	97/82 धारा 302/34 ता.हि.	अमरलाल, व उसके साथी	अमरलाल	चार्जशीट	पैन्डिग कोर्ट	एम.जे. छबडा	—	—
47.	,,	91/83 धारा 302 ता. हि.	रामकिशन, मिश्रीलाल	रामकिशन, मिश्रीलाल	चार्जशीट	पैन्डिग कोर्ट	एस.जे.एम. छबडा	—	—
48.	,,	53/85 धारा 302, 201 ता.हि.	महेन्द्रप्रताप	महेन्द्रप्रताप	पैन्डिग पुलिस	,,	,,	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	थाना अटरू	128/83 धारा 302/ ता. हि.	छीतरनाथ,	छीतरनाथ	चार्जशीट	सजा आजीवन कारावास	,,	अपील राज. हाई-कोर्ट, जयपुर में विचाराधीन है	
50.	थाना अटरू	149/83 धारा 302/ 201/ता.हि.	मांगीलाल, प्रेमनारायण पानाबाई।	कालम नं. 4 के तीनों मुलाजिम	चार्जशीट	पैन्डिंग कोर्ट	ए.डी.जे. बांरा	—	—
51.	थाना अटरू	63/85 धारा 302/ 34 ता. हि.	गोपाल, व दो अन्य	,,	पैन्डिंग पुलिस	,,	,,	—	—
52.	बापचा	56/82 धारा 302/ 34 ता. हि.	हजारी, मोतियां, श्यामा, रामदयाल	हजारी, मोतियां श्यामा, रामदयाल	चार्जशीट	सजा आजीवन कारावास	,,	—	—
53.	,,	57/82 धारा 382/ 34 ता. हि.	सिकन्दरियां लड्डू, कमलसिंह	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	,,	बरी	,,	—	—
54.	,,	43/84 धारा 302 ता. हि.	मुलका, श्रीकिशन, मुवा	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	,,	पैन्डिंग कोर्ट	ए.डी.जे. बांरा	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	बापचा	57/84 धारा 302 ता. हि.	नारायण, राधेश्याम		,,	,,	एम.जे.एम. छबडा	—	—
56.	,,	59/84 धारा 302/ 34 ता. हि.	रामचन्द्र, श्रीकिशन	रामचन्द्र, श्रीकिशन व रामचन्द्र की पत्नि	,,	,,	,,	—	—
57.	,,	38/84 धारा 302/ 34 ता. हि.	कल्याण, रामचन्द्र	कल्याण, रामचन्द्र	,,	,,	,,	—	—
58.	,,	13/85 धारा 302/ 34 ता. हि.	जगनाथ, जेठमल, कजोड, जानकीलाल	जगनाथ, जयलाल, कजोड, जानकीलाल	,,	,,	,,	—	—
59.	शाहबाद	11/83 धारा 302/ ता. हि.	हरीसिंह,	हरीसिह	,,	,,	ए.डी.जे. बांरा	—	—
60.	शाहबाद	19/83 धारा 302/ ता. हि.	दौलत, छगनी	दौलत, छगनी	,,	,,	,,	—	—
61.	छीपा बडोद	18/82 धारा 302/ ता. हि.	मुन्नीबाई,	मुन्नीबाई	,,	,,	,,	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	छीपा बडौद	76/82 धारा 302/147/ ता हि.	हीरालाल, कालू, रामकिशन, जमना, कंवरलाल, नन्दा, जगदीश, केतु	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	,,	,,		—	—
63.	छीपाबडोद	127/82 धारा 302/34 ता.हि.	मंगलाराम, नानगराम, पांचाराम, लाखाराम, सुखपाल	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बांरा	...	...
64.	,,	39/83 धारा 302/34 ता.हि.	उदा, रामदयाल, गजानन्द, दयाराम	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	,,	,,	,,	...	—
65.	,,	129/83 धारा 302 ता.हि.	भंवरलाल,	भंवरलाल	,,	,,	,,	...	...
66.	,,	167/84 धारा 302 ,,	अज्ञात	...	एफआर अदम वकू	...	...	...	...
67.	,,	202/84 ,,	मदन	मदन	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बांरा	....	—
68.	मोडक	6/83 धारा 302 ,,	ज्ञानी उर्फ सरीफ	ज्ञानी उर्फ सरीफ	,,	,,	डी.जे. कोटा	—	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.	मोडक	13/83 धारा 302 ,,	सूरजमल, गोपाल, रामस्वरूप	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	..	,,	,,	....	...
70.	,,	32/83 धारा 302/398 ता. हि.	अज्ञात	...	एफआर लापता	...	...	—	...
71.	,,	40/83 धारा 302 ता.हि.	चांदसिंह, चरणसिंह	चांदसिंह, चरणसिंह	चार्जशीट	पेन्डिंग कोर्ट	डी.जे. कोटा	...	...
72.	,,	24/84 धारा 302/34 ता.हि.	रामचन्द्र, बाबू, जगदीश	रामचन्द्र, बाबू, जगदीश	,,	,,	,,	...	...
73.	,,	78/84 धारा 302/ता.हि.	अज्ञात	...	एफआर लापता	...	...	—	....
74.	,,	98/84 धारा 302/ता.हि.	जानकीलाल	जानकीलाल	चार्जशीट	पेन्डिंग कोर्ट	डी.जे. कोटा	...	....
75.	,,	38/85 धारा 302/307/ ता.हि.	तुलसीराम, भानू,	तुलसीराम	पेन्डिंग पुलिस	—	—	—	—
76.	हरनावदा	18/82 धारा 302/ता.हि.	भैरूलाल,	भैरूलाल	चार्जशीट	सजा	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.	हरनावदा	11/83 धारा 382 ता.हि.	कालूलाल,	कालूलाल	”	”	”	–	–
78.	मंवरगढ़	48/82 धारा 302/ता.हि.	गोरीलाल	गोरीलाल	”	”	”	–	–
79.	”	23/83 धारा 302/ता.हि.	भूला	भूला	”	”	–	–	–
80.	सांगोद	236/82 धारा 302/ता.हि.	रघुनाथ, वदीलाल, कस्तूर-चंद, जगन्नाथ	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	”	पेन्डिग कोर्ट	डी.जे. कोटा	–	–
81.	”	133/83 धारा 302/ता.हि.	वृद्धिलाल.	वृद्धिलाल	”	”	–	–	–
82.	”	166/83 धारा 302/307 ता.हि.	चतुरमुज, नन्दकंवर, राम-कुवार, श्रीकिशन	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	”	”	–	–	–
83.	”	29/84 धारा 302/ता.हि.	अज्ञात	”	एफ.आर. लापता	–	–	–	–
84.	”	73/84 धारा 382/ता.हि.	रामदयाल, धन्ना, भगवान-सिंह, जयराम	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	डी.जे. कोटा	–	–
85.	”	113/84 धारा 302/147/	पंचम, बाबू सीकन्दर,	कालम नं. 4 के सभी	”	”	”	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		324 ता.हि.	पीरखां खवाजू, जेतून, दातो, शेयरा, गफोर	मुलजिमान					
86.	सांगोद	128/84 धारा 302/387 ता. हि.	राधाकिशन,	राधाकिशन	"	"	"	–	–
87.	"	68/85 धारा 302/301/ ता.हि.	सीताराम	सीताराम	"	"	"	–	–
88.	बड़ादीत	85/82 धारा 302 ता.हि.	लालचन्द, बाबूलाल.	—	पेन्डिग पुलिस	—	–	–	–
89.	"	5/83 धारा 302 ता.हि.	बजरंगलाल, नन्दबिहारी, प्रहलाद, रामरतन,	कालम नं. 4 के सभी मुलजिम	चार्जशीट	बरी	...	–	–
90.	"	131/83 धारा 302 ता.हि.	धनराज	धनराज	"	"	–	–	–
91.	"	92/84 धारा 302/147 ता.हि.	देवलाल, रामनारायण, मथुरालाल, बद्रीलाल, हंसराज, मुरारी, हजारीलाल सूरजमल, पन्नालाल, रामगोपाल, ब्रजमोहन, बाबूलाल,	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	"	पेन्डिग कोर्ट	डी.जे. कोटा	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
,,			रामकल्याणी, बंशीलाल, हरलाल, लट्टूर, चौथमल, बनवारीलाल						
92.	बुडादीत	15/85 धारा 302/307 ता. हि.	रतनलाल, वृद्धिलाल,	रतनलाल, वृद्धिलाल	चार्ज शीट	पेन्डिग कोर्ट	डी.जे कोटा	—	—
93.	खातोली	52/83 धारा 302/ता.हि.	रामप्रसाद,	रामप्रसाद	,,	,,	ए.डी.जे. कोटा	,,	,,
94.	,,	69/83 धारा 302 ता.हि.	अलीमोहम्मद, नूरमोहम्मद, नन्नीबाई	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	,,	,,	,,	—	—
95.	,,	87/83 धारा 302 ता.हि.	प्रहलाद	प्रहलाद	,,	,,	,,	—	—
96.	,,	115/84 धारा 302/301/ ता. हि.	गोवरियां, मेरू	गोवरिया, मेरू	,,	,,	एम.जे.एम ईटावा	—	—
97.	,,	28/85 धारा 302 ता.हि.	बन्नालाल रमेशचन्द्र मुस. पन्सुरी	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	,,	,,	एम.जे.एम. सी.जे.एम. कोटा।	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98.	थाना बांरा	188/82 धारा 302 ता.हि.	अज्ञात	तेज्या, मोतीलाल,	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बांरा	—	—
99.	,,	325/82 धारा 302 ता.हि.	अज्ञात	—	एफआर	—	—	—	—
100.	,,	398/82 धारा 302 ता.हि.	अज्ञात	रामचन्द्र, ग्यारसी लाल	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बांरा	—	—
101.	,,	188/83 धारा 302 ता.हि.	जुगराज, गोपाल, गिरधारी	जुगराज, गोपाल, गिरधारी	,,	,,	,,	—	—
102.	,,	364/83 धारा 302/34 ता.हि.	केदारलाल, रामेश्वर, छोटू लाल, धनराज,	केदार, रामेश्वर, छोटू	,,	,,	,,	—	—
103.	,,	163/84 धारा 302/ता.हि.	मोतीलाल.	मोतीलाल	,,	,,	,,	—	—
104.	,,	194/84 धारा 302/ता.हि.	जसराज.	जसराज	,,	,,	,,	—	—
105.	,,	197/84 धारा 302/34 ता.हि.	बलराम, केसरीलाल, दूलीचंद	बलराम, केसरीलाल	,,	,,	,,	—	—
106.	,,	243/84 धारा 302 ता.हि.	अज्ञात	—	एफआर	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107.	थाना बारां	15/85 धारा 302 ता.हि.	अमरिया, जगन्नाथ, बंशी, कालिया, प्रहलाद, प्रभू मुन्नु.	—	पैन्डिग पुलिस	—	—	—	—
108.	,,	116/85 धारा 302 ता.हि.	घासी, मानसिह, कालू नारायण, संजय. कलू	—	,,	—	—	—	—
109.	नाहरगढ़	6/82 धारा 302 ता.हि.394	अज्ञात	....	एफआर	....	—	—	...
110.	,,	44/82 धारा 302/34ता.हि.	सबीर, गुलको	सबीर, गुलको	चार्जशीट	पैन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. कोटा	....	....
111.	,,	46/82 धारा 302/201 ता.हि.	सूरजमल, मथुरालाल	....	एफआर अदम वकू	—	....	...	...
112.	,,	22/83 धारा 392/34 ता.हि.	मोहनलाल, अमरसिह	मोहनलाल, अमरसिंह	चार्जशीट	पैन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बारां	..	....
113.	,	24/83 धारा 302/147/140/ता.हि.	श्रीलाल धाकड, नारायण	श्रीलाल, हरनारायण	,,	,,	,,	...	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114.	नाहरगढ	38/84 धारा 302/34 ता.हि.	किशनलाल, बृजमोहन रामकुंवार, राधाकिशन	कालम नं. 4 के सभी मुलजिम	चार्जशीट	पैन्डिग	ए.डी.जे. बांरा	–	–
115.	केलवाडा	41/82 धारा 302 ता.हि.	बापू,	बापू	,,	दोषमुक्त ए.डी.जे. बारां	,,	–	–
116.	,,	55/82 धारा 302 ,,	अज्ञात	–	एफआर	–	–	–	–
117.	,,	61/83 धारा 302 ,,	गंगाराम	गंगाराम	चार्जशीट	पैन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. बांरा	–	–
118.	ईटावा	129/82 धारा 302 ता.हि.	वीरमान, गुलाब	वीरमान, गुलाब	,,	,,	डी.जे.कोटा	–	–
119.	,,	68/83 धारा 302/34 ता.हि.	धनराज, बिरदीलाल,	धनराज, बिरदीलाल	,,	,,	,,	–	–
120.	,,	68/84 धारा 302 ता.हि.	अज्ञात	–	एफआर	–	–	–	–
121.	,,	70/84 धारा 302 ता.हि.	धन्नालाल, बजरंगलाल, सीताराम, किशना, हंसराज	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	पैन्डिग कोर्ट	डी.जे. कोटा	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122.	इटावा	29/85 धारा 302/202/ ता. हि.	लट्टूर, गीवरीलाल, हीरालाल, राना, चतुरभुज, जगन्नाथ	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	पेन्डिग पुलिस	–	–	–	–
123.	,,	63/85 धारा 302/147/ ता.हि.	राधाकिशन, कस्तूरचंद छोटूलाल, शिवनारायण	—	,,	–	–	–	–
124.	भीमगंज मंडी	27/82 धारा 302/307/ ता. हि.	वा एक अन्य सोजी, बद्री	जोशी, बद्री	चार्जशीट	बरी	सेसन कोर्ट से	जर्नल की गुजाइश नहीं होने से अपील नहीं की गयी।	
125.	भीमगंज मेडी	157/82 धारा 302/ ता. हि.	अज्ञात	,,	एफ.आर. अदमपता	–		–	–
126.	,,	127/83 धारा 147/ 140/149/307/ 302 ता. हि.	देवीलाल, भैरुलाल, मौड़ूलाल, बृजमोहन, सुरेश, दुर्गालाल, श्यामलाल,	देवीलाल, भैरुलाल, मोल्लूलाल, बृजमोहन, सुरेश, दुर्गालाल श्यामलाल	चार्जशीट	पैन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे.नं.2 कोटा 1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127.	मोमगंज मंडी	168/83 धारा 302/ 34 ता. हि.	पऊमल, अशोक, राजा, मोहन, हीरा	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे.नं 1 कोटा 1	–	–
128.	,,	195/83 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	–	एफ.आर. अदमपता	,,	,,	–	–
129.	,,	106/84 धारा 302/ 34 ता. हि.	राजेश कुमार, ओमप्रकाश	राजेश कुमार, ओमप्रकाश	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	सेसनकोर्ट कोटा	–	–
130.	मण्डाना	12/82 धारा 302/ ता. हि.	भैरू, छोटीया, दाऊमल	भैरू, छोटीया, दाऊमल	,,	बरी	,,	अपील के लायक नहीं होने से अपील नहीं की गयी।	
131.	मण्डाना	29/82 धारा 202/ 34 ता. हि.	दिनेशसिंह	दिनेशसिंह	,,	पेन्डिग कोर्ट	,,	–	–
132.	मण्डाना	35/82 धारा 302/ 34 ता. हि.	रणजीत, बसन्ता	रणजीत, बसन्ता	,,	,,	,,	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133.	मण्डाना	101/83 धारा 302 ता. हि.	बहादुर रेवारी	बहादुर रेवारी	चार्जशीट	सजा आजन्म कारावास	सैसन कोर्ट	—	—
134.	गुमानपुरा	63/82 धारा 302 ता. हि.	पप्पू, राजपूत	पप्पू राजपूत	,,	सजायाब	,,	—	—
135.	गुमानपुरा	75/82 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	,,	एफ.आर.	,,	,, ,,	—	—
136.	गुमानपुरा	164/82 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	अज्ञात	,	,,	,,	—	—
137.	,,	219/82 धारा 302 ता. हि.	पंचासरण, आनन्दकुमार	पंचासरण, आनन्द कुमार	चार्जशीट	पेन्डिंग कोर्ट	ए.डी.जे. नं 1 कोटा 1	—	—
138.	,,	378/82 धारा 302 ता. हि.	सोकत,	सोकत	चार्जशीट	सजायाब 3/25 आर्मस एक्ट 302 में बरी	सैसनकोर्ट कोटा 1	अपील की गुन्जाइश नहीं होने से अपील नहीं की गई	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139.	गुमानपुरा	363/83 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	—	एफ.आर. अदमपता	,,	,,	—	—
140.	गुमानपुरा	224/84 धारा 302/ 307/34 ता.हि.	रतनसिंह उर्फ रतन, रघुसिंह	रतनसिंह उर्फ रतन, रघुसिंह	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	सैसन कोटा	—	—
141.	,,	324/84 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	,,	एफ.आर. अदमपता	,,	,,	—	—
142.	मकबरा	9/82 धारा 302/ ता. हि.	मैरू रेगर	मैरू रेगर	चार्जशीट	सजायाब	सैसन कोटा	अपील नहीं की गयी।	
143.	मकबरा	44/03 धारा 302/ 34 ता. हि.	मोहम्मदअली, नजर मुस.	मोहम्मदअली, नजर मुस.	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	,,	—	—
144.	मकबरा	78/84/ धारा 302/ ता. हि. 147/148/ 149	अब्दुलवहीद, अब्दुलसकुर, मुन्ना, मो. यासीन, कुन्दू, अा. रहुफ, फरियाद, मुन्ना उर्फ सलीम	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	,,	ए.डी.जे. नं. 1 कोटा	,,	—	—

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
145.	केथून	47/82 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	—	एफ.आर. अदमपता	—	—	—	—
146.	केथून	92/82 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	—	,,	,,	,	—	—
147.	केथून	6/83 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	—	,,	,,	,,	—	—
148.	,,	140/82 धारा 302 34 ता. हि.	लछमन, रामा, रतन रामस्वरुप धोबी	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. न. 2 कोटा 1	—	—
149.	,,	54/83 धारा 302/ 34 ता. हि.	चंदना, सोजी, उदा	चंदना, सोजी, उदा	,,	पेन्डिग	सैसन कोटा	—	—
150.	कथूनीपोल	224/82 धारा 302 34/ता. हि.	गोपाल, राधा	गोपाल, राधा	चार्जशीट	बरी	ए.डी.एम. नं. 2 कोटा	—	—
151.	,,	171/84 धारा 302/ 147/148/149 ता. हि.	सतेन्द्र जोशी, दिनेश, सुभाष, रवीन्द्र, चच्चू ज्ञान, रवीप्रकाश, नवीन, रिजवान, अकीम	कालम नं.4 के सभी मुलजिमान	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे.नं. 1 कोटा 1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152.	कुन्हाडी	44/82 धारा 302 ता. हि.	पूनाराम	पूनाराम	,,	,,	ए.डी.जे. नं. 2 कोटा	—	—
153.	कुन्हाडी	158/83 धारा 302/ 307/ता. हि.	अज्ञात	,,	एफ.आर. अदम पता	—	—	—	—
154.	,,	21/84 धारा 302/ 34 ता. हि.	मानकचंद, सतू, कुन्दन	मानकचंद, सतू, कुन्दन	चार्जशीट	पेन्डिंग कोर्ट	ए.डी.जे. नं. 1 कोटा 1	—	—
155	,,	180/84 धारा 147/ 148/149/379/302 ता. हि.	बलदेवसिंह, बहादुरसिंह, मानसिंह, सोसरसिंह उदयसिंह, सुखचैनसिंह	कालम नं.4 के सभी मुलजिमान	,,	,,	सैसन कोटा	—	—
156.	नयापुरा कोटा	126/82 धारा 302/ ता. हि.	सरीम मईन, आ. वहिद	सरीम मईन आ. सहिद	,,	,,	,,	—	—
157.	,,	232/83 धारा 302/ 147/148/149 ता. हि.	परमानन्द, हीरालाल, रामलाल, बाबूलाल, राधदयाल, प्रताप	कालम नं.4 के सभी मुलजिमान	,	,,	,, ,,	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158.	कोतवाली कोटा	116/82 धारा 302/34 ता. हि.	मधुसूदन, हरीप्रकाश	मधुसूदन, हरीप्रकाश	चार्जशीट	आजन्म कारावास	ए.डी.जे. एम. नं. 1 कोटा		अपील नहीं की गयी।
159.	"	141/82 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	—	एफआर अदम पता	–	–	–	–
160.	"	146/82 धारा 302/34 "	दाउद, मुन्ना, नरुदीन, हनीफ	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	चार्जशीट	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. नं. 2 कोटा	–	–
161.	"	192/82 धारा 302/34 "	आरिफ, सुरेन्द्र	आरिफ सुरेन्द्र	"	सजा आजन्म कारावास	सेसन कोटा		अपील नहीं गयी।
162.	"	122/83 धारा 302/34 "	मुन्ना	मुन्ना	"	पेन्डिग कोर्ट	ए.डी.जे. नं. 1 कोटा	–	–
163.	"	169/83 धारा 302/34 "	श्यामसिंह, दुर्गा, तुलसी, भागचंद	श्यामसिंह, दुर्गा, तुलसी, भागचंद	"	"		–	–
164.	"	56/84 धारा 302/307/34 ता. हि.	अम्मू उर्फ कैलाश, दलीप, अमीन	अम्मू, उर्फ, कैलाश दलीप, अमीन	"	"	ए.डी.जे. नं.2 कोटा	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165.	उद्योग नगर	175/82 धारा 302/ता.हि.	अज्ञात	—	एफआर. अदम पता	—	—	—	—
166.	,,	165/82 धारा 302/ता. हि.	अज्ञात	—	,,	—	—	—	—
167.	,,	217/82 धारा 302 ता.हि.	घन्ना मेघवाल	घन्ना मेघवाल	चार्जशीट	आजन्म कारावास	ए.डी.जे. नं.2 कोटा	—	—
168.	,,	149/83 धारा 302 ता. हि.	सलीम	सलीम	,,	पेन्डीग कोर्ट	ए.डी.जे. नं 1 कोटा	—	—
169.	,,	198/83 धारा 302/34 ,,	लच्छू, रामकुवार, सलीम	लच्छू, सलीम, रामकुवार	,,	बरी	सेसन कोटा	—	—
170.	,,	132/83 धारा 302/34 ,,	सतीशकुमार, सुरेश, हरिसिंह	सतीश, सुरेश, हरिसिंह	,,	पेन्डिग कोर्ट	,,	—	—
171.	विज्ञान नगर	48/83 धारा 302 ता. हि.	नाथूलाल मेहर	नाथूलाल मेहर	,,	,,	ए.डी.जे. नं.2 कोटा	—	—
172.	,,	18/84 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	—	एफआर. अदमपता	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173.	रेल्वे कोलोनी	45/83 धारा 147/148/149/302/307/379 ता. हि.	कन्हैयालाल, गोपीलाल, रामगोपाल, रामकल्याण, मुकटबिहारी, शांता, गोपी मोहन, गोपी की औरत, गोपी की लड़की।	कालम नं. 4 के सभी मुलजिमान	चार्जशीट	पेन्डिंग कोर्ट	ए.डी.जे. नं. 2 कोटा	—	—
174.	,,	123/84 धारा 302/201 ता. हि.	अज्ञात	—	एफआर. अदम पता	—	—	—	—
175.	दादाबाडी	46/83 धारा 302/ता. हि.	अमरचंद गोयल	अमरचंद गोयल	चार्जशीट	सजा आजन्म कारावास	सेसन कोटा	—	—

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न सं. 845 की सूची)

नाम पुलिस थाना बिलाड़ा सर्कल बिलाड़ा

क्र. सं.	शीर्षक	अवधि	रिपोर्ट हुए	चालान	एफ.आर.	पेन्डिग पुलिस	चालान के कितने मुकदमात में माल बरामद नहीं हुआ	माल मसरुका	माल वाज्यापता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	डकैती	1/4/83 से 31/12/83	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–
		1/1/85 से 31/5/85	–	–	–	–	–	–	–
2.	कत्ल	1/3/83 से 31/12/83	5	2	2	1	–	–	–
		1984	4	2	1	1	–	–	–
		1/1/85 से 31/5/85 तक	1	1	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	लूट	1/4/83 से 31/12/83	4	4	–	–	–	12550-00	11750-00
		1984	5	1	4	–	–	7100-00	2100-00
		1/5/85 से 31/5/85	3	1	1	1	1	11800-00	–
4.	नकबजनी	1/4/83 31/12/85	4	1	3	–	–	14000-00	6000-00
		1984	16	4	12	–	–	61425-00	3840-00
		1/1/85 से 31/12/85	4	1	3	–	–	2675-00	–
5.	खयानत	1/4/83 से 31/12/83	2	1	1	–	1	–	–
		1984	1	–	1	–	–	–	–
		1/1/85 से 31/5/85 तक	–	–	–	–	–	–	–

नाम पुलिस थाना पीपाड़ शहर सर्कल बिलाड़ा

क्र. सं.	शीर्षक	अवधि	रिपोर्ट हुए	चालान	एफ.आर.	पेन्डिग पुलिस	चालान के कितने मुकदमात में माल बरामद नहीं हुआ	माल मसरूका	माल वाज्यापता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	डकैती	1/4/85 से 31/12/83 तक	—	—	—	—	—	—	—
		1984	—	—	—	—	—	—	—
		1/1/85 से 31/5/85 तक	—	—		—	—	—	—
2.	कत्ल	1/4/83 से 31/12/83 तक	1	1	—	—	—	—	—
		1984	4	4	—	—	—	—	—
		1/1/85 से 31/5/85 तक	1	—	—	1	—	—	—
3.	लूट	1/4/83 से		—					
		31/12/83	4	2	2	—	—	450-00	450-00
		1984	3	2	1	—	—	2300-00	300-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	,,	1/1/85 से 31/5/85 तक	–	–	–	–	–	–	–
4.	नकबजनी	1/4/83 से 31/12/83 तक	1	3	8	–	–	19396-00	16000-00
		1984	5	3	2	–	–	362-00	362-00
		1/1/85 से 31/5/85 तक	4	1	3	–	–	–	–
5.	खयानत	1–4–83 से 31/12/83 तक	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–
		1/1/85 से 31/5/85	–	–	–	–	–	–	–

479

पुलिस थाना भोपालगढ़, सर्कल बिलाड़ा

क्र. सं.	शीर्षक	अवधि	रिपोर्ट हुये	चालान	एफ. आर.	पेन्डिग पुलिस	चालान के कितने मुकदमात में माल बरामद नहीं हुआ	माम मसरूका	माल बाजयाप्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	डकैती	1/4/83 से 31/12/83 तक	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–
		1/1/85 से 31/5/85 तक	–	–	–	–	–	–	–
2.	कत्ल	1/4/83 से 31/12/83 तक	4	3	1	–	–	–	–
		1984	2	2	–	–	–	–	–
		1/1/85 से 3/5/85 तक	1	–	–	1	–	–	–
3.	लूट	1/4/83 से 31/12/83 तक	4	4	–	–	–	–	–
		1984	7	5	2	–	–	10500-00	7900-00
		1/1/85 31/5/85 तक	2	–	1	1	–	2600-00	–

(420)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	नकबजनी	1/4/83 से 31/12/83 तक	4	1	3	—	—	10855-00	4300-00
		1984	8	1	7	—	—	24700-00	6700-00
		1/1/85 से 31/5/85 तक	5	2	2	1	—	700-00	400-00
5.	खयानत	1/4/83 से 31/5/85 तक	—	—	—	—	—	—	—
		1984	1	—	1	—	—	—	—
		1/1/85 से 31/5/85 तक	—	—	—	—	—	—	—

पुलिस थाना डागोयावास सर्किल बिलाड़ा

क्र. सं.	शीर्षक	अवधि	रिपोर्ट हुये	चालान	एफ.आर.	पेण्डिंग पुलिस	चालान के कितने मुकदमात का माल बरामद नहीं हुआ।	माल मसरुका	माल वाजि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	डकैती	1/4/83 से 31/12/83 तक	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–
		1/1/85 से 31/5/85 तक	–	–	–	–	–	–	–
2.	कत्ल	1/4/83 से 31/12/83 तक	1	1	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–
		1/1/85 से 31/5/85 तक	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	लूट	1/4/83 से							
		31/12/83 तक	3	2	1	–	–	1500.00	1500.00
		1984	6	1	5	1	–	2200.00	–
		1/1/85 से							
		31/5/85 तक	–	–	–	–	–	–	–
4.	नकबजनी	1/1/83 से							
		31/12/83.	10	4	6	–	–	17432.00	5425.00
		1984	7	1	6	–	–	4853.00	550.00
		1/1/85 से							
		31/5/85 तक	2	1	1	–	–	2680.00	150.00
5.	खयानत	1/4/83 से							
		31/12/83 तक	–	–	–	–	–	–	–
		1984	–	–	–	–	–	–	–
		1/1/85 से							
		31/5/85 तक	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट-11.

(अतारांकित प्रश्न संख्या 846 की सूचियां)

क्र.सं.	रजि. नं.	नाम मय पता	विशेष
1.	7600/83	श्री दुर्गाप्रसाद पुत्र आशाराम पुरोहिता की ढाणी	अनु. जाति
2.	2428/85	श्री जगमालसिंह पुत्र प्यारेलाल रानासर	—
3.	5189/83	,, महेन्द्रकुमार पुत्र जुगलराम बिरोल	—
4.	डब्लू 175/84	श्रीमती कमला स्त्री जयसिंह ढीगाल	
5.	1993/85	श्री सोहनसिंह पालीवाल पुत्र लिक्ष्मणराम खोजावास	अनु.
6.	5792/84	श्री ओम प्रकाश स्वामी पुत्र मूगदास स्वामी की ढाणी	
7.	2735/85	श्री गोकुलचन्द खत्री पुत्र गणपतराम नवलगढ़	अनु.
8.	563/85	,, दालाराम रेगर पुत्र लादूराम रेगर परसरामपुरा	अनु.
9.	5237/85	श्री जयचन्द पुत्र झाबरराम निवाई	
10.	4321/83	,, देवीसिंह जाट पुत्र परसराम परसरामपुरा	
11.	4869/84	,, सीताराम रेगर पुत्र लीलाराम रेगर अनु. नवलगढ	अनु.
12.	5815/82	,, धन्नाराम पुत्र भगवानाराम जाखल	—
13.	4263/83	,, मूलचन्द पुत्र रामकरण कारी	
14.	1346/85	,, दातारसिंह पुत्र हनुमानसिंह डावडी वलोदा	
15.	222/84	,, अशोककुमार पुत्र मानीराम रानासर	
16.	6853/84	,, सांवरमल सैनी पुत्र भगवानाराम टोडपुरा	
17.	320/85	,, ओमप्रकाश पुत्र बालुराम बाय	अनु.
18.	डब्लू 297/84	श्रीमती गीता कुमारी स्त्री विद्याधर कारी	
19.	डब्लू 138/85	श्रीमती सुनीता झाझड़िया स्त्री रमेशचन्द्र रानासर	
20.	4636/83	श्री दयाराम पुत्र झाबरमल बिरोल	

(424)

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 847 की सूची)

सहायक अभियन्ता लालसोट कार्यालय में सन् 1980 से 85 के बीच रिवाईज्ड एस्टीमेट बनाये गये कृषि आवेदकों की सूची।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम
1.	श्री श्रीचंद पुत्र मोहनलाल मीना	मण्डावरी
2.	श्री भौरिया पुत्र चमना मीना	बगड़ी
3.	,, कालू, मोहरपाल पुत्र मांग्या उर्फ मीना	,,
4.	,, श्योनारायण पुत्र चंदा मीना	,,
5.	,, श्रवण, गोरिया पुत्र रामपाल बैरवा	,,
6.	,, कन्हैयालाल पुत्र नरसी मीना	,,
7.	,, मोहनलाल पुत्र केशरलाल खटीक	,,
8.	,, हरिया पुत्र मनफूल मीना	पट्टी सुल्तानपुरा
9.	,, रामला, जगन्नाथ पुत्र रामपाल मीना	निर्झरना
10.	,, मांगीलाल, मूल्या, नारायण मीणा	लाडपुरया
11.	,, जगन्नाथ, नारायण, मांगीलाल, श्रवण	,,
12.	,, किशोरदास, नारायणदास	कोकरिया
13.	,, रामपाल पुत्र मांगीलाल मीना	,,
14.	,, गेन्दा, बीरबल, बुद्धा मीना	मण्डावरी
15.	,, बदरीलाल चौधरी	लालसोट
16.	,, छोटू, मूल्या, रामपाल बैरवा	टोरड़ा
17.	,, रामफूल पुत्र भूरा मीना	कांकरिया
18.	,, भौरीलाल पुत्र किशनलाल मीना	प्रेमपुरा

1	2	3
19.	श्री विरधी चन्द माली, धन्नालाल माली	लालसोट
20.	,, भवानीसिंह पुत्र ईश्वरसिंह	दौलतपुरा
21.	,, गंगाराम मीना	,,
22.	,, बदरी मीना	श्यामपुरा कलां
23.	,, प्रताप जांगिड़ पुत्र माधोलाल जांगिड	निर्झरना
24.	,, पन्ना माली पुत्र गोल्या माली	लालसोट
25.	,, सरदार रोशन जागा	टोडा ठेकला
26.	,, भोलानाथ जोगी	दौलतपुरा
27.	,, मूलचन्द पुत्र रूपनारायण लुहार	श्यामपुरा कलां
28.	,, बालू, श्योपाल मीना	प्रेमपुरा
29.	,, रघुनाथ मीना पुत्र गंगाराम मीना	मिर्जापुर
30.	,, मांग्या पुत्र चंदा मीना	बगड़ी
31.	,, रामसिंह, माधोसिंह पुत्र बनेसिंह	श्यामपुरा कलां
32.	,, जगदीशप्रसाद पुत्र भौंरीलाल ब्राह्मण	भेडियावास
33.	,, नानगा मीना पुत्र नारायण मीना	निर्झरना
34.	,, जमनाप्रसाद तिवाड़ी पुत्र भगवानदास	टोडा ठेकला
35.	,, नारायणसिंह पुत्र किशोरसिंह	श्यामपुरा खुर्द
36.	,, तेजा रेगर पुत्र देवा रेगर	दौलतपुरा
37.	,, गंगाराम पुत्र परस्या कुम्हार	टोडा ठेकला
38.	,, गोरया, मूल्या पुत्र फालू माली	सूरतपुरा
39.	,, घीसासिंह पुत्र भगवानसिंह	श्यामपुरा कलां
40.	,, गोरया, सांवल्या मीना	बिनोरी
41.	,, चन्द्रा, हरबख्श मीना	बगड़ी
42.	,, श्योनारायण पुत्र भूतीराम मीना	बढ़ का पाड़ा
43.	,, श्रीकिशन, श्योबक्स मीना	राहूवास

1	2	3
44.	श्री भागीरथ पुत्र श्रीनारायण मीना	महाराजपुरा कलां
45.	,, नारायण पुत्र कालू मीना	,,
46.	,, गोविन्दा पुत्र जयचंद बैरवा	शाहपुरा
47.	,, महादेव पुत्र श्योनारायण मीना	रामलपुरा
48.	,, जगदीशप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल	रतनपुरा
49.	,, माधोलाल पुत्र गंगाधर माली	खटवा
50.	,, रणजीता पुत्र लक्ष्मण मीना	बगडी
51.	,, ईसरा, श्योपाल मीना	प्रेमपुरा
52.	,, नारायण, सांवला, रेवड़ माली	राजोली
53.	,, शंकरसिंह पुत्र लादूसिंह	रतनपुरा
54.	,, रामपाल मीना पुत्र प्रताप मीना	दौलतपुरा
55.	,, रामला, कालू, कुशला मीना	सिरिया
56.	,, रामू, सुरजन, घासी बैरवा	बगड़ी
57.	,, रामचन्द्र, ज्ञाना, गुलबा मीना	दौलतपुरा
58.	,, जयदेव पुत्र शुक्का मीना	दौलतपुरा
59.	,, रामचन्द्र कुम्हार पुत्र सुखपाल कुम्हार	टोडा ठेकला
60.	,, श्रीचंद मीना, मोहरपाल मीना	डिवान्चली कलां
61.	,, कुंजीलाल बैरवा पुत्र दयाचन्द	सालगरामपुरा
62.	,, छीतर मीना पुत्र रामदेव मीना	बाढ़ रूपपुरा
63.	,, नानगा पुत्र श्योबक्स मीना	श्योनन्दा
64.	,, सुखचन्द मीना पुत्र जयनारायण	मण्डावरी
65.	,, रामनाथ पुत्र पांचू खटीक	दौलतपुरा
66.	,, केशरलाल पुत्र कजोड़मल	बगड़ी
67.	,, छोट्या, नारायण पुत्र मूल्या माली	श्योनन्दा
68.	,, सत्यदेव शर्मा पुत्र केदारनाथ शर्मा	देवली

427

परिशिष्ट "ब"

सहायक अभियन्ता लालसोट के कार्यालय में सन् 1980 से 1985 के बीच जिन कृषि आवेदकों से एक्स्ट्रा पोल की कीमत ली गई लेकिन कम पोल लगे उनकी सूची।

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	ग्राम का नाम
1—	सांवल्या मीना पुत्र चमना मीना	विनोरी
2—	श्री सुखचंद मीना पुत्र जयनारायण मीना	मण्डावरी
3—	श्री नानगा पुत्र श्योबक्स मीना	श्योनन्दा
4—	श्री भागीरथ मीना पुत्र नारायण मीना	महाराजपुरा कलां
5—	श्री नारायण पुत्र कालू मीना	महाराजपुरा कलां

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 848 की सूची)

जिला–जोधपुर

क्र.सं.	पं. समिति का नाम	मुकदमें का विवरण	मुकदमें का उनवान (टाइटल)	न्यायालय का नाम	फीस जो पं.स. द्वारा वकील को दी गई।	कुल योग	मद	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बिलाडा	1– एस.बी. रिट 1578/83	बृजकंवर बनाम वि. अ., पं.स. बिलाडा	उच्च न्यायालय जोधपुर।	1500) रु.		निजी आय	
		2– ,, 2953/83	हीरालाल ,, ,,	,,	12500) रु.		,,	
		3– ,, 2578/83	बृजकंवर ,, ,,	,,	1000) रु.		,,	
		4– ,, –	बृजकंवर ,, ,,	न्यायालय मुन्सफी	500) रु.		,,	
			हीरालाल ,, ,,	पीपाड, जोधपुर	500) रु.		,,	
		5– –	हीरालाल ,, ,,	जि. न्यायालय, जोधपुर	500) रु.		,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			बृजकंवर बनाम वि.ग्र.,पं.स.विलाडा जिला न्यायालय,जोधपुर					
		6– एस.बी. रिट 1578/83	बृजकंवर ,, ,,	जिला न्यायाधीश,			निजी आय	
			हीरालाल ,, ,,	जोधपुर	250) रु.		,,	
		7– डी.बी. स्पे. अपील 233/84	हीरालाल ,, ,,	उच्च न्यायालय जोधपुर	2500) रु.		,,	
		8– – 2/83	भीखासिंह ,, ,,	मुन्सफी, जोधपुर	392) रु.		,,	
		9– एस.बी.सि. रिट 427/85	ग्राम पंचायत पिचायक ,, ,,	उच्च न्यायालय, जोधपुर	3500) रु.		,,	
					12642) रु.	12,642) रु.		
2.	ओसियां	1– एस.बी.सि. रिट 173/75	श्रीमती भुवनदेवी बनाम वि. ग्र., ओसियां	उच्च न्यायालय, जोधपुर।	1341) रु.		निजी आय	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	मन्डोर	1– एस.बी.सि. रिट 28/84	सरकार बनाम अम्बालाल वगैरा	उच्च न्यायालय, जोधपुर			1100 रु. तय किये किन्तु भुगतान नहीं किया।	
4.	भोपालगढ़	,, —	पुखराज अध्यापक बनाम वि. अ., पंचायत समिति, भोपालगढ़	मुन्सफी जोधपुर	279-50 पैसा		,,	
5.	शेरगढ़	1– राजस्व वाद सं. 82 एस.बी.सि. रिट क्र. 38/83	करणसिंह बनाम सरकार	राजस्व न्यायालय	300-00		,,	
				उच्च न्यायालय, जोधपुर	500-00	800-00	,,	
					15,062-50	15,062-50		

(कुल पन्द्रह हजार बासठ रुपये पचास पैसे)

(431)

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 850 की सूची)

पंचायत समिति के माध्यम से 1 अप्रेल 1981 से 30 जून 85 के बीच खादी बोर्ड द्वारा दिये गये ऋण एवं अनुदान की नामावली

वर्ष 1982-83

क. सं.	नाम मय पिता	जाति	ग्राम	उद्योग	आर्थिक सहायता		योग	वि वि.
					ऋण	अनुदान		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9
1.	मोहन/नन्दा रैगर	रैगर	सरसिया चारणा	चर्म जूता	550/-	550/-	1100/-	
2.	सूरजमल/हिमा	,,	अमरवासी	,,	550/-	550/-	1100/-	
3.	लादू/चन्द्रा	,,	पीपसून्द	,,	550/-	550/-	1100/-	
4.	भैरू/मोलू	,,	,,	,,	550/-	550/-	1100/-	
5.	उगमा/रामा	,,	,,	,,	550/-	550/-	1100/-	
6.	मोहन/ओंकार	,,	,,	,,	550/-	550/-	1100/-	
7.	देवी/मोलू	,,	,,	,,	550/-	550/-	1100/-	
8.	लादू/नाना	,,	,,	,,	550/-	550/-	1100/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	लादू/सुरजा	रैगर	पीपसून्द	चर्मजूता	550/-	550/-	1100/-	
10.	डालू/बालू	,,	,,	,,	550/-	550/-	1100/-	
11.	नन्दा/बालू	,,	शक्वारगढ़	,,	550/-	550/-	1100/-	
12.	दुर्गा/गंगा	,,	पीपसूद	,,	550/-	550/-	1100/-	
13.	छोटू/नाथू	,,	,,	,,	550/-	550/-	1100/-	
14.	नन्दा/पोखर	,,	गाडोसी	,,	550/-	550/-	1100/-	
15.	मवाना/कल्याण	,,	पीपसूद	,,	550/-	550/-	1100/-	
16.	उगमा/हजारी	,,	पीपसूद	,,	550/-	550/-	1100/-	
17.	बन्शी/किशना	,,	पीपसूद	,,	550/-	550/-	1100/-	
18.	गोकल/कालू	,,	,,	,,	550/-	550/-	1100/-	
19.	मागुता/मांगू	,,	,,	चर्म. रंगाई	2250/-	2250/-	4500/-	
20.	केशु/हजारी	,,	,,	,,	2250/-	2250/-	4500/-	
21.	लादू/घीसा	,,	फलासिया	,,	2250/-	2250/-	4500/-	
22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	550/-	550/-	1100/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	भूरा/श्रवण	कुम्हार	वरोदा	कुम्हारी	2462.50	1437.50	3900/-	
24.	रामपाल/रामसुख	,,	ईटून्दा	,,	2462.50	1437.50	3900/-	
25.	सुग्रा/छीतर	,,	,,	,,	2462 50	1437.50	3900/-	
26.	रामकरण/कालू	मीणा	व्रिजेठा	गुडखांडसारी	2670/-	400/-	3070/-	
27.	लादू/कूरा	कुम्हार	ईटून्दा	,,	2670/-	400/-	3070/-	
28.	मन्सी/कल्याण	गंवारिया	कुचलवाडाकुसा	रेशा	500/-	333/-	833/-	
29.	किशन/नाथू	,,	,,	,,	500/-	533/-	833/-	
30.	सोहनलाल/मांगीलाल	लखारा	पण्डेर	,,	500/-	250/-	750/-	
31.	सोजी/रामा	रेगर	मासंकाखेडा	चर्मजूता	550/-	550/-	1100/-	
32.	उगमा/कालू	,,	कावरी	,,	550/-	550/-	1100/-	
33.	बंशीलाल/भैरूलाल	लुहार	बखपुरा	लुहारी	2200/-	1200/-	3400/-	
34.	रामस्वरूप/कजोड	खाती	पीपलून्द	सुथारी	1600/-	600/-	2200/-	

433

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	रामकरण/नारायण	खाती	गन्धेर	सुथारी	1600/-	600/-	2200/-	
36.	नंदा/भूरा	भील	पीपलून्द	ताडगुड	300/-	100/-	400/-	
37.	श्रीमती दाखी/धन्ना	भील	पण्डेर	,,	300/-	100/-	400/-	
38.	नंदा/पत्नि कालू	भील	पण्डेर	रेशा	500/-	निल	500/-	
39.	खरशीद आलम/महताबखां	मुसलमान	वासकोकाखेडा	चूना कारीगर	5000/-	निल	5000/-	
					45127/-	26828.50/-	72056/-	

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 853 के तखमीने की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(IRRIGATION DEPARTMENT)

Name of work :—Repairs & Restoration of Bund Jaitpura.

S. No.	Items	Qty.	Rate. Per	Amount.
1.	Dismentling dry stone pitching including stacking of useable material & disposal of unuseable material with 30 Mt. distance.	618.81 Cum	5.75/Cum	3,730.65
2.	Earth work of dam including benching in base complete including breaking of clods dressing and lying in 15 cm. layers and dressing each layers when watered in borrow area to O.M.C. and consolidation by Sheep Foot Rooler to obtain minimum relative dry density of 1.8 with initial lead of 30 Mt. and initial lift of 1.5 M (Watering of borrow area to O.M.C. and consolidation by sheep foot rooler to attain a minimum relative dry density of 1.8 to be done by Deptt. at its own cost in hard soil with 2 ch. extra lead.	9653.26	66.2010 Cum	64,904.58
3.	Extra lead of earth work when consolidation by sheep food roller to attain a minimum			

S. No.	Items	Qty.	Rate. Per	Amount
	relative dry density of 1.8 with initial lead of 30 Mt. for every subsequent lead of 30 Mt. with 1/2 K.M. extra lead. In hard soil.	3701.03	119.00-do-	44,042.27
4.	Consolidation of E/W by rolling with sheep foot roller including tractor charges to attain a minimum relative dry density of 1.8	13354.29 Cum	25.00-do-	33,335.72
5.	Extra for watering of E/W. to O.M.C. content with initial lead of water of 0.5 Km.	13354.29 Cum	3.60-do-	4,807.54
				1,49,870,76
	Add. 5% for W/C Staff &			7,493.54
	Contingencies			1,57,364,30
	Technically sanctioned for		Say :—	1,57,400.00

Rs. 1,57,400/-(Rupees one lacs, Fifty seven thousand and for hundred only) and Registered as A-25 of 84-85.

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 861 की सूचियां

सूची 'अ'

टोडारायसिंह में विद्युतिकृत ग्रामों के विद्युत कनेक्शनों का विवरण

क्र.सं. ग्राम का नाम	ओएण्डएम के अधीन कनेक्शनों का विवरण							
	डीएल	डीपी	एनडीएस	एसआईपी	एमआईपी	एग्री.	डब्लूडब्लू	एसएल
1. टोडारायसिंह (कस्बा)	554	1	345	31	1	34	1	3
2. बस्सी	9	–	2	–	–	5	–	–
3. मटेडा	–	–	2	2	–	49	1	1
4. मासू	79	–	17	6	–	26	–	1
5. थगेला	–	–	–	–	–	10	–	–
6. थगेली	–	–	–	–	–	7	–	–
7. मेहरू	44	–	11	3	–	5	1	1
8. मातेलाई	35	–	16	3	–	5	1	1
9. पंवालिया	36	–	10	8	–	–	–	–

आरएमएनपी स्कीम टोडारायसिंह में दिये गये कनेक्शनों की सूची

क्र. सं. ग्राम का नाम	कनेक्शनों का विवरण			
	एनडीएस	एसआईपी	एग्रीकलचर	एसएल
10. गणेती	1	2	6	1
11. गणेता	–	–	1	–
12. बासेड़ा	–	–	–	1
13. डिबोलाक (बिबोलाक)	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6
14.	गनोली	–	–	–	–
15.	ढीबरू	–	–	–	–
16.	खरेड़ा	–	–	–	–
17.	मोडियाला	–		–	–
18.	मोरडा	–		–	–
19.	केरली	–	–	–	–
20.	बास सोनवा	–	–	–	–
21.	गणेश गंज	–	–	–	–
22.	रतबाई	–	–	–	–
23.	गोपालपुर	–	–	–	–
24.	रतवाडा	–	–	–	–

सूची 'ब'

तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	बावड़ी	11/3/55	12.	घरेड़ा	36
2.	पन्द्राहेड़ा	37	13.	कोरकर	35
3.	मोर	14	14.	लाम्बा कलां	54
4.	टीदालया रामपुरा	13	15.	गेडिया	53
5.	बनका खेड़ा	12	16.	गडपत	52
6.	अलियारी	38	17.	कुहरा खुर्द	45
7.	हमीरपुर	43	18.	वसूदा	44
8.	मण्डा	39	19.	नयाबास	46
9.	बहेरा	40	20.	इन्डोकिया	47
10.	मोतीपुरा	41	21.	सुख निवासपुरा	51
11.	हुन्दील	42	22.	रामनिवास पुरा	50

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
23.	धुली	49	49.	श्री रामनगर	104
24	हरभगतपुरा	48	50.	कुकलवास	107
25.	मैरूपुरा	79	51.	गणेशगंज	102
26.	माधोगंज	78	52.	बास झारना	103
			53.	सेतीवास	98
27.	बनेरिया बुजंग	80	54.	जेठालवा	97
28.	कल्याणपुरा	81	55.	राधाबल्लभपुरा	96
29.	रामसिंहपुरा	84	56.	मोर पातिया	95
30.	जयकामाबाद	83	57.	खजुरिया	24
31.	क्यारिया	85	58.	टोपा	25
32.	बरवास	86	59.	रामसिंहपुरा	23
33.	लक्ष्मीपुरा	89	60.	बास भागीरथ	62
34.	कानमय-बासगुरिया	87	61.	बास छतरा	63
35.	इस्लामपुरा	90	62.	खड़लिया खुर्द	33
36.	ओझापुर उर्फ फतेहगंज	69	63.	गनगोलाव	58
37.	गोलाहेड़ा	110	64.	नयाब	59
38.	बागरी	68	65.	लक्ष्मीपुरा	34
39.	रलावता	109	66.	खेड़लिया कला	32
40.	थत्ता	108	67.	सीतारामपुरा	30
41.	सालगवास	111	68.	सुबादण्ड	26
42.	रामपुरा	113	69.	सनोदिया	27
43.	चांदपुरा	112	70.	भावता	29
44.	बनेरिया छोंरा	116	71.	दावरदुम्बा	22
45.	पोटुन्डा	114	72.	दयालपुरा	28
46.	खुरासिया	115	73.	मुडिया कलां	19
47.	सन्दला	71	74.	किशनपुरा	21
48.	गोविन्दपुरा	106	75.	नरेडा	20

क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
76. पथपज खुर्द	31	82. कोटरी	3
77. पथपज कलां	17	83. रामेश्वरपुरा	9
78. मिथलिया	18	84. खेजड़ा का वास	7
79. खड़ा बुजंग	5	85. दतोह	6
80. लाम्बा खुर्द	4	86. सवारिया	1
81. उनरारा खुर्द	2		

सूची "स"

तहसील टोडारायसिंह-जिला टोंक के शेष बचे हुये अस्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	वासजोगरूप	11/3/15
2.	रामचन्द्रपुरा	16
3.	जंनलात खेरली	56
4.	सुरजपुरा	66
5.	लाडपुरा	67
6.	महादेवपुरा	68
7.	गंगापुरा	105

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 862 की प्रति)

राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान सहायतार्थ

आवेदन-पत्र

(एक प्रति प्रस्तुत करनी है। मुख्यमंत्री, राजस्थान, मुख्य सचिव एवं सचिव, समिति राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता समिति, जयपुर)

1.	नाम आवेदक	नन्द किशोर
2.	पूरा पता	नन्दकिशोर पुत्र श्री गुरमानी राम गुप्ता पो. ओ. तिजारा, जिला अलवर हाल पता 222 आर्यनगर, स्कीम नं. 1, अलवर
3.	उम्र	66 वर्ष
4.	नाम स्वतंत्रता सैनानी (अगर आश्रित है)	नन्द किशोर स्वयं प्रार्थी
5.	आश्रित का स्वतंत्रता सैनानी से संबंध/नाम व पता	×
6.	राष्ट्रीयता एवं धन्धा	भारतीय, दुकानदारी
7.	नियम 5 के अन्तर्गत स्वतंत्रता सैनानी के आश्रितों के नाम संबंध उम्र आदि।	

नाम	उम्र	संबंध
1. महादेवी	56 वर्ष	पत्नि
2. हरीओम	18 वर्ष	पुत्र
3. शिवकुमार	16 वर्ष	पुत्र
4. सुनीलकुमार	14 वर्ष	पुत्र

8. क्या केन्द्रीय या राजस्थान सरकार से किसी भी प्रकार पेंशन प्राप्त करता/करती है, अगर हां तो कब से ? — नहीं

(442)

9. आवेदक किस प्रकार की सहायता का इच्छुक है।	1. स्वतंत्रता सैनानी पेंशन
10. नियम 6 के अन्तर्गत निर्धारित प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ संलग्न करें	1. खेल प्रमाण पत्र 2. साथी स्वतन्त्रता सेनानी का प्रमाण पत्र
(1) स्वतंत्रता आन्दोलन के समय कैसी यातनाएं भोगी	निर्ममता पूर्वक पिटाई एवं जेल यातना
(2) कितने समय से स्वतंत्रता के पूर्व कार्य किया और कहां पर	सन् 1938 से 1947 तक 9 वर्ष
(3) स्वतंत्रता सेनानी ने कब से आन्दोलन में भाग लेना आरंभ किया। कौन से आन्दोलन में प्रारंभकाल की उम्र में भाग लिया।	1938 से प्रजामंडल का प्रसाद 1946 में गैर जिम्मेदार सरकार हटाओ आन्दोलन, 28 वर्ष की उम्र से
11. संक्षिप्त विवरण आन्दोलन में भाग लेने का	सन् 1938 में गुप्तरूप से प्रजा मण्डल का प्रचार-प्रस्ताव 1946 में नेताओं की धड़पकड़ के समय मुझे जेल भेजा
12. अन्य किसी भी प्रकार का विवरण जिसके द्वारा अपने योगदान को प्रमाणित करें, जिससे सहायता प्राप्त हो सके।	28.8.46 से 2.9.46 तक जेल में अलवर कारागार में रहे।

भवदीय,

हस्ताक्षर— नन्दकिशोर

पता, 222 आर्यनगर, स्कीम न. 1, अलवर (राज.)

पोस्ट आफिस—अलवर

जिला अलवर

स्थान अलवर

तिथि 1.5.84

कार्यालय अधीक्षक जिला कारागृह, अलवर

क्र. सं./600 दिनांक 27-6-84

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नन्दकिशोर पुत्र गुमानी राम महाजन साकिन तिजारा जिला अलवर दिनांक 28/8/1946 को जुर्म दफा $\frac{145}{188}$ में जेल दाखिला रजिस्टर नं. श. 315 पर दर्ज किये गये। इन्हें 2/9/1946 को आज्ञा प्राइम मिनिस्टर महोदय के आदेश से मुताबिक हुलीया व वापसी अमानत छोड़ा गया।

यह प्रमाण पत्र श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट अलवर के आदेश पर श्री नन्द किशोर पुत्र गुमानीराम को जेल रिकार्ड के आधार पर आज 27/6/84 को स्वयं के आवेदन पर दिया गया।

ह०

अधीक्षक

जिला कारागृह, अलवर

(1) मैं कृपादयाल पुत्र खेरातीलाल माथुर एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट स्वतंत्रता सैनानी पेन्सनर वासी अलवर राजस्थान का हूं।

(2) मैं यह प्रमाणित करता हूं कि श्री नन्दकिशोर पुत्र गुमानी राम सा. तिजारा हाल वासी अलवर 222 आर्य नगर वास्तविक स्ततंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण दिनांक 28/8/46 से 2/9/46 तक जेल में रहा और तत्कालीन प्राईम-मिनिस्टर के आदेश से छोड़ा गया।

(3) मैं यह प्रमाणित करता हूं कि श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री गुमानीराम ने कभी कोई माफी नही मांगी तथा श्री नन्दकिशोर का योगदान स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्व-पूर्ण रहा है।

ह०/—कृपादयाल

संयोजक,

स्वतंत्रता सैनानी, प्रकोष्ठ, अलवर

दिनांक 1/5/84

स्थान—अलवर

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 865 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

अजमेर जिले की तहसील अजमेर में कार्यरत पोषाहार केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र	केन्द्र संख्या	द्वारा संचालन
1–	अजमेर शहर	75	केन्द्रीय कारागृह दिनांक 1/4/84 से 31/1/85 तक।
2–	अजमेर शहर	75	भारती बाल विकास परिषद दिनांक 1/2/85 से 31/3/85 तक।
3–	पुष्कर शहर	5	नगर विकास समिति पुष्कर 31/3/85 तक।
4–	नसीराबाद	15	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा 31/3/85 तक।

परिशिष्ट "व"

केन्द्रों का पोषाहार निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों का विवरण ।

क्र.सं.	क्षेत्र	निरीक्षण दिनांक
1–	नसीराबाद	10/4/84, 20/4/84, 25/4/84, 21/6/84, 30/6/84, 14/8/84, 7/5/84, 9/5/84, 18/5/84, 21/9/84, 8/10/84, 16/10/84, 31/10/84, 21/11/84, 28/11/84, 27/12/84, 2/1/85, 6/2/85 ।
2–	पुष्कर	21/4/84, 5/5/84, 15/5/84, 6/9/84, 13/8/84, 28/9/84, 19/9/84, 17/10/84, 6/11/84, 7/11/84, 8/11/84, 15/11/84, 28/1/85, 2/7/85, 8/3/85, 3/2/85, 13/2/85 ।

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 868 की सूची)

सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
	तहसील सूरतगढ़		18.	46 जी बी बी	7[illegible]
1.	पदमपुरा	1/9/425	19.	47 जी बी	[illegible]
2.	संगीता अगूना	426	20.	52 जी बी	[illegible]
3.	संगीता अयूना	427	21.	45 जी बी	[illegible]
4.	अमरपुरा	274	22.	49 जी बी	8[illegible]
5.	38 पी बी एन	278	23.	40 जी बी	8[illegible]
6.	44 पी बी एन	251	24.	39 जी बी	8[illegible]
7.	भैरूपुरा	273	25.	चैनपुरा (1 जी एम)	1[illegible]
8.	मोहमदाबाद	270	26.	20 जी बी	1[illegible]
9.	जानकीदाववाला	268	27.	19 जी बी	1[illegible]
10.	41 पी बी एन	275	28.	18 जी बी	1[illegible]
			29.	17 जी बी	1[illegible]
	तहसील अनूपगढ़		30.	16 जी बी	10[illegible]
11.	67 जीबी	1/12/55	31.	15 जी बी (8 बी जी डी)	1[illegible]
12.	3 एन डी बरोर	143	32.	13 जी बी	13[illegible]
13.	राजपुरा (4 एल एम, 6 एल एम)	144	33.	नहरावाली (11/12 एनडी)	14[illegible]
14.	अमरपुरा (8 एल एम, 10 एल एम, 11 एल एम)	148	34.	देलान	19
15.	गंगासिंहपुरा (6 पी)	149	35.	धनधरा (2 डीएम)	19[illegible]
16.	रत्तासर (13 पी)	154	36.	पम्पलिया (15 एलएम)	14
17.	44 जीबी	82	37.	करणपुरा (17 एलएम)	14

.स. ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
8. लूनिया (20 एलएम)	189	47. मागसर (10 ए एस, 11 ए एस)	139
9. रेडवाधी (2/3 आरबीएम)	65	48. किशनासर (8 ए पीडी, 13 ए पीडी)	12
0. 54 जी बी	70	49. सुखचैनपुरा (1 एस जे एम, 3 के एस डी)	8
1. 55 जी बी	71		
2. 56 जी बी ए	72	50. करणीसर (14 एपीडी)	6
3. 56 जी बी बी	73		
14. कुमेली (13/14 ए एस)	141	51. 11 जोगियावाला (17 एसडी)	128
15. गोमावाली (7/8 जी एम)	192	52. 10 सरकारी (19 एसडी)	127
16. मोटासर (5 ए एस)	138		

परिशिष्ट 20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 869 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

जिला जालौर में जल प्रदाय विभाग द्वारा नलकूपों के कनेक्शन के लिए पैसे जमा कराये, जिनकी सूची ।

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	जमा कराई गई धनराशि	धनराशि जमा कराने का दिनांक	विवरण
1.	जालौर	जालौर	32979.20	9/11/84	एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ।
2.	खराल	,,	45140.00	20/2/84	
3.	फारपुरा	,,	41715.00	19/3/85	
4.	खानपुर	,,	—	30/8/83	
5.	सियाना	,,	18422.00	22/2/85	
6.	ओडवाड़ा	,,	314926.00	19/3/85	
7.	गुढ़ा इन्दरपुर	,,	300000.00	,,	
8.	कोला	,,	12655.00 760.00	25/2/85	
9,	सांचौर	सांचौर	44357.00	6/7/84	
10.	धूडवा	,,	8431.00	4/4/85	
11.	चितलवाना	,,	5190.00	,,	
12.	गोलासर	,,	31550.00	4/4/85	
13.	जाव	,,	29351.00	,,	
14.	गुड़ाऊ	,,	359280.00	,,	
15.	भुटेल	,,	268670.00	,,	
16.	भुटेल	,,	477.00	20/4/85	

1	2	3	4	5	6
17.	मांडोली	जसवन्त-पुरा	85368.00 213166.00	31/3/85	
18.	दासपा से भागल सेफटा	भीनमाल	267000.00	27/2/85	
19.	वूमारिया रोली बागोरा	"	333000.00	27/2/85	
20.	कैरिया नलकूप	सांचोर	267300.00	29/8/84	एल फार्म प्राप्त नही हुये।
21.	बेडिया नलकूप	"	38100.00	29/9/84	"

परिशिष्ट "ब"

जालौर जिले में जल प्रदाय विभाग द्वारा सीधे फीडर के लिए जमा कराई गई रकम का विवरण :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की लम्बाई कि.मी.में	तकमीने की राशि	रकम जमा कराने का दिनांक	विवरण
1	2	३	4	4	6
1.	33/11 केवी सब स्टेशन सियाना से 33/11 केवी के सीधे फीडर एवं रायपुरिया में 63 केवीए सब स्टेशन का निर्माण कार्य।	10.00	287000.00	27/2/85	
2.	33/11 केवी सब स्टेशन जालौर से 11 केवी भागली रेवत के सीधे फीडर का निर्माण कार्य।	17.00	420000.00	"	
3.	33 केवी सब स्टेशन चूरा से 11 केवी साथूनून फीडर एवं नून में 11/.0 केवी एवं 1 × 25 केवीए सब स्टेशन का निर्माण कार्य।	10.00	276000.00	"	
4.	33/11 केवी सब स्टेशन गोडन से 11 केवी डावला फीडर का निर्माण कार्य।	18.00	450000.00	"	

(449)

1	2	3	4	5	6
5.	33/11 केवी सब स्टेशन सियाना से 11 केवी मटेला फीडर एवं मटेला में 1 × 25 केवीए सब स्टेशन का निर्माण कार्य ।	10.00	176000.00	27/2/85	
6.	मिटूड़ा विद्यमान लाईन से 11 केवी ओडवाड़ा फीडर एवं ओडवाड़ा में 1 × 25 केवीए सब स्टेशन का निर्माण कार्य ।	16 00	314926.00	18/3/85	नये कनेक्शनों की राशि भी परिशिष्ट "अ" में शामिल है ।
7.	33/11 केवी सब स्टेशन पोसाना में 1. केवी मेगालवाजीवा फीडर का निर्माण कार्य ।	16.00	360000.00	27/2/85	
8.	33/11 केवी सब स्टेशन कसवाना से 11 केवी रेवतरा फीडर का निर्माण कार्य ।	11.00	172000.00	"	
9.	33/11 केवी सब स्टेशन मडरजून से 11 केवी रामा फीडर का निर्माण कार्य ।	10.00	230721.00	6/5/85	
10.	33/11 केवी सब स्टेशन दासपा से 11 केवी दासपा भागल सेफ्टा फीडर का निर्माण कार्य ।	10.00	267000.00	27/2/85	,, ,,

1	2	3	4	5	6
11.	33/11 केवी सब स्टेशन घूमरिया से 11 केवी बागोडा फीडर का निर्माण कार्य ।	12.00	333000.00	27/2/85	नये कनेक्शनों की राशि भी परिशिष्ट "अ" में शामिल है ।
12.	33/11 केवी सब स्टेशन सांचौर से 11 केवी सिलु फीडर का निर्माण कार्य ।	19.00	478320.00	31/3/83	
13.	33/11 केवी सब स्टेशन भडरून से 11 केवी भूटेन फीडर का निर्माण कार्य ।	10.00	266670.00	"	
14.	" " " अंकोली "	10.00	266670.00	"	
15.	" " रामसीन से " मन्डोली भूटवास निर्माण कार्य ।	8.00	298534.00	"	नये कनेक्शनों की राशि भी परिशिष्ट "अ" में शामिल है ।
16.	" " सरनाऊ से " गुडाऊ फीडर निर्माण का कार्य ।	14.00	314000.00 45280.00	27/2/85 31/3/85	" " " "

परिशिष्ट 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 870 की सूची)

अभावग्रस्त ग्रामों की सूची विधान सभा क्षेत्र जायल

परिशिष्ट–1

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम
1.	जायल	गडरिया	22.		बोड़िन्द खुर्द
2.		नोसरिया	23.		सुरपालिया
3.		सेडाऊ	24.		मून्दियाऊ
4.		ग्रांवलियासर	25.		खाबडियाना
5.		जालनियासर	26.		टालनियाऊ
6.		बोसेरी	27.		छापड़ा
7.		सिलारिया	28.		तंवरा
8.		पींडिया	29.		खेड़ा हीरावास
9.		रूणिया	30.		गुगरियाली
10.		कमेडिया	31.		गुढा रोहिली
11.		तरनाऊ	32.		चवाद
12.		ढेहरी	33.		चावली
13.		वरसूणा	34.		रामसर
14.		डेहरोली	35.		भाड़ेली
15.		मातासुख	36.		बुरड़ी
16.		रोहिणा	37.		खरामांजरा
17.		सांडीला	38.		ग्राकोड़ा
18.		धारणा	39.		निम्बोड़ा
19.		कुसिया	40.		मीठा मांजरा
20.		झालालड़	41.		डोडू
21.		दुगस्ताऊ	42.		कांगसिया

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम
43.	जायल	दुगोली	70.		मांगलोद
44.		खारीजोधा	71.		डेह
45.		रोटू	72.		जानेवा पूर्व
46.		गोराउ	73.		" पश्चिम
47.		अजबपुरा	74.		जायल
48.		रोल	75.		खियाला
49.		परड़ोद	76.		बरनेल
50.		बुगरड़ा	77.		फिरोजपुरा
51.		सुवादिया	78.		अम्बाली
52.		खानपुर मांजरा	79.		दांता
53.		डिडियाकलां	80.		ज्याणी
54.		खेरवाड़	81.		नोखाजोधा
55.		नराधना	82.		जाखण
56.		पातेली	83.		जोचीणा
57.		खेड़ा नारनोलिया	84.		अड़सींगा
58.		भूंभाला	85.		राजोद
59.		गोतरड़ी	86.		बोड़िद कलां
60.		सोमड़ा	87.		धानणी
61.		खंवर	88.		घाटियाद
62.		रातंगा	89.		छाजोली
63.		खेराट	90.		नूरियास
64.		बागगासर	91.		ऊचाईड़ा
65.		सोनेली	92.		कसारी
66.		ऐवाद	93.		भिणियाद खास
67.		पिडियारा	94.		भिणियाद अ
68.		गोठ	95		भिणियाद ब
69.		मेरवास	96.		कठौती

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम
97.	नागौर	रोहिणी	104.		चाऊ
98.		पीपासर	105.		पेरावा
99.		बीरमसर	106.		गोलसर
100.		श्यामसर	107.		सेवड़ी
101.		गोरेरा	108.		छीला
102.		सांडिया	109.		बूकर्मसोता
103.		अजासर	110.		झोरड़ा

कलक्टर (सहायता)

नागौर

परिशिष्ट–2

विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्रामों की सूची जिनमें राहत कार्य प्रारम्भ किये गये है।

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	अभिकरण का नाम जिसके माध्यम से राहत कार्य करवाया गया।
1	2	3	4
1.	जायल	1. जोचीणा	पंचायत समिति
		2. जाखण	,,
		3. अड़सींगा	,,
		4. रोटू	,,
		5. गोराऊ	पंचायत समिति व सा. वि. नि.
		6. वासेरी	पंचायत समिति
		7. आवलियासर	,,

1	2	3	4
	जायल	8. भलालड	पंचायत समिति
		9. धारणा	”
		10. सिलारिया	”
		11. नोसरिया	”
		12. साडीला	”
		13. रोहिणी	”
		14. पादेली	”
		15. भाडेली	”
		16. खारा माजरा	”
		17. बुरडी	”
		18. तरनाऊ	पंचायत समिति व वन विभाग
		19. डेह	पंचायत समिति
		20. रामसर	”
		21. गुगरियाली	”
		22. दुगोली	पंचायत सं. व वन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग।
		23. जायल	पंचायत समिति वन विभाग
		24. छाजोली	पंचायत समिति
		25. सोनेली	”
		26. गोठ	”
		27. रूणिया	”
		28. भूभाला	”
		29. बुगरडा	”

1	2	3	4
	जायल	30. खारी जोधा	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		31. कठोती	सिचाई विभाग
		32. खंवर	,,
		33. डिडिया कलां	,,
		34. सोमडा	वन विभाग
		35. राजोद	,,
2.	नागौर	36. रोहिणी	पंचायत समिति
		37. पीपासर	,,
		38. विरमसर	,,
		39. श्यामसर	,,
		40. गोरेरा	,,
		41. छीला	,,

कलक्टर (सहायता)

नागौर

परिशिष्ट–3

पंचायत समिति के माध्यम से करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	नाम ग्राम	व्यय राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान से शेष राशि
1.	दुगोलाव तालाब	जोचीरणा	48131–00	48131–00	—
2.	श्रायूणी नाडी	जाखय	19435–50	19345–00	—
3.	कुमराव तालाब	श्रड़सींगा	16408–30	16408–30	—
4.	घरलाई नाडी	रोटू	17210–30	17210–30	—
5.	गांवई तालाब	गोराऊ	13902–00	13902–00	—
6.	जोखाणा तालाब	श्रावलियासर	8990–00	8990–00	—
7.	गांवई नाडी	भलालड़	22703–80	22703–80	—
8.	गांवई निराना तालाब	धारना	18985–95	18985–93	—
9.	सलोलाई नाडी	सिलारिया	19680–00	19680–00	—
10.	नरेला नाडी	सांडीला	13700–00	13700–00	—
11.	गांवई नाडी	पातेली	16497–25	16497–25	—
12.	खेड़ा नाडी	भाड़ेली	97418–00	97418–00	—
13.	नाडी खुदाई	खारामांजरा	30033–00	30033–00	—
14.	धोली नाडी खुदाई	बुरड़ी	50255–10	50255–10	—
15.	मेलाव तालाब सागर	तरनाऊ	17561–00	16561–00	—
16.	गांवई तालाब	गुगरियाली	25071–20	25071–20	—
17.	घरलाई तालाब	रोहिणा	19475–00	19475–00	—
18.	मेहरोली नाडी	बोसेरी	50000–00	उक्त कार्यों का भुगतान	
19.	गांवाई तालाव	नोसरिया	40000–00	सिंचाई विभाग से	
20.	नोसर तालाव	डेह	50000–00	राशि प्राप्त नहीं होने	
21.	रामसर तालाव	रामसर	50000–00	के कारण नहीं किया जा सका	

1 2	3	4	5
22. गांवई तालाव	दुगोली	50000-00	उक्त कार्यों का मुगतान
23. मतोई तालाब	जायल	39220-00	सिंचाई विमाग से राशि
24. गांवई तालाव	छाजोली	30000-00	प्राप्त नही होने के कारण
25. गांवई तालाव	सोनेली	20000-00	नहीं किया जा सका।
26. गांवई तालाव	गोठ	20000-00	"
27. गांवई तालाब	रूणिया	12155-00	"
28. गांवई तालाव	झुंझाला	7000-00	"
29. गांवई तालाव	बुगरड़ा	16932-00	"
30. गांवई तालाव	छीला	11311-00	उक्त कार्यों पर मजदूरी
31. गांवई नाड़ी	श्यामसर	19668-20	की दर कम आने के
32. पक्के तालाब की मिट्टी			कारण श्रमिकों द्वारा
खुदाई	रोहिणी	15708-95	मुगतान लेने से इंकार
33. हेमोलाई नाडी खुदाई	पीपासर	12093-65	किये जाने पर कार्य का
34. गांवई नाडी खुदाई	बीरमसर	13322-75	पुन: मूल्यांकन किया गया
35. तालाब खुदाई	गोरेरा	8045-49	है। मुगतान की कार्यवाही
			जारी है।

943266-04	535007-00	408259

वन विभाग के माध्यम से करवाये जाने वाये कार्यों का विवरण :—

क्र. सं.	नाम कार्य	नाम ग्राम	व्यय राशि	भुगतान की गई राशि
1.	सोमड़ा बीड़	सोमडा	17466–00	17466–00
2.	तरनाऊ-खाटू सड़क	तरनाऊ	54450–00	54450–00
3.	नर्सरी जायल	जायल	4675–00	4675–00
4.	राजोद	राजोद	2645–00	2645–00
5.	दुगोली	दुगोली	3085–00	3085–00
6.	जायल दुगोली सड़क	जायल, दुगोली	1352–00	1352–00
			83673–00	83673–00

सिंचाई विभाग के माध्यम से करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	नाम ग्राम	व्यय राशि	भुगतान की गई राशि
1.	कठौती बांध	कठौती	80430–65	16309–40
2.	खंवर बांध	खंबर	19487–75	29526–60
3.	डीडीयां कलां बांध	डीडीयां कला	32730–00	25539–25
			132649–15	71375–25

नोट :—1,32,649–15 में से श्रमिकों को रु. 71375–25 पै.. का भुगतान वास्तविक रूप से किया जा चुका है। शेष 61273–90 के ड्राफ्ट तहसीलदार जायल को भिजवा दिये गये हैं। भुगतान की प्रक्रिया जारी है। आगामी तीन दिन में पूर्ण भुगतान करवा दिया जावेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाये जाने वाले कार्यो का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	नाम ग्राम	व्यय राशि लाखों में	भुगतान की राशि लाखों में
1.	भरनावा–दुगोली सड़क	1. दुगोली 2. खारीजोधा 3. गोराऊ	2–59	2–59
			2–59	2–59

गोसवारा

कार्यों की संख्या	ग्रामों की संख्या	कुल व्यय	कुल भुगतान की गई राशि	भुगतान से शेष राशि
45	41	1418588–19	949055–25	469532–94

कलक्टर (सहायता)

नागौर

परिशिष्ट 22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 871 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

तहसील नांवा में माह फरवरी से अब तक हुये अग्नि दुर्घटना, ग्राम एवं हुये नुकसान की सूचना।

क्र.सं.	दुर्घटना स्थान/दिनांक	प्रभावित परिवार	अनुमानित नुकसान
1	2	3	4
1.	रसाल/13/2/85	6	45950/-
2.	लूणवा/17/2/85	1	2600/-
3.	कालोली/28/2/85	1	5450/-
4.	घाटवा/4/3/85	1	3000/-
5.	गंवारिया/5/3/85	1	2000/-
6.	हुडीला/9/3/85	1	1275/-
7.	घाटवा/15/3/85	1	2300/-
8.	मारोठ/18/3/85	1	11450/-
9.	लूणवा/23/3/85	1	12675/-
10.	अड़कसर/1/4/85	1	1470/-
11.	खाखडकी/16/4/85	1	4550/-
12.	टोडास/25/4/85	1	10500/-
13.	खारडिया/8/5/85	2	7280/-
14	देपुर/11/5/85	9	104900/-

क्र. सं.	दुर्घटना स्थान/दिनांक	प्रभावित परिवार	अनुमानित नुकसान
1	2	3	4
15.	मारोठ/15/5/85	10	33755/-
16.	लालास/17/5/85	2	38080/-
17.	चारणवास/30/5/85	1	6400/-
	17 ग्राम	41	2,93,635/-

कलक्टर (सहायता)
नागौर

परिशिष्ट 23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 874 की सूचियां)

(सूची "अ")

(क) पंचायत मुख्यालय देवराला का, कासिमपुरा, और इण्डाली को सड़क से जोड़ने के लिये सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(ख) पंचायत मुख्यालय सीगड़ा, महरादासी, भारू, चूड़ीचतरपुरा, भीमसर, न्यासर, बाकरा कुलोद कला, और खाजपुर ग्रामों के लिये सड़क निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं है ।

(सूची "ब")

(क) पंचायत मुख्यालय निराधनू, ककरेऊकला, डाबड़ी, धीरसिंह, सोनासर, हतीरी कलां और टाई को सड़क से जोड़ने के लिये सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(ख) पंचायत मुख्यालय बाडेठ, कालीयासर, हरीपुरा, लादूसार, हैजासर, कौदेसर, कोलिन्डा और दिलोई को सड़क से जोड़ने के लिये वर्तमान में सड़क निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं है ।

469
720

परिशिष्ट 24

(अतारांकित प्रश्न संख्या 879 की तालिका)

सन् 1988 से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सूची

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	पद	नियुक्ति तिथि
1.	श्री रामलाल श्रा. ग्यारसी राम	बेलदार	2/6/80
2.	,, भंवरलाल श्रा. पन्नालाल	,,	20/9/80
3.	,, श्रब्दुल मजीद श्रा. श्रब्दुल जब्बार	,,	1/12/80
4.	,, ग्यारसी राम श्रा. जमना लाल	,,	1/12/80
5.	,, हरिशचन्द श्रा. देवकरण	,,	1/12/80
6.	,, हरलाल श्रा. रामचन्द्र	,,	1/1/81
7.	,, गोरीशंकर श्रा. रामनारायण	,,	1/1/81
8.	,, लक्ष्मीनारायण श्रा. गंगाविशन	,,	1/1/81
9.	,, देवीलाल श्रा. जगन्नाथ	,,	18/4/81
10.	,, रामदयाल श्रा. कन्हैयालाल	,,	18/4/81
11.	,, बृज मोहन श्रा. गोरी लाल	,,	1/5/81
12.	,, सत्यनारायण श्रा. नाथूलाल	,,	15/6/81
13.	,, श्रब्दुल सलाम श्रा. मंजू खां	,,	1/7/81
14.	,, श्रशोक कुमार श्रा. रामनारायण	,,	20/12/82
15.	,, रमेशचन्द्र श्रा. रामगोपाल	,,	1/2/83
16.	,, रवि प्रकाश श्रा. कामेश्वर प्रसाद	,,	1/3/83

परिशिष्ट 25

(अतारांकित प्रश्न संख्या 880 की सूची)

1. नाना रेल्वे स्टेशन से मोमाना ।
2. इम्प्रूमेन्ट एण्ड ग्रेडिग ऑफ नाना आमलिया रोड़
3. इम्प्रूमेन्ट एण्ड अप ग्रेडिग ऑफ रानी मुंडना रोड़
4. अप्रोच रोड़ टू बीसलपुर फ्रोम बीजापुर से बीसलपुर की सम्पर्क सड़क
5. भादलनाड़ा रोड़ से चामूलई की कंकड की सड़क

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 885 की सूची

परिशिष्ट "अ"

क्र सं.	नाली का नाम	कुल लम्बाई किलोमीटर
1.	घोलट लिंक ड्रेन	8 कि.मी.
2.	धीमरी मोजा का लिंक ड्रेन	2 ,,
3.	सेशन लिंक ड्रेन	2
4.	वमनवारी लिंक ड्रेन	$1\frac{1}{2}$,,
5.	सेशन खेरावा लिंक ड्रेन	$7\frac{1}{2}$,,
6.	पहाडी ड्रेन	8 ,,
7.	सतवारी खेरावा लिंक ड्रेन	8 ,,
8.	हुलतान थोलतरिया लिंक ड्रेन	5 ,,
9.	नेतवारी लिंक ड्रेन	$1\frac{1}{2}$,,
10.	उदाका वकाया लिंक ड्रेन	$2\frac{1}{2}$,,
11.	घिलावटी अकाथा लिंक ड्रेन	1 ,,
12.	सवलगढ ड्रेन	5 ,,
13.	लंका यशोदा लिंक ड्रेन	5 ,,
	कुल योग	57

परिशिष्ट 27

(अतारांकित प्रश्न संख्या 886 की सूची)

गंगनहर के चकों की सूचना

पूर्ण हुए चकों की सूची जो बैंक द्वारा क्लीयर हो चुके हैं।

1– 25 पी एस (ए)
2– 7 एम के
3– 13 टी के
4– 5 टी के
5– 19 पी एस
6– 3 एम के
7– 14 टी के
8– 10 पी एस
9– 14 पी एस (ए)
10– 3 टी के
11– 4 टी के
12– 26 पी एस (ए)
13– 10 एम के
14– 6 टी के
15– 8 पीएस
16– 16 पीएस
17– 46 आर बी (II)
18– 16 आर बी
19– 19 आर बी
20– 21 आर बी
21– 17 आर बी
22– 35 आर बी
23– 36 आर बी (ए)
24– 36 आर बी (बी)
25– 55 आर बी (बी)
26– 59 आर बी
27– 64 आर बी
28– 41 आर बी
29– 76 आर बी
30– 65 आर बी
31– 57 आर बी
32– 52 आर बी
33– 2 आर बी
34– 18 आर बी
35– 22 आर बी
36– 42 आर बी
37– 34 आर बी
38– 22 आर बी
39– 15 आर बी
40– 60 आर बी
41– 3 आर बी

अपूर्ण चकों को पूर्ण मानने की स्वीकृति आर एल डी सी द्वारा दे दी गई है परन्तु बैंकों द्वारा क्लीयर होना बाकी है।

42– 23 आर बी

43– 32 आर वी

44– 17 टी के

45– 20 पी एस

46– 25 पी एस

47– 22 पी एस

अपूर्ण चकों को पूर्ण मानने की आरएल डीसी से स्वीकृति प्राप्त होनी आपेक्षित है।

48– 21 पीएस

अन्तिम लेखा भेजा जा चुका है पर बैंक द्वारा ऋण दस्तावेज नहीं होने के कारण निरीक्षण नहीं किया जाना है।

49– 45 पी एस

कार्य प्रगति पर है

50– 11 पी एस

51– 12 टी के

भाखड़ा नहर के चकों की सूचना

1. 1 जे आर के
2. 4 जे आर के
3. 5 जे आर के
4. 2 जे आर के
5. 13 जे आर के
6. 3 जे आर के
7. 29 जे आर के
8. 30 जे आर के
9. 31 जे/आर के
10. 25 जे आर के
11. 27 जे आर के
12. 28 जे आर के
13. 2 जे आर के
14. 11 जे आर के
15. 5 एस डी एस
16. 1 एम ओ डी
17. 2 एम ओ डी (बी)
18. 3 एम ओ डी
19. 10 एम ओ डी
20. 8 एम ओ डी
21. 9 एम ओ डी
22. 13 एम ओ डी (बी)
23. 17 एम ओ डी
24. 12 एम ओ डी
25. 27 एम ओ डी (ए)

    कार्य पूर्ण है पर बैंक द्वारा क्लीयर नहीं किया गया है।
26. 26 जे आर के
27. 25 एम ओ डी
28. 13 एम ओ डी (ए)
29. 2 एम ओ डी (ए)

    कार्य प्रगति पर है।
30. 27 एम ओ डी (बी)

परिशिष्ट 28

(अतारांकित प्रश्न संख्या 889 की तालिका)

अपराध तालिका दिनांक 1/7/84 से 30/6/84 तक थाना पुष्कर, गेगल, पीसागंज तथा मांगलिया वास, जिला—अजमेर

क्र.सं.	अपराध शीर्षक	नाम थाना	तारीख कायमी	अदम वकुआ	लापता	अदम सबूत	पेन्डिंग तफतीश	चालान	कितनी मुल.गिरफ्तार हुए	माल ममरूका	माल बाज्याफ्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1—	डकैती	1. पुष्कर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2. गेगल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3. पीसागंज	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4. मांगलिया वास	13/11/84	–	–	–	1	–	–	9000–00	–
	लूट	1. पुष्कर	6/3/85	–	–	–	–	1	3	300–00	–
		2. गेगल	30/9/84	–	–	–	–	1	4	–	–
		3. पीसागंज	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	लूट	4. मांगलिया बास	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	हत्या	1. पुष्कर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2. गेगल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3. पीसागंज	19/6/85	—	—	—	1	—	—	—	—
		4. मांगलिया बास	21/10/84	—	—	—	—	1	—	—	—
			25/12/85	—	—	1	—	—	—	—	—
			19/3/85	—	—	—	1	—	—	—	—
	चोरी	पुष्कर	8/7/84	1	—	—	—	—	—	—	—
			1/8/84	1	—	—	—	—	—	—	—
			25/8/84	—	—	—	—	—	1	800.00	—
			26/9/84	—	1	—	—	—	—	1900.00	—
			1/11/84	—	—	—	—	1	1	4200.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	चोरी	पुष्कर	28/12/84	—	1	—	—	—	—	100-00	—
			12/1/85	—	—	—	—	1	1	350-00	350-00
			20/1/85	—	1	—	—	—	—	—	—
			27/2/85	—	1	—	—	—	—	—	—
			21/3/85	—	1	—	—	—	—	400-00	—
			17/4/85	—	—	—	—	1	1	200-00	120-00
			19/4/85	—	—	—	1	—	—	—	—
			29/5/85	—	1	—	—	—	—	—	—
			27/6/85	—	—	—	—	1	1	5000-00	5000-00
	चोरी	गेगल	7/7/84	—	1	—	—	—	—	300-00	—
			27/9/84	1	—	—	—	—	—	—	—
			7/12/84	1	—	—	—	—	—	—	—
			14/12/84	1	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4–	चोरी	मांगलिया वास	24/1/85	–	1	–	–	–	–	300-00	–
			31/1/85	–	1	–	–	–	–	100-00	–
			18/3/85	–	1	–	–	–	–	500-00	–
			1/4/85	–	–	–	–	1	3	200-00	200-00
			6/4/85	–	1	–	–	–	–	300-00	–
			6/4/85	–	1	–	–	–	–	300-00	–
			16/4/85	–	1	–	–	–	–	500-00	–
			18/4/85	–	1	–	–	–	–	300-00	–
			1/5/85	–	1	–	–	–	–	800-00	–
			26/5/85	–	1	–	–	–	–	50-00	–
			16/6/85	–	–	–	1	–	–	800-00	–
5–	बलात्कार	पुष्कर	10/12/84	1	–	–	–	–	–	–	–
		गेगल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		पीसागंज	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		मांगलिया वास	–	–	–	–	–	–		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	चोरी गेगल		30/1/85	–	–	–	–	1	1	1000-00	1000-00
			11/2/85	–	1	–	–	—	—	800-00	—
			25/3/85	–			1	—	—	—	—
			29/3/85	1	–	–	–	—	—	—	—
			14/5/85	1	–	–	–	—	–	—	—
			4/6/85	1	–	–	1	—	–	–	—
			9/6/85	–	–	–	1	—	—	—	–
	चोरी पीसागंज		10/11/84	–	1	–	–	—	—	1500-00	—
4–	चोरी मांगलिया वास		9/8/84	1	–	–	–	—	—	—	—
			22/9/84	–	–	–	–	1	3	13100-00	13100-00
			6/11/84	–	1	–	–	—	—	600-00	600-00
			14/11/84	–	1	–	–	–	—	600-00	—
			25/12/84	–	–	1	–	—	—	1500-00	1500-00

(472)

परिशिष्ट 29

सूची "क"

लघु उद्योग इकाइयों को दी जा रही सुविधायें

1. उदार योजना अन्तर्गत ऋण सुविधा ।
2. ब्याज मुक्त ऋण सुविधा ।
3. केन्द्रीय/राज्य विनियोजन अनुदान सुविधा ।
4. परीक्षण उपकरण खरीद पर अनुदान ।
5. आई. एस. आई. मार्का लेने पर अनुदान ।
6. मशीनरी यंत्रों की खरीद पर चुंगी मुक्ती ।
7. टैक्सटाइल, सेरेमिक्स, सीमेंट, इन्जीनियरिंग, शुगर, ग्लास, फर्टीलाईजर मैटल व मिनरल पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु क्रय की गई मशीनरी को राजस्थान बिक्रीकर से मुक्ती की सुविधा ।
8. 200 के. वी. ए. कनेक्टेड लोड वाली इकाईयों को पावर कट छूट ।

सूची "ख"

रुग्ण औद्योगिक इकाईयों को निम्नांकित सुविधायें दी जाती हैं ।

1. मूलधन (ऋण) की किश्तों का पुनः निर्धारण करना ।
2. आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।
3. बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराना ।

इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संचालित रुग्ण इकाईयों को पुर्नजीवित करने की योजना के अन्तर्गत रुग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों को निम्न उद्देश्यों के लिये सहायता प्रदान कर पुर्नजीवित किया जाता है ।

1. आवश्यकता पर आधारित प्रारम्भिक खर्च ।
2. अतिरिक्त कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन ।
3. इकाई की पुर्नस्थापना के लिये सीमित पूंजीगत व्यय ।
4. केश लोसेज की पूर्ती हेतु सहायता ।

राजस्थान वित्त निगम, जिसके माध्यम से अधिकांशत: औद्योगिक इकाईयों का पोषण किया जाता है, द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रुग्ण लघु उद्योगों की नई योजना के अन्तर्गत निम्नांकित उद्देश्यों के लिये सहायता दी जाती है ।

1. कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी ।
2. सीमित पूंजीगत व्यय ।
3. इकाई के पुर्नजीवन के समय होने वाले नकद नुकसान की पूर्ती ।
4. औद्योगिक बकाया एवं प्रोसिंग क्रेडिटर के भुगतान हेतु सहायता ।
5. कार्यशील पूंजी की अनियमितता को कम करने के लिये सहायता बशर्ते कि बैंक द्वारा टर्म लोन स्वीकृत किया जावें ।

परिशिष्ट 30

(अतारांकित प्रश्न संख्या 898 का विवरण)

पंचायत समिति नैनवां

क्र. सं.	नाम कूप मय ग्राम	नाम ग्राम पंचायत	व्यय राशि जो भू जल विभाग को भुगतान की जानी है
1.	कूप बैरवा का झोपड़ा	बांसी	240.00
2.	कूप सन्डीला	गम्भीरा	400.00
3.	काला माल का झोपड़ा	गुढासदावर्तिया	300.00
4.	कूप लक्ष्मीपुरा	भजनेरी	300.00
5.	कूप मीनों की सार्वजनिक भजनेरी	भजनेरी	540.00
6.	कूप भेजनदी का झोपड़ा	भजनेरी	200.00
7.	कूप वावया	डोकन	800.00
8.	कूप वड़वा का देवरिया	खानपुरा	620.00
9.	कूप रेगरान कोठी	जजावर	820.00
10.	कूप मीनों का मोहल्ला वाछोला	वाछोला	1000.00
11.	कूप सुरगली	वाछोला	200.00
12.	कूप देवपुरा	वाछोला	340.00
13.	कूप बीजलवा	सुवान्या	300.00
14.	कूप पान्डूला	सुवान्या	700.00
15.	सार्वजनिक कूप सुवान्या	सुवान्या	200.00
16.	कूप वडीपडाव	रजलावता	580.00
17.	खोल का कूप रजलावता	रजलावता	340.00
18.	कूप कांकरिया	केयून्दा	420.00
19.	कूप सख्तपुरा	केयून्दा	440.00
20.	सार्वजनिक कूप बाछेड़ा	फुलेता	520.00
21.	माताजी का कूप खेरना	फुलेता	240.00

1	2	3	4
22.	सार्वजनिक कूप मालेडा	गुढादेवजी	420.00
23.	कूप माली मोहल्ला शीली काबड	जजावर	720.00
24.	कूप गम्भीरा	गम्भीरा	160.00
25.	कूप रालडी	रजलावता	320.03
26.	कूप खानकी झोपडिया	दुगारी	200.00
27.	कूप बस स्टेन्ड	दुगारी	220.00
28.	कूप देवपुरा	गुब्रसदार्वातिया	200.00
			11740.00

परिशिष्ट 31

(अतारांकित प्रश्न संख्या 901 की प्रतिलिपियां)

To
The Managing Director,
Rajasthan Small Industries Corporation,
Jaipur.

Respected Sir,

I would like to offer myself for your worsted Spinning Mill, Churu to improve the working and efficiency of the Mill.

I am a Textile Engineer with experience of Woollen Mill, Jamnagar (A Birla concern). I had production and marketing experience of a wollen Syenthetic and Cotton.

I am already working with M.P. State Textile Corporation Limited (M.P. Government Undertaking) and presently placed as Manager (Sales) in Avanti Handlooms, M. I. Road, Jaipur.

I may be kept on contract basis of one year or two years and after analysing the improvements of working and productions, my services may be regularised.

I would be happy if I got a chance to serve and my home State Rajasthan.

Thanking you, with warmest regards,

I am Sir

(SR R. S. SHEKHAWAT) MANAGER (SALES),
AVANTI HANDLOOMS,
M. I. ROAD,
JAIPUR–302001.

Dated 2nd July, 1984.

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.,
UDYOG BHAWAN, TILAK MARG, JAIPUR

No. RSIC : Estt : 110–111. July, 11, 1984

Shri R. S. Shekhawat,
Manager (Sales),
Avanti Handlooms,
M. I. Road,
Jaipur.

With reference to your letter dated 2.7.1984, we are pleased to offer you appointment on the post of production Manager in our Churu Mill on the following terms & conditions :

1. The appointment will be on contract basis initially for a period of one year which can be extended on mutually agreed terms.

2. The appointment will be terminabled on one month's notice from either side even before the expiry of the period of contract.

3. You will get total remuneration of Rs. 2000/– per month. No other payment by way of Dearness Allowance, House Rent Allowance, Hard Duty Allowance, Conveyance Allowance, Bonus or CPF contribution etc. will be payable to you during the period of contract service.

4. Your Headquarters will be at Churu.

5. Within the period of 6 months from the date of your joining the Mills, you will have to bring-out improvement in the overall working of the Mills in the following areas :

a. Maintenance :

You will ensure that the machines are always maintained in perfect working conditions and there is no loss of production or higher waste percentage on account of defective maintenance.

b. **Production :**

You will increase the production per shift to the level which is as near the rated capacity as possible and which favourably compares with the efficiency level of Mills in the Private Sector.

c. **Waste :**

You will bring down the percentage of waste visible and invisible to the minimum possible level. The waste percentage in any case will not be higher than 4%.

d. **Raw Material Blending :**

You will attempt use of blended raw material in such a way that there is substantial reduction in cost of raw material presently used by the Mills and therefore, sizable reduction in cost of production per kg. However, as a result of using such raw material blend, the quality of finished products will in no way be inferior to the quality produced at present without blending of raw material.

e. You will bring–out substantial improvement in the quality of yarn which will result in better sales realisation than at present.

f. **Discipline :**

You will supervise the functioning of the operatives under your control and see that proper discipline is maintained in the departments under your supervision.

If the aforesaid terms and conditions are acceptable to you, kindly report yourselves for duty as early as possible but not later then 18th August, 1984.

Sd.—Rajendra Pal Singh.
Managing Director.

परिशिष्ट 32

(अतारांकित प्रश्न संख्या 589 की सूची)

मिट्टी के कार्यों का दुबारा लिये गये मापों का विवरण

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रथम माप के अनुसार मिट्टी की मात्रा (घन मीटर)	दोबारा माप के अनुसार मिट्टी की मात्रा (घनमीटर में)
1	2	3	4
1.	मिट्टी की खुदाई का कार्य बुर्जी 1275 से 1277.500	207779	89560
2.	बुर्जी 1277;500 से 1280	234631	148719
3.	बुर्जी 1280 से 1282	85390	51600
4.	बुर्जी 1282 से 1283.500	47677	34239.53
5.	बुर्जी 1283.500 से 1286	33165	30556.28
6.	बुर्जी 1286 से 1288.750	20339.83	7984.71
7.	बुर्जी 1290.750 से 1293	120771.5	95670.90
8.	बुर्जी 1288.750	1407.00	1440.89
9.	बुर्जी 1296.750	1946.78	1934.5
10.	बुर्जी 1299.500	2613.91	2610.01
11.	बुर्जी 1319	6591.98	9959
12.	बुर्जी 1330	917.28	863.01
13.	बुर्जी 1332	2881.81	1987.13
14.	बुर्जी 1309	6580.083	5496.248
15.	बुजी 1314	1990.91	–

1	2	3	4
16.	बुर्जी 1305 से 307.5	38992.02	19335.06
17.	बुर्जी 0 से 5	262141	142481
18.	बुर्जी 5 से 10	962308	520594
19.	बुर्जी 10 से 15	1305776	794817
20.	बुर्जी 15 से 20	914762	798153
21.	बुर्जी 20 से 25	282168	96156
22.	बुर्जी 25 से 30	466131	317163
23.	बुर्जी 30 से 35	617727	288279
24.	बुर्जी 35 से 40	584375	360166
25.	बुर्जी 40 से 47.5	1443869	763875
26.	बुर्जी 10 से 12.5 साथ वितरिका	795111	802250
27.	बुर्जी 20 से 24	18427	1833900
28.	बुर्जी 52.500 से 55	11288	1121816
29.	बुर्जी 55 से 60	9091	834175
30.	बुर्जी 60 से 62.5	27321	1196437
31.	बुर्जी 62.5 से 65 साधा वितरिका	950750	945200
32.	बुर्जी 75 से 77.5	610243	579660
33.	बुर्जी 80 से 82.5	950044	651420
34.	बुर्जी 82.5 से 85	782050	709866
35.	बुर्जी 95 से 97.5	485616	491938
36.	बुर्जी 100 से 102.5	543780	469336
37.	बुर्जी 120 से 122.5	845567	813269
38.	बुर्जी 122.5 से 125	958555	997754
39.	बुर्जी 127.5 से 130	1820410	1770470

1	2	3	4
40.	बुर्जी 132.5 से 135	555787	538547
41.	बुर्जी 140 से 142.5	116186	143979
42.	बुर्जी 142.5 से 145	1113588	1095436
43.	बुर्जी 145 से 147.5	1016577	964594
44.	बुर्जी 147.5 से 150	929067	847598
45.	बुर्जी 47.5 से 50	814717	825417
46.	बुर्जी 125 से 130 सुलताना वित.	1117366	1213776
47.	बुर्जी 45 से 50 सुलताना माईनर	522132	534881
48.	बुर्जी 0 से 10 बाजांक माईनर	333444	331996

परिशिष्ट 33

अतारांकित प्रश्न संख्या 602 की सूची

विभिन्न विभागों द्वारा गणतंत्र मेला प्रदर्शनी एवं विकास मेला प्रदर्शनी में लगाई गई स्टाल पर हुए व्यय का विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	वर्ष 82–83	वर्ष 83–84	84–85
1	2	3	4	5
1.	जन सम्पर्क विभाग	11544.00	13500.00	प्रदर्शनी का आयोजन नहीं हुआ
2.	अल्प बचत	—	5742.00	—
3.	जन स्वा. अभि.	दोनों वर्षों का व्यय	13825.00	—
4.	भेड व ऊन विभाग	—	7650.00	—
5.	पशु पालन विभाग	5500.00	7000.00	—
6.	कृषि विभाग	9500.00	10500.00	—
7.	सिंचाई विभाग	5400.00	6800.00	—
8.	समाज कल्याण	5889.00	7000.00	—
9.	सहकारी विभाग	9011.50	8481.22	—
10.	परिवार कल्याण	18641.14	11901.00	—
11.	इन्दिरा गांधी नहर	(दोनों वर्षों का व्यय)	11000.00	—
12.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	16274.00	3400.00	—
13.	कारागार विभाग	3295.00	—	—
14.	खान एवं भू विज्ञान	19000.00 (दोनों वर्षों का व्यय)		

~~484~~

परिशिष्ट 34

(अतारांकित प्रश्न संख्या 768 की सूची)

क्र. सं.	अतिक्रमी का नाम मय पिता	कार्यवाही जो चालू है	कार्यवाही का दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री कारूलाल/जबेरलाल दोषी	धारा 34 के अन्तर्गत कार्यवाही	28/5/8
2.	श्री मानमल/गेदमल डांगरिया	,,	9/1/8
3,	श्री अम्बालाल/भेरुलाल पालीवाल	,,	,,
4.	श्री अशोक कुमार/माणकलाल कोठारी	धारा 24 के अन्तर्गत	18/5/8
5.	श्री निर्मलकुमार/गेन्दमल डागरिया	,,	20/6/8
6.	श्री नन्दराम आचार्य	,,	26/1/8
7.	श्री धनजी/हीरा लोहार	धारा 27 .	25/5/8
8.	श्री सूरजमल/दीपचन्द जी खत्री	धारा 27 (1)	13/8/8
9.	श्री भगवतीलाल/मन्नालाल पालीवाल	से दिया गया	19/10/8
10.	श्री प्रदीपकुमार/माणकलाल	वाद न्यायालय में चल रहा है	19/10/8
11.	श्री हरभजनसिंह/जसवन्तसिंह	,,	19/6/64
12.	श्री बन्शीलाल/जमकलाल जैन	धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही	28/5/84
13.	श्री पालीवाल समाज/कारूलाल पालीवाल	,,	5/2/85
14.	श्री दिलीपकुमार/माणकलाल	वाद न्यायालय में चल रहा है।	19/10/81

2	3	4
श्री मजीद खां/अमीरखां मुसलमान	27(1) की कार्यवाही	1/7/85
श्री देवीलाल/हीरासालवी	27(3) की "	1/7/85
हेमसिंह/मेवसिंह राजपूत	" "	1/7/85
श्री नारायण/मोती कंगारा	" "	"
श्री भैरा/रूपा लौहार	धारा 24 की	20/6/84
श्री हीरा/लिच्छा तेली	राजस्व विभाग के	10/4/85
श्री जबेरलाल/केदारीमल दोषी	धारा 24 की कार्यवाही	30/5/84
श्री गेदमल/कानजी भंवरा		
श्री राजमल/छगनलाल, दिलीप कुमार	स्टे दिया गया	26/12/84
श्री बाबूलाल/ओंकारलाल पालीवाल	धारा 27 की कार्यवाही	28/5/85
श्री लक्ष्मणदास/गणेश दास	" "	19/6/84
श्री रामचन्द्र/मूलचन्द पालीवाल	" "	28/5/84
श्री बालमुकुन्द/टेकचन्द पालीवाल	" "	"
श्री चम्पालाल/उदयलाल	" "	19/6/84
श्री रमेश पालीवाल	" "	"
9. श्री खन्ना/शंकर तेली	" "	25/5/84
श्री केसू/नाथू		
10. श्री शंकर/मगु तेली	" "	28/5/84
1. श्री बलवन्त सिंह/शम्भुसिंह दसौटी राज कर्मचारी	धारा 27 की कार्यवाही	26/6/84
2. श्री कालू/भेरा	" "	"
3. श्री अर्जुन मेघवाल	" "	9/7/84
4. श्री अमृतलाल/लाल कडौती	" "	26/6/84

1	2	3		
35.	श्री जोरू/कजोड सालवी	धारा 27 की कार्यवाही		26/
36.	श्री बल्लू नायक.	,,	,,	
37.	श्री गपु/चम्पा	,,	,,	24/
38.	श्री शंकर/चम्पा	स्टे दिया गया	0	24/
39.	श्री बाला/देवा	27(3)		2/7
40.	श्री केडारी मल/किस्तुर चन्द चम्पावत	धारा 24		2/7
41.	श्री धापु/मंगाराम वैष्णव	,,	,,	1/7
42.	श्री प्रताप/गौतम राम/चतुर्भुज कुम्हार	,,	,,	19/6
43.	श्री कचूर/लक्ष्मण सालवी	धारा 27 की कार्यवाही		23/6
44.	श्री शाहजहां खां/अमीर खां	,, 24	,,	24/7
45.	श्री नवाब खां/अमीर खां	,, 27(1)	,,	1/7
46.	श्री मुंशी खां/बाबरू खांजी	,,	,,	23/6
47.	श्री शंकर सिंह/रामसिंह राजपूत	,, 27 की कार्यवाही		
48.	श्री महावीर/जवेर लाल जुठावत	,,	,,	22/6
49.	श्री अब्दुल खां/मजीद खां	,,	,,	22/6
50.	श्री मोहन लाल गर्ग	,, 24	,,	25/6
51.	श्री अहमद नूर कसाई	,, 27	,,	24/7
52.	श्री रमजूदीन/नजरूदीन मुसलमान	,,	,,	24/7
53.	श्री कालू/देवा	,,	,,	17/7
54.	श्री सूरजमल/रखब दास भूठावत	स्टे दिया गया		29/9
55.	श्री कान्ता/कान्तीलाल दोषी	धारा 27(1) की कार्यवाही		1/7/
56.	श्री रूप/मीमा गोषा	धारा 24 की कार्यवाही		17/5/

1	2	3	4
57.	श्री जवाहर लाल/केदारी मल जैन	धारा 24 की कार्यवाही	23/6/85
58.	श्री बाल चन्द/केदारी मल	,, ,,	10/4/85
59.	श्री शंकर/मगु तेली	,, ,,	22/11/84
60.	श्री विद्यादेवी/सुरजमलजी पालीवाल	धारा 27 की कार्यवाही	25/12/84
61.	श्री केशरीमल/मंगल जी जैन	,, ,,	1/12/84
62.	श्री शांति लाल/नारजी दोषी	,, ,,	,,
63.	श्री बाबू लाल/बाल चन्द जैन	धारा 24 के अन्तर्गत कार्य	17/4/85
64.	श्री अजीत खां/कासम खां मुसलमान	,, ,,	26/4/85
65.	श्री सोहन लाल/शंकर लाल नाई	धारा 27 ,,	24/4/85
66.	श्री भेरा/रूपा दरोगा	,, 24 ,,	23/6/85
67.	श्री कालिया/बिच्छु खां	,, 27 ,,	1/7/85
68.	श्री नाना लाल जैन	,, 24 ,,	1/1/85
69.	श्री लालू/गंगाराम	धारा 24 की कार्यवाही	9/6/85
70.	श्री रमेश/गेंदमल भवारा	,, ,,	26/3/85
71.	श्री बालचन्द/भैरूलाल दोषी	,, ,,	2/7/85
72.	श्री सवाईलाल/रंगलाल नागोरी	,, ,,	4/7/85
73.	श्री राजमल/बालचन्द जैन	,, ,,	31/3/85
74.	श्री ओमप्रकाश लोट	,, ,,	31/3/85
75.	श्री नन्दराम/चतुभुज आचार्य	,, ,,	31/3/85
76.	श्री बाबूलाल/केदारीमल सेठ	स्टे दिया गया	
77.	श्री हमीद/जुमेद खां	धारा 24 के अन्तर्गत कार्य.	23/6/84
78.	श्री अमीरखां/गोप मोह.	,, 27 ,,	2[illegible]/1/85

1	2	3	4
79.	श्री शान्तीलाल/नाहरजी दोषी	धारा 24 के अन्तर्गत कार्य	10/9/8.
80.	श्री नारायण/मोती कंगारा	" "	23/6/8.
81.	श्री अब्दुल सलीम/समन्दर खां	" 27 "	1/2/8.
82,	श्री बंशीलाल/हीरालाल पालीवाल	" "	
	श्री नाथूलाल/पालधारीवाला	" 24 "	23/6/8
83,	श्री गायत्रीदेवी/प्रहलाद तिवारी	" "	12/6/8
84.	श्री बाबू फतेह मोहम्मद	केस कोर्ट में चल रहा है	17/2/8

———